पंचदश माला, खंड 24, अंक 12

बुधवार, 28 मार्च, 2012
8 चैत्र, 1934 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दसवां सत्र

(पन्द्रहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 85
Dated 10 Sept-2014

सत्यमेव जयते

(खंड 24 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी.के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

ब्रह्म दत्त
संयुक्त सचिव

नवीन चन्द्र खुल्बे
निदेशक

सरिता नागपाल
अपर निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
संयुक्त निदेशक

राजीव शर्मा
सम्पादक

मनोज कुमार पंकज
सहायक सम्पादक

सुशान्त कुमार पाण्डेय
सहायक सम्पादक

© 2012 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रानिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्याधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 24, दसवां सत्र, 2012/1934 (शक)]

अंक 12, बुधवार, 28 मार्च, 2012/8 चैत्र, 1934 (शक)

विषय	कॉलम
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	
महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में पुशटोला के निकट आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति व्यक्त शोक संवेदना	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 201	2-4
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 202 से 220	4-61
अतारांकित प्रश्न संख्या 2301 से 2530	61-576
सभा पटल पर रखे गए पत्र.	577-592
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
24वां प्रतिवेदन	592
खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति	
16वां प्रतिवदेन	592
शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति	
16वां और 17वां प्रतिवेदन	592-593
गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति	
157वें से 160वां प्रतिवेदन	593
उद्योग संबंधी स्थायी समिति	
230वें से 232वां प्रतिवदेन	593-594
नियम 377 के अधीन मामले.	594
(एक) हिमालय से निकलने वाली नदियों का जल भारत के मध्य और दक्षिणी भागों में ले जाए जाने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए एक पैनल गठित किए जाने की आवश्यकता	
श्री एन.एस.वी. चित्तन	594-595

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(दो) मध्य प्रदेश के देवास स्थित बैंक नोट प्रेस के कर्मचारियों को देय प्रोत्साहन की बकाया राशि को जारी किए जाने की आवश्यकता	
श्री सज्जन वर्मा	595
(तीन) राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में अतिरिक्त मॉडल स्कूलों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
श्री हरीश चौधरी	595-596
(चार) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारियों का परस्पर वरीयता क्रम नियत किए जाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री मानिक टैगोर	596
(पांच) पोरबंदर-कोचुवेलि एक्सप्रेस, दादर-तिरुनेलवेलि एक्सप्रेस और हापा-मडगांव एक्सप्रेस को महाराष्ट्र के रत्नागिरि-सिंधुदुर्ग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कनकवली, कुदाल और सावंतवाड़ी रोड स्थित रेलवे स्टेशनों पर ठहराव दिए जाने की आवश्यकता	
श्री निलेश नारायण राणे	596-597
(छह) उत्तर प्रदेश के फैजाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रसोई गैस सिलेंडरों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराने तथा नई रसोई गैस वितरण एजेंसियों को परमिट दिए जाने की आवश्यकता	
डॉ. निर्मल खत्री	597-598
(सात) पंजाब के होशियारपुर जिले के खेलन गांव में फल और सब्जी प्रसंस्करण इकाई आरंभ किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती संतोष चौधरी	598
(आठ) देश में बाल विवाह को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री चार्ल्स डिएस	598-599
(नौ) छत्तीसगढ़ में रायपुर और दुर्ग के बीच विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 पर एक फ्लाई-ओवर का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
कुमारी सरोज पाण्डेय	599-600
(दस) वन क्षेत्रों में, विशेष रूप से गुजरात के साबरकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों को अनुमति देने के लिए वन कानूनों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता	
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	600

विषय **कॉलम**

(ग्यारह) आगरा तथा देश के महानगरों के बीच विमान सेवा आरंभ किए जाने की आवश्यकता

प्रो. रामशंकर 600-601

(बारह) विदेश स्थित भारतीय उच्चायोगों का नाम बदलकर 'भारतीय दूतावास' तथा उनके प्रमुखों का नाम 'भारत के राजदूत' किए जाने की आवश्यकता

श्री राजेन्द्र अग्रवाल 601

(तेरह) उत्तर प्रदेश में वाराणसी-सिंगरौली इंटरसिटी एक्सप्रेस को शक्तिनगर तक तथा बापूधाम एक्सप्रेस को बरास्ता चुनार और चोपण होते हुए शक्तिनगर तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री पकौड़ी लाल 601

(चौदह) शिक्षा का अधिकार अधिनियम की भावना के अनुरूप बालकों की शिक्षण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संस्थानों की स्थापना करने हेतु राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती सीमा उपाध्याय 602

(पंद्रह) बिहार में पूर्व-मध्य रेलवे के अंतर्गत सिमरी बख्तियारपुर, हसनपुर रोड और महेशखुंट को आदर्श स्टेशनों के रूप में उन्नयन किए जाने की आवश्यकता

श्री दिनेश चन्द्र यादव 602

(सोलह) एन्टीबायोटिक के अवांछनीय प्रयोग तथा मानव स्वास्थ्य पर उनके नकारात्मक प्रभावों के बारे में जागरुकता फैलाए जाने की आवश्यकता

डॉ. रत्ना डे 602-603

(सत्रह) दक्षिण पेन्नार नदी पर चेक-डैम के प्रस्तावित निर्माण को रोकने के लिए कर्नाटक सरकार को राजी किए जाने की आवश्यकता

श्री ई.जी. सुगावनम 603-604

(अठारह) पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री पुलीन बिहारी बासके 604

(उन्नीस) यमुना नदी के जल में राजस्थान के हिस्से संबंधी मुद्दे का समाधान किए जाने की आवश्यकता

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा 604-605

विषय	कॉलम

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 611

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 612-622

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 623-624

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 623-626

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
डॉ. गिरिजा व्यास
श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

लोक सभा

बुधवार 28 मार्च, 2012/8 चैत्र, 1934 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

पूर्वाह्न 11.00 बजे

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में पुशटोला के निकट आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति व्यक्त शोक संवेदना

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, 27 मार्च, 2012 को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में पुशटोला के निकट बारूदी सुरंग के विस्फोट से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के पंद्रह अर्धसैनिक बल मारे गए हैं और कई अन्य जख्मी हो गए हैं।

सभा इस जघन्य आतंकी हमले की घोर निंदा करती है जिसका उद्देश्य देश में अशांति फैलाना है। सभा इस हमले के पीड़ित परिवारों के प्रति हार्दिक शोक संवेदना व्यक्त करती है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े होंगे।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

तत्पश्चात सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.02 बजे

इस समय श्री चन्द्रशेखर राव, श्री पोन्नम प्रभाकर, श्रीमती अश्वमेध देवी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.02$^{1}/_{2}$ बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न काल। प्रश्न संख्या 201, श्री पी. विश्वनाथन।

...(व्यवधान)

कोयले की उपलब्धता और उसका मूल्य निर्धारण

***201 श्री पी. विश्वनाथन:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोल इंण्डिया लिमिटेड और इसकी सहायक कम्पनियों के पास उपलब्ध कोयले की अधिशेष मात्रा का सहायक-कम्पनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) और निजी क्षेत्र के विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति के लिए कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा की गई वचनबद्धताओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने नई मूल्य निर्धारण नीति वापिस ले ली है/वापिस लेने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (घ) विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) कोल इंडिया लि. (सीआईएल) की सहायक कंपनियों में कोई अतिरिक्त कोयला उपलब्ध नहीं है। वास्तव में, कोयले की आपूर्ति के लिए ईंधन आपूर्ति करारों (एफएसए)/आश्वासन पत्रों (एलओए) के माध्यम से कोयले की उपलब्धता और सीआईएल द्वारा की गयी प्रतिबद्धताओं के बीच काफी अंतर है।

(ख) सीआईएल ने एफएसए के माध्यम से विद्युत संयंत्रों को 318.74 मि.ट. कोयले की आपूर्ति करने की प्रतिबद्धता की है। इसमें से 114.70 मि.ट. एनटीपीसी के लिए और 10.92 मि.ट. निजी क्षेत्र

के विद्युत संयंत्रों के लिए है। सीआईएल ने कुल 423.48 मि.ट. मात्रा के लिए विद्युत यूनिटों को 172 एलओए जारी किए हैं। इसमें से 20 एलओए के विरुद्ध एनटीपीसी को 72.151 मि.ट. कोयला प्रतिवर्ष की प्रतिबद्धता तथा 1.11 एलओए के विरुद्ध निजी क्षेत्र के विद्युत संयंत्रों को 240.684 मि.ट. कोयला प्रतिवर्ष की प्रतिबद्धता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न के भाग (ग) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

श्री पी. विश्वनाथन: प्रधान मंत्री कार्यालय के परामर्श से कोल इंडिया लिमिटेड और एनटीपीसी एक ईंधन आपूर्ति समझौता करेंगे जिसके तहत 20 वर्षों के लिए एनटीपीसी के 50 तापीय एककों को कोयले की आपूर्ति की जाएगी...(व्यवधान) इस समय कोल इंडिया लिमिटेड का 120 तापीय विद्युत संयंत्रों के साथ ईंधन आपूर्ति समझौता है। वर्ष 2011-12 हेतु अनुमानित उत्पादन 486 मिलियन टन के लक्ष्य की तुलना में लगभग 447 मिलियन टन होने का अनुमान है।...*(व्यवधान)* कोल इंडिया चालू और अगले वित्तीय वर्ष में उत्पादन लक्ष्य घटा रहा है। कम उत्पादन लक्ष्य का कारण प्रदूषण संबंधी मानदंड हैं जो कोल इंडिया लिमिटेड को मौजूदा खानों का विस्तार करने और खनन क्षेत्रों में नई परियोजनाओं को शुरू करने से रोकेगी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री पी. विश्वनाथन: मेरा प्रश्न यह है कि क्या कोल इंडिया लिमिटेड कोयले का आयात करेगी यदि उत्पादन लक्ष्य से कम है और मौजूदा कोयला खानों का विस्तार करने तथा नई खनन परियोजनाओं को शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: अध्यक्ष महोदया, इसमें कोई शक नहीं है कि जो टारगेट है, ...*(व्यवधान)* उस टारगेट को एचीव करने में कोल इंडिया को प्रोबलम हो रही है। ...*(व्यवधान)* जो लिंकेज दिए गए हैं, उन लिंकेज को फुलफिल करना कोल इंडिया का दायित्व है। ...*(व्यवधान)* कोल इंडिया के पास कोल की शॉर्टेज है, लेकिन कोशिश की जाएगी कि प्रोडक्शन बढ़ा कर सारे फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट्स कोल इंडिया द्वारा साइन किए जाएं और कोयले की आपूर्ति की जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपनी सीट पर जाइए। मैं आपको बोलने का समय दूंगी।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आपको बोलने के लिए समय देंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दूरसंचार कंपनियों के विरुद्ध बकाया देय राशि

***202. श्री प्रबोध पांडा:**
श्री पी.आर. नटराजन:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में दूरसंचार कम्पनियों द्वारा लाइसेंस शुल्क के भुगतान और राजस्व की भागीदारी में कतिपय खामियों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ दूरसंचार कंपनियों द्वारा दूरसंचार विभाग को कथित रूप से कम राजस्व बताने और कम शेयर अदा करने के कारण बड़ी धनराशि देनी बकाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 2006 से दूरसंचार कम्पनियों की ओर प्रचालक और वर्ष-वार कुल कितनी धनराशि बकाया थी उन्होंने वास्तव में कितनी धनराशि का भुगतान किया; और

(ङ) चूककर्ता प्रचालकों के विरुद्ध बकाया देयराशि की वसूली हेतु प्रचालक-वार कार्रवाई की गई है तथा इस मामले में अभी तक क्या प्रगति की गई है?

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी, हां। विसंगतियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) वर्ष 2006 से दूरसंचार कंपनियों द्वारा वास्तव में भुगतान की गई राशि और कुल बकाया लाइसेंस शुल्क का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) मैसर्स आइडिया और मैसर्स एमटीएनएल ने मांगों के विरुद्ध अभ्यावेदन दिए हैं। संलग्न विवरण-II में उल्लिखित, अन्य प्रचालकों के विरुद्ध मागें न्यायाधीन हैं।

विवरण I

विसंगतियों का ब्यौरा

(क) दूरसंचार विभाग द्वारा पांच अग्रणी दूरसंचार कंपनियों नामत: रिलायंस, भारती, वोडाफोन, टाटा एवं आइडिया की वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान कराई गई विशेष लेखा परीक्षा के अनुसार, भुगतान किए गए कम लाइसेंस शुल्क को नीचे तालिक में दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

लाइसेंस समूह कंपनी का नाम	लाइसेंस शुल्क में कमी
रिलायंस	256.76
भारती	187.18
टाटा	241.61
वोडाफोन	120.84
आइडिया	46.55
कुल	852.94

(ख) इसके अलावा, यह नोटिस में आया है कि:

(क) मैसर्स रिलायंस कम्युनिकेशंस लि. ने अंतर्राष्ट्रीय निजी पट्टाकृत (आईपीएलसी) सेवा उपलब्ध कराने के लिए उपयोग किए गए विदेशी आधा सर्किट से संबंधित राजस्व अंश के लिए लाइसेंस शुल्क का भुगतान नहीं किया है।

(ख) मैसर्स भारती एयरटेल, मैसर्स वोडाफोन एवं मैसर्स आइडिया ने, ग्राहकों से एजेंटों द्वारा एकत्र की गई राशि और एजेंटों द्वारा उनको अंतरित राशि के बीच के अंतर की गणना किए बिना, एजेंटों को बड़ी संख्या में किराए पर सिम कार्ड दिए हैं जिससे खातों में कम राजस्व परिलक्षित हुआ है।

विवरण II

वे, दूरसंचार प्रचालक जिन्होंने लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने में चूक की है और वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 (तीसरी तिमाही तक) के दौरान भुगतान किया गया लाइसेंस शुल्क

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	प्रचालक का नाम	सेवा	बकाया लाइसेंस शुल्क	वर्ष-वार भुगतान किया गया लाइसेंस शुल्क					
				2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (तीसरी तिमाही तक)
1.	डिशनेट वायरलैस लि.	यूएएसएल	18.91	42.70	51.19	56.14	103.36	135.19	120.74
2.	रिलायंस कम्युनिकेशंस लि.	यूएएसएल	48.54	713.70	888.54	691,52	807.08	765.30	534.11
3.	रिलायंस कम्युनिकेशंस लि.	एनएलडी	2.58						
4.	आइडिया सेलुलर लि.	सीएमटीएस	13.74	274.79	408.91	708.32	879.16	948.50	897.0
5.	रिलायंस टेलीकॉम लि.	सीएमटीएस	0.50	44.12	59.52	81.06	115.72	102.06	102.8
6.	भारती एयरटेल लिमिटेड	यूएएसएल	17.67	1171.22	1781.04	2263.19	2543.99	2644.52	2153.8
7.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	बुनियादी/सीएमटी	8.72	440.88	410.72	396.33	351.10	343.82	168.05

नोट: 1 मैसर्स एमटीएनएल और मैसर्स आइडिया सेलुलर लिमिटेड को छोड़कर सभी प्रचालकों ने विशिष्ट मुद्दों पर पुनर्विचार के लिए माननीय टीडीएसएटी के समक्ष नई याचिका दायर की है। मैसर्स एमटीएनएल और मैसर्स आइडिया सेलुलर लि. ने मांगों के विरुद्ध अभ्यावेदन दिए हैं।

[हिन्दी]

शुल्क योजनाएं

***203. श्री रामकिशुन:**
श्री वैद्यनाथ प्रसाद महतो:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ निजी मोबाइल टेलीफोन कंपनियों द्वारा शुल्क योजनाओं में बार-बार परिवर्तन किए जाने के कारण उपभोक्ताओं के समक्ष आ रही कठिनाइयों की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न निजी कंपनियों द्वारा शुल्क योजनाओं में किए गए परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या कुछ निजी मोबाइल कंपनियों ने कथित रूप से मोबाइल पोर्टेबिलिटी नियमों का उल्लंघन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) अधिनियम, 1997 के द्वारा ट्राई को शुल्क के विनियमन का अधिदेश दिया गया है। मौजूदा शुल्क ढ़ॉचे के अनुसार, मोबाइल सेवाओं हेतु शुल्क का निर्धारण, नेशनल रोमिंग को छोड़कर जिसमें शुल्क की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है, इसके अधिकार क्षेत्र में आता है। ट्राई ने मोबाइल प्रचालकों द्वारा शुल्क योजनाओं में अक्सर किए जाने वाले परिवर्तनों और ऐसे परिवर्तनों के कारण शुल्क में बढ़ोत्तरी वाले मामलों से ग्राहकों को होने वाली कठिनाइयों को नोट किया है।

शुल्क योजनाओं में अक्सर किए जाने वाले परिवर्तनों से ग्राहकों के हितों की सुरक्षा को देखते हुए यह अधिदेश दिया गया है कि:

(क) निम्नलिखित के बारे में शुल्क योजना में कोई शुल्क मदें नहीं बढ़ाई जाएंगी:

(i) शुल्क योजना में विनिर्दिष्ट वैधता की समग्र अवधि के दौरान आजीवन या असीमित वैधता वाली शुल्क योजनाओं सहित छः माह से अधिक वैधता की निर्धारित अवधि यों वाली शुल्क योजनाओ के बारे में;

(ii) उपभोक्ताओं के नामांकन की तारीख से छः माह के अन्दर अन्य शुल्क योजनाओं के बारे में;

(iii) ऐसे रिचार्ज कूपन की वैधता की समग्र अवधि के दौरान किसी शुल्क योजना के तहत छः माह से अधिक की वैधता वाले रिचार्ज कूपनों के बारे में;

(ख) किसी समय पर किसी विशेष सेवा के लिए सेवा प्रदाता को 25 से अधिक शुल्क योजनाओं की पेशकश करने की अनुमति नहीं है।

(ख) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान मोबाइल प्रचालकों द्वारा किए गए संशोधनों में, अन्य बातों के साथ-साथ, लोकल काल, एसटीडी, आईएसडी, ऑन नेट कालें, रात्रि/ऑफ पीक कालें, मित्रों एवं परिजनों की कालें, प्रोसेसिंग शुल्क, दैनिक किराया, शुल्कों में रियायत वाले विभिन्न पैकेज, एसएमएस, निःशुल्क मिनट, मासिक प्रभार, मूल्य वर्धित सेवाओं (वीएएस) हेतु प्रभार, रोमिंग शुल्क आदि जैसी मदें शामिल की गई हैं। ये परिवर्तन उपरोक्त मदों में से किसी एक या अधिक मदों के बारे में हो सकते हैं और ये भिन्न सेवा क्षेत्रों के बारे में भिन्न-भिन्न हो सकते हैं।

मोबाइल प्रचालकों के पास बाजार परिस्थितियों और अन्य वाणिज्यिक बातों के मद्देनजर भिन्न शुल्क योजनाएं प्रस्तावित करने की सुविधा है। तथापि, इन शुल्कों को लागू करने के सात दिनों के अन्दर-अन्दर ट्राई को इनके बारे में सूचना दी जाती है। इन शुल्क सूचनाओं की यह सुनिश्चित करने के लिए जांच की जाती है कि ये विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप हों। साथ ही जब भी शुल्कों में बढ़ोत्तरी की जाती है तो यह सुनिश्चित किया जाता है कि इन्हें उन उपभोक्ताओं पर नहीं किया जाए जो ट्राई द्वारा जारी शुल्क आदेशों के प्रावधानों के तहत शुल्क संरक्षण की सुविधा का लाभ प्राप्त किए हुए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) मोबाइल कंपनियों द्वारा मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) अनुरोधों को अस्वीकार करने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। एमएनपी शिकायतों की सत्यता की जांच करने के लिए, ट्राई समय-समय पर एमएनपी अस्वीकार किए जाने के संबंध में सेवा प्रदाताओं से सूचना मांग रहा है और जहां पर भी एमएनपी विनियमों/निर्देशों के अनुपालन के बारे में उल्लंघन देखे गए हैं वहां संबंधित सेवा प्रदाताओं को 'कारण बताओ नोटिस' जारी किए गए हैं। उपरोक्त कार्रवाई के परिणामस्वरूप, शिकायतों का प्रतिशत कम हो रहा है।

दिनांक 19 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार, 300 लाख मोबाइल ग्राहकों ने सेवा प्रदाताओं से सफलतापूर्वक अपनी पसंद के मोबाइल नम्बर पोर्ट कराए हैं। पोर्टिंग संबंधी मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी आंकड़ों का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

पोर्टिंग संबंधी मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी आंकड़े

को सप्ताह माह	मासिक अनुरोध	अस्वीकार किए गए मासिक मामले	अस्वीकार किए गए मामलों का प्रतिशत
मार्च, 2011	2589540	1020092	39.39
अप्रैल, 2011	2118243	625105	29.51
मई, 2011	2029546	617617	30.43
जून, 2011	2415151	677100	28.04
जुलाई, 2011	2562425	633776	24.73
अगस्त, 2011	2511516	486449	19.37
सितम्बर, 2011	2569148	447640	17.42
अक्तूबर, 2011	2537704	409949	16.15
नवम्बर, 2011	2671063	425880	15.94
दिसम्बर, 2011	3403541	514467	15.12
जनवरी, 2012	3547880	581076	16.38
फरवरी, 2012	4322509	701914	16.24

[अनुवाद]

नागर विमानन के लिए विनियामक प्राधिकरण

***204. श्री के.पी. धनपालन:**
श्री ई.जी. सुगावनम:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सुरक्षा संबंधी चूक, पर्यावरणीय उपभोक्ता संरक्षण आदि जैसे मुद्दे सुनिश्चित करने के लिए सरकार में इस समय क्या संस्थागत तंत्र उपलब्ध हैं;

(ख) क्या सरकार का इस संबंध में नागर विमानन क्षेत्र के लिए एक विनियामक प्राधिकरण स्थापित करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो इस प्राधिकरण के लिए क्या भूमिका और कार्य संकल्पित किए गए हैं तथा इसकी प्रस्तावित संरचना और वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) नए प्राधिकरण की स्थापना की स्थिति में नागर विमानन महानिदेशक की भूमिका क्या होगी; और

(ङ) उक्त प्राधिकरण की कब तक स्थापना किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) इस समय, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) नागर विमान क्षेत्र में विमानन संरक्षा विनियामक है जिसे वायुयान अधिनियम 1934 तथा वायुयान नियम 1937 के तहत विमान प्रचालनों की संरक्षा को सुनिश्चित करने की शक्तियां प्राप्त हैं और यह पर्यावरणीय संरक्षण तथा उपभोक्ता संरक्षण संबंधी मामले का भी डील करता है।

(ख) से (ङ) जी, हां। नागर विमानन प्राधिकरण (सीएए) के गठन और विधेयक अभी आरंभिक स्तर पर हैं। प्रस्तावित सीएए में, प्रभावशाली संरक्षा निगरानी प्रणाली की संचालनात्मक जरूरतों के पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्तीय तथा प्रशासनिक लचीलापन होगा। इसके अतिरिक्त, सीएए को कतिपय आर्थिक विनियमों, उपभोक्ता संरक्षण तथा पर्यावरण विनियम से संबंधित अतिरिक्त कार्यों के भी सौंपे जाने का प्रस्ताव है। सीएए को एक पृथक अधिनियम के माध्यम से संरक्षा संगठन के रूप में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित सीएए का कार्यान्वयन मौजूदा कानूनी ढांचा यथा वायुयान अधिनियम, 1934 के तहत विमानन सेक्टर को शासित करने के लिए किया जाएगा।

प्रस्तावित सीएए के तहत, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन प्रस्तावित सीएए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के माध्यम से काराया जाना प्रस्तावित है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम हेतु धनराशि

***205. श्री अधलराव पाटील शिवाजीः**
श्री बलीराम जाधवः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 देश में सभी स्कूलों पर लागू होता है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने इस अधिनियम को लागू करने हेतु उन्हें आबंटित धनराशि से अतिरिक्त धनराशि की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या कुछ राज्य इस अधिनियम को लागू करने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ईार इस सबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, जम्मू और कश्मीर राज्य के स्कूलों को छोड़कर उन सभी स्कूलों पर लागू है जो प्रारंभिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इनमें सरकारी/स्थानीय निकायों के सरकारी सहायता प्राप्त तथा गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूल शामिल हैं।

(ग) और (घ) कई राज्य सरकारों, जिनमें अन्य के साथ-साथ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं, ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम, के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त निधियों का अनुरोध किया था। शिक्षा का अधिकार-सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए संवर्धित वित्तीय आवश्यकताओं के मद्देनजर, निधि भागीदारी पैटर्न, जो पहले ऐसे स्लाइडिंग स्केल में था कि 11वीं योजना के अंतिम वर्ष में केन्द्र तथा राज्य सरकारों के संबंधित शेयरों का अनुपात 50:50 हो जाए, को संशोधित करके वर्श 2010-11 से 2014-15 तक पांच वर्षों के लिए 65:35 के नियत अनुपात में कर दिया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय राज्यों के मामले में निधि भागीदारी पैटर्न 90:10 के अनुपात में ही जारी है। इसके अतिरिक्त, 13वें वित्त आयोग ने प्रारंभिक शिक्षा के लिए वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए 24,068 करोड़ रुपए उद्दिष्ट किए हैं।

(ङ) और (च) शिक्षा का अधिकार अधिनियम, के कार्यान्वयन में राज्यों को पेश आ रही मुख्य चुनौतियों में अन्य बातों के साथ-साथ अवसंरचना के निर्धारित मानदंडों और स्तरों को पूरा करना, सभी स्कूलों के लिए निर्धारित छात्र-शिक्षक अनुपात को पूरा करने के लिए शिक्षकों की पुनः तैनाती तथा भर्ती, अप्रशिक्षित शिक्षकों का प्रशिक्षण, धारा 29 में विनिर्दिष्ट पाठ्यचर्या तथा मूल्यांकन प्रक्रिया के अनुसार गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना, और शिक्षा का अधिकरण अधिनियम के अंतर्गत बचों के अधिकारों का अनुवीक्षण करना शामिल है। सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के संशोधित मानदंडों के अनुसार निधियां प्रदान की हैं और अन्य बातों के साथ-साथ शिक्षक भर्ती हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने, पाठ्यचर्या तथा मूल्यांकन प्रक्रिया से जुड़े गुणवत्ता संबंधी मुद्दों का कार्यान्वयन करने, शिकायत निवारण कार्यतंत्र विकसित करने आदि के लिए राज्यों को परामर्शी तथा दिशानिर्देश भी जारी किए हैं।

अल्पसंख्यकों के लिए उच्च/तकनीकी संस्थान

***206. श्री बदरूद्दीन अजमलः**
श्री जगदीश ठाकोरः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में अल्पसंख्यकों के लिए स्थापित उच्च और/अथवा तकनीकी संस्थानों/विश्वविद्यालयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने असम और गुजरात सहित देश में अल्पसंख्यकों के लिए कोई उच्च अथवा तकनीकी संस्थान/विश्वविद्यालय हेतु मंजूरी दी है अथवा मंजूरी देने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो उनके स्थान सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (घ) केन्द्रीय

विश्वविद्यालयों में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जिसे इसके अधिनियम, में "भारत के मुसलमानों द्वारा स्थापित उनकी पसंद की शैक्षिक संस्था" के रूप में परिभाषित किया गया है तथा जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय जिसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (एनसीएमईआई) द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया गया है, अल्पसंख्यक संस्थाएं हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दो कैम्पस मालापुर (केरल) तथा मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल) में स्थापित किए गए हैं।

सरकार ने अल्पसंख्यक बहुल जिलों में उच्चतर/तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को भी संस्वीकृत किया है। उन जिलों, जिनमें उच्चतर शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है, में 374 मॉडल डिग्री कालेजों की स्थापना की योजना के तहत अल्पसंख्यक बहुल जिलों अर्थात अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी कामेंग, असम में कछार, हैलाकांडी, करीमगंज, मोरीगांव, दरांग, नागांव, बोंगाईगांव, धुबरी तथा गोलपाड़ा, उत्तर प्रदेश में बिजनौर, केरल में वायानाड तथा महाराष्ट्र में बुलडाना व हिंगोली में 14 मॉडल डिग्री कालेज अनुमोदित किए गए हैं।

पालिटेक्निक उप-मिशन योजना के तहत अल्पसंख्यक बहुल जिलों में 48 नए पालिटेक्निक अनुमोदित किए गए हैं तथा अब तक 254.66 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

उपर्युक्त के अलावा, संविधान का अनुच्छेद 30 (1) धार्मिक अथवा भाषायी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने तथा संचालित करने के अधिकारों की गारंटी देता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग को भी किसी शैक्षिक संस्था के अल्पसंख्यक दर्जे से सबंधित सभी प्रश्नों पर निर्णय लेने और इस प्रकार से इसके दर्जे की घोषणा करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 (2005 का 2) की धारा 11 (च) के तहत अधिकार प्राप्त है। 20.3.2012 की स्थिति के अनुसर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग ने 5830 शैक्षिक संस्थाओं को अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाणपत्र प्रदान किए हैं। इसके अलावा संबंधित राज्य सरकारों के द्वारा भी किसी शैक्षिक संस्था को अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान किया जा सकता है।

विवरण

अल्पसंख्यक बहुल जिलों में संस्वीकृत पॉलीटेक्निकों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	शामिल किए गए जिलों की संख्या	जिलों का नाम
1.	अरुणाचल प्रदेश	04 जिले	पूर्वी कामेंग, लोअर सुबानसिरी, चंगलांग और तिरप
2.	असम	09 जिले	धुबरी, गोलपाडा, बारेट्टा, दरांग, मोरीगांव, उत्तरी कछार हिल्स, करीमगंज, हैलीकांडी और नागांव
3.	बिहार	06 जिले	पश्चिम चम्पारण, सीतामढ़ी, अररिया, कटिहार, किशनगंज और दरांगा
4.	झारखण्ड	03 जिले	साहिबगंज, पाकुर, और गुमला
5.	महाराष्ट्र	01 जिला	हिंगोली
6.	मणिपुर	01 जिला	सेनापति
7.	मिजोरम	02 जिले	मामित और लोगतलाई
8.	ओडिशा	01 जिला	गजपति
9.	सिक्किम	01 जिला	उत्तरी जिला
10.	उत्तर प्रदेश	13 जिले	श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, जे.पी. नगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, पीलीभीत, शहजहांपुर, खीरी, बाराबंकी और बहराइच
11.	पश्चिम बंगाल	07 जिले	दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर, मालदा, वीभूम, नदिया, उत्तरी 24 परगना और दक्षिण 24 परगना
	कुल	48 जिले	

विमान कंपनियों को राजसहायता

***207. श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:**
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार क्षेत्रीय सम्पर्क में सुधार लाने के लिए अलाभकारी मार्गों, विशेषकर सुदूरवर्ती स्थलों पर संचालित राष्ट्रीय और निजी प्रचालकों, दोनों प्रकार की विमान कम्पनियों को राजसहायता देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ धनराशि आबंटित की गई है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यह योजना कब तक लागू किए जाने की संभावना है; और

(ङ) इस कार्रवाई से क्षेत्रीय सम्पर्क में कितना सुधार आने की संभावना है तथा क्षेत्रीय सम्पर्क में सुधार लाने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (घ) जी, हां। फिलहाल सरकार क्षेत्रीय सम्पर्कता का बढ़ावा देने के लिए छोटे विमानों को निम्नलिखित सब्सिडी प्रदान कर रही है:

(1) निम्नलिखित के संबंध में कोई लैंडिंग प्रभार देय नहीं है:

(क) घरेलू अनुसूचित प्रचालकों द्वारा प्रचालित किए जा रहे और 80 से कम सीटों की अधिकतम प्रमाणित क्षमता वाले विमान; और

(ख) सभी प्रकार के हेलीकॉप्टर।

(2) अनुसूचित एयरलाइयों द्वारा प्रचालित चालीस हजार किलोग्राम से कम अधिकतम टेक-ऑफ मास वाले विमान को बेचे गए एटीएफ को 'घोषित वस्तु' का दर्जा प्रदान किया गया है।

इसके अतिरिक्त दूरदराज वाले और अगम्य क्षेत्रों में हवाई सम्पर्कता में सुधार हेतु मंत्रालय की 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अनिवार्य हवाई सेवा निधि (ईएएसएफ) जैसी नई पहलें प्रस्तावित की गई हैं और 12वीं योजना के लिए 100 करोड़ रुपये के परिव्यय का और वार्षिक योजना 2012-13 में 0.10 करोड़ रुपये का सांकेतिक प्रावधान का प्रस्ताव दिया है।

(ङ) इस पहल से दूरस्थ और क्षेत्रीय सम्पर्कता को बढ़ावा मिलने और अव्यवहार्य माने जाने वाले मार्गों पर हवाई प्रचालनों को प्रोत्साहन मिलने की आशा है।

क्षेत्रीय संपर्कता में उपरोक्त के अतिरिक्त और सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार ने क्षेत्रीय अनुसूचित एयरलाइनों की एक श्रेणी शुरू की है। सरकार ने आठ क्षेत्रीय एयरलाइनों को देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसूचित हवाई परिवहन क्षेत्रीय सेवाएं प्रचालित करने के लिए प्रारंभिक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया है।

[हिन्दी]

प्राथमिक शिक्षा हेतु धनराशि

***208. श्रीमती सुशीला सरोज:**
श्रीमती ऊषा वर्मा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान स्कूल शिक्षा, विशेषकर प्राथमिक शिक्षा हेतु राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) क्या आबंटित धनराशि को शिक्षा के लिए पूरी तरह खर्च नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस स्थिति में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(घ) देश में इस समय बुनियादी ढांचे, अध्यापकों के वेतन और छात्रों को मुक्ति पाठ्यपुस्तकें/वर्दियां देने हेतु पृथक-पृथक कितनी धनराशि का उपयोग किया गया; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान शिक्षा उपकार के माध्यम से राज्य-वार कितनी धनराशि एकत्रित की गई और कितनी धनराशि खर्च की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ग) पिछले तीन वर्ष तथा वर्तमान वर्ष के दौरान, प्रारंभिक शिक्षा के लिए सर्व शिक्षा अभियान तथा मध्याह भोजन और माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी निधियां और केन्द्रीय आवंटनों की तुलना में जारी कुल राशि का ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण I, II और III में दिए गया है।

(घ) सर्व शिक्षा अभियान की कार्यान्वयन संरचना में निम्नलिखित मानदंडों का प्रावधान है:-

1. **सिविल कार्य:** सिविल कार्यों के लिए निधियां संपूर्ण परियोजना लागत के 33 प्रतिशत की सीमा से अधिक नहीं होगी। 33 प्रतिशत की उस सीमा में भवनों के रखरखाव तथा मरम्मत पर होने वाला व्यय शामिल नहीं है। तथापि किसी वर्ष विशेष की वार्षिक योजना में जिला वार्षिक योजनागत परिव्यय के 50 प्रतिशत तक सिविल कार्यो के प्रावधान करने के लिए इस संपूर्ण परियोजना अवधि के दौरान सिविल कार्य का परिव्यय परियोजना के 33 प्रतिशत तक सीमित रहेगा।

2. **शिक्षक वेतन:** सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षा का अधिकार मानदंडों के अनुसार अतिरिक्त शिक्षकों का प्रावधान किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षकों को प्रदत्त पारिश्रमिक संबंधित राज्य सरकारों के वेतन भत्तों तथा विचारार्थ शर्तो के अनुसार है।

3. **पाठ्यपुस्तकें:** 6-14 वर्ष आयुवर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक स्तर के लिए 150 रु. प्रति सैट तथा उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 250 रु. प्रति सैट की इकाई लागत पर पाठ्यपुस्तकें प्रदान करते रहेंगे।

4. **वर्दियां:** सरकारी स्कूलों मे अध्ययनरत सभी बालिकाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बीपीएल बच्चों को 400 रु. प्रति बालक प्रतिवर्ष की सीमा में वर्दियों के दो सैट प्रदान किए जाते हैं। तथापि यह वर्दियां पूर्व में राज्य बजटों से प्रदान की जा रही हों तो राज्य वर्दिया प्रदान करते रहेंगे।

(ङ) सभी बड़े केन्द्रीय करों पर लगाए गए 2 प्रतिशत शिक्षा उपकर से सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन कार्यक्रमों के लिए सकल बजटीय सहायता की अनुपूर्ति की जाती है जिससे एक अव्यपगत निधि, प्रारंभिक शिक्षा कोष, बनाई गई है। प्रारंभिक शिक्षा कोष बनाई गई है। प्रारंभिक शिक्षा कोष से उपलब्ध निधि का ब्यौरा इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	वर्ष	सर्व शिक्षा अभियान		मध्याह्न भोजन	
		प्रारंभिक शिक्षा कोष	सकल बजटीय सहायता	प्रारंभिक शिक्षा कोष	सकल बजटीय सहायता
1	2008-09	7280.33	5819.67	4854.00	3146.00
2	2009-10	8416.02	4683.98	5612.65	1746.50
3	2010-11	9433.00	10405.23	6372.00	2779.88
4	2011-12	11992.33	9007.67	6341.67	3907.08

सकल बजटीय सहायता और प्रारंभिक शिक्षा कोष के अंतर्गत जारी राशि को राज्य कार्यान्वयन सोसायटियों के एक ही खाते में जमा कराया जाता है। और सकल बजटीय सहायता तथा प्रारंभिक शिक्षा कोष के अंतर्गत हुए व्यय का पृथक रखरखाव नहीं किया जाता।

विवरण I

विगत तीन वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान सर्व शिक्षा अभियान-शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी केन्द्रीय निधियां

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य	जारी			जारी (23.03.2012 की स्थिति के अनुसार)
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	71031.78	38569.90	81000.00	183551.72

1	2	3	4	5	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	13683.64	11427.95	20401.77	8880.10
3.	असम	42740.91	47480.00	76854.35	106921.15
4.	बिहार	186158.47	121739.06	204789.63	165908.20
5.	छत्तीसगढ़	51853.86	55592.82	87863.00	58940.22
6.	गोवा	804.41	550.58	671.27	1079.14
7.	गुजरात	25432.47	20031.73	44065.01	74350.79
8.	हरियाणा	20546.87	27600.00	32786.11	40461.41
9.	हिमाचल प्रदेश	8552.99	8608.00	13786.66	14192.78
10.	जम्मू और कश्मीर	20532.59	37363.27	40348.79	30070.50
11.	झारखंड	69041.09	70940.22	89562.26	57903.46
12.	कर्नाटक	51578.19	44220.60	66903.00	62788.35
13.	केरल	10854.04	11989.50	19660.73	17021.85
14.	मध्य प्रदेश	85569.35	113249.00	176783.00	190427.12
15.	महाराष्ट्र	67386.02	56432.00	85537.00	117962.58
16.	मणिपुर	321.21	1500.00	13253.77	2940.55
17.	मेघालय	9440.36	9353.00	18540.90	14410.60
18.	मिजोरम	5112.59	6617.75	10115.31	9314.05
19.	नागालैंड	2867.87	4913.00	18540.90	4798.33
20.	ओडिशा	49080.90	63061.60	73177.85	92719.98
21.	पंजाब	13808.10	20044.00	39612.74	48112.44
22.	राजस्थान	108326.80	127124.00	146182.29	139838.43
23.	सिक्किम	1075.31	1736.00	4469.19	3022.84
24.	तमिलनाडु	45414.47	48366.00	69068.57	66937.15
25.	त्रिपुरा	6464.12	7473.00	17121.48	17309.23
26.	उत्तर प्रदेश	212884.89	196011.90	310462.88	245268.64
27.	उत्तराखंड	11444.45	16006.29	25793.94	20092.94
28.	पश्चिम बंगाल	65169.37	104142.00	174703.17	167952.74
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	780.54	412.44	357.78	907.36

1	2	3	4	5	6
30.	चंडीगढ़	820.52	1100.72	2155.89	1311.21
31.	दादरा और नगर हवेली	104.63	350.18	413.78	907.36
32.	दमन और दीव	0.00	169.00	162.99	230.36
33.	दिल्ली	1529.01	3088.62	3552.71	2135.08
34.	लक्षद्वीप	70.00	143.80	127.39	127.86
35.	पुडुचेरी	638.59	669.96	485.38	557.62
	कुल जारी	1261120.41	1278107.89	1959407.42	1969010.38
	कुल परिव्यय	1310000.00	1310000.00	1983823.0	2100000.00
	परिव्यय की तुलना में जारी राशि की प्रतिशतता	96.26	97.56	98.76	93.76

विवरण II

मध्याह्न भोजन योजना के तहत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12(23.3.2012 तक)
1	2	3	4	5	6
गैर-पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य					
1.	आंध्र प्रदेश	10504.62	32714.33	48302.38	54378.70
2.	बिहार	50505.17	31763.62	80506.41	78837.30
3.	छत्तीसगढ़	34777.30	18289.34	36187.74	40448.84
4.	गोवा	628.32	644.46	1168.28	825.41
5.	गुजरात	22674.39	29532.80	28851.62	35301.58
6.	हरियाणा	7934.60	18516.23	15325.13	16713.43
7.	हिमाचल प्रदेश	11453.59	5352.15	6487.67	7351.60
8.	जम्मू और कश्मीर	5860.59	3834.54	7990.60	8047.48
9.	झारखंड	20298.22	25456.61	32595.49	269127.22
10.	कर्नाटक	30204.49	33538.61	45368.30	46331.26
11.	केरल	16012.90	14349.88	18511.34	14277.09
12.	मध्य प्रदेश	60920.33	61040.69	65781.84	76704.43
13.	महाराष्ट्र	78364.21	73281.22	107492.09	69255.77

1	2	3	4	5	6
14.	ओडिशा	33103.28	38715.63	38959.13	37124.38
15.	पंजाब	18322.92	10824.15	16605.10	17561.54
16.	राजस्थान	42060.74	39405.50	46225.76	52901.22
17.	तमिलनाडु	29467.64	45757.19	44250.57	40333.68
18.	उत्तराखंड	7384.05	5753.22	10963.29	14255.51
19.	उत्तर प्रदेश	82725.28	98506.31	102715.36	107638.85
20.	पश्चिम बंगाल	43434.40	67197.73	79480.40	73983.83
	कुल	606637.04	654473.78	833764.14	819189.12
विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र					
21.	दिल्ली	6588.23	3066.09	9072.32	6562.19
22.	पुडुचेरी	548.07	561.03	693.24	635.99
	कुल	7136.29	3627.13	9765.57	7198.18
विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र					
23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	404.66	272.71	247.07	509.14
24.	चंडीगढ़	378.49	397.67	525.54	520.59
25.	दादरा और नगर हवेली	180.89	195.55	290.45	342.71
26.	दमन और दीव	88.05	112.90	147.79	136.58
27.	लक्षद्वीप	19.59	58.72	80.54	76.32
	कुल	1071.68	1037.55	1291.39	1585.34
पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य					
28.	अरूणाचल प्रदेश	1339.72	1787.79	2043.18	2091.75
29.	असम	26655.97	19274.46	34408.21	53220.90
30.	मणिपुर	1607.99	1131.26	5658.11	1894.19
31.	मेघालय	2553.30	6045.14	13831.77	3528.12
32.	मिजोरम	1568.20	1078.43	1902.29	3282.70
33.	नागालैंड	1181.57	1236.18	4026.97	2464.37
34.	सिक्किम	496.75	553.40	899.60	1035.65
35.	त्रिपुरा	3506.38	3480.89	4856.76	8408.41

1	2	3	4	5	6
	कुल	38909.88	34587.53	67626.90	75926.09
	कुल योग	653754.89	693725.98	912452.00	903898.73
	कुल परिव्यय	800000.00	735915.00	944000.00	1038000.00
	परिव्यय की तुलना में जारी राशि की प्रतिशतता	81.71%	94.26%	96.65%	87.08%

विवरण III

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक राज्यवार जारी अनुदान

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत जारी अनुदान		
		2009-10	2010-11	2011-12 (23.03.2012 तक)
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0.64	1.05
2.	आंध्र प्रदेश	15.05	311.57	284.90
3.	अरूणाचल प्रदेश	1.89	26.98	20.24
4.	असम	8.70	19.35	83.46
5.	बिहार	19.64	77.27	23.50
6.	चंडीगढ़	0.10	0.45	2.35
7.	छत्तीसगढ़	58.12	15.25	338.12
8.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.20	1.25
9.	दमन और दीव	0.00	0.31	1.10
10.	दिल्ली	0.00	0.71	3.97
11.	गोवा	0.51	0.54	3.12
12.	गुजरात	2.94	10.69	15.25
13.	हरियाणा	5.33	23.00	175.56
14.	हिमाचल प्रदेश	3.74	69.43	17.94
15.	जम्मू और कश्मीर	11.02	26.40	96.36
16.	झारखंड	9.41	69.43	17.94
17.	कर्नाटक	74.43	19.47	25.46

1	2	3	4	5
18.	केरल	10.33	15.13	19.10
19.	लक्षद्वीप	1.10	0.05	0.74
20.	मध्य प्रदेश	97.58	196.19	220.06
21.	महाराष्ट्र	3.50	13.47	73.99
22.	मणिपुर	18.54	25.26	36.85
23.	मेघालय	1.86	0.00	12.39
24.	मिजोरम	17.21	19.08	36.23
25.	नागालैंड	11.87	5.24	25.02
26.	ओडिशा	8.04	89.83	128.86
27.	पुडुचेरी	1.82	1.87	1.96
28.	पंजाब	25.25	188.25	89.40
29.	राजस्थान	19.38	52.96	146.90
30.	सिक्किम	2.70	4.26	7.23
31.	तमिलनाडु	55.18	77.05	173.28
32.	त्रिपुरा	9.98	25.26	7.23
33.	उत्तर प्रदेश	36.10	49.43	204.46
34.	उत्तराखंड	3.52	76.01	34.07
35.	पश्चिम बंगाल	3.52	76.01	34.07
	कुल जारी	547.83	1480.10	2371.49
	कुल परिव्यय	550.00	1500.00	2423.90
परिव्यय की तुलना में जारी राशि की प्रतिशतता		99.60%	98.67%	97.83%

स्पैक्ट्रम प्रबंधन

***209. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:**
श्री नरहरि महतो:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने स्पेक्ट्रम के आंवटन और इसके मूल्य निर्धारण के संबंध में अपनी सिफारिशें दे दी हैं;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का देश में स्पैक्ट्रम संबंधी मुद्दों पर विचार करने के लिए एक स्वतंत्र स्पैक्ट्रम विनियामक स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी हां।

(ख) दूरसंचार विभाग ने ट्राई की स्पेक्ट्रम प्रबंधन एवं लाइसेंस ढांचा संबंधी दिनांक 11 मई, 2010 की सिफारिशों तथा बाद में 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में ''स्पैक्ट्रम की कीमत'' विषय पर दिनांक 8 फरवरी 2011 को दी गई सिफारिशों पर विचार करने के बाद निर्णय लिए हैं जिसकी प्रति विवरण के रुप में सलग्न है। साथ ही वर्ष 2010 की रिट याचिका (सिविल) सं. 423 के मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 2 फरवरी 2012 के निर्णय के मद्देनजर सरकार ने नीलामी के माध्यम से 22 सेवा क्षेत्रों में 2 जी बैंडों में लाइसेंस की प्रदायगी एवं स्पैक्ट्रम के आवंटन के संबंध में ट्राई की सिफारिशें मांगी हैं तथा इसके ट्राई ने दिनांक 7 मार्च 2012 को ''स्पैक्ट की नीलामी'' के संबंध में परामर्श-पत्र जारी किया है।

(ग) और (घ) जी नहीं। तथापि बेतार आयोजना एवं समन्वय स्कंध की स्थापना इस मंत्रालय में वर्ष 1952 में की गई जो राष्ट्रीय रेडियों विनियामक प्राधिकरण है तथा संबद्ध उपग्रह कक्षाओं भूस्थैतिक उपग्रह कक्षाओं, सहित रेडियों आवृत्ति स्पैक्ट्रम के सीमित संसाधनों की आयोजना बनाने विनियमन करने एवं प्रबंधन करने और भारतीय तार अधिनियम 1885 एवं भारतीय बेतार टेलीग्राफी अधिनियम 1933 के तहत देश में बेतार केंद्रों को सांविधिक अपेक्षा के रुप में लाइसेंस प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है।

विवरण

ट्राई की "स्पैक्ट्रम प्रबंधन तथा लाइसेंसिंग ढांचा" विषय पर दिनांक 11 मई, 2010 की सिफारिशों तथा बाद में इसके द्वारा दिनांक 08 फरवरी, 2011 को दी गई सिफारिशों, 03 मई, 2011 के स्पष्टीकरण और 03 नवम्बर, 2011 के प्रत्युत्तर पर दूरसंचार आयोग द्वारा किया गया। दूरसंचार आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद दूरसंचार विभाग ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं:

1. स्पैक्ट्रम से संबद्ध कोई यूएएस लाइसेंस प्रदान नहीं किया जाएगा।

2. सभी भावी लाइसेंस एकीकृत लाइसेंस होंगे और स्पेक्ट्रम के आवंटन को लाइसेंस से अलग कर दिया जाएगा। स्पैक्ट्रम, यदि अपेक्षित हो, पृथक रूप से प्राप्त करना होगा। एकीकृत लाइसेंस में सभी मौजूदा लाइसेंसों हेतु अंतरण व्यवस्था सहित एकीकृत लाइसेंस के संदर्भ में ट्राई से विस्तृत दिशा-निर्देशों तथा निबंधन और शर्तो के प्राप्त होने के बाद ही एकीकृत लाईसेंस के व्यवस्था के क्रियान्वयन पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

3. एकीकृत लाईसेंसिंग व्यवस्था को अंतिम रूप दिए जाने तक स्पैक्ट्रम की किसी प्रकार की नीलामी होने की स्थिति में, बिना स्पैक्ट्रम के यूएएस लाइसेंस जारी किया जाएगा, जो इस व्यवस्था के लागू होने की स्थिति में एकीकृत लाइसेंस में अंतरण संबंधी अपेक्षा के अध्यधीन होगा। बिना स्पैक्ट्रम के ऐसे यूएएस लाइसेंस हेतु विस्तृत दिशा-निर्देशों को इस संबंध में ट्राई की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा।

4. सभी दूरसंचार लाइसेंसों और सेवा क्षेत्रों के लिए एक समान लाइसेंस शुल्क लगाया जाएगा, जिसे उत्तरोत्तर रूप से वर्ष 2012-13 से आरंभ होने वाली दो वर्षीय समयावधि में समायोजित सकल राजस्व के 8% के बराबर किया जाएगा।

5. ऐसे प्रत्येक लाइसेंसधारक द्वारा देय लाइसेंस शुल्क और स्पैक्ट्रम उपयोग प्रभार वास्वविक समायोजित सकल राजस्व के आधार पर होंगे, जो संभावित न्यूनतम समायोजित सकल राजस्व के अध्यधीन होगा। ट्राई इस न्यूनतम राशि की समीक्षा प्रत्येक वर्ष करेगा।

6. आईपी-I सेवा प्रदाताओं, जो वर्तमान में बिना लाइसेंस के निष्क्रिय अवसंरचना प्रदाता हैं को लाइसेंसिंग व्यवस्था के अंतर्गत लाने की सिफारिश पर निर्णय को भावी जांच हेतु आस्थगित कर दिया गया है

7. दूरसंचार विभाग द्रुत व्यापक तकनीकी-आर्थिक अध्ययन करेगा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में कवरेज एवं टेलीघनत्व में वृद्धि करने संबंधी मुद्दों की जांच की जा सके तथा इसके साथ ही सेवा की सतत गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सके और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सिर्फ यूएसओएफ प्रक्रियातंत्र की पर्याप्तता तथा ग्रामीण विस्तार हेतु दूरसंचार से प्रदाताओं को उपयुक्त प्रत्यक्ष प्रोत्साहन देने संबंधी यूएसओएफ की स्कीमों को संवर्धित करने की आवश्यकता की जांच की जा सके।

8. समुचित निबंधनों एवं शर्तो सहित, एक्सटेंट लाइसेंसिग प्रणाली के प्रावधानों के अनुसार, मौजूदा यूएएस (एवं सीएमटीएस तथा बुनियादी सेवाओं) लाइसेंसो की वैधता का एक बार में और 10 वर्ष तक विस्तार किया जा सकता है ताकि मौजूदा लाइसेंस एवं किसी आवंटित स्पैक्ट्रम की मात्रा और मूल्य सहित संबंधित शर्ते स्वत: ही जारी न रह सके।

9. विस्तार होने पर, यूएएस लाइसेंसधारक को शुल्क का भुगतान करना होगा जोकि महानगरों और 'क' सर्किलों के लिए 2 करोड़ रु. 'ख' सर्किलों के लिए एक करोड़ रु. और 'ग' सर्किलों के लिए 0.50 लाख रु. होगा। इस शुल्क में स्पैक्ट्रम का मूल्य शामिल नहीं है जिसका भुगतान अलग से किया जाएगा लाइसेंस का विस्तार करते

हुए लाइसेंसधारक को निर्धारित सीमा या विस्तार से पहले सौंपे गए स्पैक्ट्रम की मात्रा जो भी कम हो, तक ही स्पैक्ट्रम का आबंटन किया जाएगा। सरकार द्वारा लाइसेंसधारक को निर्धारित सीमा से अधिक आवंटित स्पैक्ट्रम को वापस ले लिया जाएगा।

10. स्पैक्ट्रम को रिफार्म करने की आवश्यकता को सिद्धांत रूप से स्वीकार किया गया है। इस बारे में ट्राई की सिफारिशें मिलने के बाद आगे कदम उठाए जाएंगे।

11. किसी सेवा प्रदाता को सौंपे गए स्पैक्ट्रम की निर्धारित सीमा दिल्ली एवं मुम्बई को छोड़कर सभी सेवा क्षेत्र में सभी जीएसएम/सीडीएमए प्रौद्योगिकियों हेतु क्रमशः 2×8 मेगाहट्र्ज/2×5 मेगाहट्र्ज होगी। जबकि दिल्ली और मुम्बई में यह 2×10 मेगाहट्र्ज/2×6.25 मेगाहट्र्ज होगी। तथापि, लाइसेंसों के विलय हेतु निर्धारित सीमा के मद्देनजर, स्पैक्ट्रम की नीलामी होने की स्थिति में, लाइसेंसधारक खुले बाजार में निर्धारित सीमा से अधिक अतिरिक्त स्पैक्ट्रम प्राप्त कर सकता है।

12. एम एंड ए तथा स्पैक्ट्रम शेयरिंग के मामलों में स्पैक्ट्रम के मूल्य निर्धारण सहित एककालिक स्पैक्ट्रम प्रभार के बारे में सभी मामलों में निर्णय अलग से लिया जाएगा।

13. सरकार द्वारा 2010 में स्पैक्ट्रम प्रयोग प्रभार संशोधित किए गए और अब मामला न्यायाधीन है। इस संबंध में न्यायालय द्वारा निर्णय किए जाने के बाद ही दूरसंचार विभाग आगे कार्रवाई की जाएगी।

14. सीएमटीएस/यूएएस लाइसेंसों के अंतरा-सेवा क्षेत्र विलय के संबंध में व्यापक दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें शामिल होंगी:

I. संगत बाजार में उपभोक्ता आधार और लाइसेंसधारक के समायोजित सकल राजस्व, दोनों की बाजार शक्ति बाजार अंश का निर्धारण करने हेतु विचार किया जाएगा। बाजार अंश का निर्धारण करने के लिए समस्त अभिगम बाजार संगत बाजार होगा और इसे 'वायरलाइन' और वायरलैस के रूप में अलग से श्रेणीबद्ध नहीं किया जाएगा।

II. एक साधारण, तीव्र प्रक्रिया के द्वारा परिणामात्मक निकाय के 35% तक बाजार अंश का विलय किया जाएगा। तथापि, किसी सेवा क्षेत्र में सीडीएमए स्पैक्ट्रम होल्डिंग हेतु 10 मेगाहट्ज/जीएसएम स्पैक्ट्रम पर 25% की ऊपरी सीमा का उल्लंघन किए गए बिना कुछ परिस्थितियों में बाजार अंश में 35% से आगे भी विलय करने संबंधी मामलों पर विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। ट्राई की इस सिफारिश, कि ऐसे मामलों में 60% तक बाजार अंश पर विचार किया जाए, को नोट कर लिया गया है। परिस्थितियों में स्पष्टता और वह सीमा जिस तक 35% से ऊपर बाजार अंश के विलय की अनुमति होगी, सुनिश्चित करने के लिए, समुचित प्राधिकारियों से परामर्श करने और ट्राई की इस सिफारिशों को प्राप्त करने के बाद विस्तृत पारदर्शी दृष्टिकोण निर्धारित किया जाएगा/अपनाया जाएगा।

III. सेवा क्षेत्र में लाइसेंसो के विलय के परिणामस्वरुप 900 और 1800 मेगाहट्र्ज बैंडों के मामलों में संबंधित सेवा क्षेत्र में, परिणामात्मक निकाय द्वारा नीलामी या अन्यथा की मार्फत धारित कुल स्पैक्ट्रम, सौंपे गए स्पैक्ट्रम के 25% से अधिक नहीं होगा । 800 मेगाहट्र्ज बैंड के संबंध में ऊपरी सीमा 10 मेगा हट्र्ज होगी। अन्य बैंडों में स्पैक्ट्रम के संबंध में, उस स्पैक्ट्रम की नीलामी से संबंधित संगत शर्तें लागू होंगी।

IV. यदि, विलय के परिणामस्वरूप, परिणामत्मक निकाय द्वारा धारित कुल स्पैक्ट्रम निर्धारित सीमा से अधिक है तो अधिशेष स्पैक्ट्रम को अनुमति दिए जाने के एक वर्ष के अन्दर अभ्यर्पित कर दिया जाना चाहिए। सरकार उस बैंड को निर्धारित कर सकती है जिसे अलग से घोषित की जाने वाली स्पैक्ट्रम रिफार्मिंग नीति के अनुरुप अभ्यर्पित करने की आवश्यकता होगी।

V. परिणामात्मक निकाय की पर्याप्त इक्विटी और क्रास होल्डिंग यूएएस लाइसेंस के प्रावधानों के अनुरुप होगी।

VI. संबंधित सेवा क्षेत्र में परिणामात्मक निकाय के लाइसेंस की अवधि विलय की तारीख पर दो अवधियों में से अधिक वाली के समान होगी। तथापि इससे परिणामात्मक निकाय का लाइसेंस की अवधि के बीतने एक समग्र स्पैक्ट्रम को रखने का अधिकार नहीं मिलेगा।

VII. विलय किए गए निकायों में से किसी निकाय की प्रारम्भिक वैधता से अधिक नवीकृत वैधता की स्थिति में 800/900 मेगाहट्र्ज बैंड में स्पैक्ट्रम की होल्डिंग स्पैक्ट्रम रिफार्मिंग दिशानिर्देशों की तारीख या विस्तार की संभावित तारीख से भविष्य में घोषित होने वाले लागू स्पैक्ट्रम रिफार्मिंग दिशानिर्देशों के मद्देजनर होगी।

VIII. परिणामात्मक निकाय द्वारा भुगतान किए जाने वाले स्पैक्ट्रम मूल्य से संबंधित मुद्दों का अलग से निर्धारण किया जाएगा। विलय के बाद वायरलैस प्रचालक लाइसेंस के नवीनकरण के माले में भी यही लागू होगा।

IX. दो लाइसेंसों के विलय होने पर दोनों निकायों के एजीआर का भी विलय किया जाएगा और परिणामस्वरुप कुल एजीआर पर उस सेवा क्षेत्र विनिर्दिष्ट द्वारा पर लाइसेंस शुल्क लगाया जाएगा। इसी प्रकार, स्पैक्ट्रम प्रभार के भुगतान हेतु दो लाइसेंसधारकों द्वारा धारित स्पैक्ट्रम को जोड़ा/विलय किया जाएगा और वार्षिक स्पैक्ट्रम प्रभार इस कुल स्पैक्ट्रम पर लागू निर्धारित दर पर होगा। तथापि विलय के बाद निकाय द्वारा विभिन्न प्रौद्योगिकियों हेतु स्पैक्ट्रम की होल्डिंग की स्थिति में किसी अन्य यूएएस/सीएमटीएस लाइसेंसधारक के ही समान स्पैक्ट्रम प्रभार एवं लाइसेंस शुल्क आदि या लाइसेंस प्रदाता द्वारा अपनाया जाने वाला कोई अन्य मानदंड लागू होगा।

X. इक्विटी के विक्रय/विलियन के लिए लॉक-इन अवधि से संबंधित यूएएस लाइसेंस में मौजूदा प्रावधान जारी रहेंगे।

15. अन्य बातों के साथ-साथ 2 जी स्पैक्ट्रम (800/900/1800 मेगा हट्र्ज बैंड) की साझेदारी के लिए व्यापक दिशानिर्देशों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) स्पैक्ट्रम की साझेदारी करने की अनुमति होगी परन्तु प्रत्येक मामले में जारी उसी लाइसेंस सेवा क्षेत्र में होगी तथा लाइसेंसदाता की पूर्व अनुमति से होगी। इस उदेद्यार्थ साधारण स्वचालित अनुमोदन प्रक्रिया की व्यस्था की जाएगी।

(ii) प्रारंभ में पांच वर्ष की अवधि के लिए स्पेक्ट्रम साझेदारी की अनुमति प्रदान की जाएगी। सरकार निर्धारित की जाने वाली शर्तों पर, आगे पांच वर्ष के लिए एक बार और अनुमति प्रदान कर सकती है।

(iii) स्पेक्ट्रम की साझेदारी केवल ऐसे दो स्पैक्ट्रम धारकों जिनके पास या तो 900/1800 मेंगा हटर्ज बैंड अथवा 800 मेंगा हर्टज बैंड स्पेक्ट्रम है के बीच ही की जा सकती हैं।

(iv) स्पैक्ट्रम साझेदारी के परिणामस्वरुप स्पैक्ट्रम की कुल मात्रा लाइसेंसों के विलयन के मामले में यथा-निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगी।

(v) नीलामी के माध्यम से प्राप्त स्पैक्ट्रम के संबंध में, स्पैक्ट्रम साझेदारी की अनुमति केवल तब ही होगी जब इसके लिए नीलामी संबंधी शर्तों में व्यवस्था की गई हो।

(vi) स्पैक्ट्रम को साझा करने वाले पक्षकार इससे संबंधित प्रभार के उदेद्श्य से अपने पूर्ण स्पैक्ट्रम को साझा करने वाले पक्षकर माने जाएंगे।

(vii) दोनों पक्षकार लाइसेंस के तहत यथा-निर्धारित रॉल आउट दायित्वों के साथ-साथ सेवा की गुणवत्ता संबंधी दायित्वों को अपने-अपने स्तर पर पूरा करेंगे।

(viii) स्पैक्ट्रम प्रयोक्ता प्रभार दोनों प्रचालकों से अलग-अलग परन्तु दोनों प्रचालकों द्वारा धारित कुल स्पैक्ट्रम पर एक साथ वसूला जाएगा। अन्य शब्दों में यदि 4,4 मेंगाहर्ट्ज स्पैक्ट्रम रखने वाला "x" प्रचालक अन्य "x" प्रचालक के 4.4 मेगार्ट्ज स्पेक्ट्रम को साझा करता है तो "x" और "x" दोनों प्रचालक 8.8 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के लिए लागू स्पेक्ट्रम प्रयोक्ता प्रभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(ix) स्पेक्ट्रम साझेदारी में स्पेक्ट्रम का उपयोग करने वाले दोनों सेवा प्रदाता शामिल होंगे। स्पेक्ट्रम की पट्टेदारी की अनुमति नहीं दी गई है।

(x) स्पैक्ट्रम साझा करने के बाद स्पैक्ट्रम का मूल्य निर्धारित करने वाले मामलों पर अलग से निर्णय लिया जाएगा।

(xi) 3जी स्पेक्ट्रम रखने वाले लाइसेंसधारकों के बीच स्पेक्ट्रम साझेदारी की अनुमति नहीं होगी।

16. इस स्तर पर भारत में स्पैक्ट्रम के व्यापार की अनुमति नही होगी। इसकी बाद में पुन: जांच की जाएगी।

17. उपलब्ध स्पेक्ट्रम के कुशल प्रबंधन के लिए ट्राई नियमित स्पैक्ट्रम जांच कर सकता हैं ट्राई उपलब्ध स्पेक्ट्रम के वर्तमान उपयोग की समीक्षा कर सकता है। दोनों मामलों में ट्राई सरकार को सिफारिशें दे सकता है।

18. दूरसंचार आयोग की कुछ सिफारशो के संबंध में 122 लाइसेंसों को रद्द करने संबंधी 2 फरवरी 2012 के माननीय उच्चतम न्यायलय के निर्णय के निहितार्थ है। कानूनी और अन्य पहलुओं के संदर्भ में आगे ऐसी सिफारिशों की जांच की जा रही है तथा संबंध में बाद में निर्णय घोषित किया जाएगा।

अधिकारियों के प्रशिक्षण पर व्यय

***210. श्री माणिकराव होडल्या गावित:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा/अखिल भारतीय सेवाओं के कतिपय प्रशिक्षित अधिकारी बीच में ही अपनी नौकरी छोड़ देते हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षो और चालू वर्ष के दौरान ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण के साथ बांड भरना अनिवार्य है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या बीच में ही नौकरी छोड़ने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों से सरकार द्वारा उनके प्रशिक्षण पर किए गए खर्च का भुगतान करना अपेक्षित होता है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (च) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण जो उनके सेवा में नियुक्त होने पर और उसके बाद दिया जाता है, एक सतत प्रक्रिया है। वेतन और भत्तों/प्रशिक्षण खर्चों की वसूली परिवीक्षा और दीर्घकालीन विदेश/घरेलू प्रशिक्षण के मामले में की जाती है जिसके लिए करार/बांड पर हस्ताक्षर किए जाने अपेक्षित हैं।

2. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण के मामले में, नियमावली में प्रावधान है कि परिवीक्षार्थी को एक बांड भरना होगा कि केन्द्र सरकार की संतुष्टि के अनुरुप परिवीक्षा अवधि पूरी नही करनें की स्थिति में परिवीक्षार्थी हेतु नियुक्ति के परिणामस्वरुप नियुक्ति का कार्यभार संभालने के समय वेतन तथा यात्रा भत्ते यदि कोई भी धन उसे दिया गया है तो उसे वापिस करेगा।

3. जिन अधिकारियों को दीर्घकालीन विदेशी/घरेलू प्रशिक्षण या आंशिकी वित्तपोषण घटक के अंतर्गत उच्च अध्ययन हेतु नामित किया जाता है, उनके द्वारा भरे गए बांड में व्यवस्था है कि प्रशिक्षण अवधि के समाप्त होने अथवा पूर्ण होने के बाद या कार्यभार पुनर्ग्रहण करने की पांच वर्ष के भीतर कभी भी कार्यभार ग्रहण नहीं करने या त्याग पत्र देने या सेवावृत्ति लेने या सेवा छोड़ने की स्थिति में यदि प्रशिक्षण को ड्यूटी माना जाता है तो उस भागीदार अधिकारी को उसके प्रशिक्षण को ड्यूटी माना जाता है तो उस भागीदार अधिकारी को उसके प्रशिक्षण के नाम पर हुए प्रशिक्षण खर्च की पूरी राशि जिसमें वेतन और भत्ते भी शामिल है, सरकार को लौटानी अपेक्षित है।

4. परिवीक्षा/दीर्घकालीन प्रशिक्षण के दौरान उनके द्वारा किए गए करार/बंधक के संदर्भ में पिछले तीन वर्ष/चालू वर्ष के दौरान अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों से की गई वसूली का विवरण निम्नलिखित है:-

सेवा का नाम	उन अधिकारियों की संख्या जो परिवीक्षा प्रशिक्षण पर गए और नौकरी छोड़ दी	वसूली की स्थिति	उन अधिकारियों की संख्या जो दीर्घकालीन प्रशिक्षण पर गए और नौकरी छोड़ दी	वसूली की स्थिति
भारतीय प्रशासनिक सेवा	1	38 मामलों में वसूली शेष नहीं है क्योंकि त्याग पत्र अन्य अखिल भारतीय सेवा/केन्द्रीय सेवा ज्वाइंन करने के लिए दिया गया। एक मामले में वसूली प्रक्रियाधीन है।	2	बकाया राशि की वसूली कर ली गई।
भारतीय पुलिस सेवा	34		शून्य	
भारतीय वन सेवा	4		शून्य	

दूरसंचार सेवाओं में सुधार

***211. श्रीमती सुमित्रा महाजनः**
राजकुमारी रत्ना सिंहः

क्या **संचार और सूचना प्रौद्यौगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें किः

(क) क्या निजी कम्पनियों द्वारा प्रदान की जा रही टेलीफोन और मोबाइल सेवाओं की तुलना में भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा प्रदान की जा रही ऐसी सेवाओं को अधिकांश प्रयोक्ताओं द्वारा पसन्द नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इसके राज्य-वार क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार को मध्य प्रदेश विभिन्न राज्यों से दूरसंचार सेवाओं में सुधार लाने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) प्राइवेट दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को वर्ष 1994 में सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदान करने के लिए लाइसेंस जारी किए गए थे जबकि भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को देश के विभिन्न भागों में तीसरे प्रचालक के रूप में सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदान करने के लिए क्रमशः वर्ष 1997 में लाइसेंस जारी किए गए थे।

दिनांक 31.01.2012 की स्थिति के अनुसार, बीएसएनएल और एमटीएनएल का संयुक्त बाजार शेयर वायरलाईन भाग में 80.91 प्रतिशत तथा वायरलैस भाग में 11.44 प्रतिशत है। बीएसएनएल और एमटीएनएल सहित प्रमुख दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का वायरलाईन वायरलैस और ब्रॉडबैंड कनेक्शन का बाजार शेयर इस प्रकार है:

क्र.सं.	कंपनी का नाम	प्रतिशत शेयर (31.01.2012 की स्थिति के अनुसार)		
		वायरलाईन	वायरलैस	ब्रॉडबैंड
1.	बीएसएनएल	70.24	10.80	64.60
2.	एमटीएनएल	10.67	0.64	7.60
	बीएसएनएल और एमटीएनएल का जोड़	80.91	11.44	72.20
3.	भारती एयरटेल	10.06	19.58	10.10
4.	रिलायंस टेलीकॉम लि.	3.92	16.71	
5.	वोडाफोन		16.44	
6.	आइडिया मोबाइल कम्युनिकेशन		11.97	
7.	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	4.35	9.26	
8.	एयरसेल		6.91	
	अन्य	0.76	7.69	17.70
	कुल प्राइवेट	19.09	88.56	27.80

(ग) और (घ) दूरसंचार विभाग को दूरसंचार सेवाओं में सुधार करने के लिए मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए है।

[अनुवाद]

दूरसंचार उपकरण का आयात

***212. श्री अर्जुन रायः**
श्री पी. कुमारः

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने मोबाइल हैंडसेटों सहित दूरसंचार उपकरणों की बढ़ती मांग को देखते हुए इनके अनुसंधान और विकास तथा स्वदेश में इनके विनिर्माण को प्रोत्साहन देने हेतु कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या बड़े पैमाने पर इन उपकरणों के आयात से देश के नीतिपरक और सुरक्षा हित प्रभावित हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी हां।

(ख) (I) देश में दूरसंचार उपस्कर और मोबाइल फोनों सहित इलेक्ट्रॉनिकी उत्पादों के क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास मानकीकरण, इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली अभिकल्प हेतु उपयुक्त परिस्थिति विकसित करने और वर्धित मूल्य योजन सहित विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिकी से संबंधित राष्ट्रीय नीति का प्रारूप-2011 जो इसकी वेबसाइट http://mit.gov.in/sites/upload files/dit/files/draft national police on electronic 2011 412011 (2). Pdf पर उपलब्ध है तथा राष्ट्रीय दूरसंचार नीति का प्रारूप जो इसकी वेबसाइट 2011 http://www.dot.gov.in/ntp-2011/final-10.10.2011. pdf पर उपलब्ध है, को पहले ही आम जनता के समक्ष रखा है। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति के संशोधित प्रारूप में अन्य बातों के साथ-साथ देश में अनुसंधान तथा विकास, विनिर्माण और मानकीकरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं:

(i) घरेलू और विदेशी बाजारों को आपूर्ति कराने हेतु कौशल तथा सक्षमता में वृद्धि करके नवाचार, स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देना।

(ii) 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान स्वदेशी अनुसंधान और विकास, आईपीआर सृजन, उद्यमिता, विनिर्माण, अत्याधुनिक दूरसंचार उत्पादों एवं सेवाओं के वाणिज्यीकरण एवं विकास हेतु समग्र निधि सृजित करना।

(iii) दूरसंचार उपकरणों के स्वदेशी उत्पादन के लिए अभिकल्प, अनुसंधान और विकास, आईपीआर सृजन, परीक्षण मानकीकरण और विनिर्माण अर्थात् संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को बढ़ावा देना ताकि वर्ष 2017 तक न्यूनतम 45% तथा वर्ष 2020 तक न्यूनतम 65% तमल्य संवर्धन के साथ भारतीय दूरसंचार क्षेत्र की क्रमश: 60% और 80% मांग को पूरा किया जा सके।

(iv) देश के लिए सुरक्षा हित को प्रभावित करने वाले दूरसंचार उत्पादों के अधिप्रापण में और सरकार द्वारा अपने प्रयोग हेतु अधिप्रापण में विश्व व्यापार संगठन की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप स्वदेश विनिर्मित दूरसंचार सत्पादों को अधिमान प्रदान करना।

(v) राष्ट्रीय अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए मानक विकसित करना और स्थापित करना, आईपीआर सृजन और वैश्विक मानक तय करने में योगदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण निकायों में भागीदारी करके और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार मानकीकरण के क्षेत्र में भारत को एक अग्रणी राष्ट्र बनाकर इसे उद्योग, अनुसंधान तथा विकास संस्थाओं, शिक्षा जगत, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और प्रयोक्ताओं के साथ उपयुक्त संबंध स्थापित करके समर्थन प्रदान किया जाएगा।

(vi) दूरसंचार उत्पादों के स्वदेशी विनिर्माताओं और अनुसंधान तथा विकास संस्थाओं के लिए अपेक्षित उपयुक्त राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना।

(vii) अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कंप्यूटर और दूरसंचार उपकरण के व्यवसाय में कार्य कर रही कंपनी द्वारा घरेलू अनुसंधान एवं विकास पर व्यय पर 200% की एक भारी कटौती आयकर अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध है।

(viii) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंटों के लिए सहायता, इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना एवं प्रौद्योगिकी और प्रबंधन के क्षेत्र में बहुअनुदान स्कीम तथा प्रौद्योगिकी संवर्धन और उद्यम विकास (टीआईडीई) की स्कीम सहित अनुसंधान एवं विकास के संवर्धन के लिए विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वित्तपोषण करता है।

(ix) देश में मोबाइल फोन विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल फोनों के विनिर्माण हेतु आवश्यक पुर्जो और अवयवों तथा बैटरी चार्जरों, पीसी कनेक्टिविटी केबलों, मेमोरी कार्डो और हैड्स फ्री हेडफोनों जैसे विशिष्ट उपकरणों के आयात को पूर्णत: शुल्क मुक्त कर दिया गया है।

(x) मोबाइल हैंडसेट सहित दूरसंचार उपकरणों के स्वदेश में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने दिनांक 10. 02.2012 की अधिसूचना संख्या 8 (78)/2010-आईपीएच डब्लयू के द्वारा देश के लिए सुरक्षा स्थितियों के दृष्टिगत इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों (दूरसंचार उपकरणों सहित) के अधिप्रापण तथा सरकार द्वारा अपने उपयोग हेतु किए जाने वाले अधिप्रापण में देश में विनिर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को अधिप्रापण तथा सरकार अपने उपयोग हेतु किए जाने वाले अधिप्रापण में देश में विनिर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को अधिमान प्रदान करने के संबंध में नीति निर्धारित की है जिसका उद्देश्य सरकार द्वारा इन्हें स्वयं प्रयोग में लाना है न कि इन उत्पादों की वाणिज्यिक आधार पर पुन: बिक्री या वाणिज्यिक बिक्री हेतु वस्तुओं के उत्पादन में इनका प्रयोग करना।

(ग) और (घ) सुरक्षा संबंधी मामलों के कारण, विभिन्न दूरसंचार लाइसेंसों में मई/जून, 2011 में संशोधन जारी किए गए

हैं। देश के विभिन्न जोनों में दूरसंचार सेवाओं के विस्तार हेतु सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर जारी विभिन्न दूरसंचार सेवा लाइसेंस करार में दिनांक 31.05.2011 को जारी संशोधन की मुख्य-मुख्य बातें निम्नवत हैं।

(i) लाइसेंसधारक अपने नेटवर्कों की सुरक्षा के लिए पूर्णतः और समग्रतः उत्तरदायी होंगे। वे अपने नेटवर्कों की सुरक्षा और सुरक्षा प्रबंधन के संबंध में अपनी संगठनात्मक नीति तैयार करेंगे।

(ii) सुरक्षा की दृष्टि से लाइसेंसधारक वर्ष में एक बार आने नेटवर्क की जांच करेंगे या किसी नेटवर्क जांच और प्रमाणन एजेंसी से जांच कराएंगे।

(iii) लाइसेंसधारक अपने दूरसंचार नेटवर्क केवल उन्हीं नेटवर्क अवयवों को शामिल करेगा जो समसामयिक संगत भारतीय या अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुसार जांच गए हों। 1 अप्रैल, 2013 से प्रमाणन केवल भारत स्थित प्राधिकृत और प्रमाणित एजेंसियों/प्रयोगशालाओं से ही कराए जाएंगे।

(iv) लाइसेंसधारक प्रमुख पदों पर केवल निवासी, प्रशिक्षित भारतीय नागरिकों को ही नियुक्त करेगा।

(v) लाइसेंसधारक

(क) प्रचालन और अनुरक्षण प्रक्रिया का एक मैन्युअल के रूप में रिकार्ड रखेगा।

(ख) अद्यतन किए गए सभी सॉफ्टवेयरों और परिवर्तनों का रिकार्ड रखेगा।

(ग) उत्पादों (हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर) की आपूर्ति श्रृंखला का रिकार्ड रखेगा।

(घ) सुदूर अभिगम (आरए) की शर्तों का अनुपालन करेगा।

(vi) लाइसेंसधारक विक्रेता से उपयुक्त करार खंडों के माध्यम से यह सुनिश्चित करेगा कि विक्रेता/आपूर्तिकर्ता दूरसंचार सेवा प्रदाता, लाइसेंस प्रदाता/दूरसंचार विभाग और/या इसके द्वारा नामोदिष्ट एजेंसियों को हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डिजाइन, विकास विनिर्माण सुविधा और आपूर्ति श्रृंखला के निरीक्षण की अनुमति देगा तथा उपकरण की आपूर्ति के दौरान किसी भी समय सभी सॉफ्टवेयर की सुरक्षा/जोखिम जांच कराएगा। इस प्रकार के निरीक्षणों की संख्या किसी एक आदेश में दो तक सीमित होगी। 50 करोड़ रु. से अधिक मूल्य के आर्डर के लिए ऐसे निरीक्षणों की संख्या किसी एक आदेश में दो तक सीमित होगी। 50 करोड़ रु. से अधिक मूल्य के आर्डर के लिए ऐसे निरीक्षणों पर होने वाले व्यय का 40 मानव दिवस प्रति निरीक्षण तक का वहन लाइसेंसधारक द्वारा सीधे या विक्रेता के माध्यम से किया जाएगा।

(vii) किसी भी सुरक्षा पहलू उल्लंघन के लिए 50 करोड़ रु. तक जुर्माना वसूला जाएगा।

(viii) लाइसेंसधारक सेवा क्षेत्र में मोबाइल फोन के ग्राहकों की अवस्थिति से संबंधित ब्यौरे उपलब्ध कराएगा।

उपभोक्ताओं के सत्यापन संबंधी मानदंड

***213. श्री अनंत कुमारः**
श्री प्रदीप कुमार सिंहः

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा दूरसंचार प्रचालकों को टेलीफोन उपभोक्ताओं की पहचान के सत्यापन के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जम्मू और कश्मीर में कार्यरत दूरसंचार प्रचालकों ने उपभोक्ताओं की पहचान के सत्यापन संबंधी दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्यों में कुछ दूरसंचार प्रचालकों द्वारा दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

(ङ) क्या सरकार पहचान के सत्यापन संबंधी मानदंडों/दिशानिर्देशों में संशोधन करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस (यू.ए.एस.एल.) और सी.एम.टी.एस. लाइसेंसों के उपभोक्ता सत्यापन से संबंधित खंड में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कहा गया हैः

"लाइसेंसधारक प्रत्येक ग्राहक को उपभोक्ता के रूप में नामांकित करने से पूर्व उसका पर्याप्त सत्यापन सुनिश्चित करेगाः

इस संबंध में लाइसेंस प्रदात्ता द्वारा समय-समय पर जारी लाइसेंसों का ईमानदारी से अनुपालन किया जाएगा।"

तद्नुसार, सरकार द्वारा भावी उपभोक्ताओं की पहचान सत्यापित करने के लिए अर्थात् उन्हें सेवा प्रदान करने के लिए नामांकित करते समय फोटो, पहचान प्रमाण-पत्र और पता प्रमाण-पत्र सहित विधिवत भरे हुए ग्राहक अधिग्रहण प्रपत्र/ग्राहक आवेदन प्रपत्र (सी.ए.एफ.) उपभोक्ता अधिग्रहण पत्र (एस.ए.एफ.) सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को समय-समय पर अनुदेश जारी किए गए हैं। सरकार द्वारा ग्राहक पहचान सत्यापन के संबंध में जारी किए गए विस्तृत दिशा-निर्देश निम्नलिखित हैं-

(i) संख्या 800-4/2002-वीएएस/101 दिनांक 26.04.04

(ii) संख्या 842-488/2004-वीएएस/2 दिनांक 30.11.04

(iii) संख्या 800-4/2003-वीएएस/112 दिनांक 10.05.05

(iv) संख्या 800-4/2003-वीएएस (खंड-प्प) 104 दिनांक 22.11.06

(v) संख्या 842-725/2005/157 दिनांक 23.03.09

उपर्युक्त के अतिरिक्त सरकार द्वारा जम्मू एवं कश्मीर सेवा क्षेत्र के उपभोक्ताओं के सत्यापन हेतु दिनांक 20.01.2010 के पत्र संख्या 842/1070/2009-ए.एस. IV/63 द्वारा पृथक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। बाद में इन दिशा-निर्देशों को दिनांक 20.07.2010 के पत्र संख्या 800-14/2010-वी.ए.एस.-III खंड-II द्वारा पूर्वोत्तर तथा असम सेवा क्षेत्रों के लिए लागू कर दिया गया।

(ख) दूरसंचार प्रवर्तन संसाधन तथा अनुश्रवण (टीईआरएम) प्रकोष्ठ, जम्मू एवं कश्मीर (जम्मू एवं कश्मीर में दूरसंचार विभाग का फील्ड यूनिट) द्वारा ग्राहक आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) की आवधिक नमूना जांच के दौरान यह पाया गया है कि कुछ उपभोक्ताओं को मोबाइल सेवा प्रदाताओं द्वारा पहचान के संबंध में उपयुक्त सत्यापन किए बिना नामांकित कर लिया गया है। कलैण्डर वर्षों 2009, 10, 11 और 12 के संबंध में जम्मू एवं कश्मीर सेवा क्षेत्र में आवधिक नमूना जांच के दौरान लगभग 1.33 लाख ग्राहक *आवेदन* प्रपत्रों की जांच की गई है। जम्मू और कश्मीर में अपना प्रचालन कर रहे दूरसंचार प्रचालकों के संबंध में फोटो, पहचान पत्र, पता (पी.आई.ए.) आधार पर पास हुए नमूनों का दूरसंचार सेवा प्रदातावार प्रतिशत तथा अनुपालन नहीं किए जाने के आधार पर उन लगाए गए कुल दंड से संबंधित ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	दूरसंचार सेवा प्रदाता का नाम	निम्नलिखित वर्ष के संबंध में मासिक आधार पर अब तक जांचे गए नमूना ग्राहक आवेदन प्रपत्रों के आधार पर अनुपालन प्रतिशत				इन वर्षों के संबंध में लगाए गए आर्थिक दंड की राशि (लाख रुपये में)
1.	एयरसेल	86.92	70.37	81.61	प्रगति में है	4617.86
2.	भारती एयरटेल	71.19	63.20	77.76	प्रगति में है	6511.49
3.	बीएसएनएल	80.54	72.55	83.19	प्रगति में है	1569.5
4.	आइडिया	88.57	66.17	80.94	प्रगति में है	409.7
5.	रिलायंस कम्युनिकेशन	83.28	72.10	84.15	प्रगति में है	815.97
6.	सिस्टेमा श्याम	एनओपी	एनओपी	97.06	प्रगति में है	0.04
7.	टाटा	85.11	78.49	79.46	प्रगति में है	186.15
8.	वोडाफोन	82.07	75.22	83.55	प्रगति में है	654.2
	कुल	78.42	68.47	80.73		14764.91

*एनओपी-प्रचालनाधीन नहीं है।

आवधिक रूप से नमूना जांच के अतिरिक्त शिकायत आधार पर विश्लेषण, यादृच्छिक जांच आदि भी किए गए हैं तथा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा अनुपालन न किए जाने की स्थिति के संबंध में जानकारी हासिल की गई है। ऐसे मामलों में दांडिक उपबंधों के अनुसार दंड आरोपित किए गए हैं।

(ग) जी, हां। दूरसंचार प्रवर्तन संसाधन तथा अनुश्रवण (टी.ई.आर.एम.) प्रकोष्ठ, जम्मू एवं कश्मीर (जम्मू एवं कश्मीर में दूरसंचार विभाग का फील्ड यूनिट) द्वारा ग्राहक आवेदन प्रपत्र (सी.ए.एफ.) की आवधिक नमूना जांच, शिकायत आधार पर विश्लेषण यादृच्छिक जांच आदि के दौरान यह ज्ञात हुआ है कि कुछ उपभोक्ताओं को मोबाइल सेवा प्रदाताओं द्वारा पहचान के संबंध में उपयुक्त सत्यापन किए बिना नामांकित कर लिया गया है।

पहचान का सत्यापन किए बिना टेलीफोन कनेक्शन जारी किए जाने से राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है।

(घ) अनुदेशों का अनुपालन नहीं किए जाने के मामलों में दंड आरोपित किए जाते हैं। देशभर में सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की कलैण्डर वर्षो 2009, 10, 11 और 12 के संबंध में आवधिक नमूना जांच के दौरान ज्ञात हुए अनुदेशों का अनुपालन न किए जाने के संबंध में दंड के रूप में लगभग 1733 करोड़ रुपए आरोपित किए गए हैं। दांडिक उपबंधों के अनुसार आवधिक रूप से नमूना जांच के अतिरिक्त शिकायत आधार पर विश्लेषण, यादृच्छिक जांच से संबंधित मामलों में भी दंड आरोपित किए गए हैं। यदि दस्तावेजों में किसी धोखाधड़ी का मामला पाया जाता है तो ऐसे मामलों में शिकायत/प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाती है।

(ङ) और (च) श्री अभिषेक गोयनका द्वारा भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 285/2010-भारत संघ के विरुद्ध एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस जनहित याचिका द्वारा मोबाइल कनेक्शन को सुरक्षित बनाने के लिए उपभोक्ता सत्यापन दिशा-निर्देशों को गंभीरता से लागू करने तथा वास्तविक सत्यापन को अनिवार्य बनाने का अनुरोध किया गया है। इस जनहित याचिका के लंबित रहने के दौरान सरकार ने ग्राहक पहचान के सत्यापन हेतु मौजूदा दिशा-निर्देशों में संशोधन करने का निर्णय लिया। तथापि, जब इन अनुदेशों को जारी किया जाना था तभी माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 14.03.2011 को हुई सुनवाई के दौरान सरकार से इन दिशा-निर्देशों को न्यायालय के समक्ष रखने और उसे माननीय उच्चतम न्यायालय से क्लीयरेंस के पश्चात ही जारी करने के लिए कहा।

वर्तमान में यह मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष न्यायनिर्णयन हेतु लंबित है तथा अभी तक दिशा-निर्देशों का जारी करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा क्लीयरेंस नहीं दिया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा क्लीयरेंस लंबित होने के कारण दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा उपभोक्ता अधिग्रहण तथा टीईआरएम प्रकोष्ठों द्वारा नमूना सत्यापन मौजूदा मानदंडों के अनुसार किया जा रहा है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपे गए मामले

***214. श्री अदगुरू एच. विश्वनाथ:**
श्री ए.टी. नाना पाटील:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भ्रष्टाचार संबंधी अनेक मामले सी.बी.आई. न्यायालयों में लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान विशेषकर कर्नाटक से केंद्रीय जांच ब्यूरो को जांच हेतु कितने मामले सौंपे गए;

(घ) कितने मामलों में जांच पूरी कर ली गई है और कितने मामले लंबित हैं; और

(ङ) लंबित मामलों के शीघ्र निपटान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत 7157 सीबीआई मामले हैं जिन पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के विभिन्न न्यायालयों (29.02.2012) की स्थिति के अनुसार) में सुनवाई लंबित है। राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अन्वेषण के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपे गए मामलों की संख्या निम्नलिखित है:-

वर्ष	राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए मामलों की संख्या
2009	36
2010	33
2011	79
2012 (29.02.2012 तक)	29
कुल	177

कर्नाटक सरकार द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को 177 मामलों में से 5 मामले सौंपे गए हैं। राज्य सरकार द्वारा भेजे गए मामलों के अन्वेषण के निपटान के बारे में डाटा केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखा जाता है। फिर भी, जहां तक कर्नाटक सरकार द्वारा भेजे गए 5 मामलों का संबंध है, 4 मामले अन्वेषण कर निपटा दिए गए हैं।

(ङ) लंबित मामलों के निपटान में शीघ्रता लाने के लिए केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के मामलों की सुनवाई के लिए अनन्य रूप से 71 अतिरिक्त विशेष न्यायालयों की संस्वीकृति दे दी है। इनमें से 54 न्यायालयों ने कार्य करना शुरू कर दिया है और शेष की स्थापना किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। सरकार ने नव सृजित अतिरिक्त विशेष न्यायालयों के लिए संविदात्मक आधार पर विधि अधिकारी और पैरवी अधिकारियों को शामिल करने के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के प्रस्ताव को संस्वीकृति दे दी है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मूल आंकड़े एमपीआर आंकड़े से मिलने चाहिए	<2 वर्ष (क)	2-5 वर्ष (ख)	5-10 वर्ष (ग)	10-15 वर्ष (घ)	15-20 वर्ष (ङ)	>20 वर्ष (च)	कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	9	10	6	1	0	0	26
2.	आंध्र प्रदेश	70	151	166	28	0	0	415
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	9	0	0	0	0	9
4.	असम	41	49	58	30	13	4	195
5.	बिहार	35	76	136	19	38	22	326
6.	चंडीगढ़	24	15	5	3	1	0	48
7.	छत्तीसगढ़	14	14	13	7	1	1	50
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0
9.	दमन और दीव	1	0	0	0	0	0	1
10.	गोवा	13	13	16	2	0	0	44
11.	गुजरात	38	114	127	88	39	15	421
12.	हरियाणा	9	26	26	3	0	0	64
13.	हिमाचल प्रदेश	0	14	0	0	0	0	14
14.	जम्मू और कश्मीर	33	44	39	16	3	0	135
15.	झारखंड	62	108	146	69	41	37	463
16.	कर्नाटक	42	53	86	52	9	1	243
17.	केरल	27	72	79	3	4	0	185
18.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	मध्य प्रदेश	66	95	36	3	2	0	202
20.	महाराष्ट्र	251	150	218	82	55	20	776
21.	मणिपुर	7	0	3	3	0	0	13
22.	मेघालय	2	3	2	1	1	0	9
23.	मिजोरम	0	2	2	1	2	1	8
24.	नागालैंड	1	1	0	0	0	0	2
25.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	129	358	319	160	66	17	1049
26.	ओडिशा	51	100	54	30	3	0	238
27.	पुडुचेरी	17	11	30	0	0	0	58
28.	पंजाब	7	30	19	2	0	0	58
29.	राजस्थान	63	129	84	25	11	4	316
30.	सिक्किम	1	1	2	2	0	0	6
31.	तमिलनाडु	137	153	124	43	10	2	469
32.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0
33.	उत्तर प्रदेश	109	139	161	99	74	7	589
34.	उत्तराखंड	27	16	9	4	4	0	60
35.	पश्चिम बंगाल	94	167	173	100	80	51	665
	कुल	1380	2123	2139	876	457	182	7157

[हिन्दी]

शैक्षणिक उत्कृष्टता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के केन्द्र

***215. श्रीमती मीना सिंह:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कतिपय संस्थानों को शिक्षा उत्कृष्टता और अंतराष्ट्रीय स्तर के केन्द्र के रुप में घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बिहार स्थित प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को वैश्विक शिक्षण केन्द्र के रूप में पुन:स्थापित करने हेतु शुरू की गई कार्य योजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) अभी तक 'नालंदा मैटर ग्रुप' की कितनी बैठकें हुई हैं और उनके क्या परिणाम रहे हैं; और

(ङ) उक्त विश्वविद्यालय की पूर्ववर्ती ख्याति लाने हेतु सरकार की भावी योजनाएं क्या हैं?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा): (क) जी नहीं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश के किसी भी संसाधन को अंतर्राष्ट्रीय सूझबूझ तथा शैक्षिक उत्कृष्टता केंद्र घोषित नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) 25 अक्टूबर 2009 को हुआ-हिन, थाइलैण्ड में आयोजित चौथे पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में संयुक्त प्रेस

वक्तव्य में महाद्वीप पर केन्द्रीत एक गैर-सरकारी, गैर-लाभ अर्जनकारी धर्मनिरपेक्ष तथा स्वशासी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का समर्थन करने की सहमति हुई थी जो एशिया के सभी देशों के सर्वश्रेष्ठ तथा सर्वाधिक समर्पित विद्यार्थियों को मंच पर लगाया। नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 की धारा 2 में यह घोषणा की गई है कि नालंदा विश्वविद्यालय राष्ट्रीय महत्व का एक एक संसाधन है नालंदा समर्थक समूह तथा उसके बाद शासी बोर्ड ने प्रोफेसर अमर्त्य सेन की अध्यक्षता में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्स्थापन के लिए निर्देश प्रदान किए है। कुलपति श्री गोपा सभ्रवाल की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय प्रशासन स्थापित किया जा चुका है तथा इसने कार्य प्रारंभ कर दिया है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट तथा लोगो भी जारी किए जा चुके हैं। चाहदीवारी के निर्माण का कार्य भी शुरु हो चुका है। विजिटर ने विश्वविद्यालय की संविधियों को अनुमोदित कर दिया है। विश्वविद्यालय ने विश्व स्तरीय अभिकल्पन प्रतिस्पर्द्धा पर नजर रखने के लिए एक संचालन समिति नियुक्त की है। अक्तूबर 2011 में बीजिंग में आयोजित शासी बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि इतिहास तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण अध्ययन विद्यालय होंगे। भारत ने इस विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण अंशदान किया है। चीन तथा थाइलैण्ड से भी अंशदान प्राप्त हुए हैं। सिंगापुर आस्ट्रेलिया तथा लाओस ने भी अंशदान करने का वचन दिया है।

नए विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए निर्देश प्रदान करने के लिए इसके समर्थक स्टाफ का मार्गदर्शन करने के लिए नालंदा समर्थक समूह ने जुलाई 2007 से अगस्त 2010 के बीच छह बैठकें की हैं। इसमें विश्वविद्यालय के उद्देश्यों शैक्षिक संरचना तथा प्रशासनिक तंत्र पर चर्चा की गई थी।

(ङ) भावी योजना में नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 के अंतर्गत प्रस्तावित सात विद्यालयों की स्थापना शोध समिति द्वारा इतिहास तथा पारिस्थिकी एवं पर्यावरण विद्यालयों के लिए संकाय का चयन तथा नए विश्वविद्यालय की योजना तैयार करने तथा उसके बाद उसका निर्माण करने के लिए विश्वस्तरीय अभिकल्पना प्रतिस्पर्द्धा आयोजित करना शामिल है।

[अनुवाद]

जीएसएलवी कार्यक्रम की परीक्षा

***216. श्री कालीकेश नारायण सिंह देवः** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 'जियो-सिंक्रॉनस सेटलाइट लांच व्हिकल (जीएसएलवी) कार्यक्रम' की हाल ही में इसके प्रक्षेपण में विफल रहने के दृष्टिगत समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे;

(ग) क्या जीएसएलवी विकास कार्यक्रम निर्धारित समय-सीमा के अनुसार चल रहा है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में निर्धारित समय-सीमा का ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या जीएसएलवी कार्यक्रम का चंद्रयान-2 मिशन पर प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी हां, महोदया अप्रैल 15, 2010 को जीसैट-4 अन्तरिक्षयान का वहन करने वाले जीएसएलवी-डी3 का प्रमोचन असफल रहा। स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण की उड़ान अर्हता प्राप्त करना इस मिशन का मुख्य उद्देश्य था।

दिसम्बर 25, 2010 को जीसैट-5पी अन्तरिक्षयान का वहन करने वाले जीएसएलवी-एफ06 का प्रमोचन असफल रहा। जीएसएलवी-एफ06 में रूस से आयात किये गये क्रायोजेनिक चरण का नियोजन था।

उड़ान आंकड़ों का गहन विश्लेषण करने, विफलता के कारणों का पता लगाने और सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करने के लिए दो स्वतंत्र विफलता विश्लेषण समितियों का गठन किया गया था।

(ख) जीएसएलवी-एफ03 की विफलता विश्लेषण समिति ने निर्णय दिया कि क्रायोजेनिक इंजन के ज्वालन के थोड़ी देर बाद स्वदेशी क्रायोजेनिक के ईंधन बूस्टर टर्बो पंप का अचानक बंद हो जाना मिशन की विफलता का कारण था।

जीएसएलवी-एफ06 की विफलता विश्लेषण समिति ने निर्णय दिया कि रूसी क्रायोजेनिक चरण के निचले भाग में स्थित दस संयोजकों के असामयिक एवं असावधानीपूर्वक बंद हो जाना, इसकी विफलता का मुख्य कारण था।

विफलता विश्लेषण समिति की सिफारिशों के आधार पर, ईंधन बूस्टर टर्बो पंप तथा स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण के निचले ग्रांउड का पुनः डिजाइन किया गया है और उनकी अर्हता जांच की जा रही है।

(ग) जी नहीं, महोदया जीएसएलवी कार्यक्रम के समय में, जुलाई 2006 में जीएसएलवी-एफ02 (रूसी क्रायोजेनिक चरण); अप्रैल 2010 में जीएसएलवी-डी3 (स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण) और दिसम्बर 2010 में जीएसएलवी-एफ06 (रूसी उन्नत क्रायोजेनिक चरण) की अप्रत्याशित विफलता के कारण तथा सितम्बर 2007 में जीएसएलवी-एफ04 (रूसी क्रायोजेनिक चरण) की आंशिक सफलता के कारण संशोधन किया गया है। दो विफलता विश्लेषण समितियों की सिफारिशों को शामिल करते हुए जीएसएलवी-डी-5 की अगली विकासात्मक उड़ान 2012 की तीसरी तिमाही में करने का लक्ष्य है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) जी हां, महोदया।

(च) इसरो वर्ष 2014-15 के समयढांचे में चन्द्रयान-2 के सफल प्रमोचन को सुनिश्चित करने के लिए स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण के साथ जीएसएलवी की दो विकासात्मक उड़ानों का आयोजन करने की योजना बना रहा है।

यूरोपीय संघ उत्सर्जन व्यापार के अंतर्गत विमान

***217. श्री असादूद्दीन ओवेसी:**
श्री नामा नागेश्वर राव:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 27 यूरोपीय देशों में उड़ान भर रहे विमान जनवरी, 2012 से यूरोपीय संघ उत्सर्जन व्यापार प्रणाली के अंतर्गत आ गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका देश में विमान किरायों और विमान कंपनियों पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ग) क्या अनेक देशों/विमान कंपनियों ने उक्त योजना के संबंध में अपनी आपत्तियां व्यक्त की हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने भी इस योजना का विरोध किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) जी, हां।

(ख) जनवरी 2012 से ईयू के किसी भी हवाई अड्डे पर आगमन या प्रस्थान करने वाली सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से होने वाला उत्सर्जन ईयू-ईटीएस के दायरे में आएगा। हालांकि इससे हवाई किराए पर पड़ने वाला संभावित प्रभाव उल्लेखनीय होने की आशा है किन्तु इसका अनुमान नहीं लगाया जा रहा है चूंकि सरकार के इस योजना का विरोध करने के रूख को देखते हुए कोई भी भारतीय विमान वाहक इस वर्ष उत्सर्जनों के संबंध में अपेक्षित परीक्षण आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर रहा है अत: होने वाले प्रभाव का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी हां। भारत सहित कई देशों ने विभिन्न मंचों पर उपरोक्त योजना अपनी आपत्ति जताई है। इन देशों में चीन, अमेरिका, ब्राजील, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, जापान, रूस, सऊदी अरब, नाइजीरिया आदि सम्मिलित हैं।

(घ) और (ङ) 1 जनवरी 2012 से ईयू के किसी हवाई अड्डे के लिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का एकपक्षीय तरीके से शामिल किए जाने की वजह से नागर विमानन मंत्रालय ने नई दिल्ली में 20-30 सितंबर 2011 को आईसीएओ काउंसिल के गैर-ईयू सदस्यों तथा अन्य गैर-ईयू सदस्य देशों की एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक की मेजबानी की थी जिसमें ईयू-ईटीएस का विरोध करने वाला एक संयुक्त घोषणापत्र अंगीकृत किया गया। तत्पश्चात भारत ने अपने नेतृत्व में एक कार्यपत्र संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया, जिसे इकाओ काउंसिल द्वारा अंगीकृत कर लिया गया।

अंतर्राष्ट्रीय विरोध और आईसीएओ के संकल्प के बावजूद, वार्ता के लम्बित रहते इस स्कीम को वापस लेने या निलंबित करने के प्रति ईयू की निरंतर अनिच्छा के कारण 21-22 फरवरी 2012 को मास्को में एक अन्य फालो-अप बैठक आयोजित हुई, जिसमें 32 देशों ने भाग लिया। उपस्थित देशों ने ईयू-ईटीएस पर मास्को घोषणापत्र अंगीकृत किया जिसमें इस बार सभी सरकारों के पास प्रति कार्रवाईयों के रूप में विभिन्न जवाबी उपाय उपलब्ध है। मास्कों धोषणापत्र पर ईयू की प्रतिक्रिया के आधार पर भारत सहित इस घोषणापत्र के सभी हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा और उन अन्य देशों द्वारा भी जो मास्को घोषणापत्र से जुड़ने के इच्छुक हैं, समुचित उपाय किए जाएंगे।

कार्य की आउटसोर्सिंग

***218. श्री बंस गोपाल चौधरी:**
श्री पी. करुणाकरन:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की कोयला कम्पनियों में अनेक क्रियाकलापों/कार्यों की आउटसोर्सिंग की गई है;

(ख) यदि हां, तो कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न सहायक कम्पनियों द्वारा आउटसोर्स कराए गए कार्य के प्रतिशत सहित तत्संबंधी सहायक कंपनी-वार ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) आउटसोर्सिंग के कारण कितने कामगारों का रोजगार नहीं रहा;

(घ) क्या सरकार आउटसोर्सिंग को समाप्त करने अथवा इसे कम करने तथा आउटसोर्सिंग के कारण नौकरी से हाथ धो बैठे कामगारों के पुनर्वास हेतु उपाय कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) कोल इंडिया लि. (सीआईएल) द्वारा आउटसोर्स किए गए कार्यकलापों में मुख्य रूप से इसकी सहायक कंपनियों की कुछ खानों में कोयला उत्पादन और ओवरबर्डन (ओबी) रिमूवल और परिवहन शामिल हैं। वर्ष 2010-11 के दौरान विभागीय साधनों की तुलना में मशीनरी और उपकरणों को किराए पर लेकर सीआईएल में ओपनकास्ट (ओसी) कोयला उत्पादन और ओबी रिमूवल का सहायक-कंपनी-वार ब्यौरा और तत्संबंधी प्रतिशतता नीचे दी गई है:-

कंपनी	उपकरण द्वारा	ओसी कोयला		ओबीआर	प्रतिशत
		वास्तविक (मि.ट. में)	प्रतिशत	वास्तविक (मिलियन घन मी.)	
1	2	3	4	5	6
ईसीएल	विभागीय	17.737	75.7	31.912	56.7
	किराए पर	5.695	24.3	24.337	43.3
	कुल	23.432	1.0	56.249	100
बीसीसीएल	विभागीय	13.983	55.3	29.137	35.0
	किराये पर	11.325	44.7	54.092	65.0
	कुल	25.308	100	83.229	100
सीसीएल	विभागीय	30.598	66.2	39.800	63.7
	किराए पर	15.652	33.8	22.723	36.3
	कुल	46.250	100	62.523	100
एनसीएल	विभागीय	66.253	100.0	100.048	54.9
	किराए पर	0.000	0.0	82.171	45.1
	कुल	66.253	100	182.219	100
डब्लयूसीएल	विभागीय	30.400	87.0	62.407	53.9
	किराए पर	4.544	13.0	53.418	46.1
	कुल	34.944	100	115.825	100

1	2	3	4	5	6
एसईसीएल	विभागीय	9.258	9.7	70.456	51.2
	किराए पर	86.644	90.3	67.111	48.8
	कुल	95.902	100	137.567	100
एमसीएल	विभागीय	12.805	13.1	47.205	53.2
	किराए पर	85.308	86.9	41.499	46.8
	कुल	98.113	100	88.704	100
एनईसी	विभागीय	0.000	0.0	0.000	0.0
	किराए पर	1.098	100.0	5.809	100.6
	कुल	1.098	!00	5.809	100
सीआईएल	विभागीय	181.034	46.3	380.965	52.0
	किराए पर	210.266	53.7	351.160	48.0
	कुल	391.300	100	732.125	100

इन उपकरणों को चलाने के लिए जनशक्ति को किराये पर लिया जाता है ताकि इन उपकरणों को सुचारू ढंग से चलाया जा सके।

(ग) आउटसोर्सिंग के कारण किसी कामगार ने जीविका नहीं खोयी है।

(घ) और (ङ) प्रश्न के भाग (ग) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कर्मचारी विमान अनुपात

***219. श्री हरिन पाठक:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एअर इंडिया में मौजूदा कर्मचारी-विमान अनुपात क्या है;

(ख) क्या यह अनुपात विमान कम्पनियों के प्रचालन नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के संबंध में संतोषजनक माना जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पूरे देश में विमान कम्पनियों की कमी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) एयर इंडिया में विमान-कर्मचारी का अनुपात 258 है।

(ख) और (ग) एक आदर्श विमान और कर्मचारी के अनुपात का कोई अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क नहीं है। कार्य प्रवृत्ति तथा व्यापकता के आधार पर एयरलाइन दर एयरलाइन विमान और कर्मचारी अनुपात भिन्न-भिन्न होते हैं। अधिकतर एयरलाइनों ने अपने कुछ क्रियाकलापों को आउटसोर्स कर दिया है, जबकि एयर इंडिया अपने अधिकतर कार्य इन-हाउस ही करती है। जेट एयरवेज में कर्मचारी-विमान का अनुपात 150, किंगफिशर में 111, स्पाइसजेट में 118, गो एयर में 185 तथा इंडिगों में 102 है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में यह अनुपात और अधिक भिन्न होता है जैसा कि लुफ्तांसा में यह 202, ब्रिटिश एयरवेज में 169, कैथी पेलिकिम एयरवेज में 138, एयर फ्रांस में 408 है।

(घ) से (च) नहीं, देश में एयरलाइन स्टाफ के बारे में किसी भी प्रकार की कमी की रिपोर्ट नहीं की गई है। तथापि, कमांडर वर्ग में पायलटों की कमी है। कमांडर केटेगरी में पायलटों की इस कमी को दूर करने के लिए डीजीसीए ने 2013 तक विदेशी पायलटों को नियुक्त करने की इजाजत दी है। इस बीच एयरलाइनों को सह-पायलटों को प्रशिक्षित करने की उचित व्यवस्था करने को कहा है, जिससे वे कमांडर बनने के लिए न्यूनतम स्तर प्राप्त कर सके।

दूरसंचार लाइसेंसों का रद्द किया जाना

***220. श्री अब्दुल रहमानः** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन दूरसंचार कंपनियों के निवेश का अनुमान लगाया है, जिनके लाइसेंसों को उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द किए जाने के आदेश दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ दूरसंचार कम्पनियों ने केन्द्र सरकार को अपनी धनराशि/निवेश वापिस करने के लिए कहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) कुछ ऐसे दूरसंचार लाइसेंसधारकों, जिनके लाइसेंस रद्द किए जाने के बारे में उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिए हैं, उनके पास अन्य सर्किलों/सेवा क्षेत्र अथवा अन्य लाइसेंसशुदा गतिविधियों के लिए वैध लाइसेंस हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा जिन दूरसंचार कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए जाने के आदेश दिए गए हैं उनके द्वारा किए गए निवेश का कोई विस्तृत अनुमान नहीं लगाया गया है। हालांकि उच्चतम न्यायालय द्वारा जिन कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए जाने के आदेश दिए गए हैं, उनके द्वारा प्रस्तुत की गई वार्षिक सूचना की लेखा-परीक्षा के आधार पर इन कम्पनियों द्वारा कंपनी स्तर पर निवेश संबंधी सूचना (सकल ब्लॉक) निम्नानुसार है:-

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	कंपनी का नाम	दिनांक 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.03.2010 की स्थिति के अनुसार
1.	एलियांज़ इन्फ्राटेक (प्रा.) लि.*	-	-
2.	एटिसलाट डीबी टेलीकॉम प्रा.लि.#	3303.12	2362.61
3.	आइडिया सेलयूलर लि. (स्पाइस कम्युनिकेशन्स सहित)	28938.75	22834.4
4.	लूप टेलीकॉम लि.	1572.62	1460.03
5.	एस टेल प्रा. लि.	779.09	188.37
6.	सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लि.	5255	9635
7.	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	28427.98	20883.93
8.	यूनिटेक वायरलैस (सभी कंपनियां)	6061.3	4354.33
9.	विडियोकॉन टेलीकम्यूनिकेशन्स लि.	4462.39	3246.88

* ट्राई के पास सूचना उपलब्ध नहीं है।

लेखा-परीक्षा नहीं हुई (वर्ष 2010-11)

इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय द्वारा जिन कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए जाने के आदेश दिए गए हैं, उनमें मार्च, 2007 से जनवरी 2012 के दौरान वास्तविक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का अंतः प्रवाह निम्नानुसार है:

क्र.सं.	कंपनी का नाम	एफडीआई (करोड़ रुपए में)
1.	आइडिया सेलुलर लि.	8288 रु.
2.	श्याम टेलीलिंक लि.	1902 रु.
3.	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	1136 रु.
4.	एटिसलाट डी.बी. टेलीकॉम प्रा.लि.	3545 रु.
5.	यूनिटेक वायरलैस (सभी कंपनियां)	6136 रु.

(ग) और (घ) रूस सरकार और नार्वे सरकार ने मामले को इस सरकार के समक्ष रखा है। रूस सरकार ने यह सूचित किया है कि सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लि. (एसएसटीएल) जिसमें वे एक विदेशी निवेशक हैं, ने दूरसंचार क्षेत्र में 3 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक निवेश किया है। एसएसटीएल में एक अन्य विदेशी निवेशक सिस्टेमा जेएसएफसी रूस ने भी सिस्टेमा रूस और भारत के बीच निवेश के विवाद को दिनांक 23 दिसम्बर, 1994 के "निवेशों का संवर्धन और पारस्परिक संरक्षण" (एक करार) जो कि मैत्रीपूर्ण ढंग से दिनांक 05 अगस्त, 1996 को लागू हुआ, के लिए रूसी परिसंघ की सरकार तथा भारत गणराज्य की सरकार के बीच हुए करार के अनुसार समाधान करने का औपचारिक अनुरोध किया है। नार्वे सरकार ने 2जी लाइसेंस रद्द किए जाने के उच्चतम न्यायालय के निर्णय जिसमें, नार्वे की एक कंपनी, टेलीनॉर शामिल है, पर चर्चा करने के लिए पारस्परिक संपर्क का अनुरोध किया हैं

इसके अतिरिक्त, मैसर्स एस.टेल.प्रा.लि. और मैसर्स लूप टेलीकॉम लि. ने भी उनके निवेश को लौटाने के लिए सरकार के समक्ष अभ्यावेदन किया है।

(ङ) सरकार का विचार उच्चतम न्यायालय के निर्णय, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति और सरकार की अन्य नीतियों और संबंधित लाइसेंसों के निबंधन और शर्तों के अनुसार कार्रवाई करने का है।

एन्ट्रिक्स कारपोरेशन को एस-बैन्ड

2301. श्री पी.सी. चाको: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि एन्ट्रिक्स कारपोरेशन को एस-बैन्ड में आरबिट स्लॉट व्यावसायिक कार्यकलाप के लिए प्रदान नहीं किया जाएगा तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने एस-बैन्ड स्पेक्ट्रम के वांछित सार्वजनिक/व्यावसायिक उपयोग पर कोई निर्णय लिया है तथा यदि हां, तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस-बैंड स्पेक्ट्रम के आवंटन पर कोई नीति बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी हां, राष्ट्रीय आवश्यकताओं, जैसे रक्षा, अर्ध सैनिक बल, रेलवे तथा देश की सामरिक आवश्यकताओं के लिए एस-बैण्ड स्पेक्ट्रम के आबंटन की बढ़ती मांग के कारण केन्द्र सरकार ने एन्ट्रिक्स कारपोरेशन को वाणिज्यिक क्रियाकलाप के लिए एस-बैण्ड में कक्षीय स्लॉट प्रदान न करने का निर्णय लिया है।

(ख) जी हां, उपग्रह सेवाएं एस-बैण्ड 2500-2535 मे, ह, 2555-2635 मे.ह. तथा 2655-2690 मे.ह. तका उपयोग करेंगे और भौमिक सेवाएं एस-बैण्ड खण्ड 2535-2555 मे.ह. तथा 2635-2655 मे.ह. का उपयोग करेंगे।

(ग) और (घ) दूरसंचार विभाग द्वारा जारी राष्ट्रीय आवृत्ति आबंटन योजना (एनएफएपी)-2011 के अनुसार उपग्रह आधारित संचार के लिए विनिर्दिष्ट एस-बैण्ड का आबंटन निम्नानुसार है;

2500-2535 मे.ह.,	मोबाइल उपग्रह (अंतरिक्ष से पृथ्वी तक)
2535-2555 मे.ह.,	प्रसारण उपग्रह सेवा। प्रत्येक मामले के आधार पर समन्वय के लिए आइएमटी उपयोग सहित ब्रॉड बैण्ड बेतार की सेवाओं पर विचार किया जाएगा।
2555-2635 मे.ह.,	
2635-2655 मे.ह.,	
2655-2690 मे.ह.,	मोबाइल उपग्रह (पृथ्वी से अंतरिक्ष तक)

आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 में संशोधन का प्रस्ताव

2302. श्री हमदुल्लाह सईद:
श्री एस. पक्कीरप्पा:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में संशोधन करने को कोई प्रस्ताव है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्रस्तावित आर.टी.आई. अधिनियम, में व्यवस्था है कि एक व्यक्ति एक बार में एक ही प्रश्न पूछ सकता है तथा प्रश्न के लिए अधिकतम शब्द-सीमा 250 निर्धारित की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या प्रस्तावित संशोधन के अंतर्गत फीस में वृद्धि करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) आर.टी.आई. जो कि जनता को दिया गया अधिकार है, इसे शक्तिहीन बनाने के क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (च) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में संशोधन का कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

सी.वी.सी. और आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के अधिकार क्षेत्र में केंद्रीय भंडार

2303. श्री सुशील कुमार सिंहः
श्री पूर्णमासी रामः

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भंडार की स्थापना केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और जनता के लिए कल्याणकारी परियोजना के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार में 1963 में की गयी थी तथा सरकार का इस पर व्यापक नियंत्रण है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्रीय भंडार केंद्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) और आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के अधिकार क्षेत्र में है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार के पास केंद्रीय भंडार की 70 प्रतिशत से अधिक शेयर पूंजी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या केंद्रीय भंडार सरकार का जरिया है तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत 'स्टेट' है एवं अनुच्छेद 14 के अंतर्गत संविधान के अध्यधीन है;

(ज) यदि हां, तो क्या संविधान के अनुच्छेद् 16 और भर्ती संबंधी नियमों के उल्लंघन में की गई भर्ती और सेवाओं के नियमितीकरण से संबंधित उच्चतम न्यायालय के निर्णय केंद्रीय भंडार पर भी लागू हैं; और

(झ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) जी हां, केंद्रीय भंडार केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और सामान्य रूप से जनता के लाभ हेतु एक कल्याणकारी परियोजना के रूप में संघीय मंत्रिमंडलीय निर्णय के अनुसरण में 1963 में गठित किया गया था। यह एम.एस.सी.एस. अधिनियम, 2002 के प्रावधानों और केंद्रीय भंडार के उपनियमों में समाविष्ट प्रावधान द्वारा शासित एक बहु-राज्ययीय सहकारी समिति है। केंद्रीय भंडार के कार्यों का प्रबंधन एक बोर्ड द्वारा किया जाता है जिसमें एक अध्यक्ष, प्रतिनिधियों में से चुने गए 9 निदेशक तथा सरकार द्वारा नामित 3 निदेशक होते हैं। केंद्रीय भंडार के दैनंदिन के कार्यों में सरकार का कोई गहरा और व्यापक नियंत्रण नहीं है।

(ग) और (घ) जी, हां।

(ङ) और (च) जी, हां सरकार केंद्रीय भंडार में 75 प्रतिशत से अधिक अर्थात् 68.18 लाख रुपए की शेयर पूंजी की धारक है।

(छ) से (झ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाएगा।

[हिन्दी]

आरक्षण के लाभ

2304. श्री यशवंत लागुरीः
श्री लक्ष्मण टुडुः

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का लाभ जरूरतमंद लोगों को नहीं मिल रहा है क्योंकि यह कुछ लोगों तक सीमित हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या यह सच है कि राजस्थान की एक अनुसूचित जनजाति होने का लाभ ले रही है और भारत की शेष जनजातियों ऐसे लाभों से वंचित हैं; और

(घ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरक्षण का लाभ केवल जरूरतमंद लोगों को दिया जाए इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है एवं उक्त कार्रवाई का परिणाम क्या रहा?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार के पदों और सेवाओं में 7.5% की दर से आरक्षण समय-समय पर जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रपति के आदेशों में शामिल सभी अनुसूचित जनजातियों को उपलब्ध कराना जारी है।

केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के बारे में जनजाति-वार आंकड़े केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं।

राष्ट्रपति के आदेशों में सम्मिलित सभी जनजातियों आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए समान रूप से पात्र हैं।

[अनुवाद]

प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी

2305. श्री सी.आर. पाटिल: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्ष के दौरान केंद्र सरकार के उन अधिकारियों की संख्या क्या है जो अन्य संगठनों में प्रतिनियुक्ति पर गए हैं/नियुक्त हुए हैं;

(ख) क्या कुछ अधिकारी प्रतिनियुक्ति/नियुक्ति पर होते हुए अपने सामान्य पद पर अपनी मूल सेवा से कार्यमुक्त होने के बजाय उच्च पदों से सेवानिवृत्ति हुए हैं इसलिए वे उच्च पेंशन लाभ के हकदार हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसी सेवानिवृत्तियों से राजकोष को वित्तीय हानि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो हानि की भरपाई करने और भविष्य में ऐसी हानि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) चूंकि केन्द्र सरकार के अधिकारी अपने मूल संवर्ग से प्रतिनियुक्ति पर जाते हैं, इस तरह की कोई सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है।

(ख) केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 33 के अनुसार सरकारी सेवकों की पेंशन की गणना उनकी अंतिम परिलब्धियों के आधार पर की जाती है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज

2306. श्री एस.एस. रामासुब्बू: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में प्रत्येक राज्य के एक जिले में सावभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रति परिवार इसकी अनुमानित लागत क्या है एवं केन्द्र और राज्य के बीच लागत हिस्सेदारी का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कार्यक्रम को पूरे देश में लागू करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ङ) 12वीं योजना हेतु स्वास्थ्य संबंधी संचालन समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि "12वीं योजना के प्रथम वर्ष में प्रत्येक राज्य व संघ राज्य क्षेत्र के एक जिले में" कैशलेस व पोर्टेबल सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (एूएचसी) शुरू की जानी चाहिए और तत्पश्चात् धीरे-धीरे इसका विस्तार करना चाहिए। सार्वभौमिक स्वास्थ्य, अस्पतालों व औषधालयों के संचालन के प्रावधान हेतु प्रत्यक्ष उत्तरदायी होने के कारण राज्य सरकारों को 12वीं योजना की समाप्ति तक देश के सभी लोगों तक (यूएचसी) का विस्तार करने में केन्द्र सरकार के सहयोग की आवश्यकता होगी। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएससी) का वित्तपोषण केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा 85:15 के आधार पर शेयर किया जाना चाहिए। राज्यों को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के पश्चात् राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीआई) के समान स्कीम सहित अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के माधयम से केन्द्रीय सहायता दी जानी चाहिए। चूंकि एनआरएचएम में कुछ लाभार्थी उन्मुख घटक पहले से शामिल है जिसकी यूएससी के साथ अतिव्याप्ति है अत: यूएचसी के लिए एनआरएचएम परिव्यय के पुन: आवंटन का कुछ भाग बजट स्तर पर ही निर्धारित कर दी जानी चाहिए। यूएचसी हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इनके योजना व गैर-योजना बजट में मेडिकल व सार्वजनिक स्वास्थ्य का शेयर कम से कम पिछले तीन वर्षों के लिए औसत रूप से बरकरार रखा जाए"

निधियों का अन्यत्र उपयोग

2307. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनन्य कार्यक्रमों और नीतियों के लिए विशिष्ट रूप से निर्धारित निधियों के अतिरिक्त व्यय और इनके अन्यत्र उपयोग के प्रभाव का ब्यौरा मांगा है;

(ख) यदि हां, तो ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तत्संबंधी वर्ष-वार, राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक कार्यक्रम और नीति के अंतर्गत उल्लंघन और निधियों के अन्यत्र उपयोग के मामले में अभी तक क्या कार्रवाई की गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) किसी भी कार्यक्रम की निधि के अन्यत्र उपयोग संबंधी सूचना प्राप्त होते ही, संबंधित मंत्रालय राज्य सरकार की संबंधित एजेंसी/विभाग से उसका ब्यौरा मंगाता है। साथ ही, केन्द्रीय मंत्रालय राज्यों से उपयोगिता प्रमाण पत्र लेकर भी निधियों के उपयोग पर नजर रखते हैं तथा इन्हीं प्रमाण पत्रों के आधार पर बाद में निधियों जारी की जाती हैं। इससे निधियों के विचलन पर अतिरिक्त नजर रखी जाती है। इसके अलावा, केन्द्रीय मंत्रालय विभिन्न कार्यक्रमों के लिए ट्रेजरी अथवा प्रत्यक्ष अंतरण के माध्यम से राज्यों को योजना निधि जारी करते हैं। राज्यों को प्रत्येक कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों में उल्लिखित अनुसार अपना हिस्सा भी देना होता है। कार्यक्रमों पर हुए कुल व्यय (राज्यों की हिस्सेदारी सहित) की नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्टें संबंधित राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाती हैं और यदि परीक्षा रिपोर्टों में निधियों का अन्यत्र उपयोग किए जाने का उल्लेख हो, तो राज्य विधानमंडल की लोक लेखा समिति उसकी जांच करती है।

[हिन्दी]

कर्मचारियों के विरूद्ध शिकायतें

2308. श्री मकनसिंह सोलंकी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के विभिन्न विभागों के उन अधिकारियों/कर्मचारियों का ब्यौरा है जिनके विरूद्ध केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में आज तक शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) उन अधिकारियों/कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है जिनके कार्यालयों/घरों पर उक्त शिकायतों के आधार पर छापे मारे गये हैं तथा ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या क्या है जिनके विरुद्ध जांच शुरु की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री.वी. नारायणसामी): (क) और (ख) शिकायतों के बारे में आंकड़े केंद्रीकृत रूप से नहीं रखे जाते है। राज्य सरकार के अधिकारियों के विरूद्ध शिकायतें आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित प्राधिकारी को अग्रेषित की जाती हैं।

जहा तक केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का संबंध है, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में प्राप्त शिकायतों के आधार पर मध्य प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध वर्ष 2009 से (29.2.2012 तक) 3 मामले दर्ज किए गए हैं छापों से संबंधित आकड़े केंद्रीकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं। इन मामलों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

मध्य प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज मामले

क्र.सं.	मामला संख्या और दर्ज करने की तारीख	संदेहास्पद अधिकारियों के नाम पदनाम सहित	मामले का स्वरूप	मामले की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
		2009		
1.	आर.सी	देवेन्द्र, वर्मा, लिपिक	ट्रैप मामला	चूंकि यह मामला राज्य पुलिस के अधिकार

1	2	3	4	5
	0082009,0013 दिनांक 28.07.2009	कर्मचारी राज्य बैंक सेवाएं अस्पताल जिला उज्जैन		क्षेत्र में आता है। अत: इसे केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा पुलिस अधीक्षक उज्जैन को अंतरिक्ष कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक उज्जैन ने नए सिरे से दिनांक 18.08.2009 का प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 339/2009 की। इस मामलें में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दायर, मामला बंद करने की रिपोर्ट को विशेष न्यायाधीश इंदौर द्वारा दिनांक 12.10.2009 को स्वीकार कर लिया गया।
2.	आर.सी 0092009ए0010 दिनांक 29.07.2009	1. श्री सूरज शाखा प्रबंधक सैट्रल बैंक ऑफ इण्डिया बारकोड़ा शाखा जिला शहडोल मध्य प्रदेश 2. श्री हनुमान प्रसाद तिवारी संविदा शिक्षक प्राईमरी स्कूल धारराटौला, जिला शहडौल मध्य प्रदेश।	ट्रैप मामला (केन्द्र सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी के विरूद्ध मामला, तथापि राज्य सरकार के कर्मचारी भी लिप्त थे।	सुनवाई चल रही है।
3.	आर.सी 0092009ए0016 दिनांक 15.12.2009	1. श्री एस.के बधेल शाखा प्रबंधक इलाहाबाद बैंक सिंगोढ़ी शाखा छिंदवाडा मध्य प्रदेश। 2. श्री एस.के. पाटिल, अधिकारी इलाहाबाद बैंक, सिंगोढ़ी शाखा छिदवाड़ा, मध्य प्रदेश 3. श्री निर्भय चंद्रवंशी अध्यापक ग्रेड-।। (तिदर्थ) निवासी गांव भजीया तहसील अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश	ट्रैप मामला (केन्द्र सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी के विरूद्ध मामला तथापि राज्य सरकार के कर्मचारी भी लिप्त थे)	सुनवाई चल रही है।

[अनुवाद]

इलेक्ट्रॉनिक पहुंच संबंधी नीति

2309. श्रीमती श्रुति चौधरी: क्या संचार और सूचना प्रौधेगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सूचना और संचार प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में बाधाओं को हटाने के उद्देश्य से और विक्लांग लागों को उत्पादों और सेवाओं की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पहुंच संबंधी कोई राष्ट्रीय नीति बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्यों और विशेषज्ञों का इस संबंध में क्या विचार है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य विकास मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सरकार ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में उत्पादों और सेवाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक अभिगम्यता पर मसौदा नीति तैयार की है जिसमें शिक्षण, मानदण्ड, अनुसंधान और विकास शामिल है। यह नीति औद्योगिक संघों और क्षेत्रों के विशेषज्ञों के परामर्श से तैयार की गई है। मसौदा नीति सार्वजनिक टिप्पणी के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर जुलाई, 2010 से जनवरी, 2011 की अवधि के दौरान उपलब्ध कराई गई। केन्द्रीय मंत्रालयों को भी जानकारी देने के लिए कहा गया। मसौदा नीति में प्राप्त टिप्पणियों और जानकारी के आधार पर और आगे संशोधन किया जा रहा है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय

2310. डॉ. कृपारानी किल्ली: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) चल रहे हैं तथा इसमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी छात्राएं अध्ययन कर रही हैं;

(ख) देश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को खोलने के क्या मानदंड हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में केजीबीवी खोलने के लिए कितने प्रस्ताव प्राप्त/स्वीकृत हुए हैं तथा निकट भविष्य में ऐसे कितने विद्यालय खोले जाने की संभावना है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान उक्त योजना के लिए आवंटित निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन विद्यालयों के कार्यकरण का कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) नए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोलने के लिए प्राप्त/संस्वीकृत प्रस्तावों की संख्या, देश में कार्यरत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की संख्या और उनमें पढ़ रहे छात्रों की संख्या तथा पिछले तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस योजना के लिए आबंटित निधियों के राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

2001 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत से कम ग्रामीण महिला साक्षरता वाले शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले जा सकते हैं।

(ङ) और (च) जी, हां। महोदया कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर दो अध्ययन किए गए हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश तथा उड़ीसा इन 12 राज्यों में 29 जनवरी से 20 फरवरी, 2007 के बीच कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का एक राष्ट्रीय मूल्यांकन किया गया था जिसमें बालिका शिक्षा के 12 स्वतंत्र विशेषज्ञ शामिल हैं। असम, मणिपुर, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, मेघालय, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा तथा दादरा और नगर हवेली राज्यों में 19 नवंबर से 14 दिसंबर, 2007 के बीच कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का एक अन्य राष्ट्रीय मूल्यांकन किया गया था। मूल्यांकन में पता चला कि योजना को उच्च वरीयता दी गई है तथा समुदाय द्वारा इसका स्वागत किया गया है। सभी राज्य सरकारों ने छात्रों की सुरक्षा और रक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। अधिकांश कस्तूरबा गाधी बालिका विद्यालयों में स्थानीय समुदाय सक्रिया सकारात्मक भूमिका निभाता हुआ प्रतीत होता है। अध्यापकों तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के प्रबंधन में शामिल सभी व्यक्तियों ने उच्च स्तर की वचनबद्धता का प्रदर्शन किया है। तथापि, सभी राज्यों में लैंगिक मुद्दों पर कार्यकर्ताओं को संवेदी बनाने के लिए प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। अल्पसंख्यक समुदायों तथा अन्य अत्यंत वंचित सामाजिक समूहों से संबंधित बालिकाओं तक पहुंच के लिए अपेक्षाकृत अधिक प्रयास की आवश्यकता है।

विवरण

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हेतु प्राप्त प्रस्ताव, स्वीकृत प्रस्ताव, संचालित विद्यालय तथा आबंटित धनराशि का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	प्राप्त प्रस्ताव				संस्वीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित, बालिकाएं नामांकित			आबंटित निधियां			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	स्वीकृत क.गां. बा.वि.	क.गां. बा.वि. संचालित	बालिका नामांकित	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	53	0	348	0	743	743	94244	20380.1	12021.8	14964.2	83557.7
2.	अरुणाचल प्रदेश	11	0	12	0	48	48	4800	2081.32	1021.95	1201.83	1522.11
3.	असम	11	0	11	20	57	37	2000	1228.73	1063.60	848.71	1604.86
4.	बिहार	39	0	146	0	535	458	42360	22434.2	12785.2	14811.5	24518.6
5.	छत्तीसगढ़	9	0	0	0	93	93	9277	2841.03	2359.05	2785.21	2652.52
6.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	1	1	50	76.27	71.47	37.56	35.22
7.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	48.73	0.00	0.00	0.00
8.	गुजरात	11	0	23	0	86	86	6232	3131.98	2755.39	2666.36	6036.30
9.	हरियाणा	0	0	27	0	36	9	1466	380.84	324.12	450.88	4187.29
10.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	10	10	430	158.60	142.60	147.20	139.50
11.	जम्मू और कश्मीर	28	0	20	0	99	95	5228	5644.53	4001.35	4360.48	4927.33
12.	झारखंड	11	0	5	0	203	203	20526	7205.35	6712.66	6464.48	5933.89
13.	कर्नाटक	3	0	7	0	71	64	6866	1218.86	2332.00	1928.69	2418.82
14.	मध्य प्रदेश	15	0	6	1	207	207	26898	8669.78	8162.93	6892.25	15083.1
15.	महाराष्ट्र	0	0	7	0	43	43	4159	2609.72	2455.92	1497.05	2072.65
16.	मणिपुर	0	0	4	0	5	5	380	34.32	25.47	83.24	162.55
17.	मेघालय	1	0	0	8	10	2	102	77.48	77.48	80.55	278.60
18.	मिजोरम	0	0	0	0	1	1	100	25.47	25.47	28.02	27.27
19.	नागालैंड	2	0	9	0	11	11	1100	97.45	96.94	172.18	1914.86
20.	ओडिशा	43	0	25	0	182	182	16819	5140.89	4454.66	6256.26	7191.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.	पंजाब	1	0	19	0	22	11	546	70.03	31.94	406.79	2089.89
22.	राजस्थान	14	0	0	0	200	200	17402	6297.81	5985.69	5894.03	6284.55
23.	सिक्किम	0	0	0	1	1	1	202	0.00	0.00	0.00	479.001
24.	तमिलनाडु	1	0	7	0	61	61	4474	1292.72	1189.71	1793.68	1969.25
25.	त्रिपुरा	0	0	1	1	9	9	800	91.35	91.32	249.15	373.92
26.	उत्तर प्रदेश	131	0	292	0	746	746	61087	29090.13	23343.61	19929.88	43864.38
27.	उत्तराखंड	1	0	2	0	28	28	1231	975.08	585.91	435.91	716.57
28.	पश्चिम बंगाल	5	0	28	0	92	85	6446	1377.07	1559.80	2838.96	3624.56
	कुल	390	0	999	31	3600	3439	335225	122679.9	93726.88	97225.18	223666.5

[हिन्दी]

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान

2311. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्थान-वार/राज्य-वार कितने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कार्य कर रहे हैं;

(ख) वर्तमान में इन संस्थानों में संस्थान-वार कुल कितनी सीटें हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों में सरकार निजी भागीदारी के आधार पर ऐसे और अधिक संस्थान खोलने का है; और

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ स्थान-वार/राज्य-वार कितना आवंटन किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) देश में केन्द्र द्वारा वित्तपोषित चार (4) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) कार्य कर रहे है। इन संस्थानों का अवस्थितिवार, राज्यवार ब्यौरा तथा वर्तमान में सीटों की कुल संख्या इस प्रकार है:

क्र.सं.	संस्थान का नाम	स्थान	राज्य	वर्तमान में सीटों की कुल संख्या
1.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	751
2.	पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा-भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन एवं विनिर्माण संस्थान जबलपुर	जबलपुर	मध्य प्रदेश	381
3.	अटल बिहारी वाजपेयी-भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंध संस्थान ग्वालियर	ग्वालियर	मध्य प्रदेश	274
4.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन एवं विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम	कांचीपुरम	तमिलनाडु	302

(ग) और (घ) सरकार द्वारा प्रत्येक आईआईआईटी के लिए 128,00 करोड़ रूपए की पूंजीगत लागत से सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल में 20 नए आईआईटीआईटी स्थापित करने की एक योजना अनुमोदित की गई है जिसकी लागत का अंशदान केन्द्र सरकार राज्य सरकार तथा उद्योग जगत द्वारा क्रमश: 50:35:15 के अनुपात में (पूर्वोत्तर क्षेत्र के मामले में 57,5:35:7.5) किया जाना है। संबंधित राज्य सरकार 50-100 एकड़ भूमि नि:शुलक प्रदान करेगी और आरंभ में ये नए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत सोसायटियों के रूप में पंजीकृत होगे। फिलहाल इस योजना के अंतर्गत कोई नया भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित नही किया गया अत: इस प्रयोजनार्थ कोई स्थानवार/राज्यवार विशिष्ट आबंटन नही किया है।

कांट्रेक्ट/गेस्ट शिक्षकों की सेवा

2312. श्री भूपेन्द्र सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हरिसिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय में कांट्रेक्ट/गेस्ट शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है;

(ग) क्या इस विश्वविद्यालय में कांट्रेक्ट/गेस्ट शिक्षकों की सेवाओं को समाप्त करने के विरूद्ध रोष है;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त कांट्रेक्ट/गेस्ट शिक्षकों, जिनकी सेवा समाप्त कर दी गई है की पुनर्नियुक्ति के लिए कोई ज्ञापन प्राप्त हुए हैं;

(च) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) डा. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि विश्वविद्यालय के कांट्रेक्ट/गेस्ट शिक्षकों कर सेवाएं दिनांक 01.04.2010 को समाप्त होनी थी। उपर्युक्त अवधि के सामाप्त होने से पहले ही शिक्षकों ने माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में रिट याचिकाएं दायर कर दी। रिट याचिकाएं अन्तत: सुनी गई थीं और दिनांक 09.09.2010 के एक सामान्य आदेश द्वारा एकल न्यायाधीश द्वारा रद्द कर दी गई। रिट याचिकाओं के रद्द होने पर कान्ट्रेक्ट शिक्षकों को विश्वविद्यालय द्वारा हटा दिया गया था।

(ग) से (छ) इस निर्णय से असंतुष्ट शिक्षकों ने उच्च न्यायालय जबलपुर की डिवीजन बैंच के सम्मुख रिट दायर की है। उन्होंने अपने को सेवा में बनाए रखने के लिए सरकार को भी प्रतिवेदन दिया जिसे उचित कार्रवाई हेतु विश्वविद्यालय को भेजा गया था। केन्द्रीय विश्वविद्यालय संसद के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित स्वायत्त निकाय है जो उसके तहत बनाए गए संबंधित अधिनियमों और संविधियों तथा अध्यादेशों द्वारा शासित होते हैं। चूंकि यह मामला न्यायालय में है अन्य कार्रवाई यदि कोई हो तो वह उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लेने के बाद ही विश्वविद्यालय द्वारा की जा सकती है। ऐसे मामलों में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है।

[अनुवाद]

परिवार की परिभाषा

2313. श्री रूद्रमाधव राय: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी कर्मचारियों को केन्द्र में चिकित्सा और एल. टी.सी. सुविधा प्रदान करने के लिए 'परिवार' शब्द की परिभाषा क्या है;

(ख) क्या ऐसा एयर इंडिया और अन्य सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों पर लागू है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) छुट्टी यात्रा सुविधा प्रदान करने के लिए सरकारी और सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के बीच एकरूपता लाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) सरकारी कर्मचारियों को चिकित्सा एवं एलटीसी प्रदान करने के लिए परिवार की परिभाषा संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) केन्द्रीय सरकार के नियम केवल केन्द्रीय सरकार के सेवकों के लिए ही लागू होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के सेवक नहीं होते हैं तथा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों द्वारा स्वयं के अधिकारों के तहत निर्मित नियमावली एवं विनियमों से शासित होते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

परिवार की परिभाषा

1. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस):

परिवार में सरकारी सेवक की पत्नी या पति, जैसा भी मामला हो, बच्चे एवं सौतेले बच्चे तथा माता-पिता, जो संबंधित सेवक पर पूर्णत: आश्रित हों एवं उनके साथ रह रहे हों, सम्मिलित होंगे।

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में, माता-पिता बहनें, विधवा बहनें, विधवा बेटियां, अवयस्क भाई एवं बच्चों को सरकारी सेवक पर आश्रित तभी समझा जाएगा यदि वे उनके साथ रह रहे हों तथा पेंशन एवं मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान (डीसीआरजी) अनुलाभ के समकक्ष पेंशन सहित स्रोतों से उनकी आय 3500/- रु+महंगाई भत्ता प्रतिमाह से कम है।

19 जनवरी, 2012 से परिवार की परिभाषा को विधवा/पृथक हुई बेटियों, जो सीजीएचएस लाभभोगी पर आश्रित हैं, के अवयस्क बच्चों को शामिल करने के लिए बढ़ाया गया है। सीजीएचएस चिकित्सा सुविधाओं के लिए पात्र होने के प्रयोजनार्थ आश्रितों की ऊपरी-आयु सीमा, उनकी वयस्क होने की आयु, 18 वर्ष होगी। वे सामान्यतया सरकारी सेवक/पेंशनभोगी के साथ रह रहे होने चाहिएं।

2. अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) के लिए:

(i) सरकारी सेवक की पत्नी या पति, जैसा भी मामला हो, तथा दो जीवित अविवाहित बच्चे या सौतेले बच्चे, जो पूर्णत: सरकारी सेवक पर आश्रित हों इस पर विचार किए बिना कि चाहे वे सरकारी सेवक के साथ रह रहे हैं या नहीं।

(ii) विवाहित बेटियां जिनका तलाक हो चुका है, उनके पतियों ने त्याग दिया है या पृथ्क हैं तथा विधवा बेटियां तथा सरकारी सेवक के साथ रह रही हैं तथा पूर्णत: सरकारी सेवक पर आश्रित हैं;

(iii) अविवाहित अवयस्क भाइयों के साथ-साथ अविवाहित, तलाकशुदा, परित्यक्त, अपने पतियों से पृथक हुई विधवा बहनें जो सरकारी सेवक के साथ रह रही हैं तथा पूर्णत: उन पर आश्रित हैं, बशर्ते कि उनके माता-पिता जो जीवित नहीं हों या वे स्वयं भी सरकारी सेवक पर पूर्णत: आश्रित हों

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसारण में, माता-पिता तथा/या सौतेले माता-पिता को (सौतेले माता एवं सौतेले पिता) पूर्णत: सरकारी कर्मचारियों पर आश्रित हैं इस पर विचार किए बिना कि चाहे वे सरकारी कर्मचारी के साथ रह रहे हैं या नहीं, परिवार की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है।

आश्रितता की परिभाषा को केन्द्रीय सरकार में निर्धारित न्यूनतम पारिवारिक पेंशन एवं उस पर मंहगाई राहत से जोड़ा जाएगा। विवाहित/तलाकशुदा/अलग हुई/विधवा बेटियों सहित परिवार में सम्मिलित अन्य रिश्तों के संबंध में वर्तमान शर्तें बिना किसी परिवर्तन के जारी रहेंगे।

[हिन्दी]

पदोन्नति के लिए प्रक्रिया

2314. श्री प्रेमदास:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी सेवाओं में पदोन्नति संबंधी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महिलाओं को विभिन्न प्रकार के अपमानों और शोषणों से बचाने के लिए अधिक प्रभावी नीति जाने की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त नीति की कोई रूपरेखा तैयार की गई है या तैयार किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) पदोन्नति संबंधित पदों के भर्ती नियमों के प्रावधान जो पारदर्शी और निष्पक्ष है द्वारा की जाती है। पदोन्नति के लिए कर्मचारियों की उपयुक्तता के बारे में सिफारिश करने के लिए गठित विभागीय पदोन्नति समिति, इस विषय पर मौजूद अनुदेशों जो कि पारदर्शी और निष्पक्ष है, द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करती है।

(ग) से (ङ) उच्चतम न्यायालय में विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान सरकार के मामले में कार्यस्थान पर महिलाओं का यौन

उत्पीड़न रोकने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए और इन दिशा-निर्देशों को केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली 1964 और केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 में समाविष्ट कर लिया गया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर विस्तृत अनुदेश जारी किए गए है। सरकारी संगठनों में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत की जांच पड़ताल के लिए मंत्रालयों/विभागों और संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में शिकायत समितियां गठित की गई हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने भी गैर-सरकारी क्षेत्रों और असंगठित क्षेत्रों सहित सभी कार्य स्थलों पर इस तरह के उत्पीड़न को रोकने के लिए संसद में इस मुद्दे पर एक व्यापक विधेयक पुर:स्थापित किया है।

[अनुवाद]

विद्यालय न जाने वाले बच्चे

2315. श्री हरिभाऊ जावले: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूनीसेफ की रिपोर्ट में यह इंगित किया गया है कि आधे भारतीय बच्चे प्राथमिक विद्यालयों में नहीं जाते;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस संबंध में रिपोर्ट के निष्कर्ष सरकार के दावे के विपरीत है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में लड़कों और लड़कियों के शत-प्रतिशत नामांकन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जी, नहीं। यूनिसेफ का ऐसा कोई आधिकारिक प्रकाशन अथवा रिपोर्ट नहीं है जो यह बताता हो कि आधे भारतीय बच्चे प्राथमिक स्कूलों में नहीं जाते।

(ग) से (ङ) मानव संसाधान विकास मंत्रालय की ओर से 2009 में आईएमआरबी इंटरनेशनल की एक इकाई सामाजिक एवं ग्रामीण अनुसंधान संस्थान द्वारा किए गए एक स्वतंत्र नमूना सर्वेक्षण के अनुसार 6-13 आयुवर्ग में बच्चों की अनुमानित संख्या 19.5 करोड़ है। इसमें से देश में स्कूल बाह्य बच्चों की संख्या 81.5 लाख थी। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में यह प्रावधान है कि 6-14 आयुवर्ग में प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश लेने, उपस्थित रहने और उसे पूरा करने का अधिकार है। सर्व शिक्षा अभियान के मानदंडों को शिक्षा का अधिकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप बनाने के लिए संशोधित किया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का कार्यान्वयन करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान में अन्य बातों के साथ-साथ नए स्कूल खोलने, अतिरिक्त शिक्षण कक्षों, अध्यापकों, नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकों तथा वर्दियों, स्कूल बाह्य बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों का प्रावधान है।

कोयले की उपलब्धता

2316. श्री नृपेन्द्र नाथ राय:
श्री नरहरि महतो:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 'कोल टेकिंग थिकनेस ऑफ बेड' की उपलब्धता को आधार मानते हुए कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मोटाइ-वार और राज्य-वार देश में कोयला भण्डारों का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) द्वारा अपनाए गए भण्डार अनुमान की पद्धति के अनुसार न्यूनतम 0.90 मी. की मोटाई वाली कोयला सीमों/जोनों के अन्वेषण पूरा हो जाने के पश्चात् संसाधन मूल्यांकन पर विचार किया जाता है। कोकिंग ओर उच्च ग्रेड के नान-कोकिंग कोयला के मामले में संसाधन आकलन के लिए 0.90 मी. से कम मोटाई वाली कोयला सीमों/जोनों पर विचार किया जाता है। इसी प्रकार निम्न ग्रेड के नॉन-कोकिंग कोयला के मामले में 1.20 मी. से कम मोटाई वाल कोयला सीमों/जोनों पर विचार किया जाता है।

(ग) जीएसआई द्वारा तैयार की गयी माल सूची के अनुसार सतह से 1200 मी. गहराई में उपलब्ध 0.9 मी. टौर इससे अधिक मोटी कोयला सीमों के लिए 01.04.2011 की स्थिति के अनुसार राज्य-वार भू-वैज्ञानिक कोयला भण्डार नीचे दिया गया है:-

(01.04.2011 की स्थिति के अनुसार) (संसाधन मि.ट. में)

राज्य	प्रमाणित	निर्दिष्ट	अनुमानित (अन्वेषण)	अनुमानित (मानचित्र)	कुल
गोंदवाना कोयला					
पश्चिम बंगाल	11752.54	13131.69	5070.69	0.00	29954.92
झारखंड	39760.73	32591.56	6583.69	0.00	78935.98
बिहार	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00
मध्य प्रदेश	8871.31	12191.72	2062.70	0.00	23125.73
छत्तीसगढ़	12878.99	32390.38	4010.88	0.00	49280.25
उत्तर प्रदेश	866.05	195.75	0.00	0.00	1061.80
महाराष्ट्र	5489.61	3094.29	1949.51	0.00	10533.41
ओडिशा	24491.71	33986.96	10680.21	0.00	69158.88
आंध्र प्रदेश	9296.85	9728.37	3029.36	0.00	22054.58
असम	0.00	2.79	0.00	0.00	2.79
सिक्किम	0.00	58.25	42.98	0.00	101.23
टर्शियरी कोयला					
असम	464.78	42.72	0.50	2.52	510.52
अरुणाचल प्रदेश	31.23	40.11	12.89	6.00	90.23
मेघालय	89.04	16.51	27.58	443.35	576.48
नागालैण्ड	8.76	0.00	8.60	298.05	315.41
सकल जोड़	114001.60	137471.10	33639.59	749.92	285862.21

नोट: इस तालिका में खनित भंडारों को शामिल नहीं किया गया है।

खाली भू-भाग का उपयोग

2317. श्री जोसेफ टोप्पो: क्या संचार और सूचना **प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में डाक विभाग का काफी भू-भाग खाली पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस खाली भू-भाग के व्यावसायिक उपयोग के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) जी, हां।

(ख) उपलब्ध खाली भू-भागों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) सचिवों की समिति की 20.05.2009 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, मॉडल छूट समझौते पर मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए मंत्रिमंडल टिप्पणी के प्रारूप को विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में परिचालित किया गया था। प्रत्युत्तर प्राप्त हो गए हैं। प्राप्त टिप्पणियों की अनुवर्ती के रूप में, सचिव (डाक) की अध्यक्षता में एक अंतरमंत्रालयी दल का गठन किया गया है जो इस मामले पर आगे विचार कर रहा है।

विवरण

31.03.2011 की स्थिति के अनुसार देश में उपलब्ध खाली भू-भागों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	सर्किल का नाम	उपलब्ध भू-भागों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	218
2.	असम	30
3.	बिहार	92
4.	छत्तीसगढ़	5
5.	दिल्ली	18
6.	गुजरात	109
7.	हरियाणा	15
8.	हिमाचल प्रदेश	23
9.	जम्मू और कश्मीर	8
10.	झारखंड	63
11.	कर्नाटक	332
12.	केरल	143
13.	गोवा राज्य सहित महाराष्ट्र	92
14.	मध्य प्रदेश	36
15.	अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम नागालैंड और त्रिपुरा और त्रिपुरा राज्यों सहित पूर्वोत्तर सर्किल	25
16.	ओडिशा	46
17.	पंजाब	19
18.	राजस्थान	196
19.	पुडुचेरी राज्य सहित तमिलनाडु	155
20.	उत्तराखंड	19
21.	उत्तर प्रदेश	67
22.	सिक्किम राज्य सहित पश्चिम बंगाल	91
	सकल योग	1802

उच्च मूल्य पर वस्तुओं की बिक्री

2318. श्री पूर्णमासी राम:
श्री सुशील कुमार सिंह:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भंडार ने यह पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है कि इसके द्वारा बेची जा रही वस्तुओं की कीमतें खुले बाजार में उपलब्ध वस्तुओं की कीमतों से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खरीद नीति, 2003 के अनुसार नई वस्तुओं की शुरूआत से पूर्व बाजार का सर्वेक्षण किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय भंडार के मूल्य अभी भी अधिक होने के क्या कारण हैं तथा खरीद समितियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या संसद सदस्यों से इस संबंध में शिकायतें मिली हैं; और

(च) यदि हां, तो इन शिकायतों की प्रकृति क्या है तथा इन पर अभी तक क्या कार्रवाई की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) जी हां, केन्द्रीय भण्डार, दरों की युक्तिसंगतता को सुनिश्चित करने और मूल्यों को बाजार भाव से सामान्यत: निम्न

स्तर पर रखने के लिए आवधिक रूप से बाजार का सर्वेक्षण करता रहता है।

(ग) जी हां, केन्द्रीय भण्डार में नई मदों को लाने से पूर्व दरों की युक्तिसंगतता को सुनिश्चित करने के लिए, सामान्यतः बाजार सर्वेक्षण किए जाते हैं।

(घ) केंद्रीय भंडार के बिक्री ममूल्य सामान्यतः बाजार मूल्य से निम्नतर या इसके समान होते हैं। कभी-कभार ऐसी कुछ मदें हो सकती हैं जिसमें केंद्रीय भंडार के मूल्य, बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण और उतार-चढ़ाव के दौरान बिक्री किए गए मदों के बैच के मूल्यों में परिवर्तन होने के कारण, खुले बाजार भाव से अधिक हो सकते हैं।

(ङ) और (च) केन्द्रीय भण्डार द्वारा अधिक मूल्य वसूलने के संबंध में, संसद सदस्यों से कुछ संदर्भ प्राप्त हुए हैं। ऐसे सभी संदर्भ को समुचित ढंग से देखा जाता है।

कोयला लिंकेज

2319. श्री बी.वाई. राघवेन्द्र:
श्री शिवराम गौडा:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने कर्नाटक राज्य में गुलबर्गा में नई कोयला आधारित तापीय विद्युत परियोजना के लिये दीर्घकालीन कोयला लिंकेज के आवंटन का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक अवार्ड किये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) से (ग) पावर कंपनी ऑफ कर्नाटक लिमिटेड (पीसीकेएल) ने शुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से जेवारगी, कर्नाटक के गुलबर्ग जिले की उनकी प्रस्तावित 100-1320 मे.वा. विद्युत परियोजना के लिए दीर्घावधि कोयला लिंकेज/आश्वासन पत्र (एलओए) की मांग करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया था। विद्युत मंत्रालय को उनकी टिप्पणियां/सिफारिशों के लिए आवेदन अग्रेषित किया गया था तथा उक्त मंत्रालय को उनकी बातों के साथ-साथ, पीसीकेएल के गुलबर्ग टीपीपी के प्रयोग की सिफारिश की है। प्रक्रिया के अनुसार, ऐसी सिफारिशों को विद्युत स्थायी लिंकेज समिति (दीर्घावधि) (एसएलसी (एलटी)) के समक्ष इसकी बैठक में जब कभी आयोजित हो, विद्युत परियोजनाओं के लिए एलओए के प्राधिकरण पर विचार करने के लिए रखा जाता है। तथापि, चूंकि 80,000 मे.वा. से अधिक लिंकेज/एलओए पहले से मौजूद हैं जिसके विरुद्ध विद्युत परियोजनाएं 12वीं योजना के दौरान संभवतः शुरू होगी, प्रथम दृष्टया लिंकेज/एलओए देने के लिए किसी और विद्युत परियोजनाओं पर विचार करने के संभावना प्रतीत नहीं होती है। इसलिए, उल्लिखित विद्युत पयिोजना को दीर्घावधि कोयला लिंकेज प्रदान करने के लिए किसी समय-सीमा की कल्पना इस स्तर पर नहीं की जा सकती।

हवाई अड्डों पर अग्नि शमन प्रणाली का अभाव

2320. डॉ. पी. वेणुगोपाल: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आग लगाने की घटनाओं से निपटने के लिए देश में अनके हवाई अड्डों पर पर्याप्त अग्नि शमन प्रणाली का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नई दिल्ली में आईजीआई हवाई अड्डे पर बार-बार आग लगने की घटनाएं हो रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) हवाई अड्डों पर पर्याप्त मात्रा में अग्निशमन प्रणाली, यथा आटोमैटिक फायर डिटेक्टर, स्प्रिंकलर सिस्टम, हाइड्रेन्ट सिस्टम, वेट राइजर, फायर पम्प, वातानुकूलन प्रणाली में फायर डैम्पर तथा प्रथम उपचार अग्निशमन उपकरण एवं अग्निशामक उपलब्ध कराए गए हैं।

(ग) वर्ष 2006 में आईजीआई हवाई अड्डे का निजीकरण होने के पश्चात, आग लगने की केवल एक घटना दिनांक 04/05 जनवरी, 2012 को हुई और यह आग आयात कार्गो परिसर के प्रथम तल पर स्थित एयरलाइंस के एक कार्यालय में लगी थी।

(घ) एयरलाइन कार्यालय में शार्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति से बचने के लिए, पूर्णतः संचालनात्मक एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम पहले से ही लगा दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रणालियों की नियमित रूप से जांच तथा आवधिक आधार पर फायर ड्रिल आयोजित करके फायर डिटेक्शन तथा पोटेक्शन प्रणालियों की 100% संचालनात्मकता को सुनिश्चित किया जाता है।

प्रशासनिक सेवाओं का स्तर

2321. श्री अशोक तंवर: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने सेवा प्रदायगी और कार्य निष्पादन के संबंध में भारतीय प्रशासनिक सेवाओं (आई.ए.एस.) के मानक के स्तर में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) क्या सरकार ने नए आई.ए.एस. अधिकारियों को बेहतर तरीके से शासन प्रणाली को समझने और उन्हें वैश्विक परिदृश्य से परिचित कराने हेतु विदेशों में भेजने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को नियमित तैनाती दिए जाने से पूर्व 2 वर्ष का कठिन प्रशिक्षण करना होता है जिसमें 15 सप्ताह का आधारभूत पाठ्यक्रम, 26 सप्ताह का चरण-I 52 सप्ताह का जिला प्रशिक्षण और 10 सप्ताह का चरण-II शामिल है। भारतीय प्रशासनिक ऐवा के अधिकारियों की, उनकी केरिअर के तीन स्तर अर्थात् फील्ड स्तर (7-9 वर्ष) चरण-I नीति-निर्माण स्तर (14-16 वर्ष) चरण-II और अन्तर-क्षेत्रीय नीति-निर्माण और कार्यान्वयन स्तर (28-28 वर्ष) चरण-III, पर 'अगले स्तर की दक्षता' में उन्नयन किढ जाने के उद्देश्य से कॅरिअर से जुड़ा अनिवार्य मध्य कॅरिअर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी कार्यान्वित किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को उनके कार्यकरण से संबद्ध विभिन्न विषयों पर प्रत्येक वर्ष एक सप्ताह के सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाए जाते हैं।

(ख) और (ग) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को भारत एवं विदेश में ख्याति-प्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों में दीर्घावधि प्रशिक्षण (एक वर्ष तक) और लघु अवधि प्रशिक्षण (छह माह तक) के लिए विदेश भेजा जाता है। उन्हें लोक प्रशासन, लोक नीति और प्रबंध तथा उनके मौजूदा और भावी दायित्वों से संगत अन्य विशेषीकृत विषयों के लिए विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आंशिक वित्तीय सहायता भी मुहैया करवाई जाती हैं इसके अलावा मध्य कॅरिअर प्रशिक्षण कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में अधिकारियों को अन्तर-राष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियों को समझने और अन्तर-राष्ट्रीय नीति परिदृश्यों को जानने के लिए विदेश भेजा जाता है।

भारतीय श्रमिकों का शोषण

2322. श्री सुरेश अंगड़ी:
श्री अंजन कुमार एम. यादव:
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को खाड़ी देशों में भारतीय श्रमिकों/ महिलाओं के यौन शोषण और अन्य प्रकार के शोषण की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस संबंध में आज की तिथि तक क्या कार्यवाही की और इसके क्या परिणाम रहे हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) भारतीय मिशनों को भारतीय कामगारों, जिसमें महिला कामगार, विशेषत: नौकरानियां भी शामिल हैं, से वेतन का भुगतान न करने, कार्य की लम्बी अवधि, रहने की प्रतिकूल परिस्थितियां, शारीरिक शोषण, छुट्टी देने या "निकास/पुन: प्रवेश परमिट, अन्तिम निवास वीजा" आदि देने से मना करने संबंधी शिकायतें प्राप्त होती हैं।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जब कभी कोई शिकायत प्राप्त होती है, जो मंत्रालय द्वारा संबंधित भारतीय मिशन को मामले की जांच करने को कहते हुए, कार्रवाई शुरू की जाती है। यदि, आवश्यक हो तो भर्ती एजेंट का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निलम्बित अथवा रद्द करने के लिए कदम उठाए जाते हैं। यदि आवश्यक होता है, तो संबंधित भर्ती एजेंट के विरुद्ध अपेक्षित कानूनी कार्रवाई भी शुरू की जाती है। अवैध एजेंटों के विरुद्ध दायर की गई शिकायतों को राज्य सरकारों को भेजा जाता है। जब कभी किसी विदेशी नियोक्त के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होती है, तो ऐसे नियोक्ता को काली सूची में डालने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ की जाती है। कामगारों के संरक्षण और कल्याण के लिए, भारतीय मिशन भी, इन मामलों को विदेशी नियोक्ताओं/स्थानीय सरकारों के साथ उठाते हैं।

सरकार ने प्रवासी भारतीय कामगारों के कल्याण की सुरक्षा के लिए अनेक पहल की हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं:-

(i) मंत्रालय ने भर्ती एजेंटों (आरएज) के पात्रता मानदण्डों में संशोधन और सुरक्षा राशि एवं सेवा प्रभारों में वृद्धि करते हुए, 9 जुलाई, 2009 को उत्प्रवास (संशोधन) नियम, 2009 अधिसूचित किए हैं।

(ii) संभावित उत्प्रवासियों को, वैध उत्प्रवास प्रक्रिया, अवैध उत्प्रवास के जोखिमों और उत्प्रवास के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में, शिक्षित करने के लिए, मीडिया के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता-यह-प्रचार अभियान चलाया जाता है।

(iii) मंत्रालय ने, कठिनाई में भारतीय कमगारों को मौके पर मदद और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, सभी भारतीय मिशनों में भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ) की स्थापना की है।

(iv) सरकार ने एक प्रवासी कामगार स्रोत केन्द्र (ओडब्ल्यूआरसी) की स्थापना की है, जो संभावित उत्प्रवासियों के साथ-साथ उत्प्रवासियों को उत्प्रवास के सभी रूपों पर प्रमाणिक सूचना प्रदान करने के लिए 8 भाषाओं में एक 24 घंटे की टेलीफोन हैल्पलाईन है।

(v) भारतीय कामगार स्रोत केन्द्र (आईडब्लयूआरसी) भारतीय कामगारों की आपातकालीन आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए दुबई में भी संचालित है।

(vi) भारत ने भारतीय कामगारों के हितों के संरक्षण के लिए 1980 के दशक में जोर्डन और कतर के साथ श्रम करारों पर हस्ताक्षर किए। दिसम्बर, 2006 में संयुक्त अरब अमीरात के साथ, अप्रैल, 2007 में कुवैत के साथ, नवम्बर, 2008 में ओमना के साथ, जनवरी, 2009 में मलेशिया के साथ और जून, 2009 में बहरीन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। नवम्बर, 2007 में भारत और कतर के बीच मौजूदा श्रमिक करार पर एक अतिरिक्त प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया।

(vii) ये समझौता ज्ञापन उत्प्रवास के प्रबंधन और श्रमिकों के कल्याण का संरक्षण करने में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाते हैं। इन समझौता ज्ञापनों के अंतर्गत, संयुक्त कार्यकारी दलों (जेडब्लयूजी) का गठन किया गया है, जो द्विपक्षीय श्रमिक विवादों को हल करने के उद्देश्य के नियमित रूप से बैठकें करते हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने, 17 ईसीआर अधिसूचित देशों में उत्प्रवास करने के लिए, ईसीआर (उत्प्रवास जांच अपेक्षित) श्रेणी वाली महिला कामगारों, की सुरक्षा और कल्याण की रक्षा करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(i) सभी इच्छुक महिला उत्प्रवासियों के सम्बन्ध में 30 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा को अनिवार्य बना दिया गया है।

(ii) इस प्रकार की सभी महिलाओं के सम्बन्ध में भारतीय मिशनों द्वारा रोजगार संविदा को विधिवत सत्यापित कराना चाहिए।

(iii) महिला घरेलू कामगारों को, विदेशी नियोक्ता की पहचान और संविदा के निबन्धन और शर्तों को भारतीय मिशन से सत्यापित करा लेने के बाद ही, उत्प्रवास करने की अनुमति है।

(iv) नियोक्ता द्वारा, प्रत्येक महिला घरेलू कामगार को, प्री-पेड मोबाइल सुविधा प्रदान करती होती है। यदि विदेशी नियोक्ता सीधे ही कामगार की भर्ती करता है तो, उसे भारतीय मिशन के पास 2500 डालर की सुरक्षा राशि जमा कराने की आवश्यकता होती है।

उपरोक्त अनुबंध से यह देखा जा सकता है तो शिकायतों की संख्या कम होने के रुझान पर है।

विवरण

भारतीय मिशनों द्वारा खाड़ी देशों में भारतीय कामगारों/महिलाओं सहित, प्राप्त शिकायतों की संख्या

क्र.सं.	देश	2009	2010	2011	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	बहरीन	1427	1384	1163	3974
2.	कुवैत	3560	4363	2851	10774
3.	ओमान	5221	2225	2889	10335
4.	कतर	2165	3034	3186	8385

1	2	3	4	5	6
5.	दक्षिण अरब				
	रियाद	3826	3139	2330	9295
	जेद्दाह	1480	2111	1326	4917
6.	यू.ए.ई.	-	-	-	9402
	कुल	17679	16256	13745	47680

[हिन्दी]

सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि

2323. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा दूरसंचार प्रचालकों से एकत्रित और उन्हें वितरित निधियों का ब्यौरा क्या है और इन प्रचालकों द्वारा गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान किए गए कार्यों का वर्ष-वार और कंपनी-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यूएसओएफ से दूरसंचार सुविधाएं प्रदान किए गए गांवों का राज्य-वार और प्रचालक-वार ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) से (ग) सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) स्कीम के तहत आरंभ किए गए कार्यो तथा यूएसओएफ निधि के माध्यम से दूरसंचार सुविधा प्राप्त गांवों का ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण I में तथा II में दिया गया है। विगत तीन वर्षो तथा चालू वर्ष के दौरान दूरसंचार प्रचालकों से संग्रहित राशि तथा यूएसओएफ प्रशासक द्वारा इनको संवितरित राज-सहायता का ब्यौरा विवरण III एवं IV के रूप में संलग्न है।

विवरण I

सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) के स्कीम के तहत आरंभ किए गए कार्य

1. गांव स्तर तक वायर लाइन ब्रॉडबैंड संयोजकता के प्रावधान के विस्तार के लिए ग्रामीण ब्रॉडबैंड स्कीम

मौजूदा ग्रामीण एक्सचेंज अवसंरचना और कॉपर वायरलाइन नेटवर्क को स्तरोन्नत करके ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में वायर लाइन ब्रॉडबैंड संयोजकता उपलब्ध कराने के लिए यूएसओएफ ने **ग्रामीण वायरलाईन ब्राडवैंड स्कीम** के अन्तर्गत 20 जनवरी, 2009 को बीएसएनएल के साथ करार पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रत्येक ब्रॉडबैंड कनेक्शन की गति कम से कम 512 के बीपीएस रहेगी।

बीएसनलएल द्वारा इस स्कीम के अंतर्गत 5 वर्ष की अवधि के अंदर अर्थात वर्ष 2014 तक एकल प्रयोक्ताओं तथा सरकारी संस्थानों को 8,88,832 वायरलाइन ब्रॉडबैंड कनेक्शन तथा 28,672 कियोस्क उपलब्ध कराए जाएंगे। इस राजसहायता का संविधान (1) ब्रॉडबैंड कनेक्शन ग्राहक परिसर उपस्कर (सीपीई) कम्प्यूटर/कम्प्यूटिंग उपकरण और (2) ब्रॉडबैंड सेवा की सार्वजनिक अभिगभ्यता के लिए कियोस्कों की स्थापना करने के लिए है। 5 वर्ष की अवधि में अनुमानित राज-सहायता 1500 करोड़ रु. की है जिसमें 9 लाख ब्रॉडबैंड कनेक्शनों ग्राहक परिसर उपस्करों कंम्प्यूटर उपकरणों और कियोस्कों के लिए सब्सिडी भी शामिल है।

दिनांक 29.02.2012 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में कुल 3,52,595 ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान किए गए है तथा 7534 क्योस्क स्थापित किए गए हैं।

2. सामान्य ऑप्टिकल फाइबर केबल अवसंरचना का सृजन

(क) असम सेवा क्षेत्र में अंतर-जिला उपमंडल मुख्यालय-जिला मुख्यालय-ओएफसी नेटवर्क को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क संवर्धन, सर्जन और प्रबंधन

यूएसओएफ ने वायस और डाटा परियात को अभिगम नेटवर्क से ग्रामीण क्षेत्रों में अपने मुख्य नेटवर्क पर समाकलित करने के लिए पर्याप्त बैक-हॉल क्षमता प्रदान करने के मद्देनजर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में ओएफसी नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण के लिए यह स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के तहत आरंभ में जिला मुख्यालय और ब्लाक मुख्यालय के बीच ओएफसी नेटवर्क बिछाने पर विचार किया जाता है। इस स्कीम के माध्यम से यूएसओएफ सब्सिडी सहायता जिले के भीतर उपमंडल मुख्यालय-जिला मुख्यालय ओएफसी नेटवर्क के संवर्द्धन सर्जन और प्रबंधन के लिए इस शर्त पर प्रदान

की जाएगी कि करार में निर्धारित दरों पर इस नेटवर्क को अन्य प्रचालकों के साथ साझा किया जाएगा। इसके क्रियान्वयन के लिए सर्वप्रथम असम राज्य को लिया गया है। असम के लिए निविदा दिनांक 30.10.2009 को प्रारंभ की गई थी और बीएसएनएल को 98.89 करोड़ रू. की सब्सिडी दर पर सफल घोषित किया गया है और तत्पश्चात असम में इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए दिनांक 12.2.2010 को बीएसएनएल के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए गए है।

इस स्कीम के तहत प्राप्त की गई राज-सहायता से तैयार की गई बैंडविड्थ क्षमता को कम से कम 70% तक असम के क्षेत्रों में लाइसेंसधारक सेवा प्रदाताओं द्वारा ट्राई के चालू उच्चतम प्रशुल्कों के 26.22% से कम की दरों पर साझा किया जाएगा। अब तक 354 में से लगभग 177 नोड्स स्थापित कर दिए गए है।

(ख) पूर्वोत्तर सर्किल के सेवा क्षेत्र में अंतरा जिला एसडीएचक्यू-डीएचक्यू ओएफसी नेटवर्क का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क संवर्द्धन सृजन एवं प्रबंधन।

असम में अंतरा जिला एसडीएचक्यू-डीएचक्यू ओएसफसी नेटवर्क संवर्द्धन सृजन एवं प्रबंधन स्कीम की शुरूआत के बाद पूर्वोत्तर सर्किलों (जिसमें मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश एवं नागालैंड राज्य शामिल हैं में क्रियान्वयन हेतु बातचीत की जा रही है। इस संबंध में रेलटेल के साथ 388 करोड़ रु. की सहायता आधार पर पूर्वोत्तर-1 (मेघालय के मिजोरम एवं त्रिपुरा) के लिए 89.50 करोड़ रु. की सहायता के आधार पर करार किए गए हैं।

इस स्कीम के तहत सृजित राजसहायता प्राप्त बैंडविड्थ क्षमता के कम 70% की साझेदारी पूर्वोत्तर-I क्षेत्र में ट्राई के विद्यमान अधिकतम निर्धारित प्रशुलकों के अधिकतम 12% की दरों पर तथा पूर्वोत्तर-II क्षेत्र में ट्राई के विद्यमान अधिकतम निर्धारित प्रशुल्कों के अधिक से अधिक 27% पर की जाएगी। इस ओएफसी स्कीम से पूर्वोत्तर क्षेत्र-I के 19 जिलों में 188 नोड एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र-II के 30 जिलों में 407 नोड स्थापित किए जाएंगे।

(ग) राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन): आप्टिकल फाइबर का विस्तार फिलहाल मुख्यत: राज्य की राजधानियों जिला और ब्लाकों मुख्यालयों तक होगा है तथा देश देश के सभी 2,50,000 ग्राम पंचायतों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात बीएसएनएल रेलटेल तथा पावर ग्रिड के मौजूदा फाइबरों का उपयोग करते हुए ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से जोड़ने तथा संवर्द्धनात्मक फाइबर बिछाने जहां आवश्यक हो की योजना है। संवर्द्धनात्मक नेटवर्क का आकार लगभग 0.5 मिलियन कि.मी. है इस तरह सृजित डार्क फाइबर नेटवर्क को उपयुक्त प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रकाशित किया जाएगा तथा इस तरह ग्राम पंचायतों के स्तर पर पर्याप्त बैंडविड्थ का सृजन किया जा सकेगा। इसे राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क कहा जाएगा। इस तरह ग्राम पंचायतों और प्रखण्डों के बीच मौजूदा संपर्कता अंतराल को पूरा कर लिया जाएगा। सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को नेटवर्क के लिए गैर भेदभाव आधार पर अभिगम्यता प्रदान की जाएगी। इस पहरयोजना के लिए यूएसओएफ द्वारा वित्त पोषण किया जाएगा तथा इस परियोजना की आरंभिक अनुमोदित लागत 2 वर्षों में 20,000 करोड़ रु. है। यह परियोजना विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी)द्वारा पूरा किया जाएगा जो भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत निगमित कंपनी होगी तथा प्रारंभत: सरकार तथा इच्छुक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के यूनिटों (बीएसएनएल रेलटेल पावरग्रिड गेलटेल इत्यादि) से ईक्विटी भागीदारी सहित केंद्र सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन होगी।

3. साझाकृत मोबाइल अवसंरचना स्कीम

ऐसे विशिष्ट ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्र जहां मौजूदा फिक्सड वायरलैस और मोबाइल कवरेज नहीं था में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजन से 27 राज्यों के 500 जिलों में 7353 अवसंरचना स्थलों/टावरों को संथापित करने तथा उनका संचालन करने के लिए राजसहायता प्रदान करने के लिए यूएसओ निधि से एक स्कीम शुरू की गई है इस स्कीम के अंतर्गत ऐसे गांवों के समूह जिनकी जनसंख्या 2000 या उससे अधिक है तथा जहां मोबाइल कवरेज की सुविधा उपलब्ध नहीं है में टावर संस्थापित करने के लिए विचार किया गया था। करार की शर्तों के अनुसार वास्तविक फील्ड सर्वेक्षण और प्राप्त सुविधा के आधार पर टीवरों की संख्या में परिवर्तन हो सकता था। दिनांक 01.06.2007 से प्रभावी इन करारों पर मई 2007 में सफल बोलीदाताओं के साथ हस्ताक्षरित किए गए। दिनांक 29.02.2012 की स्थिति के अनुसार इस स्कीम के अंतर्गत 7300 टॉवर अर्थात लगभग 99.28% स्थापित किए गए है।

31.01.2012 की स्थिति के अनुसार 15879 बेस ट्रांससीवर सेवा प्रदाताओं द्वारा आरंभ किए गए हैं तथा मोबाइल सेवाएं कराई जा रही हैं।

4. सार्वजनिक अभिगम

(क) ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन

दिनांक 29.02.2012 की स्थिति के अनुसार 5,93,601 आबादी वाले राजस्व गांवों में से वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 5,80,191 गांवों (अर्थात 97.74%) में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन की सुविधा प्रदान की गई है। सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यू.एस.ओ.एफ) की अनवरत स्कीम के अंतर्गत नीचे (I) और (II) पर दिए गए विवरण के अनुसार शेष आबादी वाले राजस्व गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) प्रदान किए जाएंगे।

(i) भारत निर्माण के तहत ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी)

देश में 100 से कम जनसंख्या वाले गांवों, घने जंगलों में स्थित गांवों और उग्रवाद से प्रभावित गांवों को छोड़कर वीटीपी से कवर न किए गए 62,302 (66,822 से संशोधित) गांवों में बीपीटी के प्रावधान के लिए राज-सहायता प्रदान करने के लिए नवम्बर, 2004 में मैसर्स बीएसएनएल के साथ करार पर हस्ताक्षर किए गए। इन गांवों में वीपीटी के प्रावधान को भारत निर्माण कार्यक्रम के एक कार्यकलाप के रूप में शामिल किया गया है। दिनांक 29.02.2012 की स्थिति के अनुसार इस स्कीम के अंतर्गत 62,063 अर्थात 99.62 प्रतिशत गांवों में वीपीटी का प्रावधान किया गया है।

(ii) नए अभिनिर्धारित वीपीटी

वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर आबादी वाले गांवों में संचालित वीपीटी का मिलान मौजूदा वीपीटी तथा भारत निर्माण के तहत प्रदान किए गए वीपीटी की संख्या के आधार पर किया गया। इस स्कीम के अंतर्गत 2001 की जनगणना के आधार पर दिनांक 1.10.2007 की स्थिति के अनुसार शेष सभी 62,443 आबादी वाले गांवों को जनसंख्या दूरस्थ क्षेत्रों, पहुंच और कानून व्यस्था मानदंडो से परे रखते हुए यू.एस.ओ. निधि की राज-सहायता से वीटीपी का प्रावधान करने के लिए शामिल किया गया है। इस संबंध में दिनांक 27.02.2009 को बीएसएनएल के साथ करार पर हस्ताक्षर किए गए। करार की शर्तों के अनुसार दिनांक 1.10.2007 से 26.02.2009 की अवधि के दौरान स्थापित किए गए वीपीटी भी राज-सहायता के लिए पात्र हैं। दिनांक 29.02.2012 की स्थिति के अनुसार इस स्कीम के अंतर्गत 62,443 वीपीटी में से 52,474 वीपीटी अर्थात 84.04 प्रतिशत बीपीटी प्रदान किए गए हैं।

5. वैयक्तिक अभिगम

दिनांक 1.4.2002 से पहले संस्थापित ग्रामीण वायरलाईन घरेलू सीधी एक्सचेंज लाइनों की प्रचालन निरंतरता के लिए सहायता

बीएसएनएल के साथ 12.03.2009 को एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए है जिसमें अभिगम घाटा प्रभार (एडीसी) को समाप्त किए जाने के बदले दिनांक 01.04.2002 से पहले संस्थापित ग्रामीण वायरलाइनों के प्रचालन को बनाए रखने के लिए यूएसओ निधि से बीएसएनएल को 18.07.2008 से तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रति वर्ष 2000 करोड़ रुपए की राज-सहायता प्रदान की जा रही है। इस समझौता ज्ञापन के तहत बीएसएनएल को यूएसओएफ द्वारा 6000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता पहले ही प्रदान की जा चुकी है।

विवरण II

दिनांक 29.02.2012 की स्थिति के अनुसार प्रदत: बीपीटी की राज्य-वार संख्या

राज्य का नाम	2001 की जनसंख्या के अनुसार आबादी वाले राजस्व गांवों की संख्या	प्रदान किए गए वीपीटी की संख्या
1	2	3
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	501	350
आंध्र प्रदेश	26613	24846
असम	25124	24353
बिहार	39032	389354
झाररखंड	29354	28807
गुजरात	18159	18062
हरियाणा	6764	6678
हिमाचल प्रदेश	174951	17406
जम्मू और कश्मीर	6417	6363
कर्नाटक	27481	27449
केरल	1372	1372
मध्य प्रदेश	521175	51986
छत्तीसगढ़	19744	18172
महाराष्ट्र	41442	40622
मेघालय (पूर्वोत्तर-I)	5782	4969
मिजोरम (पूर्वोत्तर-I)	707	704
त्रिपुरा (पूर्वोत्तर-I)	858	858
अरूणाचल प्रदेश (पूर्वोत्तर-II)	3863	2746
मणिपुर (पूर्वोत्तर-II)	2315	2143

1 2	3	
नागालैंड (पूर्वोत्तर-II)	1278	1263
ओडिशा	47529	44858
पंजाब	12301	12065
राजस्थान	39753	39410
तमिलनाडु (तमिलनाडु सर्किल)	13837	13837
चेन्नै महानगर	1655	1655
उत्तर प्रदेश	97942	97750
उत्तराखंड	15761	15365
पश्चिम बंगाल (पश्चिम बंगाल सर्किल)	37062	36174
कोलकाता महानगर	893	567
सिक्किम (पश्चिम बंगाल सर्किल)	450	429
कुल जोड़	5,93,601	5,80,919

विवरण III

पिछले तीन वर्षों और 2011-12 की तीसरी तिमाही तक का प्रचालक-वार यूएसओ संग्रहण का ब्यौरा

(करोड़ रु. में)

लाइसेंसधारक का नाम	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 तीसरी तिमाही तक
1	2	3	4	5
आदित्य बिड़ला टेलीकॉम लि.	2.07	11.55	17.85	-
एलायंज इनफ्राटेक (प्रा.) लि.	-	-	0.01	0.02
एयरसेल लि.	83.63	93.40	124.58	98.71
भारती एयरटेल लि.	1,479.22	1,511.30	1,594.12	1,300.34
भारती हैक्साकॉम लि.	-	90.40	99.51	83.68
बीपीएल मोबाइल कॉम लि.	24.55	23.85	26.76	22.08
डिशनेट वायरलेस लि.	47.74	80.71	103.34	92.55
एटीस्लाट डीबी टेलीकॉम (प्रा.) लि.	-	6.44	0.32	1.3
एचएफसीएल इनफोटेल लि.	7.18	6.87	7.08	4.03
आइडिया सेल्यूलर लि.	469.37	523.62	544.86	534.84
लूप टेलीकाम लि.	-	-	0.38	0.09
रिलायबल इंटरनेट एसवीईएस लि.	1.78	6.87	7.40	4.72
रिलायंस टेलीकाम लि.	69.16	76.52	65.00	67.60
रिलायबल कम्यूनिकेशंस लि	546.71	493.44	466.31	325.32
एस टेल (प्रा.) लि.	-	0.13	2.68	2.47

1	2	3	4	5
सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज	5.36	9.24	22.33	36.55
स्पाइस कम्यूनिकेशंस लि.	57.89	52.17	57.47	45.93
टाटा कम्यूनिकेशंस लि.	69.77	60.09	56.52	49.98
टाटा टेलिसर्विस लि.	344.68	427.27	488.08	381.27
यूनिटेक वायरलेस दिल्ली	-	0.20	0.20	-
यूनिटेक वायरलेस पूर्व	-	1.01	10.86	24.81
यूनिटेक वायरलेस कोलकाता	-	0.17	1.08	2.54
यूनिटेक वायरलेस मुंबई	-	0.18	1.45	2.99
यूनिटेक वायरलेस उत्तर	-	0.70	3.57	7.56
यूनिटेक वायरलेस दक्षिण	-	1.10	4.73	8.83
यूनिटेक वायरलेस तमिलनाडु	-	0.37	1.41	2.58
यूनिटेक वायरलेस पश्चिम	-	0.38	4.16	12.00
विडियोकॉन टेलीकम्यूनिकेशन	-	-	5.00	9.79
वोडाफोन एस्सार लि.	700.41	81.85	86.92	66.85
वोडाफोन एस्सार सेल्यूलर लि.	-	111.15	116.61	105.27
वोडाफोन एस्सार डिजिलिंक लि.	-	154.27	195.84	158.96
वोडाफोन एस्सार पूर्व लि.	-	33.53	33.77	27.55
वोडाफोन एस्सार गुजरात लि.	-	98.23	105.57	89.86
वोडाफोन एस्सार मोबाइल सर्विस	-	64.01	73.88	66.21
वोडाफोन एस्सार दक्षिण लि.	134.88	356.66	441.60	374.50
वोडाफोन एस्सार स्पेशटेल	-	24.19	48.74	53.52
कमर्शियल वीएसएटी	7.75	11.91	10.67	9.20
आईएलडी	71.94	93.14	83.78	72.15
आईपी-II	-	1.89	0.45	0.31
एनएलडी	59.92	84.97	48.53	32.39
एनटीएनएल	213.16	177.99	172.02	84.14
बीएसएनएल	1,491.88	1,384.91	1,069.53	890.14
पीएमआरटीएस	7.45	0.94	1.39	1.23
आईएसपी	15.27	19.23	7.75	8.37

विवरण IV

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दूरसंचार प्रचालकों को वितरित की गई राज-सहायता का वर्ष-वार और कंपनी-वार ब्यौरा

(करोड़ रु. में)

दूरसंचार प्रचालक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (29.02.2012 तक)	कुल जोड़
बीएसएनएल	1221.62	2009.06	3001.70	1550.21	7782.60
डीडब्लूएल		0.99	1.23	2.32	4.55
जीटीएल	3.74	6.01	8.93	6.04	24.71
केईसी		6.61	9.20	7.61	23.42
क्यूटीआईएल	0.54	0.66		0.00	1.20
आरसीआई एल		3.29	4.38	8.55	16.22
आरसीएल			0.08	0.03	0.11
आरआईएल	179.66	83.20	17.30	15.26	295.43
आरटीएल				0.35	0.35
टीटीएसएल	154.67	184.57	31.25	2.51	373.30
टीटीआरआई				0.43	0.43
टीटीएमएल	39.41	98.98	19.17	2.21	159.77
वीईसीएल		1.56	2.29	0.46	4.31
वीईएसएल	0.06	5.05	4.47	1.94	11.52
कुल जोड़	1600.00	2400.00	3100.00	1597.92	8697.9292

प्रयोग की गई संक्षिप्तियां और संक्षेपण:

बीएसएनएल	भारत संचार निगम लि.
डीडब्लूएल	डिशनेट वायरलेस लि.
जीटीएल	जीटीएल इन्फ्रास्टक्चर लि.
केईसी	केईसी इंटरनेटशनल लि.
आरसीआईएल	रिलायंस कम्यूनिकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.
आरसीएल	रिलायंस कम्यूनिकेशंस लि.
वीईसीएल	वोडाफोन एस्सार सेल्यूलर लि.
वीईएसएल	वोडाफोन एस्सार साउथ लि.
आरआईएल	रिलायंस इनफोकॉम लि.
आरटीएल	रिलायंस टेलिक्यूनिकेशंस लि.
टीईआरआई	द एनर्जी रिसार्सेस ऑफ इंडिया
टीटीएमएल	टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लि.
टीटीएसएल	टाटा टेलीसर्विसेज लि.
क्यूमटीआईएल	क्यूमियो टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रचर लि.

पशु चिकित्सा विज्ञान की नई शब्दावली

2324. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग (सीएसटीटी) पशु चिकित्सा विज्ञान की विभिन्न भारतीय भाषाओं में नवीन शब्दावली तैयार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मराठी सहित उक्त शब्दावली का संकलन करने हेतु चयनित भाषाओं के नाम क्या है;

(घ) क्या उक्त कार्य को पूरा करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी नहीं। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने पशु चिकित्सा विज्ञान पर एक अंग्रेजी-हिन्दी शब्दावली प्रकाशित की है जो अब अप्राप्य है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

योजनागत निधियों का उपयोग न किया जाना

2325. श्री एन. पीताम्बर कुरूप: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिकांश राज्य सरकारें योजना आयोग द्वारा आवंटित योजनागत निधियों का पूर्णत: उपयोग नहीं कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षो के दौरान, योजना-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य सरकारों द्वारा किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(घ) राज्य सरकारों द्वारा निधियों के अल्प-उपयोग हेतु बताए गए कारणों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) योजना आयोग द्वारा राज्य सरकारों को अपने उपयोग स्तर में सुधार लाने में सक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(च) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जो कि उपरोक्त अवधि के दौरान योजना आयोग द्वारा आवंटित निधियों के उपयोग के प्रतिशत में नियमित आधार पर कमी दर्शा रहे हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (च) पिछले तीन वर्षो (2008-09, 2009-10 तथा 2010-11) में राज्य-वार अनुमोदित परिव्यय, व्यय तथा उपयोगिता को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। चालू वर्ष के संबंध में सदुपयोग संबंधी समीक्षा वित्त वर्ष समाप्त होने के बाद ही की जाती है। योजना अयोग राज्यों से अनुरोध करता है कि वार्षिक योजना चर्चाओं और अन्य बैठकों के दौरान, अपने सदुपयोगिता संबंधी स्तर को बढ़ाएं।

विवरण

राज्यवार स्वीकृत परिव्यय, व्यय और उपयोग

(करोड़ रु में)

क्र.सं.	राज्य	2008-09			2009-10			2010-11		
		अनुमोदित परिव्यय	व्यय	परिव्यय की तुलना में व्यय का प्रतिशत	अनुमोदित परिव्यय	व्यय	परिव्यय की तुलना में व्यय का प्रतिशत	अनुमोदित परिव्यय	व्यय	परिव्यय की तुलना में व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	44000.0	30617.68	69.59	33496.75	29390.97	87.74	36800.00	31576.36	85.81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	अरुणाचल प्रदेश	2264.60	1739.28	76.80	2100.00	2016.01	96.00	2500.00	2560.93	102.44
3.	असम	5011.51	3593.76	71.71	6000.00	5023.09	83.72	7645.00	7799.68	102.02
4.	बिहार	13500.00	12510.78	92.67	16000.00	14183.51	88.65	20000.00	18351.47	91.76
5.	छत्तीसगढ़	9600.00	8137.37	84.76	10947.76	10281.43	93.91	13230.00	13230.00	100.00.
6.	गोवा	1737.65	1574.50	90.61	2240.00	1965.57	87.75	2710.00	2710.00	100.00
7.	गुजरात	21000.00	21763.68	103.64	23500.00	22633.83	96.31	30000.00	30097.05	100.32
8.	हरियाणा	6650.00	7108.28	106.89	10000.00	9624.44	96.24	18260.00	18260.00	100.00
9.	हिमाचल प्रदेश	2400.00	2285.95	95.25	2700.00	2807.67	103.99	3000.00	3104.90	103.50
10.	जम्मू और कश्मीर	5512.97	4826.70	87.55	5500.00	5279.14	95.98	6000.00	6000.00	100.00
11.	झारखण्ड	8015.00	6866.17	85.67	8200.00	6528.88	79.62	9240.00	9240.00	100.00
12.	कर्नाटक	26188.83	22118.21	84.46	29500.00	25967.00	88.02	31050.03	31050.00	100.00
13.	केरल	7700.47	6236.81	80.99	8920.00	7774.08	87.15	10025.00	8700.98	86.79
14.	मध्य प्रदेश	14182.61	13081.02	92.23	16174.17	14610.00	90.33	19000.00	19000.00	100.00
15.	महाराष्ट्र	25000.00	22870.28	91.48	35958.94	27730.59	77.12	37916.02	37916.02	100.00
16.	मणिपुर	1660.00	1521.50	91.66	2000.00	1784.41	89.22	2600.00	2581.88	99.30
17.	मेघालय	1500.00	1386.96	92.46	2100.00	1417.86	67.52	2230.00	2230.00	100.00
18.	मिजोरम	1000.00	822.53	82.25	1250.00	1067.22	85.38	1500.00	1110.69	74.05
19.	नागालैंड	1200.00	1097.42	91.45	1500.00	1428.50	95.23	1500.00	1356.11	90.41
20.	ओडिशा	7500.00	7572.20	100.96	9500.00	7727.74	81.34	11000.00	10000.00	90.91
21.	पंजाब	6210.00	6925.10	111.52	8600.00	4973.78	57.83	9150.00	8930.52	97.60
22.	राजस्थान	14000.00	14923.35	106.60	17322.00	18022.69	104.05	24000.00	21540.28	89.75
23.	सिक्किम	852.00	1140.25	133.83	1045.00	1019.26	97.54	1175.00	725.85	61.77
24.	तमिलनाडु	16000.00	16246.05	101.54	17500.00	17833.50	101.91	20068.00	20068.00	100.00
25.	त्रिपुरा	1450.00	1431.16	98.70	1680.00	1735.57	103.31	1860.00	1441.04	77.48
26.	उत्तर प्रदेश	35000.00	34287.62	97.96	39000.00	37211.51	95.41	42000.00	38432.13	91.51
27.	उत्तराखण्ड	4775.00	3653.57	76.51	5800.81	3514.09	60.58	6800.00	6800.00	100.00
28.	पश्चिम बंगाल	11602.38	10396.90	89.61	14150.00	12121.54	85.66	17985.00	11874.48	66.02

[हिन्दी]

विमान सुरक्षा के पुनर्गठन हेतु आईसीएओ

2326. श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला:
श्री नरेन्द्र सिंह तोमर:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने कह कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के पुनर्गठन और विमानन सुरक्षा हेतु पर्याप्त प्रचालनात्मक अवसंरचना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) को सुझाव देने हेतु सेवा में संलग्न किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आईसीएओ ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है उसके क्या निष्कर्ष रहे हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) जी हां।

(ग) इकाओ अध्ययन रिपोर्ट 26 अगस्त 2011 को प्रस्तुत की गई थी जिसे सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। अध्ययन रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें निम्नानुसार है:-

(i) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो की पुनर्सरचना;

(ii) समर्पित विमानन सुरक्षा बल (एएसएफ) का सृजन।

(iii) विमानन सुरक्षा के मुख्य तथा गैर-प्रमुख कार्यों की पहचान।

(iv) सुदृढ़ विमानन सुरक्षा प्रक्रियाओं का विकास।

कोयला ब्लॉकों हेतु पीएल/एमएल मामले

2327 श्री कैलाश जोशी: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास मध्य प्रदेश में कोयला ब्लॉकों के पीएल/एमएल के मामले अनुमोदित हेतु लंबित है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या कितनी है और इन मामलों के लंबित रहने का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे मामलों को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(घ) ऐसे मामलों को अनुमोदन न देने के क्या कारण है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) मध्य प्रदेश स्थित डोगरी ताल-।। शाहपुर ईस्ट रावनवारा (नॉर्थ) मंडला नार्थ और छत्रसाल कोयला ब्लॉकों के खनन पट्टा आवेदन कोयला मंत्रालय में प्राप्त हुए हैं ये आवेदन दस्तावेजों की जांच कोयलाधारी क्षेत्र की गणना आवंटन पत्रों के नियमों एवं शर्तों कोयला ब्लॉकों के दशान्तरों और अक्षान्तरों तथा समन्वय आदि के विभिन्न स्तरों पर हैं मध्य प्रदेश में कोयला ब्लॉकों के पूर्वेक्षण लाइसेंस को कोई आवेदन कोयला मंत्रालय में लंबित नहीं है।

(ग) खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 के प्रावधानों के अंतर्गत खनन पट्टा आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए कोई समय-सीमा नहीं दी गयी है।

(घ) सरकार द्वारा कोई आवेदन रद्द नहीं किया गया।

तकनीकी/व्यावसायिक संस्थान

2328. श्री कीर्ति आजाद: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कार्यरत तकनीकी/व्यावसायिक संस्थानों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा स्वीकृत नए सरकारी/निजी तकनीकी व्यावसायिक और प्रबंधन संस्थानों का राज्य-वार क्या है; और

(ग) इन संस्थानों में विभिन्न विषयों हेतु अतिरिक्त सीटों की राज्य-वार संख्या कितनी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) देश में कार्यरत तकनीकी/व्यावसायिक संस्थानों की राज्यवार कुल संख्या-I में दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्ष के दौरान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा संस्वीकृत सरकारी/निजी तकनीकी, व्यावसायिक और प्रबंध संस्थाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) इन संस्थाओं में विभिन्न विषयों के लिए संस्वीकृत अतिरिक्त सीटों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-III में दी गई है।

विवरण I

राज्य तकनीकी/व्यावसायिक संस्थान

क्र.सं.	राज्य	कुल तकनीकी कालेज
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1
2.	आंध्र प्रदेश	1881
3.	अरूणाचल प्रदेश	3
4.	असम	30
5.	बिहार	61
6.	चंडीगढ़	12
7.	छत्तीसगढ़	113
8.	दादरा और नगर हवेली	3
9.	दमन और दीव	1
10.	दिल्ली	79
11.	गोवा	16
12.	गुजरात	415
13.	हरियाणा	476
14.	हिमाचल प्रदेश	76
15.	जम्मू और कश्मीर	40
16.	झारखंड	45
17.	कर्नाटक	666
18.	केरल	297
19.	मध्य प्रदेश	535
20.	महाराष्ट्र	1455
21.	मणिपुर	3
22.	मेघालय	5
23.	मिजोरम	1
24.	ओडिशा	252
25.	पुडुचेरी	27
26.	पंजाब	389
27.	राजस्थान	512
28.	सिक्किम	4
29.	तमिलनाडु	1301
30.	त्रिपुरा	2
31.	उत्तर प्रदेश	1033
32.	उत्तराखंड	156
33.	पश्चिम बंगाल	219
	कुल	10139

विवरण II

पिछले तीन वर्षो के दौरान महिला भारतीय तकनीकी परिषद द्वारा संस्वीकृत संस्थान

		पिछले तीन वर्ष के दौरान																				
क्षेत्र	राज्य/संघ क्षेत्र		इंजीनियरिंग			एमबीए		पीजीडीएम		एमबीए सहित पीजीडीएम		एमसीए			फार्मेसी			एचएमसीटी			वास्तुकला	
		2008-09	2009-10	2010-11	2008-09	2009-10	2010-11	2008-09	2009-10	2010-11	2008-09	2009-10	2010-11	2008-09	2009-10	2010-11	2008-09	2009-10	2010-11	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
मध्य	मध्य प्रदेश	161	203	214	52	78	108	7	14	108	47	47	49	91	99	104	4	4	4	4	4	6
	छत्तीसगढ़	41	53	53	6	8	19	2	4	19	8	8	10	9	13	13	0	0	0	1	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	गुजरात	55	89	88	51	76	109	11	11	109	26	31	34	75	89	92	1	1	2	6	6	6
पूर्वी	मिजोरम	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	सिक्किम	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	ओडिशा	68	88	101	32	35	64	15	18	64	35	39	23	17	16	18	2	2	1	2	2	2
	पश्चिम बंगाल	71	79	86	28	30	35	2	3	35	23	27	17	11	10	12	4	4	3	2	2	2
	त्रिपुरा	3	3	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	मेघालय	1	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अरूणाचल प्रदेश	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	असम	7	14	14	5	8	8	1	1	8	3	4	4		2	2	2	1	0	1	0	0
	मणिपुर	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	नागालैंड	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	झारखंड	13	13	12	3	5	9	3	4	9	2	2	4	1	1	0	0	0	1	1	0	0
उत्तरी	बिहार	15	17	1	11	12	0	1	1	0	6	7	0	3	6	0	0	0	1	1	0	0
	उत्तर प्रदेश	19	27	4	23	29	5	2	4	5	14	14	0	16	14	0	7	7	0	1	1	0
	उत्तराखंड	19	27	4	23	19	5	2	4	5	14	14	0	16	14	0	7	7	0	1	1	0
उत्तर पश्चिम	चंडीगढ़	5	5	6	0	1	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1
	हरियाणा	116	140	163	56	78	108	10	12	108	30	32	33	34	36	37	3	4	5	0	0	3
	जम्मू और कश्मीर	7	8	9	9	9	0	0	9	3	4	6	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0
	नई दिल्ली	19	24	22	13	14	39	24	24	39	18	18	9	6	6	5	1	1	1	4	4	4
	पंजाब	70	83	107	56	68	84	4	5	84	28	26	30	39	40	39	8	9	9	7	7	7
	राजस्थान	81	97	137	52	71	126	15	24	126	19	19	16	55	56	51	8	8	6	0	0	2
	हिमाचल प्रदेश	9	14	21	8	10	9	0	0	9	1	2	2	11	12	13	1	1	1	1	1	1
दक्षिण-मध्य	आंध्र प्रदेश	527	593	705	56	68	84	4	5	84	28	26	30	39	40	39	8	8	6	0	0	2
दक्षिण	पुडुचेरी	9	11	13	1	1	2	1	1	2	1	6	7	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	तमिलनाडु	352	433	487	152	178	216	4	6	216	206	211	225	42	44	45	2	1	1	9	9	15
दक्षिण पश्चिम	कर्नाटक	157	170	181	112	120	154	15	21	154	73	73	70	80	80	74	20	20	20	14	14	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	केरल	94	114	130	38	42	52	7	7	52	39	38	37	33	35	32	4	4	5	5	5	0
पश्चिम	महाराष्ट्र	239	270	306	152	199	236	48	57	326	53	57	66	130	139	145	10	11	11	32	32	32
	गोवा	3	3	3	1	1	2	1	1	2	1	1	1	2	2	2	0	0	0	0	0	1
	दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल योग	2388	2872	2892	1238	1565	1927	285	375	1927	1095	1169	1026	1021	1080	982	87	93	74	106	106	90

विवरण III

राज्यवार और वर्ष वार अतिरिक्त सीटों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	180	0
2.	आंध्र प्रदेश	4962	113805	115609	98231
3.	अरूणाचल प्रदेश	10	-45	30	10
4.	असम	146	1072	1723	495
5.	बिहार	-1111	3279	1030	2483
6.	चंडीगढ़	0	107	127	246
7.	छत्तीसगढ़	821	8413	5526	7773
8.	दादरा और नगर हवेली	18	60	0	60
9.	दमन और दीव	0	240	0	0
10.	दिल्ली	863	2569	1768	2730
11.	गोवा	336	196	24	21
12.	गुजरात	9276	24451	30641	16762
13.	हरियाणा	10409	26872	16741	42212
14.	हिमाचल प्रदेश	634	5960	5716	2156
15.	जम्मू और कश्मीर	482	908	460	325
16.	झारखंड	1552	2560	930	1455
17.	कर्नाटक	15453	28176	31450	19793
18.	केरल	7134	13081	9399	2870

1	2	3	4	5	6
19.	मध्य प्रदेश	6860	27159	27022	21189
20.	महाराष्ट्र	32055	90209	55195	48951
21.	मणिपुर	20	120	30	0
22.	मेघालय	60	120	240	0
23.	मिजोरम	0	0	0	0
24.	ओडिशा	370	17726	22218	12883
25.	पुडुचेरी	942	1840	1340	816
26.	पंजाब	5253	24623	23549	20332
27.	राजस्थान	1980	5801	17239	13655
28.	सिक्किम	78	136	75	10
29.	तमिलनाडु	29245	63784	72271	57276
30.	त्रिपुरा	0	90	0	0
31.	उत्तर प्रदेश	17348	80735	53612	41691
32.	उत्तराखंड	2726	8482	6224	3763
33.	पश्चिम बंगाल	4670	9799	8600	6386

[अनुवाद]

भारत में एनआरआई निवेश

2329. श्री एस. अलागिरी:
श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी:
डॉ. निलेश नारायण राणे:

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि भारत में वर्ष-दर-वर्ष एनआरआई निवेश के प्रतिशत में कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार ने देश में सड़क और राजमार्ग जैसे अवसंरचना क्षेत्र में अनिवासी भारतीय (एनआरआई) निवेश को सुकर बनाने/बढ़ावा देने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (ग) भारत ने व्यक्तिगत अनिवासी भारतीयों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) अन्तर्वाह में पूर्व के दो वर्षों में कमी के पश्चात्, अप्रैल-दिसम्बर, 2011 में ऊपरी रुझान देखा गया है। तथापि, इन वर्षों में बैंकों में निजी हस्तांतरण प्राप्तियां और प्रवासी भारतीयों के डिपाजिट बढ़ रहे हैं।

(घ) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय ने, भारत में निवेश करने के इच्छुक संभावित अनिवासी भारतीय निवेशकों की सुविधा के लिए प्रववासी भारतीय सुविधा केन्द्र (ओआईएफसी) नामक एक संस्थान स्थापित किया है। ओआईएफसी ने विभिन्न देशों में, विभिन्न निवेश एवं इंटरएक्टिव बैठकों/रोड शोज और भारत में प्रवासी भारतीय दिवस (पीबीडी) के दौरान 'मार्केट प्लेसिस' का भी आयोजन किया। प्रवासी भारतीयें द्वारा आर्थिक सम्बन्धों का संवर्धन करने और सुगम बनाने के लिए, ओआईएफसी और इसके ज्ञान भागीदारों द्वारा संभावित प्रवासी निवेशकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मंत्रालय द्वारा एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल की भी शुरुआत की गई है। वार्षिक पीबीडीजी और क्षेत्रीय पीबीडीजज भी, प्रवासी भारतीयों द्वारा निवेश को सुगम बनाने के लिए मंच प्रदान करते हैं।

कृषि क्षेत्र में श्रमिकों के संबंध में एनएसएसओ प्रतिवेदन

2330. श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के प्रतिवेदन में कृषि क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की संख्या और प्रतिशत में कमी दर्शायी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कृषि क्षेत्र के निराशाजनक प्रदर्शन के दृष्टिगत योजना आयोग ने उक्त क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि के अनुरूप इस क्षेत्र में वृद्धि को तेज करने के लिए कोई रणनीति बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) भारत में रोजगार और बेराजगारी के संबंध में, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा प्रकाशित 2009-10 के मुख्य संकेतकों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 63 प्रतिशत पुरुष कामगार और लगभग 79 प्रतिशत महिला कामगार कृषि क्षेत्रक में कार्यरत थे। वर्ष 2004-05 के लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की रिपोर्ट संख्या 515 में कहा गया है कि कृषि क्षेत्रक में लगभग 67 प्रतिशत पुरुष और 83 प्रतिशत महिलाएं कार्यरत थीं। दूसरी तरफ, शहरी क्षेत्रों में, 2009-10 में, लगभग 6 प्रतिशत पुरुष और 14 प्रतिशत महिलाएं कृषि में कार्यरत थीं। 2004-05 में यह पुरुषों के लिए 6 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 18 प्रतिशत था।

(ग) और (घ) ग्यारहवीं योजना में कृषि का वार्षिक विकास दर औसतन 3.3 प्रतिशत रहने की संभावना है जो दसवीं योजना 2.2 प्रतिशत थी। बारहवीं योजनावधि के लिए औसत विकास दर 4.0 प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है। 2003-04 में, कृषि और संबद्ध क्षेत्रकों में सकल पूंजी निर्माण कृषिगत सकल घरेलू उत्पाद का 10.2 प्रतिशत था, जो 2009-10 में बढ़कर 20.3 प्रतिशत हो गया।

राष्ट्रीय विकास परिषद् ने 2007 में कृषि पर एक विशेष बैठक आयोजित की थी। राष्ट्रीय विकास परिषद् के 2007 के संकल्प के परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन नामक दो बड़ी स्कीमें शुरू की गई थीं। अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता आधारित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में इन क्षेत्रकों का ध्यान रखा गया है। कृषि विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य बागवनी, फूलों की खेती जैसी ऊंची कीमत वाली फसलों के साथ पशुपालन, मुर्गीपालन आदि जैसी गैर-फसली कार्यो से किसानों की आय के स्रोतों को विस्तार देना, नई प्रौद्योगिकियों के अंतरण के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि करना, आगमों को सब्सिडी प्रदान करना, मशीनीकरण को बढ़ावा देना, कृषि योजनाकरण निर्णयों में किसानों को शामिल करना तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है।

12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, उत्पादन पक्ष में हस्तक्षेप के महत्वपूर्ण बिंदुओं की पहचान की गई है, जिनमें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को जारी रखना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का संवर्द्धन, लघु सिंचाई सहित राष्ट्रीय धारणीय कृषि मिशन का संवर्द्धन, राष्ट्रीय तिलहन तथा खजूर तेल मिशन का संवर्द्धन, कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन का संवर्द्धन और राष्ट्रीय बागवानी मिशन आदि को जारी रखना शामिल हैं जिनसे कृषि और गैर-कृषि स्तरीय लाभकारी रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

कृषि एक प्राथमिकता वाला क्षेत्रक बना हुआ है। 2012-13 के लिए, कृषि मंत्रालय का कुल योजना परिव्यय (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को छोड़कर) 2011-12 के 12860.7 करोड़ रुपए से 25 प्रतिशत बढ़ाकर 16,121 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

इसके अलावा, राज्यों के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2011-12 के 7810 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2012-13 के लिए 9,217 करोड़ रुपए की जा रही है।

विश्व बैंक की सहायता से, राष्ट्रीय दुग्ध योजना शुरू कर, कल 2,242 करोड़ रुपए की लागत से, दुग्ध उत्पादन विकास को और अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है। साथ ही, तटीय जल-कृषि में मछली उत्पादन की संभावना बढ़ाने के लिए, 2012-13 हेतु परिव्यय बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये किया जा रहा है।

फिलीस्तीन हेतु समर्थन

2331. श्री सुरेश कुमार शेटकर: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने फिलीस्तीन का समर्थन करने का वचन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) फिलीस्तीनी आंदोलन को भारत द्वारा समर्थन दिए जाने का एक इतिहास रहा है। फिलीस्तीनी लोगों के प्रति हमारा समर्थन न केवल आर्थिक एवं मानवीय सहायता तक सीमित है, अपितु फिलीस्तीनी आंदोलन के प्रति हमारे समर्थन का एक लंबा इतिहास भी है। यहां तक कि भारत ने फिलीस्तीन का समर्थन वर्ष 1947 में भारत की आजादी से पहले से ही किया है। वर्ष 1975 में भारत ही वह सर्वप्रथम गैर-अरब राष्ट्र था, जिसने फिलीस्तीन मुक्ति संगठन (पीएलओ) को फिलीस्तीनी लोगों को एकमात्र कानूनी प्रतिनिधि संगठन के रूप में मान्यता प्रदान की थी। वर्ष 1980 में, हमने नई दिल्ली स्थित पीएलओ कार्यालय को पूर्ण राजनयिक मान्यता प्रदान की। दिनांक 15 नवंबर, 1988 को को फिलीस्तीन राष्ट्र संबंधी एल्जिसर्य उद्घोषणा के अनुसरण में हमने 16 नवंबर, 1988 को मान्यता दी। माननीय प्रधान मंत्री ने दिनांक 24 सितम्बर, 2011 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में कहा था कि भारत फिलीस्तीनी लोगों के उस संग्राम का कट्टर समर्थक रहा है, जिसमें उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के प्रासंगिक संकल्पों, अरब शांति पहल तथा क्वारटेट रोडमैप के अनुसार इजराइल के साथ-साथ शांतिपूर्ण ढंग से सुरक्षित एवं मान्यताप्राप्त सीमाओं के भीतर एक संप्रभुता संपन्न, स्वतंत्र, व्यवहार्य एवं संयुक्त फिलीस्तीनी राष्ट्र की मांग की है, जिसकी राजधानी पूर्वी येरुसलेम होगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत फिलीस्तीन का संयुक्त राष्ट्र के एक समकक्ष सदस्य के रूप में स्वागत करना चाहेगा। हाल ही में, फिलीस्तीन को यूनेस्को के एक सदस्य के रूप में शामिल किए जाने की भारत ने समर्थन किया है।

अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों को विमान परिचारिक प्रशिक्षण

2332. श्री अधीर चौधरी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों, विशेष रूप से लड़कियों को विमान परिचारिका प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कोई योजना आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) आज की तिथि के अनुसार प्रशिक्षित की गई लड़कियों की जाति-वार संख्या कितनी है; और

(घ) इन लड़कियों को कब तक रोजगार दिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) एअर इंडिया ओपन मार्केट से विमान परिचारिकाओं की भर्ती करते समय राष्ट्रपति के उन निर्देशों को ध्यान में रखती है, जिनमें स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कितने प्रतिशत उम्मीदवारों को सेवा में लिया जाना जरूरी है।

(ग) एअर इंडिया द्वारा ऐसा कोई डाटा नहीं रखा जाता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

एआई द्वारा विमानों का पट्टा

2333. श्री राजय्या सिरिसिल्ला:
श्री रायापति सांबासिवा राव:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एअर इंडिया (एआई) की योजना अपने नेटवर्क का विस्तार करने हेतु अपने 'नो फ्रिल कैरियर', ए आई एक्सप्रैस हेतु और पायलट तथा चालक दल सहित अपने चार बोइंग विमान पट्टे पर देने और 10 एयर बस विमान ड्राई-लीज पर लेने की है;

(ख) यदि हां, तो अब तक इस संबंध में क्या ब्यौरा तैयार किया गया है; और

(ग) इस संबंध में अब तक कितना भुगतान किया गया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारत में निर्माण के अंतर्गत गांवों का विकास

2334. डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुजरात राज्य सहित देश में गांवों के योजनाबद्ध विकास हेतु कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एक समयबद्ध योजना भारत निर्माण, जिसका उद्देश्य आवश्यकता ग्रामीण अवसंरचना का विकास करना था, का निष्पादन अपेक्षा से कम रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और अभिप्रेत उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु क्या सुधारात्मक उपाय किए हैं; और

(ङ) उक्त योजना के अंतर्गत गुजरात राज्य सहित अब तक विद्युतीकृत किए गए गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों की राज्य-वार संख्या कितनी है और विद्युतीकृत किए जाने हेतु शेष बीपीएल परिवारों की राज्य-वार संख्या कितनी है और उन्हें कब तक विद्युतीकृत किए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) केन्द्र सरकार गुजरात राज्य सहित देश के गांवों के विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही हैं भारत निर्माण एक बिजनेस योजना है जो निश्चित समय सीमा में सड़कों (प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना), विद्युत (राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना) और टेलीफोन, आवास (इंदिरा आवास योजना) तथा जलपूर्ति (राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल प्रभाग) के माध्यम से मूलभूत सेवाओं और सिंचाई (त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम) में निवेश के माध्यम से कृषि उत्पादकता और आय में सुधार कर ग्रामीण भारत को अवसरों-भौतिक सम्पर्कता से जोड़ता है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों रोजगार और क्षमता निर्माण के लिए अनेक स्कीमें भी शुरू की हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्र सरकार आजीविका [स्वर्ण जयंती स्वरोजगार (एसजीएसवाई/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)] के तहत स्वरोजगार के सृजन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) के तहत दिहाड़ी रोजगार, एककृत जलसीार प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्लयूएमपी) के तहत जलसंभर विकास, समग्र स्वच्छता अभियान (टीएससी) के तहत उन्नत स्वच्छता, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के तहत स्वास्थ्य सेवाएं, सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत शिक्षा, मध्याह्न भोजन स्कीम के के तहत मध्याह्न भोजन का प्रावधानीकरण, एकीकृत बाल विकास सेवा स्वीम (आईसीडीएस) के तहत अनुपूरक पोषण और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के तहत सामाजिक सुरक्षा सकीमों का कार्यान्वयन कर रही है।

(ग) भारत निर्माण एक संयुक्त बिजनेस योजना है जो सड़कों, विद्युत और टेलीफोनों के माध्यम से ग्रामीण भारत को जोड़ती है, आवास तथा जलापूर्ति जैसी मूलभूत सेवाओं को सुनिश्चित करती है और सिंचाई में निवेश के माध्यम से कृषि उत्पादकता और आय में सुधार करती है। लक्ष्यों की उपलब्धि में राज्य विशिष्ट और घटक विशिष्ट भिन्नताएं हैं। तथापि, समग्र राष्ट्रीय स्तर पर कुछ कमी इंगित हुई हैं।

(घ) भारत निर्माण के तहत कार्यान्वित की जा रही स्कीमों के प्राप्य लक्ष्यों में कमी के कारण क्षेत्रक विशिष्ट हैं तथा अन्य बातों के साथ-साथ इनमें राज्यों में संविदा क्षमता का अभाव, वन तथा पर्यावरणीय निकासी में विलंब, कानून और व्यवस्था संबंधी समस्याओं की व्याप्ति तथा निजी भूमि की अनुपलब्धता, राज्यों में पर्याप्त उप-पारेषण तंत्र की अनुपलब्धता, निर्माण लागत में वृद्धि तथा परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता, इंदिरा आवास योजना के मामले में बीपीएल परिवारों के लिए आवास बनाने वाली जगहों की अनुपलब्धता, न्यून गुणवत्ता आवास और आवास की अपर्याप्त इकाई लागत, पूर्ण की गई जलापूर्ति स्कीमों के अनुरक्षण और रख-रखाव में पंचायती राज संस्थानों की क्षमता का अभाव तथा समुदाय जल प्रयोक्ताओं के क्षमता प्रतिबंध शामिल हैं।

भारत निर्माण के विभिन्न घटकों की कार्यान्वयन गति में सुधार करने हेतु किए गए समाधान उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ (i) अतिरिक्त बजटीय सहायता का आबंटन (ii) संस्थागत क्षमता का सुदृढ़ीकरण (iii) संविदा क्षमता में वृद्धि (iv) वन तथा पर्यावरण निकासी लेने के लिए अग्रसक्रिया कार्रवाई तथा (v) नोडल केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों का निरंतर मानीटरण शामिल है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के व्यय की प्रवृति और पैटर्न की समीक्षा वित्त मंत्रालय द्वारा नियमित अंतरालों पर की जाती है। योजना आयोग सभी क्षेत्रकों की छमाही समीक्षा करता है और निधियों के उपयोग को तेज करने के लिए सुधारात्मक उपायों का सुझाव देता है। यह मानीटरण प्रक्रिया इच्छित परिणामों के लिए संसाधनों के प्रभावी तथा कुशल उपयोग को सुनिश्चित करती है।

(ङ) अब तक विद्युतीकरण गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों की संख्या तथा उन बीपीएल परिवारों की संख्या, जिन्हें अभी विद्युतीकृत किया जाना है, के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

भारत निर्माण-ग्रामीण विद्युतीकरण

बी. बीपीएल घरों का विद्युतीकरण (31.12.2011 के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य	2009-10		2010-11		2011-12		आरजीजीवीवाई के तहत संचयी उपलब्धि	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य*	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	592200	566518	85000	258751	96855	65106	2669025	2669147
2.	अरुणाचल प्रदेश	2820	967	5000	9205	10638	9841	40810	20013
3.	असम	206800	189316	265000	352237	315819	185368	994991	760139
4.	बिहार	310200	560985	660000	641016	717358	179708	2725632	1923806
5.	छत्तीसगढ़	103400	145990	175000	196552	334460	63625	851203	497061
6.	गुजरात	160740	85931	95000	420126	138987	83319	782210	784003
7.	हरियाणा	80355	69453	40000	90535	33139	20596	252555	204421
8.	हिमाचल प्रदेश	564	148	1000	3637	4364	5150	13196	9327
9.	जम्मू और कश्मीर	8460	14163	20000	8452	19793	11532	81309	42133
10.	झारखंड	578100	555289	415000	359213	466502	68934	1815848	1230092
11.	कर्नाटक	236880	134949	35000	48861	72281	45217	954673	829809
12.	केरल	5740	6131	0	1117	18517	0	55755	17238
13.	मध्य प्रदेश	238001	75477	245000	211816	658498	233369	1311511	597787
14.	महाराष्ट्र	329000	429026	250000	403387	150000	111924	1202575	1146339
15.	मणिपुर	3760	1640	20000	4397	37976	3089	107369	12482
16.	मेघालय	4230	17832	20000	12880	27502	16779	109696	48755
17.	मिजोरम	6580	378	5000	8129	8910	4412	27417	12919
18.	नागालैंड	3760	4368	10000	13434	18097	7966	69899	25768
19.	ओडिशा	761400	650678	1290000	1435007	1060424	329371	3204803	2559184

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	पंजाब	37600	19507	20000	28890	0	0	148860	43397
21.	राजस्थान	258500	208695	133000	255939	133399	59643	1181621	1017382
22.	सिक्किम	940	66	1000	7121	3271	1924	11458	9111
23.	त्रिपुरा	6110	22085	55000	36886	49066	14895	123037	73366
24.	तमिलनाडु	141000	383533	75000	115044	0	4083	502865	502956
25.	उत्तर प्रदेश	37600	157263	0	15818	0	28698	900662	900618
26.	उत्तराखंड	37600	72382	0	19596	0	3967	233509	229237
27.	पश्चिम बंगाल	547660	345198	780000	925309	824144	402898	2641101	1769805
	कुल	4700000	4718468	4700000	5883355	5200000	1961414	23013590	17941795

* संशोधित कवरेज (अनंतिम)

[हिन्दी]

कोयला ब्लॉकों के आवंटन में भ्रष्टाचार

2335. श्री अंजनकुमार एम. यादवः
श्रीमती रमा देवीः

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला ब्लॉकों के आवंटन में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने हेतु विभिन्न सरकारी समितियों और अन्य समितियों ने वर्ष 1998 से अब तक अनेक सुझाव/सिफारिशें की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी समिति-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन समितियों की सिफारिशों पर कोई ठोस कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके परिणाम क्या रहे हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अवसंरचना क्षेत्र की समीक्षा

2336. श्री जी.वी. हर्ष कुमारः प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्यारहवीं योजना के अंतिम पांच वर्षों के दौरान अवसंरचना क्षेत्र द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के भाग के रूप में, योजना अवधि के दौरान अवसंरचना क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा की है। तब यह अनुमान किया गया था कि ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान अवसंरचना क्षेत्र में निवेश 20,54,205 करोड़ रुपये होगा जबकि मूल अनुमान 20,56,150 करोड़ रु. का था।

(ख) ग्यारहवीं योजना हेतु क्षेत्रकवार निवेश प्राक्कलन और संशोधित मध्यावधि मूल्यांकन अनुमान नीचे तालिका में है

तालिका

अवसंरचना में निवेश के संबंध में ग्यारहवीं योजना के प्राक्कल और संशोधित मध्यावधि मूल्यांकन अनुमान

(2006-07 के मूल्य पर करोड़ रुपये में)

क्षेत्रक	ग्यारहवीं योजना	
	योजना प्राक्कलन	मध्यावधि मूल्यांकन अनुमान
1	2	3
बिजली (एनसीई सहित)	6,66,525	6,58,630
सड़क और पुल	3,14,152	2,78,658
दूरसंचार	2,58,439	3,45,134
रेलवे (मेट्रो रेल सहित)	2,61,808	2,00,802
सिंचाई (जलसंभर सहित)	2,53,301	2,46,234
जलापूर्ति और स्वच्छता	1,43,730	1,11,689
पत्तन (अंतर्देशीय जलमार्ग सहित)	87,995	40,647
विमानपत्तन	30,968	36,138
भंडारण	22,378	8,966
तेल और गैसपाइप लाइन	16,855*	1,27,306
कुल	20,56,150	20,54,205

नोट:* योजना लक्ष्य केवल गैस पाइप लाइनों से संबंधित है।

उक्त तालिका से यह द्रष्टव्य है कि ग्यारहवीं योजना के लिए समग्र निवेश लक्ष्य काफी हद तक पूरे कर लिए जाएंगे, किन्तु कुछ क्षेत्रकों में निवेश में भिन्नता रहेगी जिसका विवरण नीचे है:-

बिजली

1. बिजली क्षेत्रक में, 6,58,630 करोड़ रुपये का संशोधित प्राक्कलित निवेश 6,66,525 करोड़ रुपये के मूल प्राक्कलन से थोड़ा कम है। बिजली क्षेत्रक में निजी संबंधी आंकड़े दर्शाते हैं कि मूल प्राक्कलनों की तुलना में 55% की वृद्धि हुई है। सार्वजनिक क्षेत्रक निवेश का योगदान घटने की संभावना है- खासकर ग्यारहवीं योजना के पहले दो वर्षों में केन्द्रीय क्षेत्रक में निवेश अनुमान से कम होने के कारण। ग्यारहवीं योजना के दौरान, 78,700 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में, 62,374 मेगावाट की क्षमता वृद्धि होने की संभावना है।

सड़क

2. सड़क क्षेत्रक में भी संशोधित प्राक्कलित निवेश 2,78,658 करोड़ रुपये है जो 3,14,152 करोड़ रुपये के मूल प्राक्कलन की तुलना में काफी कम है। योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अनुमान से कम सड़क परियोजनाएं आवंटित करने के कारण, केन्द्र का निवेश घटने की संभावना है। यह देखना दिलचस्प है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत उच्च निवेशों के कारण, सड़क क्षेत्रक में राज्यों का निवेश बढ़ने की संभावना है।

3. ग्यारहवीं योजना के पहले तीन वर्षों में बीओटी परियोजनाएं कम संख्या में आवंटित किए जाने के कारण, निजी क्षेत्र का निवेश भी कम रहने का अनुमान है। तथापि, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजजमार्ग विकास परियोजना का कार्य आवंटित

करने और उसके कार्यान्वयन में तेजी लाने का निर्णय लिया है ताकि प्रतिदिन 20 किलोमीटर की दर से राजमार्गों का निर्माण कार्य पूरा किया जा सके। इससे ग्यारहवीं योजना के पिछले दो वर्षों के दौरान निवेश में तीव्रता आने की संभावना है। किन्तु इस तीव्रता के कारण व्यय में वृद्धि 12वीं योजना में होगी।

दूरसंचार

4. दूरसंचार क्षेत्रक में विकास की गति बहुत तेज रही है और निवेश 3,45,134 करोड़ रुपये रहने की संभावना है जो ग्यारहवीं योजना के निर्माण के समय मूल रूप से अनुमानित 2,58,439 करोड़ रुपये की राशि से 1.3 गुना ज्यादा है। यह ग्यारहवीं योजना के निर्माण के समय अभिकल्पित की तुलना में, निजी क्षेत्र का निवेश 1.59 गुना अधिक रहने के कारण हुआ है। इसके विपरीत, दूरसंचार में केन्द्र का निवेश 11वीं योजना तैयार करते समय प्राक्कलित राशि से 23.84% अधिक रहने का अनुमान है।

रेलवे

5. ग्यारहवीं योजना में रेलवे में (मेट्रो रेल सहित) संशोधित निवेश अनुमान अब लगभग 2,00,802 करोड़ रुपये रहने की संभावना है जो 2,61,808 करोड़ रुपये के पूर्व प्राक्कलन से 23.3% कम है। केन्द्रीय क्षेत्रक निवेश और निजी निवेश-दोनों मूल प्राक्कलनों से कम हैं। नवीनतम अनुमानों के अनुसार, निजी निवेश 8,316 करोड़ रुपये रहने की संभावना है जो मूल प्राक्कलनों का महज 16.5% है।

पत्तन

6. इस क्षेत्रक में प्रगति अनुमान से बहुत कम रही है। ग्यारहवीं योजना के दौरान निवेश अब 40,647 करोड़ रुपये ही रहने का अनुमान है जो 87,995 करोड़ रुपये के मूल अनुमान के आधे से भी कम है। पत्तन क्षेत्रक में भी निजी निवेश, योजना की शुरुआत में किए गए प्राक्कलनों की तुलना में लगभग 40.31% कम रहने की संभावना है। ऐसा इस कारण हुआ है कि ग्यारहवीं योजना के पहले दो वर्षों में, संबंधित पत्तन न्यासों द्वारा सार्वजनिक-निजी सहभागिता वाली बहुत कम परियोजनाएं आवंटित की गई हैं। महापत्तनों के लिए 545 एमएमटी की अतिरिक्त क्षमता के मूल लक्ष्य को संशोधित कर कम कर दिया है और अब इसका प्रस्ताव, ग्यारहवीं योजना अवधि में 29,905 करोड़ रुपये की लागत से 393.27 एमएमटी क्षमता वाली केवल 48 परियोजनाएं विकसित करने का है।

7. महापत्तनों में क्षमता संवर्धन में धीमी प्रगति की तुलना में, राज्य क्षेत्रक में निजी क्षेत्र के पत्तनों ने सापेक्षिक रूप से अच्छा किया है। ग्यारहवीं योजना के लिए प्राक्कलित कुल 32,517 करोड़ रुपये के निजी निवेश में से, राज्य क्षेत्रक में निजी क्षेत्र की निवेश हिस्सेदारी 26,370 करोड़ रुपये है।

विमानपत्तन

8. ग्यारहवीं योजना में निवेश अब 36,138 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है अबकि मूल अनुमान 30,968 करोड़ रुपये का था। विमानपत्तनों में सार्वजनिक और निजी-दोनों निवेश, ग्यारहवीं योजना की शुरुआत में किए गए अनुमान की तुलना में बढ़ने की संभावना है। निजी निवेश 23,155 करोड़ रुपये रहने की संभावना है जो विमानपत्तन अवसंरचना में कुल निवेश का 64.07% है। राज्य क्षेत्रक विमानपत्तनों में निवेश 2009-10 से लगातार घटा है क्योंकि हैदराबाद और बैंगलोर की परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

तेल और गैस पाइप लाइन

9. ग्यारहवीं योजना में तेल और गैस पाइप लाइनों में निवेश बढ़कर 1,27,306 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है जबकि मूल अनुमान 16,855 करोड़ रुपये की ही था। निवेश में यह उल्लेखनीय वृद्धि इसलिए हुई है कि इस आंकड़े में, तेल पाइपलाइनों में निवेश की राशि भी शामिल है कि जबकि पूर्व के आंकड़ों में केवल गैस पाइपलाइन में निवेश की राशि को शामिल किया गया था। ग्यारहवीं योजना के दौरान तेल पाइप लाइनों में निवेश 1,08,190 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। इस श्रेणी में केन्द्र के बड़े निवेश भी शामिल हैं।

जलापूर्ति और स्वच्छता

10. योजना में जलापूर्ति और स्वच्छता में कुल निवेश 1,11,689 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है जो 1,43,730 करोड़ रुपये के मूल अनुमान से 22% कम हैं शहरी विकास के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना कार्यनीति में, शहरी अवसंरचना में सार्वजनिक क्षेत्र के एकाधिकार को त्याग दिया गया है जिसके कारण इस क्षेत्र में निवेश की संभावना पैदा हुई है।

सिंचाई

11. सिंचाई और जलसंभर प्रबंधन में निवेश ग्रामीण अवसंरचना का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। ग्यारहवीं योजना में, इस क्षेत्रक में कुल निवेश लगभग 2,46,234 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है जो पूर्व के अनुमान से 7.52% अधिक है और यह दसवीं योजना में हुए 1,19,894 करोड़ रुपये के निवेश के दोगुने से भी ज्यादा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दूरसंचार कंपनियों का विलय और अधिग्रहण

2337. श्री के. सुगुमार: क्या **संचार और सूचना प्रौधोगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं हेतु विलय और अधिग्रहण नियमों को अंतिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नए नियमों से सरकार को अधिक राजस्व की प्राप्ति होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) से (घ) सरकार ने स्पैक्ट्रम प्रबंधन और लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिशों पर अभी तक लिए गए अपने निर्णय को दिनांक 15 फरवरी, 2012 को घोषित किया है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस)/एकीकृत अभिगम सेवा (यूएएस) लाइसेंसों के अंतरा-सेवा क्षेत्र विलय के बारे में व्यापक दिशानिर्देश संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

स्पैक्ट्रम के मूल्य निर्धारण पर निर्णय अलग से लिया जाएगा।

विवरण

सीएमटीएस/यूएएस लाइसेंसों के अंतरा-सेवा विलय के संबंध में व्यापक दिशा-निर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित बातें शामिल होंगी:

1. संगत बाजार में उपभोक्ता आधार और लाइसेंसधारक के समायोजित सकल राजस्व, दोनों की बाजार शक्ति, बाजार अंश का निर्धारण करने हेतु विचार किया जाएगा। बाजार अंश का निर्धारण करने के लिए समस्त अभिगम बाजार संगत बाजार होगा और इसे 'वायरलाइन' और 'वायरलैस' के रूप में अलग से श्रेणीबद्ध नहीं किया जाएगा।

2. एक साधारण, तीव्र प्रक्रिया के द्वारा परिणामात्मक निकाय के 35% तक बाजार अंश का विलय किया जायगा। तथापि, किसी सेवा क्षेत्र में सीडीएमए स्पैक्ट्रम होल्डिंग हेतु 10 मेगा हट्र्ज/जीएसएम स्पैक्ट्रम पर 25% की ऊपरी सीमा का उल्लंघन किए बिना कुछ परिस्थितियों में बाजार अंश में 35% से आगे भी विलय करने संबंधी मामलों पर विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। ट्राई की इस सिफारिश, कि ऐसे मामलों में 60% तक बाजार अंश पर विचार किया जाए, को नोट कर लिया गया है। परिस्थितियों में स्पष्टता और वह सीमा जिस तक 35% से ऊपर बाजार अंश के विलय की अनुमति होगी, सुनिश्चित करने के लिए, समुचित प्राधिकारियों से परामर्श करने और ट्राई की सिफारिशों को प्राप्त करने के बाद विस्तृत पारदर्शी दृष्टिकोण निर्धारित किया जाएगा/अपनाया जाएगा।

3. सेवा क्षेत्र में लाइसेंसों के विलय के परिणामस्वरूप, 900 और 1800 मेगाहट्र्ज बैंडों के मामले में संबंधित सेवा क्षेत्र में परिणामात्मक निकाय द्वारा नीलामी या अन्यथा की मार्फत धारित कुल स्पैक्ट्रम, सौंपे गए स्पैक्ट्रम के 25% से अधिक नहीं होगा। 800 मेगाहट्र्ज बैंड के संबंध में ऊपरी सीमा 10 मेगा हट्र्ज होगी। अन्य बैंडों में स्पैक्ट्रम के संबंध में, उस स्पैक्ट्रम की नीलामी से संबंधित संगत शर्तें लागू होंगी।

4. यदि, विलय के परिणामस्वरूप, परिणात्मक निकाय द्वारा धारित कुल स्पैक्ट्रम निर्धारित सीमा से अधिक है तो अधिशेष स्पैक्ट्रम को अनुमति दिए जाने के एक वर्ष के अन्दर अभ्यर्पित कर दिया जाना चाहिए। सरकार उस बैंड को निर्धारित कर सकती है जिसे अलग से घोषित की जाने वाली स्पैक्ट्रम रिफार्मिंग नीति के अनुरूप अभ्यर्पित करने की आवश्यकता होगी।

5. परिणामात्मक निकाय की पर्याप्त इक्विटी और क्रास होल्डिंग यूएएस लाइसेंस के प्रावधानों के अनुरूप होगी।

6. संबंधित सेवा क्षेत्र में परिणामात्मक निकाय के लाइसेंस की अवधि विलय की तारीख पर दो अवधियों में से अधिक वाली अवधि के समान होगी। तथापि, इससे परिणामात्मक निकाय को लाइसेंस की अवधि के बीतने तक समग्र स्पैक्ट्रम को रखने का अधिकर नहीं मिलेगा।

7. विलय किए गए निकायों में से किसी निकाय की प्रारंभिक वैधता से अधिक नवीकृत वैधता की स्थिति में, 800/900 मेगाहट्र्ज बैंड में स्पेक्ट्रम की होल्डिंग, स्पैक्ट्रम रिफार्मिंग दिशानिर्देशों की तारीख या विलय के समय पर लाइसेंस की कम वैधता, जो भी बाद में हो, वाले विलयशील निकाय के विस्तार की संभावित तारीख से भविष्य में घोषित होने वाले लागू स्पैक्ट्रम रिफार्मिंग दिशानिर्देशों के मद्देनजर होगी।

8. परिणामात्मक निकाय द्वारा भुगतान किए जाने वाले स्पैक्ट्रम मूल्य से संबंधित मुद्दों का अलग से निर्धारण

किया जायगा। विलय के बाद वायरलैस प्रचालक लाइसेंस के नवीकरण के मामले में भी यही लागू होगा।

9. दो लाइसेंसों के विलय होने पर दोनों निकायों के एजीआर का भी विलय किया जाएगा और परिणामस्वरूप कुल एजीआर पर उस सेवा क्षेत्र हेतु विनिर्दिष्ट दर पर लाइसेंस शुल्क लगाया जाएगा। इसी प्रकार, स्पैक्ट्रम प्रभार के भुगतान हेतु दो लाइसेंसधारकों द्वारा धारित स्पैक्ट्रम को जोड़ा/विलय किया जाएगा और वार्षिक स्पैक्ट्रम प्रभार इस कुल स्पैक्ट्रम पर लागू निर्धारित दर पर होगा। तथापि, विलय के बाद निकाय द्वारा विभिन्न प्रौद्योगिकियों हेतु स्पैक्ट्रम की होल्डिंग की स्थिति में किसी अन्य यूएएस/सीएमटीएस लाइसेंसधारक के ही समान, स्पैक्ट्रम प्रभार एवं लाइसेंस शुल्क आदि या लाइसेंसप्रदाता द्वारा अपनाया जाने वाला कोई अन्य मानदंड लागू होगा।

10. इक्विटी की बिक्री/विलय हेतु लॉक इन अवधि से संबंधित यूएएस लाइसेंस के मौजूदा प्रावधान जारी रहेंगे।

श्रमिक आदान-प्रदान सहभागिता समझौता

2338. डॉ. निलेश नारायण राणे:
श्री कुलदीप बिश्नोई:

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशों में श्रमिकों को भेजने हेतु यूरोपियन देशों सहित विभिन्न देशों के साथ श्रमिक आदान-प्रदान सहभागिता समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन देशों के नाम क्या हैं; और

(ग) सरकार ने भारत के शिक्षित बेरोजगारों को विदेशों में नौकरी दिलाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) सरकार ने डेनमार्क के साथ एक श्रम मोबिलिटी साझेदारी करार (एलएमपीए) पर हस्ताक्षर किए हैं।

इस प्रकार के करारों के लक्ष्य और उद्देश्य हैं:-

(i) अनुचित अवरोधों को हटाकर और श्रम बाजार पहुंच को सुरक्षित करके, वैध उत्प्रवास को सुगम बनाना।

(ii) अनियमित उत्प्रवास के सभी रूपों का सामना करना और उन्हें रोकना।

(iii) उत्प्रवासियों की सुरक्षा और कल्याण को और सूचना और सहयोग के आदान-प्रदान को बढ़ाना और आपसी लाभों के लिए सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों की शुरुआत करना।

(ग) श्रम मोबिलिटी को प्रवासी स्रोत केन्द्र (एमआरसीज) और प्रवासी कामगार स्रोत केन्द्र (ओडब्लयूआरसी) के माध्यम के अलावा उत्प्रवास महासंरक्षी (पीजीई) के संस्थान के माध्यम से, उत्प्रवास संरक्षी के कार्यालयों के माध्यम से, सुगम बनाया जाता है। प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय ने उत्तर पूर्वी राज्यों में एक कौशल विकास पहल भी शुरू की है और विदेशों में रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए कौशल विकास हेतु एक प्लान योजना डिजाइन करने की प्रक्रिया में है।

[हिन्दी]

विशेष पैकेज

2339. श्रीमती कमला देवी पटले: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार से विशेष विकास पैकेज प्राप्त करने वाले राज्यों की संख्या कितनी हैं;

(ख) उन राज्यों को ऐसे पैकेज देने के क्या कारण है;

(ग) जिन राज्यों से विशेष पैकेज हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उनके नाम क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित छत्तीसगढ़ राज्य को कोई विशेष पैकेज देने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है: और

(च) यदि नहीं तो इसके कारण क्या हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ग) राज्य विशिष्ट आवश्यकता आधारित विशेष वितरण जब कभी आवश्यक हो वार्षिक/पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत वर्तमान कार्यक्रमों/स्कीमों के माध्यम से किया जाता है। हाल ही में भारत सरकार ने बीआरजीएफ के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, बिहार, और उड़ीसा के केबीके जिलों हेतु विशेष योजना के रूप में केन्द्रीय सहायता प्रधान मंत्री पुनर्निर्माण योजना एवं जम्मू व कश्मीर के लिए जम्मू व लद्दाख पैकेज अरूणाचल प्रदेश को प्रधान मंत्री का विशेष आर्थिक पैकेज उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के चयनित जिलों हेतु बुंदेलखंड सूखा शमन पैकेज महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र हेतु पुनर्वास पैकेज तथा गोवा के

लिए स्वर्ण जयंती पैकेज प्रदान की है तथा वामपंथ उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावी राज्यों में जनजातिय एवं पिछले जिलों के लिए एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) बनाई है।

उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर, ओडिशा, गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल राज्यो से ही में विभिन्न प्रयोजन हेतु विशेष पैकेज/विशेष सहायता के लिए राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए है।

(घ) से (च) जनजातीय एवं पिछड़े जिलों के लिए एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) के अंतर्गत कवर किए गए नौ राज्यों में से छत्तीसगढ एक है। आईएपी के अंतर्गत राज्य के दस जिले कवर किए गए हैं नामत: बस्तर बीजापुर दांतेवाड़ा जशपुर कांकेड़ कवर्धा कोरिया नारायणपुर राजनंद गांव तथा सरगुजा। एकीकृत कार्य योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले को वर्ष 2010-11 और 2011-12 के लिए क्रमश: 25 करोड़ रूपए तथा 30 करोड़ रूपए का ब्लॉक अनुदान दिया गया है।

विद्यालय विकास निधि

2340. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में अंतरिक्ष श्रेणियों के विद्यार्थियों को शिक्षण शुल्क देने से छूट प्राप्त है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित विद्यार्थियों को विद्यालय विकास निधि देने से भी छूट प्राप्त है;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जी हां। केन्द्रीय विद्यालयों में आरक्षित श्रेणियों के विद्यार्थियों को शिक्षण शुल्क देने से छूट प्राप्त है। शुल्क ढाँचे की एक प्रति के साथ छूट दी गई श्रेणियों की सूची संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) और (घ) जी नहीं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित विद्यार्थियों को विकास निधि देने से छूट प्राप्त नहीं है। तथापि निम्न श्रेणियों से संबंधित विद्यार्थियों को विद्यालय विकास निधि का भुगतान करने से छूट प्राप्त है: (i) गरीबी रेखा से नीचे वाली श्रेणी (ii) नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत दाखिल किए गए विद्यार्थी (iii) एकल बालिका के रूप में दाखिल (छठी कक्षा और उससे आगे)।

(ङ) विद्यालय विकास निधि के तहत केन्द्रीय विद्यालय संगठन विद्यालयों के विकास के लिए छात्रों से 240 रू. और 300रु. प्रति माह की अल्प राशि ले रहा है। यह राशि विद्यालय के विकास और छात्र समुदाय कल्याण के लिए खर्च की जा रही है।

विवरण

शुल्क ढांचा (प्रतिमाह)

1.	दाखिला शुल्क	रु. 25.00
2.	पुन: दाखिला शुल्क	रु. 100.00
3.	शिक्षण शुल्क	
3(क)	कक्षा IX एवं X (बालक)	रु. 200.00
3(ख)	कक्षा XI एवं XII वाणिज्य एवं मानविकी (बालक)	रु. 300.00
3(ग)	कक्षा XI एवं XII विज्ञान (बालक)	रु. 400.00
4.	कम्प्यूटर निधि	
4(क)	कक्षा 3 से आगे जहां कहीं कम्प्यूटर शिक्षा दी जा रही है	रु. 50.00
4(ख)	कम्प्यूटर विज्ञान शुल्क (वैकल्पिक विषयों के लिए) +2 स्तर	रु. 100.00
5.	विद्यालय विकास निधि	
5(क)	कक्षा I से X	रु. 240.00
5(ख)	कक्षा 11 एवं 12 (गैर विज्ञान)	रु. 240.00
5(ग)	कक्षा 11 एवं 12 (विज्ञान)	रु. 300.00

शिक्षण शुल्क विद्यालय विकास निधि और कम्प्युटर निधि के भुगतान की श्रेणीवार छूट

श्रेणी	शिक्षण शुल्क	कप्म्यूटर शुल्क	वीवीएन योगदान
कक्षा I-XII बालिका छात्राएं	छूट दी गई	छूट नहीं दी गई	छूट नहीं दी गई
अ. जा./अ.ज.जा.छात्र	छूट दी गई	छूट नहीं दी गई	छूट नहीं दी गई
केवीएस के कर्मचारियों के बच्चे	छूट दी गई	छूट नहीं दी गई	छूट नहीं दी गई
1962; 1965; और 1999 के युद्ध के दौरान सशस्त्र सेनाओं के उन अधिकारियों और कर्मचारियों और अर्धसैनिक कार्मिकों के बच्चे जो मारे गए आ अपंग हो गए और इसके साथ श्री लंका में भारतीय शांति सेना के रक्षा कार्मिकों के बच्चे और सियाचीन क्षेत्र में ऑपरेशन मेघदूत में तथा कारगिल में "ऑपरेशन विजय" में सशस्त्र सेना के आपरेशन में मारे गए या अपंग हो गए कार्मिकों के बच्चे इसके अतिरिक्त उन सशस्त्र सेनाओं और अर्धसैनिक बलों के बच्चे को शिक्षण शुल्क वीवीएन और कम्प्यूटर निधि के भुगतान से छूट को विस्तारित किया गया है जिनके माता-पिता भारत या विदेश में विद्रोहों को दबाने वाले अभियान के दौरान मारे गए लापता घोषित किए गए या पूर्णतया अपंग हो गए थे। यह छूट संबद्ध मंत्रालय द्वारा प्रमाणन प्राप्त होने के बाद प्रदान की जाती है।	छूट दी गई	छूट नहीं दी गई	छूट दी गई
उन माता-पिता के बच्चे जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं दो बच्चों तक और जिनके पास बीपीएल कार्ड हैं		छूट दी गई	
अपंग बच्चे	छूट दी गई	छूट नही दी गई	छूट दी गई
कक्षाएं VI से XII तक की सभी बालिका छात्राएं जो अपने माता-पिता की एकमात्र संतान है (वीवीएन एवं कम्प्युटर निधि से 01.01.2006 से)	छूट दी गई	छूट दी गई	छूट दी गई
किसी छात्र को आपातकालीन सहायता के रूप में	केवल चालू अकादमिक वर्ष के लिए छूट दी जाती है		
एक अकादमिक सत्र के लिए वीवीएन की छूट की अनुमति दी जाती है।			

परियोजना क्षेत्र के तहत केवीएस के संबंध में वे अपने स्वयं के विशिष्ट शुल्क कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकृत है।

[अनुवाद]

विकलांग बच्चे

2341. डॉ. रतन सिंह अजनाला: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न विद्यालयों में पता लगाए गए विकलांग बच्चों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विद्यालयों में तैनात मानव संसाधन कार्मिक राज्य-वार इन विकलांग बच्चों की देश-रेख करने में पूर्णतया सक्षम हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पता लगाए गए अथवा पता न लगाए गए, विद्यालय न जाने वाले विकलांग बच्चों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का इन विकलांग बच्चों की पहचान करने और उन्हें विशेष माहौल प्रदान करने की कोई योजना है जिससे कि वे भली-भांति प्रगति कर सकें और राष्ट्र-निर्माण में अपना योगदान कर सकें; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) देश में सर्व शिक्षा अभियान योजना के तहत वर्ष 2010-11 में कक्षा I से VIII हेतु 30.28 लाख विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों, माध्यमिक स्तर पर विकलांग हेतु समावेशी शिक्षा योजना के तहत वर्ष 2011-12 में कक्षा IX से XII हेतु 1.39 लाख विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की पहचान की गई है। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षक समावेशी शिक्षा के प्रति सन्मुख होते हैं ताकि वे विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए पूर्ण रूप से सक्षम हों। विभिन्न पद्धतियों द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रशिक्षित शिक्षकों के ब्यौरे-संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। माध्यमिक स्तर पर विकलांगों हेतु समावेशी शिक्षा योजना विशेष शिक्षकों की नियुक्ति तथा राष्ट्रीय संस्थानों/भारतीय पुनर्वास परिषद के शीर्ष संस्थानों के नियमित कार्यक्रमों के माध्यम से सामान्य तथा विशेष शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करती है।

(घ) 2001 की जनगणना के अनुसार देश में 40.90 लाख विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे हैं। राज्य वर ब्यौरे संलग्न विवरण -III में दिए गए हैं।

(ङ) और (च) माध्यमिक स्तर पर विकलांग स्तर पर विकलांग बच्चों हेतु समावेशी शिक्षा योजना अप्रैल 2009 में शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य सभी विकलांग छात्रों को आठ वर्षो की प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के पश्चात् समावेशी तथा अनुकूल माहौल में चार और वर्षो की माध्यमिक शिक्षा (कक्षा IX से XII) प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाना है।

विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों हेतु अनुकूल माहौल में समावेशी शिक्षा के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा/अथवा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है जिसमें अन्य के साथ-साथ स्कूलों को बाधामुक्त बनाना, विशेष शिक्षकों का नियोजना, उपयेक्त शिक्षण अध्ययन सामग्री का प्रयोग करना तथा साथ ही संसाधन कक्षों का निर्माण तथा सज्जित करना शामिल है।

विवरण I

सर्व शिक्षा अभियान तथा माध्यमिक स्तर पर विकलांग हेतु समावेशी शिक्षा योजना के तहत अभिज्ञात विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों का राज्य-वार ब्यौरा

संख्या	राज्य का नाम	सर्व शिक्षा अभियान के तहत अभिज्ञात विशेष आवश्यकताओं वाले कुल बच्चे (2010-11 में)	माध्यमिक स्तर पर विकलांगों हेतु समावेशी शिक्षा योजना के तहत अभिज्ञात विशेष आवश्यकताओं वाले कुल बच्चे (2001-12 में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	188525	7379
2.	अरुणाचल प्रदेश	17641	*
3.	असम	99003	849
4.	बिहार	313500	*
5.	छत्तीसगढ़	55764	*
6.	गोवा	1647	*
7.	गुजरात	107924	10768
8.	हरियाणा	33191	5834

1	2	3	4
9.	हिमाचल प्रदेश	19242	4001
10.	जम्मू और कश्मीर	24781	*
11.	झारखंड	80343	*
12.	कर्नाटक	125251	7606
13.	केरल	124854	29657
14.	मध्य प्रदेश	90931	20764
15.	महाराष्ट्र	410377	281
16.	मणिपुर	7816	334
17.	मेघालय	10246	*
18.	मिजोरम	6769	717
19.	नागालैंड	5862	3695
20.	ओडिशा	123101	3916
21.	पंजाब	115685	*
22.	राजस्थान	249551	6273
23.	सिक्किम	1045	*
24.	तमिलनाडु	130109	15265
25.	त्रिपुरा	3183	491
26.	उत्तर प्रदेश	397511	*
27.	उत्तराखंड	22390	1774
28.	पश्चिम बंगाल	239843	11653
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	466	*
30.	चंडीगढ़	3349	202
31.	दादरा और नगर हवेली	232	*
32.	दमन और दीव	1031	*
33.	दिल्ली	13568	7127
34.	लक्षद्वीप	333	*
35.	पुडुचेरी	2996	*
	कुल	3028060	138586

*इन राज्यों में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की पहचान संबंधी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

विवरण II

सर्व शिक्षा अभियान के तहत समावेशी शिक्षा में प्रशिक्षित शिक्षकों का राज्य-वार ब्यौरा

संख्या	राज्य का नाम	वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के भाग के रूप में समावेशी शिक्षा	3-6 दिवस के प्रशिक्षण कार्यक्रम	90 दिवस के प्रशिक्षण कार्यक्रम
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	161031	220871	638
2.	अरुणाचल प्रदेश	4069	921	83
3.	असम	167267	91924	5880
4.	बिहार	179499	139557	8072
5.	छत्तीसगढ़	87560	54399	2476
6.	गोवा	1257	1257	95

1	2	3	4	5
7.	गुजरात	202575	67845	4969
8.	हरियाणा	66000	42850	1501
9.	हिमाचल प्रदेश	45319	32716	1412
10.	जम्मू और कश्मीर	41797	1067	451
11.	झारखंड	42260	17052	960
12.	कर्नाटक	89534	69846	45922
13.	केरल	79955	33363	0
14.	मध्य प्रदेश	75204	18264	21810
15.	महाराष्ट्र	380000	380000	7760
16.	मणिपुर	3062	1210	2642
17.	मेघालय	6829	7292	824
18.	मिजोरम	4416	2600	415
19.	नागालैंड	0	1862	235
20.	ओडिशा	121945	71585	8207
21.	पंजाब	75058	358	970
22.	राजस्थान	63901	153686	4736
23.	सिक्किम	0	0	150
24.	तमिलनाडु	203411	0	1140
25.	त्रिपुरा	19606	5478	149
26.	उत्तर प्रदेश	179397	141995	830
27.	उत्तराखंड	43629	34795	1257
28.	पश्चिम बंगाल	258533	149116	1357
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	40	150	0
30.	चंडीगढ़	297	523	360
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0
33.	दिल्ली	47792	1182	927
34.	लक्षद्वीप	0	220	0
35.	पुडुचेरी	1780	1166	120
	कुल	2653023	1745150	126348

विवरण III

जनगणन 2001 के अनुसार विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा

संख्या	राज्य का नाम	जनगणना 2001 के अनुसार विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की कुल संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	244560
2.	अरुणाचल प्रदेश	4230
3.	असम	101511
4.	बिहार	457952
5.	छत्तीसगढ़	76428
6.	गोवा	1975
7.	गुजरात	171391
8.	हरियाणा	82691
9.	हिमाचल प्रदेश	21656
10.	जम्मू और कश्मीर	61311
11.	झारखंड	99324
12.	कर्नाटक	176623
13.	केरल	71226
14.	मध्य प्रदेश	262606
15.	महाराष्ट्र	279138
16.	मणिपुर	3604
17.	मेघालय	5500
18.	मिजोरम	2459
19.	नागालैंड	4169
20.	ओडिशा	176040
21.	पंजाब	75198
22.	राजस्थान	257607
23.	सिक्किम	2965
24.	तमिलनाडु	201221
25.	त्रिपुरा	9317
26.	उत्तर प्रदेश	814237
27.	उत्तराखंड	35190
28.	पश्चिम बंगाल	337146
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1158
30.	चंडीगढ़	2816
31.	दादरा और नगर हवेली	676
32.	दमन और दीव	458
33.	दिल्ली	44714
34.	लक्षद्वीप	290
35.	पुदुचेरी	2927
	कुल	4090314

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा

2342. श्रीमती जे. शान्ताः क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) की समीक्षा करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के अनेक राज्यों ने 10+2+3 प्रणाली को अभी तक स्वीकार नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) देशभर में एक समान शिक्षा नीति के कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(च) देश के सभी राज्यों में एक समान शिक्षा नीति को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) 15 अगस्त, 2011 को प्रधानमंत्री द्वारा की गयी घोषणा के अनुसरण में सरकार ने शिक्षा के सभी स्तरों में सुधारों के लिए सिफारिशें देने के लिए एक शिक्षा आयोग का गठन करने का निर्णय लिया है। सरकार द्वारा व्यापक परामर्शों के पश्चात प्रस्तावित आयोग के संविधान और विचारार्थ विषयों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) से (च) सरकार 1992 में यथा संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का पहले ही अनुपालन कर रही है जिसमें ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का प्रावधान है कि एक पद्रत्त स्तर तक जाति, धर्म, स्थान अथवा लिंग से निरक्षेप रहते हुए सभी छात्रों को एक समतुल्य गुणवत्ता की शिक्षा तक पहुंच प्रदान हो। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणली में एक समान शैक्षिक ढांचे पर विचार किया गया है। देश के अधिकांश भागों में अब 10+2+3 ढांचे को स्वीकार कर लिया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य स्तरों पर होने वाले परिवर्तनों को देखते हुए स्कूल पाठ्यचर्या अवसंरचना की आवधिक रूप से समीक्षा करना सरकार के लिए अनिवार्य बनाने का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2005 में एनसीईआरटी ने देश भर में विचार-विमर्शो की व्यापक प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रीय पाठ्यक्रचर्या अवसंरचना तैयार की है जो एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पक्षधर है जिसमं अन्य परिवर्तनशील घटकों के साथ एक प्रमुख सामान्य पाठ्यचर्या शामिल हैं। इस समान पाठ्यचर्या में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, संवैधानिक बाध्यताएं तथा राष्ट्रीय पहचान के लिए आवश्यक अन्य घटक शामिल हैं।

ये घटक विषय क्षेत्रों में अंतरविषयक होते हैं तथा भारत की सामान्य संस्कृतिक विरासत, बंधुत्व लोकतंत्र तथा धर्मनिरपेक्षता, स्त्री-पुरुष समानता, पर्यावरण, संरक्षण, सामाजिक अवरोध दूर करना, छोटे परिवार के मानदंड अपनाना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समावेश करने जैसे मूल्यों का संवर्धन करने हेतु तैयार किए गए हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार, एनसीईआरटी द्वारा विकसित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वार अपना ली गयी है और शेष राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों में संशोधन करने की कार्रवाई आरंभ कर दी है।

एअर लाइनों द्वारा एएआई को देय राशि

2343. श्री प्रहलाद जोशी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान एअरलाइनों द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को विलंब से भुगतान/देय राशि का एअरलाइन-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का ऐसी लम्बी देरी हेतु दांडिक ब्याज वसूलने और बकाया देय राशि वसूलने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उपर्युक्त अवधि के दौरान दांडिक ब्याज के माध्यम से कुल वसूली गई/वसूल किए जाने वाली राशि का एअरलाइन-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) बकाया देय राशि की वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है और उक्त बकाये की वसूली के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (ग) जी, हां। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को विभिन्न एयरलाइनों से बकाया देय राशि का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) एयरलाइनों से बकाया देय राशियों की वसूली के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं: (1) बकाया देय राशियों की मानीटरिंग नियमित आधार पर की जाती है, (2) विलंब के मामले में विमानपत्तन प्राधिकरण देयों के निपटान के लिए एयरलाइनों को नोटिस जारी करता है, (3) बिलों के निपटान में विलंब पीनल ब्याज वसूला जा रहा है, तथा (4) जहां फिर भी विलंब हो रहा है, वहां प्रतिभूति जमा के नगदीकरण के अतिरिक्त चूककर्ता एयरलाइन को "कैश एण्ड कैरी" पर रखा जाता है।

विवरण

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

एयरलाइनों द्वारा विलंबित भुगतान/भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को देय राशियों का ब्यौरा

(राशि करोड़ रु. में)

क्र.सं	एयरलाइन का नाम	2003-09	2009-10	2010-11	2011-12	एकत्र किया गया/किया जाने वाला पीनल (ब्याज 31.12.2011 तक)
1	2	3	4	5	6	7
1 राष्ट्रीय वाहक						
1	एअर इंडिया लिमिटेड (पूर्ववर्ती इंडियन एयर लाइन पूर्ववती एअर इंडिया, एअर इंडिया एक्सप्रेस तथा लाइंस एयर)	313.94	535.12	736.85	1077.09	173.50
2. प्रमुख घरेलू एयरलाइनें						
2	गो एयर	6.83	5.31	4.66	5.08	1.11
3.	इंडिगो (इंटरगोवल एविएशन)	3.53	2.63	2.78	12.66	0.51
4.	जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड	20.24	27.56	24.10	82.94	6.69
5.	जेट लाइट (इंडिया) लिमिटेड	7.57	9.88	7.85	19.12	1.65
6.	किंगफिशर एयरलाइंस	183.51	100.56	196.74	184.69	70.58
7.	पैरामाउंट एयरलाइंस		13.71	3.67	2.35	3.04
8.	स्पाईस जेट एयरवेज	4.56	5.04	12.38	34.54	2.04
9.	अन्य	49.99	43.48	53.55	44.10	3.64
	कुल योग	276.23	208.17	305.73	385.48	89.26
3	**प्रमुख विदेशी एयरलाइनें**					
10.	एयर अरेबिया	0.8	2.0	1.9	3.8	0.37
11.	एलिटेलिया इटेलियन एयरलाइंस	1.0	1.3	1.4	0.3	0.13
12.	कार्गोलक्स	3.06	5.5	4.9	2.8	0.52
13.	ब्रिटिश एयरवेज	0.71	1.39	0.69	1.07	0.39
14.	कैथे पैसेफिक एयरवेज लि.	2.53	2.24	1.96	3.07	0.13

1	2	3		4		5
15.	एमिरात	5.67	7.42	5.96	13.94	0.99
16.	एथोपिया एयरलाइन	1.34	1.09	2.21	1.74	0.17
17	इतीहाद एयरलाइन	2.41	2.53	2.95	5.07	0.47
18.	गल्फ एयरवेज	3.04	4.27	3.87	5.34	0.74
19.	कूबेत एयरवेज	0.51	0.89	0.58	1.22	0.16
20.	लुफथान्जा जर्मन एयरवेज	1.75	3.19	2.60	2.28	0.61
21.	लुफथान्जा जर्मन एयरवेज कार्गो डिविजन)	0.63	0.95	0.79	0.88	0.13
22.	मलेशिया एयरवेज	2.56	1.67	0.97	3.39	0.08
23.	ओमान एयर	0.59	1.05	0.68	1.94	0.15
24.	कतर एयरवेज	2.44	3.35	3.26	8.45	0.02
25.	साउदी अरेबियन एयरवेज	1.29	1.86	1.77	7.16	0.42
26.	सिंगापुर एयरलाइंस लि.	4.65	5.05	4.20	6.26	0.34
27.	श्रीलंकन एयरलाइंस लि.	1.11	5.46	2.52	4.48	0.70
28.	थाई एयरवेज इंटरनेशनल पीसीएल	4.64	5.28	3.78	8.10	1.43
29.	तुर्किश एयरवेज	1.88	1.65	1.80	2.08	0.77
30.	तुर्कमानिशतान एयरलाइंस	1.06	0.80	1.50	1.17	0.02
31.	अन्य (ओवर फ्लाइंग सहित)	117.57	104.42	118.02	101.23	10.05
	कुल योग	161.36	163.47	168.48	185.89	18.79
	सकल योग	751.53	906.76	1211.06	1648.46	281.55

[हिन्दी]

नेपाल की चीन के साथ निकटता

2344. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेपाल के कतिपय प्रख्यात व्यक्ति भारत के बजाय चीन के साथ निकट संबंध बनाए रखने के पक्ष में हैं;

(ख) यदि हां, तो नेपाल के साथ निकट संबंध बनाने के लिए सरकार द्वारा विचार किए जा रहे पहलकदमियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दिशा में अब तक उठाए गए सकारात्मक पहलकदमियों के मद्देनजर ऐसे वक्तव्यों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (ग) नजदीकी पड़ोसियों के रूप में भारत नेपाल के बीच गहरे मैत्री एवं सहयोग के अनूठे रिश्ते रहे हैं। जो मुक्त सीमा-क्षेत्र तथा दोनों के लोगों के बीच गहरे संबंधों से परिलक्षित होते हैं भारत सरकार नेपाल के साथ अपने संबंधों को उच्च प्राथमिकता देती है और वह इस रिश्तो को और प्रगाढ बनाने तथा इसका दायरा बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है भारत और नेपाल के बीच संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और इसे चीन सहित अन्य देशों के साथ नेपाल के संबंधों के नजरिए से नहीं देखा जा सकता। साथ

ही एक मुक्त एवं स्वतन्त्र समाज के तौर पर नेपाल में भिन्न-भिन्न विचारधाराओं वाले लोग हैं। हो सकता है इनमें से कुछ लोग दोनों देशों के बीच गहरे संबंधों को पंसद न करते हों। भारत सरकार अवसंरचना मानव संसाधन विकास स्वास्थ्य विद्युत नागरिक उड्डयन पर्यटन कृषि तथा जल संसाधन के क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु नेपाल के साथ सहयोग करती रही है। लघु विकास परियोजना स्कीम के तहत स्थानीय आबादी द्वारा अनिर्धारित क्षेत्रों में तृणमूल स्तर पर सहायता प्रदान की जाती है। नेपाल में क्षमता निर्माण तथा मानव संसाधन विकास हेतु सहयोग के बाबत भारतीय प्रयास के रुप में नेपाली विद्यार्थियों को भारत तथा नेपाल में विभिन्न पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने के लिए सालाना 1800 से भी छात्रवृत्तियां दी जाती है। यह संपर्क व्यवस्था बढाने के प्रयोजनार्थ भारत सीमा अवसंरचना के विकास एवं स्तरोन्नयन में सहयोग कर रहा है। जिनमें भारत-नेपाल सीमा पर एकीकृत चेक पोस्टों सड़क तथा रेल संपर्को की व्यवस्था करना शामिल है। दोनों देशों के बीच नियमित उच्चस्तरीय वार्ताओं से भी नेपाल के साथ गहरे संबंधों का और विस्तार करने के बाबत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास परिलक्षित होते है। नेपाल के प्रधान मंत्री डॉ. बाबूराम भट्टाराय ने अक्तूबर 2011 में भारत की राजकीय यात्रा की। विदेश मंत्री ने अप्रैल 2011 में नेपाल की यात्रा की। उन्होने पहले जनवरी 2011 में नेपाल की यात्रा की थी। वित्त मंत्री ने नवंबर 2011 में नेपाल की यात्रा की थी।

[अनुवाद]

समयबद्ध प्रशासनिक कार्रवाई

2345. श्री रवनीत सिंहः क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का देश में सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई और अभियोजना हेतु समय-सीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पहल के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के संरक्षण कवर को हटाने संबंधी संविधान के अनुच्छेद 311 में संशोधन करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) सरकार ने अनुशासनिक/सतर्कता कार्यवाहियों से जुड़ी प्रक्रिया की जांच-पड़ताल करने और इसे शीघ्र निपटाने के क्रम में उपाय सुझाने के लिए एक तीन, सदस्यीय विशेषज्ञ समिति नियुक्ति की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि लघु शास्ति अनुशासनिक जांच-पड़ताल के पूरा किया जाने के लिए 2 माह और भारी शास्ति अनुशासनिक जांच पड़ताल के पूरा किए जाने के लिए 12 माह की समय-सीमा निर्धारित की जाए।

भ्रष्टाचार को रोकने के एक निवारक उपाय के एक हिस्से के रूप में यह अनिवार्य है कि अनुशासनिक कार्यवाहियां समय पर पूरी हों और दोषी अधिकारियों को सजा मिले। ऐस करना अन्यों के लिए निवारक के रूप में कम करेगा।

(ग) और (घ) भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले उपायों पर विचार करने के लिए सरकार ने एक मंत्रिमंडल गठित किया हैं इसके विचारार्थ विषयों में से एक विषय था लोक सेवकों द्वारा किए गए गभीर अपराध अथवा घोर भ्रष्टाचार के मामनों में समरी प्रोसीडिंग्स का प्रावधान करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 311 में संशोधन करने पर विचार करना था। मंत्रिदल ने यह महसूस किया कि अनुच्छेद 311 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता नहीं है और घोर भ्रष्टाचार/गंभीर अपराध रोकने का उपाय, नए कानून बनाने की अपेक्षा मौजूदा कानूनों को प्रभावकारी कार्यान्वयन करने में है। सरकार ने मंत्रिमंडल का यह मत स्वीकार कर लिया है।

[हिन्दी]

डाकघरों में पतों का रिकार्ड

2346. कुमारी सरोज पाण्डेयः
श्री जफर अली नकवीः

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या डाक विभाग की एक उच्चाधिकार समिति ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के प्रत्येक घर का पता डाकघरों में पंजीकृत करवाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है; और

(घ) इसके कब तक पूरा होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) जी नहीं। डाक विभाग द्वारा ऐसी किसी समिति का गठन नहीं किया है तथापि डाक विभाग ने पता निर्देशिकाओं के विकास के लिए राष्ट्रीय पता डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली नामक परियोजना शुरु की है।

(ख) दिल्ली एवं कोलकाता के लिए स्ट्रीट निर्देशिकाएं तैयार की जा चुकी हैं।

(ग) पता संबंधी डाटा एकत्र करना निरंतर चलने वाला कार्य है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एन.एल.सी. को नवरत्न का दर्जा

2347. श्री मानिक टैगोर: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को नैवली लिग्नाइट कार्पोरेशन (एन.एल. सी.) को नवरत्न का दर्जा प्रदान करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) एन.एल.सी. को कब तक नवरत्न का दर्जा दिए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) नेयवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लि. (एनएलसी) को 11.04.2011 से नवरत्न का दर्जा दिया जा चुका है नवरत्न कंपनी के रूप में, एनएलसी को व्यापक वित्तीय शक्तियां तथा इसके कार्यचालन में और अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई है।

(ग) उपर्युक्त उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हज तीर्थयात्री

2348. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सऊदी अरब द्वारा हज के लिए अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट को अनिवार्य बनाए जाने के निर्णय के कारण भारत से हज यात्रियों की संख्या में तेजी से कमी आई है;

(ख) यदि हां, ता तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा हज यात्रियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

(घ) भारत सरकार भारतीय हज समिति के समन्वय से निम्नलिखित के माध्यम से हज यात्रा में सहयोग करती है:

(i) मक्का, मदीना और जेद्दा में रहने की व्यवस्था और अन्य संभारतंत्रीय सहयोग करके

(ii) हज के दौरान हाजियों की सहायता करने के लिए डॉक्टरों और पारामेडिक्स समन्वयकों सहायक हज अधिकारियों हज सहायकों और खादिम-उल-हुज्जाज की प्रतिनियुक्ति करके

(iii) मक्का और मदीना में हाजियों के लिए अस्पतालों, औषधालयों और एंबुलेंसों की स्थापना करके और दवाईयों की आपूर्ति करके

(iv) भारत के 21 उड़ान स्थलों से जेद्दा जाने और वापसी की हवाई यात्रा को आसान बनाकर

(v) वार्षिक हज समीक्षा बैठक में इन व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाती है और प्राप्त फीडबैक के आधार पर सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

जैतापुर परमाणु ऊर्जा परियोजना का पर्यावरणीय प्रभाव आकलन

2349. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यावरणीय संगठन ग्रीनपीस और अमरीकी भू-वैज्ञानिकों ने जैतापुर परमाणु ऊर्जा परियोजना के एक और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ई.आई.ए.) और भूकंप प्रभाव के आकलन का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन वैज्ञानिक और पर्यावरणीय आशंकाओं के बावजूद परियोजना को आरंभ करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन आशंकाओं के समाधान हेतु हाल ही में कोई उपाय किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) ग्रीनपीस संगठन ने दिनांक 23 नवम्बर, 2011 को एक प्रैस रिलीज में 'करेंट साइंस' जर्नल में दो भूवैज्ञानिकों, रोजगार बिल्हम और विनोद गौड़ द्वारा जैतापुर में भूकम्पनीयता के संबंध में लिखे गए एक लेख का हवाला दिया है, जिसमें पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अध्ययनों को दोबारा किए जाने का सुझाव दिया गया है।

(ग) और (घ) नाभिकीय रिएक्टरों के डिजाइन के लिए भूकम्पनीयता से संबद्ध इनपुट्स प्राप्त करते समय, भूकम्पनीय आंकड़ों और विशेषज्ञों के मतों को ध्यान में रखा गया है। 'करेंट साइंस' जर्नल के लेख में उठाए गए मुद्दों को भी, डिजाइन प्राचलों को तैयार करते समय ध्यान में रखा गया है। इसी को न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) द्वारा एक प्रैस रिलीज के दौरान स्पष्ट किया गया था। सभी संगत तथ्यों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय (एमओईएफ) द्वारा जैतापुर परियोजना के लिए पर्यावरणीय अनुमति दी गई थी।

ङ) ऊपर (ग) तथा (घ) के मद्देनजर यह प्रश्न ही नहीं उठता।

छोटे शहरों के लिए छोटी एयरलाइन्स

2350. श्री पोन्नम प्रभाकर: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार छोटे शहरों, विशेषकर हैदराबाद से विजयवाड़ा से तिरूपति, तिरूपति से विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा से विशाखापत्तनम से 50 से 60 सीटों की क्षमता वाले छोटे विमानों को प्रोत्साहित और संचालित कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) अनुसूचित विमान परिवहन यात्री सेवाओं/क्षेत्रीय सेवाओं के प्रचालन की अनुमति प्रदान किए जाने के लिए न्यूनतम अपेक्षाओं पर नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा सीएआर जारी किया गया है। उक्त सीएआर में, ऐसी सेवाओं के प्रचालन के लिए एयरलाइनों के बेड़े में न्यूनतम विमानों की संख्या निर्धारित की गई है। यह विमान की वहन क्षमता को विनिर्दिष्ट नहीं करती। विमान में बैठने की क्षमता के साथ विशेष प्रकार के विमान चयन किया जाना एयरलाइनों का वाणिज्यिक निर्णय होता है और एयरलाइनों के वाणिज्यिक मामलों पर मंत्रालय हस्तक्षेप नहीं करता है।

इस समय एअर इंडिया, जेट एयरवेज तथा स्पाइस जेट द्वारा हैदराबाद-विजयवाड़ा मार्ग पर अनुसूचित विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। तथापि, विजयवाड़ा-तिरूपति, तिरूपति-विशाखापत्तनम तथा विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम मार्गो पर कोई अनुसूचित एयरलाइन प्रचालन नहीं कर रही है।

घरेलू सेक्टर में प्रचालनों को डी-रेगुलेट किया गया है और मार्ग संवितरण दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर संबंधित एयरलाइनों द्वारा उड़ानें प्रचालित की जा रही हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र समेत देश के विभिन्न क्षेत्रों की विमान परिवहन सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विमान परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमन के दृष्टिगत, सरकार द्वारा मार्ग संवितरण संबंधी दिशा-निर्देश निर्धारित किया गया है। तथापि, यह एयरलाइनों पर निर्भर करता है कि वे मार्ग संवितरण संबंधी दिशा-निर्देश निर्धारित किया गया है। तथापि, यह एयरलाइनों पर निर्भर करता है कि वे मार्ग संवितरण संबंधी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए यातायात की मांग तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर विशिष्ट स्थानों के लिए विमान सेवा उपलब्ध कराए।

[हिन्दी]

विभागीय कार्रवाई

2351. श्री पशुपति नाथ सिंह: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि सरकारी कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई करने के लिए माननीय राज्यपाल की अनुमति आवश्यक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस निर्णय से पूर्व विभागीय कार्रवाई हेतु लंबित मामलों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस आदेश के आलोक में ऐसे मामलों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिनके संबंध में विभागीय कार्रवाई आरंभ की जा चुकी है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) जी हां। उच्चतम न्यायालय ने शमशेर सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य (1974 एआईआर 2192) के मामले में दिनांक में अपने दिनांक 23.8.1974 के निर्णय में यह निर्णय दिया है कि राष्ट्रपति के साथ-साथ राज्यपाल अपनी मंत्री परिषद् की सहायता एवं सलाह पर संविधान के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों एवं कार्यों का प्रयोग करते हैं केवल ऐसे क्षेत्रों को छोड़कर जहां राज्यपाल को संविधान के द्वारा या तहत अपने विवेक से अपने कार्यों को करना अपेक्षित होता है। उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया है कि न तो राष्ट्रपति और न ही राज्यपाल वैयक्तिक रूप से कार्यपालक कार्यों को कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश राज्य एवं संगठन बनाम डॉ. यशवंत त्रिम्बक (1996 एआईआर 765) के मामले में दिनांक 4.12.1995 के अपने विवेक से कार्य करना अपेक्षित होता हैं को छोड़कर राज्यपाल के निजी सन्तोष की अपेक्षा नहीं होती है तथा किसी भी कार्य को मंत्रियों को आबंटित किया जा सकता है।

(ग) और (घ) ऐसे मामलों के ब्यौरे केंद्रीयकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं।

[अनुवाद]

नवोदय विद्यालयों में चिकित्सा सुविधाएं

2352. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में प्रत्येक जवाहर नवोदय विद्यालय (जे.एन.वी.) के छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को बुनियादी चिकित्सा सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार उन विद्यालयों के नाम क्या हैं जहां छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों की देख-रेख के लिए चिकित्सा अधिकारी और स्टाफ नर्स की तैनाती नहीं की गई है; और

(ग) ऐसे प्रत्येक विद्यालय में नियमित चिकित्सा परिचर की नियुक्ति किए जाने तक वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, हां। प्रत्येक जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए नियमित स्टाफ नर्स की संवीकृति दे दी गई है ताकि छात्रों को चिकित्सा सहायता प्रदान की जा सके। इसके अतिरिक्त, छात्रों की चिकित्सा समस्याओं पर ध्यान देने के लिए विद्यालयों का नियमित रूप से दौरा करने के वास्ते निकट के सरकारी अस्पताल/औषधालय से एक अंशकालिक डॉक्टर की तैनाती भी की गई है। किसी आवश्यकता के मामले में, छात्रों को चिकित्सा उपचार के लिए निकट के जिला अस्पतालों में ले जाया जाता है।

(ख) देश में 586 जवाहर नवोदय विद्यालयों में से केवल 16 जवाहर नवोदय विद्यालय ऐसे हैं जिनमें वर्तमान में स्टाफ नर्स का भरा हुआ पद नहीं है जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है

(ग) इन जवाहर नवोदय विद्यालयों में अंशकालिक स्टाफ नर्सों की तैनाती की गई है ताकि छात्रों को बुनियादी चिकित्सा सहायता प्रदान की जा सके।

विवरण

उन विद्यालयों के नामों का ब्यौरा जिनमें नियमित स्टाफ नर्स का पद रिक्त है

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	विद्यालय का नाम
1.	मध्य प्रदेश	नीमच
2.	जम्मू और कश्मीर	बुदगाम
		कारगिल
3.	बिहार	सुपोल
4.	झारखंड	पाकुर-2
		गुमला
5.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम-मिदनापुर
		पूर्व-मिदनापुर
		उत्तर-दिनाजपुर
		उत्तर-24 परगना
		जलपाईगुड़ी
		दार्जिलिंग
6.	गुजरात	कच्छ
		भावनगर
		नवसारी
		पोरबंदर

भारत के साथ हवाई सेवा से जुड़े देश

2353. श्री एन. चेलुवरया स्वामी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान समय में भारत के साथ हवाई सेवा से जुड़े देशों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का कुछ और देशों को सीधे हवाई सेवा से जोड़ने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) हालांकि भारत के 109 देशों के साथ हवाई सेवा करार हैं, तथापि आज की तारीख में भारत के साथ हवाई सेवाओं से जुड़े देश ये हैं:-

अफगानिस्तान, आस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बहरीन, भूटान, चीन, मिश्र, इथोपिया, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग, इरान, इस्राइल, इटली, जापान, जोर्डन, कीनिया, दक्षिण कारिया, कुवैत, मलेशिया, मॉरीशस, म्यांमार, नेपाल, हालैंड, ओमान, पाकिस्तान, कतर, रूस, फेडरेशन, सउदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, स्विटजरलैंड, ताइवान, थाइलैंड, तुकी, तुर्कमेनिस्तान, यूएई, यूके, उक्रैन, अमरीका, उजबेकिस्तान, यमन, फिनलैंड, कजाखस्तान, मालदीव, फिलीपींस, तजाकिस्तान, बेल्जियम, कनाडा।

(ख) से (घ) अन्य देशों के साथ हवाई सेवा करार किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। तथापि, किसी भी एयरलाइन द्वारा वास्तविक प्रचालन सदैव उसके वाणिज्यिक निर्णय द्वारा निर्दिष्ट होते हैं।

[हिन्दी]

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में प्राथमिक विद्यालय

2354. श्री विष्णु पद राय: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में प्राथमिक, मिडिल, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की संख्या क्या है;

(ख) ऐसे विद्यालयों की संख्या कितनी है जिनमें स्वच्छ पेयजल और शौचालय की सुविधाएं हैं;

(ग) ऐसे विद्यालयों की संख्या कितनी है जहां शौचालयों की सुविधा नहीं है; और

(घ) उन विद्यालयों, जहां ये सुविधाएं नहीं हैं, में स्वच्छ पेयजल और शौचालय सुविधाएं कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में कुल 311 स्कूल हैं जिनमें से 174 प्राथमिक स्कूल, 52 मिडिल स्कूल, 41 माध्यमिक स्कूल 44 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल हैं।

(ख) से (घ) 268 स्कूलों में पेय (पोटेबल) नलिका वाली जल आपूर्ति, 24 स्कूलों में पोटेबल कुआं से जल आपूर्ति है तथा 19 स्कूल जल की आवश्यकता को मौसमी वर्षो तथा नालों के माध्यम से पूरा कर रहे हैं। जहां तक शौचालय सुविधाओं का प्रश्न है, 300 स्कूलों में स्थायी शौचालय हैं और शेष 11 स्कूलों में अस्थायी शौचालय सुविधाएं है। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन स्कूलों में पेयजल की उपलब्धता तथा शौचालयों में सुधार के लिए कदम उठा रहा है।

[अनुवाद]

एमटीएनएल और बीएसएनएल की सीडीएमए सेवाएं

2355. श्री आर. ध्रुवनारायण: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) की सीडीएमए आधारित सेवा सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रही है और इस खंड में इसके अंश में गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) और (ख) जी, हां। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) द्वारा प्रदत्त सीडीएमए आधारित सेवाओं की सेवा की गुणवत्ता के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, तथापि, ये सेवाएं समामन्यत: सन्तोषजनक रूप से कार्य कर रही हैं।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा तैयार किए गए सीडीएमए आधारित सेवाओं के आंकड़ों के अनुसर दिनांक 31. 3.2010, 31.03.2011 और 30.9.2011 की स्थिति के अनुसार बीएसएनएन और एमटीएनएल का बाजार शेयर निम्नलिखित प्रकार रहा है:

	31.03.2010	31.03.2011	30.09.3011
बीएसएनएल	5.82%	4.92%	4.34%
एमटीएनएल	0.29%	0.25%	0.23%

इस कमी के मुख्य कारण प्रतिस्पर्धात्मक माहौल और ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्यूनिकेशंस (जीएसएम) आधारित मोबाइल प्रचालकों की बढ़ती संख्या तथा जीएसएम कवरेज में वृद्धि हैं

(ग) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सीडीएमए आधारित सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बीएसएनएल द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

- उपस्कर आपूर्तिकर्ताओं के साथ वार्षिक अनुरक्षण संविदा (एएमसी) करने की व्यवस्था की गई है।
- ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों जहां एफडब्ल्यूटी के वर्द्धित बैटरी बैकअप की रिचार्जिंग हेतु विद्युत की आपूर्ति की स्थिति खराब है, में फिक्सड वायरलेस टर्मिनलों के साथ स्विच मोड पावर सप्लाई (एसएमपीएस) का उपयोग किया जा रहा है।
- नवीनतम मोबाइल स्विचिंग केन्द्र (एमएससी) आधारित प्रौद्योगिकी का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है।
- आवश्यक सुधारक कार्रवाई हेतु नियमित रूप से सेवा की गुणवत्ता संबंधी पैरामीटरों की निगरानी की जा रही है।

[हिन्दी]

आई.ए.एस. अधिकारियों के विरुद्व शिकायतें

2356. श्री हुक्मदेव नारायण यादव: क्या प्रधानमंत्री 21. 12.2011 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4447 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने आई.ए.एस. अधिकारियों के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनमें से ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिनकी जांच की गई है और जांच करने वाली एजेंसियों के नाम क्या हैं;

(ख) उपरोक्त अधिकारियों के नाम क्या हैं और अभियोजन आरंभ करने की लिए सी.बी.आई. अथवा सी.वी.सी. द्वारा कब अनुमति मांगी गई थी और इस संबंध में कब अनुमति प्रदान की गई थी और इस संबंध में कब अनुमति प्रदान की गई थी; और

(ग) उन मामलों का ब्यौरा क्या है जिनके संबंध में उक्त अनुमति प्रदान नहीं की गई और इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ग) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध शिकायतें, केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्रीय अन्वेशण ब्यूरो इत्यादि के अतिरिक्त केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों/संयुक्त संवर्ग प्राधिकरणों में विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा प्राप्त होती है। ऐसी शिकायतों की संख्या के संबंध में कोई केंद्रीयकृत आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। हालांकि आई.ए. एस अधिकारी जिनके संबंध में पिछले तीन वर्षों 2009 से 2011 के दौरान केंद्रीय सरकार द्वारा अभियोजन की मंजूरी प्रदान/मना की गई थी, के प्रस्ताव की प्राप्ति की तिथि इंगित करने वाला ब्यौरा तथा दिनांक जिसको अभियोजन की मंजूरी प्रदान/मना की गई, का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा जिन पर सक्षम प्राधिकारी के निर्णय पर अंतिम आदेश जारी किया जाना संलग्न विवरण II में दिया गया है। कुछ एक मामलों में अपराध की अभियोज्यता सिद्ध करने के लिए अपर्याप्त साक्ष्य होने के कारण प्रस्ताव/विधिक दृष्टिकोण की मेरिट के आधार पर अभियोजन की मंजूरी नहीं दी गई थी।

विवरण I

वर्ष 2009-2012 के दौरान भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के संबंध में स्वीकृत का अनुमोदन देना/मना करना

क्र.सं.	अधिकारी का नाम,संवर्ग तथा बैच	अन्वेषण एजेंसी	आर.सी./एफ. आई. आर. संख्या	प्रस्ताव की तिथि	स्वीकृति की तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	श्री. आर. के शर्मा, भा.प्र.से. (उ.प्र 7.6.)	राज्य	आरसी. 0062003,0018	22.2.2007	21.102009 स्वीकृत नहीं दी गई

1	2	3	4	5	6
2.	श्री विनोद कुमार, भा.प्र.से. (ओ.आर.: 89)	राज्य अन्वेशषण अभिकरण भुवनेश्वर	पी.एस.संख्या. 54 दिनांक 25.6.2008	25.6.2008	15.4.2009
3.	श्री विनोद कुमार भा.प्र.से. (ओआर89)		पी.एस.संख्या 62 दिनांक 13.11.2003	29.8.2008	5.6.2009
4.	श्री आर.के.श्रीवास्तव भा.प्र.से (ए.जी.एम.यू.टी:84)	सी.बी.आई.	आर.सी.-12 (ए)/2006/ एससीयू.वी/एससीआर.।।/सी बी.आई./नई दिल्ली	19.08.2008	5.6.2009
5.	श्री आर.के. श्रीवास्तव भा.प्र.से (ए.जी.एम.यू.टी: 84)	सी.बी.आई	आर.सी.-1(ई)/2006/ ई. ओ.डब्ल्यू-।। डी.एल.आई	22.6.2007	5.6.2009
6.	श्री आर.के.श्रीवास्तव भा.प्र.से (एख्जी.एम.यू.टी: 84)	सीबी.आई	आर.सी-12 (ई) 2005/ई.ओ.डब्ल्यू ।।/डी.एल.आई	1.6.2007	5.6.2009
7.	श्री आर.के श्रीवास्तव भा.प्र.से (ए.जी.एम.यू.टी:84)	सी.बी.आई	आर.सी. 14(ए) 2006/ एससीयू.5/एससीआर.।।/सी.बी	28.4.2008	17.6.2009
8.	श्री आर.के.श्रीवास्तव भा.प्र.से (ए.जी.एम.यू.टी:84)	सी.बी.आई.	आर.सी.11(ए)/2006/ एस.सी.यू.5	28.4.2008	17.6.2009
9.	श्री आर.के. श्रीवास्तव भा.प्र.से (ए.जी.एम.यू.टी:84)	सी.बी.आई.	आर.सी.4( )2006/ एसआईयू.।/सी.बी.आई./ एस सी आर.।/नई दिल्ली	30.5.2008	17.6.2009
10.	श्री आर.के. श्रीवास्तव भा.प्र.से. (ए.जी.एम.यू.टी:84)	सी.बी.आई	आर.सी./15ए/2006/एस.सी.यू 5	30.5.2008	19.06.2009
11.	श्री आर.के.श्रीवास्तव भा.प्र.से (ए.जी.एम.यू.टी:84)	सी.बी.आई	आर.सी. 8(ए)2006/सी.बी.आई./एस.सी बी-।।/डी.एल.आई	4.1.2008	23.6.2009
12.	श्री आर.के.श्रीवास्तव भा.प्र.से. (ए.जी.एम.यू.टी:84)	सी.बी.आई.	आरसी-ईओयू-2006-ई/0015	16.11.2007	23.6.2009
13.	श्री आर.के.श्रीवास्तव भा.प्र.से. (ए.जी.एम.यू.टी.:84)	सी.बी.आई	आर.सी.19(ए)2006/	28.7.2008	11.8.2009

1	2	3	4	5	6
14.	श्री आर.के.श्रीवास्तव भा.प्र.से. (ए.जी.एम.यू.टी.:84)	सी.बी.आई	आर.सी.19(ए02006/ एससीयू.वी/एससीआर.।।	28.4.2008	13.8.2009
15.	श्री विनोद कुमार, भा.प्र.से (ओ.आर.:89)		पी.एस.संख्या 60 दिनांक 22-10-2003	18.1.2008	27.8.2009
16.	श्री विनोद कुमार,भा.प्र.से (ओ.आर.:89)	राज्य अन्वेषण अभिकरण	पी.एस.संख्या 60 दिनांक 30-12-2006	18.11.2008	31.8.2009
17.	श्री विनोद कुमार, भा.प्र.से. (ओ.आर.:89)		पी.एस.संख्या 57 दिनांक 30-12-2006	29.11.2008	31.8.2009
18.	श्री आर.के.श्रीवास्तव भा.प्र.से (ए.जी.एम.यू.टी.:84)	सी.बी.आई.	आर.सी.ई0-1-2006-ए-001	29.06.2007	11.9.2009
19.	श्री.आर.के.श्रीवास्तव, भा.प्र.से. (ए.जी.एम.यू.टी.:84)	सी.बी.आई.	आर.सी.8(ए)/2006-एससीआर.।।/सी.बी.आई/ नई दिल्ली	24.8.2007	6.10.2009
20.	श्री विनोद कुमार, भा.प्र.से. (ओ.आर.:89)	राज्य अन्वेषण अभिकरण	पी.एस.संख्या.32 दिनांक 30-12-2006	26.5.2009	13.10.2009
21.	श्री विनोद कुमार, भा.प्र.से. (ओ.आर.:89)	भुवनेश्वर	पी.एस.संख्या.32 दिनांक 23.09.2006	27.5.2008	13.10.2009
22.	श्री आर.के.श्रीवास्तव भा.प्र.से (ए.जी.एम.यू.टी.:)	सी.बी.आई	आर.सी.ईओयू 2006-ए-0016	15.7.2008	15.10.2009
23.	श्री विनोद कुमार भा.प्र.से (ओ.आर.:89)	राज्य अन्वेशषण अभिकरण भुवनेश्वर	पी.एस.संख्या 33 दिनांक 23.09.2006	26.5.2009	15.10.2009
24.	श्री मनोज कुमार, भा.प्र.से (यू.पी.:88)	सी.बी.आई.	आरसी.एसी-।।।/2006 ए.ओ./ए.सी.यू-।।।	16.2.2009	15.12.2009 स्वीकृति नहीं दी गई
25.	श्री प्रफुल्ल चन्द्रा मिश्रा भा.प्र.से.(ओ.आर.:82)	राज्य अन्वेशषण अभिकरण भुवनेश्वर	मामला संख्या 35 दिनांक 24-05-2003	4.3.2009	17.12.2009
26.	श्री आर.के श्रीवास्तव भा.प्र.से (ए.जी.एम.यू.टी.:84)	सी.बी.आई.	आर.सी.एस.आई.ए. 2006/ ई0004	19.11.2007	18.12.2009

1	2	3	4	5	6
27.	श्री.आर.के.श्रीवास्तव भा.प्र.से (ए.जी.एम.यू.टी.:84)	सी.बी.आई	आर.सी.एस.आई.ए.2006/ एससीयू.वी/एससीआर.II	22.4.2008	18.12.2009
28.	श्री. आर.के.श्रीवास्तव भा.प्र.से. (ए.जी.एम.यू.टी.:84)	सी.बी.आई	आर.सी.12(एस)/2006/ सी.बी.आई./एस.सी.बी II/डी.एल.आई	10.1.2008	21.12.2009
29.	श्री आर.के.श्रीवास्तव भा.प्र.से (ए.जी.एम.यू.टी.:84)	सी.बी.आई	आर.सी./डी.एस./टी./2006/ 5/002	30.4.2008	21.12.2009
30.	श्री विनोद कुमार, भा.प्र.से. (ओ.आर.:89)	राज्य अन्वेषण अभिकरण भुवनेश्वर	मामला संख्या 56 दिनांक 30.12.2006	25.6.2008	24.12.2009
31.	श्री आर.के. श्रीवास्तव भा.प्र.से. (ए.जी.एम.यू.टी.:84)	सी.बी.आई	आर.सी.7 (एस) 2006- एस.आई.यू./सी.बी.आई./एस. सी.आर	9.7.2009	24.12.2009
32.	श्री.के.शिव प्रसाद भा.प्र.से.(पी.बी.:82)	सी.बी.आई	आर.सी.सी.एच जी 2006 ए0001	31.3.2008	31.12.2009
33.	श्री के.शिव प्रसाद भा.प्र.से (पी.बी.:82)	सी.बी.आई	आर.सी.सी.एच.जी.2006 ए0001	31.3.2008	31.12.2009
34.	श्री के.शिव प्रसाद भा.प्र.से (पी. बी.:82)	सी.बी.आई	आर.सी सी.एच.जी. 2006	31.3.2008	31.12.2009
35.	श्री आर.के.श्रीवास्तव, भा.प्र.से (ए.जी.एम.यू.टी.:84)	सी.बी.आई.	मामला आर. सी.7(5)/06/ एस.सी.बी.-1/डी.एल.आई.781	11.3.2008	11.02.2010
36.	श्री.आर.के.श्रीवास्तव भा.प्र.से. (ए.जी.एम.यू.टी.:84)	सी.बी.आई.	आर.सी.6 (एस)/2006/ सी.बी.आई/एस.सी.बी II/डी.एल.आई.	4.1.2008	12.02.2010
37.	श्री.आरके श्रीवास्तव भा.प्र.से (ए.जी.एम.यू.टी.:84)	सी.बी.आई	आर.सी.16ए/2006/ एससीयू/एससीआर.II	4.4.2008	16.02.2010
38.	श्री आर के.श्रीवास्तव भा.प्र.से. (ए.जी.एम.यू.टी.:84)	सी.बी.आई	आर.सी.17ए/2006/ एससीयू/एससीआर.II/सी.बी आई/नई दिल्ली	28.4.2008	19.02.2010

1	2	3	4	5	6
39.	श्री संजीव कुमार,भा.प्र.से (एच.वाई.:84)	सी.बी.आई.	आर.सी-2(ए)05/ए.सी.यू	19.9.20008	24.02.2010
40.	श्री संजीव कुमार,भा.प्र.से (एच.वाई.:85)	सी.बी.आई	आर.सी.2(ए)05/ए.सी.यू	19.9.2008	24.02.2011
41.	श्री संजीव कुमार,भा.प्र.से (एच.वाई.:85)	सी.बी.आई	आर.सी-(ए) 05/ए.सी.यू.	19.9.2008	24.02.2010
42.	श्री.ए.के.मोनप्पा भा.प्र.से.(क.एन.:92)	राज्य सतकर्ता कर्नाटक	अपराध संख्या 28/2004	12.9.209	24.02.2010
43.	श्री के.बी.एस. सिद्दु, भा.प्र.से (पी.बी.:84)	सी.बी.आई.	आर.सी.सी.एच.जी 2006 ए0013	21.1.2008	28.05.2010 स्वीकृत नहीं दी गई
44.	श्री आर.के श्रीवास्तव भा.प्र.से (ए..जी.एम.यू.टी.:84)	सी.बी.आई.	आर.सी 8(एस)/2006/एस.सी.आर III/नई दिल्ली	22.1.2008	01.06.2010
45.	श्री.आर.के श्रीवास्तव भा.प्र.से (ए.जी.एम.यू.टी.:84)	सी.बी.आई	आर.सी.16 (एस)/2006/ एस.सी.यू-1/सी.बी.आई./ एस.सीआर.I/नई दिल्ली	31.10.2008	03.06.2010
46.	श्री.आर.के श्रीवास्तव भा.प्र.से (ए.जी.एम.यू.:टी)	सी.बी.आई	आर.सी.7)(ए0/2006/ एस.सी.यू/एस.सी.आर.II	11.7.2008	04.06.2010
47.	श्री कावाड्डी नरसिम्हा भा.प्र.से (ए.जी.एम.यू.टी.:91)	सी.ओ.आई	आर.सी.26(ए)/2006 सी.बी.आई./ए.सी.बी/ हैदराबाद	26.5.2009	07.06.2010
48.	श्री जे.एस.एल.वासाबा, भा.प्र.से.(ए.एम.82)	सी.बी.आई	आर,सी,1(ए)/7ए.सी.यू/	9.12.2009	24.06.2010
49.	श्री मनदीप सिंह, भा.प्र.से. (पी.बी.:91)	सी.बी.आई	आर.सी 8(एस)/2003/एस.आई.सी नई दिल्ली	3.5.2010	06.08.2010
50.	श्री आर.के.श्रीवास्तव भा.प्र.से (ए.जी.एम.यम.टी.:84)	सी.बी.आई	आर.सी 13(एस)/2006/सी.बी.आई/ एस.सी.बी.II/दिल्ली	4.1.2008	16.08.2010
51.	श्री.आर.के.श्रीवास्तव भा.प्र.से (ए.जी.एम.यू.टी.:84)	सी.बी.आई.	आर.सी.3/11/(एस)/2006/ एस.सी.बी.II/डी.एल.आई/35	4.1.2008	16.08.2010

1	2	3	4	5	6
52.	श्री आर.के श्रीवास्तव भा.प्र.से. (ए.जी.एम.यू.टी.:84)	सी.बी.आई	आर.सी.26/3/15(एस)/2006 एस.सी.आर।	27.3.2008	16.08.2010
53.	श्री आर.के.श्रीवास्तव भा.प्र.से (ए.जी.एम.यू.टी.:84)	सी.बी.आई	आर.सी.7(एस)/206/ एस.सी.आर.।।।/नई दिल्ली	13.12.2007	18.08.2010
54.	श्री आर.के.श्रीवास्तव भा.प्र.से (ए.जी.एम.यू.टी.:84)	सी.बी.आई	आर.सी 9(एस)/2006/एस.सी.आर.।।।/ एम.डी.एम.ए/नई दिल्ली	2.9.2008	19.08.2010
55.	श्री संजीव कुमार, भा.प्र.से (एच.वाई.:85)	सी.बी.आई	आर.सी.3(ए)/ 2008-ए.सी.यू-	31.12.20019	15.10.2010
56.	श्री एल.वी.सुब्रामण्यम भा.प्र.से.(ए.पी.:83)	सी.बी.आई	आर.सी.22( )/2005 सी.बी.आई-हैदराबाद	24.10.2008	03.01.2011 स्वीकृत नहीं दी गई
57.	श्री रवि इंदर सिंह भा.प्र.से (डब्ल्यू.बी.:94)	दिल्ली पुलिस	एफ.आई.आर.संख्या 51/2010	13.1.2011	22.01.2011
58.	श्री रवि शंकर श्रीवास्तव भा.प्र.से.(आर.जे.:85)	सी.बी.आई	एफ.आई.आर .264/2004	24.5.2007	21.4.2011
59.	श्री प्रदीप कुमार भा.प्र.से. (जे.एच:82)	सी.बी.आई	आर.सी.11(ए)/2009-ए/ 2009-ए.एच.डी.आर	8.12.2010	06.08.2011
60.	श्री के सुरेश भा.प्र.से. (एम.पी.82)	सी.बी.आई	आर.सी.42(ए)/ 2009-ए.सी.बी- ए.एच.ई.एन	16.11.2010	19.08.2011
61.	श्री प्रदीप कुमार भा.प्र.से (जे.एच:91)	सी.बी.आई.	आर.सी.14 (ए)/ 2009-ए-एच.डीआर,	4.11.2010	29.08.2011
62.	श्री राकेश मोहन भा.प्र.से (ए.जी.एम.यू.टी.:78)	सी.बी.आई	आर.सी. 1(ए)/2007ए.सी.यू/3	30.4.2010	29.08.2011
63.	श्री रवि शंकर श्रीवास्तव भा.प्र.से(आर.एच.:85)	सी.बी.आई	आर.सी.20 (ए)/2000 सी.बी.आई-जयपुर 2003 में सक्षम प्राधिकारी के निर्णय की समीक्षा के लिए प्रस्ताव	27.8.2010	29.08.2011 स्वीकृति नही दी गई
64.	श्री शिवा शंकर वर्मा भा.प्र.से.(बी.एच.:81)	राज्य सतर्कता (बिहार)	एफ.आई.आर संख्या 02/2007 दिनांक 03-07-2007	2.7.2010	09.09.2011

1	2	3	4	5	6
65.	श्री देबीदीत्वा चक्रवर्ती भा.प्र.से.(डब्ल्यू बी.: 76)	राज्य सतकर्ता (पश्चिम बंगाल)	एफ.आई.आर मामला संख्या 174/2007	21.2.2011	30.09.2011
66.	श्री विनोद कुमार भा.प्र.से (ओ.आर.:84)	राज्य सतर्कता	एफ.आई.आर मामला संख्या 53/2007	27.3.2010	17.10.2011
67.	श्री विनोद कुमार भा.प्र.से 9ओ.आर.:84)	राज्य सतर्कता (हिमाचल प्रदेश)	एफ.आई.आर मामला संख्या 50/2007	27.3.2010	17.10.2011
68.	श्री विनोद कुमार भा.प्र.से (ओ.आर.:84)		एफ.आई.आर मामला संख्या 51/2007	27.3.2010	17.10.2011
69.	श्री विनोद कुमार भा.प्र.से. (ओ.आर.:84)	राज्य सतर्कता (ओडिशा)	एफ.आई.आर मामला संख्या 51/2007	27.3.2010	17.10.2011
70.	श्री सुभाष चंद्र आलुवालिया (ओ.आर.:84)		एफ.आई.आर संख्या 6/2008	22.2.2010	4.11.2011 स्वीकृत नहीं दी गई
71.	श्री विनोद कुमार भा.प्र.से (ओ.आर.:84)		एफ.आई.आर मामला संख्या 32/2007	26.12.2009	14.11.2011
72.	श्री विनोद कुमार भा.प्र.से (ओ.आर.:84)	राज्य सतर्कता (ओडिशा)	एफ.आई.आर मामला संख्या 38/2007	27.3.2010	15.11.2011
73.	श्री विनोद कुमार भा.प्र.से (ओ.आर.:840		एफ.आई.आर मामला संख्या 52/2007	27.3.2010	21.11.2010
74.	श्री संजय गुप्ता भा.प्र.से. (एच.पी.:880)	राज्यकर्ता (हिमाचल प्रदेश)	एफ.आई.आर संख्या 10/2008	23.9.2011	21.2.212 स्वीकृत नहीं दी गई
75.	श्री ओ रवि भा.प्र.से (जी.जे.:83)	सी.बी.आई	आर.सी.-ई.ओ.यू-2010 ई-2002	25.3.2011	25.01.2012
76.	श्री के सुरेश भा.प्र.से (एम.पी.82)	सी.बी.आई	आर.सी.53(ए)/ 2009-ए.सी.बी एच.ई.एन	8.7.2011	26.3.2012

विवरण II

प्रस्ताव जिन पर सक्षम प्राधिकारी के निर्णय पर अंतिम आदेश जारी किया जाना है

क्र.सं.	अधिकारी का नाम, संवर्ग तथा बैंच	अन्वेषण एजेंसी	आर.सी./एफ.आई. संख्या	प्रस्ताव की तिथि
1	2	3	4	5
1.	श्री प्रफुल्ल चन्द्र मिश्रा, भा.प्र.से. ओडिशा	राज्य अन्वेषण (ओडिशा)	पी.एस.मामला संख्या 9/2003	जनवरी 2010 09.12.2011 को प्राप्त स्पष्टीकरण/अतिरिक्त दर्ज मामले
2.	श्री शिव शंकर वर्मा, भा.प्र.से (बी.एच.:81)	राज्य अन्वेषण (बिहार)	एफ.आई.आर.संख्या 28/2000	14.06.2010
3.	श्री अशोक देसवाल, भा.प्र.से (एम.पी.2000)	राज्य अन्वेषण (मध्य प्रदेश)	लोकायुक्त अपराध 1/2008	06.05.2011
4.	श्री विनोद कुमार भा.प्र.से (ओ.आर.:84)	राज्य अन्वेषण (ओडिशा)	पी.एस.मामला संख्या 48/2007	27.03.2010
5.	श्री शिव शंकर वर्मा, भा.प्र.से (बी.एच.:81)	राज्य अन्वेषण (बिहार)	एफ.आई.आर,संख्या 35/2000	23.06.2011
6.	श्री शिव शंकर वर्मा,भा.प्र..से. (बी.एच.:81)		एफआई.आर.संख्या 30/2000	23.06.2011
7.	श्री एस.आर.मोहनती, भा.प्र.से (एम.पी.82)	राज्य अन्वेषण (मध्य प्रदेश)	अपराध संख्या 25/2004	01.07.2011
8.	श्री विनोद कुमार, भा.प्र.से (ओ.आर.:84)	राज्य अन्वेषण (ओडिशा)	पी.एस.मामला संख्या 34/2007	11.10.2011
9.	श्री के. सेंथिल कुमार भा.प्र.से (बी.एच.:96)	राज्य अन्वेषण (बिहार)	पी.एस मामला संख्या 54/2010	19.10.2011
10.	श्री अजिता वाजपेयी पाण्डेय भा.प्र.से.(एम.पी.18)	राज्य अन्वेषण (बिहार)	पी.एस.मामला संख्या 46/2004 (मध्य प्रदेश)	23.12.2011
11.	डॉ. प्रशान्त कुमार प्रधान, भा.प्र.से (ओ.आर.:2000)	राज्य अन्वेषण (ओडिशा)	पी.एस.मामला संख्या 12/2009 (ओडिशा)	19.01.2012
12.	येरा श्रीलक्ष्मी, भा.प्र.से. (ए.पी.88)	सी.बी.आई.	आर.सी.संख्या 17(ए)/2009-सी.बी.आई/हैदराबाद	20.01.2012

1	2	3	4	5
13.	श्री एल.वी.सुब्रामण्डयम, भा.प्र.से (ए.पी.83)	सी.बी.आई	आर.सी.संख्या 18(ए)/2011-सी.बी.आई/हैदराबाद	09.02.2012
14.	श्री बी.पी.आचार्य, भा.प्र.से (ए.पी.83)	सी.बी.आई	आर.सी.संख्या 118(ए)/2011-सी.बी.आाई/हैदराबाद	09.02.2012
15.	श्री राघव चन्द्र,भा.प्र.से (एम.पी.82)	राज्य अन्वेषण (मध्य प्रदेश)	लोकायुक्त अपराध संख्या 165/2002	23.02.2012
16.	श्री.बी.बी.सेलवाराज भा.प्र.से (ए.जी.एम.यम.81)	सी.बी.आई.	आर.सी.2(ए)/2010-के.ई.आर	23.02.2012
17.	श्री अब्राहम वारिकामक्कल भा.प्र.से.(ए.जी.एम.यू.98)	सी.बी.आई.	आर.सी.2(ए)/20107के.ई.आर	23.02.2012
18.	श्री विनोद कुमार,भा.प्र.से (ओ.आर.:84)	राज्य अन्वेषण (ओडिशा)	पी.एस.मामला संख्या 19/2009	07.03.2012

पर्यावरणीय मानकों का कार्यान्वयन

2357. श्री मुरारी लाल सिंह: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एस.ई.सी.एल. छत्तीसगढ़ राज्य के खनन के पश्चात भूमि को समतल करने और तत्पश्चात वृक्षारोपण का कार्य करती है;

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां वृक्षरोपण का कार्य किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने पर्यावरणीय संरक्षण नियमों के अनुपालन के संबंध में एस.ई.सी.एल. को दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या एस.ई.सी.एल.प्रबंधन इन नियमों का पालन कर रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इसके कारण हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) जी, हां। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एसईसीएल) ओपनकास्ट खानें प्रचालित करती हैं। और यह सुनिश्चित करती है कि ऐसी खानों में समुचित तकनीकी और जैविकीय पुनरूद्धार किया जाए।

(ख) 31.3.2011 की स्थिति के अनुसार एसईसीएल की सभी ओपनकास्ट खानों में जैविकीय रूप से पुनरूद्धार किया गया कुल डम्प एरिया 2883.60 हेक्टेयर है।

(ग) और (घ) जी, हां।

(ङ) इस प्रश्न के भाग (घ) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) इस प्रश्न के भाग (घ) तथा (ङ) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विकास योजनाओं के पूरा होने में बाधाएं

2358. श्री राकेश सिंह: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के कारण राज्य सरकारों को विकास योजनाओं को पूरा करने में बाधाएं आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्यों में विकास कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित करने में राज्यों की कोई भूमिका हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने-अपने विकास कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए स्वतन्त्रता देने पर विचार किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (च) राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के कारण विकास योजनाओं को पूरा करने में किसी बाधा का सामना नहीं करना पड़ा है राज्यों की विकास स्कीमों में राज्य सरकारों की अपनी योजनाएं केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त राज्य योजना स्कीमों और केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें शामिल हैं। राज्यों को अपनी विकास जरूरतों और प्राथमिकताओं के आधार पर राज्य योजना के अंतर्गत अपनी योजनाएं तैयार करने की स्वतंत्रता है। जहां तक केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त राज्य योजना स्कीमों और केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का संबंध है। ये स्कीमों राज्यों से परामर्श कर तैयार की जाती हैं। और राज्यों को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार विकास कार्यों को चुनने की स्वतंत्रता है बशर्ते वह स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुरूप हो। इन स्कीमों के दिशानिर्देश को समय-समय पर संशोधित भी किया जाता है ताकि वे राज्यों की बदलती जरूरतों को पूरा कर सकें और राज्यों के समक्ष आ रही कठिनाइयों का समाधान हो सके। कुछ मामलों में राज्यों की विधिक अपेक्षाओं के अनुपालन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है-खासकर पर्यावरण और वन मंजूरी लेने में। राज्यों ने केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के कार्यान्वयन में अधिक लचीलेपन की मांग भी की है। बी.के. चतुर्वेदी समिति ने केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के संबंध में कई सिफारिशें की हैं, जिनमें बारहवीं योजना तैयार करने के परिप्रेक्ष्य में राज्यों को अधिक लचीलापन देने की आवश्यकता शामिल है।

[अनुवाद]

पी.सी.ओ. और साइबर कैफे प्रयोक्ताओं का सत्यापन

2359. श्रीमती दर्शना जरदोश: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पब्लिक कॉल आफिस (पी.सी.ओ) और इंटरनेट कैफे पर इंटरनेट प्रयोक्ताओं का पहचान सत्यापन का रिकार्ड रखा जाता है ताकि असामाजिक तत्वों द्वारा इन सुविधाओं के दुरुपयोग पर रोक लगाई जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गृह मंत्रालय ने इस संबंध में कोई अनुदेश जारी किए हैं;

(घ) इस संबंध में विभिन्न राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इन सुविधाओं के दुरूपयोग की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा क्या अन्य उपाय किए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) और (ख) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 के अंतर्गत 11.04.2011 को अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी (साइबर कैफे के लिए दिशानिर्देश) नियमावली, 2011 के अनुसार पूरे देश के साइबर कैफे से अपेक्षित है कि वो प्रयोक्ता के पहचान दस्तावेज का अभिलेख या तो कागजात की छाया प्रति स्कैन्ड कॉपी के रूप में रखें जो कि प्रयोक्ता और साइबर कैफे के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सत्यापित हो। ऐसे अभिलेखों को कम से कम एक वर्ष के लिए सुरक्षित रखा जाए।

(ग) और (घ) सूचना प्रौद्योगिकी (साइबर कैफे के लिए दिशानिर्देश) नियमावली, 2011 को गृह मंत्रालय और अन्य पणधारकों के साथ उचित परामर्श करने के बाद अधिसूचित किया गया था। ये नियम अनुदेश और दिशानिर्देश के रूप में हैं और सभी साइबर कैफे द्वारा इनका अनिवार्य रूप से पालन किया जाना है।

(ङ) सूचना प्रौद्योगिकी (साइबर कैफे के लिए दिशानिदेश) नियमावली, 2011 में प्रयोक्ता की पहचान, प्रयोक्ता अभिलेख का लौग रजिस्टर रखना, भौतिक रूपरेखा और कम्प्यूटर संसाधन रखने जैसे उपायों का प्रावधान किया गया है। नियमों के अनुपालन के लिए एक प्राधिकृत अधिकारी को साइबर कैफे के जांच और निरीक्षण के लिए प्राधिकृत किया गया है।

ई. गवर्नेन्स शुरू करना

2360. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने राज्यों को नए पॉलिटेक्निक और पाठयक्रमों को विस्तार देने संबंधी अनुमोदन प्रदान करने के लिए आवेदन पर विचार करने की शक्तियां वापस ले ली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विनियामक निकाय अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए डिप्लोमा और स्नातकोत्तर डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं हेतु

अनुमोदन प्रक्रिया में ई. गवर्नेन्स प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जी, हां। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम 1987 (1987 का 52) की धारा 10(ट) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद ने 24 नवंबर 2010 की अपनी बैठक में डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए अनुमोदन प्रदान करने हेतु आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार को शक्तियों के प्रत्यायोजना के मुद्दे पर विचार किया और पॉलिटेक्नीक कालेजों के लिए आवेदन पर कार्रवाई करने हेतु राज्य सरकार को शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के पत्र सं. 711-005/जीडीआईपी/ईटी/2002 दिनांक 2 फरवरी 2002 द्वारा प्रत्योयोजित शक्तियों को प्रत्याहरित करने का निर्णय लिया।

परिषद ने डिग्री स्तरीय तकनीकी संस्थाओं और पॉलिटेक्नीकों की संख्या के बीच बड़े अंतर को गंभीरता से लिया और देश में पॉलीटेक्नीक शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता महसूस की। यह निर्णय लिया गया कि एआईसीटीई ने जिस प्रकार डिग्री स्तरीय तकनीकी संस्थाओं के लिए निर्णय लेने में पूर्ण पारदर्शिता और शीघ्रता सुनिश्चित करने में अपनी अनुमोदन प्रक्रिया में ई-गवर्नेस की प्रणाली शुरू की है, उसी प्रकार, पॉलीटेक्नीकों को अनुमोदन प्रदान करने के लिए भी ऐसे ही प्लेटफार्म का प्रयोग किया जाएगा।

परिषद ने नए पॉलिटेक्नीकों को अनुमादन प्रदान करने और अनुमोदनों का विस्तार करने/दाखिल संख्या में परिवर्तन करने/मौजूदा डिप्लोमा संस्थान में नए पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार को प्रत्यायोजित शक्तियों को वापस लेने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया और इन पर एआईसीटीई द्वारा डिग्री स्तरीय संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान करने के लिए लागू की गई ई-गवर्नेस प्रक्रिया के समान प्रक्रिया अपनाकर आवेदनों के ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण के जिरये कार्रवाई की जाएगी।

(ग) और (घ) जी, हां। एआईसीटीई ने वर्ष 2010 से स्नातकोत्तर डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं तथा वर्ष 2011 से डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं के लिए अपनी अनुमोदन प्रक्रिया में ई-गवर्नेस प्रणाली शुरू की थी। एआईसीटीई विनियम, दिसम्बर, 2010 के अनुसार ई-गवर्नेस प्रणाली शुरू की गई।

टावर कंपनियों के लिए एक समान लाइसेंस योजना

2361. श्री प्रताप सिंह बाजवा: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टेलीकॉम टावर कंपनियों को एक समान लाइसेंस योजना में शामिल करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार बाजार में और अधिक कंपनियों को अनुमति देने का है ताकि मोबाइल टेलीफोन सेक्टर में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

ङ) सरकार द्वारा उपर्युक्त दोनों पहलुओं पर क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) से (ङ) अवसंरचना प्रदाता-1 जिन्हें फिलहाल निष्क्रिय अवसंरचना प्रदाता के रूप में लाइसेंस प्राप्त नहीं है, को लाइसेंसिंग व्यवस्था के अंतर्गत लाने के लिए "स्पैक्ट्रम प्रबंधन एवं लाइसेंसिंग ढांचा" के बारे में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सिफारिशों पर निर्णय को सरकार ने भावी जांच हेतु आस्थगित कर दिया है।

वर्ष 2010 की रिट याचिका (सिविल) सं. 423 तथा वर्ष 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं. 10 के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 02.02.2012 के निर्णय के तहत दिए गए निदेशों के अनुसार, ट्राई लाइसेंस प्रदान करने के बारे में नई सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।

डाकघरों का निजीकरण

2362. श्री पी.के. बिजू: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में डाकघरों के संपूर्ण ढांचे की निजीकरण करने का निर्णय लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस बारे में अब तक क्या कार्रवाई की है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

छात्रों को अधिक अंक

2363. श्रीमती प्रिया दत्त: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि राज्यों के शिक्षा बोर्ड छात्रों को असामान्य रूप से अधिक अंक प्रदान कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सभी राज्यीय/केन्द्रीय शिक्षा बोर्डो की मार्किंग प्रणाली के मानकीकरण हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) राज्य शिक्षा बोर्ड आपनी-अपनी राज्य सरकारों द्वार अभिासित हैं। तथापि, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड छात्रों को अंक प्रदान करते समय मूल्यांकन के मानदण्डों को बनाए रखता है।

(ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

केन्द्रीय विद्यालय

2364. श्रीमती अश्वमेध देवी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) ने, जो सप्ताह में छ: दिन कार्य करता है, स्कूलों के कार्य दिवस बढ़ा दिए हैं जबकि केवीएस मुख्यालय और इसके क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) सप्ताह में केवल पांच दिन कार्य करते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय विद्यालयों के शिक्षक संघ ने अध्यापकों के समक्ष आ रही समस्याओं जैसे अध्यापकों को मोडिपाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेसन (एमएसपी) प्रदान करने, सीजीएचएस सुविधा इत्यादि के बारे में केवीएस/मंत्रालय को अभ्यावेदन सौंपा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ओर इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) इसमें विलंब के क्या कारण हैं और ये समस्याएं कब तक हल हो जाने की संभावना है;

(च) क्या केवीएस में स्कूल, आरओ और मुख्यालय स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र को अधिक कारगर बनाने की तत्काल आवश्यकता है; और

(छ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) कार्य के घंटे और स्कूल के दिवस बढ़ाए नहीं गए हैं और ये छ: घंटे और दस मिनट ही हैं तथापि, नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 वे प्रावधान के आधार पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन में शिक्षकों के कार्य के घंटे 1 घंटा 20 मिनट तक बढ़ाए गए हैं और अब ये एक सप्ताह में 45 घंटे हो गए हैं। शिक्षकों को अतिरिक्त 1 घंटा और 20 मिनट तक रोका जाएगा जिसका उपयोग शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए स्कूल समय के पहले और बाद में छात्रों की सुरक्षित पहुंच और निकास को सुनिश्चित करने और स्कूल समय के पहले और बाद में छात्रों की सुरक्षित पहुंच और निकास को सुनिश्चित करने और अनुवर्ती कार्य की योजना तैयार करने और जांच करने के लिए किया जा सकता है।

(ग) से (ङ) अखिल भारतीय विद्यालय शिक्षक संघ ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं जिनमें संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नति स्कीम (एमएसीपीएस) का लाभ प्रदान करना, सीपीएफ को जीपीएफ में परिवर्तित करना, सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष तक बढ़ाने और केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाएं प्रदान करने से संबंधित मांगे रखी हैं। केन्द्र सरकार सिविल कर्मचरियों के लिए संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नति स्कीम डीओपीटी के दिनांक 19.05.2009 के का.ज्ञा.सं. 35034/2008-स्थापना (घ) द्वारा शुरू की गई है जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है। प्रिंसिपलों सहित केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षण स्टाफ तक इस योजना को अब विस्तारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की आवश्यकता है। सीपीएफ को जीपीएफ में परिवर्तित करने, केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधा और सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 तक बढ़ाने से संबंधित संघ की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

(च) और (छ) जी, नहीं। स्कूल, क्षेत्रीय कार्यालय और मुख्यालय स्तर पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन में शिकायत निवारण तंत्र प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है।

डीजीसीए द्वारा जोखिम भरे विमानपत्तनों का पता लगाना

2365. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने जोखिम भरे विमानपत्तनों का पता लगाने के लिए कोई देशव्यापी सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और किन-किन विमानपत्तनों/हवाई पट्टियों को जाखिम भरे विमानपत्तन/हवाईपट्टियों के रूप में अभिज्ञात किया गया है;

(ग) इस सर्वेक्षण में क्या सुझाव दिए गए हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा विमानपत्तन/हवाई पट्टी-वार क्या कार्रवाई की गई है/करने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (घ) नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने जोखिम भरे हवाईअड्डों का पता लगाने के लिए देशव्यापी सर्वेक्षण नहीं किया है। तथापि, मंगलौर दुर्घटना के पश्चात् 11 हवाईअड्डों यथा लेह, कुल्लू, शिमला, पोर्टब्लेयर, अगरतला, लेंगपूई, कालीकट, मंगालोर, जम्मू पटना तथा लातूर हवाईअड्डों को उड़ान प्रचालन की दृष्टि से संवेदनशील हवाईअड्डे माना गया था और इनका निरीक्षण किया गया है। संरक्षा निर्धारण अभियान के रूप में, इन हवाईअड्डों पर विमान प्रचालनों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा इन हवाईअड्डों में हवाईअड्डा प्रणालियों, सुविधाओं और प्रक्रियाओं की व्यापक समीक्षा की गई। उड़ान प्रचालन तथा एयरोड्रॉम मानक निदेशालय के अधिकारियों के दल द्वारा किए गए। निरीक्षणों में दिए गए सुझावों के आधार पर एयरोड्रॉम प्रचालकों के साथ एयरोड्रॅमों पर संरक्षा में संवर्द्धन के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की गई है तथा (1) रनवे छोर सुरक्षा क्षेत्र का प्रावधान, (2) रनवे की उचित मार्किंग सुनिश्चित करना, (3) मूल पट्टी का अनुरक्षण तथा भंगुरता मापदंड को सुनिश्चित करना, (4) दिक्चालन सहायक उपकरणों का आवधिक कैलिबरेशन, (5) उपयुक्त घर्षण स्तर सहित रनवे सतह का अनुरक्षण, (6) अवरोधों को हटाना तथा अनुमेय अवरोधों की उचित मार्किंग तथा प्रकाशन सहित रनवे सतह का अनुरक्षण, (6) अवरोधों को हटाना तथा अनुमेय अवरोधों की उचित मार्किंग तथा प्रकाशन, (7) अनुपालन हीनता के संबंध में सुरक्षा जोखिम आंकलन।

बारहवीं योजना हेतु आर्थिक विकास का लक्ष्य

2366. श्री ए. गणेशमूर्ति: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग का मत है कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना में 9 प्रतिशत आर्थीक विकास दर हासिल करना कठिन होगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अपेक्षित लक्ष्य की प्राप्ति के संबंध में ऐसी आशंका के क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ग) बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण-पत्र का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों में विकास के क्षेत्र में अच्छा कार्यनिष्पादन हुआ है। निवेश तथा निजी क्षेत्रक बचतों की उच्च दरें उच्च विकास के समर्थन के लिए सशक्त आर्थिक बुनियादी तत्वों का निर्माण करती हैं। तथापि, यह वैश्विक आर्थक मंदी और अल्पकालिक अनिश्चितताओं, उच्च ऊर्जा कीमतों तथा घरेलू अर्थव्यवस्था में आपूर्ति पक्ष के अवरोधों आदि के रूप में बाध्यताओं के बारे में चेतावनी भी देती है। उपर्युक्त परिदृश्य के मद्देनजर, दृष्टिकोण-पत्र का मानना है कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 9 प्रतिशत औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य महत्वाकांक्षी है परंतु असंभव नहीं।

सरकारी विद्यालयों के भवनों की स्थिति

2367. श्री के.सी. सिंह 'बाबा': क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में ऐसे सरकारी विद्यालयों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है जो जीर्ण-शीर्ण भवनों में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस बारे में क्या कार्रवाई की गई/करने का प्रस्ताव है; और

(घ) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष में इन विद्यालयों की मरम्मत हेतु कितनी राशि आबंटित की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जिला शिक्षा सूचना प्रणाली 2010-11 के अंतर्गत राज्यों द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार, जीर्ण-शीर्ण अवस्था वाले सरकारी स्कूलों की संख्या संबंधी राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जीर्ण-शीर्ण स्कूल भवनों के पुनर्निर्माण का कार्य वर्ष 2008-09 से 2009-10 तक के लिए सर्व शिक्षा अभियान मानदंडों के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया था। अतः इन वर्षों के दौरान कोई नई संस्वीकृति नहीं दी गई थी। तथापि, जीर्ण-शीर्ण स्कूल भवनों के लिए मानदंडों को वर्ष 2010 में सर्व शिक्षा अभियान की संशोधित कार्यसंरचना में शामिल किया गया था। वर्ष 2011-12 के दौरान, जीर्ण-शीर्ण स्कूल भवनों के लिए 20.04 करोड़ रु. की संस्वीकृति दी गई थी।

विवरण

जिला शिक्षा सूचना प्रणाली 2010-11 के अनुसार जीर्ण-शीर्ण अवस्था वाले सरकारी स्कूलों की संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जीर्ण-शीर्ण अवस्था वाले स्कूलों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	7
2.	आंध्र प्रदेश	103
3.	अरुणाचल प्रदेश	97
4.	असम	55
5.	बिहार	105
6.	छत्तीसगढ़	1081
7.	दिल्ली	3
8.	गुजरात	52
9.	हरियाणा	12
10.	हिमाचल प्रदेश	7
11.	जम्मू और कश्मीर	16
12.	झारखंड	450
13.	कर्नाटक	13
14.	केरल	27
15.	लक्षद्वीप	2
16.	मध्य प्रदेश	259
17.	महाराष्ट्र	100
18.	मणिपुर	14
19.	मेघालय	152
20.	मिजोरम	7
21.	नागालैंड	1
22.	ओडिशा	179
23.	पंजाब	19
24.	राजस्थान	37
25.	त्रिपुरा	2
26.	उत्तर प्रदेश	642
27.	उत्तराखंड	437
28.	पश्चिम बंगाल	163
	कुल	4042

नए केन्द्रीय विद्यालय खोलना

2368. **डॉ. अरविंद कुमार शर्मा:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हरियाणा में उन केन्द्रीय विद्यालयों के खोले जाने के संबंध में क्या प्रगति हुई है जिनके लिए स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार ने पहले ही सिफारिशें कर रखी हैं; और

(ख) इस बारे में विलंब के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) हरियाणा सरकार से रोहतक, मातनहेल (जिला झज्जर), फातुपुर (जिला कुरुक्षेत्र), नूंह (जिला मेवात), रामराई (जिला जींद), एवं फतेहाबाद में नए केन्द्रीय विद्यालय (केवी) खोलने हेतु 6 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। हलांकि रोहतक, मातनहेल, फातुपुर एवं नूंह में केन्द्रीय विद्यालय खोलने संबंधी प्रस्ताव अधूरे हैं क्योंकि ये निर्धारित प्रपत्र में नहीं है तथा मानकों के अनुरूप भी नहीं है। रामराई एवं फतेहाबाद के प्रस्तावों को जांच करने तथा अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन के चंडीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय भेजा गया है। क्षेत्रीय कार्यालय से सिफारिशें तथा संभावना रिपोर्ठ प्राप्त होने के बाद ही नए केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने पर विचार किया जाएगा, परन्तु यह सरकार के अनुमोदन तथा निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन होगा।

एंट्रिक्स देवास सौदा

2369. **श्री एम.बी. राजेश:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) उपग्रह पर देवास मल्टीमीडिया को ट्रांसपोंडर स्पेस पट्टे पर देने के विरुद्ध कानूनी आपत्तियां उठाई गई थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या इसरो द्वारा देवास को ट्रांसपोंडर पट्टे पर देने हेतु निर्णय लेने से पहले इन कानूनी आपत्तियों को ध्यान में रखा गया था;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इसरो द्वारा ट्रांसपोंडर देवास को पट्टे पर देने के लिए आवश्यक स्वीकृति प्रदान की थी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या देवास ने उपग्रहों के विकास हेतु अग्रिम भुगतान किया था;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) उपग्रहों के विकास पर कितनी राशि व्यय की गई और देवास ने कितनी राशि का भुगतान किया?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) इसरो उपग्रह के प्रेषानुकरों को देवास को पट्टे पर देने के प्रस्ताव पर एन्ट्रिक्स बोर्ड द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में रहते हुए अनुमोदित किया गया था और किसी वैधिक जांच अथवा अनुमोदन के लिए सरकार के समक्ष नहीं रखा गया।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) और (छ) जी नहीं, सन्ट्रिक्स कार्पोरेशन को उपग्रहों के लिए अपफ्रन्ट क्षमता आरक्षण शुल्क के रूप में करार की शर्तों के अनुसार रु. 58.37 करोड़ का अग्रिम भुगतान देवास ने किया था।

(ज) मार्च 31, 2011 तक उपग्रहों के विकास पर हुए कुल खर्च रु. 231.45 करोड़ है।

चाइल्ड केयर लीव

2370. श्री एन. कृष्टप्पः
श्री रमेश राठौड़ः
श्री खगेन दासः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में महिला कर्मचरियों को चाइल्ड केयर लीव संस्वीकृत कराने के लिए अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की महिला कर्मचारियों हेतु चाइल्ड केयर लीव (सीसीएल) स्कीम का कार्यान्वयन केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में भारत सरकार के आदेशों के अनुसार किया जा रहा है।

नियमों के अनुसार, चाइल्ड केयर लीव की मांग अधिकार के तौर पर नहीं की जा सकती। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचित किया है कि चाइल्ड केयर लीव, मामले की मेरिट तथा कार्य की तात्कालिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रदान की जाती है।

उपग्रह प्रक्षेपण

2371. श्री फांसिस्को कोज्मी सरदीनाः
श्री जयप्रकाश अग्रवालः

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को प्रक्षेपित प्रत्येक राकेट/उपग्रह पर कितनी राशि व्यय की तथा उनसे कितनी आय हुई;

(ख) क्या इसरो का विचार भविष्य में और अधिक उपग्रह का प्रक्षेपण करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विदेशी संगठनों को भारतीय राकेटों के माध्यम से उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए आमंत्रित करने का प्रस्ताव है ताकि देश के लिए आय अर्जित की जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या लक्ष्य नियत किए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) पिछले तीन वर्षों में अर्थात 2009, 2010 एवं 2011 के दौरान कुल 14 राष्ट्रीय उपग्रह तथा विदेशी ग्राहकों के लिए 11 उपग्रहों का प्रमोचन किया गया। इनका विवरण निम्नानुसार है;

राष्ट्रीय उपग्रह-14

क्र.सं.	उपग्रह	वर्ष	उड़ान वाहन	प्रमोचन को मिलाकर उपचित व्यय
1	2	3	4	5
1.	रिसैट-2	अप्रैल 2009	पी.एस.एल.वी.-सी12	रिसैट-2 मिशन प्रयोक्ताओं द्वारा वित्त पोषित है और उस पर हुआ व्यय लगभग रु. 588 करोड़ है
2.	अनुसैट			अनुसैट अन्ना विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित एक लघु उपग्रह है और इसे इस मिशन में पिग्गीबैक मोड में भेजा गया था। अनुसैट के लिए इसरो ने रु. 3 करोड़ का अनुदान प्रदान किया है।
3.	ओशनसैट-2	सितम्बर 2009	पी.एस.एल.वी.-सी-14	रु. 220 करोड़
4.	जीसैट'4	अप्रैल 2010	(मिशन असफल) जी.एस.एल.वी.-डी3	रु. 320 करोड़
5.	कोर्टोसैट-2बी	जुलाई 2010	पी.एस.एल.वी.-सी15	कार्टोसैट-2बी मिशन प्रयोक्ताओं द्वारा वित्त पोषित है। दो उपग्रहों (कार्टोसैट-2ए एवं कार्टोसैट-2बी) के साथ प्रमोचन लागत और भू प्रणाली के लिए प्रयोक्ताओं द्वारा किया गया कुल व्यय लगभग रु. 958 करोड़ है।
6.	स्टुडसैट			सात इंजीनियरी कॉलेजों के संघ द्वारा निर्मित स्टुडसैट एक नैनो उपग्रह है जिसे इस मिशन में पिग्गीबैक मोड में भेजा गया था। स्टुडसैट के लिए इसरो ने कोई व्यय नहीं किया है।
7.	जीसैट-5पी	दिसंबर 2010	जी.एस.एल.वी.-एफ06	रु. 300 करोड़
8.	यूथसैट	अप्रैल 2011	पी.एस.एल.वी-सी16	
9.	रिसोर्ससैट-2	अर्पेल 2010	जी.एस.एल.वी.-सी16	रु. 253 करोड़
10.	जीसैट-8	मई 2011	खरीदा गया प्रमोचित्र (एरियाने-4)	रु. 605 करोड़
11.	जीसैट-12	जुलाई 2011	पी.एस.एल.वी.-सी17	रु. 170 करोड़

1	2	3	4	5
12.	मेघा-टॉपिक्स			मेघा-टॉपिक्स एक संयुक्त भारत-फ्रेंच मिशन है। इस पर इसरो द्वारा किया गया व्यय रु. 172 करोड़ है।
13.	एस.आर.एम.सैट	अक्तूबर 2011	पी.एस.एल.वी-सी18	एस.आर.एम. विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित एस.आर.एम. सैट एक नैनों उपग्रह है जिसे इस मिशन में पिग्गीबैक मोड में भेजा गया था। एस.आर.एम. सैट पर इसरो ने कोई व्यय नहीं किया है।
14.	जुगनू			जुगनू आई.आई.टी. कानपुर द्वारा निर्मित एक नैनो उपग्रह हे जिसे इस मिशन पर पिग्गीगैक मोड में भेजा गया था। जुगनू पर इसरो ने कोई व्यय नहीं किया है।

ये राष्ट्रीय उपग्रह मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, अवसंरचना की योजना बनाने, संचार, सामाजिक उपयोग जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास शामिल हैं, मौसम पूर्वानुमान, जलवायु एवं पर्यावरण मानीटरन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में देश की राष्ट्रीय विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अभिप्रेत है। ये उपग्रह मुख्य रूप से आय प्राप्ति के लिए नहीं है।

परन्तु जीसैट-8 एवं जी-सैट-12 संचार उपग्रह की प्रेषानुकर क्षमता का एक भाग और रिसोर्ससैट-2 का आंकड़ा उत्पाद प्रचलित मूल्य-निर्धारण नीति के अनुसार प्रयोक्ता को प्रदान किये जा रहे हैं। जीसैट-8 एवं जीसैट-12 उपग्रहों की प्रेषानुकर क्षमता क्रमश:, रु. 5 करोड़ प्रति प्रेषानुकर प्रतिवर्ष तथा रु. 3.6 करोड़ प्रति प्रेषानुकर प्रति वर्ष पर दी गई है। रिर्सोससैट-2 से प्राप्त आंकड़ा रु. 6000-रु. 8000 की रेंज प्रति प्रतिबिंबिकी पर प्रदान किया जा रहा है।

विदेशी उपग्रह-11

क्र.सं.	उड़ान उपग्रह	वर्ष	उड़ान वाहन
1.	क्यूबसैट-1	सितम्बर 2009	पी.एस.एल.वी.-सी14
2.	क्यूबसैट-2		
3.	क्यूबसैट-3		
4.	क्यूबसैट-4		
5.	रूबिन-9.1		
6.	रूबिन-9.2		
7.	अल्सैट-2ए	जुलाई 2010	पी.एस.एल.वी.-सी15
8.	एन.एल.एस. 6.1 (ए.आई.एस.सैट-1)		
9.	एन.एल.एस. 6.2 (टी.आई.सैट-1)		
10.	एक्स-सैट	अप्रैल 2011	पी.एस.एल.वी.-सी16
11.	वेसेलसैट-1	अक्तूबर 2011	पी.एस.एल.वी.-सी18

इन विदेशी उपग्रहों के प्रमोचन से प्राप्त आय रु. 30 करोड़ है।

(ख) और (ग) इसरो अगले एक वर्ष में निम्नलिखित राष्ट्रीय उपग्रहों का प्रमोचन करने की योजना बना रहा है:

संचार के क्षेत्र में जीसैट-10, जीसैट-14, सभी मौसम में प्रतिबिंबन हेतु प्रतिबिंबन उपग्रह (रिसैट-1), सुदूर संवेदन के क्षेत्र में समुद्री मौसमविज्ञान एवं समुद्र की स्थिति के पूर्वानुमान के लिए एर्गोस एवं आल्टिका (सरल), मौसमविज्ञान के क्षेत्र में इन्सैट-3डी और नौवहन के क्षेत्र में भारतीय प्रदादेशक नौवहन उपग्रह प्रणाली (आई.आर.एन.एस.एस.-1)।

(घ) और (ङ) निम्न देशों के लिए 13 विदेशी उपग्रहों के प्रमोचन के प्रस्ताव हैं, अर्थात आस्ट्रिया (2), कनाडा (4), डेन्मार्क (1), फ्रांस (1), जर्मनी (2), इण्डोनेशिया (2) तथा जापान (1)।

वर्ष 2012-15 की अवधि के दौरान भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी.एस.एल.वी.) द्वारा इन उपग्रहों के प्रमोचन का लक्ष्य है।

नेटवर्किंग वेबसाइटों का अभियोजन

2372. श्री ताराचंद भगोरा: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गूगल और फेसबुक जैसी नेटवर्किंग वेबसाइटों के अभियोजन हेतु स्वीकृति कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन वेबसाइटों ने सरकार की इस पहल पर आपत्ति दर्ज की है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) और (ख) वर्ष 2011 के एक आपराधिक मामला सं. 136/1- विनय राय बनाम फेसबुक में माननीय मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, पटियाला हाउस न्यायालय ने दिनांक 23.12.2012 के आदेश में निदेश दिया है कि:

"प्रथम दृष्टया मैंने यह पाया है कि अभिमुक्त व्यक्तियों को भारतीय दंड सहिंता (आईपीसी) की धारा 153-क, 153-ख और 295-क के अंतर्गत अपराधों के लिए सम्मन जारी किए जाएं। परन्तु, आपराधिक दण्ड संहिता की धारा जो केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व स्वीकृति को छोड़कर उपर्युक्त उपबंधों के अंतर्गत संज्ञान में लेने पर प्रतिबंध लगाती है, के तहत प्रतिरोध के कारण अभियुक्तों को उपर्युक्त अपराधों के लिए सम्मन जारी नहीं किए जाते हैं। तथापि, सभी अभियुक्तों को 13.01.2012 के लिए पीएफ पर आईपीसी की धारा 292, 293 और 120ख के अंतर्गत मुकदमा चलाए जाने के लिए सम्मन जारी किए जाएं।"

वादी के अनुरोध पर सरकार ने राष्ट्रीय सौहार्द, एकता और राष्ट्रहित में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए आपराधिक दण्ड संहिता की धारा 196 के अंतर्गत मंजूरी प्रदान की है।

(ग) मंजूरी के संबंध में सरकार को इन वेबसाइटों से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और भूमिहीन लोग

2373. श्री गोरखप्रसाद जायसवाल:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बेरोजगार और भूमिहीन लोगों को समय पर सुविधाएं तथा आर्थिक मुआवजा नहीं दिया जाता जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण लोगों को अनेक कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समस्या के समाधान हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार ने बेरोजगार और भूमिहीन लोगों की संख्या के बारे में अभी तक कोई आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस बरे में क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) भूमिहीनता के तथाकथित स्त्रोत तथा उसकों संदर्भित बंरोजगारी के संबंध में प्रश्न स्पष्ट नहीं है। तथापि यदि यह परियोजना संबंधी विस्थापन के कारण है तो वे राष्ट्रीय पुनर्वास तथा पुन: स्थापना नीति 2007 के तहत आएंगे जिसमें इसका एक लक्ष्य बड़े पैमाने पर जहां तक संभव हो विस्थापन को कम करना है तथा परियोजना के उद्देश्य के अनुरूप न्यूनतम भूमि क्षेत्र का अधिग्रहण करना है।

(ख) से (ङ) सरकार ने उपर्युक्त नीति को कानूनी समर्थन देने के लिए दिनांक 07/09/11 को भूमि अधिग्रहण पुनर्वास तथा पुन:स्थापना विधेयक 2011 संसद में पेश किया है। इस विधेयक में प्रभावित परिवारों के पुनर्वास तथा पुन:स्थापना हेतु व्यापक प्रावधान है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ आवासीय इकाईयां भूमि के बदले भूमि वार्षिक नीतियों रोजगार विस्थापित परिवारों के लिए आजीविका अनुदान, मत्स्य अधिकार तथा स्टांप ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क आदि की छूट शामिल है इसके अतिरिक्त इसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान है। इस विधेयक को जांच करने तथा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा संसद में रिपोर्ट करने हेतु ग्रामीण विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा गया है।

[अनुवाद]

शिक्षा संबंधी सुधार

2374. श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार का विचार आरक्षित वर्गों सहित देश में कौन-कौन से शिक्षा संबंधी सुधार करने का है;

(ख) उक्त प्रत्येक सुधार पर कितनी राशि व्यय करने का प्रस्ताव है;

(ग) उक्त प्रत्येक सुधार के संबंध में राज्य सरकारों से क्या प्रतिक्रिया/मत प्राप्त हुए हैं; और

(घ) उन सुधारों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए राज्यों के विधान में सांविधिक परिवर्तन की आवश्यकता पड़ेगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) शिक्षा सुधार एक सतत् प्रक्रिया है तथा सरकार संस्थागत और नीतिगत सुधार करके और सार्वजनिक खर्च में वृद्धि करके विस्तार, समावेशन और गुणता में त्वरित सुधार के माध्यम से इस कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। उच्च शिक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार पहले ही संसद में चार विधेयक पेश कर चुकी है, जिनमें तकनीकी शिक्षा संस्थाओं, चिकित्सा शिक्षा संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में अनुचित पद्धतियों को रोकने के लिए प्रस्ताव, उच्चत्तर शिक्षा संस्थाओं का अनिवार्य प्रत्यायन; विवादों के न्याय निर्णयन के लिए शिक्षा न्यायाधिकरण; तथा विदेशी शिक्षा संस्थाओं के प्रवेश और प्रचालन को विनियमित करने के लिए विधान शामिल हैं।

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2010 अधिनियमित किया गया है जिसमें प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त सुधारों की परिकल्पना की गई है। अधिनियम में सरकार के लिए 6-14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना; छह से चौदह वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बच्चे का दाखिला, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करना अनिवार्य बनाया गया है। सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) प्रारंभिक शिक्षा की गुणता में सुधार लाने के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाता है तथा कतिपय मानदंडों के अध्यधीन नए प्राथमिक स्कूल खोलने, प्राथमिक स्कूलों को उच्च प्राथमिक स्कूलों में प्रोन्नत करने तथा स्कूल भवनों के निर्माण की व्यवस्था करता है। माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच को सार्वभौम बनाने और इसकी गुणता में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मार्च, 2009 में आरंभ किया गया था। इस योजना का लक्ष्य पांच वर्ष के अंदर कक्षा IX और X के लिए 75 प्रतिशत का नामांकन अनुपात प्राप्त करना है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने शिक्षा सुधार के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें ये भी शामिल हैं; कि जो छात्र सीबीएसई के वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं 2011 से और कक्षा X के बाद सीबीएसई प्रणाली को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं उनके लिए 2011 से कक्षा X की बोर्ड परीक्षा न लेना।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सेमेस्टर प्रणाली, पसंद आधारित क्रेडिट प्रणाली शुरू करने, पाठ्यचर्या विकसित करने, प्रवेश की प्रक्रियाविधि में, परीक्षाओं में तथा मूल्यांकन करने की प्रणालियों में सुधार करने सहित अनेक शैक्षिक सुधार किए हैं। यूजीसी ने शिक्षा में सुधार करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें विश्वविद्यालयों और कालेजों में गुणता मूल्यांकन सैल, मानित विश्वविद्यालयों के लिए विनियम, विश्वविद्यालयों और कालेजों में शैक्षिक सुधार प्रणाली, एम.फिल. और पीएच.डी. में प्रवेश के लिए विनियम, संकाय विकास, अध्यापकों के वेतन और सेवा शर्तें आदि शामिल हैं। एआईईसीटीई ने सुधार के लिए पहल की हैं जिनमें तकनीकी शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25(छ) के तहत संस्थाओं को अनुमति देना शामिल है। इसके अतिरिक्त, स्टैंड एलोन स्नातकोत्तर संस्थाओं को अनुसंधान और विकास के संवर्धन के लिए अनुमति दी जाती है।

वर्ष 2011-12 के दौरान शिक्षा क्षेत्र के लिए 52,060 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई है।

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सीएबीई), जो केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को शिक्षा के क्षेत्र में परामर्श देने वाली सर्वोच्च संस्था है, समय समय पर आयोजित इसकी बैठकों में शिक्षा सुधारों पर विचार-विमर्श करता है। सीएबीई में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा मंत्री और सुप्रसिद्ध शिक्षाविद् शामिल होते हैं। 31.8.2009 को आयोजित अपनी 56वीं बैठक में सीएबीई ने सर्वसम्मति से शिक्षा के सभी स्तरों पर सामान्य सुधार की आवश्यकता पर सहमति व्यक्ति की है तथा महसूस किया है कि हालांकि सुधारों की गति और प्रक्रियाविधि पर भिन्न-भिन्न मत हो सकते हैं, तथापि, बालकों के हित से संबंधित इसकी दिशा में मतैक्य था जो भारत की सर्वाधिक मूल्यवान संपत्ति है।

एयर इंडिया और निजी एयरलाइनों का यात्री लोड फैक्टर

2375. श्री एल. राजागोपाल:
श्री एन. पीताम्बर कुरूप:
श्री राजय्या सिरिसिल्ला:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में एयर इंडिया और अन्य निजी एयरलाइनों का वर्ष-वार/एयरलाइन-वार यात्री लोड फैक्टर क्या रहा;

(ख) उक्त अवधि के दौरान एयर इंडिया और प्रत्येक अन्य निजी एयरलाइन का आन टाईम कार्य-निष्पादन कितना रहा;

(ग) एयर इंडिया ने यात्री लोड फैक्टर और आन टाईम कार्य-निष्पादन में सुधार हेतु क्या उपाय किए हैं और इन उपायों से कितना लाभ हुआ;

(घ) क्या एयर इंडिया ने इकानोमी-क्लास में सीटों की संख्या बढ़ाने और एक्जिक्यूटिव क्लास में सीटें घटाने का निर्णय किया है;

(ङ) यदि हां, तो ऐसे निर्णय लेने के क्या कारण हैं; और

(च) एयर इंडिया/इंडियन एयरलाइंस ने अधिक यात्री आकर्षित करने और प्रचालन लागत तथा अपनी हानि कम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के लिए एअर इंडिया और दूसरी निजी एयरलाइनों का यात्री लोड फैक्टर और समय कार्यनिष्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) एअर इंडिया द्वारा इसके लोड फैक्टर और समय पर कार्यनिष्पादन में भी सुधार के लिए निम्न प्रयास किए गए हैं:- (i) सीट फैक्टर में सुधार के लिए उड़ानों को मॉनीटर किया जाता है और प्रतिस्पर्धा में तालमेल के लिए बाजार में किरायों की पेशकश की जाती है; (ii) किरायों की सतत समीक्षा की जाती है; (iii) विशिष्ट बाजार क्षेत्रों को लक्ष्य बनाने के लिए समय-समय पर योजनाएं आरंभ की जाती हैं; (iv) सैर-सपाटा, कारपोरेट, धार्मिक गतिविधियों के लिए भारत से/तक समूह में यात्रा करने को बढ़ावा देने के लिए विशेष ध्यान दिया गया है।

समय पर कायनिष्पादन में सुधार के संदर्भ में, समग्रएयरलाइन की सभी गतिविधियों को नियंत्रित और प्रबंधित करने के लिए एकीकृत प्रचालनिक नियंत्रण केन्द्र और हब नियंत्रण केन्द्र स्थापित किया गया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। एअर इंडिया ने अपने राजस्व में वृद्धि हेतु 320 श्रेणी के विमान में बिजनेस क्लास की सीटों को कम करने का निर्णय लिया है। 14 पुराने ए320 विमानों के इष्टतम उपयोग के लिए 20 जे श्रेणी की सीटों के स्थान पर 42 अतिरिक्त वाई श्रेणी की सीटें लगाकर पूरी तरह इकोनोमी श्रेणी में परिवर्तित किया जाएगा।

(च) अधिकारिक यात्रियों को आकर्षित करने के लिए, एअर इंडिया ने विशेष योजनाएं शुरू की हैद्व जैसे (i) हवाईअड्डे पर ही स्तरोन्नयन-जहां यात्री विमान में प्रवेश करने से पूर्व ही हवाईअड्डे पर स्तरोन्नयित कूपन खरीद सकते हैं; (ii) जल्दी-जल्दी योजना-यदि यात्री विशेष दरों की स्कीम को प्रचारित करने के लिए यात्रा के 7 दिन और 14 दिन पूर्व टिकट खरीदते हैं; (iii) शगुन वाउचर-वेडिंग सीजन के दौरान वेडिंग कपल्स को गिफ्ट करने के लिए (iv) गेट लकी-जिसमें प्रत्येक 100वें टिकट प्राप्त यात्रियों को कम दाम के विशेष कूपन दिए जाएंगे; (v) सिल्वर और प्लेटिनम पास-निश्चित समय-सीमा के भीतर असीमित यात्रा योजना को लोकप्रिया बनाना, (vi) एअर इंडिया के यात्रियों को रियायती कूपन उपलब्ध कराने के लिए ताज समूह की गेटवे होटलों और रीसॉट् के साथ तालमेल भी बढ़ाया गया है।

विवरण

एअर इंडिया और अन्य निजी एयरलाइनों की यात्री लोड फैक्टर और समयबद्ध कार्यनिष्पादन

यात्री लोड फैक्टर (%)

वर्ष	एअर इंडिया	जेट एयरवेज	जेटलाइट	किंगफिशर	स्पाईसजेट	गो एयर	इंडिगो
2009	66.1	69.3	73.1	70.8	74.7	75.8	78.6
2010	71.4	75.1	78.6	81.0	81.2	78.0	83.6
2011	71.6	73.8	77.6	81.1	75.8	77.9	83.3
समयबद्ध कार्यनिष्पादन (%)							
2009	73.3	74.5	71.1	82.9	82.8	79.8	80.1
2010	73.4	84.5	82.9	86.3	85.0	74.7	76.3
2011	73.2	91.0	88.4	90.5	88.9	82.2	87.4

धोखेबाजी के मामलों में सी.बी.आई. जांच

2376. श्री एंटो एंटोनी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) को कोच्ची, केरल स्थित मैसर्स गीसा इंटरनेशनल द्वारा एक धोखेबाज के मामले में जांच के आदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सी.बी.आई. ने इस मामले में विदेशों में संलिप्तता के बारे में जांच करने के लिए इंटरपोल की मदद मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, हां। केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 09.02.2011 के आदेश द्वारा और केरल राज्य सरकार की सहमति से भी माननीय केरल उच्च न्यायालय के निदेशों पर 5 मामलों को रजिस्टर करने वाली केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को मैसर्स गीसा इंटरनेशनल कोच्ची, केरल के विरुद्ध जांच करने के लिए आदेश दिया है।

(ख) इन 5 मामलों का ब्यौरा उनकी वर्तमान स्थिति का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) नहीं, सीबीआई ने इन मामलों में विदेशी संलिप्तता के बारे में पूछताछ हेतु इंटरपोल से मदद नहीं मांगी है। जहां तक सीबीआई का संबंध है, याचना पत्र एमएलएटी (परस्पर कानूनी सहायता संधि) के अनुपालन में भारत के केन्द्रीय प्राधिकरण के माध्यम से थाईलैंण्ड में केन्द्रीय प्राधिकरण को भेज दिया गया है। निष्पादन रिपोर्ट सभी 5 मामलों में प्रयोग की जाएगी।

विवरण

5 मामलों और उनकी वर्तमान स्थिति का ब्यौरा

क्र.सं.	मामला सं. पंजीकरण की तिथि और कानून की धारा	आरोपी व्यक्तियों के नाम	एक पंक्ति में मामला शीर्षक	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1.	प्रवासी अधिनियम की धारा (1) (छ) और आईपीसी 420 के साथ पठित धारा	श्रीमती साधना गिलबर्ट, धर्मपत्नी श्री गिलबर्ग, मैसर्स गीसा इंटरनेशनल	विदेश में रोजगार प्रस्ताव द्वारा जनता से धोखाधड़ी	आरोप-पत्र दायर निष्पादन हेतु थाईलैण्ड को भेजा गया एलआर

1	2	3	4	5
	34 के अंतर्गत आरसी 3(एस)2011 दिनांक 19.03.2011	कंसल्टेंसी, पोनेकरा, एलामक्करा डाक खाना, कोचीन और 3 अन्य		लंबित है। इसके आगे एलआर के संबंध में जांच लंबित है।
2.	प्रवासी अधिनियम की धारा 24 (1) (छ) और आईपीसी 420 के साथ पठित धारा 34 के अंतर्गत आरसी 4(एस) 2011 दिनांक 19.03.2011	श्रीमती साधना गिलबर्ट, धर्मपत्नी श्री गिलबर्ग, मैसर्स गीसा इंटरनेशनल कंसल्टेंसी, पोनेकरा, एलामक्करा डाक खाना, कोचीन और 5 अन्य	विदेश में रोजगार प्रस्ताव द्वारा जनता से धोखाधड़ी	जांच के अधीन निष्पादन के अधीन निष्पादन हेतु थाईलैण्ड को भेजा गया एलआर लंबित है।
3.	प्रवासी अधिनियम की धारा 24(1) (छ) और आईपीसी 420 के साथ पठित धारा 34 के अंतर्गत आरसी 5(एस) 2011 दिनांक 19.03.2011	श्रीमती साधना गिलबर्ट, धर्मपत्नी श्री गिलबर्ग, मैसर्स गीसा इंटरनेशनल कंसल्टेंसी, पोनेकरा, एलामक्करा डाक और 5 अन्य	विदेश में रोजगार प्रस्ताव द्वारा जनता से धोखाधड़ी	जांच के अधीन निष्पादन के अधीन निष्पादन हेतु थाईलैण्ड को भेजा गया एलआर लंबित है।
4.	प्रवासी अधिनियम की धारा 24(1) (छ) और आईपीसी 420 के साथ पठित धारा 34 के अंतर्गत आरसी 6(एस) 2011 दिनांक 19.03.2011	श्रीमती साधना गिलबर्ट, धर्मपत्नी श्री गिलबर्ग, मैसर्स गीसा इंटरनेशनल कंसल्टेंसी, पोनेकरा, एलामक्करा डाक खाना, कोचीन और 5 अन्य	विदेश में रोजगार प्रस्ताव द्वारा जनता से धोखाधड़ी	जांच के अधीन निष्पादन के अधीन निष्पादन हेतु थाईलैण्ड को भेजा गया एलआर लंबित है।
5.	प्रवासी अधिनियम की धारा 24(1) (छ) और आईपीसी 420 के साथ पठित धारा 34 के अंतर्गत आरसी 7(एस) 2011 दिनांक 19.03.2011	श्रीमती साधना गिलबर्ट, धर्मपत्नी श्री गिलबर्ग, मैसर्स गीसा इंटरनेशनल कंसल्टेंसी, पोनेकरा, एलामक्करा डाक खाना, कोचीन और 5 अन्य	विदेश में रोजगार प्रस्ताव द्वारा जनता से धोखाधड़ी	आरोप-पत्र दायर निष्पादन हेतु थाईलैण्ड को भेजा गया एलआर लंबित है। इसके आगे एलआर के संबंध में जांच लंबित है।

[हिन्दी]

काम नहीं करने वाले अधिकारियों को कार्यमुक्त करना

2377. **श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह:**
श्री अनंत कुमार हेगड़े:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अखिल भारतीय सेवा/केन्द्र सरकार के काम नहीं करने वाले अधिकारियों को सेवा से कार्यमुक्त/सेवानिवृत्त करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो संगत उपबंधों सहित तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने काम नहीं करने वाले अधिकारियों की पहचान करने के लिए कार्यविधि तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) जहां तक अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का संबंध है अखिल भारतीय सेवा (डीसीआरबी) नियमावली 1958 के नियम 16(3) को 31 जनवरी 2012 को संशोधित किया गया है जिसमें व्यवस्था है कि केन्द्रीय सरकार संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से ऐसे सदस्य को लिखित रूप में कम-से-कम तीन माह का पूर्व नोटिस देकर या ऐसे नोटिस के बदले में तीन माह का वेतन एवं भत्ते लेकर जनहित में सेवा से सेवानिवृत्त होने की अपेक्षा कर सकती है:-

(1) समीक्षा के पश्चात जब ऐसा सदस्य 15 वर्षो की अर्हक सेवा पूरी कर लेता है; या

(2) समीक्षा के पश्चात् जब ऐसा सदस्य 25 वर्षो की अर्हक सेवा पूरी कर लेता है या 50 वर्ष की आयु प्राप्त करता है जैसा भी मामला हो; या

(3) यदि उक्त (1) या (2) में उल्लिखित समीक्षा नहीं की गई है तो अन्य किसी समय पर समीक्षा के बाद जैसा कि केन्द्रीय सरकार ऐसे सदस्य के संबंध उचित समझे।

जहां तक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का संबंध है सरकार किसी भी सरकारी सेवक को लोकसहित में लिखित रूप से कम-से-कम तीन माह का नोटिस देते हुए या ऐसे नोटिस के बदले तीन माह के वेतन एवं भत्ते हुए 50/55 वर्ष की आयु प्राप्त करने या 30 वर्षो की सेवा पूरी करने के पश्चात सेवानिवृत्त कर सकती है।

चूंकि अखिल भारतीय सेवा (डीसीआरबी) नियमावली 1958 के नियम 16(3) को हाल ही में 31.1.2012 को संशोधित किया गया है, अत: किसी भी अधिकारी ने लोकहित में नियम के संशोधित प्रावधान का उपलब्ध लेते हुए समयपूर्व सेवानिवृत्ति नहीं ली है। तथापि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों ने 30 वर्षो की अर्हक सेवा पूरी करने या 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात अखिल भारतीय सेवा (डीसीआरबी) नियमावली 1958 के संशोधन पूर्व नियम 16(3) का अवलंब लेते हुए बिगत में लोकसहित में समयपूर्व सेवानिवृत्ति ली है।

(ग) और (घ) राज्य/संवर्ग के बाहर से एक सदस्य एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के एक सदस्य को अखिल अधिकारियों के लिए समीक्षा समिति में सम्मिलित किया गया है।

[अनुवाद]

आईआईटी/एनआईटी का दर्जा

2378. श्री इन्दर सिंह नामधारी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास उत्तराखंड और झारखंड सहित देश में कतिपय प्रतिष्ठित संस्थानों को आईआईटी में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी राज्य-वार और प्रस्ताव-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) हालांकि सरकार ने उत्तर प्रदेश में प्रौद्योगिकी संस्थाना, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में रूपांतरित करने का निर्णय लिया है, अन्य किसी प्रतिष्ठित संस्थान को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अथवा भारतीय प्रौद्यागिकी संस्थान में रूपांतरित करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

अल्पसंख्यकों को आरक्षण

2379. श्री नीरज शेखर:
श्री यशवीर सिंह:
श्री एम. आनंदन:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण को कम करके अल्पसंख्यकों का 4.5 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या धार्मिक अल्पसंख्यकों को आरक्षण संविधान के अनुरूप हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार धार्मिक अल्पसंख्यकों को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कोई संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, नहीं। अल्पसंख्यक समुदाय जिसमें

मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और (जोरोस्ट्रियन) पारसी शामिल हैं, के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के 27% आरक्षण में से 4.5% आरक्षण का उप कोटा निर्दिष्ट किया गया है। यह उप कोटा उन्हीं अल्पसंख्यकों के लिए लागू है जो अन्य पिछड़ा वर्गों की केन्द्रीय सूची में सम्मिलित किए गए हैं। इसलिए अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 27% ही है तथा इसे उप कोटा सृजन के परिणामस्वरूप, घटाया गया है।

(ख) चूंकि 4.5% आरक्षण उन्हीं अल्पसंख्यकों के लिए लागू है जो पहले से ही अन्य पिछड़ा वर्गों की केन्द्रीय सरकार की सूची में सम्मिलित किए गए हैं, इसलिए यह संविधान के अनुरूप है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

गरीब छात्रों के लिए विद्यालय

2380. श्री संजय सिंह चौहान: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में गरीब विद्यार्थियों के लिए नवयुग/प्रतिभा विकास/केन्द्रीय विद्यालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नवयुग और विकास विद्यालयों को खोलने की योजना नहीं चला रहा है। ये विद्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा सम्बद्ध राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आ जाते हैं। केन्द्रीय विद्यालय मुख्यत: रक्षा कार्मिकों सहित स्थानांतरित होने वाले केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खोले जाते हैं न कि राज्य-वार/जिला-वार/ब्लॉक-वार/अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र-वार आदि के मानदण्डों के आधार पर।

[अनुवाद]

व्यय का वर्गीकरण

2381. श्री एम. आनंदन: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिकांश राज्यों ने रंगराजन समिति की व्यय को योजना एवं गैर-योजना श्रेणियों में विभाजित करने की मौजूदा प्रणाली को समाप्त करने की सिफारिश का समर्थन किया गया है तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के बारे में बी.के. चतुर्वेदी समूह की रिपोर्ट का कार्यान्वयन करने पर सहमत हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या राज्यों ने भी केन्द्र सरकार से विभिन्न सामाजिक क्षेत्र योजनाओं के लिए उन्हें सीधे निधियां देने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस) की पुनर्सरचना के संबंध में बी.के. चतुर्वेदी समित की रिपोर्ट से राज्य व्यापक रूप से सहमत है। तथापि, उन्होंने कई सुझाव दिए हैं। रंगराजन समिति की रिपोर्ट भी राज्यों को परिचालित की गई हैं। कुछ राज्यों ने एनडीसी की अक्तूबर 2011 में हुई बैठक में व्यय को योजना एवं गैर-योजना श्रेणियों में विभाजित करने की मौजूदा प्रणाली को समाप्त करने की सिफारिश का विशेष रूप से समर्थन किया है। ये दोनों मामले योजना आयोग के विचाराधीन है। वर्ष 2012-13 के बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री ने उल्लेख किया है कि बारहवीं योजना के कार्यान्वयन में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों को सुचारू बनाने एवं संख्या कम करने तथा योजना और गैर-योजना वर्गीकरण पर विचार करने के संबंध में विशेषज्ञ समितियों द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखा जाएगा।

(ग) और (घ) रंगराजन समिति और बी.के. चतुर्वेदी समिति दोनों ने सिफारिश की है कि राज्यों को केन्द्रीय योजना निधियां राज्य एकीकृत निधि के माध्यम से अंतरित की जाएगी। वर्तमान स्कीमों में जहां निधियों सीधे स्वायत्त एजेंसियों/सोसाइटियों के माध्यम से अंतरित की जाती है, अंतरण के माध्यम को एक निश्चित अवधि के अंतर्गत ट्रेजरी के माध्यम से परिवर्तित कर दी जानी चाहिए। यह सिफारिश योजना आयोग के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

मध्याह्न भोजन योजना में भेदभाव

2382. श्री पन्ना लाल पुनिया: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ स्थानों पर जाति के कारक के कारण विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन में भाग नहीं लेने के उदाहरण सरकार के ध्यान में आये हैं;

(ख) यदि हां, तो 2011 और 2012 के दौरान अब तक सात ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं/किये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) 1.1.2011 के बाद इस विभाग को दो शिकायतें; मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से ऐ-एक शिकायत प्राप्त हुई है। दोनों को उनकी जांच करने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया था। मध्य प्रदेश राज्य ने सूचित किया है कि शिकायत निराधार पाई पाई गई क्योंकि अनुसूचित जाति से संबंधित महिला रसोइया द्वारा पकाया गया खाना स्कूल में सभी बच्चों द्वारा खाया जा रहा था। उत्तर प्रदेश राज्य ने सूचित किया है कि मध्याह्न भोजन न पकाने और जातिगत भेदभाव के संबंध में संबंधित स्कूल, लखीमपुर के प्रधानाचार्य की शिकायत भी निराधार पाई गई क्योंकि यह शिकायत उनके विरूद्ध की जा रही कार्रवाई के कारण की गई थी; अपनी ड्यूटी उचित ढंग से न करने के कारण उनका वेतन रोक दिया गया था।

(ग) राज्यों/संघ शासित राज्यों ने खाना तैयार करने और वितरित करने का निरीक्षण करने के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों वाली समितियां/कमेटी गठित की है। इसी प्रकार रसोइया-सह-सहायकों की भर्ती में इन समुदायों को प्राथमिकता दी जाती है।

मध्याह्न भोजन दिशा-निर्देशों में निर्धारित है कि प्रत्येक तिमाही में औसतन 25 प्रतिशत स्कूलों की जिला, सब डिवीजन, तहसील/तालुका, ब्लॉक और अन्य उपयुक्त स्तरों पर राज्य पर राज्य सरकार के भिन्न-भिन्न विभागों से संबद्ध अधिकारियों द्वारा जांच की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, यूनिसेफ और उच्चतम न्यायालय आयुक्त के प्रतिनिधियों वाले संयुक्त समीक्षा मिशन, दुर्भावना का पता लगने में राज्यों की सहायता करते हैं। इसी प्रकार, 40 स्वतंत्र अनुवीक्षण संस्थाएं जैसे अईआईटी, चेन्नई और विश्वभारती भी इस पहलू का अनुवीक्षण करती हैं।

[अनुवाद]

परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम

2383. श्री ए. सम्पत:
श्री अशोक तंवर:
श्री राजय्या सिरिसिल्ला:
कुमारी सरोज पाण्डेय:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम तकनीकी एवं ऊर्जा आत्मनिर्भरता एवं सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान इस दिशा में क्या कदम उठाये गए हैं;

(ग) प्रत्येक स्थापित निर्माणाधीन एवं स्थापना हेतु प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा संयंत्र में किए गए विदेशी निवेश का ब्यौरा क्या है;

(घ) उन देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ सरकार ने अब तक ईंधन आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ङ) क्या ये देश समझौते के अनुसार ईंधन की आपूर्ति कर रहे हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये/उठाये जा रहे हैं;

(छ) क्या सरकार को हरियाणा के फतेहाबाद में परमाणु संयंत्र हेतु भूमि का अधिग्रहण करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है; और

(ज) इस मामले को हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये/उठाये जा रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) जी, हां। मुख्य उपलब्धियां, एक अंतर्राष्ट्रीय निस्संगता और प्रौद्योगिकी अस्वीकृति व्यवस्था जो कि वर्ष 1974 से 2008 तक चली थी, में देश के त्रि-चरणीय नाभिकीय विद्युत कार्यक्रम के लिए स्वदेशी नाभिकीय विद्युत रिएक्टर तथा संबद्ध ईंधन चक्र प्रौद्योगिकियों का विकास करना रहा है। आज भारत विश्व स्तर पर एक ऐसे देश के रूप में जाना जाता है जिसके पास त्रुटिहीन अप्रसार रिकार्ड वाली प्रगत प्रौद्योगिकी है।

पिछले तीन वर्षो में, तीन नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों (3×220 मेगावाट) को सफलतापूर्वक कमीशन किया गया है। 700 मेगावाट क्षमता वाले स्वदेशी तौर पर डिजायन किए गए चार दाबित भारी पानी रिएक्टरों का निर्माण-कार्य शुरू कर दिया गया है। कई देशों के साथ द्विपक्षीय सहकार करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ग) परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के उपबंधों के अनुसार नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं में विदेशी इक्विटी निवेश की अनुमति नहीं है। अत: विदेशी निधिकरण, केवल ऋण की शक्ल में किया

जा सकता है हाल ही में, कुडनकुलम परियोजना की स्थापना 6416 करोड़ रुपए के रूसी राज्य ऋण से की जा रही है। भावी परियोजनाओं के मामले में, विदेशी ऋण चाहे वह राज्य ऋण, बैंक अथवा बहुपक्षीय निधिकरण एजेंन्सियों के माध्यम से हो, की परिकल्पना की जा रही है।

(घ) केन्द्रीय सरकार ने, रूसी परिसंघ, कजाखिस्तान और फ्रांस के साथ ईंधन की आपूर्ति संबंधी अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ङ) और (च) जी, हां। फ्रांस ने अनुबंध में उल्लिखित मात्रा की आपूर्ति की है। रूसी परिसंघ और कजाखिस्तान के साथ, ईंधन की दीर्घावधि आपूर्ति संबंधी करार किए गए हैं। आपूर्ति नियमित रूप से प्राप्त हो रही है।

(छ) और (ज) फतेहाबाद, हरियाणा में भूमि का काम भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसरण में किया जा रहा है। यह कार्य पूरा होने की प्रगत की अवस्था में है। संयंत्र स्थल के लिए अधिगृहित किए जाने वाले 1313 एकड़ में से, 1109 एकड़ भू-स्वामियों ने पहले ही अपनी सहमति व्यक्त कर दी है। वर्तमान में, अधिगृहीत की जाने वाली भूमि के लिए राज्य सरकार के साथ बातचीत की जा रही है। नाभिकीय विद्युत की सुरक्षा के संबंध में आशंकाओं का समाधान, विशेष तौर पर फुकुशिमा के बाद, निरन्तर पब्लिक आउटरीच कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा है।

आई.सी.ए.ओ. के गैर-यूरोपीय संघ के सदस्यों की बैठक

2384. श्री प्रदीप माझी:
श्री किशनभाई वी. पटेल:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के गैर-यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों की हाल में मास्को में बैठक हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त बैठक के दौरान चर्चा की गई कार्यसूची का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त दौरे के दौरान भारतीय शिष्टमंडल द्वारा विभिन्न देशों के नेताओं के साथ विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त बैठक के पश्चात किसी संयुक्त घोषणा पर सहमति बनी हुई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) जी हां, इकाओ के 32 देशों के प्रतिनिधियों, जिनमें इ.यू. सदस्य और गैर-इ. यू. सदस्य दोनों शामिल हैं, ने 21-22 फरवरी, 2012 को मास्को में अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भाग लिया।

(ख) से (च) 29-30 सितम्बर, 2011 को नई दिल्ली में अंगीकृत घोषणा पत्र की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में आयोजित बैठक में सदस्यों ने बैठक से पूर्व परिचालित कार्य पत्र पर विचार-विमर्श किया, जिसमें विभिन्न संभावित निवारक उपायों आदि के साथ-साथ आगे बढ़ने के तरीके शामिल थे। उपस्थित देशों ने विचार पश्चात ई.यू.-ईटीसी के विरुद्ध घोषणा पत्र को अंगीकृत किया कि अब विभिन्न प्रतिक्रियात्मक उपायों को शामिल किया जाएगा, जिनमें से सभी सरकारें निवारक उपायों का चयन कर सकती हैं। जो कि मास्को घोषणा पर यूरोपीय संघ के प्रत्युत्तर के आधार पर, अन्य राष्ट्र जो इस समूह में शामिल होना चाहते तथा भारत हैं सहित घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले सभी राष्ट्र उपयुक्त प्रतिक्रियात्मक उपाय करेंगें।

[हिन्दी]

अवसंरचना क्षेत्र की वृद्धि दर

2385. श्री रमाशंकर राजभर:
श्री आर. थामराईसेलवन:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के अवसंरचना क्षेत्र की वृद्धि दर में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान में देश में अवसंरचना क्षेत्र की वृद्धि दर क्या है;

(घ) वर्तमान में देश में अवसंरचना क्षेत्र का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या देश में अत्यधिक अवसंरचना एवं औद्योगिक कलस्टर का विकास करने की मांग है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य

मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) जी नहीं। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन (एमटीए) में अनुमानित जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अवसंरचना क्षेत्र में निवेश निम्नानुसार है:

वर्ष	अवसंरचना में बाजार मूल्य पर जीडीपी के रूप में निवेश
2007-08	6.44
2008-09	7.18
2009-10	7.51
2010-11	7.94
2011-12	8.37

(ग) चालू वर्ष में एमटीए में अवसंरचना क्षेत्र में जीडीपी का 8.37 प्रतिशत निवेश अनुमानित किया गया है। तथापि, अंतिम निवेश के आंकड़े एकत्र हो जाने पर वास्तविक विकास चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ज्ञात हो पाएंगे।

(घ) तीव्र विकास में अपर्याप्त अवसंरचना प्रमुख अवरोध के रूप में मानी गई है। अत:सरकार ने सार्वजनिक तथा सार्वजनिक-निजी- भागीदारी के माध्यम से निजी निवेश की सहभागिता के आधार पर अवसंरचना में व्यापक विस्तार हेतु आवश्यकता पर बल दिया है। इस संबंध में पर्याप्त प्रगति की गई है। अवसंरचना में जिसमें सड़क, रेलवे, पोर्ट, हवाईअड्डे, विद्युत, दूरसंचार, तेल व गैस पाईपलाइन तथा सिंचाई शामिल हैं, में कुल निवेश ग्यारहवीं योजना के आधार वर्ष में जीडीपी के 5.7 प्रतिशत से योजना के अंतिम वर्ष में लगभग 8 प्रतिशत तक बढ़ा है। कुछ क्षेत्रकों विशेषकर दूर-संचार, तेल व गैस पाइपलाइन में निवेश की गति उत्साहवर्धक रही है जबकि विद्युत, रेलवे, सड़क व पत्तन में निवेश लक्ष्य से पीछे रहा है। पीपीपी के माध्यम से अवसंरचना में निजी निवेश आकर्षित करने के प्रयास में काफी सफलता मिली है, केवल केन्द्र सरकार के स्तर पर ही नहीं, बल्कि प्रत्येक राज्य के स्तर पर भी। काफी संख्या में पीपीपी परियोजनाएं शुरु की गई है तथा उनमें से कई वर्तमान में केन्द्र राज्य दोनों में प्रचालन में है।

(ङ) सभी क्षेत्रकों में और अधिक अवसंरचना विकसित करने की मांग उठ रही है। इसके अतिरिक्त, नए औद्योगिक कलस्टरों जैसा कि बारहवीं योजना कार्य समूह व उद्योग संबंधी संचालन समिति द्वारा चिन्हित किया गया है, के सृजन हेतु भी पर्याप्त मांग है।

(च) एनडीसी द्वारा 22 अक्टूबर, 2011 को तथा अनुमोदित बारहवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में यह दर्शाया गया है कि बारहवीं योजना अवधि के दौरान अवसंरचना में कुल निवेश 45 लाख करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। दृष्टिकोण पत्र में यह भी कहा गया है कि अवसंरचना निवेश (जैसे विद्युत, सड़क व पुल, दूर-संचार, रेलवे, सिंचाई, जलापूर्ति व स्वच्छता, पत्तप, हवाई, अड्डा, भंडारण और पाइप लाइन) योजना के आधार वर्ष (2011-12) में जीडीपी के लगभग 8 प्रतिशत से 2016-17 में जीडीपी के लगभग 10 प्रतिशत तक बढ़ाने की आवश्यकता होगी । इस स्तर पर निवेश का वित्त पोषण करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्रक से व्यापक परिव्यय की आवश्यकता होगी, परंतु इसे निजी निवेश में अनुपातिक वृद्धि से अधिक से जोड़ना होगा। निजी व पीपीपी निवेश का ग्यारहवीं योजना में कुल निवेश का लगभग 30 प्रतिशत योगदान होने का अनुमान है। बारहवीं योजना में उनका शेयर 50 प्रतिशत तक बढ़ने की आवश्यकता है।

औद्योगिक कलस्टर के संबंध में योजना आयोग में विनिर्माण योजना तैयार की जा रही है जो इस प्रकार की मांगों पर विचार करेगी।

अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी हेतु नौकरियों में आरक्षण

2386. श्री रतन सिंह: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने धौलपुर और भरतपुर के अतिरिक्त राजस्थान के अन्य जाटों को अन्य पिछड़ा वर्ग की सुविधा प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने धौलपुर और भरतपुर के जाटों को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण प्रदान करने हेतु क्या प्रयत्न किए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ग) जी हां, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सलाह के अनुसार, धौलपुर एवं भरतपुर जिलों का छोड़ कर जाति/समुदाय को राजस्थान राज्य के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में सम्मिलित किया गया है। केन्द्रीय सरकार के पदों एवं सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण उन जातियों/समुदायों को प्रदान नहीं किया गया है जिन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

आयातित सिम कार्डों से खतरा

2387. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:
श्री कोडिकुन्नील सुरेश:
श्री एस.आर. जेयदुरई:
श्री शिवराम गौडा:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुरक्षा एजेंसियों द्वारा वक्तव्य की गई चिंता के मद्देनजर सरकार देश में विनिर्मित मोबाइल फोन सिम कार्ड्स का प्रयोग किये जाने तथा विदेश में विनिर्मित सिम कार्ड्स को हतोत्साहित किये जाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को निदेश जारी किये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सेवा प्रदाताओं की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या देश में नकली मोबाइल सिम कार्ड का भी प्रयोग हो रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) और (ख) दूरसंचार विभाग ने भारत में सिम (सब्सक्राइबर आइडिन्टिटी माड्यूल) कार्डों के निजीकरण पर दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ बैठक आयोजित की है। दूरसंचार से संबंधित सलाहकार परिषद, जो दूरसंचार प्रचालकों का एक संयुक्त मंच है, ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सूचित किया था कि सिम आयात/विनिर्माण संबंधी कर संरचना भारत में सिम के निजीकरण के लिए अनुकूल नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने दिनांक 10 फरवरी, 2012 की अधिसूचना सं. 8 (78)/2010-आईपीएचडब्लयू के द्वारा ऐसे इलेक्ट्रानिक उपकरणों जिनकी देश के लिए सुरक्षा निहितार्थ है, के प्रापण और सरकार के अपने उपयोग के लिए प्रापण में न कि वाणिज्यिक पुन: विक्रय के विचार से अथवा वाणिज्यिक विक्रय के लिए माल तैयार करने में उपयोग करने के विचार से घरेलू विनिर्मित इलेक्ट्रानिक उपकरणों को प्राथमिकता प्रदान करने की नीति निर्धारित की है। उपर्युक्त अधिसूचना के आधार पर, प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को देश में विनिर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के संबंध में या तो सुरक्षा के कारण अथवा सरकार के प्रापण के लिए वरीयता प्रदान करने हेतु अधिसूचना जारी करनी होती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के नोटिस में क्लोंड सिम कार्डों से संबंधित कुछ मामले आए हैं। जब क्लोंड सिम कार्ड का कोई मामला दूरसंचार सेवा प्रदाता के नोटिस में आता है, तो दूरसंचार सेवा प्रदाता द्वारा विभिन्न पैरामीटरों वाला अन्य सिम कार्ड वास्तविक उपभोक्ता को जारी किया जाता है। इसके अतिरिक्त, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने प्रमाणीकरण प्रक्रिया को सुदृढ़ किया है।

[हिन्दी]

संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अंग्रेजी भाषा

2388. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अंग्रेजी भाषा अनिवार्यता कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को अनिवार्य बनाये जाने पर विचार किये की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) अंग्रेजी भाषा का परीक्षण या तो भाषा प्रश्नपत्र के रूप में या सामान्य अंग्रेजी के घटक के रूप में, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित की जाने वाली बहुत सारी परीक्षाओं में नियत किया जाता है।

(ख) से (घ) सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा में, उम्मीदवारों (पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित को छोड़कर) को भारत की संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित भारतीय भाषाओं में से एक के अनिवार्य प्रश्नपत्र का उत्तर देना अपेक्षित है, जो अर्हक प्रकृति का होता है। वर्तमान में, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित की जाने वाली किसी अन्य परीक्षा के लिए हिन्दी या अन्य भारतीय भाषाओं का अनिवार्यता बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भ्रष्टाचार से निपटने की रूपरेखा

2389. श्री गणेशराव नागोराव दुधगांवकरः क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भ्रष्टाचार से निपटने हेतु केन्द्र सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) द्वारा तैयार की गई रूपरेखा का ब्यौरा क्या है;

(ख) काला धन की आवक एवं बेनामी संपत्ति को रोकने हेतु द्वारा क्या रणनीति बनाई गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार बेमानी लेन-देन पर रोक लगाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या रणनीति बनाई गई?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) सुशासन को बढ़ावा देने के क्रम में, केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने 'राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधी रणनीति' का एक प्रारूप तैयार किया है और इसे आयोग की बेवसाइट पर डाला है। आयोग ने जनता/पणधारियों से टिप्पणियां/सुझाव भी मांगे हैं।

प्रस्तावित राणनीति, राष्ट्र की राष्ट्रीय सत्यनिष्ठा प्रणाली को क्रमवार और सचेतन आकार देने हेतु लक्षित है। प्रारूप रणनीति, सरकार और राजनैतिक हस्तियों, न्यायपालिका, मीडिया, नागरिकों निजी क्षेत्र और सिविल सोसायटी के संगठनों द्वारा कार्रवाइयां किए जाने की अनुशंसा करती है।

(ख) से (घ) काले धन/कर अपवंचन के विरूद्ध अभियान एक निरंतर और सतत प्रक्रिया है। आयकर विभाग ने बेवसाइट धन को खोज निकालने और कर अपवंचन को नियंत्रित करने हेतु अनेक दंडात्मक उठाए हैं। इनमें कर विवरण की संवीक्षा, सर्वेक्षण, छानबीन और जब्ती कार्रवाइयां, शास्ति का अधिरोपण और यथोचित मामलों में अभियोजन की शुरूआत शामिल हैं। सूचना प्रौद्योगिकी को कर अपवंचकों के विरूद्ध अपवंचन-विरोध कार्रवाई करने के लिए सूचना के मिलान और एकत्रित हेतु एक क्रमवार तरीके से प्रयुक्त किया गया है।

बेनामी लेनदेन को बेनामी लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 (1988 का 45) की धारा 3 के अंतर्गत पहले ही इस प्रभाव के तहत निषेध किया गया है कि कोई व्यक्ति बेनामी लेनदेन में प्रवेश नहीं करेगा। तथापि, इस अधिनियम के अंतर्गत नियम, अधिनियम में अन्तर्निष्ठ अशक्तता के कारण नहीं बनाए जा सकते हैं। अत:विद्यमान अधिनियम के स्थान पर व्यापक विधान, बेनामी में संपत्ति धारण को निषेध करने, धारित बेनामी संपत्ति की वसूली अथवा स्थानांतरण के अधिकार पर रोक और धारित बेनामी संपत्ती के अधिकरण हेतु प्रक्रिया तथा एक तंत्र का प्रावधान करने के क्रम में 'बेनामी लेनदेन (निषेद) विधेयक, 2011' दिनांक 18.8.2011 को संसद में प्रस्तुत किया गया है।

थोक एसएमएस पर शुल्क

2390. श्री प्रेमचन्द गुड्डूः क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या थोक एसएमएस भेजने पर कोई शुल्क लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार उक्त शुल्क को वापस लेने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) और (ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने थोक (बल्क) एसएमएस पर किसी शुल्क की वसूली नहीं की है। तथापि, ट्राई ने दूरसंचार वाणिज्य संचार उपभोक्ता तरजीह विनियम, 2010 के द्वारा मूल अभिगम प्रदाता को मूल अभिगत प्रदाता द्वारा देय रु. 0.05 (केवल पांच पैसे) का एक प्रोत्साहन एसएमएस प्रभार निर्धारित किया है। यह प्रभार टेलीमार्केटरों को प्रोत्साहन एसएमएस को डम्पिंग करने से रोकने से रोकने के लिए है जिनकी वजह से उपभोक्ताओं के साथ-साथ नेटवर्क को भी असुविधा होती है।

(ग) और (घ) ट्राई उक्त शुक्त को वापस लेने पर विचार नहीं कर रहा है क्योंकि प्रोत्साहन एसएमएस पर टर्मिनेशन प्रभार से ऐसे एसएमएस भेजने पर करार पर कारगर रोक लगी है।

[अनुवाद]

हवाई पट्टी का उन्नयन

2391. श्री भक्त चरण दासः क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ओडिशा राज्य सरकार ने उतकेला हवाइ पट्टी सहित राज्य में हवाई पट्टी के उन्नयन हेतु प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) जी, हां। ओडिशा राज्य सरकार ने ओडिशा में झारगुडा हवाई अड्डे के स्तरोन्नयन के लिए निवेदश किया है।

उत्कल हवाई पट्टी ओडिशा सरकार का है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को इसके स्तरोन्नयन के लिए राज्य सरकार से कोई निवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) झारसुगुडा हवाई अड्डे पर 188245 मीटर का रनवे स्ट्रिप है, लेकिन यह वाणिज्यिक प्रचालनों के लिए उपयुक्त नहीं है। प्रारंभिक तौर पर एटीआर 72-500 श्रेणी के विमान प्रचालनों के उद्देश्य से, एएआई द्वारा चरणबद्ध तरीके से झारसुगुडा हवाई अड्डे का विकास और प्रचालनीकरण किया जाना राज्य सरकारर द्वारा अपेक्षित भूमि एएआई को सौंपे जाने पर निर्भर करता है।

हवाई अड्डे की प्रचालनीकरण हेतु राज्य सरकार को प्रथम चरण के लिए (अपेक्षित कुल 412.5 एकड़ अतिरिक्त भूमि में से) अपेक्षित 1919 एकड़ भूमि का अनुमान किया गया है।

विकिरण का पता लगाने संबंधी प्रणाली

2392. डॉ. सुचारू रंजन हल्दर:
डॉ. विनय कुमार पाण्डेय:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय विकिरण विफलता के मद्दे नजर विकिरण का पता लगाने संबंधी प्रणाली की स्थापना हेतु क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने हेतु कोई तंत्र बनाया है कि ऐसी घटनाओं की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश के उन विनियामक निकायों के नाम क्या हैं जो कबाड़ या विकिरण युक्त मेडिकल कचरे से निपटान की निगरानी करते हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान विकिरण युक्त कबाड़ या मेडिकल कचरे के निपटान संबंधी नियमों एवं दिशानिर्देशों के उल्लंघन के कितने मामलों का पता चला था उन उल्लंघकर्ताओं के विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) भारत सरकार ने, मायापुरी की घटना के घटित होने से पहले ही, कुछ प्रमुख भारतीय बंदरगाहों पर विकिरण संसूचन प्रणाली की स्थापना के लिए कार्रवाई शुरू की थी। सचिवों की समिति ने 9 अक्तूबर, 2009 का आयोजित अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि गृह मंत्रालय विभिन्न अन्य संबद्ध मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके, बंदरगाहों पर विकिरण संसूचना प्रणाली की स्थापना का मानीटरण एक समयबद्ध तरीके से करेगा। नौपरिवहन मंत्रालय को प्रमुख बंदरगाहों पर मॉनीटरों की स्थापना संबंध परियोजना को निष्पादित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

(ख) जी, हां। महोदय भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) द्वारा कई कार्यवाहियां शुरू की गई हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

* स्रोतों के भंडार को जिसमें पहले के संसाधन शामिल हैं, बढ़ाने के लिए,

- विश्वभर में गामा सैलों और अन्य विकिरण स्रोतों के संभरकों से संपर्क किया गया
- विभिन्न मंत्रालयों/सरकारी विभागों से संपर्क किया गया
- स्रोतों के उपभोक्ताओं को प्रिंट मीडिया के माध्यम से सूचित किया गया कि वे अपने कब्जे के स्रोतों के संबंध में सूचना उपलब्ध कराएं
- विकिरण स्रोतों के विनियमन का प्रबंधन करने के लिए एक कंप्यूटरीकृत वैब-आधारित प्रणाली विकसित करने की प्रक्रिया शुरू की गई

* अनुसंधान और प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए विकिरणसक्रिय सामग्री के हस्तन के संबंध में जागरुकता/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

* धातु के स्क्रैप का कम देखने वाली दुकानों/सुविधाओं पर स्रोतों का पता लगाने के लिए, स्क्रैप ससोसिएशनों और डीलरों को यह समझाने के प्रयास किए जा रहे हैं कि वे स्क्रैप में विकिरण की विद्यमानता का पता लगाने के लिए विकिरण की मानीटरिंग करने वाले उपकरण लगाएं।

* परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ने, नियामक प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए दक्षिणी तथा पूर्वी

क्षेत्र में क्षेत्रीय नियामक केन्द्र (आरआरसीज) स्थापित किए हैं।

* अपने अनुपालन आश्वासन कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ने, विकिरण सुविधाओं के लिए निरीक्षणों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि कर दी है।

* परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की सिफारिश के अनुसार, संबद्ध अधिकारियों द्वारा, सभी प्रमुख समुद्री बंदरगाहों और वायु-पत्तनों पर उच्च संवेदनशील वाली मानीटरिंग प्रणालियां स्थापित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

* उपयोग किए गए स्रोतों के निपटान के लिए व्यवस्थाओं को सरल और कारगर बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है; इस समिति में सभी संबंधित एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

(ग) परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) देश में एकमात्र ऐसा विनियामक निकाय है जो विकिरणसक्रिय अपशिष्टों के सुरक्षित रूप से निपटान को नियमित करता है।

(घ) मायापुरी (दिल्ली) की घटना को छोड़कर, परमाणु ऊर्जा (विकिरणसक्रिय अपशिष्टों का निपटान सुरक्षित रूप से करना) नियम, 1987 के किसी भी उल्लंघन के मामले की रिपोर्ट पिछले तीन वर्षों के दौरान और उसके साथ-साथ वर्तमान वर्ष में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को नहीं मिली है।

डायसपोरा बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम

2393. **श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर:** क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डायसपोरा बच्चों के लिये छात्रवृत्ति कार्यक्रम (एसपीडीसी) शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो छात्रवृत्तियों का ब्यौरा क्या है तथा छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु विद्यार्थियों की पात्रता के मानण्डंड क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस योजना में सुधार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) जी हां। डायसपोरा बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम (एसपीडीसी) की शुरुआत अकादमिक वर्ष 2006-2007 में, प्रवासी भारतीयों के बच्चों के लिए भारत में उच्च शिक्षा सुगम बनाने और भारत को उच्च शिक्षा के लिए केन्द्र के रूप में संवर्धित करने के उद्देश्य से की गई थी।

(ख) योजना उन देशों, जहां बड़ी संख्या में भारतीय डायसपोरा जनसंख्या है, के अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के लोगों के लिए खुली है। योजना के अन्तर्गत, 100 चयनित छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) और भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओज) प्रत्येक को 50 (पचास) उपयुक्त भारतीय मूल के व्यक्तियों वाले उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के मामले में, खाली स्थानों को अनिवासी भारतीय उम्मीदवारों को दे दिया जाता है, और इसी प्रकार अनिवासी भारतीय उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के मामले में खाली स्थानों को भारतीय मूल के उम्मदवारों को दे दिया जाता है।

योजना के अंतर्गत, इन्जीनियरिंग, टैक्नोलॉजी, ह्ययूमेनिटीज, लिबरल आर्टस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, होटल मेनेजमेंट, एग्रीकल्चर, एनीमल हसबेंड्री, आदि में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए, प्रत्येक छात्र को प्रतिवर्ष 5000 अमरीकी डालर तक की छात्रवृत्ति दी जाती है। योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता में वित्तीय सहायता, मुख्यत: ट्यूशन फीस, प्रवेश शुल्क और प्रवेश पश्चत् सेवाएं शामिल हैं।

प्रवेश के लिए पात्रता मानदण्ड

(i) **जन्म तिथि:**

डायस्पोरा बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना, प्रवेश के वर्ष के एक अक्तूबर को 17 से 21 वर्ष के आयु समूह के आवेदकों के लिए खुशी हैं

(ii) **निवास:**

आवेदक (i) भारतीय मूल का एक व्यक्ति (पीआईओ) और संलग्न विवरण में सूचीबद्ध एक देश का नागरिक होना चाहिए, या (ii) विदेश में अध्ययन करने वाला एक भारतीय नागरिक अवश्य होना चाहिए। भारतीय नागरिक ने विगत 6 (छह:) वर्षों के दौरान 40 देशों में से किसी से 11वीं और 12वीं कक्षा को शामिल करते हुए या समकक्ष (अधिक नहीं) अर्हकारी परीक्षा पास होनी चाहिए।

(iii) **अकादमिक योग्यताएं:**

आवेदक के पास निम्नलिखित अकादमिक योग्यताएं अवश्य होनी चाहिए:

अर्हकारी परीक्षा: आवेदक ने एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीस (एआईयू) द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा प्रणाली से, अपेक्षित विषयों के साथ, सीनियर सेकेन्डरी (10+2) या समकक्ष परीक्षा अवश्य पास की होनी चाहिए।

अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक: आवेदक को अर्हकारी परीक्षा में कुल अंकों का कम से कम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना चाहिए या सभी विषयों में इसके समान ग्रेड अवश्य प्राप्त किए होने चाहिए।

अर्हकारी परीक्षा में अध्ययन के विषय: अध्ययन का एक विशिष्ट कोर्स करने के लिए, आवेदक ने अर्हकारी परीक्षा में निर्धारित अनिवार्य विषयों का अध्ययन किया होना चाहिए।

(iv) **साधन मानदण्ड**

केवल अनिवासी भारतीय उम्मदवारों के मामले में, उम्मीदवार के परिवार की कुल मासिक आय, दो हजार सौ पचास अमरीकी डालर (2250 अमरीकी डालर) से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस प्रभाव के लिए उम्मीदवार को निर्धारित फारमेट में इस आशय का एक प्रमाण-पत्र प्रदान करना होगा, जो विधिवत रूप में माता-पिता/अभिभावक, जैसे भी लागू कोई आय-सीमा नहीं है।

(ग) और (घ) योजना में सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है। वित्तीस वर्ष 2011-12 के दौरान, योजना में, छात्रवृत्ति देने की उच्चतम सीमा को 3600 अमरीकी डालर से बढ़ाकर 5000 अमरीकी डालर करके, सुधार किया गया।

विवरण

देशों की सूची

क्रमांक	देश का नाम
1	2
1.	आस्ट्रेलिया
2.	बहरीन
3.	कनाडा
4.	फिजी
5.	फ्रांस
6.	जर्मनी
7.	ग्वाना
8.	हांग कांग, चीन
9.	इंडोनेशिया
10.	इजरायल
11.	इटली
12.	जेमैका
13.	कीनिया
14.	कुवैत
15.	मेडागास्कर
16.	मलेशिया
17.	मॉरिशस
18.	मोजाम्बिक
19.	म्यांमार
20.	नीदरलैंड
21.	न्यूजीलैंड
22.	नाइजीरिया
23.	ओमान
24.	फिलीपिन्स
25.	पुर्तगाल
26.	कतर
27.	रियूनियन आईलैंड
28.	सऊदी अरब
29.	सिंगापुर
30.	दक्षिण अफ्रीका
31.	स्पेन
32.	श्रीलंका
33.	सूरीनाम
34.	तन्जानिया
35.	थाईलैंड

1	2
36.	त्रिनिडाड एंड टोबेगो
37.	संयुक्त अरब अमीरात
38.	ब्रिटेन
39.	संयुक्त राज्य अमरीका
40.	यमन

[हिन्दी]

दूरसंचार सेवाओं का प्रसार

2394. श्रीमती भावना पाटील गवली:
श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:
श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे:
श्री राधा मोहन सिंह:
श्री सी. शिवासामी:
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के ग्रामीण पिछड़े, जनजातीय एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के प्रसार हेतु सरकार, द्वारा क्या कार्य योजना बनाई गई है;

(ख) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष राज्य-वार सेवा प्रदान करने के क्या लक्ष्य निर्धारित हैं और क्या लक्ष्य प्राप्त किये गये;

(ग) उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार और राज्य-वार इस संबंध में में कितनी निधियां आबटित एवं कितनी निधियां व्यय की गई; और

(घ) देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण सेवा पर विशेष बल के साथ दूरसंचार सेवाओं के प्रसार हेतु बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्या कार्य योजना तैयार की गई एवं लक्ष्य निर्धारित हैं तथा इसके लिए कितना आबंटन किया गया/किये जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) देश पिछड़े, जनजातीय एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों ग्रामीण और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) से प्राप्त वित्तीय सहायता के माध्यम से दूरसंचार सेवाओं के विस्तार हेतु सरकार द्वारा लागू की जा रही विभिन्न स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया गया है।

(ख) निर्धारित समग्र लक्ष्यों तथा दिनांक 31.01.2012 की स्थिति के अनुसार प्राप्त उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण नीचे दिया गया है;

	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में लक्ष्य	दिनांक 31 जनवरी, 2012 की स्थिति के अनुसार उपलब्धि
उपभोक्ताओं की कुल संख्या	600 मिलियन	936.12 मिलियन
ग्रामीण उपभोक्ताओं की कुल संख्या	200 मिलियन	320.34
ग्रामीण टेलीघनत्व	25%	38.08%

दिनांक 31.01.2012 की स्थिति के अनुसान सेवा क्षेत्र-वार उपलब्धि को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण II एवं III में दिया गया है।

(ग) यूएसओएफ द्वारा आवंटित एवं व्यय की गई निधि का ब्यौरा संलग्न विवरण IV में दिया गया है।

(घ) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012 के संशोधित मसौदे के अंतर्गत ग्रामीण टेलीघनत्व को वर्ष 2017 तक इसके मौजूदा स्तर 37 से बढ़ाकर 70 तक करने का प्रस्ताव है।

हाल में अनुमोदित और योजनागत स्कीम के संबंध में ब्यौरा निम्नवत है:

(1) राष्ट्रीय ऑप्टीकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन): सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात बीएसएनएल, रेलटेल और पावर ग्रिड के मौजूदा फाइबरों का उपयोग करते हुए आप्टीकल फाइबर के माध्यम से देश में सभी 2,50,000 ग्राम पंचायतों को जोड़ने तथा सभी ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड संपर्कता का विस्तार करने हेतु जहां भी आवश्यक हो, संवर्द्धनात्मक फाइबर बिछाने की योजना है। संवर्द्धनात्मक नेटवर्क का आकार लगभग 0.5 मिलियन कि.मी. है। इसे राष्ट्रीय आप्टीकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) कहां जाता है। इस प्रकार ग्राम पंचायतों और ब्लॉकों के बीच मौजूदा संपर्कता अंतराल को दूर किया जायगा। सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए नेटवर्क हेतु गैर-भेदभावपूर्ण अभिगम्यता प्रदान की जाएगी। इस परियोजना के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि के माध्यम से वित्त पोषण किया जाएगा तथा परियोजना की आरंभिक अनुमानित लागत 20,000 करोड़ रु. होगी। यह परियोजना भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, जो पूर्णतः केन्द्र सरकार के स्वामित्वाधीन होगा, नामक विशेष उद्देश्य साधन के (एसपीवी) के माध्यम से 2 वर्षो में पूरी की जाएगी।

(2) यूएसओएफ वामपंथी उग्रवाद प्रभावित 2199 स्थानों में मोबाइल दूरसंचार सेवाओं की उपलब्धता कराने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की स्कीम पर कार्य कर रही है, जैसा कि गृह मंत्रालय द्वारा इस संबंध में अनुरोध किया गया है। यह स्कीम 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नामांकन आधार पर बीएसएनएल द्वारा क्रियान्वित की जाएगी।

विवरण I

सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) के स्कीम के तहत आरंभ किए गए कार्य

1. गांव स्तर तक वायर लाइन ब्रॉडबैंड संयोजकता के प्रावधान के विस्तार के लिए ग्रामीण ब्रॉडबैंड स्कीम

मौजूदा ग्रामीण एक्सचेंज अवसंरचना और कॉपर वायरलाइन नेटवर्क को स्तरोन्नत करके ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में वायर लाइन ब्रॉडबैंड संयोजकता उपलब्ध कराने के लिए यूएसओएफ ने ग्रामीण वायरलाईन ब्रॉडबैड स्कीम के अंतर्गत 20 जनवरी, 2009 को बीएसएनएल के साथ करार पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रत्येक ब्रॉडबैंड कनेक्शन की गति कम से कम 512 केबीपीएस रहेगी।

बीएसएनएल द्वारा इस स्कीम के अंतर्गत 5 वर्ष की अवधि के अंदर अर्थात वर्ष 2014 तक एकल प्रयोक्ताओं तथा सरकारी संस्थानों को 8,88,832 वायरलाइन ब्रॉडबैंड कनेक्शन तथा 28,672 कियोस्क उपलब्ध कराए जाएंगे। इस राजसहायता का संवितरण (1) ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ग्राहक परिसर (सीपीई), कम्प्यूटर/कम्प्यूटिंग उपकरण और (2) ब्रॉडबैंड सेवा की सार्वजनिक अभिगम्यता के लिए कियोस्कों की स्थापना करने के लिए है। 5 वर्ष की अवधि में अनुमानित राज-सहायता 1500 करोड़ रु. की है जिसमें 9 लाख ब्रॉडबैंड कनेक्शनों, ग्राहक परिसर उपस्करों, कंप्यूटर/कंप्यूटिंग उपकरणों और कियोस्कों के लिए सब्सिडी भी शामिल है।

दिनांक 29.02.2012 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में कुल 3,52,595 ब्रॉडबैंड कनक्शन प्रदान किए गए हैं तथा 7534 क्योस्क स्थापित किए गए हैं।

2. सामान्य ऑप्टिकल फाइबर केबल अवसंरचना का सृजन

(क) असम सेवा क्षेत्र में अंतरा-जिला उपमंडल मुख्यालय-जिला मुख्यालय ओएफसी नेटवर्क का आप्टिकल फाइबल नेटवर्क संवर्धन सृजन और प्रबंधन

यूएसओएफ ने वायस और डाटा परियात को अभिगम नेटवर्क से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में अपने मुख्य नेटवर्क पर समाकलित करने के लिए पर्याप्त बैक-हॉल क्षमता प्रदान करने के मद्देनजर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में ओएफसी नेटवक के सुदृढ़ीकरण के लिए यह स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के तहत आरंभ में जिला मुख्यालय और ब्लॉक मुख्यालय के बीच ओफसी नेटवर्क बिछाने पर विचार किया जाता है। इस स्कीम के माध्यम से यूएसओएफ सब्सिडी सहायता जिले के भीतर उपमंडल मुख्यालय-जिला मुख्यालय ओएफसी नेटवर्क के संवर्द्धन सर्जन और प्रबंधन के लिए इस शर्त पर प्रदान की जाएगी कि करार में निर्धारित दरों पर इस नेटवर्क को अन्य प्रचालकों के साथ साझा किया जाएगा। इसके क्रियान्वयन के लिए सर्वप्रथम असम राज्य को लिया गया है। असम के लिए निविदा दिनांक 30.10.2009 को प्रारंभ की गई थी और बीएसएनएल को 98.89 करोड़ रु. की सब्सिडी दर सफल घोषित किया गया है और तत्पश्चात असम में इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए दिनांक 12.2.2010 को बीएसएनएल के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

इस स्कीम के तहत प्राप्त की गई राज-सहायता से तैयार की गई बैंडविड्थ क्षमता को कम से कम से 70% तक असम के क्षेत्रों में लाइसेंसधारक सेवा प्रदाताओं द्वारा ट्राई के चालू उच्चतम प्रशुल्कों के 26.22% से कम दरों पर सझा किया जाएगा। अब तक 354 में से लगभग 177 नोट्स स्थापित कर दिए गए हैं।

(ख) पूर्वोत्तर सर्किल के सेवा क्षेत्र में अंतरा जिला एसडीएचक्यू-डीएचक्यू ओएफक्यू ओएफसी नेटवर्क का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क संवर्धन, सृजन एवं प्रबंधन।

असम में अंतरा जिला एसडीएचक्यू ओएफक्यू ओएफसी नेटवर्क संवर्धन, सृजन एवं प्रबंधन स्कीम की शुरूआत के बाद पूर्वोत्तर सर्किलों (जिसमें मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश एवं नागालैंड राज्य शामिल है) में क्रियान्वयन हेतु बातचीत की जा रही है। इस संबंध में रेलटेल के साथ 388 करोड़ रु. की राजसहायता के आधार पर पूर्वोत्तर-1 (मेघालय, मिजोरम एवं त्रिपुरा) के लिए 89.50 करोड़ रु. तथा पूर्वोत्तर-2 (अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, एवं नागालैंड) के लिए 298.50 करोड़ रु. की राजसहायता के आधार पर करार किए गए हैं।

इस स्कीम के तहत सृजित राजसहायता प्राप्त बैंडविड्थ क्षमता के कम से कम 70% की साझेदारी पूर्वोत्तर-1 क्षेत्र में ट्राई के विद्यमान अधिकतम निर्धारित प्रशुल्कों को अधिनियम 12% की दरों पर तथा पूर्वोत्तर-2 क्षेत्र में ट्राई के विद्यमान अधिनियम निर्धारित प्रशुल्कों के अधिक से अधिक 27% पर की जायेगी। इस ओएफसी स्कीम से पूर्वोत्तर क्षेत्र-1 के जिलों में 188 नोड एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र-2 के 30 जिलों में 407 नोड स्थापित किए जाएंगे।

(ग) राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन)

ऑप्टिकल फाइबर का विस्तार फिलहाल मुख्यत: राज्य की राजधानियों, जिला और ब्लॉकों मुख्यालयों तक हो गया है तथा

देश के सभी 2,50,000 ग्राम पंचायतों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात बीएसएनएल, रेलटेक तथा पावर ग्रिड के मौजूदा फाइबरों का उपयोग करते हुए ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से जोड़ने तथा संवर्धनात्मक फाइबर बिछाने, जहां आवश्यक हो, की योजना है। संवर्धनात्मक नेटवर्क का आकार लगभग 0.5 मिलियन कि.मी. है। इस तरह सृजित डार्क फाइबर नेटवर्क को उपयुक्त प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रकाशित किया जाएगा तथा इस तरह ग्राम पंचायातों के स्तर पर पर्याप्त बैंडविड्थ का सृजन किया जा सकेगा। इसे राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क कहा जाएगा। इस तरह ग्राम पंचायतों और प्रखंडों के बीच मौजूदा संपर्कता अंतराल को पूरा कर लिया जाएगा। सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को नेटवर्क के लिए गैर भेदभाव आधार पर अभिगम्यता प्रदान की जाएगी। इस परियोजना के लिए यूएसओएफ द्वारा वित्त पोषण किया जाएगा तथा इस परियोजना की आरंभिक अनुमानित लागत 2 वर्षों में 20,000 करोड़ रु. है। यह परियोजना विशेष प्रयोजन वाहक (एसपीवी) द्वारा पूरा किया जायगा, जो भारतीय कंपनी अधिनियम कंपनी के तहत निगमित होगी तथा प्रारभत: सरकार तथा इच्छुक केंन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के यूनिटों (बीएसएनएल, रेलटेल, पावरग्रिड, गेलटेल इत्यादि) से ईक्विटी भागीदारी सहित केन्द्र सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन होगी।

3. साझाकृत मोबाइल अवसंरचना स्कीम

ऐसे विशिष्ट ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्र जहां मौजूदा फिक्सड वायरलैस और मोबाइल कवरेज नहीं था, में मोबाइल सेवाए प्रदान करने के प्रयोजन से, 27 राज्यों के 500 जिलों में 7353 अवसंरचना स्थलों/टॉवरों को संस्थापित करने तथा उनका संचालन करने के लिए राजसहायता प्रदान करने लिए यूएसओ निधि से एक स्कीम शुरू की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत ऐसे गांव अथवा गांवों के समूह जिनकी जनसंख्या 2000 या उससे अधिक है तथा जहां मोबाइल कवरेज की सुविधा उपलब्ध नहीं है, में टावर संस्थापिन करने के लिए विचार मिया गया था। करार की शर्तों के अनुसार वास्तविक फील्ड सर्वेक्षण और प्राप्त सुविधा के आधार पर टॉवरों की संख्या में परिवर्तन हो सकता था। दिनांक 01.06.2007 से प्रभावी इन करारों पर मई, 2007 में सफल बोलीदाताओं के साथ हस्तक्षरित किए गए। दिनांक 29.02.2012 की स्थिति के अनुसार, इस स्कीम के अंतर्गत 7300 टॉवर अर्थात लगभग 99.28% स्थापित किए गए हैं।

31.01.2010 की स्थिति के अनुसार 15879 बेस ट्रांससीवर स्टेशन सेवा प्रदाताओं द्वारा आरंभ किए गए हैं तथा मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

4. सार्वजनिक अभिगम

(क) ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन

दिनांक 29.02.2012 की स्थिति के अनुसार 5,93,601 आबादी वाले राजस्व गांवों में से वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 5,80,191 गांवों (अर्थात 97.74%) में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की सुविधा प्रदान की गई है। सार्वजनिक सेवा दायित्व निधि (यू. एस.ओ.एफ) की अनवरत स्कीम के अंतर्गत नीचे (1) और (2) पर दिए गए विवरण के अनुसार शेष आबादी वाले राजस्व गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) प्रदान किए जाएंगे।

(1) भारत निर्माण के तहत ग्रामीण सार्वजनिक टेलिफोन (वीपीटी): देश में 100 से कम जनसंख्या वाले गांवों, घने जंगलों में स्थिति गांवों और उग्रवाद से प्रभावित गांवों को छोड़कर, वीपीटी से कवर न किए गए 62,302 (66,822 से संशोधित) गांवो में वीपीटी केप्राचधान के लिए राज-सहायता प्रदान करने के लिए नवम्बर, 2004 में मैसर्स बीएसएनएल के साथ करार पर हस्ताक्षर किए गए। इन गांवों में वीपीटी के प्रावधान को भारत निर्माण कार्यक्रम के एक कार्यकलाप के रूप में शामिल किया गया है। दिनांक 29.02.2012 की स्थिति के अनुसार, इस स्कीम के अंतर्गत 62,063 अर्थात 99.62 प्रतिशत गांवों में वीपीटी का प्रावधान किया गया है।

(2) नए अभिनिर्धारित वीपीटी: वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर आबादी वाले गांवों में संचालित वीपीटी का मिलान, मौजूदा वीपीटी तथा भारत निर्माण के तहत प्रदान किए गए वीपीटी की संख्या के आधार पर किया गया। इस स्कीम के अंतर्गत 2001 की जनगणना के आधार पर दिनांक 1.10.2007 की स्थिति के अनुसार शेष सभी 62,443 आबादी वाले गांवों को, जनसंख्या, दूरस्थ क्षेत्रों, पहुंच और कानून व्यवस्था मानदंडों से परे रखते हूए यू. एस.ओ निधि की राज-सहायता से वीपीटी का प्रावधान करने के लिए शामिल किया गया है। इस संबंध में दिनांक 27.02.2009 को बीएसएनएल के साथ करार पर हस्ताक्षर किए गए। करार की शर्तो के अनुसार दिनांक 1.10.2007 से 26.02.2009 की अवधि के दौरान स्थापित किए गए वीपीटी भी राज-सहायता के लिए पात्र हैं। दिनांक 29.02.12 की स्थिति के अनुसार, इस स्कीम के अंतर्गत 62,443 वीपीटी में से 52,474 वीपीटी अर्थात 84.04 प्रतिशत वीपीटी प्रदान किए गए हैं।

5. वैयक्तिक अभिगम

दिनांक 1.4.2002 से पहले संस्थापित ग्रामीण वायरलाईन घरेलू सीधी एक्सेचेंज लाइनों की प्रचालन निरंतरता के लिए सहायता

बीएसएनएल के साथ 12.03.2003 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसमें अभिगम घाटा प्रभार (एडीसी) को समाप्त किए जाने के बदले दिनांक 01.04.2002 से घाटा प्रभार (एडीसी) को समाप्त किए जाने के बदले दिनांक 01.04.2002 से पहले संस्थापित ग्रामीण वायरलाइनों के प्रचालन को बनाए रखने के लिए यूएसओं निधि से बीएसएनएल को 18.07.2008 से तीन

वर्ष की अवधि के लिए प्रति वर्ष 2000 करोड़ रुपए की राज-सहायता प्रदान की जा रही है। इस समझौता ज्ञापन के तहत बीएसएनएल को यूएसओएफ द्वारा 6000 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता पहले ही प्रदान की जा चुकी है।

विवरण II

दिनांक 31.03.2007, 31.03.201 और 31.01.12 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण, शहरी और कुल टेलीफोनों का सेवा क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	सेवा क्षेत्र का नाम	31.03.2007 की स्थिति के अनुसार			31.03.2011 की स्थिति के अनुसार			31.01.20121 की स्थिति के अनुसार		
		ग्रामीण	शहरी	जोड़	ग्रामीण	शहरी	जोड़	ग्रामीण	शहरी	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	4042500	11973572	16016072	20657335	42387670	63045005	23377539	45042183	68419722
2.	असम	589919	2244370	2834286	6226799	5701595	11928394	7387197	6853273	14240470
3.	बिहार	1941922	5838699	7780621	24414828	30322638	54737466	27872961	34645839	62518800
4.	गुजरात	3581450	10028107	13609557	16626792	32278047	48904839	18382832	34973064	53355896
5.	हरियाणा	1743264	3752539	5495803	8672189	123637428	21039617	9188215	13245192	22433407
6.	हिमाचल प्रदेश	1303240	562705	1865945	4246637	3306771	7553408	4568483	3590542	8159025
7.	जम्मू और कश्मीर	417978	1368797	1786775	2575438	3395181	5970619	2565515	3742021	6307536
8.	कर्नाटक	2723324	11547204	14270528	13106714	39085531	52192245	15998106	41524833	57522939
9.	केरल	5272534	6007960	11280494	13741854	20919943	34661797	15220722	22309150	37529872
10.	मध्य प्रदेश	1790725	7223780	9014505	16261785	30947016	47208801	18412054	33598282	52010336
11.	महाराष्ट्र (-) मुंबई	4266438	12444035	16710473	28251347	36318090	64569437	31168393	40674787	71843180
12.	पूर्वोत्तर	370859	1194106	1564965	3240243	4213729	7453972	3701979	4798220	8500199
13.	ओडिशा	1386429	2350757	3737185	9643190	13343282	22986472	11429304	15004903	2643427
14.	पंजाब	2720483	7500876	10221359	9813990	20526339	30340329	10915272	220772917	32988189
15.	राजस्थान	3269370	6569035	9838405	20047697	24339883	44387580	2262623918	265874091	491998009
16.	तमिलनाडु (-) चेन्नै	3181133	10106287	13287420	15112644	43593451	58706095	16748279	47866872	64615151
17.	उत्तर प्रदेश-पूर्व	3056124	8732818	11788942	28102215	37044756	65146971	32875180	414040974	742279274
18.	उत्तर प्रदेश-पश्चिम	1795346	7450270	9245616	15490949	31131217	46622166	18187908	35183449	53371357
19.	पश्चिम बंगाल-कोलकाता	2960814	3366268	6327082	23929559	16489331	40418890	27003437	18963451	45966888
20.	कोलकता	562118	5912215	6474333	917022	23697521	24614543	983243	24852516	25835759

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	चेन्नै	123547	5832959	5956506	113334	14271002	14384336	83075	15150013	15233088
22.	दिल्ली	0	14356500	14356500	1096043	40564379	41660422	1653329	43327132	44980461
23.	मुंबई	0	12403398	12403398	0	37791762	37791762	0	40384666	40384666
	समस्त भारत	47099514	158767257	205866771	282288604	564036562	846325166	320346941	615781490	936128431

नोट: बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल, सेवा क्षेत्रों के आंकड़ों में क्रमशः झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, और अंडमान एवं निकोबार, सिक्किम के टेलीफोनों के आंकड़े भी शामिल हैं।

विवरण III

ग्रामीण, शहरी और समस्त टेलीघनत्व का सेवा क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/सेवा क्षेत्र का नाम	31.03.2007 की स्थिति के अनुसार			31.03.2011 की स्थिति के अनुसार			31.01.2012 की स्थिति के अनुसार		
		ग्रामीण	शहरी	समस्त	ग्रामीण	शहरी	समस्त	ग्रामीण	शहरी	समस्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	6.84	53.24	19.62	33.70	180.32	74.35	37.88	189.96	80.09
2.	असम	2.36	54.65	9.74	23.93	124.46	38.98	28.17	146.25	46.06
3.	बिहार	1.84	35.38	6.37	21.86	171.97	42.32	24.68	193.94	47.80
4.	गुजरात	10.43	45.47	24.14	46.68	133.99	81.90	51.25	142.65	88.36
5.	हरियाणा	10.74	49.72	23.11	51.33	144.18	82.59	53.99	150.50	86.89
6.	हिमाचल प्रदेश	22.3	81.75	28.57	70.23	440.32	111.11	75.07	469.35	119.09
7.	जम्मू और कश्मीर	5.08	47.34	16.08	30.01	107.85	50.90	29.66	116.87	53.21
8.	कर्नाटक	7.46	56.44	25.05	35.10	176.59	87.76	42.67	184.68	95.91
9.	केरल	21.11	69.43	33.54	53.25	236.25	100.01	58.62	250.86	107.66
10.	मध्य प्रदेश	2.66	30.84	9.95	22.92	120.73	48.88	25.68	128.73	53.18
11.	महाराष्ट्र-मुंबई	7.16	42.29	18.78	46.07	112.47	68.97	50.56	123.67	76.00
12.	पूर्वोत्तर	3.84	40.73	12.44	32.36	132.55	56.50	36.70	148.37	63.82
13.	ओडिशा	4.2	37.26	9.51	28.42	194.96	56.37	33.50	215.68	64.36
14.	पंजाब	16.16	69.77	37.05	57.23	171.07	104.09	63.47	108.03	111.98
15.	राजस्थान	6.75	43.65	15.49	38.79	149.89	65.35	43.24	161.24	71.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	तमिलनाडु (-) चेन्नै	9.75	38.94	22.55	48.55	150.60	97.73	54.53	161.89	107.19
17.	उत्तर प्रदेश*	3.16	37.86	10.71	26.57	145.15	52.97	30.37	160.00	59.64
18.	पश्चिम बंगाल (-) कोलकाता	4.73	32.84	8.68	36.88	153.28	53.43	41.33	174.57	60.32
19.	कोलकाता	#	#	45.09	#	#	163.76	#	#	170.31
20.	चेन्नै	#	#	75.46	#	#	163.40	#	#	169.43
21.	दिल्ली	#	#	86.89	#	#	225.25	#	#	237.50
22.	मुंबई	#	#	64.99	#	#	180.44	#	#	189.31
	समस्त भारत	5.89	48.1	18.22	33.83	156.93	70.89	38.08	168.44	77.57

*उत्तर प्रदेश (पूर्व) और उत्तर प्रदेश (पश्चिम) सेवा क्षेत्रों के लिए अलग से जनसंख्या संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

#ग्रामीण-शहरी जनसंख्या संबंध आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

नोट: बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल, सेवा क्षेत्रों के आंकड़ों में क्रमशः झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और अंडमान और निकोबार और सिक्किम के टेलीफोनों के आंकडें भी शामिल हैं।

विवरण IV

11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के दौरान यूएसओएफ द्वारा आबंटित और व्यय की गई निधि का वर्ष-वार और सेवा क्षेत्र-वार ब्यौरा

(आंकड़े करोड़ रु. में)

क्र.सं.	सेवा क्षेत्र	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (29.02.2012 तक)	कुल जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.06	0.09	0.21	0.17	0.27	0.80
2.	आंध्र प्रदेश	71.78	85.04	70.05	32.34	31.60	290.80
3.	असम	39.22	6.81	1013	9.51	7.51	73.17
4.	बिहार	41.12	57.79	41.61	11.48	11.01	163.02
5.	छत्तीसगढ़	17.38	9.98	27.85	21.12	12.84	89.18
6.	दूरसंचार विभाग मुख्यालय		750.00	1377.61	2601.77	1270.62	6000.00
7.	गुजरात	65.03	43.34	55.50	13.69	21.34	198.90
8.	हरियाणा	28.99	19.68	25.22	8.84	4.56	87.30

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	हिमाचल प्रदेश	27.98	20.70	10.23	5.11	16.55	80.56
10.	जम्मू और कश्मीर	14.81	7.81	7.81	4.21	3.39	38.03
11.	झारखंड	9.59	1.03	4.88	3.44	8.86	27.78
12.	कर्नाटक	105.76	78.94	58.18	24.12	20.58	87.52
13.	केरल	47.87	14.30	15.71	4.75	5.44	88.06
14.	महाराष्ट्र	226.01	86.06	181.81	65.85	43.96	603.69
15.	मध्य प्रदेश	149.76	89.69	103.05	57.14	16.33	415.98
16.	पूर्वोत्तर-1	6.13	3.58	6.20	13.73	11.57	41.22
17.	पूर्वोत्तर-2	6.37	7.76	9.44	6.62	4.39	34.58
18.	ओडिशा	50.51	37.45	52.22	21.98	12.84	175.75
19.	पंजाब	43.73	34.69	35.37	12.42	6.72	132.89
20.	राजस्थान	130.57	58.81	102.05	59.17	37.24	387.83
21.	तमिलनाडु	45.73	34.69	26.21	22.45	8.31	137.83
22.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	57.77	81.89	109.67	68.47	22.62	340.41
23.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	47.39	35.61	29.74	10.05	12.03	134.83
24.	उत्तरांचल	39.58	21.75	19.58	14.08	6.71	101.71
25.	पश्चिम बंगाल	16.88	12.25	19.67	7.48	0.62	56.90
	कुल जोड़	1290.00	1600.00	2400.00	3100.00	1597.92	9987.92

नोट:

1. क्र.सं. 6 पर दिया गया दूरसंचार विभाग मुख्यालय संबंधी भुगतान एडीसी (अभिगम घाटा प्रभार) को समाप्त करने के बदले में दिनांक 01.04.2002 से पहले समस्त भारत में संस्थापित ग्रामीण वायरलाइन टेलीफोनों के अनुरक्षण के लिए बीएसएनएल को किए गए भुगतान के संबंध में हैं।
2. महाराष्ट्र सेवा क्षेत्र में गोवा शामिल है।
3. पूर्वोत्तर-1 सेवा क्षेत्र में मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा शामिल है।
4. पूर्वोत्तर-2 सेवा क्षेत्र में अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा शामिल है।
5. पश्चिम बंगाल सेवा क्षेत्र में सिक्किम शामिल है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालओं में सीटें बढ़ाना

2395. श्री लाल चन्द कटारिया:
श्री उदय प्रताप सिंह:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पंचवर्षीय योजना के दौरान के दौरान देश में दिल्ली विश्वविद्यालयों में सीटों की संख्या बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पूरे देश में इन विश्वविद्यालयों के अंतर्गत नये कॉलेजों की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो विश्वविद्यालय-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) बारहवीं योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बारहवीं योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड प्लान

2396. श्री रावसाहेब दानवे पाटील:
श्री एम. के. राघवन:
श्री हंसराज गं. अहीर:
श्री राधे मोहन सिंह:
श्री वरूण गांधी:
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:
श्री रामसिंह कस्वां:
श्री आर. थामराईसेलवन:
श्री सुरेश कुमार शेटकर:
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड प्लान तैयार करके उसे अंतिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं तथा अब तक इस संबंध में सरकार द्वारा कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सुविधाएं प्रदान की गई हैं/किए जाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अब तक इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितने गांवों/पंचायतों का शामिल किया गया है;

(ङ) क्या इन्टरनेट ब्रॉडबैंड की धीमी गति से आर्थिक एवं सामाजिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तथा इससे देश का सकल घरेलू उत्पादन (जीडीसी) प्रभावित हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में ब्रॉडबैंड का प्रसार बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) से (घ) दूरसचार विभाग को ट्राई द्वारा "राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड योजना" विषय पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा दिनांक 8 दिसम्बर, 2010 को दी गई सिफारिशें प्राप्त हो गई थी। सरकार ने 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड संपर्कता प्रदान करने के लिए पहले ही दिनांक 25 अक्टूबर 2011 को राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) के सृजन संबंधी स्कीम को अनुमोदित कर दिया है। इस स्कीम का लक्ष्य सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओ एफ) का उपयोग करते हुए पंचायतों तक मौजूदा ऑप्टिकस फाइबर नेटवर्क का विस्तार करना है। यह परियोजना दो वर्षों में पूरी हो जानी प्रस्तावित हैं

इसके अलावा, यूएसओएफ ने ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सुविधा का और अधिक विस्तार करने के लिए ग्रामीण वायरलाइन ब्रॉडबैंड स्कीम आरंभ की है। इस स्कीम के तहत बीएसएनएल ने वैयक्तिक प्रयोक्ताओं तथा सरकारी संस्थाओं को पांच वर्षों की अवधि के दौरान 888832 वायरलाइन ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान करेगा। फरवरी, 2012 की स्थिति के अनुसार कुल 354595 ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। दूरसंचार सर्किलवार ब्यौरा संलग्न विवरण 1 में दिया गया है।

साथ ही, भारत निर्माण-2 के तहत वर्ष 2012 में 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को कवर करने का लक्ष्य है। ग्रामीण पंचायतों को ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध कराने का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण 2 के रूप में संलग्न है।

सरकार ने राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 2011 संशोधन मसौदे में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रस्ताव रखा है कि मौजूदा ब्रॉडबैंड डाउनलोड स्पीड को 256 केबीपीएस से 512 केबीपीएस तक तथा बाद में वर्ष 2015 तक 2 एमबीपीएस तक तथा इसके बाद कम से कम 100 एमबीपीएस की उच्च गति तक संशोधित किया जाए तथापि, इस संबंध में अब तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ङ) और (च) अध्ययनों से यह पता चला है कि इन्टरनेट/ब्रॉडबैंड के विस्तार में वृद्धि होने से सकल घरेलू उत्पादन के विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

इसके अलावा, ब्रॉडबैंड में विस्तार करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित पहल की गई हैं:

(i) 3जी एवं बीडब्ल्यू सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम के आबंटन से मोबाइल हैंडसेटों तथा बेतार प्रौद्योगिकियों के माध्यम से ब्रॉडबैंड सुविधा के विस्तार में सुगमता होगी।

(ii) सेवा प्रदाताओं के बीच अवसंरचना की साझेदारी की अनुमति देना।

(iii) भारतीय तार नियमावली संशोधित कर गई तथा "गांवों में चरणबद्ध रूप से ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध कराना" शीर्षक के अंतर्गत धारा 4 जोड़ दिया गया है ताकि यूएसओएफ के कार्यक्षेत्र के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड संपर्कता प्रदान की जा सके।

(iv) ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं हेतु साझाकृत अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए यूएसओएफ स्कीमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन टावरों का उपयोग कवर किए गए नए ब्लॉक/ताल्लुक मुख्यालयों में ब्राडबैंड संपर्कता प्रदान करने के लिए किया जायेगा।

(v) यूएससओएफ के तहत ग्रामीण वायरलाइन ब्रॉडबैंड स्कीम आरंभ की गई ताकि ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड की सुविधा का और अधिक विस्तार किया जा सके । इस योजना के तहत बीएसएनएल वैयक्तिक प्रयोक्ताओं और सरकारी संस्थाओं को 5 वर्षों की अवधि के दौरान 888832 वायरलाइन ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान करेगा।

विवरण I

फरवरी, 2012 तक यूएस योजनाओं के तहत बीएसएनएल द्वारा प्रदत्त ब्रॉडबैंड कनेक्शन

दूरसंचार सर्किल	कुल यूएसओएफ कनेक्शन
1	2
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	325
आंध्र प्रदेश	48,707
असम	1,750
बिहार	3,024
छत्तीसगढ़	1,669
चेन्नै दूरसंचार जिला	5,418
गुजरात	21,480
हरियाणा	11,395
हिमाचल प्रदेश	7,379
जम्मू और कश्मीर	1,291
झारखंड	1,647
कर्नाटक	23,377
केरल	78,532
मध्य प्रदेश	4,231
महाराष्ट्र	28,387
पूर्वोत्तर-1	835
पूर्वोत्तर-2	365
ओडिशा	6,165
पंजाब	40,098
राजस्थान	16,410
तमिलनाडु	25,602
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	7,730
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	4,135
उत्तराखंड	1,707
पश्चिम बंगाल	12,936
कुल	3,54,595

विवरण II

दिनांक 31.12.2012 तक भारत निर्माण-II के तहत ग्राम पंचायतों को प्रदान की गई ब्रॉडबैंड सुविधा की स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल ग्राम पंचायतों की संख्या	कुल उपलब्धि
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	67	56
2	आंध्र प्रदेश	21862	14034
3.	असम	3943	2062
4.	बिहार	8460	7788

1	2	3	4
5.	छत्तीसगढ़	9837	2150
6.	गुजरात (दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव सहित)	14439	7599
7.	हरियाणा	6234	5651
8.	हिमाचल प्रदेश	3241	1862
9.	जम्मू और कश्मीर	4146	1308
10.	झारखंड	4559	4460
11.	कर्नाटक	5657	3779
12.	केरल	999	997
13.	लक्षद्वीप	10	5
14.	मध्य प्रदेश	23022	4171
15.	महाराष्ट्र (गोवा सहित)	28078	10294
16.	त्रिपुरा	1040	
17.	मिजोरम**	768	1190
18.	मेघालय**	1463	
19.	अरूणाचल प्रदेश	1756	
20.	मणिपुर	3011	1410
21.	नागालैंड**	1110	
22.	ओडिशा	6233	2372
23.	पंजाब	12809	11100
24.	चंडीगढ़	17	16
25.	राजस्थान	9200	2946
26.	तमिलनाडु	12617	9308
27.	पुडुचेरी	98	98
28.	उत्तर प्रदेश	52125	43003
29.	उत्तराखंड	7546	2474
30.	पश्चिम बंगाल	3354	2475
31.	सिक्किम	163	66
	कुल	247864	142674

[अनुवाद]

संवर्धन और पुनर्प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी

2397. श्री जगदम्बिका पालः क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के संज्ञान में परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का हाल का प्रस्ताव आया है जिसके परिणामस्वरूप भारत के परमाणु कार्यक्रम के लिए संवर्धन एवं पुनर्प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी देने से इंकार किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने हमारे परमाणु कार्यक्रम हेतु प्रमुख परमाणु प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ता देशों के विचारों का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इन देशों ने भारत द्वारा स्पष्ट छूट का समर्थन दोहराया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार इस बात पर आश्वस्त है कि ये देश हाल के प्रस्ताव द्वारा आरोपित प्रतिबंध से निपट पायेंगे; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (च) परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) ने दिनांक 23-24 जून, 2011 को नीदरलैंड में सम्पन्न अपनी पूर्ण बैठक के दौरान संवर्धन एवं पुनर्प्रसंस्करण (ईएनआर) प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण पर नए दिशानिर्देशों पर सहमति जताई। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ परमाणु हथियारों के अप्रसार (एनपीटी) संधि का एक पक्षकर होने के नाते यदि प्राप्तकर्ता विभिन्न मानदण्डों को पूरा नहीं करता तो, आपूतिकर्ताओं को संवर्धन एवं पुनर्प्रसंस्करण सुविधाओं और उपकरण तथा प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को वैधता प्रदान नहीं करना चाहिए। भारत ने इस मुद्दे को एनएसजी और इसके सदस्य देशों के साथ उठाया है। परमाणु संवर्धन एवं पुनर्प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी पर सरकार का रुख दिनांक 10 अगस्त, 2011 को सदन में दिए गए विदेश मंत्री के स्वप्रेरित वक्तव्य से पहले ही स्पष्ट हो चुका है।

सर्वशिक्षा अभियान के तहत विशेष शिक्षकों की नियुक्तियां

2398. श्री आनंदराव अडसुलः
श्रीमती प्रिया दत्तः
श्री धर्मेन्द्र यादवः
श्री गजानन ध. बाबरः
श्री अधलराव पाटील शिवाजीः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सामान्य बच्चों की तुलना में विकलांग बच्चों की ड्रॉप-आउट दर अधिक है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विकलांग छात्रों को मदद करने के लिए सर्वशिक्षा अभियान के तहत राज्य सरकारों को विशेष शिक्षकों की नियुक्ति करने के लिए हिदायतें दी हैं;

(ग) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या एसएसए के तहत बड़ी संख्या में नियुक्त विशेष शिक्षक विकलांग बच्चों विशेष तौर पर अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए विशिष्ट रूप से अर्हक नहीं थे;

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(च) क्या सरकार का विचार मौजूदा स्कूल अध्यापकों को विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की देखरेख के संबंध में अल्पावधिक/दीर्घावधिक कोर्स कराने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ङ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से आईएमआरबी अंतर्राष्ट्रीय के घटक, सामाजिक एवं ग्रामीण अनुसंधान संस्थान द्वारा 2009 में आयोजित स्वतंत्र नमूना सर्वेक्षण के अनुसार स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों की अनुमानित संख्या 81.5 लाख थी जिसमें से संपूर्ण देश में विशेष आवश्यकता वाले 9.88 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं भारतीय पुनर्वास परिषद ने 11 जनवरी, 2012 को सभी राज्यों/संघ शासित राज्यों को सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विशेष एजूकेटर नियुक्त करने के निर्देश जारी किए थे। बलॉक संसाधन केन्द्र में संसाधन व्यक्ति और समावेशी शिक्षा घटक के अंतर्गत विशेष एजूकेटर को आरसीआई मानदंडों के अनुसार तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त होना चाहिए।

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आज तक 19271 संसाधन अध्यापक नियुक्त किए गए हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विशेष एजूकेटर आसीआई मानदंडों के अनुसार अर्हता प्राप्त है।

(च) और (छ) विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु विद्यमान अध्यापकों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 23 के अंतर्गत अध्यापक अर्हताओं को निर्धारित करने हेतु सरकार द्वारा अधिसूचित शैक्षणिक प्राधिकरण, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने अधिसूचित किया है कि भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त डी.एड. (विशेष शिक्षा) और बी. एड (विशेष शिक्षा) डिग्री वाले व्यक्ति नियमित स्कूल अध्यापकों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे बशर्ते कि वे प्रारंभिक शिक्षा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त 6 महीने का विशेष कार्यक्रम में भाग लें।

[हिन्दी]

त्यागराजन समिति की सिफारिशें

2399. श्री अर्जुन राम मेघवाल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विश्वविद्यालयों के संबद्धता नियमों में सुधार करने के लिए प्रो. एस. पी. त्यागराजन की अध्यक्षता में किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(घ) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने समिति की सिफारिशों की जांच की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा कितनी सिफारिशें स्वीकार की गई हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) जी हां,। प्रो. एस.पी. त्यागराजन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा 2007 में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों द्वारा कालेजों का संबद्धन) विनियम, 2009 का एक मसौदा तैयार किया जिन्हें आयोग द्वारा 19 मई, 2009 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदित किया गया था। ये विनियम 20 फरवरी, 26 फरवरी 2010 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों, गुरू गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली और राजस्थान अध्यापक शिक्षा कॉलेजों संघों, जयपुर से कुछ अपत्तियां प्राप्त होने पर प्रो. एस.पी. त्यागराजन की अध्यक्षता में उसी समिति द्वारा उपर्युक्त विनियमों पर पुन:विचार किया गया था। समिति ने मूल विनिमय में कुछ संशोधन करने का सुझाव दिया था। ये संशोधन, नामत:

यूजीसी (विश्वविद्यालयों द्वारा कॉलेजों का संबंर्धन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2012 को (जो यूजीसी की वेबसाइट http://www.ugc.ac.in/policy/affilication of colleges Universitiesregulation.pdf पर उपलब्ध है) अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अपनी 13 फरवरी 2012 को आयोजित बैठक में अनुमोदित किया गया है और 23 मार्च, 2012 को भारत के राजपत्र में प्रकाशन के लिए भेजा गया है।

(ङ) से (च) इन विनियमों को यूजीसी अधिनियम की धारा 26 (1) (च) और धारा 26(1) (छ) के तहत यूजीसी को दी गई शक्तियों के अंतर्गत यूजीसी द्वारा अनुमोदित और अधिसूचित किया गया था। केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति अपेक्षित नहीं थी।

सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा की गुणवत्ता

2400. श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया:
डॉ. संजीव गणेश नाईक:
श्री संजय दिना पाटिल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी दृष्टि से मानव संसाधन की गुणवत्ता के विकास हेतु योजनाओं का ब्यौरा क्या है:

(ख) क्या सूचना प्रौद्योगिकी में निवेश उन राज्यों में हो रहा है जहां गुणवत्ता वाले शैक्षिणिकता संस्थान चल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में कुल कितने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) राज्य-वार चल रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार का मध्य प्रदेश राज्य आईआईआईटी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इसकी स्थापना कब तक किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ख) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा संस्थाओं में सभी शिक्षुओं के लाभ हेतु किसी भी समय किसी भी माध्यम से अध्ययन प्रक्रिया में आईसीटी की क्षमताओं का प्रयोग किया जा सके।

(घ) देश में चार (4) केन्द्रीय रूप से वित्तपोषित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, एक उत्तर प्रदेश राज्य में इलाहाबाद में, दो मध्य प्रदेश राज्य में ग्वालियर और जबलपुर में और एक तमिलनाडु राज्य में कांचीपुरम में संचालित किए जा रहे हैं।

(ङ) से (छ) मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी में नए आईआईआईटी स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिस पर 14.3.2012 को आयोजित अपनी बैठक में देश में सार्वजनिक निजी भागीदारी में 20 नए आईआईआई की स्थापित करने से संबंधित राष्ट्रीय जांच की गई थी। भोपाल में नए आईआईआईटी की स्थापना करना आवश्यक औपचारिकताओं के पूर्ण होने पर निर्भर करता है, अतः इस संबंध में कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

[अनुवाद]

2जी स्पेक्ट्रम लाइसेंसों का रद्द किया जाना

2401. श्री गुरुदास दासगुप्त:
डॉ. संजीव गणेश नाईक:
श्री संजय दिना पाटील:
श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री पी. लिंगम:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का उच्चतम न्यायालय के स्पेक्ट्रम लाइसेंसों को रद्द किये जाने के निर्णय पर समीक्षा याचिका दायर करने/कोई स्पष्टीकरण मांगने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या रद्द किये गये लाइसेंसों को पुनः उच्च मूल्यों पर आवंटित किये जाने से मोबाइल प्रशुल्क दरों के बढ़ाने की आशंका है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उपभोक्ता हितों की रक्षा करने के लिये क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) से (ग) सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2010 की रिट याचिका (सिविल) सं. 423 तथा वर्ष 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं. 10 के संदर्भ में दिनांक

02.02.2012 को एक "समीक्षा याचिका" दायर की है। सरकार ने उच्चतम न्यायालय में दिनांक 1 मार्च, 2012 को एक दिए गए आदेश तथा अंतिम निर्णय की समीक्षा हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 02.03.2012 को एक वादकालीन आवेदन भी फाइल किया है जिसमें कम से कम 400 दिनों की समयावधि वाले प्रस्तावित नीलामी कार्यक्रम संबंधी तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए तथा उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार लाइसेंसों को समाप्त करने और नीलामी पूरी करने के बीच समय लगने के बारे में उल्लेख करते हुए माननीय न्यायालय से दिनांक 02.02.2012 के इसके आदेश को क्रियान्वित करने के लिए स्पष्टीकरण देने का अनुरोध किया गया है।

(घ) और (ङ) सेवा प्रदाताओं द्वारा लइसेंस शुल्क, बाजार स्थितियों, प्रतिस्पर्द्धा तथा अन्य वाणिज्यिक दृष्टिकोणों सहित निवेश लागतों जैसे अनेक कारकों के आधार पर मोबाइल प्रशुलक निर्धारित किए जाते हैं।

[हिन्दी]

डाक वस्तुओं की सुपुर्दगी

2402. श्री भूदेव चौधरी:
डॉ संजय जायसवाल:
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:
श्री सज्जन वर्मा:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने डाकघर चल रहे हैं और इनमें राज्य-वार, परिमंडल-वार कितने डाकिये, डाकपाल तथा ग्रामीण डाक सेवक तैनात हैं;

(ख) क्या इन डाकघरों में डाकियों की कमी हैं जिसके चलते देश में सुपुर्दगी प्रणाली प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही है;

(ग) यदि हां, तो बिहार सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में विशेषरूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में डाक वस्तुओं की समय से सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) डाकघरों में डाकियों की कमी को पूरा करने लिए क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं। कुशल डाक वितरण के लिए डाकघरों में पर्याप्त कर्मचारी हैं।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) देश भर में समय पर डाक वितरण सुनिश्चित कराना एक निरंतर कार्यकलाप है और तदनुसार डाक वितरण में सुधार लाने हेतु उपाय किए गए हैं। डाक प्रचालन (जिसमें डाक वितरण भी शामिल है) की गुणवत्ता को सुधारने के लिए, मौजूदा डाक नेटवर्क को सुदृढ़ एवं इष्टतम बनाने, डाक प्रोसेसों में अधिक मानकीकरण लाने और मॉनीटरिंग तंत्र को सुदृढ़ बनाने के हेतु पहल शुरू की गई हैं। डाक प्रोसेसिंग को स्वचालित करने हेतु डाक विभाग ने दिल्ली एवं कोलकता में स्वचालित डाक प्रोसेसिंग केन्द्र स्थापित किए हैं। डाक पारेषण एवं वितरण सेवाओं को सुधारने हेतु डाक विभाग द्वारा किए गए अन्य उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) पूर्वोत्तर क्षेत्र में त्वरित वितरण हेतु डाकियों को वाहन उपलब्ध कराए गए हैं।

(2) परीक्षण पत्र एवं ट्रायल कार्ड पोस्ट करके डाक रूटिंग एव औचक निरीक्षणों द्वारा वितरण की नियमित निगरानी ।

(3) कमजोर कड़ियों कों पहचानने एवं डाक पारेषण एवं वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित अंतराल में लाइव मेल सर्वे।

(4) त्योहार आदि के अवसरों पर डाक के निपटान के लिए पर्याप्त कार्यबल वाले अलग केन्द्र खोले गए हैं ताकि ऐसी डाक को तुरंत निपटाया जा सके।

(5) पिनकोड के उपयोग में वृद्धि करना एवं इसका प्रचार करना।

(ङ) जब भी जैसे भी रिक्तियां होती हैं तो उन्हें भर्ती नियमों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती से भरा जाता है। पदोन्नति द्वारा रिक्तियों को भरने के लिए विभागीय पदोन्नति समितियां बैठकें कर रही हैं। इसके अलावा, जहां विभागीय प्रीक्षाएं निर्धारित की गई हैं, वहां पदोन्नति वाले पदों को भरने के लिए नियमित रूप से विभागीय परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। सीधी भर्ती की रिक्तियों को सरकार की नीतियों के अनुसार भरा जा रहा है।

विवरण

डाकघरों एवं इनमें कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

क्र.सं.	सर्किलों का नाम	राज्यों का नाम	डाकघरों की कुल संख्या	डाकियों की संख्या	पोस्टमास्टरों की संख्या	ग्रामीण डाक सेवकों की कुल संख्या (सभी श्रेणियों सहित)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश		16141	3728	16141	28469
2.	असम		4006	904	4006	8576
3.	बिहार		9026	1920	9026	15896
4.	छत्तीसगढ़		3127	402	2566	5142
5.	दिल्ली		528	1961	460	233
6.	गुजरात		8982	4120	8982	14455
7.	हरियाणा		2661	744	2428	4041
8.	हिमाचल प्रदेश		2778	302	2608	6295
9.	जम्मू और कश्मीर		1694	216	1694	2599
10.	झारखंड		3095	721	3095	6911
11.	कर्नाटक		9710	3458	9710	15513
12.	केरल		5067	2904	5067	11494
13.	महाराष्ट्र		12860	7552	12860	20230
14.	मध्य प्रदेश		8310	2159	8310	16635
15.	पूर्वोत्तर					
		अरूणाचल प्रदेश	299	49	299	542
		नागालैंड	328	65	328	747
		मणिपुर	698	51	698	1765
		मेघालय	491	136	491	1197
		मिजारम	393	54	393	764
		त्रिपुरा	708	158	708	1474

1	2	3	4	5	6	7
16.	ओडिशा		8162	1208	8162	18630
17.	पंजाब		37849	1413	3849	5999
18.	राजस्थान		10326	1501	10326	13855
19.	तमिलनाडु		12065	4680	12065	21554
20.	उत्तर प्रदेश		17669	4133	17669	31780
21.	उत्तराखंड		2717	619	2717	66556
22.	पश्चिम बंगाल		9062	4082	9062	15109

[अनुवाद]

नियुक्ति/प्रोन्नति

2403. **श्री रेवती रमण सिंह:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी विभाग किसी संवर्ग में किसी निम्न पर पर उस सीमा तक नियुक्ति/प्रोन्नति कर सकता है जिस सीमा तक उसी संवर्ग में उच्च पद में रिक्तियां भरी नहीं गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बात के बावजूद की रिक्तियां उसी संवर्ग से संबंधित हैं और ऐसे निम्न पद पर नियुक्त/प्रोन्नति किये गये अधिकारी अन्यथा नियुक्ति/प्रोन्नति के लिये पात्र हैं, निम्न पदों पर की गई नियुक्तियां/प्रोन्नतियां तदर्थ आधार पर की जा रही हैं ऐसे अधिकारियों द्वारा प्रदान की जा रही सेवा की गणना अगले ग्रेड में उसकी प्रोन्नति के लिए नहीं की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं और यदि नहीं, तो उच्च पदों में भरी न जा सकने वाली रिक्तियों के समक्ष किसी निम्न पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति को शामिल करने वाले नियमों का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) किसी पद पर नियुक्ति/पदोन्नति, उस पद पर लागू सांविधिक भर्ती नियमावली व्यवस्था होने तक रिक्त नहीं रखा जा सकता है कि कार्यात्मक/प्रक्रिया संबंधी अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए आपवादिक परिस्थितियों में की जाती हैं। किसी ग्रेड में तदर्थ आधार पर की गई सेवा की गणना उस ग्रेड में वरिष्ठता और उसके अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए पात्रता के प्रयोजन के लिए नहीं की जाती है। उच्च पद में किसी रिक्ति के स्थान पर किसी निचले पद हेतु नियुक्ति/पदोन्नति का कोई प्रावधान नहीं है।

विदेशों में अवैध प्रवासी

2404. **श्री एस.आर. जेयदुरई:**
श्री कोडिकुन्नील सुरेश:
श्रीमती ज्योति धुर्वे:
श्री नारनभाई कछाड़िया:

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय मूल के व्यक्तियों/कामगारों की समस्या के बारे में अवगत है जो कि विदेशों विशेषकर ब्रिटेन तथा मध्य पूर्व में अवैध प्रवासी किये जाने के कारण निर्वासित किये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा साथ ही कितने कामगारों को अवैध प्रवासी घोषित किया गया है;

(ग) क्या 'प्राक्टर ऑफ इमीग्रेंट' ने मामले की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो इन देशों द्वारा इस संबंध में क्या मुख्य कारण बताए गए हैं;

(ङ) क्या उक्त मुद्दों को संबंधित सरकारों के साथ उठाया गया है; और

(च) यदि हां, तो इस मुद्दे की मौजूदा स्थिति तथा प्रस्तावित हल क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) भारतीय मिशनों से प्राप्त सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

वर्ष 2010 और 2011 में ओमान, सऊदी अरब की सल्तनत और मलेशिया ने अवैध उत्प्रवासियों के लिए, या तो उनके ठहरने को नियमित करने अथवा बिना दण्ड के देश छोड़ने हेतु राजक्षमा घोषित की थी।

(ग) से (च) उत्प्रवास महासंरक्षी (पीजीई) अवैध उत्प्रवासियों अथवा विदेशों से निर्वासित व्यक्तियों को मॉनिटर नहीं करता। तथापि, जब कभी किसी उत्प्रवास जांच अपेक्षित (ईसीआर) देश में राजक्षमा घोषित की जाती है, तो पीजीआई, संबंधित मिशन के साथ परामर्श से, राजक्षमा के लाभ प्राप्त करने के लिए, कामगारों के प्रत्यावर्तन के लिए मामला संबंधित स्थानीय प्राधिकरणों के साथ उठता है।

विवरण

अवैध भारतीय उत्प्रवासियों/निर्वासित किए गए व्यक्तियों का देशवार ब्यौरा

क्र.सं.	मिशन/देश	अवैध उत्प्रवासियों की संख्या	निर्वासित किए गए व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4
1.	पनामा, होन्डूरास, अल सेल्वाडोर और निकारागुआ	1	1
2.	मेडन, इंडोनेशिया	-	2
3.	कोपेनहेगेन, डेनमार्क	-	15
4.	लेबनान	55	-
5.	बुचारेस्ट	5	-
6.	मेड्रिड	1000 (अनुमानित)	-
7.	ब्रातिस्लावा स्लोवेकिया	100(अनुमानित)	-
8.	जाफना, श्रीलंका	-	3
9.	मेकिस्को	-	59
10.	कनाडा	-	497(2007-2011)
11.	एक्यूडोर	-	4-(2010)
12.	ओमान	22000	13500 (राजक्षमा)
13.	सऊदी अरब की सल्तनत	-	50000-60000 (अनुमानित) (सितम्बर, 2010-सितम्बर, 2011) (राजक्षमा)
14.	फ्रांस	291	38
15.	आस्ट्रिया	-	46-(2011)
16.	पोर्ट ऑफ स्पेन (त्रिनिडाड एंड टोबेगो)	-	1
17.	मलेशिया	-	52,478 (राजक्षमा)

1	2	3	4
18.	सिंगापुर	-	624
19.	फ्रेकफ्रर्ट	-	52
20.	तुर्की	-	28
21.	निकोसिया, साइप्रस	775	-
22.	ब्रिटेन	2551	-

विदेशों में भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान

2405. श्री वरुण गांधी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की अफ्रीका में 21 उच्च शैक्षणिक संस्थानों का निर्माण करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ कितनी निधियां जारी की गई हैं; और

(ग) इससे भारतीय छात्रों के किस सीमा तक लाभान्वित होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) वर्ष 2008 में हुए प्रथम भारत- अफ्रीका मंत्र शिखर सम्मेलन के अनुसरण में भारत ने अफ्रीका में विभिन्न देशों में बहुत सी क्षमता निर्माण संस्थाएं स्थापित करने की घोषणा की है। इन वचनबद्धताओं में 4 पैन-अफ्रीकी संस्थाओं, नामतः (i) भारत अफ्रीका विदेश व्यापार संस्थान (ii) भारत अफ्रीका डायमंड संस्थान, (iii) भारत अफ्रीका शिक्षा आयोजना तथा प्रशासन संस्थान और (iv) भारत अफ्रीका सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करना शामिल है। स्थापित किए जाने वाली अन्य संस्थाएं 10 व्यावसायिक केन्द्र और कम लागत की आवास प्रौद्योगिकियों की सहायता के लिए 5 मानव पुनर्वास संस्थान और 2 कोयला संस्थाएं हैं। तथापि, उपर्युक्त 21 में से केवल कुछ ही संस्थाएं जैसे भारत-अफ्रीका सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान और भारत-अफ्रीका शिक्षा आयोजना तथा प्रशासन संस्थान ही उच्चत शिक्षा संस्थाएं हैं। अभी तक विदेश मंत्रालय ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु भारतीय विशेषज्ञों को 72,50,00 रुपये की राशि जारी की है।

(ग) उपर्युक्त संस्थाओं का आशय अफ्रीकी देशो की क्षमता को बढ़ाना और अफ्रीकी छात्रों को लाभ पहुंचाना है।

प्रवासी कामगारों की सेवा शर्तें

2406. श्री एन.एस.वी. चित्तन: क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में दौरान राज्य-वार कितने प्रवासी कामगार विदेश गये;

(ख) इन प्रवासी कामगारों की मूलभूत सेवा शर्ते क्या हैं; और

(ग) प्रवासी कामगारों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए सरकार के क्या दिशानिर्देश हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय क अधीन उत्प्रवास संरक्षियों के कार्यालय, केवल 17 ईसीआर अधिसूचित देशों के संबंध में, उत्प्रवास जांच अपेक्षित (ईसीआर) पासपोर्ट धारकों को उत्प्रवास स्वीकृति प्रदान करते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान, ऐसे कामगारों को प्रदान की गई उत्प्रवास स्वीकृति की संख्या निम्न प्रकार है:

वर्ष	उत्प्रवास स्वीकृतियों की संख्या
2009	6,10,272
2010	6,41,356
2011	6,26,565
2012 (फरवरी तक)	1,21,604

(ख) और (ग) प्रवासी कामगारों की सेवा शर्ते, उत्प्रवास नियमावली, 1983 के नियम 15 (2) में अनुबंधित रोजगार कारार के अनुसार विनियमित की जाती हैं।

[हिन्दी]

साइबर 'बेटिंग'

2407. श्री गोपीनाथ मुंडे:
श्री रमेश बैस:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक सर्वेक्षण के अनुसार बच्चों द्वारा इंटरनेट के उपयोग के चलते साईबर बेटिंग गंभीर रूप धारण कर चुकी है जिसके परिणामस्वरूप उनमें आत्महत्या, हिंसा तथा अन्य अपराधों की प्रवृत्ति पैदा हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इंटरनेट पर ऐसी विषयवस्तु को प्रसारित करने हेतु कोई नियम बनाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय राज्य में मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) और (ख) विश्व स्तर पर विभिन्न संगठन साइबर अपराध, साइबर चेतावनियों और साइबर स्पेस में विधमान हमलों को शामिल करते हुए इंटरनेट सुरक्षा पर सर्वेक्षण करते हैं और रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं इन संगठनों द्वारा डेटा संग्रहण के लिए विभिन्न कार्यप्रणालियां और तकनीकें अपनाई जाती हैं। नोरटन, सिमेंटेक कार्पोरेशन द्वारा नवम्बर, 2011 में ऐसा एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण किया गया, जिसमें भारत सहित 24 देशों को शामिल किया गया। नोरटन की नवीनतम ऑनलाइन फेमिली रिपोर्ट के अनुसार साइबरबेटिंग की पहचान विश्व स्तर पर एक तेजी से बढ़ रही संक्रिया के रूप में की जाती है।

(ग) और (घ) सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश) नियमावली 2011 अधिसूचित की है। इन नियमों में मध्यस्थों के लिए प्रावधान किए गए हैं जिनमें सामाजिक नेटवर्किंग साइटों द्वारा अपनी वेबसाइटों में अश्लील, निंदनीय, कामुक, बाल यौन विषयक, छवि खराब करने वाली सामग्री डालने से रोकने के लिए अपेक्षित सावधानी और सुरक्षा बरतने का प्रावधान शामिल है। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67,67क और 67ख के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री के प्रकाशन अथवा प्रेषण के साथ-साथ यौन संबंधी कार्यो से जुड़ी सामग्री अथवा बच्चों को अश्लिल कार्यों में लिप्त दर्शाए जाने वाली सामग्री के प्रकाशन अथवा प्रेषण के लिए कठोर दंड और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस और सार्वजनिक आदेश' संविधान के अंतर्गत राज्य के विषय हैं और महिलाओं तथा बच्चों के विरूद्ध अपराध सहित अपराधों की रोकथाम, पता लगाने, पंजीकरण और अभियोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। इसी प्रकार शिक्षा भी राज्य का एक विषय हैं। परन्तु केंन्द्र सरकार महिलाओं और बच्चों के विरूद्ध अपराध की रोकथाम और नियंत्रण के मामलों को सर्वाधिक महत्व देती है। गृह मंत्रालय ने 4 जनवरी, 2012 को बच्चों के विरूद्ध साइबर अपराध की रोकथाम और उससे निपटाने के लिए एक परामर्श जारी किया है, जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को साइबर स्टॉकिंग, साइबर बुल्लिंग, बाल अश्लील साहित्य और यौन संबंधी सामग्री दिखाए जाने आदि रूपों में अपराधों से विशेष रूप से निपटने की सलाह दी गई थी।

[अनुवाद]

कोयला ब्लॉकों का आबंटन

2408. श्री मनोहर तिरकी:
श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार:
श्री नरहरि महतो:
श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:
श्री हंसराज गं. अहीर:
श्री नृपेन्द्र नाथ राय:
श्री बी.वाई. राघवेन्द्र:
श्री नलिन कुमार कटील:
श्री मुरारी लाल सिंह:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन सरकारी और निजी कंपनियों के राज्य-वार क्या नाम हैं, जिन्हें कोयला तथा लिग्नाइट ब्लॉक आवंटित किये गये तथा इन ब्लॉक आवंटित किये गये हैं तथा इन ब्लॉकों के आवंटन की तिथि, स्थान तथा कोयले के कितने भंडार का आकलन किया गया है;

(ख) कोयला तथा लिग्नाइट ब्लॉकों का ब्यौरा तथा कंपनियों के कंपनी-वार और राज्य-वार क्या भंडार का क्या नाम है जिन्होंने मानदएडों के अनुसार कोयला ब्लॉकों का विकास किया है;

(ग) कोयला और लिग्नाइट ब्लॉकों का ब्यौरा तथा कंपनियों के क्या नाम हैं जिन्होंने कोयला ब्लॉकों का मानदंड के अनुसार विकास नहीं किया है तथा उनके विरुद्ध अब तक राज्य-वार और कंपनी-वार क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इन ब्लॉकों में उत्पादन कब तक आरंभ होने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) से (घ) उत्पादक अथवा गैर-उत्पादक की स्थिति सहित उन सरकारी और निजी कंपनियों के राज्य-वार नाम, जिन्हें कोयला तथा लिग्नाइट ब्लॉक आवंटित किये गये हैं तथा इन ब्लॉकों के आवंटन की तिथि, स्थान और आकलित कोयला भंडारों की मात्रा संलग्न विवरण-I में दी गई है।

निर्धारित दिशानिर्देशों और लक्ष्यों के अनुसार कोयला ब्लॉक विकसित करने की जिम्मेवारी पूर्ण रूप से आवंटित कंपनी की है। आवंटन पत्र की शर्तों में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि कोयला ब्लॉकों के विकास में और अन्त्य उपयोग परियोजना स्थापित करने में जानबूझकर किए गए विलंब की स्थित में सरकार उक्त ब्लाक का आवंटन रद्द करने के लिए समुचित कार्रवाई करेगी विलंब की स्थिति में सरकार उक्त ब्लाक का आवंटन रद्द करने के लिए समुचित कार्रवई करेगी। इसके अलावा आवंटिती को बैंक गारण्टी जमा करनी होती है जो कोयला ब्लॉकों से उत्पादन निर्धारित क्षमता तक पहुंच जाने तक सदैव वैध रहती है। कोयला/लिग्नाइट ब्लॉकों के विकास को गति प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक मानीटरिंग समिति गठित करने का अनुरोध किया गया है। कोयला नियंत्रक का कार्यालय विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति को नियमित आधार पर मानीटर करता है। सरकार समीक्षा बैठकों में आवंटित ब्लाकों के विकास तथा आवंटिती कंपनियों द्वारा अन्त्य उपयोग संयंत्रों की आवधिक रूप से मानीटरिंग करती है और समीक्षा करती है। जब कभी विलंब का पता चलता है, सरकार दिशानिर्देशों/लक्ष्य चार्ट के अनुसार कोयला ब्लाकों में उत्पादन आरंभ करने की चेतावनी देते हुए ऐसे आवंटितियों को कारण बताओं नोटिस और एडवाइजरी जारी करती है। कारण बताओं नोटिसों के उत्तरों के आधार पर सरकार आवंटन रद्द करने का निर्णय लेती है। कुल 25 ब्लाकों तथा 2 लिग्नाइट ब्लाकों का आवंटन रद्द किया गया है। आबंटन रद्द किए गए ब्लाकों का राज्य-वार और कंपनी-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

195 कोयला ब्लाकों में से, 29 कोयला ब्लाकों में उत्पादन आरंभ हो गया है। इसके अलावा, आबंटित किए गए 28 लिग्नाइट ब्लाकों में से 12 लिग्नाइट ब्लाकों में उत्पादन आरंभ हो गया है। जिन शेष कोयला ब्लाकों में अभी तक उत्पादन आरंभ नहीं हुआ है, वे खनन तथा अन्त्य उपायो परियोजना दोनों के लिए सांविधिक स्वीकृतियां और खनन पट्टा प्राप्त करने, खनन योजना तैयार करने, भूमि का अधिग्रहण, मशीनरी और उपकरण की खरीद आदि के विभिन्न स्तरों पर है।

विवरण I

आवंटित कोयला ब्लाकों का ब्यौरा

ब्लाक की क्र.सं.	पार्टी का नाम	आवंटन तारीख	व्यक्तिगत (आई) संयुक्त रूप से (जे)	आवंटित ब्लाक	राज्य	निजी (पी) सरकारी (जी)	भूगर्भीय भंडार (मि.ट. में)	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आर.पी.जी. इंडस्ट्रीज/ सीईएससी लि.	10.08.1993	आई	सरिसाटोली	पश्चिम बंगाल	पी	140.47	उत्पादन हो रहा है।
2.	हिंडालको इंडस्ट्रीज	25.02.1994	आई	तालाबीरा-1	ओडिशा	पी	22.55	उत्पादन किया जा रहा है।
3.	डब्लयूबीएसईबी	14.07.1995	आई	तारा (ईस्ट)	पश्चिम बंगाल	जी	84.47	उत्पादन किया जा रहा है।
4.	सेल	26.02.1996	आई	तसरा	छत्तीसगढ़	जी	285	उत्पादन किया जा रहा है।
5.	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	17.04.1996	आई	तारा (वेस्ट)	मध्य प्रदेश	जी	125.71	उत्पादन किया जा रहा है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	जिन्दल स्टील एण्ड पावर लि.	20.06.1996	आई	गारे-पालमा 4/1	मध्य प्रदेश	जी	124	उत्पादन किया जा रहा है।
7.	बीएलए इंडस्ट्रीज	21.06.1996	आई	गोटीटोरिया (वेस्ट)	छत्तीसगढ़	पी	5.15	उत्पादन किया जा रहा है।
8.	बीएलए इंडस्ट्रीज	21.06.1996	आई	गोटीटोरिया (वेस्ट)	पश्चिम बंगाल	पी	4.19	उत्पादन किया जा रहा है।
9.	मोनेट इस्पात एवं एनर्जी लि.	21.06.1996	आई	गारे-पालमा 14/5	छत्तीसगढ़	पी	126	उत्पादन किया जा रहा है।
10.	उत्कल कोल लि. (पूर्व में आईसीसीएल) में आईसीसीएल)	29.05.1998	आई	उत्कल-सी	ओडिशा	पी	208.77	उत्पादन किया जा रहा है।
11.	जिन्दल पावर लि.	01.07.1998	आई	गारे-पालमा 4/3	छत्तीसगढ़	पी	123	उत्पादन किया जा रहा है।
12.	जिन्दल पावर लि.	01.07.1998	आई	गारे-पालमा 4/3	छत्तीसगढ़	पी	123	उत्पादन किया जा रहा है।
13.	जायसवाल नेको लि.	16.08.1999	आई	गारे-पालमा-4/4	छत्तीसगढ़	पी	125	उत्पादन किया जा रहा है।
14.	मोनेट इस्पात एवं एनर्जी लि.	16.08.1999	आई	उत्कल-बी2	ओडिशा	पी	106	उत्पादन किया जा रहा है।
15.	केस्टोन माइनिंग लि. (पूर्व) में कास्ट्रोन टैक्नो. लि.	01.09.1999	आई	ब्राह्मडीह ओपनकास्ट	झारखंड	पी	2.215	उत्पादन किया जा रहा है।
16.	रायपुर अलॉयस एण्ड स्टील लि.	25.04.2000	आई	गारे-पलामा-4/7	छत्तीसगढ़	पी	156	उत्पादन किया जा रहा है।
17.	बी.एस. इस्पात	25.04.2001	आई	मरकी-मंगली-1	महाराष्ट्र	पी	34.34	उत्पादन किया जा रहा है।
18.	पंजाब स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड	28.12.2001	आई	पचवाड़ा सेंट्रल	झारखंड	जी	562	उत्पादन किया जा रहा है।
19.	जीवीके पावर (गोविंदवल साहिब) लि.	07.01.2002	आई	तोकीसुद नार्थ	झारखंड	पी	92.3	उत्पादन नहीं हो रहा है।
20.	डब्लयूपीडीसीएल	23.06.2003	आई	गंगारामचक	पश्चिम बंगाल	जी	10	उत्पादन नहीं हो रहा है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	डब्लयूपीडीसीएल	23.06.2003	आई	बरजोरा	पश्चिम बंगाल	जी	8	उत्पादन किया जा रहा है।
22.	डब्लयूपीडीसीएल	23.06.2003	आई	गंगारामचक-भदूलिया	पश्चिम बंगाल	जी	4	उत्पादन नहीं हो हा है।
23.	फील्डमाइनिंग एण्ड इस्पात लि.	08.10.2003	आई	चिनौरा	महाराष्ट्र	पी	20	उत्पादन नहीं हो रहा है।
24.	फील्डमाइनिंग एण्ड इस्पात लि.	08.10.2003	आई	विरोरा (वेस्ट) सर्दर्न पार्ट	महाराष्ट्र	पी	18	उत्पादन नहीं हो रहा है।
25.	छत्तीसगढ़ मिनरल डेव.कार्पो. (सीएमडीसीएल)	28.10.2003	आई	तारा	छत्तीसगढ़	जी	259.47	उत्पादन नहीं हो रहा है।
26.	प्रकाश इंडस्ट्रीज लि.	04.09.2003	आई	चोतिया	छत्तीसगढ़	पी	34.48	उत्पादन किया जा रहा है।
27.	जिन्दल स्टील एण्ड पावर लि.	04.09.2003	आई	उत्कल बी 1	ओडिशा	पी	228.4	उत्पादन नहीं हो रहा है।
28.	अरुणाचल प्रदेश मिनरल डेव. कारपोरेशन	28.10.2003	आई	नामची नामपुक	अरुणाचल प्रदेश	जी	27	उत्पादन किया जा रहा है
29.	ऊषा मार्टिन लि.	29.09.2003	आई	काथौटिया	झारखंड	पी	29.76	उत्पादन किया जा रहा है
30.	गोंदवाना इस्पात लि.	29.10.2003	आई	माजरा	महाराष्ट्र	पी	31.5	उत्पादन नहीं हो रहा है
31.	तेनूघाट विद्युत निगम लि.	03.11.2003	आई	बादाम	झारखंड	जी	144.63	उत्पादन नहीं हो रहा है
32.	केपीसीएल	10.11.2003	बरांज-1		महाराष्ट्र	जी	68.31	उत्पादन किया जा रहा है
33.	केपीसीएल	10.11.2003	बरांज-2		महाराष्ट्र	जी		उत्पादन किया जा रहा है
34.	केपीसीएल	10.11.2003	बरांज-3		महाराष्ट्र	जी		उत्पादन किया जा रहा है
35.	केपीसीएल	10.11.2003	बरांज-4		महाराष्ट्र	जी		उत्पादन किया जा रहा है
36.	केपीसीएल	10.11.2003	किलोनी		महाराष्ट्र	जी	39.51	उत्पादन किया जा रहा है

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.	केपीसीएल	10.11.2003	मनोरा दीप		महाराष्ट्र	जी	44.7	उत्पादन किया जा रहा है
38.	भूषण लि.	12.11.2003	आई	जामखानी	ओडिशा	पी	80	उत्पादन नहीं हो रहा है
39.	ओडिशा माइनिंग करपो.	19.12.2004	आई	उत्कल-डी	ओडिशा	जी	153.31	उत्पादन नहीं हो रहा है
40.	नालको	27.08.2004	आई	उत्कल 'ई'	ओडिशा	जी	194	उत्पादन नहीं हो रहा है
41.	सीएसईबी	23.09.2004	आई	गिधमुरी	छत्तीसगढ़	जी	80.27	उत्पादन नहीं हो रहा है
42.	सीएसईबी	23.09.2004	आई	पतोरिया	छत्तीसगढ़	जी	269.25	उत्पादन नहीं हो रहा है
43	एनटीपीसी	11.10.2004	आई	पकरी-बरवाडीह	झारखंड	जी	1600	उत्पादन नहीं हो रहा है
44	पश्चिम बंगाल खनिज विकास ट्रेडिंग कार्पो.	14.01.2005	आई	ट्रांस दामोदर	पश्चिम बंगाल	जी	103.15	उत्पादन नहीं हो रहा है
45.	डीवीसी	03.03.2005	आई	बारजोरा (नार्थ)	पश्चिम बंगाल	जी	85.49	उत्पादन किया जा रहा है
46.	डीवीसी	03.03.2005	आई	कागरा जॉयदेव	पश्चिम बंगाल	जी	196.15	उत्पादन नहीं हो रहा है
47.	सनफ्लैग आयरन स्टील लि.	28.03.2005	आई	बेलगांव	महाराष्ट्र	पी	15.3	उत्पादन किया जा रहा है
48.	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	26.04.2005	आई	पचवारा नार्थ	झारखंड	जी	125.71	उत्पादन नहीं हो रहा है
49.	जयसवाल नेको लि.	13.05.2005	आई	मोइतरा	झारखंड	पी	215.78	उत्पादन नहीं हो रहा है
50.	अभिजीत इनफ्र. प्रा.लि.	26.05.2005	आई	ब्रिन्दा	झारखंड	पी	34.72	उत्पादन नहीं हो रहा है
51.	अभिजीत इनफ्र. प्रा.लि.	26.05.2005	आई	ससई	झारखंड	पी	26.35	उत्पादन नहीं हो रहा है
52.	अभिजीत इनफ्र. प्रा.लि.	26.05.2005	आई	मेरल	झारखंड	पी	17.05	उत्पादन नहीं हो रहा है

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53.	इलैक्ट्रो स्टील कास्टिंग	07.07.2005	आई	पर्वतपुर-ए से सी	झारखंड	पी	231.22	उत्पादन किया जा रहा है
54.	डोमको स्मोकलेम फ्यूल प्रा.लि.	08.07.2005	आई	लालगढ़ (नार्थ)	झारखंड	पी	30	उत्पादन किया जा रहा है
55.	टिस्को	11.08.2005	आई	पचमो	झारखंड	पी	148.4	उत्पादन नहीं हो रहा है
56.	टिस्को	11.08.2005	आई	लोहारी	झारखंड	पी	101.99	उत्पादन नहीं हो रहा है
57.	ऊषा मार्टिन	24.08.2005	आई	लोहारी	झारखंड	पी	9.99	उत्पादन नहीं हो रहा है
58.	कारपोरेट इस्पात लि.	02.09.2005	आई	चित्रपुर	झारखंड	पी	212.01	उत्पादन नहीं हो रहा है
59.	वीरांगना इस्पात लि.	06.09.2005	आई	मरकी मंगली-II	महाराष्ट्र	पी	19	उत्पादन नहीं हो रहा है
60.	वीरांगना इस्पात लि.	06.09.2005	आई	मरकी मंगली-II	महाराष्ट्र	पी		उत्पादन किया जा रहा है
61.	वीरांगना इस्पात लि.	06.09.2005	आई	मरकी मंगली-IV	महाराष्ट्र	पी		उत्पादन किया जा रहा है
62.	एमसीएल	10.11.2005	आई	तालाबीरा-II	ओडिशा	जी	152.33	उत्पादन नहीं हो रहा है
62.	एनएलसी	10.11.2005	आई	तालाबीरा-II	ओडिशा	जी	152.33	उत्पादन नहीं हो रहा है
62.	हिंडालको	10.11.2005	आई	तालाबीरा-II	ओडिशा	जी	152.33	उत्पादन नहीं हो रहा है
63.	एमसीएल	29.11.2005	आई	उत्कल-ए	ओडिशा	जी		उत्पादन नहीं हो रहा है
63.	जेएसडब्लयू स्टील लि./ जिंदल थर्मल पावर लि.	29.11.2005	आई	उत्कल-ए	ओडिशा	जी	333.4	उत्पादन नहीं हो रहा है
63.	जिंदल स्टेनलैस स्टील लि.	29.11.2005	आई	उत्कल-ए	ओडिशा	जी		उत्पादन नहीं हो रहा है
63.	श्याम डीआरआई लि.	29.11.2005	आई	उत्कल-ए	ओडिशा	जी		उत्पादन नहीं हो रहा है

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64.	आंध्र प्रदेश पावर जनरेशन कार्पो. लि.	06.12.2005	आई	टाडीसेरला-1	आंध्र प्रदेश	जी	61.28	उत्पादन नहीं हो रहा है
65.	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम (एमपीएसएमसी)	12.01.2006	आई	अमेलिया	मध्य प्रदेश	जी	214.41	उत्पादन नहीं हो रहा है
65	मध्य प्रदेश राज्य खनन	12.01.2006	आई	अमेलिया (नार्थ)	मध्य प्रदेश	जी	101.24	उत्पादन नहीं हो रहा है
66	झारखंड इस्पात प्रा.लि. निगम (एमपीएसएमसी)	13.01.2006	जे	नार्थ धाटू	झारखंड	पी	923.94	उत्पादन नहीं हो रहा है
67	पवनजय स्टील एण्ड पावर प्रा.लि.	13.01.2006	जे	नार्थ धाटू	झारखंड	पी	923.94	उत्पादन नहीं हो रहा है
67	इलैक्ट्रो स्टील कास्टिंगन लि.	13.01.2006	जे	नार्थ धाटू	झारखंड	पी	923.94	उत्पादन नहीं हो रहा है
68.	भूषण लि.	13.01.2006	जे	बिजहान	ओडिशा	पी	130	उत्पादन नहीं हो रहा है
68.	महावीर फेरो	13.01.2006	जे	बिजहान	ओडिशा	पी	130	उत्पादन नहीं हो रहा है
69.	हिन्दुस्तान जिंक लि.	13.01.2006	जे	मदनपुर साउथ	छत्तीसगढ़	पी	175.65	उत्पादन नहीं हो रहा है
69.	अक्षय इन्वेसटमेंट प्रा.लि.	13.01.2006	जे	मदनपुर साउथ	छत्तीसगढ़	पी	175.65	उत्पादन नहीं हो रहा है
69.	छत्तीसगढ़ स्टील एण्ड पावर लि.	13.01.2006	जे	मदनपुर साउथ	छत्तीसगढ़	पी	175.65	उत्पादन नहीं हो रहा है
69.	छत्तीसगढ़ विद्युत कार्पो. लि.	13.01.2006	जे	मदनपुर साउथ	छत्तीसगढ़	पी	175.65	उत्पादन नहीं हो रहा है
69.	एमएसपी स्टील एण्ड प्रा.लि.	13.01.2006	जे	मदनपुर साउथ	छत्तीसगढ़	पी	175.65	उत्पादन नहीं हो रहा है
69.	छत्तीसगढ़ केप्टिव कोल माइनिंग लि. (पांच कम्पनियों का कंसोर्टियम)	13.01.2006	जे	मदनपुर साउथ	छत्तीसगढ़	पी	175.65	उत्पादन नहीं हो रहा है
70-71	इस्पात गोदावरी	13.01.2006	जे	नैकिया I+ नैकिया II	छत्तीसगढ़	पी	399	उत्पादन नहीं हो रहा है
70-71	इन्ड एग्रो सिनर्जी	13.01.2006	जे	नैकिया I+ नैकिया II	छत्तीसगढ़	पी	399	उत्पादन नहीं हो रहा है

1	2	3	4	5	6	7	8	9
70-71	श्री नकोदा इस्पात	13.01.2006	जे	नैकिया I+ नैकिया II	छत्तीसगढ़	पी	399	उत्पादन नहीं हो रहा है
70-71	वन्दना ग्लोबल लि.	13.01.2006	जे	नैकिया I+ नैकिया II	छत्तीसगढ़	पी	399	उत्पादन नहीं हो रहा है
70-71	श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पत लि.	13.01.2006	जे	नैकिया I+ नैकिया II	छत्तीसगढ़	पी	399	उत्पादन नहीं हो रहा है
71-72	भूषण स्टील एण्ड स्ट्रिप्स लि.	13.01.2006	जे	पतरापाड़ा	उओडिशा	पी		उत्पादन नहीं हो रहा है
72	आधुनिक मैटेलिक्स लि.	13.01.2006	जे	पतरापाड़ा	ओडिशा	पी		उत्पादन नहीं हो रहा है
72	दीपक स्टील एण्ड पावर लि.	13.01.2006	जे	पतरापाड़ा	ओडिशा	पी		उत्पादन नहीं हो रहा है
72	आधुनिक कारपोरेशन लि.	13.01.2006	जे	पतरापाड़ा	ओडिशा	पी		उत्पादन नहीं हो रहा है
72	ओडिशा स्पांज आयरन लि.	13.01.2006	जे	पतरापाड़ा	ओडिशा	पी		उत्पादन नहीं हो रहा है
72	एमएमसी पावर जनरेशन लि.	13.01.2006	जे	पतरापाड़ा	ओडिशा	पी		उत्पादन नहीं हो रहा है
72	श्री मेटलिक्स लि.	13.01.2006	जे	पतरापाड़ा	ओडिशा	पी		उत्पादन नहीं हो रहा है
72	वीसा स्टील लि.	13.01.2006	जे	पतरापाड़ा	ओडिशा	पी		उत्पादन नहीं हो रहा है
73	जिन्दल स्टील एंड पावर लि.	13.01.2006	जे	गारे पालमा IV/6	छत्तीसगढ़	पी	156	उत्पादन नहीं हो रहा है
73	नालवा आयरन लि.	13.01.2006	जे	गारे पालमा IV/6	छत्तीसगढ़	पी		उत्पादन नहीं हो रहा है
74	जयसवाल नेक्को	13.01.2006	जे	गारे पालमा IV/8	छत्तीसगढ़	पी	107.2	उत्पादन नहीं हो रहा है
75	अल्ट्राटेक लि.	13.01.2006	जे	मदनपुर (नार्थ)	छत्तीसगढ़	पी	241.61	उत्पादन नहीं हो रहा है
75	सिंहल इन्टरप्राइजेज	13.01.2006	जे	मदनपुर (नार्थ)	छत्तीसगढ़	पी	241.61	उत्पादन नहीं हो रहा है

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	नव भारत कोलफील्ड लि.	13.01.2006	जे	मदनपुर (नार्थ)	छत्तीसगढ़	पी	241.61	उत्पादन नहीं हो रहा है
75	वन्दना एनर्जी एंड स्टील प्रा.लि.	13.01.2006	जे	मदनपुर (नार्थ)	छत्तीसगढ़	पी	241.61	उत्पादन नहीं हो रहा है
75	प्रकाश इन्डस्ट्रीज लि.	13.01.2006	जे	मदनपुर (नार्थ)	छत्तीसगढ़	पी	241.61	उत्पादन नहीं हो रहा है
75	अन्जनी स्टील प्रा.लि.	13.01.2006	जे	मदनपुर (नार्थ)	छत्तीसगढ़	पी	241.61	उत्पादन नहीं हो रहा है
75	छत्तीसगढ़ केप्टिव कोल माइनिंग लि. (पांच कम्पनियों का कंसोर्टियम)	13.01.2006	जे	मदनपुर (नार्थ)	छत्तीसगढ़	पी	241.61	उत्पादन नहीं हो रहा है
75	सनफ्लैग आइरन स्टील लि.	13.01.2006	जे	मदनपुर (नार्थ)	छत्तीसगढ़	पी	241.61	उत्पादन नहीं हो रहा है
76	तेनुघाट विद्युत निगम लि.	13.01.2006	जे	गोंडुलपारा	झारखंड	जी	140	उत्पादन नहीं हो रहा है
76	तेनुघाट विद्युत निगम लि.	13.01.2006	जे	गोंडुलपारा	झारखंड	जी		उत्पादन नहीं हो रहा है
77	नीलाचल आयरन एण्ड पावर	13.01.2006	जे	डुमरी	झारखंड	जी	18	उत्पादन नहीं हो रहा है
77	बजरंग इस्पात प्रा.लि.	13.01.2006	जे	डुमरी	झारखंड	जी	18	उत्पादन नहीं हो रहा है
78	गुप्ता मेटलिक्स एण्ड पावर लि.	13.01.2006	जे	निरद मालेगांव	महाराष्ट्र	पी	19.5	उत्पादन नहीं हो रहा है
78	गुप्ता कोलफील्ड्स एण्ड पावर लि.	13.01.2006	जे	निरद मालेगांव	महाराष्ट्र	पी		उत्पादन नहीं हो रहा है
79	एनटीपीसी	25.01.2006	आई	तलाईपल्ली	झारखंड	जी	965	उत्पादन नहीं हो रहा है
80	एनटीपीसी	25.01.2006	आई	दुलंगा	उड़ीसा	जी	260	उत्पादन नहीं हो रहा है
81	झारखंड राज्य खनिज विकास निगम	30.01.2006	आई	सुगिया बन्द खान	झारखंड	जी	2	उत्पादन नहीं हो रहा है
82	झारखंड राज्य मिनरल विकास कारपोरेशन	30.01.2006	आई	राऊता बन्द खान	झारखंड	जी	1	उत्पादन नहीं हो रहा है

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	झारखण्ड राज्य मिनरल डेव. कारपोरेशन	30.10.2006	आई	बुरखप छोटा पैंच	झारखंड	जी	2.5	उत्पादन नहीं हो रहा है
84-85	जीएसईसीएल	06.02.2006	जे	महानदी मछाकाटा	ओडिशा	जी	480	उत्पादन नहीं हो रहा है
84-85	एमएसईबी	06.02.2006	जे	महानदी मछाकाटा	ओडिशा	जी	720	उत्पादन नहीं हो रहा है
86	टाटा स्पांज आयरन लि.	07.02.2006	जे	राधिकापुर (ईस्ट)	ओडिशा	पी	115	उत्पादन नहीं हो रहा है
86	इस्का इन्डस्ट्रीज लि.	07.02.2006	जे	राधिकापुर (ईस्ट)	ओडिशा	पी		उत्पादन नहीं हो रहा है
86	एसपीएस स्पांज आयरन लि.	07.02.2006	जे	राधिकापुर (ईस्ट)	ओडिशा	पी		उत्पादन नहीं हो रहा है
87	इस्सार पावर लि.	12.04.2006	जे	महान	मध्य प्रदेश	पी	144.2	उत्पादन नहीं हो रहा है
87	हिंडालको इंडस्ट्रीज	12.04.2006	जे	महान	मध्य प्रदेश	पी		उत्पादन नहीं हो रहा है
88	रूगंटा माइन्स लि.	25.04.2006	आई	बून्दु	झारखंड	पी	102.52	उत्पादन नहीं हो रहा है
89	रूगंटा माइन्स लि.	25.04.2006	जे	राधिकापुर (वेस्ट)	ओडिशा	पी	210	उत्पादन नहीं हो रहा है
89	ओसिएल इंडिया लि.	25.04.2006	जे	राधिकापुर (वेस्ट)	ओडिशा	पी		उत्पादन नहीं हो रहा है
89	ओसियन इस्पात लि.	25.04.2006	जे	राधिकापुर (वेस्ट)	ओडिशा	पी		उत्पादन नहीं हो रहा है
90	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड (सीएसईबी), रायपुर	02.08.2006	आई	परसा	छत्तीसगढ़	जी	150	उत्पादन नहीं हो रहा है
91	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लि. (सीएमडीसीएल)	02.08.2006	आई	गारे-पालमा, सेक्टर-I	छत्तीसगढ़	जी	900	उत्पादन नहीं हो रहा है
92	महाराष्ट्र राज्य खनन निगम	02.08.2006	जे	गारे-पलामा, सेक्टर-II	छत्तीसगढ़	जी	768	उत्पादन नहीं हो रहा है
92	तमिलनाडु राज्य विद्युत बोर्ड, चेन्नई	02.08.2006	जे	गारे-पलामा, सेक्टर-III	छत्तीसगढ़	जी	768	उत्पादन नहीं हो रहा है

1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	मैसर्स मध्य प्रदेश राज्य माइनिंग निगम लि. (एमपीएसएमसीएल)	02.08.2006	आई	मोरगा-I	छत्तीसगढ़	जी	250	उत्पादन नहीं हो रहा है
94	जीएमडीसी	02.08.2006	आई	मोरगा-III	छत्तीसगढ़	जी	350	उत्पादन नहीं हो रहा है
95	एमएमटीसी	02.08.2006	आई	गोमिया	झारखंड	जी	355	उत्पादन नहीं हो रहा है
96	झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लि.	02.08.2006	आई	पिनदरा-देबीपुर-खोवटांड	झारखंड	जी	110	उत्पादन नहीं हो रहा है
97	बिहार राज्य खनिज विकास निगम (बीआरकेवीएन)	02.08.2006	आई	सारिया कोईयाटांड	झारखंड	जी	202	उत्पादन नहीं हो रहा है
98	तेनूघाट विद्युत निगम लि. (टीवीएनएल)	02.08.2006	आई	राजबर ई एण्ड डी	झारखंड	जी	385	उत्पादन नहीं हो रहा है
99	झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड (जेएसईबी)	02.08.2006	आई	लातेहार	झारखंड	जी	220	उत्पादन नहीं हो रहा है
100	मध्य प्रदेश राज्य विद्युत खनिज लि.	02.08.2006	आई	डोंगरी जल-2	मध्य प्रदेश	जी	175	उत्पादन नहीं हो रहा है
101	महाराष्ट्र राज्य खनन निगम	02.08.2006	आई	मरकी-जरी-जमानी अदकोली	महाराष्ट्र	जी	11	उत्पादन नहीं हो रहा है
102	राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र, दिल्ली	02.08.2006	जे	मारा II महान	मध्य प्रदेश	जी	477.50	उत्पादन नहीं हो रहा है
102	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लि. (एचपीजीसीएल)	02.08.2006	जे	मारा II महान		जी	477.50	उत्पादन नहीं हो रहा है
103	ओडिशा खान निगम (ओएमसी), भुवनेश्वर	02.08.2006	जे	नवगांव तेलीशाही	ओडिशा	जी	733	उत्पादन नहीं हो रहा है
103	आंध्र प्रदेश खनिज विकास (एपीएमडीसी) हैदराबाद	02.08.2006	जे	नवगांव तेलीशाही	ओडिशा	जी		उत्पादन नहीं हो रहा है
104	पश्चिम बंगाल खनिज विकास एवं ट्रेडिंग निगम	02.08.2006	आई	इच्छापुर	पश्चिम बंगाल	जी	335	उत्पादन नहीं हो रहा है
105	पश्चिम बंगाल खनिज विकास एवं ट्रेडिंग निगम	02.08.2006	आई	कुलटी	पश्चिम बंगाल	जी	210	उत्पादन नहीं हो रहा है
106	विद्युत वित्त निगम ओडिशा यूएमपीपी	13.09.2006	आई	मीनाक्षी	ओडिशा	पी	285.24	उत्पादन नहीं हो रहा है
107	विद्युत वित्त निगम ओडिशा यूएमपीपी	13.09.2006	आई	मीनाक्षी बी	ओडिशा	पी	250	उत्पादन नहीं हो रहा है

1	2	3	4	5	6	7	8	9
108	विद्युत वित्त निगम ओडिशा यूएमपीपी	13.09.2006	आई	मीनाक्षी की डीप साइड	ओडिशा	पी	350	उत्पादन नहीं हो रहा है
109	विद्युत वित्त निगम ओडिशा यूएमपीपी	13.09.2006	आई	मोहेर	मध्य प्रदेश	पी	402	उत्पादन नहीं हो रहा है
110	विद्युत वित्त निगम ओडिशा यूएमपीपी	13.09.2006	आई	मोहेर-अमलोहरी विस्तार	मध्य प्रदेश	पी	198	उत्पादन नहीं हो रहा है
111	विद्युत वित्त निगम ओडिशा यूएमपीपी	26.10.2006	आई	छत्रसाल	मध्य प्रदेश	पी	150	उत्पादन नहीं हो रहा है
112	चमन मैटलिक्स लि.	20.02.2007	आई	कोसर डोंगर डोंगरगांव	महाराष्ट्र	पी	22.51	उत्पादन नहीं हो रहा है
113	बंकुरा डीआरआई माइनिंग मैनुफ्रेक्चरिंग कं.प्र.लि.	20.02.2007	आई	बिहारीनाथ	पश्चिम बंगाल	पी	95.16	उत्पादन नहीं हो रहा है
114	एस्सार पावर लि.	20.02.2007	आई	सकला	झारखंड	पी	83.05	उत्पादन नहीं हो रहा है
115	जिंदल स्टील एंड पावर लि.	20.02.2007	आई	जीतपुर	झारखंड	पी	81.09	उत्पादन नहीं हो रहा है
116	स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि.	11.04.2007	आई	सीतनाला	झारखंड	जी	108.8	उत्पादन नहीं हो रहा है
117	प्रिज्म सीमेंट लि.	29.05.2007	आई	सिआलघोघरी	मध्य प्रदेश	पी	30.38	उत्पादन नहीं हो रहा है
118	एसकेएस इस्पात लि.	29.05.2007	आई	रावनवारा नार्थ	मध्य प्रदेश	पी	174.07	उत्पादन नहीं हो रहा है
119-120	यूपीआरवीयूएनएल	25.07.2007	जे	चेंदीपारा चेंदीपारा-II	ओडिशा	जी	794.5	उत्पादन नहीं हो रहा है
119-120	महाजेनको	25.07.2007	जे	चेंदीपारा चेंदीपारा-II	ओडिशा	जी	500	उत्पादन नहीं हो रहा है
119-120	सीएमडीसी	25.07.2007	जे	चेंदीपारा चेंदीपारा-II	ओडिशा	जी	294.5	उत्पादन नहीं हो रहा है
121	केरल राज्य विद्युत बोर्ड	25.07.2007	जे	बैतरणी वेस्ट	ओडिशा	जी	200.66	उत्पादन नहीं हो रहा है
121	ओडिशा हाइड्रो पावर जेनरेशन	25.07.2007	जे	बैतरणी वेस्ट	ओडिशा	जी	200.66	उत्पादन नहीं हो रहा है

1	2	3	4	5	6	7	8	9
121	गुजरात पावर जनरेशन	25.07.2007	जे	बैतरणी वेस्ट	ओडिशा	जी	200.66	उत्पादन नहीं हो रहा है
122	असम खनिज विकास निगम	25.07.2007	जे	मंदाकिनी	ओडिशा	जी	300	उत्पादन नहीं हो रहा है
122	मेघालय खनिज विकास निगम	25.07.2007	जे	मंदाकिनी बी	ओडिशा	जी	300	उत्पादन नहीं हो रहा है
122	तमिलनाडु विद्युत बोर्ड, चेन्नई	25.07.2007	जे	मंदाकिनी बी	ओडिशा	जी	300	उत्पादन नहीं हो रहा है
122	ओडिशा खनन निगम	25.07.2007	जे	मंदाकिनी बी	ओडिशा	जी	300	उत्पादन नहीं हो रहा है
123	ओडिशा पावर जनरेशन	25.07.2007	आई	मनोहरपुर	ओडिशा	जी	181.68	उत्पादन नहीं हो रहा है
124	ओडिशा पावर जनरेशन	25.07.2007	आई	डीप साइड मनोहरपुर	ओडिशा	जी	350	उत्पादन नहीं हो रहा है
125	जीएमडीसी	25.07.2007	जे	नैनी	ओडिशा	जी	500	उत्पादन नहीं हो रहा है
125	पीआईपीडीआईसीएल	25.07.2007	जे	नैनी	ओडिशा	जी		उत्पादन नहीं हो रहा है
126	जेएसईबी	25.07.2007	जे	ऊरमा पहाडीटोरा	झारखंड	जी	437	उत्पादन नहीं हो रहा है
126	बीएसएमडीसीएल	25.07.2007	जे	ऊरमा पहाडीटोरा	झारखंड	जी	263	उत्पादन नहीं हो रहा है
127	झारखंड राज्य खनज विकास निगम	25.07.2007	आई	पतरातू	झारखंड	जी	450	उत्पादन नहीं हो रहा है
128	झारखंड राज्य खनिज विकास निगम	25.07.2007	आई	राबोडीह ओसीपी	झारखंड	जी	133	उत्पादन नहीं हो रहा है
129	पश्चिम बंगाल मिनरल डेव ट्रेडिंग कार्पो.	25.07.2007	आई	जगन्नाथपुर ए	पश्चिम बंगाल	जी	273	उत्पादन नहीं हो रहा है
130	पश्चिम बंगाल मिनरल डेव. ट्रेडिंग कार्पो.	25.07.2007	आई	जगन्नाथपुर बी	पश्चिम बंगाल	जी	176	उत्पादन नहीं हो रहा है
131	एपीएमडीसी	25.07.2007	आई	सुलियारी	मध्य प्रदेश	जी	75	उत्पादन नहीं हो रहा है

1	2	3	4	5	6	7	8	9
132	मध्य प्रदेश राज्य खनन (निगम (एमपीएसएमसी)	25.07.2007	आई	मरकी बरका	मध्य प्रदेश	जी	80	उत्पादन नहीं हो रहा है
133	छत्तीसगढ़ खनिज विकास (सीएमडीसीएल)	25.07.2007	आई	शंकरपुर बीएचटी 2	छत्तीसगढ़	जी	80.13	उत्पादन नहीं हो रहा है
134	मध्य प्रदेश एसएमसीएल	25.07.2007	आई	मोरगा 3	छत्तीसगढ़	जी	35	उत्पादन नहीं हो रहा है
135	मध्य प्रदेश एसएमसीएल	25.07.2007	आई	मोरगा 4	छत्तीसगढ़	जी	35	उत्पादन नहीं हो रहा है
136	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लि. (सीएमडीसीएल)	25.07.2007	आई	सोन्धिया	छत्तीसगढ़	जी	70	उत्पादन नहीं हो रहा है
137	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम (एमपीएसएमसी)	25.07.2007	आई	सेमरिया/पीपरिया	मध्य प्रदेश	जी	38.62	उत्पादन नहीं हो रहा है
138	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	25.07.2007	आई	शाहपुर ईस्ट	मध्य प्रदेश	जी	42	उत्पादन नहीं हो रहा है
139	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	25.07.2007	आई	शहपुर वेस्ट	मध्य प्रदेश	जी	42	उत्पादन नहीं हो रहा है
140	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम (एमपीएसएमसी)	25.07.2007	आई	बिचारपुर	मध्य प्रदेश	जी	36	उत्पादन नहीं हो रहा है
141	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम	25.07.2007	आई	मांडला साउथ	मध्य प्रदेश	जी	72	उत्पादन नहीं हो रहा है
142	एमएसएमसीएल	25.06.2007	आई	वरोरा	महाराष्ट्र	जी	73	उत्पादन नहीं हो रहा है
143	एमएसएमसीएल	25.06.2007	आई	परसा ईस्ट	छत्तीसगढ़	जी	180	उत्पादन नहीं हो रहा है
144	आरआरवीयूएनएल	25.06.2007	आई	कांताबासन	छत्तीसगढ़	जी	180	उत्पादन नहीं हो रहा है
145	पुष्प इस्पात एवं माइनिंग लि.	16.07.2007	आई	ब्रह्मपुरी	छत्तीसगढ़	पी	55.05	उत्पादन नहीं हो रहा है
146	विद्युत वित्त निगम तलइया यूएमपीपी झारखंड	20.07.2007	आई	केरनदारी बीसी	झारखंड	पी	972	उत्पादन नहीं हो रहा है
147	हिंडालको	01.08.2007	जे	तुबेड	झारखंड	पी	189	उत्पादन नहीं हो रहा है

1	2	3	4	5	6	7	8	9
147	टाटा पावर लि.	01.08.2007	जे	तुबेड	झारखंड	पी		उत्पादन नहीं हो रहा है
148	जयप्रकाश एसोसिएट लि.	17.09.2007	आई	मांडला नार्थ	मध्य प्रदेश	पी		उत्पादन नहीं हो रहा है
149	इस्सार पावर लि.	06.11.2007	आई	अशोक करकत्ता सेंन्ट्रल	झारखंड	पी	110	उत्पादन नहीं हो रहा है
150	भूषण विद्युत एवं इस्पात लि.	06.11.2007	आई	पत्तल ईस्ट	झारखंड	पी	200	उत्पादन नहीं हो रहा है
151	एईएस छत्तीसगढ़ एनर्जी प्रा.लि.	06.11.2007	आई	सयांग	छत्तीसगढ़	पी	150	उत्पादन नहीं हो रहा है
152	डीबी विद्युत लि.	06.11.2007	आई	दर्गापुर 2/सारया	छत्तीसगढ़	पी	91.67	उत्पादन नहीं हो रहा है
153	बाल्को	06.11.2007	आई	दर्गापुर 2/ताराईमर	छत्सीगढ़	पी	211.37	उत्पादन नहीं हो रहा है
154	अदनी विद्युत लि.	06.11.2007	आई	लोहारा वेस्ट विस्तार	महाराष्ट्र	पी	169.832	उत्पादन नहीं हो रहा है
155	सोवा इस्पात लि.	06.11.2007	जे	अर्धग्राम	पश्चिम बंगाल	पी	121	उत्पादन नहीं हो रहा है
155	जयबालाजी स्पंज लि.	06.11.2007	जे	अर्धग्राम	पश्चिम बंगाल	पी	122	उत्पादन नहीं हो रहा है
156	पश्चिम बंगाल खनिज विकास ट्रेडिंग निगम	27.12.2007	आई	सीतारामपुर	पश्चिम बंगाल	जी	210	उत्पादन नहीं हो रहा है
157	मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लि.	09.01.2008	जे	मंदाकिनी	ओडिशा	पी	96.84	उत्पादन नहीं हो रहा है
157	जिंदल फोटो लि.	09.01.2008	जे	मंदाकिनी	ओडिशा	पी	96.84	उत्पादन नहीं हो रहा है
157	टाटा पावर कंपनी लि.	09.01.2008	जे	मंदाकिनी	ओडिशा	पी	96.84	उत्पादन नहीं हो रहा है
158	आर्सेलर मित्तल इंडिया लि.	09.01.2008	जे	सेरेगढ़	झारखंड	पी	83.33	उत्पादन नहीं हो रहा है
158	जीवीके पावर (गोंविदवाल साहिब) लि.	09.01.2008	सेरेगढ़		झारखंड	पी	66.67	उत्पादन नहीं हो रहा है

1	2	3	4	5	6	7	8	9
159	सीईएससी लि.	09.01.2008	जे	माहुआगढ़ी	झारखंड	पी	110	उत्पादन नहीं हो रहा है
159	जैश इन्फ्राष्ट्रक्चर कैपिटल प्रा.लि.	09.01.2008	जे	माहुआगढ़ी	झारखंड	पी		उत्पादन नहीं हो रहा है
160	जिंदल इस्पात एवं विद्युत लि.	17.01.2008	जे	अमरकोण्डा मुर्गादंगल	झारखंड	पी	205	उत्पादन नहीं हो रहा है
160	गगन स्पंज आयरन प्रा.लि.	17.01.2008	जे	अमरकोण्डा मुर्गादंगल	झारखंड	पी		उत्पादन नहीं हो रहा है
161-162	स्टरलाइट एनर्जी लि. (आईपीपी)	17.01.2008	जे	रामपिया और रामपिया की डीप साइड	ओडिशा	पी	112.22	उत्पादन नहीं हो रहा है
161-162	जीएमआर एनर्जी (आईपीपी)	17.01.2008	जे	रामपिया और रामपिया की डीप साइड	ओडिशा	पी		उत्पादन नहीं हो रहा है
161 162	आर्सेलर मित्तल इंडिया लि.	17.01.2008	जे	रामपिया और रामपिया की डीप साइड	ओडिशा	पी	112.22	उत्पादन नहीं हो रहा है
161-162	लेन्को ग्रुप लि. (आईपीपी)	17.01.2008	जे	रामपिया और रामपिया की डीप साइड	ओडिशा	पी		उत्पादन नहीं हो रहा है
161-162	स्नवभारत विद्युत प्रा.लि.	17.01.2008	जे	रामपिया और रामपिया की डीप साइड	ओडिशा	पी		उत्पादन नही रहा है
161-162	रिलायंस एनर्जी लि. (आईपीपी)	17.01.2008	जे	रामपिया और रामपिया की डीप साइड	ओडिशा	पी		उत्पादन नहीं हो रहा है
163	जेएलडी यवतमाल एनर्ती लि.	23.01.2008	जे	फतेहपुर ईस्ट	छत्तीसगढ़	पी	99.12	उत्पादन नहीं हो रहा है
163	आ.के.एम. पावरजेन प्रा.लि.	23.01.2008	जे	फतेहपुर ईस्ट	छत्तीसगढ़	पी	99.12	उत्पादन नहीं हो रहा है
163	ग्रीन इफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.	23.01.2008	जे	फतेहपुर ईस्ट	छत्तीसगढ़	पी	99.12	उत्पादन नहीं हो रहा है

1	2	3	4	5	6	7	8	9
163	वंदान विद्युत लि.	23.01.2008	जे	फतेहपुर ईस्ट	छत्तीसगढ़	पी	99.12	उत्पादन नहीं हो रहा है
163	एसकेएस इस्पात एवं विद्युत लि.	23.01.2008	जे	फतेहपुर ईस्ट	छत्तीसगढ़	पी	53.52	उत्पादन नहीं हो रहा है
164	प्रकाश इंडस्ट्रीज लि.	06.02.2008	जे	फतेहपुर	छत्तीसगढ़	पी	73.85	उत्पादन नहीं हो रहा है
164	ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.	06.02.2008	जे	फतेहपुर	छत्तीसगढ़	पी	46.15	उत्पादन नहीं हो रहा है
165	झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेन लि. (जेएसएमडीसी)	11.04.2008	आई	ओगश्वर एवं खास जोगेश्वर	झारखंड	जी	84.03	उत्पादन नहीं हो रहा है
166	रूंगटा माइन्स लि.	14.05.2008	जे	चोरीटांड तालिया	झारखंड	पी	18.7	उत्पादन नहीं हो रहा है
166	सनफ्लेग आयरन स्टील लि.	14.05.2008	जे	चोरीटांड तालिया	झारखंड	पी	8.72	उत्पादन नहीं हो रहा है
167	मै. जेएसडब्लयू स्टील लि.	05.06.2008	जे	रोहने	झारखंड	पी	172.53	उत्पादन नहीं हो रहा है
167	मै. भूषण पावर एंड स्टील लि.	05.06.2008	जे	रोहने	झारखंड	पी	60.23	उत्पादन नहीं हो रहा है
167	मै. जय बालाजी इंडस्ट्रीज लि.	05.06.2008	जे	रोहने	झारखंड	पी	17.23	उत्पादन नहीं हो रहा है
168	महाजेनको (मै. औरंगाबाद कंपनी लि. एसपीवी	17.07.2008	आई	भावीकुण्ड	महाराष्ट्र	जी	100	उत्पादन नहीं हो रहा है
169	मै. राछी उद्योग लि.	05.08.2008	आई	केसला नार्थ	छत्तीसगढ़	पी	36.15	उत्पादन नहीं हो रहा है
170	बिहार स्पंज आयरन लि.	05.08.2008	आई	मचरकोण्डा	झारखंड	पी	23.86	उत्पादन नहीं हो रहा है
171	मिडईस्ट इंटीग्रेटिड स्टील्स लि.	05.08.2008	आई	टांडसी-3 एवं टांडसी-3 (विस्त)	मध्य प्रदेश	पी	17.39	उत्पादन नहीं हो रहा है
172	बिरड़ा कारपोरेशन लि.	12.08.2008	आई	बिक्रम	मध्य प्रदेश	पी	20.98	उत्पादन नहीं हो रहा है
173	गोवा इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पो. सेक्टर 3	12.11.2008	आई	गारे पालमा	छत्तीसगढ़	जी	210.2	उत्पादन नहीं रहा है

1	2	3	4	5	6	7	8	9
174	मुकुन्द लि.	20.11.2008	जे	राजहरा नार्थ (सेन्ट्रल और ईस्टर्न)	झारखंड	पी	10.05	उत्पादन नहीं हो रहा है
174	विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लि.	20.11.2008	जे	राजहरा नार्थ (सेन्ट्रल और ईस्टर्न)	झारखंड	पी	7.04	उत्पादन नहीं हो रहा है
175	महाराष्ट्र सीमलेस लि.	21.11.2008	जे	गोंदखारी	महाराष्ट्र	पी	29.91	उत्पादन नहीं हो रहा है
175	धारीवाल इफ्रस्ट्रक्चर (प्रा.) लि.	21.11.2008	जे	गोंदखारी	महाराष्ट्र	पी	23.93	उत्पादन नहीं हो रहा है
175	केसोराम इंडस्ट्रीज लि.	21.11.2008	जे	गोंदखारी	महाराष्ट्र	पी	44.87	उत्पादन नहीं हो रहा है
176	कमल स्पंज स्टील एंड पावर लि.	21.11.2008	जे	तेसगोरा-बी/ रूद्रापुरी	मध्य प्रदेश	पी	30.67	उत्पादन हो रहा है
176	रिवाती सीमेंट प्रा.लि.	21.11.2008	जे	तेसगोरा-बी/ रूद्रापुरी	मध्य प्रदेश	पी	14.37	उत्पादन हो रहा है
177	इंलोक्ट्रोथीम (इंडिया) लि.	21.11.2008	जे	भास्करपारा	छत्तीसगढ़	पी	24.69	उत्पादन नहीं हो रहा है
177	ग्रासीन इंडस्ट्रीज लि.	21.11.2008	जे	भास्करपारा	छत्तीसगढ़	पी	22.22	उत्पादन नहीं हो रहा है
178	जिंदल स्टील एंड विद्युत लि.	27.02.2009	आई	रामचंडी प्रो. ब्लाक	ओडिशा	पी	1500	उत्पादन नहीं हो रहा है
179	स्टेटजिक इनर्जी टेक्नो. सिस्टम लि. (एसईटीएसएल)	27.02.2009	आई	नाथ आफ अरखापाल श्री रामपुर	ओडिशा	पी	1500	उत्पादन नहीं हो रहा है
180	रूंगटा माइन लि.	28.05.2009	जे	मेदनी राय	झारखंड	पी	80.83	उत्पादन नहीं हो रहा है
180	कोहिनोर स्टील (प्रा.) लि.	28.05.2009	जे	मेदनी राय	झारखंड	पी	80.83	उत्पादन नहीं हो रहा है
181	टाटा स्टील लि.	28.05.2009	जे	गणेशपुर	झारखंड	पी	137.88	उत्पादन नहीं हो रहा है
181	आधुनिक थर्मल इनर्जी लि.	28.05.2009	जे	गणेशपुर	झारखंड	पी		उत्पादन नहीं हो रहा है

1	2	3	4	5	6	7	8	9
182	एएमआर आयरन एंड स्टील प्रा.लि.	29.05.2009	जे	बंदरे	महाराष्ट्र	पी	31.53	उत्पादन नहीं हो रहा है
182	सेंट्रल टैक्सटाईल एंड इन्डस्ट्रीज लि.	29.05.2009	जे	बंदरे	महाराष्ट्र	पी	47.29	उत्पादन नहीं हो रहा है
182	जे.के. सीमेंट लि.	29.05.2009	जे	बंदरे	महाराष्ट्र	पी	47.29	उत्पादन नहीं हो रहा है
183	सनफ्लैग आयरन स्टील लि.	29.05.2009	जे	खप्पा एवं विस्तार	महाराष्ट्र	पी	53.6	उत्पादन नहीं हो रहा है
183	दालमिया सीमेंट (भारत) लि.	29.05.2009	जे	खप्पा एवं विस्तार	महाराष्ट्र	पी	31.12	उत्पादन नहीं हो रहा है
184	मोनेट इस्पात और इनर्जी लि.	03.06.2009	जे	रामगर डीप साईड (साउथ आफ पुलकडीह नाला)	छत्तीसगढ़	पी	49.93	उत्पादन नहीं हो रहा है
184	टोपवार्थ स्टील प्रा.लि.	03.06.2009	जे	रामगर डीप साईड (साउथ आफ पुलकडीह नाला)	छत्तीसगढ़	पी	11.77	उत्पादन नहीं हो रहा है
185	आईएसटी स्टील एंड विद्युत लि.	17.06.2009	जे	दहेगाव/ मकरधुकरा 4	महाराष्ट्र	पी	70.74	उत्पादन नहीं हो रहा है
185	गुजरात अंबुजा सीमेंट लि.	17.06.2009	जे	दहेगाव/ मकरधुकरा 4	महाराष्ट्र	पी	36	उत्पादन नहीं हो रहा है
185	लफार्ज इडिया लि.	17.06.2009	जे	दहेगाव/ मकरधुकरा 4	महाराष्ट्र	पी	25.26	उत्पादन नहीं हो रहा है
186	करनपुरा इनर्जी लि.	26.06.2009	आई	मोर्या	झारखंड	जी	225.35	उत्पादन नहीं हो रहा है
187	भूषण स्टील लि.	03.07.2009	जे	अन्दल ईस्ट	प. बंगाल	पी	237.23	उत्पादन नहीं हो रहा है
187	जय बालाजी इंडस्ट्रीज लि.	03.07.2009	जे	अन्दल ईस्ट	प. बंगाल	पी	229.5	उत्पादन नहीं हो रहा है
187	रशामी सीमेंट लि.	03.07.2009	जे	अन्दल ईस्ट	प. बंगाल	पी	233.27	उत्पादन नहीं हो रहा है

1	2	3	4	5	6	7	8	9
188	हिमाचल ईएमटीए विद्युत लि.	10.07.2009	जे	गोरंगडीह एबीसी	प. बंगाल	पी	68.85	उत्पादन नहीं हो रहा है
188	जेएसडब्लयू स्टील लि.	10.07.2009	जे	गोरंगडीह एबीसी	प. बंगाल	पी	68.85	उत्पादन नहीं हो रहा है
189	अकलतारा पावर लि (एसपीवी आफ छत्तीसगढ़ यूएमपीपी)	09.09.2009	आई	पुटाबारोगिया	छत्तीसगढ़	पी	692.16	उत्पादन नहीं हो रहा है
190	अकलतारा पावर लि (एसपीवी आफ छत्तीसगढ़ यूएमपीपी)	09.09.2009	आई	पुटाबारोगिया	छत्तीसगढ़	पी	421.51	उत्पादन नहीं हो रहा है
191	रामस्वरूप लोह उद्योग लि.	06.10.2009	जे	मोइरा मधुकोरा	प. बंगाल	पी	685.39	उत्पादन नहीं हो रहा है
191	आधुनिक कार्पो.लि.	06.10.2009	जे	मोइरा मधुकोरा	प. बंगाल	पी	685.39	उत्पादन नहीं हो रहा है
191	हावरा प्रेस लि.	06.10.2009	जे	मोइरा मधुकोरा	प. बंगाल	पी	685.39	उत्पादन नहीं हो रहा है
191	उत्तम गलवा स्टील लि.	06.10.2009	जे	मोइरा मधुकोरा	प. बंगाल	पी	685.39	उत्पादन नहीं हो रहा है
191	विकास मितल एंड पावर लि.	06.10.2009	जे	मोइरा मधुकोरा	प. बंगाल	पी	685.39	उत्पादन नहीं हो रहा है
191	एसीसी लि.	06.10.2009	जे	मोइरा मधुकोरा	प. बंगाल	पी	685.39	उत्पादन नहीं हो रहा है
192	जिन्दल स्टील एण्ड पावर लि.	12.10.2009	जे	उर्थान नार्थ	मध्य प्रदेश	पी	46.55	उत्पादन नहीं हो रहा है
192	मोनेट इस्पात एवं एनर्जी लि.	12.10.2009	जे	उर्थान नार्थ	मध्य प्रदेश	पी	23.27	उत्पादन नहीं हा रहा है
193	साखी गोपाल इंटी. पावर क.लि. (एसपीवी आफ फस्ट ओडिशनल ओडिशा यूएमपीपी)	21.06.2010	आई	बनखोई	ओडिशा	पी	800	उत्पादन नहीं हो रहा है
194	एपीआई इस्पात एंड पावरटेच प्रा.लि.	14.10.2011	जे	राजमगर डीपसाईड (देवनारा)	छत्तीसगढ़	पी	20.34	उत्पादन नहीं हो रहा है

1	2	3	4	5	6	7	8	9
194	सीजी स्पांज मोनो. कन्सो. कोलफील्ड प्रा.लि.	14.10.2011	जे	राजमगर डीपसाईड	छत्तीसगढ़	पी	58.12	उत्पादन नहीं हो रहा है
195	कोल इंडिया लि.	01.11.2011	जे	विजय सेंट्रल	छत्तीसगढ़	जी	40.67	उत्पादन नहीं हो रहा है
195	एसकेएस इस्पात एंड पावर लि.	01.11.2011	जे	विजय सेंट्रल	छत्तीसगढ़	पी	16.08	उत्पादन नहीं हो रहा है

विवरण II

आवंटित कोयला ब्लाकों का ब्यौरा

क्र.सं.	कंपनी का नाम	आवंटित ब्लाक	आवंटन की तारीख	अन्त्य उपयोग	आवंटन की तारीख	राज्य
1	2	3	4	5	6	7
1.	कालिंगा पावर कार्पोरेशन लि.	उत्कल-ए	10.08.93	विद्युत	02.07.2003	ओडिशा
2.	तलचर माइनिंग प्रा.लि.	उत्कल-बी 1	02.02.96	विद्युत	01.08.2003	ओडिशा
3.	लोएड्स मेटल एंड इंजीनियर्स लि.	तकली-जेना (नार्थ)	29.05.98	स्पंज आयरन	23.06.2003	महाराष्ट्र
4.	गरुड़ क्लेस लि.	वेस्ट आफ उमरिया	24.05.04	सीमेंट	सितंबर 06	महाराष्ट्र
5.	श्री राधे इंडस्ट्रीज लि.	पंचबहनी	06.09.05	स्पंज आयरन	सितंबर, 60	मध्य प्रदेश
6.	गुजरात खनिज विकास निगम	जयनगर	02.08.2006	विद्युत	2008	मध्य प्रदेश
7.	दामोदर घाटी निगम	कास्ता (ईस्ट)	03.03.2005	विद्युत	मई, 2009	झारखंड
8.	बिनानी सीमेंट लि.	दतिमा	05.09.2008	सिमेंट	27.04.2010	मध्य प्रदेश
9	मुर्ली इण्डस्ट्रीज लि. और ग्रेस इण्डस्ट्रीज	लौहारा (ईस्ट)	27.06.2008	स्टील	17.05.2010	महाराष्ट्र
10.	महाराष्ट्र स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि.	अगरजारी	25.07.2007	वाणिज्यिक	28.06.2010	महाराष्ट्र
11.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.	महल	09.12.2005	स्टील	07.03.2011	झारखंड
12.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.	तेनुघाट-डिरकी	10.09.2008	स्टील	07.03.2011	झारखंड
13.	भाटिया इंटरनेशल लि.	वरौरा वेस्ट (नार्थ)	20.02.2007	स्पंज आयरन	30.05.2011	महाराष्ट्र

1	2	3	4	5	6	7
14.	आंध्र प्रदेश पावर जन.कार्पो.लि.	अनेस्तीपल्ली	20.02.2007	विद्युत	30.05.2011	आंध्र प्रदेश
15.	आंध्र प्रदेश पावर जन.कार्पो.लि.	पुनकुल्ला-चिलका	20.02.2007	विद्युत	30.05.2011	आंध्र प्रदेश
16.	आंध्र प्रदेश पावर जन.कार्पो.लि.	पेनगडप्पा	29.05.2007	विद्युत	30.05.2011	आंध्र प्रदेश
17.	श्री विद्ययनार्थ आयुवेद भवन प्रा.लि.	भंडक (वेस्ट)	27.11.2003	विद्युत	31.05.2011	झारखंड
18.	नेशनल थर्मल पावर लि.	चट्टी बरीयातू	25.01.2006	विद्युत	14.06.2011	झारखंड
19.	नेशनल थर्मल पावर लि.	केनदारी	25.01.2006	विद्युत	14.06.2011	झारखंड
20.	नेशनल थर्मल पावर लि.	चट्टी बरीयातू	25.01.2006	विद्युत	14.06.2011	झारखंड
21.	नेशनल थर्मल पावर लि.	ब्रह्मणी	25.01.2006	विद्युत	14.06.2011	झारखंड
22.	नेशनल थर्मल पावर लि.	चिचरो पतसीमल	25.01.2006	विद्युत	14.06.2011	झारखंड
23.	झारखंड स्टेट इले. बोर्ड	वनहरडीह	02.08.2006	विद्युत	14.06.2011	झारखंड
24.	दामोदर वेल्ली कार्पो.	सहरनपुर जमरपानी	25.07.2007	विद्युत	14.06.2011	झारखंड
25.	वेस्ट बंगाल पावर डेवल. कार्पो.	ईस्ट आफ दमगोरिया (कल्याणीस्वरी)	27.02.2009	विद्युत	21.10.2011	प. बंगाल

आवंटित लिग्नाइट ब्लाकों का ब्यौरा

क्र.सं.	कंपनी का नाम	आबंटन की तिथि	आबटित ब्लाक के नाम	राज्य	भूगर्भीय भंडार (मि.ट. में)	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1	आरएसएमएमएल	एनए	ग्रिल	राजस्थान	101.9	उत्पादन हो रहा है
2	आरएसएमएमएल	06.09.2004	सोनारी	-वही-	43.59	उत्पादन नहीं हो रहा है
3	आरएसएमएमएल	13.11.2006	कापूरधी	-वही-	150.40	उत्पादन हो रहा है
4	आरएसएमएमएल	13.11.2006	जलीपा	-वही-	467.95	उत्पादन नहीं हो रहा है
5	आरएसएमएमएल	13.11.2006	सच्चासौदा	-वही-	28.70	उत्पादन नहीं हो रहा है
6	आरएसएमएमएल	13.11.2006	शिवकर-कुर्ला	-वही-	104.00	उत्पादन नहीं हो रहा है
7	आरएसएमएमएल	एनए	मातासुख	-वही-	10.10	उत्पादन हो रहा है
8	आरएसएमएमएल	एनए	कसनऊलगिया	-वही-	60.90	उत्पादन नहीं हो रहा है

1	2	3	4	5	6	7
9.	आरएसएमएमएल	01.07.2005	गुरहाबेस्ट	-वही-	41.65	उत्पादन नहीं हो रहा है
10	आरएसएमएमएल	01.07.2005	मुखाला	-वही-	29.00	उत्पादन नहीं हो रहा है
11	मरूधर पावर प्रा.लि.	01.07.2005	गुरहाईस्ट	-वही-	38.11	उत्पादन हो रहा है
12	मरूधर पावर प्रा.लि.	01.07.2005	लूनसारा	-वही-	07.17	उत्पादन नहीं हो रहा है
13	इनडूरे प्रा.लि.		मंडल चरण	-वही-	17.77	उत्पादन नहीं हो रहा है
14	एनएसएल पावर एंड	23.6.2006	मंडल चरण	-वही-	83.25	उत्पादन नहीं हो रहा है
15	नंदालाल इंटरप्राईजे लि.	(31वीं	मेरता रोड	-वही-	12.00	उत्पादन नहीं हो रहा है
16	डीसीएम श्री राम लि.	जांच समिति	कपरियोंकिधानी	-वही-	17.00	उत्पादन नहीं हो रहा है
17	बिनानी सीमेंट लि.	के माध्यम से)	निंबररीचंदाबदन	-वही-	9.00	उत्पादन नहीं हो रहा है
18	जीएमडीसी	एनए	पननध्रो	गुजरात	90.00	उत्पादन हो रहा है
19	जीएमडीसी	एनए	राजपरदी	-वही-	20.00	उत्पादन नहीं हो रहा है
20	जीएमडीसी	11.03.2011	राजपरदी जी-19 विस्तार	-वही-	19.00	उत्पादन हो रहा है
21	जीएमडीसी	30.03.2003	मतानमोढ़	-वही-	340.00	उत्पादन हो रहा है
22	जीएमडीसी	11.03.2001	ताड़केश्वर	-वही-	30.00	उत्पादन हो रहा है
23	जीएमडीसी	एनए	अकरीमोटा	-वही-	98.78	उत्पादन नहीं हो रहा है
24	जीपीसीएल	06.09.2005	खरसलिया-2	-वही-	एनए	उत्पादन नहीं हो रहा है
25	जीपीसीएल	06.09.2005	सुरका-3	-वही-	एनए	उत्पादन हो रहा है
26	जीपीसीएल	27.7.2000	खरसलिया-1 (अल्लापुर)	-वही-	20.00	उत्पादन हो रहा है
27	जीपीसीएल	15.12.1995	वास्तन	-वही-	40.00	उत्पादन हो रहा है
28	जीपीसीएल	09.03.2000	मंगरोल-वालिया	-वही-	200.00	उत्पादन हो रहा है

आवंटन रद्द किए गए लिग्नाइट ब्लॉकों की सूची

क्र.सं.	आवंटी का नाम	लिग्नाइट ब्लाक का नाम	आवंटन रद्द किए जाने की तारीख	राज्य
1.	टिकापको	साउथी आफ वेल्लार	25.05.2010	तमिलनाडु
2.	वीएस लिग्नाइट	लुनसारा	07.02.2007	गुजरात

अतिरिक्त स्पेक्ट्रम संबंधी प्रभार

2409. श्री खगेन दास:
श्री मनीष तिवारी:
श्री सुशील कुमार सिंह:
श्री एन. कृष्टप्पः
श्री के. सुगुमार:
श्री राजेन्द्र अग्रवाल:
श्री रमेश राठौड़:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार को सौंपे गए अतिरिक्त स्पेक्ट्रम को प्रभारित करने के संबंध में दूरसंचार आयोग की सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने 4.4 मेगाहर्ट्ज से अधिक के स्पेक्ट्रम को प्रभारित करने का पूर्व में निर्णय लिया था जबकि दूरसंचार आयोग द्वारा अनुमोदित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सिफारिशों पर भूतलक्षी प्रभाव से 6.2 मेगाहर्ट्ज ही संविदागत स्पेक्ट्रम था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 4.4 मेगाहर्ट्ज से अधिक स्पेक्ट्रम पर प्रति मेगाहर्ट्ज प्रभारित कर कितना राजस्व सृजित होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार अपने निर्णय से मुकर गई है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार का उन प्रचालकों के हितों की रक्षा करने का प्रस्ताव है जिन्हें अतिरिक्त स्पेक्ट्रम धारक संचालकों के समकक्ष लाने के लिए 4.4 मेगाहर्ट्ज से अधिक स्पेक्ट्रम आबंटित किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) से (च) दिनांक 29 जनवरी, 2011 को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने स्पेक्ट्रम की सुपुदर्गी और मूल्य निर्धारण की नीति के बारे में एक प्रेस विज्ञप्त जारी की थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया है कि:

"....भविष्य में संविदा आधारित स्पेक्ट्रम की अवधारणा नहीं होगी और इसलिए प्रारंभिक अथवा स्टार्ट अप स्पेक्ट्रम की अवधारणा नहीं होगी। बाजार आधारित प्रक्रिया के माध्यम से ही स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराया जाएगा।

किसी नई नीति को निर्धारित करते समय यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि सभी प्रचालकों को प्रतिस्पर्धा का समान अवसर उपलब्ध हो। इसलिए मूल्य निर्धारण संबंधी किसी नीति को निर्धारित करते समय इसे सभी प्रचालकों पर समान रूप से लागू करने की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त संविदा आधारित स्पेक्ट्रम के बाद शेष बचे स्पेक्ट्रम की सुपुदर्गी के बारे में यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि यह उन मौजूदा लाइसेंसधारियों को ही प्राप्त हो जिन्हें अब तक केवल 4.4 मेगाहर्ट्ज स्टार्ट अप स्पेक्ट्रम आबंटित किया गया है। यह बात पुनः दोहराई जा सकती है कि कतिपय लाइसेंसधारकों को लाइसेंस रद्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

केवल ऐसे लाइसेंसों जिन्हें यह प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद पाया जाएगा, के बारे में ही पात्र होने पर अतिरिक्त 1.8 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम आबंटित किया जाएगा किन्तु यह इन्हें नई नीति के तहत निर्धारित की गई कीमत पर ही प्रदान किया जाएगा।

हमें 6.2 मेगाहर्ट्ज के बाद स्पेक्ट्रम के आबंटन और मूल्य निर्धारण के लिए नीलामी प्रक्रिया को अपनाने पर यह बात सुनिश्चित करते हुए गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है कि नीलामी प्रक्रिया में पयाप्त प्रतिस्पर्धा की व्यवस्था की गई है।

इसके बाद दूरसंचार आयोग की सिफारिशों पर विचार करके सरकार ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की "स्पेक्ट्रम प्रबंधन और लाइसेंसिंग कार्यसंरचना" के बारे में की गई सिफारिशों पर अभी तक लिए गए अपने निर्णयों की दिनांक 15 फरवरी, 2012 की प्रेस विवरणी में घोषणा की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया है कि एक मुश्त स्पेक्ट्रम प्रभार से संबंधित मामलों पर अलग से निर्णय लिया जाएगा। इसमें यह भी उल्लेख किया गया था कि माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 2 फरवरी, 2012 के 122 लाइसेंसों को रद्द करने के निर्णय के कुछ निहितार्थ दूरसंचार आयेग की सिफारिशों के बारे में भी है। विधिक और अन्य पहलुओं के मद्देनजर इन सिफारिशों की और जांच की जा रही है तथा इस संबंध में निर्णयों को बाद में घोषित किया जाएगा।

निजता का अधिकार संबंधी विधेयक

2410. श्री जे.एम. आरून रशीद:
श्री रघुवीर सिंह मीणा:
श्री अवतार सिंह भडाणा:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रस्तावित निजता का अधिकर विधेयक व्यक्ति विशेष तथा राजनीतिज्ञों की फोन टेपिंग तथा टेलीफोन पर की गई बातचीत को बाधिक करने के विरुद्ध कोई रक्षा प्रदान नहीं करेगा;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कतिपय मंत्रालयों को इस संबंध में कुछ आपत्तियां हैं और वे व्यक्ति विशेष के अवैध फोन टेपिंग किये जाने के विरुद्ध हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (घ) सरकार एक विधेयक का मसौदा तैयार कर रही है, जो व्यक्ति विशेषों की, गलत ढंग से व्यक्तिगतता के उल्लंघन के मामले में, उन्हें संरक्षण प्रदान करेगा। विधेयक के ब्यौरे को अभी अंतिम रूप देना है।

[हिन्दी]

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नौकरियां

2411. श्री वीरेन्द्र कश्यप:
श्री अनुराग सिंह ठाकुर:
डॉ संजय जायसवाल:
श्री हरिभाऊ जावले:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर और सेवा कम्पनी संघ (नैसकॉम) ने वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान आईटी क्षेत्र में 2 लाख नौकरियां उपलब्ध कराने की संभावना जताई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा आईटी क्षेत्र में वैश्विक नियोज्यता मानदंडों के अनुसार प्रदान किये जा रहे तकनीकी कौशल की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में स्थापित किये हेतु प्रस्तावित संस्थागत ढ़ाचे का ब्यौरा क्या है;

(ङ) पिछले तीन वर्षो तथा चालू वर्ष के दौरान उन विदेशी कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने भारत में निवेश किया है तथा हार्डवेयर इंजीनिरिंग क्षेत्र में कितने रोजगार का सृजन किया गया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) जी हां।

(ख) सॉफ्टवेयर एवं सेवा कंपनियों के राष्ट्रीय संघ (नैसकॉम) के अनुसार यह सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार सृजन का एक प्राथमिक अनुमान है, जो वित्तीय वर्ष 2012.13 के लिए अनुमोदित राजस्व वृद्धि पर आधारित है

(ग) और (घ) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने 2008 में सॉफ्टवेयर निर्यात उद्योग के लिए जनशक्ति विकास हेतु एक योजना आरम्भ की है। इस योजना के अंतर्गत परियोजनाएं शुरू की गईं, जिनका उद्देश्य पाठ्य-सामग्री का सृजन करना, परामर्शदाता और बेहतर शिक्षकवर्ग और कुशल स्नातक तैयार करना है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआडी) के अनुसार अखिल भारतीय तकनिकी शिक्षा परिषद ने 2012-13 से पॉलीटेक्नीक, इंजीनियरिंग कॉलेजों तथा विश्वविद्यालय प्रणाली और अन्य कालेजों में कार्यान्वित किए जाने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रलय के तत्वावधान में राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा आर्हता फ्रेमवर्क (एनवीईक्यू एफ) शूरू किया है। ये कार्यक्रम क्षेत्र विशिष्ट हैं जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र भी शामिल है। राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद (एनएसडीसी) द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र सहित अभिज्ञात क्षेत्रों में पाठ्क्रमों के लिए राष्ट्रीय व्यवसायिक मानक (एनओएस) प्रदान किए जाने हैं। सीबीएसई भी व्यवसायिक संगठनों के साथ संयुक्त रूप से विभिन्न पाठ्यक्रम चला रहा है और संयुक्त प्रमाणपत्र जारी करता है।

(ङ) और (च) औद्योगिकी नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार लगभग 70 देशों की 3955 कंपनियों/विदेशी सहयोगियों ने गत तीन वर्षो और चालू वर्ष के दौरान भारत में सॉफ्टवेयर/आईटी क्षेत्र के लिए 17,0669.52 करोड़ रु. (3.75 बिलियन अमेरीकी डालर) का निवेश किया है। वर्षवार ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	वर्ष (अप्रैल-मार्च)	कंपनियों के विदेशी सहयोगियों की संख्या	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह की राशि	
			करोड़ रु.	बिलियन अमरीकी डॉलर
1.	2008-09	804	6495.18	1486.31
2.	2009-10	877	3875.65	817.53
3.	2010-11	945	3442.11	756.11
4.	2011-12 (अप्रैल-जनवरी)	1329	3,256.58	685.83
	कुल योग	3955	17069.52	3745.78

स्रोत: डीआईपीपी

नैसकॉम के अनुसार भारतीय सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर इंजीनियरों के लिए इन कंपनियों द्वारा सृजित के बारे में आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

[अनुवाद]

हितों का टकराव

2412. श्री अशोक अर्गल: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान नागर विमानन महानिदेशालय तथा नागर विमानन मंत्रालय के कितने अधिकारियों के बीच हितों का टकराव हुआ;

(ख) क्या इसके लिए सरकार से अनुमोदन लिया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा हितों के टकराव से बचने के लिए क्या दिशानिर्देश तैयार किये गये हैं;

(ङ) क्या हितों में टकराव के मामले में अधिकारियों की नियुक्तियों को रद्द किया गया है;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में नियम क्या हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं और सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (छ) मामले की जांच की जा रही है।

हज यात्रियों के लिये विशेष उड़ानें

2413. श्रीमती चन्द्रेश कुमारी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया भारत में विभिन्न स्थानों से हज यात्रा के लिए विशेष उड़ानें चलाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार मौजूदा विमानपत्तनों पर भीड़-भाड़ के मद्देनजर अन्य स्थानों नई उड़ानों को चालू करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) श्रीनगर से हज यात्रियों के ले जाने के लिए एन.ए.एस. एयर ने हब-एण्ड-स्पोक आधार पर हज-2011 के दौरान श्रीनगर-दिल्ली-श्रीनगर सेक्टर पर हज यत्रियों को लाने-ले जाने के लिए एयर इंडिया की सेवाएं ली थीं।

(ग) से (ङ) हज-2012 के दौरान, 21 आरोहण स्थल से यात्रियों को वहन किया जाएगा, जैसा कि हज-2011 के दौरान किया गया था।

बीएनवाई के तहत निर्मित बारहमासी सड़कें

2413. श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक ने भारत निर्माण योजना (बीएनवाई) के अंतर्गत अब तक निर्मित बारहमासी सड़कों का ब्यौरा क्या है और ऐसी सड़कों की लम्बाई कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के तहत सड़कों के निर्माण हेतु आवंटित एवं व्यय की गई धनराशि का राज्य-वार तथा प्रतिशत-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) कर्नाटक के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त, संस्वीकृत तथा लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस लंबन के क्या कारण हैं और लंबित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति किये जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (घ) कर्नाटक ने ग्रामीण सड़कों के क्षेत्र में भारत निर्माण के लक्ष्य को पहले ही प्राप्त कर लिया है। भारत निर्माण योजना के तहत कर्नाटक राज्य में सितम्बर 2011 तक 71.50 किलेमीटर लम्बी सड़क का निर्माण कर लिया गया है। इसी अवधि के दौरान अपग्रेड की गई लम्बाई 13070.02 किलोमीटर (लक्ष्य का 127 प्रतिशत) है। पिछले दो वर्षों के दौरान उपर्युक्त स्कीम के तहत निर्माण की गई सड़कों हेतु आवंटित और खर्च की गई निधियों का राज्य-वार तथा प्रतिशतता-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। भारत निर्माण योजना के तहत विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त करने के संपूर्ण कार्यकलाप तथा उसको मंजूरी देने का कार्य प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् ग्रामीण विकास मंत्रालय का है। जैसा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है कि कर्नाटक के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त, संस्वीकृत और लंबित प्रस्तावों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

मूल्य: 3217 करोड़ रु.

सड़क: 3226

लम्बाई: 16183.32 किलोमीटर

इसके अतिरिक्त कर्नाटक से प्राप्त निम्नलिखित परियोजना प्रस्तावों को राज्य को वापिस लौटा दिया गया क्योंकि ये प्रस्ताव मंत्रालय के दिनांक 12 जून, 2009 के अ.श.स.एच.-12013/1/2009-आरसी के तहत जारी एडवाईजरी की किसी भी श्रेणी के अंतर्गत नहीं थे।

1 2009-10 के लिए चरण-IX, 1364.42 करोड़ रु.

2 2010-11 के लिए चरण-IX, 564.27 करोड़ रु.

3 संशोधित ईपीसी या पीपीपी, 868.50 करोड़ रु.

इसके अलावा, 154.68 किलोमीटर लंबाई के लिए 40 सड़क निर्माण कार्यों हेतु 60.00 करोड़ रु. की राशि के परियोजना प्रस्ताव कर्नाटक से प्राप्त हुए थे जिनकी सिफारिश दिनांक 23.01.2012 को आयोजित अधिकार प्राप्त समिति द्वारा की गई थी, बशर्ते कि अधिकार प्राप्त समिति द्वारा आब्जर्व की गई शर्तें पूरी कर ली जाएं।

विवरण

वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 (सितम्बर 2011 तक) के लिए पीएमजीएसवाई के तहत राज्य-वार आवंटन, जारी निधियां और व्यय

(करोड़ रु. में)

		2010-11			2011-12		
क्र.सं.	राज्य	आवंटन	जारी निधियां	व्यय	आवंटन	जारी निधियां	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	36.84 (2.90)	672.15 (3.30)	473.94 (3.18)	46.87 (2.90)	136.57 (1.50)	103.43 (1.99)
2.	अरुणाचल प्रदेश	20.00 (1.58)	371.87 (1.83)	348.85 (2.34)	25.45 (1.58)	83.27 (0.91)	55.88 (1.07)
3.	असम	63.50 (5.00)	1,900.67 (9.33)	1,300.79 (8.72)	80.79 (5.00)	547.75 (6.01)	560.10 (10.76)

1	2	3		4		5		6		7		8	
4.	बिहार	118.24	(9.32)	3,477.06	(17.07)	2,694.91	(18.07)	150.44	(9.32)	1,897.04	(20.81)	1,243.35	(23.89)
5.	छत्तीसगढ़	84.20	(6.64)	678.58	(3.33)	304.16	(2.04)	107.13	(6.64)	444.33	(4.87)	129.43	(2.49)
6.	गोवा	0.70	(0.06)	0.00	(0.00)	0.00	(0.00)	0.84	(0.05)	0.00	(0.00)	0.00	(0.00)
7.	गुजरात	22.80	(1.80)	322.43	(1.58)	243.84	(1.64)	29.01	(1.80)	40.00	(0.44)	135.55	(2.60)
8.	हरियाणा	10.53	(0.83)	157.75	(0.77)	108.03	(0.72)	13.40	(0.83)	60.00	(0.66)	19.90	(0.38)
9.	हिमाचल प्रदेश	30.52	(2.41)	199.30	(0.98)	142.67	(0.96)	38.83	(2.41)	275.30	(3.02)	52.47	(1.01)
10.	जम्मू और कश्मीर	22.80	(1.80)	366.09	(1.80)	297.40	(1.99)	29.01	(1.80)	762.10	(8.36)	223.45	(4.29)
11.	झारखण्ड	61.40	(4.84)	843.81	(4.14)	538.44	(3.61)	78.12	(4.84)	728.08	(7.99)	171.24	(3.29)
12.	कर्नाटक	38.59	(3.04)	927.68	(4.56)	634.80	(4.26)	49.10	(3.04)	0.00	(0.00)	248.25	(4.77)
13.	केरल	10.53	(0.83)	146.27	(0.72)	146.14	(0.98)	13.40	(0.83)	0.00	(0.00)	22.98	(0.44)
14.	मध्य प्रदेश	154.37	(12.16)	1,966.12	(9.65)	1,409.49	(9.45)	196.40	(12.17)	825.07	(9.05)	367.26	(7.06)
15.	महाराष्ट्र	50.87	(4.01)	1,242.55	(6.10)	1,012.48	(6.79)	64.72	(4.01)	788.01	(8.64)	324.87	(6.24)
16.	मणिपुर	11.58	(0.91)	144.98	(0.71)	122.34	(0.82)	14.73	(0.91)	59.69	(0.65)	118.37	(2.27)
17.	मेघालय	15.79	(1.24)	64.55	(0.32)	36.39	(0.24)	20.09	(1.24)	0.00	(0.00)	22.86	(0.441
18.	मिजोरम	11.23	(0.88)	95.59	(0.47)	82.24	(0.55)	14.29	(0.88)	93.63	(1.03)	38.04	(0.73)
19.	नागालैंड	10.52	(0.83)	25.13	(0.12)	29.67	(0.20)	13.38	(0.83)	10.00	(0.11)	8.84	(0.17)
20.	ओडिशा	95.78	(7.55)	2,477.36	(12.16)	1,924.25	(12.90)	121.86	(7.55)	1,085.58	(11.91)	561.38	110.79)
21.	पंजाब	12.28	(0.97)	196.43	(0.96)	155.34	(1.04)	15.62	(0.97)	90.00	(0.99)	17.46	(0.34)
22.	राजस्थान	82.45	(6.50)	886.22	(4.35)	686.39	(4.60)	104.90	(6.50)	282.76	(3.10)	172.13	(3.31)
23.	सिक्किम	10.53	(0.83)	79.38	(0.39)	85.53	(0.57)	13.40	(0.83)	80.00	(0.88)	1.43	(0.03)
24.	तमिलनाडु	31.58	(2.49)	469.54	(2.31)	304.81	(2.04)	40.18	(2.49)	45.00	(0.49)	140.87	(2.71)
25.	त्रिपुरा	14.03	(1.11)	285.76	(1.40)	237.51	(1.59)	17.85	(1.11)	180.00	(1.97)	90.61	(1.74)
26.	उत्तर प्रदेश	132.97	(10.48)	1,308.83	(6.43)	868.54	(5.82)	169.18	(10.48)	17.70	(0.19)	102.91	(1.98)
27.	उत्तराखंड	35.08	(2.76)	240.26	(1.18)	191.74	(1.29)	44.63	(2.76)	265.00	(2.91)	67.82	(1.30)
28.	पश्चिम बंगाल	79.29	(6.25)	819.68	(4.02)	530.29	(3.56)	100.88	(6.25)	320.73	(3.52)	202.90	(3.90)
	कुल (राज्य)	1,269.00		20,366.04		14,910.98		1,614.50		9,117.60		5,203.78	

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल प्रतिशत शेयर हैं।

आरटीआई कार्यकर्ता को शिकार बनाया जाना

2415. श्री पूर्णमासी राम: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि सरकार में भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाले आरटीआई कार्यकर्ता तथा व्हिसल ब्लोअरों की हत्या की जा रही है, शिकार बनाया जा रहा है तथा परेशान किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार को इस संबंध में प्राप्त हुए अभ्यावेदनों/पत्रों का ब्यौरा क्या है तथा ऐसी शिकायतों का स्वरूप क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कद्म उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) मीडिया में यह रिपोर्ट आई है कि कुछ लोगों की, आरटीआई कार्यकर्ता तथा भण्डाफोड़ करने के रूप में उनकी भूमिका के कारण कथित रूप से हत्या कर दी गई है।

(ख) इस बारे में आंकड़े केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं।

(ग) आरटीआई कार्यकर्ताओं को बचाने और सुरक्षा प्रदान करने के मुद्दे उठाने वाले अभ्यावेदन/पत्र विभिन्न पक्षों से प्राप्त हुए हैं।

(घ) ऐसे मामलों से निपटने के लिए अलग से नीति बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मौजूदा कानूनों जैसे कि भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता आदि के ढांचे को आरटीआई कार्यकर्ताओं सहित सभी नागरिकों के बचाव और सुरक्षा के लिए पर्याप्त माना जाता है इसके अलावा आरटीआई के सभी कार्यकर्ताओं और भण्डा-फोड़ करने वालों को लोक सभा द्वारा दिनांक 27.12.2011 को पारित "भण्डा-फोड़ करने वालों का संरक्षण विधेयक, 2011" के अंतर्गत भी संरक्षण मिलेगा और इस समय इस विधेयक पर राज्य सभा में विचार किया जा रहा है।

कानून और व्यवस्था बनाए रखना तथा सभी नागरिकों का बचाव और सुरक्षा प्रदान करना आधारित तौर पर संबंधित राज्य सरकार का विषय है। भारत सरकार ने, प्रशासन में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का पर्दाफाश करने के लिए आरटीआई का उपयोग करने वाले लोगों के उत्पीड़न के बारे में मीडिया में छपी रिपोर्ट की तरफ राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित किया है। राज्यों से यह अनुरोध किया गया है कि यदि उनके ध्यान में इस तरह का कोई मामला आता है तो इसकी तत्परता से जांच पड़ताल की जाए और उल्लंघकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।

[हिन्दी]

कोयला ब्लॉकों का आवंटन

2416. श्रीमती दीपा दासमुंशी: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसी कंपनियों को कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए है जिन्हें कोई विद्युत परियोजनाएं कार्यान्वित नहीं करनी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें इस प्रकार के आवंटन प्राप्त हुए हैं;

(ग) इन कंपनियों को किस आधार पर कोयला ब्लॉक आवंटित किये गये हैं;

(घ) क्या सरकार ने ऐसी कंपनियों को कोयला ब्लॉकों के आवंटन को रद्द करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) से (ङ) कोयला ब्लॉकों का आवंटन कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 की धारा 3 के अंतर्गत अनुमोदित अन्त्य उपयोगों अर्थात विद्युत उत्पादन, आयरन एंड स्टील के उत्पादन, सीमेंट के उत्पादन तथा कोयला गैसीकरण (भूमिगत एवं सतही) के माध्यम सिन-गैस के उत्पादन तथा कैप्टिव खनन के लिए कोयला तरली करण हेतु भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की पात्र कंपनीयों को किया जाता है।

कोयला ब्लॉकों का आवंटन स्थापित किए जाने वाली मौजूदा विद्युत कंपनियों के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार से आवंटित कोयला ब्लॉक विद्युत परियोजना की स्थापना से जुड़ा हुआ है। तथा कोयला ब्लॉक से उत्पादन विद्युत परियोजना के शुरू होने के साथ ही चालू किए जाने की आशा है। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहां कोयला ब्लॉकों का आवंटन उन कंपनियों को किया गया है जिनके पास कार्यान्वित करने के लिए कोई भी विद्युत परियोजनाएं नहीं है।

[अनुवाद]

विश्वविद्यालयों में रक्षा अध्ययन

2417. श्री वैजयंत पांडा:
श्री नित्यानंद प्रधान:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेषज्ञ समिति ने राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन और विश्लेषण में स्नातकोत्तर और डॉक्टोरल स्तरीय अध्ययन तथा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अनुसंधान और अध्ययन परिषद की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परिषद देश में रक्षा रणनीतिक अध्ययनों को प्रोत्साहन देगी और समन्वय भी करेगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय रुचि के किन-किन क्षेत्रों का अध्ययन किया जाएगा; और

(ङ) उन विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों का ब्यौरा क्या है जहां रक्षा अध्ययन समान रूप से महाविद्यालय/विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम का एक भाग है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जी, हां। सरकार द्वारा एअर कोमोडोर (सेवानिवृत्त) श्री जसजीत सिंह, निदेशक, सेंटर फार एअर पावर स्टडीज की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति ने एक राष्ट्रीय स्तर की राष्ट्रीय सुरक्षा अनुसंधान एवं अध्ययन परिषद की स्थापना की सिफारिश की थी। परिषद को वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के साथ विभागों और राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन केन्द्रों के समग्र उत्तरदायित्वों और मार्गदर्शन सहित व्यापक स्तर पर पत्राचार करना चाहिए।

(ग) और (घ) जी, हां। समिति ने राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन हेतु सांकेतिक/निदेशात्मक क्षेत्रों को दर्शाने वाले नमूना पाठयक्रम की प्रकृति वाली सिफारिशें भी दी हैं जिसमें इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रैटजिक लैंडस्कोप, इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी, चैलेंजिज टू इंडियान सिक्योरिटी, मिलिट्री पावर एंड राष्ट्रीय सुरक्षा में इसकी भूमिका, सिक्योरिटी विद न्यूक्लियर वैपन्स और टेररिज्म एण्ड सोसाइटल वायलेंस शामिल हैं।

(ङ) देश में पांच विश्वविद्यालय हैं जिनके पास पूर्ण-विकसित रक्षा अध्ययन विभाग हैं जो निम्नानुसार हैं: (1) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद (2) मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई (3) पुणे विश्वविद्यालय, पुणे (4) मणिपुर विश्वविद्यालय, (5) पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़।

समिति ने भी पाया कि केवल इलाहाबाद, पुणे और चेन्नई विश्वविद्यालय ही हैं जो स्नातकोततर एवं डॉक्टोरल स्तरों पर विश्वसनीय कार्यक्रम प्रदान करते हैं। विशेषज्ञ समिति ने सूचित किया है कि ऐसे 29 विश्वविद्यालयों हैं जहां सुरक्षा अध्ययन को विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है। 29 विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त, ऐसे 27 विश्वविद्यालय हैं जिनके तहत 137 कालेज अवर स्नातक स्तर पर सुरक्षा अध्ययन पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं।

[हिन्दी]

भर्ती की एकल प्रक्रिया

2418. श्री भीष्म शंकर उर्फ **कुशल तिवारी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी चयन आयोग ने सभी गैर-राजपत्रित पदों के लिए एकल समान परीक्षा प्रणाली के माध्यम से सरकारी भर्ती प्रक्रिया को और सरल बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और क्या कारण हैं; और

(ग) यह प्रणाली आवेदकों के साथ-साथ सरकारी भर्ती अभिकरण के लिए कितनी फायदेमंद होगी?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा प्रणाली में सुधारों के निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं। कर्मचारी चयन आयोग अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत गैर-राजपत्रित पदों पर, अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं, विभागीय परिक्षाओं और साक्षात्कारों को संचालित करके भर्ती करता है। कर्मचारी चयन आयोग ने एक समान परीक्षा प्रणाली के माध्यम से सभी गैर-राजपत्रित पदों पर भर्ती करने हेतु कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त के मद्देनजर प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

उड़ान स्कूलों द्वारा धोखाधड़ी

2419. श्री उदय सिंह: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण/नागर विमानन महानिदेशालय ने देश में विभिन्न उड़ान स्कूलों को रियायती दर दिए जाते समय दिशा-निर्देशों की अनदेखी करते हुए उन्हें बिना-लाभ बिना-हानि आधार पर प्रचालित करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा राजकोष को इसके परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई है;

(ग) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने देश भर में विभिन्न उड़ान स्कूलों द्वारा बिना-लाभ बिना-हानि के नाम पर किए जा रहे किसी धोखे का पता लगाया है और सरकार को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए कहा है जिन्होंने प्रणाली को ताक पर रखने की अनुमति दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा क्या सिफारिशें की गयी हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के खिलाफ और उड़ान स्कूलों से हानि की वसूली और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए क्या कार्रवाई की गयी है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) उत्तर के भाग (क) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) विभिन्न उड़ान स्कूलों में अनियमितता पाए जाने के आरोप के संबंध में मुख्य सतर्कता अधिकारी, डीजीसीए द्वारा प्रस्तुत की गई अन्वेषण रिपोर्ट के आधार पर, केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने द्वारा नागर विमानन मंत्रालय को इस मामले में डीजीसीए तथा एएआई कार्मिकों की जवाबदेही निश्चित किए जाने का निदेश दिया है। इस मामले में केन्द्रीय सतर्कता आयोग के मतों की जांच-पड़ताल की गई और उड़ान स्कूलों की सूची को तैयार करने में शामिल पाए गए डीजीसीए के तीन कार्मिकों को निलंबित कर दिया गया है। नागर विमानन मंत्रालय द्वारा इस मामले की पुन: जांच पड़ताल कराये जाने की अनुमति हेतु केन्द्रीय सतर्कता आयोग से अनुरोध किए जाने का निर्णय लिया गया, चूंकि दोनों संगठन अर्थात् डीजीसीए तथा एएआई इस मामले में शामिल हैं।

दूरभाष केंद्र

2420. श्री अम्बिका बनर्जी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल सहित देश में राज्य-वार स्थापित दूरभाष केन्द्रों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) वर्तमान में समुचित तरीके से कार्यरत दूरभाष केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या राज्यों में सभी एक्सचेंजों को एसटीडी/आईएसडी सुविधाएं और इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) राज्यों को यह सुविधा दिए जाने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं; और

(च) देश में निर्माणाधीन दूरभाष केन्द्रों की राज्य-वार और स्थान-वार संख्या कितनी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) गत पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल सहित देश में राज्य-वार भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा स्थापित दूरभाष केन्द्रों की कुल संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) वर्तमान में बीएसएनएल के 37623 दूरभाष केन्द्र समुचित तरीके से कार्य कर रहे हैं।

(ग) से (ङ) देश के सभी राज्यों में बीएसएनएल के सभी टेलीफोन एक्सचेंजों को एसटीडी/आईएसडी सुविधाएं और इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराई गई है।

(च) बीएसएनएल के निर्माणाधीन दूरभाष केन्द्रों की संख्या हरियाणा में 6, महाराष्ट्र में 22 और उ.प्र. (पूर्व) दूरसंचार सर्किल में 16 है।

विवरण

सर्किल-वार स्थानीय दूरभाष केन्द्रों की संख्या

सर्किल	गत पंचवर्षीय योजना के दौरान बीएसएनएल द्वारा स्थापित एक्सचेंजों की सं.
1	2
आंध्र प्रदेश	590
हरियाणा	96
हिमाचल प्रदेश	159

1	2
जम्मू और कश्मीर	1
झारखंड	12
कर्नाटक	76
केरल	3
पूर्वोत्तर-1	28
पूर्वोत्तर-2	0
ओडिशा	2
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	62
उत्तराखंड	27
पश्चिम बंगाल	9

शिक्षा संबंधी यूनिसेफ रिपोर्ट

2421. श्रीमती मेनका गांधी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यूनिसेफ के एक अध्ययन की जानकारी है जिसमें यह दावा किया गया है बिहार, मिजोरम, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों 60 प्रतिशत से अधिक छात्राएं पांच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से पहले ही पढ़ाई छोड़ देती हैं;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) यूनिसेफ ने उल्लेख किया है कि यूनिसेफ की ऐसी कोई प्रतिशत प्रकाशित रिपोर्ट नहीं है जो यह बताती हो कि बिहार, राजस्थान, मिजोरम तथा उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा पूरी किए बगैर 60 प्रतिशत से अधिक बालिकाएं पढ़ाई बीच में छोड़ रही हैं। स्कूल शिक्षा के आंकड़े 2009-10 अनंतिम) के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर कक्षा I-V में बालिकाओं की पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर 27.25 है और बिहार, मिजोरम, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश राज्यों से संबंधित दर नीचे दर्शायी गयी है:-

राज्य	पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर
बिहार	40.97
मिजोरम	47.46
राजस्थान	52.11
उत्तर प्रदेश	41.70

(ग) बालक-बालिका और सामाजिक श्रेणी के अंतरालों का पाटना सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के उद्देश्यों में से एक है। प्रारंभिक शिक्षा में 'बालिकाओं' की भागीदारी में वृद्धि करने और पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर में कमी लाने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में निःशुल्क पाठ्यक्रमों और वर्दी का प्रावधान करना शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में सर्व शिक्षा अभियान के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) घटक के अंतर्गत बालिकाओं के लिए आवासीय स्कूलों की स्थापना करना, शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में बालिकाओं को कक्षा में बनाए रखने पर विशेष ध्यान देते हुए प्रारंभिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीईजीएल) का कार्यान्वयन करना, स्कूलों में "बालिक" शौचालयों का प्रावधान करना इत्यादि शामिल है। राज्यों का बालक-बालिका संवेदी शिक्षण-अधिगम सामग्री शामिल करने और उनके द्वारा संचालित अपने अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में बालक-बालिका संवेदी मॉड्यूल्स का संचालन करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है।

विद्यालयों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं का अभाव

2422. डॉ. ज्योति मिर्धा:
श्रीमती श्रुति चौधरी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास उन प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च विद्यालयों का कोई ब्यौरा है जिनमें कोई अवसंरचना नहीं है, विशेषकर लड़कियों के लिए कोई प्रसाधन नहीं है और ये जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं और इनके पुनरुद्धार की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान हरियाणा सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कारण क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्षों के दौरान राज्य-वार कितनी निधियां आवंटित और उपयोग की गयी हैं;

(घ) क्या उपर्युक्त प्रयोजकों के लिए निहित निधियों का अन्यत्र उपयोग किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) हरियाणा सहित प्रत्येक राज्य सरकार के परामर्श से इन समस्याओं के स्थायी समाधान हेतु हरियाणा सहित राज्य-वार बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए क्या कार्य योजना तैयार की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) अभावग्रस्त बुनियादी ढांचे और जीर्ण-शीर्ष अवस्था वाले प्राइमरी, माध्यमिक और हाई स्कूलों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत कुल सिविल निर्माण कार्यों के लिए प्रदत्त निधियों पर राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(घ) और (ङ) सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत सिविल निर्माण कार्यों के प्रयोजनार्थ निधियों के अंतरण का कोई उदाहरण इस मंत्रालय की जानकारी में नहीं आया है।

(च) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 इस अधिनियम के प्रारंभ होने से तीन वर्ष की अवधि के भीतर ऐसे क्षेत्र अथवा पड़ोस की सीमा में जैसा, विहित किया जाए, जहां यह अभी स्थापित नहीं किया गया, स्कूल स्थापित करने का समुचित सरकारों को अधिदेश देता है। समुचित सरकारों के लिए आरटीई अधिनियम की अनुसूची में विहित मानदंडों के अनुसार, प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल का बुनियादी ढांचा प्रदान करना भी आवश्यक है। सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन को आरटीई अधिनियम के तहत अधिदेशित समय सीमा के अनुसार सभी स्कूलों में ये सुविधाएं प्रदान करने का अधिदेश दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत निर्मित सभी स्कूलों में शौचालयों और पीने के पानी का प्रावधान है। सर्व शिक्षा अभियान शहरी क्षेत्रों के वर्तमान स्कूलों में भी शौचालय मुहैया कराता है। ग्रामीण क्षेत्रों के वर्तमान स्कूलों के मामले में शौचालय, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित समग्र स्वच्छता अभियान के अभिसरण में उपलब्ध कराए जाते हैं। इन सुविधाओं की आवश्यकता राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्कूल/ग्राम/ब्लॉक/जिला स्तर के आधार पर तथा की जाती है और उनकी वार्षिक कार्य योजना तथा बजट में परिलक्षित की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से शौचालयों संबंधी अपनी सुविधाओं का पता लगाने और सर्व शिक्षा अभियान के मानदंडों के अनुसार उन्हें 2012-13 के लिए अपनी वार्षिक कार्ययोजना तथा बजट में शामिल करने का अनुरोध किया गया है।

12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए कार्यकरण ग्रुप की रिपोर्ट योजना आयोग को प्रस्तुत की जा चुकी है। 12वीं पंचवर्षीय योजना को योजना आयोग द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद से परामर्श के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा।

विवरण I

डीआईएसई के अनुसार बुनियादी सुविधाओं के अभवग्रस्त प्राथमिक स्कूलों और जीर्ण-शीर्ण अवस्था में स्कूलों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शौचालय सुविधा रहित स्कूल	पीने के पानी की सुविधा रहित स्कूल	चारदीवारी रहित स्कूल	खेल के मैदान रहित स्कूल	ढलान रहित स्कूल	जीण-शीर्ण अवस्था में स्कूल	आरएमएसए के तहत बुनियादी ढांचा रहित हाई स्कूल	आरएमएसए के तहत जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हाई स्कूल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	67	16	201	152	243	7	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	19668	9862	43546	42697	66726	103	205	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	2273	966	3057	3017	3963	97	0	0
4.	असम	16968	6541	32188	21099	20453	55	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	बिहार	23535	5582	37784	46764	35439	105	0	0
6.	चंडीगढ़	4	0	0	8	66	0	0	0
7.	छत्तीसगढ़	20659	3077	13695	29769	27490	1081	0	0
8.	दादरा और नगर हवेली	89	11	174	189	205	0	0	0
9.	दमन और दीव	2	0	9	39	46	0	0	0
10.	दिल्ली	2	0	58	690	655	3	0	0
11.	गोवा	144	13	298	629	539	0	0	0
12.	गुजरात	776	845	4225	10243	3041	52	0	0
13.	हरियाणा	597	144	804	3873	4852	12	10	10
14.	हिमाचल प्रदेश	2827	426	8819	5760	7385	7	0	0
15.	जम्मू और कश्मीर	13870	3442	17371	16170	19349	16	54	0
16.	झारखण्ड	11463	5174	31977	29057	27014	450	0	0
17.	कर्नाटक	3063	2955	15483	21145	13047	13	0	0
18.	केरल	652	31	602	2249	1217	27	0	0
19.	लक्षद्वीप	6	0	25	34	19	2	0	0
20.	मध्य प्रदेश	32604	11662	73951	57926	46334	259	1072	0
21.	महाराष्ट्र	6855	7413	32350	31959	10358	100	0	0
22.	मणिपुर	1495	333	1981	1158	2264	14	0	0
23.	मेघालय	5759	3253	6480	4914	6015	152	0	0
24.	मिजोरम	292	304	951	1578	1193	7	0	0
25.	नागालैंड	258	577	507	1222	1384	1	0	0
26.	ओडिशा	12845	6337	23344	43244	32807	179	0	0
27.	पुदुचेरी	11	0	69	224	135	0	0	0
28.	पंजाब	44	43	1231	4723	5411	19	0	0
29.	राजस्थान	7208	5149	22551	47892	27655	37	0	0
30.	सिक्किम	6	19	682	340	854	0	17	0
31.	तमिलनाडु	2825	0	12599	10674	9685	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	त्रिपुरा	867	759	3738	1599	1749	2	55	0
33.	उत्तर प्रदेश	20470	3594	83079	41509	29029	642	0	00
34.	उत्तराखंड	1999	1359	3257	8319	9458	437	0	0
35.	पश्चिम बंगाल	8255	3329	55755	52356	35998	163	0	0
	कुल	218458	83216	532841	543221	452078	4042	1413	10

विवरण II

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और सर्व शिक्षा अभियान के तहत कुल सिविल निर्माण कार्यों के लिए प्रदत्त निधियां

(रूपए लाख में)

		2008-09	2009-10		2010-11		2011-12 (31.11.2011 तक)	
क्र.सं.	राज्य का नाम	एसएसए	एसएसए	आरएमएसए	एसएसए	आरएमएसए	एसएसए	आरएमएसए
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	36457.19	30156.00	0	47945.71	25701.95	133574.829	12850.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	6234.18	2405.60	0	7407.76	2595.00	8094.35	0
3.	असम	26663.00	20087.35	163.97	37368.83	0	74180.94	5441.00
4.	बिहार	94869.32	101766.02	1300.00	193924.32	6442.00	395686.424	0
5.	छत्तीसगढ़	28845.63	33910.18	4050.61	68035.64	0	63971.55	28283.60
6.	गोवा	94.00	250.80	21.00	286.39	21.12	307	0
7.	गुजरात	12357.12	14348.99	0	43674.74	982.00	82112.91	0
8.	हरियाणा	10331.48	9577.28	0	24081.29	0	33006.02	14110.00
9.	हिमाचल प्रदेश	2565.93	4494.89	0	7384.83	2504.00	8916.232	0
10.	जम्मू और कश्मीर	14367.99	14929.90	634.40	25038.04	1831.00	14830.73	0
11.	झारखंड	56524.60	46694.70	628.00	84097.78	6345.00	59467.86	0
12.	कर्नाटक	30239.44	19877.15	6591.00	48646.63	0	31272.6	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	केरल	2362.16	3915.74	663.66	10974.33	929.04	1791.09	0
14.	मध्य प्रदेश	57877.47	55520.38	8670.85	129649.59	15807.81	48638.388	13457.00
15.	महाराष्ट्र	34458.73	31959.21	0	54984.05	68.00	74988.67	5295.00
16.	मणिपुर	0.00	1275.02	1724.00	6816.45	2413.00	11748.24	1462.94
17.	मेघालय	5726.46	6622.48	103.00	6718.66	0	19284.68	0
18.	मिजोरम	2145.40	2021.24	1579.16	4089.34	1761.00	4128.75	1879.86
19.	नागालैंड	1797.80	2180.30	1072.27	10235.69	524.00	4385.05	1500.00
20.	ओडिशा	31820.91	43609.87	0	61129.48	6636.00	64134.41	6637.16
21.	पंजाब	6056.10	10843.13	1548.00	21671.65	17826.00	33613.81	0
22.	राजस्थान	23320.19	19136.17	0	54803.70	0	44060.015	9451.00
23.	सिक्किम	24.79	670.10	206.59	1563.36	323.32	950.3	0
24.	तमिलनाडु	29868.20	15259.80	4359.00	44612.45	4424.00	32034.247	0
25.	त्रिपुरा	2386.74	3214.90	855.14	6321.30	2285.00	6845.46	1088.00
26.	उत्तर प्रदेश	74094.56	34289.32	2805.00	132948.48	3933.00	163679.57	14609.93
27.	उत्तराखंड	6579.82	5659.15	0	3586.51	6775.72	10118.51	0
28.	पश्चिम बंगाल	36845.25	39739.17	942.00	129977.22	0	109565.179	0
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	489.40	120.00	0	1258.70	0	1064.6	0
30.	चंडीगढ़	0.00	476.00	0	1318.84	0	1259.25	153.54
31.	दादरा और नगर हवेली	127.98	230.67	0	334.40	0	305	101.48
32.	दमन और दीव	19.91	128.00	0	133.00	0	56.3	110.05
33.	दिल्ली	1075.00	966.00	0	3009.05	0	3823.81	0
34.	लक्षद्वीप	81.12	1.80	108.30	149.32	0	45	0
35.	पुदुचेरी	435.30	369.60	84.75	441.70	187.00	596.21	0
	कुल	637143.17	576706.913	38110.70	1274619.222	110314.96	1542537.98	116430.56

[हिन्दी]

सी.बी.आई. द्वारा भ्रष्टाचार के बंद किए गए मामले

2423. श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2005-10 के दौरान केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी. आई.) द्वारा बंद किए गए मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इसमें शामिल न्यूनतम धनराशि सहित सी.बी.आई. द्वारा बंद किए गए भ्रष्टाचार के मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान सी.बी.आई. के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की संख्या और इनमें से सरकार द्वारा जांच की गई शिकायतों की कितनी संख्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जहां तक केंद्रीय अंन्वेषण ब्यूरो का संबंध है, वर्ष 2005-10 के दौरान 723 नियमित मामलों/प्रारंभिक जांच पड़ताल बंद हुए। इन मामलों का वर्षवार ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	बंद हुए मामलों की कुल संख्या
2005	120
2006	114
2007	136
2008	97
2009	137
2010	119
कुल	723

इस बारे में राज्यवार केंद्रीकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं।

(ख) जहां तक केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का संबंध है, वर्ष 2005-10 के दौरान भ्रष्टचार निवारण अधिनियम के 480 मामले बंद हुए। इन मामलों के संबंध में आंकड़े केंद्रीकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं।

(ग) जहां तक केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के कर्मचारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों का संबंध है, सरकार इन्हें समुचित कार्रवाई के लिए सामान्यत: केंद्रीय सतर्कता अधिकारी, सीबीआई और केंद्रीय सतर्कता आयोग को भिजवानी है। सरकार द्वारा इस संबंध में कोई भी अन्वेषण नहीं किया जाता।

तथापि संगत सूचना के आधार पर, केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के समूह 'क' अधिकारियों, जिनकी यह अनुशासनिक प्राधिकारी है, के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाहियां शुरू की हैं और इनका ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	शुरू किए गए	निपटाए गए
2005	9	3
2006	6	5
2007	4	2
2008	2	8
2009	10	5
2010	17	7

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार पिछले 5 वर्ष अर्थात् 2007 से 2012 (29.2.2012 तक) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को प्राप्त और इसके द्वारा निपटाई गई शिकायतों की वर्षवार संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	शिकायतों की कुल संख्या जिन पर वर्ष के दौरान कार्रवाई की गई/जांच-पड़ताल की गई	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या
2007	53	78	59
2008	50	69	32
2009	94	131	69
2010	97	159	81
2011	120	198	122
2012 (29.2.2012 तक)	21	97	19

[अनुवाद]

निजी विश्वविद्यालय

2424. श्री राधे मोहन सिंह:
श्री पी.के. बिजू:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु नए सिरे से अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

(ग) सरकार के पास अभी भी निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के राज्य-वार कितने प्रस्ताव लंबित हैं; और

(घ) इन विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या मानदंड अपानए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) जी, नहीं। राज्य विधान सभाएं प्राइवेट विश्विद्यालयों की स्थापना करने के लिए विधानों का अधिनियम, करने के लिए सक्षम हैं। केन्द्रीय सरकार से अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। आज की तारीख तक, 11वीं पंचवर्षीय योजना में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा 84 प्राइवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। ब्यौरा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की वेबसाइट (www.ugc.ac.in) पर उपलब्ध है।

(घ) यूजीसी (प्राइवेट विश्वविद्यालयों में मानकों की स्थापना और अनुरक्षण) विनियम, 2003 में प्राइवेट विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पैरामीटरा निर्धारित किए हैं। ब्यौरा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की वेबसाइट (www.ugc.ac.in) पर उपलब्ध है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालयों/नवोदय विद्यालयों का विस्तार

2425. श्री सज्जन वर्मा:
श्री संजय सिंह चौहान:
श्री सी. राजेन्द्रन:
श्री देवजी एम. पटेल:
श्रीमती कमला देवी पटले:
श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय/नवोदय विद्यालय के विस्तार का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा राज्य-वार क्या कदम और उठाए गए हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय विद्यालयों के लिए राज्य-वार संस्वीकृत और जारी निधियों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) देश के शामिल न किए गए क्षेत्रों में विद्यालयों (केवि) और जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) को स्थापित करना एक सतत प्रक्रिया है। केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों से निर्धारित फार्मेट में व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात खोले जाते हैं बशर्ते उनके द्वारा अपेक्षित संसाधनों की उपलब्धता के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की गई हो और यह निधियों की उपलब्धता तथा समक्ष प्राधिकारी के अनुमोदन के अध्यधीन है।

केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 17 प्रस्ताव प्राप्त किए हैं जो नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए उपयुक्त पाए गए हैं। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण 1 में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 129 अन्य प्रस्ताव और आवेदन विभिन्न प्रायोजक एजेंसियों से भी प्राप्त हुए हैं, जो अभी तक उपयुक्त नहीं पाए गए हैं।

जवाहर नवोदय विद्यालय के संबंध में, देश में 612 जिलों के लक्ष्य की तुलना में जवाहर नवोदय विद्यालय, तमिलनाडु राज्य को छोड़कर 34 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के 576 जिलों में स्थापित किए गए हैं। शेष 36 जिलों में कोई में से, 60 में कोई ग्रामीण जनसंख्या नहीं है।

(ग) वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के दौरान केंद्रीय विद्यालय के लिए संस्वीकृत और जारी की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण 2 में दिया गया है। वर्ष 2011-12 के लिए समेकित लक्ष्यों का अभी तक संकलन नहीं किया गया है।

विवरण I

सिविल/रक्षा सेक्टर के तहत नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए उपयुक्त प्रस्ताव
(दिनांक 26.03.2012 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य का नाम		स्थान का नाम	द्वारा प्रयोजित
1.	आंध्र प्रदेश	I	महबूबाबाद, जिला वारंगल	राज्य सरकार
2.		II	सीआईएसएफ, एनआईएसए जिला हकीमपेट सिंकदराबाद	गृह मंत्रालय
3.		III	मिरयालगुड़ा, जिला नालगोंडा	राज्य सरकार
4.	कर्नाटक	I	मांडया, जिला मांडया	राज्य सरकार
5.	मणिपुर	I	जिला ईस्ट इंफाल	राज्य सरकार
6.	ओडिशा	I	बालासोर, जिला बालासोर	राज्य सरकार
7.		II	अंगुल, जिला अंगुल	राज्य सरकार
8.		III	व्यास नगर, जिला जाजपुर	राज्य सरकार
9.		IV	हिंजिलीकट, जिला गंजाम	राज्य सरकार
10.	राजस्थान	I	जैसिंधर, जिला बागमेर	राज्य सरकार
11.		II	हनुमानगढ़, जिला हनुमानगढ़	राज्य सरकार
12.	तमिलनाडु	I	गोल्डन रॉक, एसआर, तिरूचिरापल्ली	रेलवे
13.	उत्तर प्रदेश	I	हरदोई, जिला हरदोइ	राज्य सरकार
14.		II	श्रावस्ती, जिला श्रावस्ती	राज्य सरकार
15.	पश्चिम बंगाल	I	बंडेल रेलवे कॉलोनी, जिला हुगली	रेलवे
16.	दिल्ली	I	सेक्टर 28, रोहिणी, दिल्ली	शहरी विकास
17.	हिमाचल प्रदेश	I	गुमारवीन, जिला बिलासपुर	राज्य सरकार

विवरण II

पिछले तीन वर्षों के लिए राज्यवार व्यय को दर्शाने वाला विवरण

(रुपए लाखों में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	योजनेत्तर			योजनागत		
		2008-09	2009-10	2010-11	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	4873.23	9319.43	7646.86	554.68	2357.96	1982.99

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरूणाचल प्रदेश	644.99	1152.31	1092.25	493.06	932.89	1106.74
3.	असम	2969.07	6070.74	5106.94	13869.54	1234.33	1614.67
4.	बिहार	2615.20	5145.38	5715.14	2578.92	2657.42	2979.04
5.	छत्तीसगढ़	1233.58	2498.82	2046.96	901.79	925.13	1291.85
6.	दिल्ली	7654.97	13776.57	11274.19	3516.06	5427.41	6127.12
7.	गोवा	452.40	902.43	746.94	95.11	80.62	14.57
8.	गुजरात	2985.88	5854.53	4968.22	788.80	310.04	785.67
9.	हरियाणा	2843.15	5649.54	4363.77	523.80	853.12	1324.8.78
10.	हिमाचल प्रदेश	1195.50	2438.18	1983.26	832.31	352.18	549.11
11.	जम्मू और कश्मीर	2115.50	4468.71	3349.29	1120.67	706.41	1224.02
12.	झारखंड	1640.66	3459.21	2663.49	823.24	1158.81	1840.50
13.	कर्नाटक	3608.99	6564.20	5643.84	1460.72	1104.34	1419.59
14.	केरल	3532.10	5701.72	5701.67	1700.19	2780.53	1292.54
15.	मध्य प्रदेश	6791.86	13105.63	10480.77	2252.87	3066.85	2692.54
16.	महाराष्ट्र	7071.39	13052.14	11053.65	692.23	798.51	824.01
17.	मणिपुर	335.48	659.02	628.55	75.27	131.90	142.40
18.	मेघालय	556.80	1030.44	929.78	326.49	216.80	44.82
19.	मिजोरम	98.45	199.56	194.21	106.87	7.09	7.26
20.	नागालैंड	248.88	483.14	475.72	1.54	1.89	1.39
21.	ओडिशा	2540.33	4924.91	41.32.28	2478.91	2575.92	2493.22
22.	पुडुचेरी	189.20	373.12	346.28	23.92	59.36	86.70
23.	पंजाब	4493.76	8460.00	6959.07	286.96	790.21	763.01
24.	राजस्थान	5592.41	11080.19	9093.87	1589.21	1424.51	2107.53
25.	सिक्किम	112.00	203.22	163.65	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	तमिलनाडु	3951.00	7373.00	6349.95	1275.93	1480.06	2258.02
27.	त्रिपुरा	315.37	581.42	558.80	388.63	538.85	754.64
28.	उत्तर प्रदेश	11606.48	23578.50	16221.79	3097.04	1440.16	4257.53
29.	उत्तराखंड	2826.48	5720.82	4370.84	948.78	1616.29	2384.22
30.	पश्चिम बंगाल	5918.18	10839.57	9166.87	682.75	743.24	1124.23
31.	सं.रा.क्षे. चंडीगढ़	913.26	1840.71	1439.70	148.69	91.95	138.81
32.	सं.रा.क्षे. अन्य	327.26	743.94	578.30	612.57	137.72	136.90
33.	काठमांडू	172.08	290.70	265.30	-	-	-
34.	केविएस हैडक्वाटर-पेंशन	15263.08	26080.44	25503.46	-	-	-
	कुल योग	107688.66	203625.27	171215.84	31766.80	36002.51	43786.62

[अनुवाद]

विद्यालयों में शिक्षा का स्तर

2426. श्री आर. थामराईसेलवन:
श्री यशवंत लागुरी:
श्री रमा शंकर राजभर:
श्री इज्यराज सिंह:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में छह से चौदह वर्ष के आयु के बच्चों के निजी विद्यालयों में प्रवेश की संख्या सरकारी विद्यालयों से अधिक है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी विद्यालयों में निजी विद्यालयों की तुलना में शिक्षा का स्तर काफी नीचे है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए क्या उपचारी कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) स्कूल शिक्षा के सांख्यिकी 2009-10 स्कूल प्रबंधन द्वारा नामांकन के आंकड़े प्रकाशित नहीं करते हैं। तथापि, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन विश्वविद्यालय (नूपा) समेकित जिला शिक्षा सूचना प्रणाली 2010-11 के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 6-14 वर्ष आयुवर्ग में बच्चों का नामांकन निजी स्कूलों की अपेक्षा सरकारी स्कूलों में अधिक है, जैसाकि नीचे दिया गया है:

स्कूल की श्रेणी	नामांकित बच्चों की संख्या	नामांकन का प्रतिशत
सरकारी	12,53,66,498	83.52 प्रतिशत
निजी	2,47,36,090	16.48 प्रतिशत

(ग) और (घ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) सरकारी तथा सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों में राष्ट्रीय प्रशिक्षु उपलब्धि सर्वेक्षण संचालित करता है। सरकारी तथा सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों के बीच कक्षा III, V, VII/VIII में विषयों के संबंध में उपलब्धि स्तरों में निम्नानुसार अल्प अंतर प्रदर्शित होते हैं:

	सरकारी	सरकार द्वारा सहायता प्राप्त
	कक्षा III	
भाषा	66.93	71.20
गणित	61.23	65.02
	कक्षा V	
पर्यावरण अध्ययन	51.19	52.77
गणित	47.67	48.31
भाषा	58.80	61.42
	कक्षा VII	
भाषा	57.16	57.23
गणित	40.69	38.12
विज्ञान	42.73	41.75
सामाजिक ज्ञान	45.02	41.51
	कक्षा VIII	
भाषा	55.46	58.88
गणित	42.38	43.11
विज्ञान	42.05	44.95
सामाजिक ज्ञान	47.21	49.67

एनसीईआरटी के सर्वेक्षण में निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में अधिगम उपलब्धि शामिल नहीं है।

(ङ) शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए राज्यों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत तथा राज्य क्षेत्र दोनों में अध्यापकों की बैकलॉग रिक्तियों को व्यक्तियों द्वारा अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात शीघ्रता से भरा जाए। राज्यों को यह सुनिश्चित करने की भी सलाह दी गई है कि अप्रशिक्षित अध्यापक निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य समय सीमा के भीतर अपेक्षित अध्यापक अर्हताएं प्राप्त करें। राज्यों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 29 और राष्ट्रीय पुनश्चर्या अवसंरचना 2005 के प्रावधानों के अनुरूप पाठ्यचर्या में सुधार करने की भी सलाह दी गई है। सर्व शिक्षा अभियान अन्य बातों के साथ-साथ स्कूल अवसंरचना में सुधार करने की भी सलाह दी गई है। सर्व शिक्षा अभियान अन्य बातों के साथ-साथ स्कूल अवसंचरना में सुधार करने, सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण प्रदान करने, बच्चों के लिए पाठयपुस्तकें तथा वर्दी उपलब्ध कशने हेतु राज्यों के लिए अपने अनुमोदित कार्य मानदंडों के अनुसार सहायता प्रदान करता है।

कोयले का गैसीकरण

2427. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:
श्री पशुपति नाथ सिंह:
श्री निशिकांत दुबे:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तरलीकरण और गैसीकरण के लिए कोयला और लिग्नाइट ब्लाकों की पहचान कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और क्या सरकार ने इन ब्लॉकों को तरलीकरण और गैसीकरण के लिए आबंटित किया है;

(ग) यदि हां, तो उन कंपनियों जिन्हें इन ब्लॉकों का आवंटन किया गया है का स्थान-वार और कंपनी-वार ब्यौरा क्या है और इन कंपनियों द्वारा उत्पादन कब तक शुरू होने की संभावना है;

(घ) क्या कुछ विदेशी कंपनियां भी इन ब्लॉकों को विकसित करने में सहायता कर रही हैं और यदि हां, तो इस प्रकार के ब्लॉकों का ब्यौरा क्या है और इससे संबंधित कंपनियों के नाम क्या हैं;

(ङ) क्या गुजरात राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी क्षेत्र के उपक्रम की व्यवस्था के तहत मेसर्स गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड के तेल और प्राकृतिक गैस निगम के साथ भूमिगत कोल गैसीकरण परियोजना के लिए गुजरात में राजपरदी ब्लॉक के दक्षिणी क्षेत्र के आवंटन संबंधी प्रस्ताव की सिफारिश की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव को केन्द्र सरकार द्वारा कब तक स्वीकृत/अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) से (ग) आबंटन के लिए कोयला ब्लाकों की पहचान एक सतत प्रक्रिया हैं तरलीकरण के लिए ब्लाकों के आबंटन के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में अंतर्मंत्रालयी समूह की सिफारिशों के आधार पर ओडिशा राज्य में उत्तर अर्खापा-श्रीरामपुर ब्लाक का आबंटन मैसर्स स्ट्रेटिजिक एनर्जी टेक्नोलॉजी सिस्टम लि. (एसईटीएसएल) को किया गया है तथा ओडिशा में रामचन्दी प्रमोशन ब्लाक भी कोल टू लिक्विड (सीटीएल) परियोजनाओं के लिए मैसर्स जिंदल स्टील एंड पावर लि. को आबंटित किया गया है।

आबंटन की शर्तों के अनुसार, सर्वेक्षण/अन्वेषण तथा भू-गर्भीय रिपोर्ट (जीआर) बनाने का कार्य आबंटन की तिथि से 27 महीने के भीतर पूरा किया जाना होता है। कैप्टिव कोयला ब्लाक से उत्पादन आबंटन की तिथि से 27 महीने के भीतर पूरा किया जाना होता है। कैप्टिव कोयला ब्लाक से उत्पादन ओपन कास्ट खानों के मामले में भू-गर्भीय रिपोर्ट के तैयार होने की तिथि से 36 महीने (यदि वह क्षेत्र वन भूमि में पड़ता हो तो 42 महीने) तथा भूमिगत खान के मामले में 48 महीने (यदि वह क्षेत्र वन भूमि में पड़ता हो तो 54 महीने) के भीतर शुरू होगा।

(घ) आबंटी कंपनियों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, जर्मनी का एलयूआरजीआई मैसर्स जिंदल स्टील एंड पावर लि. को अपनी भारतीय सहायक कंपनी अर्थात लूर्गी इंडिया कंपनी लि. के माध्यम से सीटीएल प्रौद्योगिकी प्रदान कर रही है तथा साऊथ अफ्रीका का सासोल ग्रुप मैसर्स एसईटीएसएल को सहायता प्रदान कर रहा है।

(ङ) से (च) सरकार को तेल एवं प्राकृतिक गैस (ओएनजीसी) के साथ भूमिगत कोयला गैसीकरण परियोजना के लिए गुजरात में दक्षिण राजपर्दी लिग्नाइट ब्लाक के आबंटन के लिए मैसर्स गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लि. (जीआईपीसीएल) से अनुरोध प्राप्त हुआ है। जैसे ही कोयला/लिग्नाइट ब्लाकों की पेशकश आबंटन के लिए की जानी है, जीआईपीसीएल को उसके लिए आवेदन करना होता है। उस आवेदन पर निर्धारित शर्तों एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार, अन्य आवेदकों, यदि कोई हो, के साथ-साथ विचार किया जाएगा।

ग्रीन फील्ड विमानपत्तनों संबंधी संचालन समिति

2428. श्री जयराम पांगी:
श्री अशोक तंवर:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागर विमानन मंत्रालय की संचालन समिति ने देश में ग्रीनफील्ड विमानपत्तनों से संबंधित किसी प्रस्ताव की जांच है/को स्वीकृत किया है/अनुमोदित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथा ओडिशा सहित राज्य सरकारों से मांगे गए/प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) वैसे प्रस्ताव जो अब तक सरकार के विचाराधीन हैं का विमानपत्तन-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) ग्रीन फील्ड विमानपत्तनों में भूमि अर्जन के सुचारू परिवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या कुछ निजी कंपनियों ने ओडिशा के कोरापुट और राउरकेला सहित विभिन्न विमानपत्तनों पर इन स्कीमों के कार्यान्वयन में रुचि व्यक्ति की है; और

(च) यदि हां, तो इस पर तथा इस संबंध में राज्य सरकरों के विचार आमंत्रित करने के लिए की गयी या प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) हवाई यात्रियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए और हवाईअड्डा क्षेत्र में और अधिक निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, सरकार ने अप्रैल, 2008 में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के लिए एक निति प्रख्यपित की। इस नीति के अनुसार, हवाईअड्डे के विकसित करने के उद्देश्य से, सरकार के पास प्रस्ताव प्रस्तुत करना होता है। ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना के लिए आवेदन पर 'सिद्धांत रूप में अनुमोदन प्रदान किए जाने के लिए, प्रमोटर

द्वारा पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट, साइट क्लियरेंस, विनियामक एजेंसियों की ओर से क्लियरेंस हासिल, करने, आदि की सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर लिए जाने के बाद, संचालन समिति/सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाता है।

(ख) और (ग) अभी तक सरकार गोवा में मोपा; महाराष्ट्र में नवीं मुंबई, सिंधु दुर्ग और शिरडी; कर्नाटक में शिमोगा, गुलबर्गा हासन और बीजापुर; केरल में कुन्नूर; पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर; सिक्किम में पेक्यांग; मध्य प्रदेश में दतिया/ग्वालियर (कार्गो); उत्तर प्रदेश में कुशीनगर और पुडुचेरी में कराइकल में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के निर्माण के लिए 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदन प्रदान कर चुकी है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार को उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा; कर्नाटक में बेल्लारी; हरियाणा में रोहतक; गुजरात में धोलेरा; राजस्थान में अलवर और महाराष्ट्र में शोलापुर और अमरावती में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के निर्माण के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(घ) से (च) ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों से संबंधित नीति के अनुसार, परियोजना विकास के लिए आवश्यक कार्रवाई-जिसमें भूमि का अधिग्रहण हवाईअड्डा परियोजना का वित्त पोषण आदि शामिल हैं- संबंधित हवाईअड्डा प्रमोटर द्वारा की जाती है। तथापि, यदि राज्य सरकार हवाई अड्डे की स्थापना को सुगम बनाने की इच्छुक हो- तो वह किसी हवाईअड्डा कंपनी को निम्नलिखित प्रोत्साहन दे सकती है:-

(क) भूमि, रियायती या अन्यथा;

(ख) हवाईअड्डों के आस-पास रीयल एस्टेट के विकास के अधिकार;

(ग) हवाई अड्डा संपर्कता; रेल, सड़क;

(घ) राज्य करों से छूट के रूप में आर्थिक प्रोत्साहन, और

(ङ) कोई अन्य सहायता जो राज्य सरकार को उचित लगे।

भारत सरकार को ओडिशा में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के निर्माण के लिए निजी हवाईअड्डा प्रमोटर की ओर से कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

भ्रष्टाचार के मामले

2429. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केंद्रीय सतर्कता आयोग को भेजे गए भ्रष्टाचार के मामलों की संख्या कितनी है;

(ख) जिन मामलों पर रिपोर्ट दी गयी है, उनकी संख्या कितनी है;

(ग) आवश्यक साक्ष्य के अभाव के कारण वापस भेजे गए मामलों की संख्या कितनी है;

(घ) वैसे मामलों की संख्या कितनी है जिनमें व्यक्ति दोषी पाए गए हैं और वैसे मामलों की संख्या कितनी है जिनमें दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिए जाने की सिफारिश की गयी है; और

(ङ) वैसे मामलों की संख्या कितनी है जिनमें अब तक कार्रवाई नहीं की गई है और इसके कारण क्या हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (घ) मौजूदा परिपाटी के अनुसार, सीवीसी से दो स्तर पर परामर्श किया जाता है अर्थात प्रथम स्तर की इस सलाह हेतु कि क्या प्राथमिक जांच समाप्त एकत्रित प्रमाण अनुशासनिक कार्यवाहियों में दीर्घ अथवा किसी लघु शास्ति के योग्य हैं जांच समाप्त होने के पश्चात्, मामला अभिलेखों को पुन: आंशिक अथवा पूर्णत: साबित अथवा बिना साबित आरोपों के आधार पर द्वितीय स्तर पर सलाह हेतु सीवीसी को भेजा जाता है।

वर्ष 2010 और 2011 के दौरान, आयोग ने क्रमश: 3424 और 3144 मामलों में अपनी प्रथम स्तर की सलाह दी है। प्रथम स्तर की सलाह और द्वितीय स्तर की सलाह की प्रकृति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, कार्यवाहियों को पूरा होने के पश्चात, आयोग संगठनों से प्राप्त संदर्भों पर शास्तियों की प्रकृति पर अथवा अन्यथ सलाह प्रस्तुत करता है। ऐसी सलाहों को द्वितीय स्तर सलाह के रूप में परिभाषित किया गया है। वर्ष 2010 और 2011 के दौरान, आयोग ने क्रमश: 1180 और 1027 मामलों में अपनी द्वितीय स्तर की सलाह दी है। प्रथम स्तर की सलाह और द्वितीय स्तर की सलाह की प्रकृति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) ऐसे आंकड़े केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं। तथापि, संबद्ध अनुशासनिक प्राधिकरण अनुशासनिक मामलों में अंतिम निर्णय करते समय आयोग की सलाह पर ध्यान देता है।

विवरण

2010 और 2011 के दौरान सीवीसी द्वारा दी गई प्रथम स्तर की सलाह की प्रकृति का विवरण

वर्ष	2010			2011		
सलाह की प्रकृति	निम्नलिखित की जांच रिपोर्ट पर		कुल	निम्नलिखित की जांच रिपोर्ट पर		कुल
	सीबीआई	सीवीओ		सीबीआई	सीवीओ	
आपराधिक कार्यवाहियां	87	12	99	73	32	105
दीर्घ शास्ति कार्यवाहियां	61	495	556	35	509	544
लघु शास्ति कार्यवाहियां	18	291	309	08	212	220
प्रशासनिक कार्रवाई, चेतावनी, सावधानी आदि	22	356	378	27	421	448
समापन	68	2014	2082	57	1770	1827
कुल	256	3168	3424	200	2944	3144

2010 और 2011 के दौरान सीवीसी द्वारा दी गई प्रथम स्तर की सलाह की प्रकृति का विवरण

वर्ष	2010			2011		
सलाह की प्रकृति	सीडीआई की रिपोर्ट पर	सीवीओ से प्राप्त मामलों पर	कुल	सीडीआई की रिपोर्ट पर	सीवीओ से प्राप्त मामलों पर	कुल
दीर्घ शास्ति	39	484	523	10	435	445
लघु शास्ति	8	261	269	9	199	208
दोष मुक्ति	6	253	259	12	275	287
अन्य कार्रवाई	12	117	129	5	82	87
कुल	65	1115	1180	36	991	1027

सिख पगड़ी

2430. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि सुरक्षा जांच के नाम पर विश्व भर में यात्रा करने वाले सिखों को अपनी पगढ़ी हटाए जाने के लिए बाध्य किया जाता है या फिर यात्रा नहीं करने के लिए कहा जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सिखों को पगड़ी हटाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (ङ) सिख यात्रियों को कुछ हवाई अड्डों, विशेषत: यूरोप तथा संयुक्त राज्य अमरीका के हवाई अड्डों पर हो रही कठिनाइयों के बारे में सरकार को जानकारी है। सरकार ने संबंधित देशों की सरकारों के समक्ष इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाते हुए इस बात का उल्लेख किया है कि सुरक्षा जांच के दौरान हवाई अड्डा सुरक्षा अधिकारियों को चाहिए कि वे सिख धर्मावलम्बियों की निष्ठा से संबंधित विशिष्ट अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील रहें; विदेश यात्रा करने वाले सिख यात्रियों की प्रतिष्ठा का ध्यान रखें; और साथ ही अन्य यात्रियों के सम्मान की रक्षा सुनिश्चित करें; और सभी यात्रियों की सांस्कृतिक एवं धार्मिक भावनाओं का सम्मान करें। संबंधित सरकारों ने अलग-अलग यात्रियों के सम्मान को ध्यान में रखते हुए कारगर उड्डयन सुरक्षा उपायों की आवश्यकता को स्वीकार किया है।

[हिन्दी]

जिला स्तर पर दूरसंचार सेवाएं

2431. श्री कादिर राणा:
राजकुमारी रत्ना सिंह:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सहित देश के कुछ राज्यों में जिला स्तर पर दूरसंचार सुविधाएं/सेवाएं अत्यंत खराब स्थिति में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास जिला स्तर पर उक्त सेवाओं की गुणता के आकलन हेतु कोई तंत्र विद्यमान है;

(घ) यदि हां, तो इन जिलों का ब्यौरा क्या है जहां दूरसंचार सुविधाएं अपर्याप्त हैं तथा सेवाएं अत्यंत खराब हैं; और

(ङ) उक्त सुविधाओं के विस्तार और सेवाओं को, विशेषरूप से प्रभावित जिलों में वायरलैस फोन सेवाएं बेहतर बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) और (ख) देश में उत्तर प्रदेश सहित भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) द्वारा प्रदत्त दूरसंचार सुविधाओं/सेवाओं में कभी कभार जिले स्तर पर सेवा की गुणवत्ता संबंधी शिकायतें आ जाती हैं। तथापि, बीएसएनएल द्वारा प्रदत्त दूरसंचार सेवाएं सामान्यत: संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही हैं।

(ग) और (घ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्रधिकरण (ट्राई) ने सेल्यूलर मोबइल सेवा प्रदाताओं और बुनियदी टेलीफोन सेवा प्रदाताओं के लिए सेवा की गुणवत्ता संबंधी मानदंड निधारित किए हैं। ट्राई सेवा प्रदाताओं द्वारा भेजी गई तिमाही निष्पादन मॉनीटरिंग रिपोर्टों के माध्यम से लाइसेंसयुक्त सेवा क्षेत्र-वार सेवा की गुणवत्ता की मॉनीटरिंग करता रहा है। चूंकि लाइसेंस सेवा क्षेत्र-वार जारी किए गए हैं,अत: ट्राई द्वारा सेवा की गुणवत्ता संबंधी निष्पादन की मॉनीटरिंग लाइसेंसयुक्त सेवा-क्षेत्र के आधार पर की जाती है। तथापि, भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा प्रदत्त दूरसंचार सेवाएं इसके लाइसेंसयुक्त क्षेत्रों में संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही हैं और सामान्यत: ट्राई द्वारा निर्धारित किए गए सेवा की गुणवतो संबंध मानदंडों को पूरा कर रही हैं।

(ङ) बीएसएनएल ने अपनी मोबाइल सेवाओं के विस्तार के लिए मोबाइल संचार (जीएसएम) आधारित मोबाइल उपस्करों हेतु ग्लोबल सिस्टम के प्रापण के लिए कार्रवाई की पहल की है। बीएसएनएल द्वारा बेतार सहित अपनी दूरसंचार सेवाएं और अधिक सुधारने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए/किए जा रहे हैं:

- बीएसएनएल उत्तरोत्तर रूप से अपने मोबाइल नेटवर्क का संवर्धन कर रहा है ताकि कवरेज एवं क्षमता को बढ़ाया जा सके और आगे सेवा की गुणवत्ता में भी सुधार लाया जा सके।
- बीएसएनएल अपने निष्पादन के लिए अपने नेटवर्क को निरंतर रूप से इष्टतम बना रहा है।
- मोबाइल नेटवर्क के कवरेज क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, उत्तरोत्तर रूप से बेस ट्रांसीवर स्टेशनों (बीटीएस) की संख्या को बढ़ाया जा रहा है।
- गुणवत्तायुक्त ब्रॉडबैंड सेवा सुनिश्चित करने के लिए, बीएसएनएल ने विश्वसनीय माध्यमों पर अपने अधिकांश एक्सचेंजों को जोड़ा है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्त पद

2432. प्रो. रंजन प्रसाद यादव:
श्री भूपेन्द्र सिंह:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय और डॉ. हरिसिंह गौड़ केन्द्रीय विश्वविद्यालय सहित देश के केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में संस्वीकृत पदों और आरक्षित पदों की श्रेणी-वार और संवर्ग-वार संख्या कितनी है;

(ख) आज की तिथि के अनुसार विश्वविद्यालयों में रिक्त पड़े आरक्षित और अनारक्षित पदों की श्रेणी-वार और संवर्ग-वार संख्या कितनी है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भरे गए पदों की श्रेणी-वार और संवर्ग-वार वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भरे गए पदों की श्रेणी-वार और संवर्ग-वार संख्या कितनी है; और

(घ) इन विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है या प्रस्तावित है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है।

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को नियमित रूप से पत्र लिख रहा है।

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स का विलय

2433. डॉ. काकोली घोष दस्तिदार:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री आनन्दराव अडसुल:
श्री गजानन ध. बाबर:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विलय के पश्चात् एयर इंडिया के कार्य-निष्पादन का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या विलय के पश्चात् एयर इंडिया के कार्य-निष्पादन में सुधार आया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या एक को हुई हानि से दूसरे के कार्य-निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एयर इंडिया को अधिक प्रतिस्पर्धी और लाभ अर्जित करने वाला सरकारी क्षेत्र का उपक्रम बनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (ङ) संघ सरकार, एअर इंडिया के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए इसके कार्य-निष्पादन को नियमित आधार पर मॉनीटर करती है। एअर इंडिया के विलय के तुरंत बाद वैश्विक आर्थिक मंदी तथा एटीएफ की बढ़ती कीमत के कारण एअर इंडिया के कार्य-निष्पादन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(च) एअर इंडिया के लिए एक व्यापक टर्न-अराउंड प्लान तथा वित्तीय पुनर्गठन योजना अनुमोदन के लिए तैयार की गई है, जिससे वित्तीय तथा प्रचालन संबंधी दायित्वों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

[हिन्दी]

कोयले के परिवहन में अनियमितताएं

2434. श्री जगदीश शर्मा:
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के कहलगांव एकक ने शिकायत की है कि इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा भेजे गए 9 वैगनों में कोयले के स्थान पर पत्थर भरे हुए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कितने लोगों को पकड़ा गया है;

(घ) क्या पहले भी इस प्रकार की घटनाएं सरकार के ध्यान में आई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) एनटीपीसी के कहलगांव यूनिट के लिए बहुला साइडिंग, केन्दा एरिया, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ईसीएल) में 59 वैगनों वाले एक रेक में कोयले की लदान की गई थी। ईसीएल द्वारा एनटीपीसी से एक शिकायत प्राप्त हुई थी। कि रेक में 9 वैगनों में अर्थ/ओवरबर्डेन था। एनटीपीसी से शिकायत प्राप्त होने पर 13.12.2011 को ईसीएल की कार्यपालकों की एक टीम कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन भेजी गई थी। संयुक्त रूप से यह पाया

गया था कि 3 वैगनों के ऊपर मोरम जैसी सामग्री की एक पतली परत पड़ी हुई थी। इस मामले पर दोनों कंपनियां के निदेशकों के बीच चर्चा की गई और उक्त वैगनों की ऊपरी परत हटा दी गई और तोल कराई गई। अर्थ/ओवरबर्डेन (वास्तविक रूप से मोरम जैसी सामग्री) का कुल वजन 1.7 टन हुआ।

(ग) जब मामले की जांच की गई तो यह आशंका हुई कि कुछ बदमाशों ने बहुला साइडिंग से कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन के रास्ते में वैगनों में कोयले के ऊपर मोरम जैसी सामग्री की एक पतली परत फैला दी होगी। ईसीएल के पास साइडिंग की सीमाओं से बाहर ऐसे किसी कार्यकलाप की जांच/नियंत्रण करने का अधिकार नहीं है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न के भाग (घ) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कोयले का उत्पादन

2435. **श्री कपिल मुनि करवारिया:**
श्री राम सुन्दर दास:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षो के दौरान कोयले के उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षो और चालू वर्ष के दौरान सकल घरेलू उत्पादन की तुलना में वृद्धि की दर क्या है;

(ग) देश में कोयले के कुछ आरक्षित भंडारों की मात्रा कितनी है और इसकी गुणवत्ता कैसी है;

(घ) क्या दूरस्थ ताप विद्युत संयंत्रों तक कोयला ले जाने में परिवहन लागत अधिक लगती है;

(ङ) यदि हां, तो क्या खनन कंपनियों पर परिवहन की लागत डालने के लिए सरकार का विचार कैप्टिव कोयला खनन लाइसेंस जारी करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) जी, हां। पिछले तीन वर्षो के लिए वर्तमान मूल्यों में कोयला उत्पादन की वृद्धि की दर और जीडीसी की वृद्धि की दर सहित इसका उत्पादन नीचे दिया गया है:

मद	2008-09	2009-10	2010-11
कोयला उत्पादन	492.757	532.042	532.694
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी (%) की कोयला उत्पादन दर	7.8	8.0	0.1
सतत मूल्यों में जीडीपी की वृद्धि दर पर	6.7	8.4	8.4

(ग) 01.04.2011 की स्थिति के अनुसार किस्म-वार भू-वैज्ञानिक कोयला भण्डारों की तालिका निम्नानुसार है:

कोयला की किस्म	10.04.2011 की स्थिति के अनुसार	भण्डार (मि.ट.में)			
		प्रमाणित	निर्दिष्ट	अनुमानित	कुल
प्राइम कोकिंग	01.4.2011	4,614	699	0	5,313
मीडियम कोकिंग	01.4.2011	12,573	12,001	1,880	26,454
मिश्रण कोकिंग/सेमी कोकिंग	01.4.2011	482	1,003	222	1,707
नॉन-कोकिंग (उच्च सल्फर सहित)	01.4.2011	96,333	123,768	32,287	252,388
कुल	01.4.2011	114.002	137,471	34,389	285,862

(घ) आमतौर पर दूरवर्ती क्षेत्रों में स्थित तापीय विद्युत संयंत्रों तक कोयला ले जाने कि लिए परिवहन लागत अधिक होती है।

(ङ) और (च) सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

सी.बी.आई. की स्थानांतरण नीति

2436. श्री समीर भुजबल: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सी.बी.आई. निरीक्षकों और पुलिस उपाधीक्षक (डी.सी.पी.) की स्थानांतरण की नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन परिस्थितियों का ब्यौरा क्या है जिनके अधीन इसमें बदलाव किया जाता है जिससे कर्मचारियों को कठिनाई होती है;

(ग) डी.एस.पी. और निरीक्षकों के अधीन कर्मचारियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए गत छह महीनों के दौरान इस प्रकार के बदलाव का ब्यौरा क्या है;

(घ्ग) क्या सी.बी.आई. स्थानांतरण नीति के दिशा-निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किस समय तक इसका आश्वासन दिए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की, निरीक्षक और पुलिस उप अधीक्षक के रैंक के अधिकारियों सहित विभिन्न रैंक के अधिकारियों के संबंध में स्थानांतरण नीति संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) विहित न्यूनतम और अधिकतम कार्यावधि के अपवाद स्थानांतरण नीति में विहित है। इस प्रकार, कार्यवधि पूरा होने से पहले स्थानांतरण को इस नीति से विचलन नहीं माना जा सकता। संबंधित अधिकारियों द्वारा हाथ में लिए गए संवेदनशील मामलों के अन्वेषण के कारण कतिपय मामलों में स्थानांतरण नीति से विचलन भी होता है।

(ग) स्थानांतरण नीति में प्रशासनिक आकस्मिता के अध्यधीन अधिकतम और न्यनतम कार्यावधि विनिर्धारित है। पिछले छह माह के दौरान पुलिस उप अधीक्षक और निरीक्षक रैंक के विभिन्न अधिकारियों का, कार्यवधि पूरी होने से पूर्व प्रशासनिक आकस्मिकता के कारण का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ और (ङ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की उपर्युक्त स्थानांतरण नीति का पालन किया जा रहा है और कार्यावधि से पहले स्थानांतरण प्रशासनिक कारणों और लोक हित में केवल विरले मामलों में ही किया जाता है।

विवरण I

I. सी.बी.आई. में प्रतिनियुक्ति पर राज्य पुलिस/सी.पी.ओ. अधिकारी

(क) कार्यपालक अधिकारी: इस श्रेणी के उप-निरीक्षकों से अपर पुलिस अधीक्षक के रैंक में अधिकारियों को, अनुकंपा या उनके विरुद्ध गंभीर शिकायतों के आधार पर स्थानांतरण के लिए उनके स्वयं के अनुरोध को छोड़कर, सामान्यतया उन्हें प्रारंभ में सौंपे गए स्थलों से स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

तथापि, अधिकारी को सी.बी.आई. में उनके आमेलन के पश्चात् स्थानांतरण किया जा सकेगा।

(ख) सहकारी कर्मचारी: प्रतिनियुक्ति पर आए कांस्टेबलों, हैड कांस्टेबलों एवं ए.एस.आई. को अनुकंपा आधार पर स्थानांतरण के उनके स्वयं के अनुरोध या उनके विरुद्ध गंभीर शिकायतों को छोड़कर उन्हें प्रारंभ में सौंपे गए स्थलों से बाहर स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

तथापि, इस कार्मिकों को सी.बी.आई. में उनके आमेलन के पश्चात् स्थानांतरण किया जा सकेगा।

II. विभागीय अधिकारी

(क) कार्यपालक अधिकारी: उप-निरीक्षक से अपर पुलिस अधीक्षक तक के रैंक के अधिकारियों को 6 वर्ष पूरे करने के पश्चात् एक शाखा से अन्य में स्थानांतरित किया जा सकता है। 12 वर्षों के पश्चात् स्टेशन से बारह, उन्हें एस.पी. के रैंक पर उनकी पदोन्नति पर शाखा से स्थानांतरित किया जाएगा।

तथापि, उक्त मानदंड को संबंधित अधिकारियों द्वारा निपटाए जा रहे संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण मामले को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत मामलों में शिथिल किया जा सकता है।

सी.बी.आई. अधिकारियों के स्थानांतरण के सामान्य दिशा-निर्देश को सूचना एवं आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न है। इन दिशा-निर्देशों को अपने अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले प्रत्येक सदस्य के ध्यान में लाया जाए।

इसे डी.सी.बी.आई. के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(हस्ताक्षर)

पुलिस अधीक्षक (कार्मिक)

सी.बी.आई./मुख्यालय

(ख) सहायक स्टाफ: हवलदार से एएसआई निम्नलिखित आधारों के सिवाय जहां वे तैनात हैं, स्टेशनों के बाहर सामान्यत: स्थानांतरित नहीं किए जाएंगे:

(i) पदोन्नति/जोन के भीतर प्रशासनिक अत्यावशकताओं पर

(ii) उनके विरुद्ध गंभीर शिकायतों।

(iii) अनुकंपा आधार पर स्वयं अनुरोध।

इसके अलावा, इस श्रेणी के कार्मिक को यदि प्रशासनिक तौर पर सम्भव हो, पदोन्नति पर भी उनके मौजूदा स्थानों पर समायोजित किया जा सकता है।

III. मंत्रालयी स्टाफ

मंत्रालयी स्टाफ को निम्नलिखित आधारों के सिवाय उनके तैनाती के स्थलों से स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

(i) प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं

(ii) उनके विरुद्ध गंभीर शिकायतों पर

(iii) उनके अपने अनुकंपा आधार के अनुरोध पर तथापि, वे प्रशासनिक सम्भाव्यता के अध्यधीन प्रत्येक 05 वर्ष के पश्चात एक शाखा से दूसरी शाखा में स्थानांतरित किए जा सकते हैं।

IV. विधि अधिकारी

कार्य के भिन्न क्षेत्रों में उनके व्यापक अनुभव हेतु एक ओर वांछनीयता पर शाखाओं में एसीपी से एएलए रैंक तक के अधिकारियों की निरंतरता की आवश्यकता को समझते हुए, इस श्रेणी के अधिकारी 6 वर्ष के पूरा होने पर एक शाखा/जोन से दूसरे में स्थानांतरित किए जा सकते हैं।

तथापि, उपर्युक्त मानदण्ड में संबद्ध अधिकारियों द्वारा निर्वहन किए जा रहे मामलों की संवेदनशीलता और महत्ता के मद्देनजर वैयक्तिक मामलों में रियायत दी जा सकती है।

V. पूर्वोत्तर और अण्डमान और निकोबार द्वीप में तैनाती अधिकारी

पूर्वोत्तर और अण्डमान और निकोबार द्वीप में तैनात सभी श्रेणियों के अधिकारी और लोगों का सामान्यत: 2 वर्षों का सेवाकाल होगा जिसके पश्चात उनका स्थानांतरण प्रशासनिक सम्भाव्यता के अध्यधीन होगा। तथापि, वे अपने अनुरोध पर इन क्षेत्रों में बने रहने हेतु अनुमति दी जा सकती है।

VI. विदेशी छात्रवृत्ति और समनुदेशन:

(क) आईपीएस अधिकारी: किसी आईपीएस अधिकारी को 2/3 माह से अधिक की विदेश छात्रवृत्ति/विदेश समनुदेश पर जाने हेतु अनुमति नहीं दी जाएगा जब तक कि वह संगठन में कम से कम 5 वर्ष की सेवाएं न दे चुका हो।

(ख) सीबीआई अधिकारी: विभिन्न रैंक में सीबीआई अधिकारियों को संगठन में सेवा के 5 वर्ष के पश्चात 2/3 माह से अधिक विदेश छात्रवृत्ति/विदेश समनुदेशन पर जाने हेतु अनुमति होगी।

प्रतिलिपि:

1. निदेशक सीबीआई के पीएस।
2. सीबीआई के अपर निदेशकों के पीएस।
3. सभी संयुक्त निदेशक, सीबीआई
4. अभियोजना-निदेशक, सीबीआई, नई दिल्ली।
5. सीबीआई के सभी डीआईजी।
6. डीडी (सीडीएन), सीबीआई।
7. सभी एसपी, सीबीआई (स्थानीय/दिल्ली के बाहर)।
8. एसपी (पर्स) और (मुख्या.) सीबीआई।
9. प्रशासन अधिकारी (पर्स और प्रशा. अधिकारी (ए), सीबीआई)।
10. प्रशासनिक प्रभाग में सभी अनुभाग, सीबीआई, मुख्य कार्यालय।

संख्या डी.पी.डब्लयू.एस.यू. 2009/00035/15/14/2002

भारत सरकार

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

(प्रशासनिक प्रभाग)

ब्लॉक संख्या 3, चतुर्थ जल,

सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड

नई दिल्ली-110003

दिनांक: 16.01.2009

आदेश

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो मुख्यालय के दिनांक 19.01.2007 के आदेश संख्या डी.पी.डब्लयू.एस.यू. 2009/00035/15/14/2002 के क्रम में, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में उप निरीक्षक से अपर पुलिस अधीक्षक तक के कार्यकारी अधिकारियों के स्थानांतरण हेतु दिशा निर्देशों में यह और जोड़ा जाता है कि उत्तर पूर्व और अंडमान एवं निकोबार द्वीप से अलग स्थानों पर तैनात किए गए अधिकारियों का कार्यकाल सामान्य रूप से तीन वर्ष का होगा जिसके बाद प्रशासनिक संभाव्यता के अध्यधीन उनके स्थानांतरण पर विचार किया जाए। इसे निदेशक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

पुलिस अधीक्षक (कार्मिक)

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, मुख्यालय

1. डी.सी.बी.आई. के वरिष्ठ निजी सचिव
2. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के विशेष निदेशकों और अपर निदेशकों के वरिष्ठ निजी सचिव
3. अभियोजन निदेशक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो
4. सभी संयुक्त निदेशक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो
5. सभी डी.आई.सी.पी., डी.डी. (ए) और डी.डी. (आई.पी.सी.), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो
6. निदेशक, सी.एफ.एस.एल. (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) नई दिल्ली
7. सभी पुलिस अधीक्षक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (स्थानीय और बाहरी)
8. ए.डी.एस., एन.सी.बी-1 एवं 2 इंटरपोल और आ.पी.सी.सी., नई दिल्ली
9. ए.ओ. (पी) एवं ए.ओ. (ए), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली
10. सभी अनुभाग; प्रभाग जोन
11. गार्ड फाइल (आई.डब्ल्यू.एस.यू.)

संख्या डी.पी.डब्लयू.एस.यू. 2009/00035/15/14/2002

भारत सरकार

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

(प्रशासनिक प्रभाग)

ब्लॉक संख्या 3, चतुर्थ जल,

सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड

नई दिल्ली-110003

दिनांकः 06.02.2009

परिपत्र

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो मुख्यालय के दिनांक 19.01.2007 के आदेश और तत्पश्चात स्थानांतरण नीति के बारे में दिनांक 16.01.2009 के आदेश संख्या डी.पी.डब्ल्यू.एस.यू. 2007/00035/15/14/2002 के क्रम में निम्नलिखित सामान्य दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं।

1. कार्यकारी अधिकारी

(i) उप निरीक्षक से अपर पुलिस अधीक्षकः प्रशासनिक आकस्मिकता के अध्यधीन; एक शाखा में अधिकतम कार्यकाल 6 वर्ष और एक स्टेशन में 12 वर्ष का होगा। एक शाखा/स्टेशन में न्यूनतम कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। तथापि पूर्वोत्तर क्षेत्र जम्मू व कश्मीर तथा अण्डमान निकोबार द्वीप समूह के मामले में अधिकतम कार्यकाल 2 वर्ष का होगा।

(ii) कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षकः कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक के रैंक में विभागीय अधिकारी पदोन्नति/प्रशासनिक आधार उनके अपने अनुरोध के सिवाय जहां वे तैनात है साधारणतया स्टेशन से बाहर नहीं स्थानांतरित किए जाएंगे।

2. लिपिकीय स्टाफ

लिपिकीय स्टाफ जहां वे तैनात हैं पदोन्नति/प्रशासनिक आधार पर उनके अपने अनुरोध के सिवाय साधारणतया स्टेशन से बाहर नहीं स्थानातेरित किए जाएंगे।

3. विधि अधिकारी

प्रशासनिक आकस्मिताओं के अध्यधीन, एक शाखा में अधिकतम कार्यकाल 6 वर्ष का और एक स्टेशन पर 12 वर्ष का होगा। एक शाखा/स्टेशन पर न्यूनतम कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। हालांकि पूर्वोत्तर, जम्मू और कश्मीर और अण्डमान निकोबार द्वीप समूह के मामले में अधिकतम कार्यकाल 2 वर्ष का होगा।

4. अधिवर्षिता पर जाने वाले अधिकारी/पदाधिकारी

अधिविर्षिता पर जाने वाले अधिकारियों को जहां तक संभव हो उनकी अधिवर्षिता की वास्तविक तिथि से 2 वर्ष पहले उनके मन पसंद स्थान पर तैनात करने का प्रयास किया जाएगा।

5. इसे सीबीआई के निदेशक के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(एसजेएम गिलानी)

पुलिस अधीक्षक (कार्मिक)

सीबीआई मुख्यालय, नई दिल्ली

सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रति अग्रेषित:

1. वरिष्ठ पीएस/डीसीबीआई
2. सीबीआई के विशेष निदेशक एवं अपर निदेशकों के वरिष्ठ पीएस।
3. सीबीआई, अभियोजना निदेशक।
4. सीबीआई के सभी क्षेत्रीय कार्यालय अध्यक्ष।
5. सीबीआई के सभी डीआरजी, डीडी (ए) तथा डीडी (आईपीसी)
6. सीबाआई (स्थानीय/बाहरी) के सभी एसपी।
7. एनसीबी-इंटरपोल तथा आईपीसीसी नई दिल्ली के एडी।
8. एओ (पी) तथा एओ (ए) सीबीआई नई दिल्ली।
9. सभी प्रभाग, मण्डल क्षेत्र।

विवरण I

सी.बी.आई. में पिछले छह माह के दौरान कार्यालय पूरा होने से पूर्व स्थानांतरित उप-पुलिस अधीक्षक एवं निरीक्षक रैंक के अधिकारियों की सूची

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (डी.सी.पी./निरीक्षक)	से स्थानांतरित (शाखा का नाम)	को स्थानांतरित (शाखा का नाम)
1	2	3	4
1.	श्री अरविंद कुमार उपाध्याय, उप एस.पी.	ए.सी.बी., रांची	ए.सी.बी., पटना
2.	श्री ए.के. शर्मा, उप एस.पी.	बी.एस.एवं. एफ.सी., नई दिल्ली	एस.सी.-III, नई दिल्ली
3.	श्री अशोक कुमार, उप एस.पी.	ई.ओ.-II, दिल्ली	ए.सी.बी., पोर्ट ब्लेयर
4.	श्री रिचपाल सिंह, उप.एस.पी.	ए.सी.बी., चंडीगढ़	एस.सी.-II नई दिलली
5.	श्री ए.के. त्रिपाठी, उप एस.पी.	बी.एस. एवं एफ.सी., नई दिल्ली	एस.सी.-I, नई दिल्ली
6.	श्री बी.आर. प्रभाकर, उप एस.पी.	स.सी.-II नई दिल्ली	ए.सी.बी., नई दिल्ली
7.	श्रीमती नीलम यादव, उप एस.पी.	ई.ओ.-I नई दिल्ली	ई.ओ.-I नई दिल्ली
8.	श्री आर.ए. यादव, उप एस.पी.	ई.ओ.-I नई दिल्ली	ए.सी.बी., नई दिल्ली
9.	श्री जयंत कश्मीरी, उप एस.पी.	बी.एस.एवं एफ.सी., कोलकाता	बी.एस. एवं एफ.सी., नई दिल्ली
10.	श्री संजय सेन, उप एस.पी.	ए.सी.बी., मुम्बाई	ए.सी.बी., कोलकाता
11.	श्री सुरेन्द्र सिंह, उप एस.पी.	ए.सी.बी. शिलांग	एस.सी.-I, नई दिल्ली
12.	श्री आर.वी. गडेकर, निरीक्षक	ई.ओ.डब्लयू., मुम्बई	ए.सी.बी., मुम्बई
13.	श्री पी.वी. सीथारमन, निरीक्षक	ए.सी.बी. बैंगलुर	ए.सी.बी., हैदराबाद
14.	श्री आजम रजा, निरीक्षक	ए.एच.डी., रांची	ए.एच.डी., पटना
15.	श्री आजम रजा, निरीक्षक	ए.एच.डी., रांची	ए.एच.डी., पटना
16.	श्री ए.के. सिन्हा, निरीक्षक	ए.सी.बी., पटना	ए.एच.डी., पटना
17.	श्री के. हरि ओम, निरीक्षक	ए.सी.बी., चेन्नई	एस.सी.बी., कोचिन यूनिट
18.	श्री के. सुब्बीयन, निरीक्षक	एस.सी.बी., कोचिन यूनिट	ए.सी.बी., मुम्बई

1	2	3	4
19.	श्री आर.वी. गडेकर, निरीक्षक	ई.ओ.डब्लयू, मुम्बई	एस.सी.बी., मुम्बई
20.	श्री आर.सी. डोंगरा, निरीक्षक	ए.सी.बी., जम्मू	ए.सी.बी. चंडीगढ़
21.	श्री अशोक कालरा, निरीक्षक	ए.सी.बी., जम्मू	ए.सी.बी. शिमला
22.	श्री भूरी सिंह, निरीक्षक	ए.सी.बी., चंडीगढ़	ए.सी.बी. जम्मू
23.	श्री ए.के. गुप्ता, निरीक्षक	एस.यू.कोलकाता	एस.यू. नई दिल्ली
24.	श्री सी.आर.दास. निरीक्षक	एस.यू., कोलकाता	एस.यू. नई दिल्ली
25.	श्री विवेक प्रकाश, निरीक्षक	ए.सी.बी., दिल्ली	ए.सी.बी., गांधी नगर
26.	श्री एम.के. पाठक, निरीक्षक	ए.सी.बी., धनबाद	एस.सी.-II, नई दिल्ली
27.	श्री शिव कुमार मिश्रा, निरीक्षक	ए.सी.बी., जबलपुर	ए.सी.बी., इम्फाल

[हिन्दी]

यूरेनियम का उपयोग

2437. श्री दिनेश चन्द्र यादवः
डॉ. मुरली मनोहर जोशीः
श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरेः

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विद्युत संयंत्रों में मामूली तौर पर संवर्धित यूरेनियम का उपयोग करने हेतु हाल में कोई नीति तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इसके उपयोग से प्राप्त होने वाले सभी लाभों का आकलन कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इससे क्या लाभ होने के संभावना है;

(ङ) इस परीक्षण की सफलता का पूर्ण आकलन कब तक किए जाने की संभावना है; और

(च) देश में यूरेनियम के खनन के दृष्टिगत पर्यावरण के संरक्षण हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी.नारायणसामी): (क) और (ख) स्वदेशी दाबित भारी रिएक्टरों (पीएचडब्ल्यू आर्ज) में 0.7% U-235 से युक्त प्राकृतिक यूरेनियम को ईंधन के रूप में काम में लाया जाता है, जबकि विदेशों के तकनीकी सहयोग से स्थापित किए जाने वाले साधारण जल रिएक्टरों (एलडब्ल्यूआर्ज) में लगभग 4%-5% U-235 वाले कम समृद्ध यूरेनियम (एलईयू) को काम में लाया जाएगा। साधारण जल रिएक्टरों के भुक्तशेष ईंधन में, विखण्डनीय यूरेनियम की मात्रा (U-235) मामूली सी अधिक अर्थात लगभग 1% (मामूली सा जल समृद्ध यूरेनियम (एसईयू)) है। मध्यवर्ती अवधि में नाभिकीय विद्युत विस्तार योजना के अंतर्गत, देश में विदेशी तकनीकी सहयोग से 40000 मेगावाट क्षमता वाले साधारण जल रिएक्टर स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। इन साधारण जल रिएक्टरों से निकले भुक्तशेष ईंधन को पुनर्संसाधित किया जा सकता है और इस प्रकार प्राप्त मामूली समृद्ध यूरेनियम का उपयोग दाबित भारी पानी रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है। साधारण जल रिएक्टर के भुक्तशेष ईंधन से प्राप्त इस मामूली समृद्ध यूरेनियम जिसके कि भविष्य में उपलब्ध होने की आशा है, का उपयोग दाबित भारी पानी रियक्टरों में करने की दृष्टि से, प्रचालनरत 220 मेगावाट क्षमता वाले दाबित भारी पानी रियक्टरों में परीक्षण करने के लिए मामूली समृद्ध यूरेनियम आधारित ईंधन का विकास किया गया है ताकि इसके कार्य निष्पादन का आकलन किया जा सके। मामूली समृद्ध यूरेनियम का परीक्षण के तौर पर किरणन करने का काम, तमिलनाडु में मद्रास परमाणु बिजलीघर (एमएपीएस), कलपाक्का में शुरू किया गया है।

(ग) और (घ) प्रचालनरत दाबित भारी पानी रिएक्टरों के लिए मामूली समृद्ध यूरेनियम का उपयोग करने से, साधारण जल रिएक्टर से निकले भुक्तशेष ईंधन का उपयोग फिर से किया जा सकता है और साधारण जल रिएक्टर के भुक्तशेष ईंधन का विकास भंडार को कम किया जा सकता है। दाबित भारी पानी रिएक्टारों में मामूली

समृद्ध यूरेनियम ईंधन के संवर्धित बर्नअप के साथ, ईंधन की आवश्यकता और समग्र ईंधन चक्र की लागत कम हो जाएगी। साधारण जल रिएक्टर के ईंधन से प्राप्त मामूली समृद्ध यूरेनियम का उपयोग दाबित भारी पानी रिएक्टरों में करने के ये लाभ हैं।

(ङ) मामूली समृद्ध यूरेनियम (एसईयू) का परीक्षण के तौर पर किरणन करने तथा और आगे जांच करने के काम में अब से लेकर लगभग डेढ़ वर्ष का समय लगेगा। तथापि, प्रचालनरत यूनिटों में समृद्ध यूरेनियम (एसईसू) के उपयोग का वास्तविक क्रियान्वयन, साधारण जल रियक्टरों (एलडब्ल्युआर्ज) से प्राप्त मामूली समृद्ध यूरेनियम की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(च) देश में यूरेनियम के खनन का काम यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल), जोकि परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार के प्रशासनिक नियत्रंणधीन एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है, द्वारा किया जाता है। सभी खनन कार्य सुस्थापित नियामक ढांचे के अधीन किए जा रहें हैं, जो पर्यावरण तथा वन मंत्रालय, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड तथा खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित और मानीटर किया जाता है। खानों का निर्माण कार्य शुरू करने पहले, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और पर्यावरण तथा वन मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन के अनुसार, विस्तृत चर्चा के बाद एक पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन और पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (ईआईएईएमपी) तैयार की जाती है। पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (ईएमपी) में दशाई गई कार्य योजनाओं का मानीटरन, सभी खनन स्थलों पर भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बीएआरसी) की पर्यावरणीय सर्वेक्षण प्रयोगशाला (ईएसएलज) के अलावा यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अपने पर्यावरणीय सैल द्वारा किया जाता है। ये प्रयोगशालाएं, बेस लाइन आंकडे इकट्ठे करने के लिए खान में प्रचालन का काम शुरु होने से पहले काम करना शुरु कर देती हैं। पर्यावरणीय आंकड़े खाने के पूरे प्रचलन समय के दौरान इकट्ठे किए जाते हैं। ये आंकड़े वायु, जल, मृदा और खाद्य पदार्थों में विद्यमान विकिरणसक्रियता से संबद्ध होते हैं। यह सुनिश्चित किया जाता है कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा निर्धारित नियामक सीमाओं का अनुपालन किया जाए।

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं

2438. श्री हरीश चौधरी:
श्री इज्यराज सिंह:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने योजना व्यय के अंतर्गत 24 केन्द्रीय योजनाओं के लिए धनराशि आवंटित की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस योजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या धनराशि का पूर्ण एवं समुचित उपयोग नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा सूचना प्रौद्योगिकी के विकास पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाई की गई है तथा इसके परिणाम क्या हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) के पास केन्द्र द्वारा कोई योजना नहीं है। डीईआईटीवाई केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है। वर्ष 2010-2011 के लिए डीईआईटीवाई को वार्षिक योजना में केन्द्रीय क्षेत्र की 23 योजनागत स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु 2660. 00 करोड़ रु. (बजट अनुमान) (सकल बजटीय सहायता) की राशि आवंटित की गई।

(ख) वर्ष 2010-2011 और 2011-2012 में 23 योजनागत स्कीमों के संदर्भ में आवंटन के विवरण अनुबन्ध 1 में दिए गए हैं।

(ग) वर्ष 2010-2011 में 23 योजनागत स्कीमों के कार्यान्वियन पर होने वाला वास्तविक व्यय 2660.00 करोड़ रु. (बजट अनुमान) और 3468.40 करोड़ रु. (संशोधित अनुमान) की तुलना में 3028. 71 करोड़ रु. में रहा जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) वर्ष 2010-2011 के लिए 23 योजनागत स्कीमों के संदर्भ में स्कीम-वार आवंटन (बजट अनुमान और संशोधित अनुमान) और उनके सदुपयोग के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

मोटे तौर पर संशोधित अनुमान के तहत आवंटित कुल राशि का सदुपयोग न होने के कारणों का संबंध ई-शासन के बह्य समर्थित परियोजना घटक का कार्यान्वयन न होना, ई-जिला एमएमपी जैसी परियोजना को अंतिम रूप देना, भारत निर्माण सामान्य सेवा केन्द्र योजना और राज्य/कार्यान्वियन एजेंसियों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं होने से है। फिर भी, सूचना प्रौद्योगिकी के समग्र विकास पर इसका कोई नाकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि 23 योजनागत स्कीमें वर्ष 2011-12 में जारी रहीं।

(ङ) विभाग के लिए बारहवीं योजना तैयार करते समय सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के कार्यरत समूह द्वारा कार्य योजना का पूर्ण रूप से पुनरीक्षण किया गया और निधियों का पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिए शून्य आधारित बजटिंग का अनुसरण किया गया ।

विवरण I

इलेक्ट्रानिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजनाएं	बजट अनुमान 2010-11 (जीबीएस)	बजट अनुमान 2011-12 (जीबीएस)
1	2	3	4
	केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाएं (सीएस)		
	I. अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम		
1.	समीर	38.00	42.94
2.	सूक्ष्म इले. और नैनो प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम	100.00	100.00
3.	प्रौद्योगिकी विकास परिषद (आईटीआरए सहित)	79.00	79.00
4.	समाहार, संचार एवं सामरिक इलेक्ट्रॉनिकी	25.00	25.00
5.	संघटक-पुर्जे और सामग्री विकास कार्यक्रम	25.00	25.00
6.	सी-डैक	180.00	203.40
7.	स्वास्थ्य और दूर चिकित्सा में इलेक्ट्रानिकी	16.00	11.50
8.	भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास	35.00	35.00
9.	जन सामान्य के लिए सू.प्रौ. (लिग. अनु.जाति.एवं जनजाति)	14.00	16.94
10.	मीडिया लैब एशिया	10.00	11.30
	अनुसंधान एवं विकास उप-योग	**522.00**	**550.08**
	II. मूलसंरचना विकास		
11.	एसटीक्यमसी	85.00	120.00
12.	एसटीपीआई तथा ईएचटीपी	2.50	2.50
13.	इलेक्ट्रानिकी शासन	1030.00	1087.31
14.	साइबर सुरक्षा (सर्ट.इन.सू.प्रौ. अधिनियम सहित)	40.00	45.00
15.	प्रमाणन प्राधिकरण नियंत्रक (सीसीए)	9.00	9.00
16.	अर्नेट	10.00	0.01
17.	इले/सू प्रौ.हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा	2.50	2.83
	मूलसंरचना उप-योग	**1179.0**	**1266.00**

1	2	3	4
	III. मानव संसाधन विकास		
18.	डीओईएसीसी	10.00	11.30
19.	जनशक्ति विकास (सूचना प्रौद्योगिकी में कौशल विकास सहित)	113.00	127.69
20.	एकीकृत टाउनशिप की स्थापना सूकर बनाना	1.00	0.10
	मानव संसाधन उप-योग	124.00	139.09
	IV. अन्य		
21.	मुख्यालय (सचिव एवं भवन)	35.00	39.98
22.	एनआईसी	700.00	754.00
23.	राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क	100.00	250.00
	कुल योग	**2660.00**	**3000.00**

विवरण II

इलेक्ट्रानिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

(करोड़ रु. में)

क्र.स.	योजनाएं	बजट अनुमान 2010-11 (जीबीएस)	बजट अनुमान 2011-12 (जीबीएस)	वास्तविक व्यय 2011-12
1	2	3	4	5
	केन्द्रीय क्षेत्र योजनाएं (सीएस)			
	I. अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम			
1.	समीर	38.00	38.00	38.00
2.	सूक्ष्म इले. और नैनो प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम	100.00	100.00	62.71
3.	प्रौद्योगिकी विकास परिषद (आईटीआरए सहित)	79.00	79.00	77.64
4.	समाहार, संचार एवं सामरिक इलेक्ट्रानिकी	25.00	25.00	22.58
5.	संघटक-पुर्जे और सामग्री विकास कार्यक्रम	25.00	25.00	24.96
6.	सी-डैक	180.00	180.00	158.0
7.	स्वास्थ्य और दूर चिकित्सा में इलेक्ट्रानिकी	16.00	11.70	8.14
8.	भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास	35.00	35.00	33.47

1	2	3	4	5
9.	जन समान्य के लिए सू.प्रौ.(लिग. अनु.जाति एवं जनजाति)	14.00	10.67	6.96
10.	मीडियां लैब एशिया	10.00	14.30	14.30
	अनुसंधान एवं विकास उप-योग	**522.00**	**518.67**	**447.42**
	II. मूलसंरचना विकास			
11.	एसटीक्यूसी	85.00	81.20	65.15
12.	एसटीपीआई तथा ईएचटीपी	2.50	2.50	2.45
13.	इलेक्ट्रॉनिकी शासन	1030.00	583.53	264.15
14.	साइबर सुरक्षा (सर्ट. इन, सू.प्रौ.अधिनियम सहित)	40.00	40.00	35.45
15.	प्रमाणन प्राधिकरण नियंत्रक (सीसीए)	9.00	9.00	3.59
16.	अर्नेट	10.00	10.00	10.00
17.	इले/सू.प्रौ.हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा	2.50	2.50	1.56
	मूलसंचार उप-योग	**1179.00**	**728.73**	**382.35**
	III. मानव संसाधन विकास			
18.	डीओईएसीसी	10.00	10.00	10.00
19.	जनशक्ति विकास (सूचना प्रौद्योगिक में कौशल विकास सहित)	113.00	113.00	96.04
20.	एकीकृत टाउनशिप की स्थापना सुकर बनाना	1.00	1.00	0.00
	मानव संसाधन कुल उप-योग	**124.00**	**124.00**	**106.04**
	IV. अन्य			
21.	मुख्यालय (सचिवालय एवं भवन)	35.00	35.00	33.68
22.	एनआईसी	700.00	700.00	697.22
23.	राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क	100.00	1362.00	1362.00
	कुल योग	**2660.00**	**3468.40**	**3028.71**

*बजटीय अनुमान और संशोधित अनुमान के लिए 100.00 करोड़ रुपए का ईएपी

**बजटीय अनुमान और संशोधित अनुमान के लिए 3.33 करोड़ रुपए का ईएपी

एमटीएनएल एवं बीएसएनएल में भ्रष्टाचार

2439. श्री तूफानी सरोजः
श्री गोरख प्रसाद जायसवालः
डॉ. संजय सिंहः
श्री अंजन कुमार एम. यादवः
श्रीमती रमा देवीः
श्री मनसुखभाई डी. वसावाः

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बीएसएनएल एवं एमटीएनएल का बाजार हिस्सा एवं राजस्व पिछले दो वर्षों से लगातार कम होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी कंपनियों की तुलना में उक्त कंपनियों के शेयरों में गिरावट, हो रही हानि और उनके द्वारा प्रदत्त खराब दूरसंचार सेवाओं के प्रमुख कारणों में से कुछ कारण इन पीएसयू में अधिक स्टाफ का होना, भ्रष्टाचार, प्रबंधन द्वारा धनराशि के दुर्विनियोग तथा निजी दूरसंचार कंपनियों के साथ इन कंपनियों के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की सांठ-गांठ है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं परिणाम क्या हैं तथा इन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) और (ख) जी, हां। बीएसएनएल और एमटीएनएल का बाजार हिस्सा एवं राजस्व पिछले तीन वर्षों से कम होता जा रहा है। ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है:

बाजार हिस्सा (प्रतिशत % में)

	2008-09	2009-10	2010-11
बीएसएनएल	18.96	15.66	13.83
एमटीएनएल	1.87	1.38	1.06
सार्वजनिक क्षेत्र के दोनों उपक्रमों का कुल	20.83	17.04	14.89

सकल राजस्व (करोड़ रु. में)

	2008-09	2009-10	2010-11
बीएसएनएल	35,812	32,045	29,688
एमटीएनएल	5,250	5,058	3,992

(ग) और (ङ) जी, नहीं। तथापि, बाजार हिस्से में कमी आने के प्रमुख कारण निम्नानुसार हैं:

- जहां एक ही घर/कार्यालय परिसर में एक से अधिक टेलीफोन कनेक्शन हैं वहां अतिरिक्त वायरलाइन टेलीफोन कनेक्शनों का अभ्यर्पण
- स्थिर लाइन टेलीफोन कनेक्शनों को निजी मोबाइल फोनों से बदलना
- निजी प्रचालकों से कड़ी प्रतिस्पर्द्धा बीएसएनएल और एमटीएनएल में हानि राजस्व में कमी और व्यय में बढ़ोत्तरी होने के कारण हैं। राजस्व में कमी होने के निम्नलिखित कारण हैं:
- स्थिर के स्थान पर मोबाइल कनेक्शनों को अपनाना।
- मोबाइल क्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्द्धा
- मोबाइल क्षेत्र में प्रति प्रयोक्ता औसत राजस्व (एआरपीयू) में कमी होना।

व्यय में बढ़ोत्तरी का कारण प्रमुखतः पारंपरिक कार्यबल का अत्यधिक बड़ा होना है जिसका मेहनताना राजस्व का लगभग 50% बनता है। इस संबंध में, दूरसंचार विभाग को बीएसएनएल से स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति (वीआरएस) का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें इसने अपने एक लाख कर्मचारियों का लक्ष्य लिया है।

[अनुवाद]

केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत पैनल में शामिल किया जाना

2440. **श्री महेश जोशी:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत केंद्रीय सेवाओं के वर्ग 'क' के अधिकारियों को पैनल में शामिल करने संबंधी नियम एवं विनियम क्या हैं;

(ख) क्या सभी समूह 'क' केंद्रीय सेवाओं के अधिकारी इस स्कीम के अंतर्गत पैनल में शामिल होने के लिए योग्य हैं;

(ग) यदि हां, तो इस स्कीम के अंतर्गत पैनल में शामिल समूह 'क' केंद्रीय सेवाओं के पदों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय कास्ट अकाउंट्स सेवा समूह 'क' के पद केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत पैनल में शामिल होने के पात्र हैं;

(ङ) यदि हां, तो इस सेवा के अधिकारी किस स्तर पर पैनल में शामिल किए जाते हैं;

(च) क्या इस सेवा के अधिकारियों को वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (संयुक्त सचिव स्तर) में पैनल में शामिल करने संबंधी प्रस्ताव पिछले एक वर्ष से अधिक समय से लंबित है; और

(छ) यदि हां, तो इसे लंबित रखने के क्या कारण हैं तथा इस चूक के लिए कौन से प्राधिकारी जिम्मेदार हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव अथवा समतुल्य स्तर के अधिकारियों के लिए पैनल में नाम शामिल किया जाना, समय-समय पर यथा संशोधित केंद्रीय स्टाफिंग योजना के द्वारा अभिशासित होता है। पैनल में नाम शामिल किए जाने संबंधी दिशा निर्देश की एक प्रति विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ख) केंद्रीय सचिवालय सेवा में शामिल समूह 'क' की 36 सेवाओं में से किसी भी सेवा के अधिकारी, पैनल में नाम शामिल किए जाने के पात्र हैं ऐसी सेवाओं की सूची की एक प्रति विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(ग) प्रतिभागी सेवाओं के अधिकारियों के नाम, बैचवार प्रत्येक सेवा के लिए अलग-अलग, प्रारंभिक प्रथम समीक्षा और द्वितीय समीक्षा स्तर पर संयुक्त सचिव अथवा समतुल्य स्तर के लिए पैनल में शामिल किए जाते हैं। विभिन्न सेवाओं के अधिकारियों के नामों को पैनल में शामिल की गई बैच-वार सूची से संबंधित संवर्गों को अवगत करवा दिया जाता है और इसे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट (www.persmin.gov.in) पर भी नियमित रूप से रखा जाता है।

(घ) जी, हां।

(ङ) भारतीय लागत लेखा सेवा सहित केंद्रीय सचिवालय सेवा की प्रतिभागी समूह 'क' की सभी सेवाओं के लिए पैनल में नाम शामिल किया जाना संयुक्त सचिव अथवा समतुल्य स्तर पर शुरू होता है।

(च) और (छ) 1983 और 1985 बैच के भारतीय लागत लेखा सेवा के 19 अधिकारियों के मूल्यांकन के बारे में मुख्य सलाहकार (लागत) कार्यालय, व्यय विभाग से एक प्रस्ताव अक्तूबर, 2008 में प्राप्त हुआ था। उस समय संयुक्त सचिव स्तर पर पैनल में नाम शामिल किए जाने संबंधी दिशानिर्दशों की, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति जांच-पड़ताल कर रही थी। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने संयुक्त सचिव स्तर पर पैनल में नाम शामिल किए जाने संबंधी संशोधित दिशानिर्देश सितम्बर, 2009 में ही अनुमोदित किए थे। संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी ने प्रशासनिक अपेक्षा के आधार पर अलग-अलग तारीखों को इन बैचों के 14 अधिकारियों के वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट डोजियर वापस करने के लिए कहा। इस प्रकार, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट डोजियरों के अभाव में पैनल में नाम शामिल किए जाने पर विचार नहीं किया जा सका।

विवरण I

पैनल में नाम शामिल किए जाने संबंधी दिशानिर्देश

विषय: केंद्रीय सचिवालय सेवा के अंतर्गत संयुक्त सचिव/समतुल्य पदों पर तैनात किए जाने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा और समूह 'क' अधिकारियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए पैनल में नाम शामिल किए जाने संबंधी दिशानिर्देश।

संयुक्त सचिव के रूप में पैनल में नाम शामिल किए जाने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं।

2. पैनल में अधिकारी के नाम शामिल किए जाने से अभिप्राय, अंतर्निर्हित मेरिट अथवा अन्यथ नहीं हैं, अपितु केंद्र सरकार में वरिष्ठ स्तर से पद पर अधिकारी को रखे जाने की उपयुक्तता से है। अधिकारी की पृष्ठभूमि और अनुभव के आधार पर वह राज्य सरकार में वरिष्ठ पदों पर तैनात किए जाने के लिए अत्यधिक

उपयुक्त हो सकता है। इसी तरह, पृष्ठभूमि और अनुभव के मद्देनजर, किसी अन्य अधिकारी को केंद्र सरकार के पदों के लिए उपयुक्त समझा जा सकता है।

3. संयुक्त सचिव स्तर पर पैनल में नाम शामिल किए जाने के संबंध में एक विशेषज्ञ पैनल होगा। विशेषज्ञ पैनल प्रत्येक बैच के लिए विस्तार से वर्षवार वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों की जांच-पड़ताल करेगा और प्रत्येक वर्ष के लिए अधिकारियों की ग्रेडिंग का अपना मूल्यांकन देगा जिसे सिविल सेवा बोर्ड द्वारा सिफारिशें किए जाने के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

4. यदि अधिकारी द्वारा अध्ययन छुट्टी पर रहने अथवा अधिकारी के नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण के लिए, अधिकारी को देय निर्णायक वर्ष सहित ठीक पिछले 10 वर्ष के दौरान की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टें बीच-बीच में उपलब्ध नहीं हैं तो अध्ययन छुट्टी पर रहने अथवा अधिकारी के नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण के लिए अधिकारी की सेवा की पिछली 10 वर्ष की अवधि के ठीक पीछे के अधिकतम 3 वर्ष की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों पर विचार करते हुए कम से कम 8 पूर्ण वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों को ध्यान में रखा जाए। फिर भी यदि अपेक्षित संख्या में वार्षिक रिपोर्टें प्राप्त करना संभव नहीं हो तो इस शर्त के पूरा होने तक मामले को मुलतवी कर दिया जाए। यदि अधिकारी के छुट्टी पर रहने अथवा अध्ययन छुट्टी पर रहने के कारण 10 वर्षों की अवधि के दौरान उसकी तीन या इससे अधिक वार्षिक गोपनीय रिपोर्टें उपलब्ध नहीं हैं तो उसका पैनल में नाम शामिल किए जाना, उसके 4 वर्ष से कम अंतराल में एक और वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट अर्जित करने और 4 वर्ष अथवा अधिक अवधि में दो और वार्षिक गोपनीय रिपोर्टें अर्जित करने तक मुलतवी कर दिया जाए।

5. अधिकारी का वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में उसे दिए गए ग्रेड के आधार पर 10 के पैमाने पर मूल्यांकन किया जाएगा। सिविल सेवा बोर्ड पैनल में शामिल किए जाने वाले अधिकारियों की सूची शामिल किए जाने के लिए अधिकारियों के अनुभव प्रोफाइल को ध्यान में रखेगा, सीआर डोजियरों की ध्यानपूर्वक छंटनी करेगा और सामान्य प्रतिष्ठा, मेरिट, दक्षता, नेतृत्व और नीति-निर्माण प्रक्रिया भागीदारी के लिए अधिकारियों के रुझान जैसे गुणों का मूल्यांकन करेगा।

6. निर्धारित बैंचमार्क पूरा करने वाले अधिकारियों का उपर्युक्त पैनल में शामिल नहीं किया जाएगा यदि वे निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:-

(क) जिन्हें सतर्कता अनापत्ति नहीं मिली अथवा

(ख) जिनके पैनल में नाम शामिल किए जाने वाले वर्ष की पहली तारीख को अवशिष्ट सेवा के चार वर्ष पूरे नहीं हुए, अथवा

(ग) वे जो केंद्रीय स्थाफिंग योजना के खंड-16 की अपेक्षा पूरी नहीं करते। केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के खंड-16 के अनुसार "ऐसा अधिकारी जो 2 वर्ष अथवा इससे अधिक अवधि के लिए विदेश नियुक्ति पर है अथवा गया था, के नाम को संयुक्त सचिव स्तर पर पैनल में शामिल किए जाने पर तभी विचार किया जाएगा यदि ऐसी नियुक्ति से वापस लौटने पर उसने अपने संवर्ग में कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए सेवा कर ली हो और दो वार्षिक गोपनीय रिपोर्टें भी अर्जित कर ली हो"।

7. यदि चयन प्रक्रिया में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, पूर्वोत्तर और पैनल के कुछ राज्य संवर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होता है तो इन श्रेणियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए पैनल में नाम शामिल किए जाने के मानदंडों को उपयुक्त रूप से शिथिल किया जाएगा।

8. दो और वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के शामिल किए जाने के पश्चात बैच-वार समीक्षा की जाएगी, परन्तु यह दो बार से अधिक नहीं होगी। इस तरह के मामलों पर व्यक्ति विशेष के आधार पर विचार नहीं किया जाएगा। समीक्षा की प्रक्रिया पैनल में नाम शामिल करने की प्रक्रिया के अनुरूप होगी। पैनल में नाम शामिल करने की उपर्युक्त प्रक्रिया केंद्रीय समूह 'क' सेवाओं पर भी लागू होगी।

विवरण II

केंद्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत प्रतिभागी सेवाओं की सूची

क्र.सं.	सेवा का नाम
1	2
1.	केन्द्रीय कंपनी विधि सेवा
2.	केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा (सड़क)
3.	केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरिंग सेवा
4.	भारतीय व्यापार सेवा
5.	केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग सेवा
6.	केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा (सीपीडब्लयूडी)
7.	भारतीय प्रशासनिक सेवा

1	2
8.	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा
9.	भारतीय प्रसार (इंजीनिरिंग) सेवा
10.	भारतीय प्रसार कार्यक्रम सेवा
11.	भारतीय सिविल लेखा सेवा
12.	भारतीय लागत लेखा सेवा
13.	भारतीय रक्षा लेखा सेवा
14.	भारतीय रक्षा संपदा सेवा
15.	भारतीय रक्षा इंजीनियरिंग सेवा
16.	भारतीय आर्थिक सेवा
17.	भारतीय वन सेवा
18.	भारतीय सूचना सेवा
19.	भारतीय निरीक्षण सेवा
20.	भारतीय आयुध कारखाना सेवा
21.	भारतीय डाक और तार वित्त और लेखा सेवा
22.	भारतीय पुलिस सेवा
23.	भारतीय डाक सेवा
24.	भारतीय रेलवे लेखा सेवा
25.	भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा
26.	भारतीय रेलवे इलैक्ट्रीकल इंजीनियर सेवा
27.	भारतीय रेलवे इंजीनियर सेवा
28.	भारतीय रेलवे मैकेनिकल इंजीनियर सेवा
29.	भारतीय रेलवे सिगनल इंजीनियर सेवा
30.	भारतीय रेलवे स्टोर सेवा
31.	भारतीय रेलवे यातायात सेवा
32.	भारतीय राजस्व सेवा (सीमाशुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क)
33.	भारतीय राजस्व सेवा (आयकर)
34.	भारतीय सांख्यिकीय सेवा
35.	भारतीय आपूर्ति सेवा
36.	भारतीय दूरसंचार सेवा

बीएसएनएल एवं एमटीएनएल को घाटा

2441. श्री जोस के मणि:
श्री हेमानन्द बिस्वाल:
श्री हंसराज गं. अहीर:
श्री बाल कुमार पटेल:
डॉ. पी. वेणुगोपाल:
श्री के. सुगुमार:
श्री प्रहलाद जोशी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दोनों दूरसंचार पीएसयू-एमटीएनएल को घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) घाटे में चल रहे इन पीएसयू को लाभकारी कंपनियां बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या इस क्षेत्र में निजी कंपनियों से बेहतर प्रतिस्पर्द्धा करने में उन्हें सहायता करने के लिए एमटीएनएल का बीएसएनएल के साथ विलय करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) और (ख) जी, हां। भारत संचार निगम लि. और महानगर टेलीफोन निगम लि. को पिछले दो वर्षों से घाटा हो रहा है। पिछले तीन वर्षों में और चालू वर्ष में लाभ/हानि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

लाभ/हानि (करोड़ रु. में)	वर्ष 2008-09	वर्ष 2009-10	वर्ष 2010-11	वर्ष 2011-12 (31.12.2011 तक)
बीएसएनएल	575	(-)1823	(-)6384	(-)7134*
एमटीएनएल	2011	(-)2611	(-)2802	(-)2644

*वित्त वर्ष 2011-12 के लिए आंकडे अनंतिम हैं और इसकी लेखा-परीक्षा नहीं हुई है।

भारत संचार निगम लि. और महानगर टेलीफोन निगम लि. में घाटा राजस्व में कमी और व्यय में वृद्धि के परिणामस्वरूप है। राजस्व में कमी के कारण निम्नलिखित है:-

- स्थिर कनेक्शन से मोबाइल कनेक्शन में प्रतिस्थापन।
- मोबाइल क्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्धा।
- मोबाइल क्षेत्र में प्रति प्रयोक्ता औसतन राजस्व (एआरपीयू) में कमी।

(ग) दूरसंचार विभाग के विभिन्न दूरसंचार एककों को परस्पर सहक्रिया-शील बनाने के उद्देश्य से दूरसंचार विभाग द्वारा एक समिति गठित की गई। समिति ने सिफारिश की है कि दूरसंचार विभाग, बीएसएनएल और एमटीएनएल के बीच उपयुक्त नीतिगत हस्तक्षेप के माध्यम से सहक्रियाशील सहयोग बनाने और इसे मान्यता प्रदान करने को प्रोत्साहन दे और उनके पारस्परिक लाभों हेतु उनके संसाधनों और शक्तियों के इष्टतम उपयोग के लिए सहायता करें।

इसके अतिरिक्त, संशोधित राष्ट्रीय दूरसंचार नीति (एनटीपी 2012) के मसौदे में अन्य बातों के साथ-साथ एक प्रावधान यह भी है कि सार्वजनिक क्षेत्र और दूरसंचार विभाग के अन्य संगठनों के बीच उपयुक्त नीतिगत हस्तक्षेप के माध्यम से और राष्ट्र की एक सुदृढ़ और सुरक्षित दूरसंचार एवं सूचना अवसंरचना का निर्माण करने में उनके संसाधनों और शक्तियों के इष्टतम उपयोग में सहायता के जिरए सहक्रियाशील सहयोग बनाने और उसे मान्यता प्रदान करने को प्रोत्साहन दिया जाए।

दूरसंचार विभाग, बीएसएनएल और एमटीएनएल की वित्तीय हालत में सुधार करने के उद्देश्य से उनके कार्य-निष्पादन की नियमित रूप से समीक्षा करता है। बीएसएनएल और एमटीएनएल द्वारा उन्हें लाभदायी बनाने के लिए उठाए गए कुछ कदम निम्नानुसार हैं:-

- कन्वर्जेंस और अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से पूंजीगत व्यय और प्रचलनात्मक व्यय को इष्टतम बनाना।
- सरकारी परियोजनाओं पर प्रमुख रूप से ध्यान देते हुए ब्रॉडबैंड और उद्यम व्यवसाय पर एकीकृत बल देते हुए स्थायी राजस्व प्रवाहों को सशक्त बनाना।
- ग्राहक सुरक्षा, सेवा की सुपुर्दगी, सेवा संबंधी आश्वासन, राजस्व प्रबंधन और परिसंपत्ति प्रबंधन पर प्रचलनात्मक रूप से निरंतर बल देना।
- डाटा प्रयोगों और मूल्य वद्धित सेवाओं पर उत्साहजनक ढंग से जोर देना।
- निरंतर विकास सुनिश्चित करने के लिए वाणिज्यिक क्रियाकलापों को सामाजिक दायित्व से स्पष्ट रूप से पृथक करना।
- विभिन्न प्रौद्योगिकियों के माध्यम से अंतिम छोर उपभोक्ताओं तक विभिन्न सेवाओं का कन्वर्जेंस, सुदृढ़ीकरण और इनकी निर्बाध सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा नेटवर्क का अगली पीढ़ी के नेटवर्क प्रगामी प्रवेश।

(घ) और (ङ) दूरसंचार विभाग के विभिन्न दूरसंचार एककों के बीच सहक्रियाशीलता लाने के प्रयोजन से दूरसंचार विभाग द्वारा एक समिति का गठन किया गया। समिति के विचारार्थ-विषयों में, दूरसंचार क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक सुदृढ़ संगठन बनाने हेतु एमटीएनएल और बीएसएनएल का विलयन करने की व्यवहार्यता का अध्ययन करना और सुझाव देना था। समिति ने अपनी रिर्पोट यह उल्लेख किया है कि बीएसएनएल और एमटीएनएल का विलयन एक वांछनीय लक्ष्य है। तथापि, विलयन से पूर्व, एमटीएनएल एक सूचीबद्ध कंपनी होने के कारण उठने वाले मुद्दे जैसे कि विलयन में निहित लागत का वित्तीय व्यवस्था, और मानव संसाधन (एचआर) मुद्दे जैसे दोनों संगठनों के बीच पेंशन-प्रशासन प्रणाली, वेतनमानों और अन्य एचआर नीतियों में अंतर को देखते हुए पहले इनका समाधान किया जाना अनिवार्य है। चूंकि इन मुद्दों के समाधान में समय लगता है अतः इस स्तर पर इन संगठनों में उपयुक्त नीतिगत हस्तक्षेप के माध्यम से और उनके पारस्परिक लाभों के लिए उनके संसाधनों और शक्तियों के इष्टतम उपयोग हेतु सहायता प्रदान करके उनके बीच सहक्रियाशील सहयोग बनाने और उसे मान्यता प्रदान करने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

शिक्षा का व्यवसायीकरण

2442. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:
श्री चन्द्रकांत खैरे:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शिक्षा के व्यवसायीकरण की बढ़ती प्रवृतियों पर अंकुश लगाने के लिए उठाये गये विभिन्न कदमों की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या हैं;

(ग) क्या कुछ निजी शैक्षणिक संस्थान शिक्षा का अधिकार की आड़ में लाभ कमाने की दृष्टि से देश में चलाए जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो देश में चल रहे ऐसे शैक्षणिक संस्थानों की राज्य वार संख्या क्या है; और

(ङ) ऐसे संस्थानों पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार द्वारा कार्यवाही की गयी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ङ) शिक्षा के क्षेत्र में सभी नीतिगत पहलों पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड में चर्चा की जाती है जो केन्द्र सरकार और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों को शिक्षा के क्षेत्र में सलाह देने के लिए उच्चतम सलाहकार निकाय है। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड में राज्यों/संघ शासित राज्यों के शिक्षा मंत्री और प्रसिद्ध शिक्षाविद् शामिल हैं।

सरकार का लगातार यह विचार रहा है कि भारत में शिक्षा को व्यावसायिक क्रियाकलाप नहीं समझा जाता नहीं समझा जाता तथा सभी शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना "लाभ के लिए नहीं" रूप में की जानी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (1992 में यथा संशोधित) शिक्षा का व्यवसायीकरण करने वाली संस्थाओं की स्थापना पर रोक लगाते हुए शिक्षा में गैर-सरकारी और स्वैच्छिक प्रयासों को प्रोत्साहित करती है। नीति में यह परिकल्पना की गई है कि स्तरों को बनाए रखने के हित में तथा कई अन्य वैध कारणों से तकनीकि और व्यवसायिक शिक्षा के वाणिज्यीकरण पर रोक लगाई जाएगी। स्वीकार्य मानदंडों और लक्ष्यों के अनुरूप शिक्षा के शिक्षा में निजी और स्वैच्छिक प्रयासों को शामिल करने के लिए एक वैकल्पिक प्रणाली तैयार की जाएगी।

वर्तमान में निजी क्षेत्र की भागीदारी शैक्षणिक संस्थाओं के निधीयन और प्रबंधन में तब तक विद्यमान रह सकती है जब की अतिरिक्त आय उचित है तथा इसे संस्था के विकास में वापस लगाया जाता है। भारत के उच्चतम न्यायालय के कई निर्णयों में भी शिक्षा के वाणिज्यीकरण के विरूद्ध सावधान किया गया है जबकि सांस्थानिक विकास हेतु उचित उपार्जन अनुमत्य है। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा यथाअनुमोदित 11वीं योजना दस्तावेज में भी शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की पहलों सार्वजनिक निजी भागीदारी के निभिन्न रूपों की और जांच करने की आवश्यकता का भी उल्लेख किया गया है।

शिक्षा के वाणिज्यीकरण को रोकने के लिए सरकार ने कई पहलें की हैं। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 13 में भी किसी भी प्रकार के केपिटेशन शुल्क लेने पर स्पष्ट रूप से रोका है। जहां तक उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं का संबंध है एक विधायी प्रस्ताव नामत: "तकनीकी शैक्षिक संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में अनुचित पद्धतियों पर रोक विधेयक, 2010" संसद में पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है।

रैगिंग संबंधी विशेष कानून

2443. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
श्री प्रेमदास:
श्रीमती दीपा दासमुंशी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं में रैगिंग रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कानून बनाने के बाद रैगिंग संबंधी मामलों की संख्या कम हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले दो वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान उक्त मामलों में गिरावट/वृद्धि का राज्य-वार प्रतिशत क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार रैगिंग की घटनाओं को पूरी तरह रोकने वाले किसी विशेष कानून को बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) केरल विश्वविद्यालय बनाम परिषद, प्रिंसिपल, कॉलेज, केरल व अन्य के बीच के 2009 की सिविल अपील सं. 887 में माननीय उच्चतम न्यायालय के 8.5. 2009 के निर्णय के पश्चात, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा पदिषद (एआईसीटीई) भारतीय चिकित्स परिषद (एमसीआई) और भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद (डीसीआई) द्वारा जारी विनियमों की अधिसूचना के बाद और सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों को करने अर्थात जून, 2009, में रैगिंग-रोधी हैल्पलाइन शुरु करने, सरकार द्वारा सन् 2009 से प्रिंट, आडियो/विजुअल मीडिया प्रचार; राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के सिविल और पुलिस प्राधिकारियों को शिक्षण सत्र प्रारंभ होने से पूर्व संस्थाओं की रैगिंग-रोधी समितियों में भाग लेने के लिए मंत्रणा जारी करने और रैगिंग इत्यादि के मामलों में तत्काल निवारक कार्रवाई करने से छात्रों और माता-पिता में रैगिंग के बारे में अत्यधिक जागरूकता उत्पन्न हुई है।

(ख) वर्ष 2010, 2011 और 2010 के दौरान (फरवरी तक) रैगिंग-रोधी हैल्पलाइन/काल सेंटर को सूचित शिकायतों के मामले संलग्न विवरण में दिए गए हैं। यह उल्लेखनीय है कि रैगिंग-रोधी हैल्पलाइन/काल सेंटर में पंजीकृत शिकायतों की संख्या में हुई वृद्धि इस तथ्य का संकेत है कि छात्र और माता-पिता बिना भय के मामले दर्ज कराने के लिए सामने आ रहे हैं। सरकार द्वारा रैगिंग के विरोध में निवारक उपायों के बारे उठाए गए कदमों से शैक्षिक संस्थाओं और छात्र समुदाय के बीच जागरूकता उत्पन्न हुई है। सरकार रैगिंग की बुराई को सभी उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में पूरी तरह से रोकने के लिए कटिबद्ध है।

(ग) रैगिंग की बुराई से निपटने के लिए कोई विधान लाने का प्रस्ताव नहीं है क्योंकि अब तक उठाए गए उपायों से अच्छे परिणाम निकले हैं।

(घ) अपने संबंधित कानूनों के माध्यम से गठित विनियामक प्रधिकरणों को, रैगिंग की वारदातों को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की पर्याप्त शक्तियां हैं।

विवरण

दिनांक जनवरी, 2010 से फरवरी 2012 तक शिकायत स्थिति को दर्शाने वाला ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	2010	2011	वृद्धि/गिरावट	प्रतिशतता	2012
		जनवरी 2010-दिसम्बर 2010	जनवरी 2011-दिसम्बर 2011			जनवरी 2012-फरवरी 2012
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	9	10		#वैल्यू	1
2.	असम	6	6	0	0.00	1
3.	बिहार	15	27	-12	-44.44	2
4.	छत्तीसगढ़	8	6	2	33.33	1
5.	दिल्ली	15	11	4	36.36	0
6.	गोवा	0	1	-1	-100.00	0
7.	गुजरात	2	9	-7	-77.78	0
8.	हरियाणा	10	18	-8	-44.44	0
9.	हिमाचल प्रदेश	2	0	2	0.00	1
10.	जम्मू और कश्मीर	6	5	1	20.00	0
11.	झारखंड	11	17	-6	-35.29	2
12.	कर्नाटक	15	17	-2	-11.76	1
13.	केरल	12	27	-15	-55.56	4
14.	मध्य प्रदेश	33	37	-4	-10.81	1
15.	महाराष्ट्र	30	40	-10	-25.00	1
16.	मणिपुर	0	1	-1	-100.00	0
17.	ओडिशा	41	54	-13	-24.07	6

1	2	3	4	5	6	7
18.	पुडुचेरी	3	1	2	200.00	0
19.	पंजाब	18	5	13	260.00	1
20.	राजस्थान	15	32	-17	-53.13	3
21.	तमिलनाडु	20	33	-13	-39.39	5
22.	उत्तर प्रदेश	105	120	-15	-12.50	13
23.	उत्तराखंड	5	12	-7	-58.33	0
24.	पश्चिम बंगाल	54	89	-35	-39.33	10
	सकल योग	435	578	-143	-24.74	53

(-) वृद्धि को दर्शाता है।

() गिरावट को दर्शाता है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण पत्र

2444. श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े:
श्री हंसराज गं. अहीर:
श्री हरिभाऊ जावले:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बारहवीं पंचवर्षीय योजना संबंधी कार्य पूरे कर लिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या बारहवीं पंचवर्षीय योजना वृद्धि दर/स.घ.उ. वृद्धि दर पर आधारित है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बारहवीं पंचवर्षीय योजना पर वैश्विक मंदी तथा यूरो संकट का प्रभाव पड़ने की आशंका है;

(ङ) यदि हां, तो क्या बारहवीं पंचवर्षीय योजना में उच्च वृद्धि दर पर कायम रखने तथा आवसंरचना क्षेत्र सहित मानव संसाधन में और निवेश करने संबंधी कोई प्रावधान किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) बारहवीं योजना के दृष्टिकोण-पत्र को राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) द्वारा 22 अक्टूबर, 2011 को हुई इसकी 56वीं बैठक में अनुमोदित किया गया था, इसमें योजना की विस्तृत रूपरेखा दी गई है। दृष्टिकोण-पत्र में यह कहां गया है कि बारहवीं योजना का उद्देश्य "तीव्र, धारणीय और अधिक धारणीय और अधिक समावेशी विकास" होगा। इसमें योजनावधि के लिए 9 प्रतिशत की विकास दर निर्धारित की गई है।

(घ) से (च) बारहवीं योजना के दृष्टिकोण-पत्र में यह कहा गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की अनिश्चितताओं और घरेलू अर्थव्यवस्था की चुनौतियों के मद्देनजर, 9 प्रतिशत की लक्षित विकास दर हासिल करना तभी संभव होगा जब कुछ कठिन निर्णय लिए जाऐंगे। बारहवीं योजना के दृष्टिकोण-पत्र में यह कहा गया है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और अवसंरचना निर्माण बारहवीं योजना में ध्यनकेन्द्रण क्षेत्रों के रूप में ध्यानकेन्द्रण क्षेत्रों के रूप में बने रहेंगे और योगनावधि के दौरान क्षेत्रकों को पर्याप्त संसाधन प्रदान करने होंगे।

असंतोषप्रद डब्ल्यूएलएल सेवाएं

2445. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:
श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर सुदूर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में डब्ल्यू.एल.एल. तकनीक पर स्थापित ज्यादातर टेलीफोन कनेक्शन बेकार पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) आज तक बेकार पड़े डब्ल्यू.एल.एल. टेलीफोन कनेक्शनों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस तकनीक का उन्नयन/संशोधन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) और (ख) उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र सहित देश में विशेषकर सुदूर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में डब्ल्यू एलएल तकनीक पर स्थापित कुछ टेलीफोन कनेक्शन बेकार पड़े हैं। बीएसएनएल द्वारा उपलब्ध कराई गई कई डब्ल्यूएलएल सेवाएं सामान्य: संतोषजनक रूप से कार्य कर रही हैं। तथापि, बिजली आपूर्ति कम होने पर वर्तमान में फिक्सड वायरलेस टर्मिनलों (एफडब्ल्यूटी) की इन-बिल्टि बेटरी के उचित रूप से चार्ज न होने के कारण ग्राहकों को प्रदान की जा रही सेवाओं में व्यवधान आता है।

(ग) दिन प्रतिदिन आधार पर डब्ल्यूएलएल टेलीफोन कनेक्शनों के दोषों की संख्या भिन्न-भिन्न है तथापि, डब्ल्यूएलएल टेलीफोन कनेक्शनों के दोषों की अधिकतम संख्या सामान्य है। जिन्हें बीएसएनएल द्वारा तीन दिनों के अंदर सुधारा गया है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं बीएसएनएल में भविष्य में कोड डिविजन मल्टीपल एक्सेस (सीडीएमए) नेटवर्क की कवरेज/क्षमता बढ़ाने का निर्णय नहीं लिया है। बीएसएनएल मोबाइल सेवा पर आधारित अपने ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस (जीएसएम) का उन्नयन एवं संवर्धन कर रहा है।

[अनुवाद]

इंजीनियरिंग कॉलेज

2446. श्री पी.टी. थामस: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इंजीनियरिंग कॉलेजों की राज्य-वार कुल संख्या क्या है; और

(ख) पिछले वर्ष के दौरान उपलब्ध एवं खाली पड़े इंजीनियरिंग सीटों की राज्य-वार कुल संख्या क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) देश में इंजीनियरिंग कालेजों की कुल संख्या तथा इंजीनियरिंग साटों की संख्या राज्य-वार नीचे दी गयी है:

राज्य	इंजी. कालेजों की संख्या	अनुमोदित प्रवेश संख्या
1	2	3
पश्चिम बंगाल	88	34973
उत्तराखंड	33	13430
उत्तर प्रदेश	329	136417
त्रिपुरा	1	300
तमिलनाडु	498	236417
सिक्किम	1	558
राजस्थान	131	58106
पंजाब	105	43408
पुदुचेरी	13	6103
ओडिशा	101	45434
मेघालय	1	420
मणिपुर	2	155
महाराष्ट्र	350	146116
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	90
आंध्र प्रदेश	704	340007
अरुणाचल प्रदेश	1	216
असम	11	3501
बिहार	19	5209
चंडीगढ़	5	1551
छत्तीसगढ़	53	24479
दिल्ली	20	7981
गोवा	4	1200
गुजरात	101	46639
हरियाणा	166	64280
हिमाचल प्रदेश	21	7272

1	2	3
जम्मू और कश्मीर	9	2471
झारखंड	14	6015
कर्नाटक	188	92376
केरल	148	52211
मध्य प्रदेश	227	96536

इंजीनियरिंग कालेजों की कुल संख्या: 3345, कुल अनुमोदित प्रवेश संख्या: 1473871

रिक्त सीटों से संबंधित आंकड़े एआईसीटीई/मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

[हिन्दी]

बीएसएनएल का पुनर्गठन

2447. श्री धर्मेन्द्र यादव:
डॉ. पी. वेणुगोपाल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सैम पित्रोदा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर बीएसएनएल का पुनर्गठन करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है तथा कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए कदम हैं:

(ग) क्या बीएसएनएल दूरसंचार क्षेत्र में पिछड़ रही है;

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) बीएसएनएल को प्रतिस्पर्द्धी बनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित कदम क्या हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) और (ख) दूरसंचार आयोग ने दिनांक 7.7.2010 को हुई अपनी बैठक में बीएसएनएल के कार्य निष्पादन में सुधार के संबंध में सैम पित्रोदा समिति की सिफारिशों पर विचार-विमर्श किया। दूरसंचार आयोग ने रिपोर्ट पर अपनी सिफारिशें देने के लिए दूरसंचार विभाग के सदस्य (सेवाएं) की अध्यक्षता में "आंतरिक समिति" गठित करने का निर्णय लिया। तद्नुसार 19.08.2010 को सदस्य (सेवाएं) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इस आंतरिक समिति ने 29.10.2010 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जिस पर दूरसंचार आयोग ने 30.11.2010 को हुई अपनी बैठक में फिर से विचार किया। दूरसंचार आयोग ने इस मामले में निम्नलिखित निर्णय लिया है:

(i) बाजार दरों पर बाजार से 30-50 व्यवसायिकों को लेना, बोर्ड के गठन में परिवर्तन करना या अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पदों को अलग-अलग करना केवल एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में व्यावहार्य नहीं है क्योंकि इससे बीएसएनएल में विरोध के स्वर उठेंगे तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा इसी प्रकार की मांग उठेगी।

(ii) यह बीएसएनएल को सूचीबद्ध करने और विनिवेश के लिए उपयुक्त समय नहीं है क्योंकि इस समय कंपनी का कार्य-निष्पादन अधोमुखी है तथा विनिवेश से कंपनी का वास्तविक मूल्य वसूल नहीं हो पायेगा। सूचीबद्ध न किए जाने पर मुख्य प्रबंधन के पास प्रोत्साहन के रूप में स्टॉक देने का विकल्प वर्तमान में उपलब्ध नहीं है।

(iii) पूरी तरह से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना को लागू करना अपेक्षित नहीं है। बीएसएनएल वित्तीय बोझ तथा कंपनी की लागत/लाभ पर विचार करके चुनिंदा श्रेणियों के लिए स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना को लागू करने के विकल्प पर विचार कर सकता है।

(iv) प्रबंधित क्षमता या प्रबंधित सेवा मॉडल अपनाने के संबंध में आंतरिक समिति की इस राय को कि बीएसएनएल का बोर्ड अपना मत निर्धारित कर सकता है, पुष्टि प्रदान की जाती है।

(v) स्थानीय लूप की अनबंडलिंग एक वाणिज्यिक निर्णय है जिसके संबंध में मामले पर गहन रूप से जांच करने के पश्चात बीएसएनएल बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

(vi) अन्य सभी मामले बीएसएनएल के प्रचालनात्मक और वाणिज्यिक मामले हैं जिनके लिए बीएसएनएल का बोर्ड निर्णय लेने में सक्षम है।

आयोग के ध्यान में यह भी आया कि मद संख्या (ii), (iii) और (v) सहित उपर्युक्त कुछ मुद्दों पर फिर से विचार किया जा

सकता है यदि बीएसएनएल के पुनर्गठन और इसका स्थिति निर्धारण पुनः किए जाने से संबंधित किसी प्रमुख नीतिगत निर्णय के संदर्भ में आवश्यकता उत्पन्न हो।

दूरसंचार विभाग को बीएसएनएल से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसका उद्देश्य इसके कर्मचारियों की संख्या में एक लाख की कमी करना है।

(ग) और (ङ) दिनांक 31.12.2011 की स्थिति के अनुसार बीएसएनएल की समग्र बाजार हिस्सेदारी 12.86% है जबकि वायरलाईन खंड में इसकी हिस्सेदारी 70.24% है।

निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस) प्रदान करने के लिए वर्ष 1994 में लाइसेंस दिए थे जबकि भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को वर्ष 2000 में सीएमटीएस प्रदान करने के लिए देश के विभिन्न भागों में तीसरे प्रचालक के रूप में लाइसेंस दिए गए थे।

दूरसंचार विभाग के विभिन्न दूरसंचार युनिटों को बीच ताल-मेल लाने दूरसंचार विभाग द्वारा समिति गठित की गई। इस समिति ने यह सिफारिश की है कि दूरसंचार विभाग उपयुक्त नीतिगत हस्तक्षेप और सहायता के माध्यम से बीएसएनएल और एमटीएनएल के बीच ताल-मेल पूर्ण संबंध सृजित करने और उसे मान्यता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करे। ताकि उनके संसाधनों और इष्टतम उपयोग हो सके जिससे इन दोनों संगठनों का लाभ हो।

इसके अतिरिक्त संशोधित राष्ट्रीय दूरसंचार नीति (एनटीपी-2012) के प्रारूप के एक उपबंध में अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्र के लिए एक विशाल तथा सुरक्षित दूरसंचार एवं सूचना अवसंरचना सृजित करने में उनके संसाधनों और सामर्थ्य का इष्टतम उपयोग करने के लिए उपयुक्त हस्तक्षेप तथा सर्मथन के माध्यम से दूरसंचार विभाग करने के लिए उपयुक्त नीतिगत हस्तक्षेप तथा समर्थन के माध्यम से दूरसंचार विभाग के सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य संगठनों के बीच समन्वय पूर्ण संबंध को मान्यता प्रदान करने और सृजन को प्रोत्साहन प्रदान करने के संबंध में संबंध में भी एक उपबंध निहित है।

दूरसंचार विभाग बीएसएनएल के कार्य निष्पादन की नियमित रूप से समीक्षा करता है ताकि इसकी सक्षमता में सुधार लाया जा सके। इसे अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए बीएसएनएल द्वारा किए गए कुछ उपाय निम्नवत् हैं:

- कन्वर्जेंस और अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से पूंजीगत व्यय और प्रचालनात्मक व्यय को इष्टतम बनाना ।
- सरकारी परियोजनाओं पर प्रमुख रूप से ध्यान देते हुए ब्रॉडबैंड और उद्यम व्यवसाय पर एकीकृत बल देते स्थाई राजस्व प्रवाहों को सशक्त बनाना।
- मॉनीटरिंग के उद्देश्य से 100 शहरों से आने वाले राजस्व पर ध्यान केंद्रित करना।
- ग्राहक सुरक्षा, सेवा की सुपुर्दगी, सेवा संबंधी आश्वासन, राजस्व प्रबंधन और परिसंपत्ति प्रबंधन पर प्रचालनात्मक रूप से निरंतर बल देना।
- डाटा प्रयोगों और मूल्यवर्द्धित सेवाओं पर उत्साहजनक ढंग से जोर देना।
- निरंतर विकास सुनिश्चित करने के लिए वाणिज्कि क्रियाकलापों को सामाजिक दायित्व से स्पष्ट रूप से पृथक करना।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु भूमि

2448. श्री राधा मोहन सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु किन राज्यों ने राज्य-वार भूमि प्रदान कर दी है या करने वाले हैं;

(ख) क्या उक्त विश्वविद्यालयों का निर्माण राज्यों द्वारा उपलब्ध करायी गयी भूमि पर प्रारंभ हो गया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त विश्वविद्यालयों की राज्य की राजधानियों से दूरी कितनी है तथा वहां की अवसंरचना सुविधाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन विश्वविद्यालयों के निर्माण पर व्यय की जाने वाली राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, आडिशा, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु राज्य जहां पर केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के माध्यम से नए विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु भूमि प्रदान कर दी है। गुजरात, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर राज्यों ने जगह की पहचान कर ली है। तथापि, संबंधित विश्वविद्यालयों को कब्जा नहीं दिया गया है। बिहार सरकार द्वारा चुना गया स्थल उपयुक्त नहीं पाया गया था और केन्द्रीय सरकार द्वारा गया में एक वैकल्पिक स्थान प्रस्तावित किया गया है।

(ख) और (ग)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	स्थायी परिसर/राज्य की राजधानी से दूरी और निर्माण की स्थिति
1.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बिहार	राज्य सरकार ने मोतीहारी में स्थल का प्रस्ताव किया है जो राज्य की राजधानी से 165 कि.मी. है जिसे स्थल चयन समिति ने उपयुक्त नहीं पाया है। केन्द्रीय सरकार ने रक्षा मंत्रालय से संबंधित गया में भूमि प्रस्तावित की है जो पटना से 85 किलोमीटर और स्थानीय अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे से 25 किलोमीटर है।
2.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गुजरात	स्थायी परिसर के लिए साइट की पहचान गांधीनगर (लेकावाड़ा) में की गई। राज्य सरकार द्वारा भूमि के औपचारिक अंतरण के बाद उस स्थान पर निर्माण कार्य शुरू होगा।
3.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, हरियाणा	आईजीआई एयरपोर्ट नई दिल्ली से 150 कि.मी. और राज्य राजधानी, चंडीगढ़ से 400 कि.मी. महेन्द्रगढ़ में निर्माण कार्य शुरू किया गया है।
4.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश	धर्मशाला और देहरा, कांगड़ा जिलों में दो परिसर राज्य राजधानी, क्रमशः 250 कि. मी. और 195 कि.मी. दूर है। राज्य सरकार द्वारा भूमि के औपचारिक अंतरण के बाद की निर्माण कार्य शुरू हो सकता है।
5.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, झारखंड	राज्य की राजधानी रांची/निर्माण शुरू करने के लिए तैयार संबंधी कार्य प्रांरभ कर दिया गया है।
6.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कर्नाटक	गुलबर्गा, राज्य की राजधानी से 600 कि.मी. और नजदीकी एयरपोर्ट हैदराबाद से 220 कि.मी. की दूरी पर है। निर्माण कार्य प्रगति पर है।
7.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कश्मीर	गन्देरबाल श्रीनगर से 20 कि.मी. दूर है, निर्माण कार्य राज्य सरकार द्वारा भूमि के औपचारिक अंतरण के बाद ही शुरू किया जा सकता है
8.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केरल	पेरिया, कासरगोड़ त्रिवेन्द्रम से 600 कि.मी. दूर है। मंगलौर एयरपोर्ट से 70 कि.मी. है विश्वविद्यालय द्वारा भूमि का कब्जा 18 मार्च, 2010 को ले लिया गया है।
9.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, ओडिशा	सोनाबेड़ा, कोरापुट नगर से राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर 25 कि.मी., राज्य की राजधानी से रेल द्वारा 570 कि.मी. दूर है। परिसर का निर्माण शुरु हो गया है।
10.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पंजाब	गांव घुड्डा भटिंडा चंडीगढ़ से 245 कि.मी. दूर है। निर्माण कार्य प्रगति पर है।
11.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राजस्थान	किशनगढ़, अजमेर राज्य राजधानी से 80 कि.मी. दूर है। निर्माण कार्य प्रगति पर है।
12.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, तमिलनाडु	थिरूवरूर, राज्य राजधानी से 330 कि.मी. दूर है। नजदीकी एयरपोर्ट 130 कि.मी. दूर है। निर्माण कार्य प्रगति पर है।
13.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू	सांबा जिले में बगल जिले में बगला गांव में जम्मू से (राज्य की शीतकालीन राजधानी) 22 कि.मी. दूर है। राज्य सरकार द्वारा भूमि के औपचारिक अंतरण के बाद ही निर्माण कार्य शुरू हो सकता है।

(घ) 11वीं योजना के दौरान, यूजीसी ने 13 नए स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए 105475.00 लाख रु. की राशि विनिर्मुक्त की है। यूजीसी ने केन्द्रीय विश्वद्यिालयों से 12वीं योजना के प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं ताकि 12वीं योजना के दौरान प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए आबंटनों के बारे में निर्णय किया जा सके। इन आबंटनों में नए परिसरों के लिए निर्माण कार्यकलाप हेतु प्रस्ताव शामिल किए जाएंगे।

[अनुवाद]

एयरलाइनों के विरुद्ध शिकायतें

2449. श्री निशिकांत दुबे:
श्री हरिभाऊ जावले:
श्री प्रदीप कुमार सिंह:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले एक वर्ष के दौरान सुरक्षा कर्मियों/एयरलाइन स्टाफ आदि द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने संबंधी कई शिकायतें संसद सदस्यों/विशिष्ट व्यक्तियों तथा अन्य वायुयान यात्रियों से सरकार को मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी एयरलाइन-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) वायुयान यात्रियों विशेषकर विशिष्ट व्यक्तियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रखने का निदेश एयरलाइनों को देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) जी, हां। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संसद सदस्यों/विशिष्ट व्यक्तियों/यात्रियों द्वारा पिछले एक वर्ष के दौरान सुरक्षा कार्मिक/एयरलाइंस कर्मियों के दुर्व्यवहार की शिकायतें निम्नानुसार हैं:-

एअर इंडिया	-	1
ओमानएअर	-	1
टाइगर एअरवेज	-	4
जेट एयरवेज	-	1
जेट लाइट	-	1
सुरक्षा कर्मी	-	5

(ग) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो से विमानन सुरक्षा परिपत्र के माध्यम से अनुदेश दिए हैं कि माननीय सांसदों के साथ शिष्टपूर्वक व्यवहार किया जाए। एयरलाइनों के सुरक्षा कर्मियों को समय-समय पर इस आशय का प्रशिक्षण दिया जाता है कि वे यात्रा करने वाले सांसदों/विशिष्ट व्यक्तियों/यात्रियों के साथ यथोचित शिष्ट व्यवहार करें।

[हिन्दी]

निजी क्षेत्र के स्वामित्व वाली कोयला खदानें

2450. श्रीमती ज्योति धुर्वे:
श्री नारनभाई कछाड़िया:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी कोयला खदानों या तो सरकारी क्षेत्र या निजी क्षेत्र या संयुक्त रूप से दोनों के स्वमित्व में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कोयला खदानों के निजी क्षेत्र स्वामित्व की समीक्षा करने का है;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के विभिन्न सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की कंपनियों अथवा संयुक्त रूप से दोनों क्षेत्रों को कुल 195 कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

राज्य	कैप्टिव प्रयोजनार्थ निजी क्षेत्र (टैरिफ आधारित विद्युत परियोजनाओं सहित) को आवंटित कोयला ब्लॉक	सरकारी क्षेत्र को आवंटित कोयला ब्लॉक
आंध्र प्रदेश	-	01
अरूणाचल प्रदेश	-	01
छत्तीसगढ़	24	17
झारखंड	32	19
मध्य प्रदेश	14	11
महाराष्ट्र	16	08
ओडिशा	19	14
पश्चिम बंगाल	06	13
कुल	111	84

195 कोयला ब्लॉकों में से 3 कोयला ब्लॉक संयुक्त रूप से सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की कंपनियों को आवंटित किए गए हैं। इन 3 कोयला ब्लॉकों में से दो ओडिशा में तथा एक छत्तीसगढ़ में स्थित हैं।

(ग) से (ङ) निर्धारित दिशानिर्देशों और लक्ष्यों के अनुसार कोयला ब्लॉक विकसित करने की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से आवंटित कंपनी की है। आवंटन पत्र की शर्तों में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख

है कि कोयला ब्लॉकों के विकास में और अन्त्य उपयोग परियोजना स्थापित करने में जानबूझकर किए गए विलंब की स्थिति में सरकार उक्त ब्लॉक का आवंटन रद्द करने के लिए समुचित कार्रवाई करेगी। इसके आलावा आवंटिती को बैंक गारंटी जमा करनी होती है जो कोयला ब्लॉकों से उत्पादन निर्धारित क्षमता तक पहुंच जाने तक सदैव वैध रहती है। कोयला/लिग्नाइट ब्लॉकों के विकास को गति प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक मानीटरिंग समिति गठित करने का अनुरोध किया गया है। कोयला नियंत्रण का कार्यालय विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति को नियमित आधार पर मानीटर करता है। सरकार समीक्षा बैठकों में आवंटित ब्लॉकों के विकास तथा आवंटिती कंपनियों द्वारा अन्त्य उपयोग संयंत्रों की आवधिक रूप से मानीटरिंग करती है और समीक्षा करती है। जब कभी विलंब का पता चलता है, सरकार दिशानिर्देशों/लक्ष्य चार्ट के अनुसार कोयला ब्लॉकों में उत्पादन आरंभ करने की चेतावनी देते हुए ऐसे आवंटितीयों को कारण बताओं नोटिस और एडवाइजारी जारी करती है। कारण बताओ नोटिसों के उत्तरों के आधार पर सरकार आवंटन रद्द करने का निर्णय लेती है। आज की तारीख तक 25 कोयला ब्लॉकों को आवंटन रद्द किया गया है।

[अनुवाद]

नयी लेखा प्रणाली

2451. श्री गजानन ध. बाबर: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सभी सरकारी उच्चतर शैक्षिक संस्थानों के लिए वर्ष 2013 से नयी प्रमाणिक लेखा प्रणाली अपनाना अनिवार्य करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने निजी संस्थानों के लिए इस प्रणाली को अनिवार्य करने के संबंध में उनसे बातचीत की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ङ) जी, हां। वित्त वर्ष 2013-14 से इस मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में आने वाली शैक्षिक संस्थाओं में नए लेखांकन मानदंडों को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है। नई लेखा प्रणाली इस मंत्रालय द्वारा गठित कार्य समूह की सिफारिशों पर आधारित है। कार्य समूह की कुछ सिफारिशें नीचे दी गई हैं:

(i) सभी शैक्षिक संस्थाओं के लिए संग्रहण (अक्रूअल) आधारित लेखांकन लागू करना अनिवार्य किया जाए।

(ii) सभी शैक्षिक संस्थाओं के लिए आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानदंड अनिवार्य किए गए।

(iii) चिन्हित/निर्दिष्ट निधियों के लिए निधि आधारित लेखांकन आरंभ किया जाए।

(iv) सभी शैक्षिक संस्थाओं को उपयुक्त जवाबदेही, वित्तीय विषय, निधियों का पूर्ण उपयोग और स्टेकहोल्डरों की आवश्यकताओं को पूरा करना सुनिश्चित करने हेतु अपने सामान्य प्रयोजन विवरणों को प्रस्तुत करने हेतु एक कॉमन फार्मेट अपनाना चाहिए।

प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में आने वाली संस्थाओं के संबंध में इस मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा तथा स्कूल शिक्षा और साक्षरता, दोनों विभागों में प्रशासनिक ब्यूरो द्वारा शैक्षिक संस्थाओं में लेखांकन मानदंडों का प्रसार करने तथा समुचित परामर्श करने हेतु कदम उठाए गए हैं। लेखा महानियंत्रक के कार्यालय के माध्यम से भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया आरंभ की गई है।

[हिन्दी]

शैक्षिक संस्थाओं के लिए वित्तीय सहायता

2452. श्री कमल किशोर 'कमांडो': क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में नवोदय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय, मॉडल कॉलेज तथा पालीटेक्निक स्कूल खोलने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार तथा स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान पूर्वोक्त शैक्षिक संस्थानों को खोलने के लिए प्रदत्त वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी.पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) देश में अधिकतक जनसंख्या, विशेषकर शामिल न किए गए क्षेत्रों में पहुंच हेतु शिक्षा सुविधाओं का विस्तार एक सतत् प्रक्रिया है। यह राज्य सरकारों द्वारा उपयुक्त अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने हेतु सहायता तथा निधियों की

उपलब्धता के अध्यधीन है। वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए गए नए पॉलिटेक्निक, केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय, माडल डिग्री कालेजों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण 1 में दिया गया है।

(ग) केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति के माध्यम से स्थापित किए जाते हैं जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत स्वायत्त संगठन हैं और इन संगठनों को ही केवल वित्तीय सहायता दी जाती हैं। उपर्युक्त अवधि के दौरान पॉलिटेक्निक स्थापित करने के लिए विभिन्न राज्यों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है। प्रत्येक माडल डिग्री कालेज खोलने के लिए केन्द्रीय/यूजीसी का 2.67 करोड़ रु. का भाग संस्वीकृत है और इनमें से 1.335 करोड़ रु. का प्रारम्भिक अनुदान जारी किया गया है।

विवरण I

वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान नए जवाहर नवोदय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय, पॉलिटेक्निक और माडल डिग्री कालेजों की स्थापना को दर्शाने वाला ब्यौरा

(क) जवाहर नवोदय विद्यालय

2010-11		
क्र.सं.	राज्य	स्थान
1.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू
2.	राजस्थान	श्रीगंगानगर
2012		
	शून्य	

(ख) केन्द्रीय विद्यालय

2010-11

क्र.सं.	राज्य	स्थान
1	2	3
1.	झारखंड	भुरकुंडा
2.	आंध्र प्रदेश	नालगोंडा, जिला नालगोंडा
3.	असम	तमुलपुर, जिला बक्शा
4.	असम	उदालगुरी, जिला उदालगुरी
5.	बिहार	औरंगाबाद, जिला औरंगाबाद
6.	बिहार	हारनौत, जिला नालन्दा
7.	छत्तीसगढ़	सीआईएसएफ, भिलाई जिला दुर्ग
8.	दिल्ली	खिचड़ीपुर, जिला पूर्वी दिल्ली
9.	गुजरात	एएफएस, दार्जीपुरा, जिला बड़ौदा
10.	हिमाचल प्रदेश	बंगाना, जिला उना
11.	जम्मू और कश्मीर	बीएसएफ सुंदरबानी, जिला राजौरी
12.	जम्मू और कश्मीर	बीएसएफ हुमामा, जिला बदगाम
13.	जम्मू और कश्मीर	काजियाबाद, उदीपोड़ा, जिला कुपवाड़ा
14.	जम्मू और कश्मीर	अमीनू, जिला कुलगाम
15.	झारखंड	साहेबगंज, जिला साहेबगंज
16.	केरल	खंगाड, जिला कासरगौड़
17.	केरल	चिन्नीकारा, जिला पटनामिथ
18.	केरल	केपीए, रामावर्मापुरम, जिला त्रिसूर
19.	केरल	ऐजीमाला, जिला कन्नौर
20.	केरल	सीआरपीएफ पेरीगोमा, जिला कन्नौर
21.	कर्नाटक	कोप्पाल, जिला कोप्पाल
22.	मध्य प्रदेश	सीआरपीएफ, बंगरसिया, जिला भोपाल
23.	मध्य प्रदेश	उमरिया, जिला उमरिया
24.	मध्य प्रदेश	रायसेन, जिला रायसेन
25.	मध्य प्रदेश	वैतुल, जिला वैतुल
26.	मध्य प्रदेश	बहरानपुर, जिला बहरानपुर
27.	मध्य प्रदेश	हार्दा, जिला हार्दा
28.	महाराष्ट्र	सीआरपीएफ, तेलीगांव, जिला पूना
29.	महाराष्ट्र	नांदेड़, रेलवे कैम्पस, जिला लातूर
30.	महाराष्ट्र	बीएसएफ चाकूर, जिला लातूर

1	2	3
31.	मिजोरम	चंपाई, जिला चंपाई
32.	ओडिशा	कुतरा, जिला सुंदरगढ़
33.	ओडिशा	सी नं.2, कटक, जिला कटक
34.	ओडिशाा	भंजानगर, जिला गंजम
35.	ओडिशा	मुर्गाबादी, जिला मयूरभंज
36.	ओडिशा	सोनेपुर, जिला सुबर्णापुर
37.	ओडिशा	जिला देवगढ़
38.	ओडिशा	जयपुर, जिला जयपुर
39.	ओडिशा	दिगाफंडी, जिला गंजम
40.	ओडिशा	अस्का, जिला गंजम
41	ओडिशा	नौपाड़ा, जिला नौपाड़ा
42.	ओडिशा	सीआईएसफ मुंडाली, जिला कटक
43.	पंजाब	सीआरपीएफ, सरीखास, जिला जालंधर
44.	पंजाब	बीएसएफ, भीकीविंड, जिला अमृतसर
45.	पंजाब	सी बीएसफ फजिल्का, जिला फिरोजपुर
46.	पंजाब	बीएसएफ अमरको, जिला अमृतसर
47.	पंजाब	बीएसएफ केएमएस वाला, जिला फिरोजपुर
48.	पंजाब	मोहाली, जिला एमएएस नगर, मोहाली
49.	पुदुचेरी	कराईकल, जिला कराईकल
50.	राजस्थान	बीएसएफ, रामगढ़, जिला जैसलमेर
51.	राजस्थान	बीएसएफ कैम्पस, रायसिंहनगर
52.	राजस्थान	खेत्री नगर, जिला झुंझुनू
53.	राजस्थान	देवगढ़, जिला राजसमंद
54.	राजस्थान	बीएसएफ खूजवाला, जिला बीकानेर
55.	तमिलनाडु	विरूद्धनगर, जिला विरूद्धनगर
56.	तमिलनाडु	पैराम्बलूर, जिला पैराम्बलूर
57.	त्रिपुरा	बीएसएफ तलाईपुरा, खासियामंगल
58.	त्रिपुरा	सीजी सीआरपीएफ अगरतला
59.	उत्तर प्रदेश	सीआरपीएफ, इलाहाबाद, जिला इलाहाबाद
60.	उत्तर प्रदेश	एटा, जिला एटा
61.	उत्तर प्रदेश	चीरू, सलेमपुर, जिला देवरिया
62.	उत्तर प्रदेश	महोबा, जिला महोबा
63.	उत्तर प्रदेश	हाथरस, जिला महामायानगर
64.	उत्तराखंड	बागेश्वर, जिला बागेश्वर
65.	उत्तराखंड	गोपेश्वर, जिला चमोली
66.	पश्चिम बंगाल	बीएसएफ कृष्णानगर, जिला नादिया
67.	पश्चिम बंगाल	बीएसएफ रानीनगर, जिला जलपाईगुड़ी
68.	पश्चिम बंगाल	बीएसएफ गांधीनगर, जिला कूचबिहार
69.	पश्चिम बंगाल	तारकेश्वर जिला हुगली
70.	पश्चिम बंगाल	बोलपुर, जिला बीरभूम
71.	पश्चिम बंगाल	बीएसएफ अर्धापुर, जिला माल्दा
72.	पश्चिम बंगाल	बीएसएफ बैकुंठपुर, जिला जलपाईगुड़ी
73.	मध्य प्रदेश	मलाजखंड, जिला बालाघाट
74.	हरियाणा	बाखली, जिला रेवाड़ी
75.	मध्य प्रदेश	नं.3 कटनी, जिला कटली
76.	मध्य प्रदेश	नं.2 सतना, जिला सतना
77.	मध्य प्रदेश	नं.2 छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा
78.	छत्तीसगढ़	बीजापुर, जिला बीजापुर
79.	पंजाब	रिवोना उचा, जिला फतेहगढ़ साहिब

1	2	3
80.	पंजाब	उभरवाल, जिला संगरूर
81.	कर्नाटक	देवनागिरी, जिला देवनागिरी
82.	असम	रंगिया, उत्तरी फ्रंटियर रेलवे, जिला कामरूप
83.	बिहार	सीआरपीएफ जिला मुजफ्फरपुर
84.	ओडिशा	नयागढ़, जिला नयागढ़
85.	ओडिशा	बारीमूल, जिला केन्द्रापाड़ा
86.	गुजरात	फ्रीलैंडगंज, रेलवे कालोनी, धाहौड, जिला धाहौड
87.	कर्नाटक	शिमोंगा, जिला शिमोंगा
88.	आंध्र प्रदेश	खोतुरू, जिला नेल्लोर
89.	ओडिशा	खारियार, नौपाड़ा
90.	ओडिशा	नं.5 कलिंगानगर, भुवनेश्वर, जिला खुर्दा
91.	ओडिशा	नं.6 पोखारीपुर, भुवनेश्वर, जिला खुर्दा
92.	ओडिशा	माहुलदिया, रायनगर, जिला मयूरभंज

2011-12

1.	बिहार	कास्ट ह्वील प्लांट बेला, जिला सारन
2.	कर्नाटक	कृष्णाराजापुरम, डीजल लोकोसेट कालोनी, जिला बंगलौर
3.	मध्य प्रदेश	टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़
4.	उत्तर प्रदेश	ललितपुर, जिला ललितपुर
5.	उत्तर प्रदेश	इटावा, जिला इटावा
6.	राजस्थान	इन्द्रापुरा, जिला झुंझंनू
7.	अरूणाचल प्रदेश	ट्यूटिंग, जिला अपर सियांग
8.	उत्तर प्रदेश	चित्रकूट, जिला चित्रकूट
9.	उत्तर प्रदेश	बांदा, जिला बांदा

1	2	3
10.	राजस्थान	टोंक, जिला टोंक
11.	आंध्र प्रदेश	करीमनगर, जिला करीमनगर
12.	पंजाब	भुंगा, जिला होशियारपुर
13.	केरल	पालयाड थैलसीरी, जिला कन्नूर
14.	दिल्ली	शकूरबस्ती, पश्चिम पंजाबी बाग
15.	छत्तीसगढ़	राजनंदगांव, जिला राजनंदगांव
16.	बिहार	महाराजगंज, जिला सीवान

(ग) पॉलिटेक्निक

2010-11

क्र.सं.	राज्य	स्थान
1	2	3
1.	बिहार	सीवान
2.	बिहार	वैशाली
3.	बिहार	समस्तीपुर
4.	बिहार	खगड़िया
5.	बिहार	बांका
6.	बिहार	शेखपुरा
7.	बिहार	बक्सर
8.	बिहार	कैमूर (भभुआ)
9.	बिहार	जहानाबाद
10.	बिहार	नवादा
11.	बिहार	अरवल
12.	बिहार	किशनगंज
13.	बिहार	दरभंगा
14.	बिहार	गोपालगंज
15.	बिहार	सारन
16.	बिहार	बेगुसराय
17.	बिहार	भागलपुर

1	2	3
18.	बिहार	गया
19.	मध्य प्रदेश	टीकमगढ़
20.	मध्य प्रदेश	पन्ना
21.	मध्य प्रदेश	बरवानी
22.	मध्य प्रदेश	रायगढ़
23.	मध्य प्रदेश	सिहोर
24.	मध्य प्रदेश	हौशंगाबाद
25.	दमन और दीव	दीव
2011-12		
1.	अरूणाचल प्रदेश	चांगलोंग
2.	अरूणाचल प्रदेश	ट्रिप
3.	मिजोरम	सर्चिप
4.	मिजोरम	साहिया
5.	असम	दुबरी
6.	असम	गोलापाड़ा
7.	असम	बारपेटा
8.	असम	नालबाड़ी
9.	असम	दरांग
10.	असम	मारीगांव
11.	असम	सोनितपुर
12.	असम	लखीमपुर
13.	असम	धीमाजी
14.	असम	तिनसुखिया
15.	असम	शिबसागर
16.	असम	उत्तरी कछार हिल्स
17.	असम	करीमगंज
18.	असम	हेलकांडी
19.	असम	उदालगिरि
20.	असम	छिरांग
21.	असम	बक्शा
22.	असम	कामरूप ग्रामीण
23.	असम	नौगांव
24.	असम	गोलाघाट
25.	असम	कर्वी एंगलोंग
26.	मध्य प्रदेश	विदिशा

(घ) माडल डिग्री कालेज

2010-11

क्र.सं.	राज्य	अनुमोदित माडल डिग्री कालेज
1	2	3
1.	अरूणाचल प्रदेश	6
2.	दादरा और नगर हवेली	1
3.	गुजरात	3
4.	केरल	3
5.	कर्नाटक	6
6.	महाराष्ट्र	7
7.	पंजाब	10
8.	तमिलनाडु	1
2011-12		
1.	अरूणाचल प्रदेश	5
2.	असम	12
3.	गुजरात	16
4.	पंजाब	1
5.	तमिलनाडु	2
6.	उत्तर प्रदेश	5

विवरण II

क्र.सं.	राज्य	2010-11 रु. करोड़ में	2011-12 रु. करोड़ में
1.	हरियाणा		7.00
2.	हिमाचल प्रदेश		25.00
3.	जम्मू और कश्मीर		54.00
4.	पंजाब	35.00	21.00
5.	राजस्थान	70.00	45.00
6.	उत्तर प्रदेश	135.00	70.00
7.	उत्तराखंड	5.00	
8.	आंध्र प्रदेश		6.00
9.	तमिलनाडु	35.00	28.00
10.	लक्षद्वीप		
11.	दमन और दीव	2.00	
12.	गुजरात		5.00
13.	छत्तीसगढ़		
14.	मध्य प्रदेश	57.00	42.00
15.	महाराष्ट्र	10.00	8.00
16.	बिहार	61.00	80.00
17.	झारखंड		85.00
18.	ओडिशा	90.00	16.00
19.	पश्चिम बंगाल		15.00
20.	अरूणाचल प्रदेश		39.00
21.	असम	--	42.00
22.	मणिपुर		
23.	मेघालय		
24.	मिजोरम		28.00
25.	नागालैंड		
26.	सिक्किम	5.00	
27.	त्रिपुरा	5.00	13.00
	योग	**510.00**	**629.00**

[अनुवाद]

राष्ट्रीय सिविल सेवा संस्थान

2453. श्री के.शिवकुमार *उर्फ* **जे.के. रितीश:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय सिविल सेवा संस्थान की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) ऐसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हैं जो संबंधित सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण का आवश्यकताओं को समुचित ढंग से पूरी करते हैं।

एंट्रिक्स-देवास समझौता

2454. डॉ. थोकचोम मैन्या: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि एस बैंड स्पेक्ट्रम विवाद संबंधी एंट्रिक्स-देवास समझौता से जुड़े इसरो के शीर्ष चार वैज्ञानिकों के विरुद्ध की गयी कार्रवाई के कारण देश में वैज्ञानिक समुदाय का मनोबल गिरा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन चार इसरो वैज्ञानिकों को मिले दंड को माफ करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) एन्ट्रिक्स-देवास करार के संबंध में हाल ही में इसरो के चार भूतपूर्व वैज्ञानिकों के विरुद्ध की गई कार्रवाई से इसरो के वैज्ञानिक समुदाय का हौसला नहीं टूटा है। इस कार्रवाई से अंतरिक्ष कार्यक्रम किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इसरो के चार उच्च वैज्ञानिकों पर की गई कार्रवाई को फिलहाल वापस लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

संविदा कर्मियों का शोषण

2455. श्री विश्वमोहन कुमार: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या कोल इंडिया लि. (सीआईएल) के अधिकारी संविदा कर्मियों का निजी क्षेत्र से अधिक शोषण कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तिथि तक सीआईएल में नियमित कर्मचारियों एवं संविदा-कर्मियों की अलग-अलग संख्या क्या है;

(घ) सीआईएल के नियमित कर्मचारियों के वेतनमान एवं उसी ग्रेड में कार्यरत संविदा कर्मियों के वेतनमान क्या हैं;

(ङ) क्या सीआईएल लाभकारी कंपनी है इसमें सतत कार्य चलता है; और

(च) यदि हां, तो संविदा कर्मियों को काम पर रखने के क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त प्रश्न के भाग (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) कोल इंडिया लि. और इसकी सहायक कंपनियों में नियमित कर्मचारियों और ठेकेदारों द्वारा तैनात किए गए कामगारों की कामगारों की संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है:

कंपनी	नियमित कर्मचारी	ठेके के कर्मचारी
1	2	3
ईसीएल	78258	6534
बीसीसीएल	65088	1414
सीसीएल	50175	1013
डब्ल्यूसीएल	57109	3277
एसडीसीएल	76851	9504
एमसीएल	22025	5190
एनसीएल	16339	4233
सीएमपीडीआईएल	3147	0
एनईसी	2547	413
सीआईएल	975	79
कुल	372514	31647

(घ) नियमित कर्मचारियों के वेतनमान राष्ट्रीय कोयला वेतन करार (एनसीडब्ल्यूए) के अनुसार निर्धारित किया जाता है जिसका निर्णय कोयला उद्योग की संयुक्त द्विपक्षीय समिति (जेबीसीसीआई) द्वारा लिया जाता है। ठेकेदारों द्वारा ठेका कामगारों को तैनात किया जाता है जिन्हें निविदा प्रक्रिया में सफल होने के पश्चात कार्य अवार्ड किया गया है। ठेका कामगारों को समय-समय पर न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1984 के अंतर्गत श्रम मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार भुगतान किया जाता है।

(ङ) जी हां।

(च) ठेका कामगारों को वहां तैनात किया जहां कार्य बारहमासी प्रकृति का होता है। कतिपय कार्यों को आउटसोर्स किया जाता है और ठेके अपनी आवश्यकता के अनुसार कार्यों में अपने कर्मचारियों को तैनात करते हैं।

[अनुवाद]

उड़ान सेवाएं

2456. श्री राजेन्द्र सिंह राणा:
श्री अर्जुन राम मेघवाल:
श्री कादिर राणा:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार का वित्त वर्ष 2012-13 में देश के कितने शहरों में वायु सेवा प्रारंभ करने का विचार है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उड़ान संचालन वाले शहरों में वायुयान यात्रियों को कई मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं;

(ग) यदि हां, तो उक्त मुश्किलों का शिकायत पुस्तिका के माध्यम से प्राप्त ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त मुश्किलों को हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) घरेलू सेक्टर में प्रचालन को डी-रेगुलेट कर दिया गया है तथा संबंधित एयरलाइनों द्वारा वाणिज्यिक व्यवहार्यता तथा मार्ग संवितरण दिशा-निर्देशों के अनुपालन के आधार पर उड़ानों का प्रचालन किया जा रहा है। सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश के अन्य क्षेत्रों में विमान परिवहन सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विमान परिवहन सेवा के बेहतर विनियमन को प्राप्त करने के लिए संवितरण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। तथापि, यह एयरलाइनों पर निर्भर करता है कि वे मार्ग संवितरण दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए यातायात की मांग तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर विशिष्ट स्थानों के लिए विमान सेवाएं उपलब्ध कराएं।

(ख) से (घ) विमान यात्रा वाहक तथा यात्री के बीच एक प्रकार का अनुबंध हैं। यात्री एयरलाइन को अपनी शिकायत से अवगत करा सकते हैं तथापि, कुछ यात्री शिकायत निवारण के लिए डीजीसीए की मदद भी लेते हैं इस तरह की शिकायतें संबंधित एयरलाइनों के पास निवारण के लिए भेज दी जाती हैं।

सरकार यात्री सुविधाओं को प्राथमिकता देती है। यात्रियों को होने वाली असुविधाएं/परेशानियों को अपने संज्ञान में लेकर नीति निर्देश जारी कर उनका समाधान करती है। यह एक अनवरत प्रक्रिया है।

सरकार ने यात्रियों की सुविधाओं के लिए निम्नलिखित नागर विमानन अपेक्षाएं (सीएआर) जारी की है।

(i) सीएआर, धारा-3- एयर ट्रांसपोर्ट सिरीज 'एम- भाग 1 संस्करण 2, दिनांक 1 मई, 2008:- विकलांग तथा/या निशक्त यात्रियों द्वारा विमान यात्रा।

(ii) सीएआर, धारा-3 एयर ट्रांसपोर्ट सिरीज 'एम' भाग 2 संस्करण 1, दिनांक 22 मई, 2008: सार्वजनिक यातायात उपक्रम के यात्रियों को एयरलाइन टिकटों का किराया वापस करना।

(iii) सीएआर, धारा 3-एयर ट्रांसपोर्ट सिरीज 'एम' भाग 4 संस्करण 1, दिनांक 6 अगस्त, 2010- यात्रियों को बोर्डिंग पर नकाराए जाने, उड़ान का रद्द होना तथा देरी आदि होने पर एयरलाइनों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएं।

(iv) सीएआर, धारा 3-एयर ट्रांसपोर्ट सिरीज 'एम' भाग 3 दिनांक 31 जुलाई, 2010: कंप्यूटर आरक्षण प्रणाली (सीआरएस)/वैश्विक आवंटन प्रणाली (जीडीएस)

(v) यात्रियों को उड़ान संबंधी सूचनाएं उड़ान सूचना डिस्प्ले सिस्टम द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। उड़ान की देरी या बाधा या रद्द होने से संबंधित सूचनाएं/घोषणाएं नियमित की जाती हैं तथा उड़ान सूचना डिस्प्ले सिस्टम को तदनुसार अद्यतन किया जाता है। इस तरह की उड़ानों के यात्रियों को टर्मिनल भवन के अन्दर प्रवेश से रोका नहीं जाता। रेस्त्रां तथा स्नैक-बार उपलब्ध हैं तथा अत्यधिक देर होने की स्थिति में एयरलान यात्रियों को भोजन तथा आवास भी उपलब्ध कराता है एयरलाइन के स्टाफ यात्रियों को उचित सूचना तथा सहायता उपलब्ध कराने के लिए सदैव उपस्थित रहते हैं।

विभिन्न विमानपत्तनों पर रन-वे का विस्तार

2457. श्री एस. पक्कीरप्पा:
श्री रामसिंह राठवा:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अगले दो वित्त वर्षों के दौरान देश के कई विमानपत्तनों के रन-वे का विचार करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विमानपत्तन-वार ब्यौरा क्या है और इस पर विमानपत्तन-वार कितना व्यय होने का अनुमान है;

(ग) क्या राज्य सरकारें रन-वे के विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराने पर सहमत हो गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रन-वे का विस्तार कब तक किए जाने की आशा है और इस संबंध में सरकार ने विमानपत्त-वार क्या कदम उठाए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (ङ) जी, हां। ऐसे हवाईअड्डों पर किए जाने वाले कार्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

एएआई के विभिन्न हवाईअड्डों पर रनवे के विस्तार संबंधी कार्यो का ब्यौरा

क्र.सं.	हवाई-अड्डा	कार्य की लागत	भूमि	कार्य पूर्णता की संभावित तारीख
1.	जम्मू	60 करोड़ रु.	अपेक्षित भूमि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करा दी गई है। मांगी गई भूमि अभी सेना की ओर से हस्तांतरण किया जाना है।	कार्य योजना स्तर पर
2.	जयपुर	89.65 करोड़ रु.	एएआई भूमि पर	कार्य निविदा स्तर पर है।
3.	तेजू	27.50 करोड़ रु.	राज्य सरकार द्वारा भूमि पहले ही उपलब्ध करा दी गई है।	कार्य सौंप दिया गया है। पूर्ण होने की तारीख जून, 2013 है।
4.	डिब्रूगढ़	60 करोड़ रु.	बशेर्ते कि भूमि/रक्षा मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण-पत्र तथा पूर्वोत्तर परिषद से निधि की व्यवस्था कर दी जाए।	कार्य योजना स्तर पर
5.	बारापानी (शिलांग)	128.70 करोड़ रु.	राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध करा दी गई है।	कार्य योजना स्तर पर
6.	हुबली	60 करोड़ रु.	राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध करा दी गई है। लेकिन पूर्वोत्तर से निधि के प्रावधान प्रतीक्षित हैं	कार्य योजना स्तर पर
7.	बेलगांव	189 करोड़ रु.	राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध करा दी गई है, साध्यता की शर्त पर कार्य किया जाएगा।	कार्य योजना स्तर पर

[हिन्दी]

अभियोजन हेतु लंबित मामले

2458. श्री रामसुंदर दास: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों में ऐसे कई मामले लंबित हैं जिसमें भ्रष्टाचार के कथिक मामलों में संलिप्त अधिकारियों की संबंधित कानून के तहत अभियोजित करने की अनुमति मांगी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जिसके विरूद्ध केंद्रीय सतर्कता आयोग ने सरकार से आरोप-पत्र दायर करने की अनुमति मांगी है;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे मामलों में केंद्रीय सतर्कता आयोग को निर्धारित समय-सीमा के भीतर अनुमति प्रदान करने का नियमन करने की कोई नीति बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) सीबीआई द्वारा मुहैया करवाई गई सूचना के अनुसार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के 75 मामलों में अभियोजन हेतु मंजूरी के लिए 145 अनुरोध विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों एवं राज्यों के पास लंबित हैं।

(ख) मंत्रालयवार/विभागवार एवं राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

यद्यपि अभियोजन के लिए मंजूरी के मामलों का निर्णय करने के लिए तीन माह की समय सीमा निर्धारित की गई है, फिर भी केन्द्रीय मंत्रालयों/संबंधित विभागों के लिए इस समय सीमा का पालन करना कभी-कभी संभव नहीं होता है। विलंब अक्सर उपलब्ध साक्ष्य के विस्तृत विश्लेषण, सीवीसी एवं राज्य सरकारों व अन्य एजेंसियों के साथ परामर्श तथा कभी-कभी संगत दस्तावेजी साक्ष्य की अनुपलब्धता के कारण होता है।

(ग) अभियोजन हेतु मंजूरी के लिए अनुमति, जांच एजेंसी अर्थात सीबीआई द्वारा मांगी जाती है न कि सीवीसी द्वारा।

(घ) और (ङ) उपरोक्त उल्लिखित अनुसार, सीबीआई ही अभियोजन हेतु मंजूरी की अनुमति मांगती है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विनीत नारायण बनाम भारत संघ के मामले में निदेश दिया था कि 'अभियोजन हेतु मंजूरी प्रदान करने के लिए तीन माह की समय सीमा का कड़ाई से अनुपालन अवश्य किया जाना चाहिए। तथापि, एक माह के अतिरिक्त समय की अनुमति वहां दी जाती है जहां ए.जी. कार्यालय में अटार्नी जनरल (एजी) या किसी विधि अधिकारी से परामर्श की आवश्यकता होती है। अभियोजन हेतु मंजूरी प्रदान करने में विलंब को रोकने के लिए, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 399/33/2006-ए.वी.डी.-III, दिनांक 06.11.2006 के जरिए, इसके पश्चात 20.12.2006 के अन्य कार्यक्रम ज्ञापन के द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें प्रत्येक चरण में निश्चत समय सीमा एवं जानबूझकर विलंब करने के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने की व्यवस्था की गई है।

विवरण

फरवरी, 2012 की स्थिति के अनुसार, अभियोजन मंजूरी हेतु भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के लंबित मामलों के मंत्रालय वार मामलों की संख्या एवं किए गए अनुरोध

मंत्रालय	कुल मामले	कुल अनुरोध
1	2	3
मंत्रिमंडल सचिवालय	1	1
कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय	1	3
नागर विमानन मंत्रालय	2	2
कोयला एवं खान मंत्रालय	3	8
संचार मंत्रालय	2	2
संचार मंत्रालय (डाक विभाग)	2	3
रक्षा मंत्रालय	1	1
विदेश मंत्रालय	1	2
वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग)	2	2
वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग)	15	22
वित्त मंत्रालय (उत्पादन शुल्क एवं केन्द्रीय सीमा शुल्क)	6	22
वित्त मंत्रालय (आयकर)	6	7

1 2	3	
स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	4	13
गृह मंत्रालय	1	2
मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय	4	4
श्रम मंत्रालय	2	2
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	2	2
रेल मंत्रालय	7	7
पोत परिवहन मंत्रालय	2	2
इस्पात मंत्रालय	2	3
शाहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	1	I
संघ राज्य क्षेत्र	1	I
आंध्र प्रदेश सरकार	3	6
असम सरकार	2	14
दिल्ली सरकार	I	1
मिजोरम सरकार	1	1
पंजाब सरकार	1	7
राजस्थान सरकार	3	8
उत्तर प्रदेश सरकार	1	I
कुल	80*	145

*तथापि, अभियोजन की मंजूरी के लिए कुल मात्र 75 मामले लंबित हैं, क्योंकि 5 मामले एक मंत्रालय/राज्य सरकार आदि से अधिक के लिए समान हैं।

आई.आई.एस.एस.टी. की स्थापना

2459. **श्री जगदानन्द सिंह:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त संस्थान से एक वर्ष में उत्तीर्ण होने वाले प्रौद्योगिकी-स्नातकों का ब्यौरा क्या है और क्या उन सबको रोजगार प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संस्थान के आरम्भ से लेकर आज तक इस पर हुए व्यय का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम को गुणवत्ता मानव संसाधन प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2007-08 के दौरान अन्तरिक्ष विभाग के तहत, वैमानिकी, वांतरिक्ष इंजीनियरी व भौतिक विज्ञान की विशेषताओं के तीन शाखाओं सहित बी.टेक कार्यक्रम के लिए

तिरूवनंतपुरम में भारतीय अन्तरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान नामक एक शैक्षणिक संस्थान की शुरूआत की गई। वर्तमान में इन स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए 584 छात्रों ने अपना नामांकन करवाया है। वर्ष 2010 के दौरान, इसरो द्वारा प्रायोजित कर्मचारियों के लिए, विशिष्ट रूप से रसायनिक एवं साफ्टवेयर कम्प्यूटिंग तथा यांत्रिकी अध्ययन शाखाओं में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को शुरू किया गया। वर्तमान में इसरों प्रायोजित कर्मचारियों के 29 छात्र इन पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत हैं। वर्ष 2010 के दौरान वार्षिक 12 से 15 तक के छात्रों के दाखिले के साथ पी.एच.डी. पाठ्यक्रमों की भी शुरुआत की गई। वर्तमान में विभिन्न शाखाओं में अनुसंधान पाठ्यक्रमों के लिए 49 विद्यार्थियों ने पंजीकरण किया है।

(ग) और (घ) वैमानिकी, वांतरिक्ष इंजीनियरी तथा भौतिक विज्ञान जैसी विशेषताओं के तीन शाखाओं के कुल 126 विद्यार्थियों में से 117 विद्यार्थियों के प्रथम बैच (2011), जिन्होंने 6.5 सी. जी.पी.ए. (पहले ही विद्यार्थियों को न्यूनतम निर्धारित अंक की जानकारी दे दी गई थी) के साथ उत्तीर्ण किया है उन्हें उन्हें अन्तरिक्ष विभाग (अं.वि.) भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान सगंठन (इसरो) में आमेलन कर लिया गया है।

(ङ) भारतीय अन्तरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरूवनंतपुरम ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार रु. 25,303.11 लाख का संचयी व्यय किया है:

क्र.सं.	वर्ष	व्यय (रु. में लाख)
1.	2007-08	969.24
2.	2008-09	4092.84
3.	2009-10	5528.89
4.	2010-11	7904.38
5.	2011-12 (29.02.2012 तक अलेखापरीक्षित)	6807.76
	फरवरी 2012 के अंत तक कुल	25,303.11

[अनुवाद]

मोबाइल/टैबलेट के जरिए इंटरनेट का इस्तेमाल

2460. श्री एम.के. राघवन:
श्री आर. थामराईसेलवन:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय स्मार्ट-फोनों और टैबलेट्स कंप्यूटरों के जरिए इंटरनेट के उपयोग का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारत के नए इंटरनेट उपभोक्ता अब ज्यादातर अपने मोबाइल फोनों के जरिए ही इंटरनेट का उपयोग करेंगे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उक्त दोनों प्रणालियों से इंटरनेट उपयोग का दावा लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) ट्राई (टीआरएआई) द्वारा मुहैया कराई गई सूचना के अनुसार पिछले 5 वर्ष में इंटरनेट तक पहुंच बनाने वाले पंजीकृत मोबाइल डेटा ग्राहकों की संख्या निम्नानुसार है:

क्र.सं.	वर्ष (31 दिसम्बर तक)	डेटा ग्राहक (करोड़ों में)
1.	2007	57.83
2.	2008	101.10
3.	2009	149.03
4.	2010	332.43
5.	2011	431.37

(डेटा के राज्य विवरण उपलब्ध नहीं हैं)

(ख) और (ग) वर्तमान में ज्यादातर इस्तेमालकर्ता इंटरनेट तक पहुंच बनाने के लिए मोबाइल और पीसी/टेबलेट दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि, अंतर्निहित इंटरनेट विशेषताओं के साथ कम कीमत के मोबाइल फोन की बढ़ती उपलब्धता से यह संभव है कि ज्यादातर इन्टरनेट इस्तेमालकर्ता मोबाइल द्वारा इंटरनेट तक अपनी पहुंच बनाएंगे।

(घ) राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड योजना पर टेलीकॉम/ट्राई (टीआरएआई) की संस्तुतियों के तहत ब्रॉडबैंड के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड योजना के अंतर्गत वर्ष 2012 तक 75 मिलियन ब्रॉडबैंड कनेक्शन (17 मिलियन डीएसएल, 30 मिलियन केबल तथा 28 करोड़ वायरलैस ब्रॉडबैंड) तथा वर्ष 2014 तक 160 मिलियन ब्रॉडबैंड कनैक्शन (22 मिलियन डीएसएल, 78 मिलियन केबल तथा 60 मिलियन वायरलैस ब्रॉडबैंड) के प्रावधान की परिकल्पना की गई है।

विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि

2461. डॉ. संजय जायसवाल: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र में 12 प्रतिशत की सतत वृद्धि दर प्राप्त करने हेतु वर्ष 2006 में प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति गठित की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समिति की सिफारिशें पूर्णतया निष्प्रभावी सिद्ध हुई हैं चूंकि वर्ष 2011-12 की तीसरी तिमाही के दौरान देश के विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर तेजी से गिरकर मात्र 0.4 प्रतिशत रह गई है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 2012-13 के दौरान विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देकर 12 प्रतिशत की लक्षित वृद्धि दर को प्राप्त करने हेतु इस उच्चस्तरीय समिति ने क्या कदम उठाए हैं और वर्ष 2011-12 में अब इसकी कितनी बैठकें हुई हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय विनिर्माणन समिति (एचएलसीएम) ने घरेलू विनिर्माण क्षेत्रक के विकास को तीव्र करने के लिए अनेक निर्णय लिए हैं। इनमें अन्य के साथ-साथ, विनिर्माण हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएम-2006) को अपनाना, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्द्धा कार्यक्रम, एमएसएमई की प्रतिस्पर्धा क्षमता को बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम, विनिर्माण प्रतिस्पर्द्धा कार्यक्रम, एमएसएमई की प्रतिस्पर्द्धा क्षमता को बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम, विनिर्माण के लिए दूरदर्शी नायकों के विकास हेतु कार्यक्रम आरंभ करना आदि शामिल हैं। विनिर्माण हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति के तहत अग्रता कार्रवाई के छह क्षेत्रकों की पहचान की गई है। ये हैं- कपड़ा एवं वस्त्र, खाद्य और कृषि प्रसंस्करण, चमड़ा और जूते, आईपी हार्डवेअर और इलेक्ट्रॉनिक्स, कौशल विकास तथा क्लस्टर विकास सहित एसएमई क्षेत्रक की समस्याएं। इन क्षेत्रकों को बढ़ावा देने के लिए, 11वीं योजना के दौरान कुछ प्रमुख स्कीमें, जैसे कि भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम, एकीकृत टेक्सटाईल पार्कों हेतु स्कीम, मेगा फूड पार्क, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, एमएसएमई क्षेत्रक के लिए क्लस्टर विकास पहल आदि आरंभ की गई हैं। इसके अतिरिक्त, एचएलसीएम की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय सोलर मिशन आदि जैसी महत्वाकांक्षी पहलें आरंभ की गई हैं।

उच्चस्तरीय विनिर्माण समिति (एचएलसीएम) की बैठकों में समय-समय पर आई सिफारिशों/विचारों के आधार पर, सरकार ने नवम्बर 2011 में राष्ट्रीय विनिर्माणन नीति (एनएमपी) अनुमोदित की है। नीति में विनिर्माण क्षेत्रक के 12 से 14 प्रतिशत कर दर से विकास करने की परिकल्पना की गई है जिससे कि जीडीपी में इसके शेयर को वर्तमान के लगभग 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 2022 तक लगभग 25 प्रतिशत तक किया जा सके। एनएमपी के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न पहलों व उपायों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

सेवानिवृत्ति पश्चात् भी कार्रवाई का प्रावधान

2462. डॉ. संजय सिंह:
श्री इज्यराज सिंह

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न सरकारी संगठनों और सरकारी उपक्रमों में कोई प्रावधान नहीं है जिसके अंतर्गत दोषी अधिकारियों के सेवानिवृत्त होने के पश्चात भी उनके विरूद्ध कार्रवाई की जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं और इनका क्या परिणाम रहा?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ग) जहां तक केंद्र सरकार के कर्मचारियों का संबंध है, वे संगत अनुशासनिक नियमों द्वारा अभिशासित होते हैं, जिन मामलों में सेवानिवृत्ति से पूर्व अनुशासनिक कार्यवाही शुरू की गई हो तो यह सेवानिवृत के बाद बनी रह सकती है और यदि उसे गंभीर कदाचार का दोषी पाया जाता है संगत पेंशन नियमावली के अंतर्गत पेंशन में कटौती भी की जा सकती है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भी, उसी तहत के प्रावधान होते हैं जैसे केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के मामलों में सेवा विनिमयमावली और पेंशन विनियमावली में उपबंधित किए गए हैं।

जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों का संबंध है, अनुशासनिक कार्यवाहीं, संबंधित संगठन की आचरण, अनुशासन और अपील नियमावली (सीडीए नियमावली)/सेवा विनियमावली में समाहित प्रावधानों के अनुसार आरंभ की जाती है केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने टिप्पणी की थी कि कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पास अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद अनुशासनिक

कार्यवाही, आरंभ करने के कोई प्रावधान नहीं है और इसीलिए आयोग ने अपने परिपत्र संख्या 44/12/07, दिनांक 28.12.2007 द्वारा सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सलाह दी कि वे इस प्रावधान को समाविष्ट करने हेतु अपने सीडीए नियमावली में संशोधन करें कि अनुशासनिक कार्यवाही, सेवानिवृत्ति के उपरांत बनी रह सकती है। लोक उद्यम विभाग ने भी सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध करते हुए दिशा निर्देश जारी किए थे कि वे अपने अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सलाह दे कि वे सेवानिवृत्ति के पश्चात अनुशासनिक कार्यवाहियों के बने रहने और कंपनी को धन संबंधी नुकसान होने की स्थिति में, उपदान रोकने, उपदान से पूरी अथवा आंशिक रूप से वसूली किए जाने का आदेश देने के लिए वे अपनी-अपनी सी.डी.ए. नियमावली में उपयुक्त प्रावधान समाविष्ट करें।

[अनुवाद]

स्कूली पाठयक्रम में पर्यावरण अध्ययन और कानून विषय को शामिल किया जाना

2463. श्रीमती इन्ग्रिड मैकलोड:
डॉ. बलीराम:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का स्कूली पाठ्यक्रम में पर्यावरण अध्ययन और कानून विषय को एक पृथक विषय के रूप में शामिल करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में अंतिम निर्णय कब कि लिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) स्कूल पाठ्यक्रम में विधि को एक पृथक विषय के रूप में शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। पर्यावरणीय अध्ययन कक्षा-III से V तक एक पृथक विषय है और पर्यावरणीय सरोकार/मुद्दे कक्षा-VI से XII के लिए सभी विषयों में उपयुक्त स्थानों पर डाले गए हैं।

असम विश्वविद्यालय में चिकित्सा कालेज एवं अस्पताल

2464. श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने असम विश्वविद्यालय, सिल्चर को विश्वविद्यालय परिसर में एक चिकित्सा कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना के बारे में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को उक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मिल गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने इस संबंध में एक संकल्प स्वीकृत किया है और इस संबंध में प्रयोजनार्थ करीब 59 एकड़ भूमि देना निर्धारित निर्धारित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने उक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप देते हुए विश्वविद्यालय को धनराशि आबंटित करने का निर्णय किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) उक्त चिकित्सा कॉलेज एवं अस्पताल कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी हां, महोदया।

(ख) जी हां, महोदया।

(ग) और (घ) असम विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, इसकी कार्यकारी परिषद ने प्रस्तावित चिकित्सा कॉलेज तथा अस्पताल के लिए लगभग 59 एकड़ भूमि के सीमांकन (डिमार्केशन) को अनुमोदित कर दिया है।

(ङ) और (च) चूंकि असम विश्वविद्यालय सहित चार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों के लिए 145 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी, जो योजनागत आबंटन के अतिरिक्त थी, इसलिए XIवीं योजना के दौरान इनका निधियन किया जाना संभव नहीं था।

(छ) जब तक कि योजनागत परिव्यय का अनुमोदन न हो जाए तब तक इन चिकित्सा कॉलेजों की स्थापना हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है।

अंतरिक्ष अनुसंधान

2465. श्री के. नारायण राव: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में क्या प्रगति की है;

(ख) क्या भारत अंतरिक्ष अनुसंधान हेतु स्वदेश में अपने उपग्रह का स्वयं निर्माण करने की स्थिति में है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या और इसके परिणामस्वरूप क्या-क्या लाभ हुए हैं/होंगे?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत ने अन्तरिक्ष अनुसंधान से संबंधित क्रियाकलापों जैसे उपग्रहों का विकास, प्रमोचक राकेट तथा अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित उपयोगों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। जिस पर नीचे प्रकश डाला गया है:

- पी.एस.एल.वी.-सी14 द्वारा ओशनसैट-2 का प्रमोचन तथा समुद्र राज्य पूर्वानुमान तथा महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र मानीटरन के लिए उपग्रह का प्रचालनीकरण।

- पी.एस.एल.वी.-सी15 द्वारा कार्टोसैट-2 बी का प्रमोचन तथा कोर्टोग्राफिक उपयोग के लिए 1 मीटर से बेहतर प्रतिबिंबन क्षमता सहित एक उच्च विभेदन प्रतिबिंब उपग्रह प्रचालनीकरण।

- पी.एस.एल.वी.-सी16 द्वारा रिसोर्ससैट-2 का प्रमोचन तथा भूमि जल संसाधन प्रबंधन उपयोग के लिए प्रचालनीकरण।

- जीसैट-8 द्वारा गगन नीतभार की प्राप्ति तथा नगर विमानन के लिए महत्वपूर्ण सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए जी.पी.एस. अनुदानित तथा भू संवर्धित नौवहन (गगन) के प्रणाली की स्थापना।

- क्रय प्रमोचन द्वारा जीसैट-8 उपग्रह तथा पी.एस.एल. वी.-सी17 द्वारा जीसैट-12 उपग्रह का प्रमोचन तथा देश में उपग्रह संचार अवसंरचना के संवर्धन के लिए प्रचालनीकरण।

- जलवायु तथा मौसम मानीटरन के लिए पी.एस.एल. वी.-सी18 द्वारा मेघा-ट्रॉपिक्स उपग्रह का प्रमोचन।

- संपूर्ण मौसम प्रतिबिंबन क्षमता के लिए रडार प्रतिबिंबन उपग्रह (रिसैट-1) का विकास।

- जी.एस.एल.बी. प्रमोचक राकेट कार्यक्रम के लिए स्वदेशी क्रायोजनिक उपरीचरण के उड़ान यूनिट की प्राप्ति तथा स्वदेशी क्रायांजनिक इंजिन का सफलतापूर्वक भू-परीक्षण।

- उन्नत भारी उत्तापक प्रमोचक जी.एस.एल.वी. मार्क III के लिए एस 200 स्ट्रैप-ऑन मोटर तथा एल110 द्रव कोढ चरण का विकास तथा सफलतापूर्वक परीक्षण।

- प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, अवसंरचना योजना, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास आदि सहित संचार तथा सामाजिक उपयोग के लिए अन्तरिक्ष आधारित उपयोग की मेजबानी।

(ख) जी हां, संचार (इन्सैट/जीसैट), नौवहन, भू-प्रेक्षण (आई.आर.एस.) तथा अन्तरिक्ष विज्ञान अनुसंधान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने उपग्रहों के निर्माण हेतु भारत में स्वदेशी क्षमता की स्थापना की गई है।

(ग) भारत ने संचार के लिए इन्सैट/जीसैट तथा भू-प्रेक्षण उद्देश्यों के आई.आर.एस. नामक दो प्रचलनात्मक अन्तरिक्ष प्रणालियों की स्थापना की है। वर्तमान में अन्तरिक्ष में 20 प्रचलनात्मक उपग्रह कार्यरत हैं, जो प्राकृतिक संसाधन, प्रबंधन, अवसंरचना योजना, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा ग्रामीण विकास सहित संचार तथा सामाजिक उपयोग के क्षेत्र में देश की विकासात्मक आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति करते हैं।

नए कोयला भण्डार

2466. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री प्रदीप माझी:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नए कोयला भण्डारों के अन्वेषण का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) इस संबंध में भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण संस्थान द्वारा तैयार किए गए प्राक्कलनों और तालिका का ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आकलित कोयला भण्डार का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश के कोयला संसाधनों को सरकारीकरण की कोटि में लाने हेतु केंद्रीय खान आयोजना एवं अभिकल्प संस्थान और इसके अभिकरणों ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वेधन की क्या रूपरेखा बनाई है; और

(घ) बारहवीं योजनावधि के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नए कोयला संसाधनों के सृजन के लिए लक्ष्य 29.90 बिलियन टन (बि.ट.) निर्धारित किया गया था।

(ख) पिछले तीन वर्षों में राज्य-वार भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा तैयार माल-सूची तथा आकलित कोयला संसाधन नीचे दिए गए हैं:-

(क) (01.04.2009 की स्थिति के अनुसार) **(संसाधन मि.ट. में)**

राज्य	प्रमाणित	निर्दिष्ट	अनुमानित (अन्वेषण)	अनुमानित (मानचित्र)	कुल
1	2	3	4	5	6
पश्चिम बंगाल	11652.84	11603.25	5070.70		28326.79
झारखंड	39479.33	30894.31	6338.32		76711.96
बिहार	0.00	0.00	160.00		160.00
मध्य प्रदेश	8041.18	10294.58	2645.25		20981.01
छत्तीसगढ़	10910.64	29191.79	4380.67		44483.10
उत्तर प्रदेश	866.05	195.75	0.00		1061.80
महाराष्ट्र	5255.36	2907.21	19,92.17		10154.74
ओडिशा	19943.63	31484.05	13799.18		65226.86
आंध्र प्रदेश	9193.61	6748.04	2985.27		18926.92
असम	348.65	35.85	0.50	2.52	387.52
सिक्किम	0.00	58.25	42.98		101.23
अरुणाचल प्रदेश	31.23	40.11	12.89	6.00	90.23
मेघालय	89.04	16.51	27.58	443.35	576.48
नागालैण्ड	8.76	0.00	8.60	4.58	21.94
कुल	105820.32	123469.70	37464.11	456.45	267210.58

(ख) (01.04.2010 की स्थिति के अनुसार)

पश्चिम बंगाल	11752.54	13029.61	5070.69		29852.84
झारखंड	39633.05	30992.38	6338.26		76963.69
बिहार	0.00	0.00	160.00		160.00
मध्य प्रदेश	8504.85	11266.70	2216.07		21987.62
छत्तीसगढ़	12441.01	30230.12	4010.88		46682.01

1	2	3	4	5	6
उत्तर प्रदेश	866.05	195.75	0.00		1061.80
महाराष्ट्र	5359.82	2983.76	1964.51		10308.09
ओडिशा	21506.66	32074.29	12726.30		66307.25
आंध्र प्रदेश	9256.51	9730.37	3029.36		22016.24
असम	348.65	35.85	0.50	2.52	387.52
सिक्किम	0.00	58.25	42.98		101.23
अरुणाचल प्रदेश	31.23	40.11	12.89	6.00	90.23
मेघालय	89.04	16.51	27.58	443.35	576.48
नागालैण्ड	8.76	0.00	8.60	298.05	315.41
कुल	109798.17	130653.70	35608.62	749.92	276810.41

(ग) (01.04.2011 की स्थिति के अनुसार)

पश्चिम बंगाल	11752.54	13131.69	5070.69		29954.92
झारखण्ड	39760.73	32591.56	6583.69		78935.98
बिहार	0.00	0.00	160.00		160.00
मध्य प्रदेश	8871.31	12191.72	2062.70		23125.73
छत्तीसगढ़	12878.99	32390.38	4010.88		49280.25
उत्तर प्रदेश	866.05	195.75	0.00		1061.80
महाराष्ट्र	5489.61	3094.29	1949.51		10533.41
ओडिशा	24491.71	33986.96	10680.21		69158.88
अरुणाचल प्रदेश	9296.85	9728.37	3029.36		22054.58
असम	464.78	45.51	0.50		513.31
सिक्किम	0.00	58.25	42.98		101.23
अरुणाचल प्रदेश	31.23	40.11	12.89	6.00	90.23
मेघालय	89.04	16.51	27.58	443.35	576.48
नागालैण्ड	8.76	0.00	8.60	298.05	315.41
कुल	114001.60	137471.10	33639.59	749.92	285862.21

(ग) 12वीं योजना के दौरान सीआईएल तथा गैर-सीआईएल क्षेत्रों में 49.55 लाख मी. ड्रिलिंग के साथ एक कार्यक्रम तैयार किया गया है। आशा है कि 74.75 बि.ट. कोयला भण्डार सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजायन इंस्टीट्यूट लि. (सीएमपीडीआई) एवं इसकी एजेंसियों द्वारा विस्तृत अन्वेषण के माध्यम से "प्रमाणित" किये जायेंगे।

(घ) सीएमपीडीआई की ड्रिलिंग क्षमता बढ़ाने के अलावा, लक्ष्य आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्राप्त किये जाने की भी योजना है।

[हिन्दी]

विदेश में रह रहे भारतीय

2467. श्री गणेश सिंह:
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी:
डॉ. रतन सिंह अजनाला:
श्री पी.के. बिजू:

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों से आज तक विदेश में रह रहे/कार्य रहे भारतीयों की देश-वार संख्या क्या है;

(ख) क्या विदेशवासी भारतीयों की समस्याओं से जुड़े मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ग) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विदेशस्य भारतीयों तथा भारतीयों द्वारा क्या विशेष कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने ऐसे भारतीयों की नागरिकता-पहचान, विवाह, भरण-पोषण, तलाक, दत्तकीकरण और उत्तराधिकार कानून इत्यादि से जुड़े जरूरी मस्लों पर जानकारी देने/उपयोग/सहायता करने के उद्देश्य से कोई पुस्तिका प्रकाशित की है/ करने का विचार है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) विदेश में रह रहे भारतीयों/प्रवासी भारतीयों द्वारा विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजकोष में किए गए योगदान का वर्ष-वार, देश-वार ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) 110 से अधिक देशों में फैले हुए भारतीय डायस्पोरा की अनुमानित संख्या लगभग 25 मिलियन है।

भारतीय कामगार निम्न कौशल से लेकर उच्च कौशल तक की व्यावसायिक नौकरियों के काम की सभी श्रेणियों में रोजगार प्राप्त करने के लिए उत्प्रवास करते हैं। विदेश जाने वाले कामगारों की केवल ईसीआर (उत्प्रवास जांच अपेक्षित) श्रेणी के ही आंकड़े उपलब्ध हैं। इस श्रेणी में वे कामगार शामिल हैं जिन्होंने दसवीं स्तर की स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है और 17 ईसीआर अधिसूचित देशों को उत्प्रवास कर रहे हैं। ईसीआर श्रेणी के कामगारों, जिन्होंने वर्ष 2008, 2009 और 2010 में 17 अधिसूचित देशों में उत्प्रवास किया है, के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) जी हां। सरकार विदेशों में बसे अथवा रहने वाले भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं से अवगत है और जैसे ही ये इसके नोटिस में आती है इनका निपटान करती है। विदेश स्थित भारतीय मिशनों/पोस्टों द्वारा दी गई गई रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले में उनके नोटिस में लाई गई समस्याएं निम्न प्रकार हैं:

श्रमिकों की शिकायतें: कर्मचारी-नियोक्ता विवाद, वेतन और अन्य कानूनी देयों की अदाएगी न करना अथवा विलम्ब से करना, असंतोषजनक कार्य और आवास स्थितियां, सेवा पूरी करने पर छुट्टी देने से मना करना, वापसी हवाई टिकट देने से मना करना, संविदा का उल्लंघन और उनके नियोक्ताओं द्वारा घरेलू कार्मिकों का दुरूपयोग और उत्पीड़न। वर्ष 2010-12 की अवधि के दौरान (मार्च, 2012 तक), पंजीकृत भर्ती एजेंटों, अपंजीकृत भर्ती एजेंटों, और विदेशी नियोक्ताओं के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या नीचे दिए गए अनुसार है:

वर्ष	पंजीकृत भर्ती एजेंट	अपंजीकृत भर्ती एजेन्ट	विदेशी नियोक्ता
2010	25	6	6
2011	9	11	6
2012 (मार्च तक)	1	0	2

प्रजातीय हमले: भारतीयों/भारतीय छात्रों के विरूद्ध कुछेक प्रजातीय हिंसा मामले कुछ मामले कुछ भारतीय मिशनों/पोस्टों के नोटिस में लाए गए हैं।

वैवाहिक विवाद: भारतीय महिलाओं द्वारा सामना की जा रही प्रवासी भारतीय/अनिवासी भारतीय विवाहों से संबंधित समस्याएं जैसे उनके प्रवासी प्रति द्वारा पत्नी का परित्याग, अनिवासी भारतीय पति का पहले से विवाहित होना, बच्चे के अभिरक्षा, आदि हैं। प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय (एमओआईए) और इस प्रकार की शिकायतों

को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय एजेंसी, राष्ट्रीय महिला आयोग में प्राप्त शिकायतें नीचे दिए गए अनुसार हैं:

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय	राष्ट्रीय महिला आयोग
वर्ष 2009 से फरवरी, 2012 तक 104	वर्ष 2009 से फरवरी, 2012 तक 878

विदेशी जेलों में भारतीयों का कारावास: विदेशों में उनके द्वारा किए गए विभिन्न अपराधों/आरोपों की वजह से विदेशी जेलों में दु:ख में दिन काट रहे भारतीय, स्थानीय प्राधिकरणों आदि के साथ उनकी कानूनी समस्याएं।

लूटमार, चोरी, व्यवसायिक प्रतिद्वन्द्विता: पिछले कुछ वर्षो के दौरान लुटरों, असामाजिक तत्वों द्वारा भारतीयों पर हमलों की कुछेक घटनाएं, व्यवसायिक प्रतिद्वन्द्विता से प्रेरित कारण, आदि रिपोर्ट किए गए हैं।

मेजबान देश में अशांत नागरिक स्थिति: फरवरी/मार्च, 20011 के दौरान मध्यपूर्व में चल रही आन्तरिक अशांति की वजह से भारत सरकार ने क्षेत्र से 18,000 से अधिक भारतीयों को निष्क्रमित किया है और भारत में उनके अपने-अपने गृह राज्य में उनकी सुनिश्चित किया है।

(घ) सरकार ने विदेशों में रह रहे भारतीयों और भारत में रह रहे परिवारों द्वारा सामना की जाने वाली परेशानियों से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। उनमें से कुछ नीचे दिए गए अनुसार हैं:

1. प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय ने, भारतीय महिलाओं, जो या तो उनके प्रवासी पतियों द्वारा छोड़ दी गई हैं या तलाक दे दी गई हैं की सहायता करने की कोशिश में इस प्रकार की भारतीय महिलाओं को विदेश स्थित भारतीय मिशनों के माध्यम से कानूनी/वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए फरवरी, 2007 में एक योजना प्रारंभ की थी।

2. सरकार ने भारतीय उत्प्रवासियों के मामलों को हल करने के लिए कदम उठाए हैं, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) भावी उत्प्रवासियों को वैध उत्प्रवास प्रक्रिया, अवैध उत्प्रवास के जोखिम और उत्प्रवास के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में शिक्षित करने हेतु मीडिया के माध्यम से राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान।

(ii) सरकार ने एक प्रवासी कामगार स्त्रोत केन्द्र (ओडब्ल्यूआरसी) की स्थापना की है जो उत्प्रवासियों के साथ-साथ भावी उत्प्रवास के सभी पहलुओं के बारे में प्रमाणिक सूचना प्रदान करने के लिए आठ भाषाओं में एक 24 घंटे की टेलीफोन हेल्पलाइन है।

(iii) सरकार ने, प्रभावित उत्प्रवासियों को यथास्था सहायता प्रदान करने के लिए सभी भारतीय मिशनों में भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ) स्थापित किए हैं।

(iv) सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात में, एक भारतीय कामगार स्त्रोत केन्द्र (आईडब्ल्यूआरसी) स्थापित किया है।

(v) सरकार ने बड़ी संख्या में श्रमिक प्राप्त करने वाले सात देशों नामत:, जार्डन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), कुवैत, ओमान, मलेशिया, और बहरीन के साथ कामगारों की सुरक्षा एवं कल्याण के लिए द्विपक्षीय सहयोग का फ्रेमवर्क तैयार करने हेतु समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

इन समझौता ज्ञापनों के अन्तर्गत संयुक्त कार्य दलों (जेडब्ल्यूजीस) का गठन किया गया है जो द्विपक्षीय श्रम मामलों को सुलझाने के उद्देश्य से नियमित रूप से मिलते हैं। इन संयुक्त कार्य दलों में उचित आवास, कार्य और रहने की स्थितियों के संबंध में विदेशी नियोक्ता द्वारा प्रदान किए जाने वाले रोजगार के संविदात्मक प्रावधानों के अनुपालन और कामगारों के संरक्षण और कल्याण पर बल दिया जाता है।

(vi) उत्प्रवासी कामगारों के हितों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल विश्वसनीय पार्टियां ही भर्ती एजेंट के रूप में पंजीकृत हों, मंत्रालय ने भर्ती एजेंटों (आरएज) के लिए पात्रता मानदण्ड को संशोधित करते हुए 9 जुलाई, 2009 से उत्प्रवास (संशोधन) नियम, 2009 में संशोधन किया है। अब उन्हें अपने कारोबार का संचालन करने के लिए विभिन्न बुनियादी सुविधाओं को बनाए रखना होगा।

(vii) यदि, एक भर्ती एजेंट उत्प्रवास अधिनियम, 1983 और उसके अन्तर्गत बने नियमों के अधीन किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो, सख्त कार्रवाई की जाती है। रोजगार संविदा के किसी प्रावधान का

उल्लंघन करने के लिए उद्दण्ड विदेशी नियोक्ताओं को काली सूची में डालने का सहारा भी लिया जाता है।

(viii) उत्प्रवासी कामगारों की सुरक्षा के लिए प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई) एक अनिवार्य बीमा योजना है।

(ix) संसद सदस्यों से, विदेश में भारतीयों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं से संबंधित शिकायतें प्राप्त करने के लिए विदेश मंत्रालय ने भी नई दिल्ली में एक विशेष सेल भी स्थापित किया है।

(x) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय (एमओआईए) प्रवासी भारतीय कामगारों जिनके पास ईसीआर पासपोर्ट है, के लिए एक विशेष पेंशन एवं जीवन बीमा निधि (पीएलआईएफ) शुरू कर रहा है, पीएलआईएफ कामगार को वृद्धावस्था, भारत वापसी पर पुन: स्थापन हेतु कुछ बचत संचित करने के लिए सहायता करेगा और विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान प्राकृतिक मृत्यु के विरूद्ध एक जीवन बीमा कवर भी करेगी।

(ङ) और (च) अनिवासी भारतीय और भारतीय मूल के व्यक्तियों के प्रयोग/की सहायता के लिए सूचना हेतु निकाले गए मैनुअल निम्नप्रकार हैं:

(क) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय (एमओआईए) ने "प्रवासी भारतीयों से विवाहों" पर अंग्रेजी, तेलगु, हिन्दी और पंजाबी में एक मार्गदर्शन पुस्तिका निकाली है। इस पुस्तिका में निम्नलिखित सूचना समाविष्ट है:

(i) अनिवासी भारतीय विवाहों में समस्याओं का प्रकार

(ii) विवाह के लिए तैयारी: किसी अलग देश में जाने पर क्या अपेक्षा करे

(iii) निरन्तर सतर्कता

(iv) पूर्ववृत्त/कागजातों का सत्यापन

(v) दुल्हन के लिए सावधानियां

(vi) कानूनी जागरूकता-विवाहों के पंजीकरण के संबंध में भारतीय कानून

(vii) अनिवासी भारतीय पति पत्नि के कानूनी अधिकार

(viii) महिलाओं के कानूनी अधिकार

(ix) महिलाओं का वैवाहिक और भरण-पोषण का अधिकार और बच्चों की अभिरक्षा का अधिकार

(x) अन्य सुसंगत कानूनी

(xi) अनिवासी भारतीय वैवाहिक विवाद और कुछेक महत्वपूर्ण न्यायालय निर्णय

(xii)) पासपोर्ट/वीजा के बारे में उपयोगी सूचना

(xiii) भारत में महिलाओं के अधिकार के क्षेत्र में विदेशों में कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठनों/के नाम और पते

(xiv) महिलाओं के अधिकारों के क्षेत्रों में कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठनों के पते के साथ, विदेश स्थित कुछ भारतीय दूतावासों के साथ विषय पर डील करने वाले अधिकारी।

(ख) अनिवासी भारतीय विवाहों से संबंधित मामलों से डील करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार की समन्वय एजेंसी राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने "द" नोवेयर ब्राइड्स" शीर्षक से अनिवासी भारतीय विवाहों से संबंधित समस्याओं पर एक रिपोर्ट रिलीज की है। इसमें कानूनी हस्तक्षेपों-अन्तर्राष्ट्रीय एवं घरेलू और अन्य सरकार, आदि सहित सभी सूचना समाविष्ट है।

(ग) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय ने भारत में निवेश अवसरों और उद्यमी कार्यकलापों की एक पिक्चर पेश करने के लिए "प्रवासी भारतीयों के लिए एक पुस्तिका" रिलीज की।

(घ) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय और सीआईआई का सार्वजनिक निजी भागीदार, प्रवासी भारतीय सुविधा केन्द्र (ओआईएफसी) द्वारा "प्रवासी भारतीयों के लिए रेडी रेकनर"

(ङ) ओआईएफसी द्वारा "प्रवासी भारतीयों के लिए एक विनियामक और निवेश पुस्तिका"।

(च) ओआईएफसी द्वारा ग्लोबल इंडियंस के लिए ओ आई एफ सी निवेश टुल किट।

(छ) ओआईएफसी द्वारा होम कालिंग-रिटर्निंग इंडियंस-ऑल देट यू नीड टू नो।

(ज) ओआईएफसी द्वारा कराधान और अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर प्रवासी भारतीयों के लिए मार्गदर्शन पुस्तिका।

नागरिकता पहचान: भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) कार्ड जारी करने का विषय गृह मंत्रालय (एमएचए) (विदेशी प्रभार) से संबंधित है। मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार विदेशों में भारतीय मूल के व्यक्तियों की पहचान करने के लिए इस प्रकार की कोई पहलें नहीं की गई हैं।

रख-रखाव, तलाक, गोद-लेना और उत्तराधिकार कानून: प्रवासी भारतीय विवाहों की समस्याएं जटिल हैं, चूंकि ये अक्सर निजी अन्तर्राष्ट्रीय कानून की सीमा में आती हैं। जो अनिवासी भारतीयों पर लागू होता है जब वे, विदेशी न्यायालयों में विवाह संबंधी झगड़े या बच्चे की अभिरक्षा, चल/अचल संपत्ति और उत्तराधिकार, तलाक लागू होना और रख-रखाव डिक्रीज से संबंधी मामले लाते हैं। इन नियमों का लागू होना ठोस परिस्थितियों या भारतीय मूल के लोगों/अनिवासी भारतीयों में या एक भारतीय नागरिक या विदेशी नागरिक के बीच में उठने वाली समस्याओं पर आश्रित होता है। शामिल जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए, इन अनिवार्य मामलों पर अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए सूचना/प्रयोग/ सहायता हेतु कोई मैन्युअल निकालना व्यवहार्य/संभव नहीं है।

(छ) प्राप्त विदेश मुद्रा के ब्यौरे, निम्नलिखित तालिका के अनुसार है:

अमरीकी डालर (बिलियन में)

वर्ष	कुल निजी हस्तांतरण
2007-08	43.5
2008-09	46.9
2009-10 (आ.स.)	53.9
2010-11 (प्रा.)	55.9

आ.स. आंशिक रूप से संशोधित

प्रा: प्रारंभिक

निजी हस्तांतरण के बारे में (प्रतिवर्ष) सैंपल सर्वे के माध्यम से एकत्रित की जाती है। पिछले सर्वे के अनुसार जो नवंबर, 2009 में किया गया था, वर्ष 2009-10 के पहले 6 महीनों के दौरान, कुल प्रेषणों में 27 प्रतिशत हिस्सा खाड़ी देशों का था।

विवरण

वर्ष 2008-11 में भारत से देश-वार श्रमिकों के बहिर्गमन का वार्षिक वितरण

क्र.सं.	देश	2008	2009	2010	2011
1.	अफगानिस्तान	405	395	256	487
2.	बहरीन	31924	17541	15101	14323
3.	ब्रुनेई	607	2	1	ईसीएनआर
4.	इंडोनेशिया	33	9	3	22
5.	ईराक			390	1177
6.	जार्डन	1377	847	2562	1413
7.	कुवैत	25562	42091	37667	45149
8.	लेबनान	75	250	765	534
9.	लीबिया	5040	3991	5221	477
10.	मलेशिया	21123	11345	20577	17947
11.	ओमान	89659	74963	105807	73819
12.	कतर	82937	46292	45752	41710
13.	दक्षिण अरब	228406	281110	275172	289297
14.	सुडान	1045	708	57	1175
15.	सीरिया	74	0	2	118
16.	थाईलैंड	15	5	05	27
17.	यू.ए.ई.	349827	130302	130910	138861
18.	यमन	492	421	208	29
	कुल	848601	610272	641356	626565

[अनुवाद]

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों हेतु पैकेज

2468. श्री मोहम्मद असरारुल हक: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए एक विकास एवं विकास एवं पुनर्वास पैकेज की संकल्पना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना आयोग का बिहार और अन्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आर्थिक एवं आधार पर संरचनात्मक विकास हेतु एक व्यापक योजना बनाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या नक्सल प्रभावित राज्यों ने क्षेत्रों के विकास हेतु वित्तीय मांगों का प्राक्कलन किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) सरकार ने 60 चुनिंदा जनजातीय और पिछड़े जिलों के लिए 25.11.2010 को एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) अनुमोदित की थी, जिसके तहत 2010-11 के लिए प्रत्येक जिले के लिए क्रमश: 25 करोड़ रु. और 30 करोड़ रु. का ब्लाक अनुदान संस्वीकृत किया गया था। हाल ही में, आईएपी के तहत 18 और जिलों को शामिल किया गया है जिससे जिलों की कुल संख्या बढ़कर 78 हो गई है। निधियों को जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति, जिसमें जिले के पुलिस अधीक्षक तथा जिला वन अधिकारी शामिल हैं, के जिम्मे रखा गया है। जिला स्तरीय समिति अपनी जरूरत के आकलन के अनुसार राशि खर्च कर सकती है। राज्य सरकारों तथा जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की भी सलाह दी गई है कि वे एककृत कार्य योजना के अंतर्गत शुरू की जाने वाली स्कीमों पर स्थानीय संसद सदस्य के साथ उचित परामर्श करें। आईएपी के दिशानिर्देशों के अनुसार, जिला स्तरीय समिति को सार्वजनिक अवसंरचना तथा सेवाओं के लिए ठोस प्रस्तावों वाली योजना तैयार करनी होती है। इस प्रकार चयनित स्कीमों को अल्पावधि में परिणाम दर्शाना अपेक्षित है। जिलों के वित्तीय और भौतिक निष्पादन को प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) http//pcserver.nic.in/iapmis पर देखा जा सकता है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। आईएपी के तहत शुरू किए जाने वाले कार्यों का निर्णय जिला स्तर पर तीन सदस्यीय समिति द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, वाम उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में विशेष अवसंरचना हेतु स्कीम ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 500 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ अनुमोदित की गई थी, ताकि अवसंरचना की उन मुख्य कमियों को पूरा किया जा सके जिन्हें मौजूदा स्कीमों के तहत पूरा नहीं किया जा सकता है। और इनमें अगम्य क्षेत्रों में मौजूदा सड़कों/मार्गों को क्रमोन्नत करके पुलिस/सुरक्षा बलों की गतिशीलता संबंधी जरूरतें, दूरस्थ और अंदरूनी क्षेत्रों में रणनीतिक महत्व के स्थलों पर सुरक्षित कैम्पिंग ग्राउंड और हेलीपैड, पुलिस स्टेशनों/आउटपोस्टों के संबंध में सुरक्षा बढ़ाने के उपाय आदि शामिल हैं। इस स्कीम के तहत राज्यों को अब तक 374.57 करोड़ रु. की राशि की गई है जिसमें 57.10 करोड़ रु. की राशि बिहार सरकार को जारी की गई है।

(ङ) छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुरोध किया है कि आईएपी के तहत आवंटन की राशि को बढ़ाकर प्रत्येक जिले के लिए प्रतिवर्ष 50 करोड़ रु. कर दिया जाए।

[हिन्दी]

कल्याण योजनाओं का सामाजिक मूल्यांकन

2469. श्री कामेश्वर बैठा: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के सामाजिक क्षेत्र में कार्यान्वित विभिन्न कल्याण योजनाओं का सामाजिक मूल्यांकन करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ग) सरकार अपने कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सामाजिक मूल्यांकन तंत्र के माध्यम से पारदर्शिता लाने के लिए प्रतिबद्ध है। योजना आयोग ने यह प्रक्रिया वर्ष 2008 में शुरू की थी और यह सुझाव दिया था कि भारत सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों के मानीटरण के दिशानिर्देशों में सामाजिक मूल्यांकन तंत्र को शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा, वर्ष 2009 में मनरेगा के तहत सामाजिक मूल्यांकन के प्रवर्तन के बारे में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को सम्बोधित ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) के पत्र तथा सभी सीएसएस और एसीए के कार्यकलाप मानचित्रण हेतु पंचायती राज मंत्रालय द्वारा

जारी निदेश को सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को परिचालित किया गया था। मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के कार्यान्वयन में अनियमितताओं को रोकने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों द्वारा सामाजिक मूल्यांकन के आयोजन को सर्वोच्च महत्व प्रदान किया है और इस प्रयोजनार्थ आवश्यक प्रबंध करने के लिए राज्यों को निदेश जारी किए हैं। सामाजिक मूल्यांकन करने संबंधी पद्धतियों के लिए प्रावधान करने हेतु इस अधिनियम की अनुसूची-ए के पैरा 13 में संशोधन किए गए हैं। एमओआरडी ने मनरेगा के तहत नए सामाजिक मूल्यांकन उपबंधों के प्रवर्तन हेतु राज्य सरकारों को निदेश भी जारी किए हैं।

[अनुवाद]

सर्वोत्तम योजना का कार्यान्वयन

2470. **कुमारी मीनाक्षी नटराजन:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार की शिकायत निवारण संबंधी सर्वोत्तम योजना विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत दो वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार और वर्ष-वार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) क्या इस योजना के अंतर्गत दर्ज शिकायतों पर कोई कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्तावधि के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, हां।

(ख) 'सर्वोत्तम' लोक सेवा प्रदायगी में सुधार करने हेतु एक सेवा उत्कृष्टता मॉडल है जिसमें तीन माड्यूल अर्थात् नागरकि चार्टर, सेवा प्रदायगी क्षमता और शिकायत निवारण तंत्र है। सर्वोत्तम अनुपालनकर्ता लोक सेवा प्रदायगी संगठन आईएस 15700 के अंतर्गत प्रमाणन हेतु पात्र होते हैं। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा एक नागरिक-केंद्रित शिकायत निवारण तंत्र का सृजन करने के लिए सर्वोत्तम अनुपालकर्ता साधन के रूप में केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण और मानीटरिंग प्रणाली (सीपीजीआरएमएस) का विकास किया गया था। सीपीजीआरएएमएस एक वेब आधारित पोर्टल है जो नागरिकों को किसी भी भौगोलिक अवस्थिति से शिकायत दर्ज कराने और शिकायत के निवारण की स्थिति का अवलोकन करने के लिए भी सक्षम बनाता है। लोक शिकायत पोर्टल को htt://pgportal.gov.in पर देखी जा सकती है। पांच राज्यों और एक संघ शासित क्षेत्र में सीपीजीआरएएमएस का विशिष्टि राज्य मॉड्यूल कार्यान्वित किया गया है सीपीजीआरएएमएस का राज्य मॉड्यूल हरियाणा राज्य में 18.6.2010 को हर समाधान के नाम से, ओडिशा राज्य में 31.07.2010 को ई अभिजोग के नाम से, राजस्थान राज्य में 11.0.2011 को सुगम आपीजी के नाम से, मिजोरम राज्य में 29.02.2012 को मिपुई अव (वॉयस ऑफ द पीपुल) के नाम से और मेघालय राज्य में 01.03.2012 को एमईजीपीआरएएमएस के नाम से तथा पुडुचेरी संघ शासित क्षेत्र में 05.03.2012 को पुडुवईकुरल के नाम से शुरू किया गया था।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के लोक शिकायत पोर्टल (सीपीजीआरएएमएस) के जरिए प्राप्त शिकायतों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) केन्द्र सरकार द्वारा सीपीजीआरएएमएस के जरिए राज्य सरकारों से प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट का रख-रखाव नहीं किया जाता है।

विवरण

26 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार लोक शिकायत पोर्टल (सीपीआरएएमएस) में प्राप्त शिकायतों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	2010	2011	2012
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	37	36	4
2.	आंध्र प्रदेश	1309	1716	455

1	2	3	4	5
3.	अरुणाचल प्रदेश	35	30	7
4.	असम	111	226	54
5.	बिहार	314	635	173
6.	छत्तीसगढ़	129	149	34
7.	गोवा	58	118	21
8.	गुजरात	527	1025	220
9.	हरियाणा	731	1084	248
10.	हिमाचल प्रदेश	92	163	47
11.	जम्मू और कश्मीर	177	299	82
12.	झारखंड	201	347	79
13.	कर्नाटक	798	1252	283
14.	केरल	278	1439	158
15.	मध्य प्रदेश	718	950	225
16.	महाराष्ट्र	2057	2791	633
17.	मणिपुर	23	42	5
18.	मेघालय	27	32	13
19.	मिजोरम	11	6	9
20.	नागालैंड	16	18	8
21.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1655	2495	433
22.	ओडिशा	233	574	168
23.	पुदुचेरी	98	118	33
24.	पंजाब	507	866	336
25.	राजस्थान	587	1065	254
26.	सिक्किम	14	21	2
27.	तमिलनाडु	1689	4976	921
28.	त्रिपुरा	31	48	13
29.	चंडीगढ़ संघ शासित प्रदेश	83	130	21
30.	दादरा और नगर हवेली	11	10	शून्य

1	2	3	4	5
संघ शासित प्रदेश				
31.	दमन एवं दीव संघ शासित प्रदेश	22	12	3
32.	लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश	29	16	1
33.	उत्तर प्रदेश	1659	2788	640
34.	उत्तराखंड	218	381	106
35.	पश्चिम बंगाल	743	1414	353
	योग	15228	27272	6042

[हिन्दी]

बच्चों के लिए सुरक्षित पेयजल सुविधा

2471. श्री देवजी एम. पटेलः
श्री पूर्णमासी रामः
श्री सुशील कुमार सिंहः
श्रीमती हरसिमरत कौर बादलः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या जल की कमी वाले ग्रामीण विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को सुरक्षित और साफ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 14 नवम्बर, 2008 को 'जलमणि' योजना शुरू की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के तहत कितने विद्यालयों में यह सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य था और 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान राज्य-वार कुल कितने विद्यालयों में यह सुविधा उपलब्ध कराई गई;

(ग) क्या सरकार ने लक्ष्यपूर्ति न होने के कारणों का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने विद्यालयों में लगे जल शोधक यंत्रों के कार्यकरण के बारे में कोई अध्ययन कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि विद्यालयों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने हेतु जलशोधक यंत्र/रिवर्स ऑस्मोसिस तथा अन्य संबंधित तकनीक वाले यंत्र उपलब्ध कराए जाएं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जल की कमी वाले एक लाख स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को सुरक्षित और स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने 14 नवम्बर, 2008 को जलमणि योजना आरंभ की थी।

(ख) वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2010-12 (22.3.2012 की स्थिति के अनुसार) के दौरान इस योजना के तहत शामिल किए जाने स्कूलों की संख्या और वास्तव शामिल किए गए स्कूलों की संख्या के संबंध में राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जीवाणु सम्मिश्रित, लौह या गदलापन युक्त संदूषित जल वाले स्कूलों को अभिचिन्हित करने में विलंब, राज्य सरकारों के पेयजल की आपूर्ति और स्कूल शिक्षा से संबंधित विभागों के बीच सामंजस्य की कमी, प्रौद्योगिकी का चयन करने, निविदा/पुनः निविदा आमंत्रित की प्रक्रिया में विलंब आदि के कारण योजना के अंतर्गत लक्ष्यों को पूर्णतः प्राप्त नहीं किया जा सका।

(ङ) और (च) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने वर्ष 2011-12 में जलमणि कार्यक्रम का स्वतंत्र तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन कराया था जिसने कवरेज, स्थापना में विलंब, तकनीकी दोष, घटिया सेवा आदि से संबंधित कुछ कमियों का उल्लेख किया था। पाई गई कमियों से सभी राज्यों को अवगत करा दिया गया था ताकि आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए जा सकें। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा गठित उच्चस्तरीय तकनीकी समिति ने महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां/उत्पादन उपलब्ध कराए हैं जिनके बारे में जलमणि कार्यक्रम के तहत राज्य सरकारों द्वारा विचार किया जा सकता है।

विवरण

22.03.2012 की स्थिति के अनुसार जलमणि योजना के अंतर्गत लक्षित/शामिल स्कूलों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	लक्ष्य (शामिल किए जाने वाले स्कलों की संख्या)			उपलब्ध (शामिल किए गए स्कूलों की संख्या)				
		2008-09	2009-10	कुल	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	3449	6169	9618	449	3000	एनआर	एनआर	3449
2.	बिहार	3831	0	3831	50	3281	एनआर	एनआर	3331
3.	छत्तीसगढ़	964	0	964	एनआर	60	310	एनआर	370
4.	गोवा	44	0	44	एनआर	एनआर	एनआर	60	60
5.	गुजरात	2148	6681	8829	23	3932	5480	892	10327
6.	हरियाणा	873	0	873	एनआर	एनआर	एनआर	451	451
7.	हिमाचल प्रदेश	785	2960	3745	1	917	1905	एनआर	2823
8.	जम्मू और कश्मीर	2180	0	2180	एनआर	एनआर	एनआर	100	100
9.	झारखंड	1253	0	1253	एनआर	896	474	एनआर	1370
10.	कर्नाटक	2600	3543	6143	एनआर	4457	6412	एनआर	10869
11.	केरल	1282	0	1282	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
12.	मध्य प्रदेश	2734	0	2734	एनआर	570	2164	एनआर	2734
13.	महाराष्ट्र	4174	4174	8348	एनआर	882	2526	3899	7307
14.	ओडिशा	1730	1730	3460	एनआर	1639	1898	एनआर	3531
15.	पंजाब	817	1905	2722	19	697	1232	783	2731
16.	राजस्थान	3443	0	3443	एनआर	34	एनआर	एनआन	8589
17.	तमिलनाडु	2074	6426	8500	105	7847	637	एनआर	8589
18.	उत्तर प्रदेश	6892	6892	13784	एनआर	8288	2388	एनआर	10676
19.	उत्तराखंड	711	0	711	एनआर	50	661	117	828
20.	पश्चिम बंगाल	3016	3016	6032	एनआर	804	एनआर	1034	1838
21.	अरूणाचल प्रदेश	132	132	264	एनआर	132	135	162	429
22.	असम	3524	3524	7048	एनआर	746	534	एनआर	1280
23.	मणिपुर	276	276	552	एनआन	92	176	एनआर	268
24.	मेघालय	278	641	919	एनआर	245	67	143	455

1	2	3			4			5	
25.	मिजोरम	68	915	983	एनआर	168	815	एनआर	983
26.	नागालैंड	248	248	496	एनआर	115	248	एनआर	363
27.	सिक्किम	73	367	440	19	40	114	15	191
28.	त्रिपुरा	401	401	802	एनआर	300	841	85	1226
	कुल	50000	50000	100000	666	39192	29020	7741	76619

एनआर-कोई सूचना नहीं।

भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र की पहल में हिस्सेदारी

2472. श्रीमती रमा देवी:
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध पहल की है और कुछ देशों से इस पहल में भाग लेने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस पहल में भाग लेने हेतु अब तक संसद की अनुमति नहीं ली है;

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) जी, हां। 'भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन' (यूएनसीएसी) को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 31 अक्टूबर 2003 को अंगीकार किया गया था। इस कन्वेंशन में अभी तक भारत सहित 159 स्टेट पार्टियां हैं। भारत ने दिसम्बर, 2005 में कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए और मई, 2011 में इसका अनुसमर्थन किया।

(ग) से (ङ) यूएनसीएसी के अधीन बाध्यता को पूरा करने के लिए 'विदेशी लोक पदाधिकारी रिश्वत निवारण तथा लोक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन पदाधिकारी विधेयक, 2011, को पहले ही लोक सभा में 25 मार्च, 2011 पुनःस्थापित किया जा चुका है।

[अनुवाद]

भ्रष्टाचार विरोधी रणनीति

2473. श्री बलीराम जाधव:
डॉ. पदम सिंह बाजीराव पाटील:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रारूप भ्रष्टाचार विरोधी रणनीति, 2010 को पारित किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी रणनीति काले धन के प्रवाह और बनामी संपत्ति इत्यादि पर रोक लगाने में सहायक होगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उक्त रणनीति की कार्यप्रणाली क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) देश में सुशासन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग ने "राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी रणनीति" का मसौदा तैयार किया है और इसे आयोग की वेबवाइट पर रखा है। आयोग ने जनता/पणधारियों से इसके बारे में टिप्पणियां/सुझाव भी मांगे हैं।

प्रस्तावित रणनीति देश की राष्ट्रीय एकता प्रणाली को प्रणालीबद्ध और सचेतन रूप में व्यवस्थित किए जाने पर केंद्रित है। इस रणनीति के मसौदे में सरकार द्वारा की जाने वाली कार्रवाईयों और राजनीतिका संगठनों, न्यायपालिका, मीडिया, नागरिकों, गैर-सरकारी क्षेत्र और सिविल सोसाइटी संगठनों द्वारा की जाने वाली कार्रवाईयों की सिफारिश की गई है।

(ग) राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधी रणनीति विदेशी बैंकों में जमा बिना लेखे के रूपये के मुद्दे को सुलझाती है और बेनामी लेन-देन का रोकना सुकर बनाती है।

(घ) इस रणनीति में केंद्र सरकार द्वारा काले धन के लेन-देन और बेनामी संपत्ति आदि को रोकने के बारे में सरकार द्वारा पहले से ही की गई कार्रवाई की सामान्य तौर पर रूपरेखा तैयार की है।

जैसाकि उपर उल्लेख किया गया है 'राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधी नीति' मसौदा स्तर पर है और केंद्रीय सतर्कता आयोग ने जनता/पणधारियों से इसके बारे में टिप्पणियां/सुझाव मांगे हैं।

एमटीएनएल और बीएसएनएल का अंश

2474. श्री सी. शिवासामी:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री आनंदराव अडसुल:
श्री जी.एम. सिद्देश्वर:
श्री तूफानी सरोज:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या व्यापक अवसंरचना होने के बावजूद, पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विशेषकर पोर्टेबिलिटी योजना शुरू होने के बाद से, एम.टी.एन.एल और बी.एस.एन.एल. की उपभोक्ता वृद्धि दर में गिरावट का रुख दिखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एमटीएनएल और बीएसएनएल कनेक्शन रखने वाले उपभोक्ताओं ने इनकी सेवाओं की अकुशलता के कारण कनेक्शन लौटा दिये हैं;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान, विशेषकर महाराष्ट्र में और राज्य-वार कितने उपभोक्ताओं ने एमटीएनएल और बीएसएनएल के कनेक्शन लौटा दिए हैं; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के मोबाइल कनेक्शनों की निवल संवर्धन की बढ़ोत्तरी का रुख है जबकि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के मामले में गिरावट का रुख है। पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान बीएसएनएल एवं एमटीएनएल द्वारा शामिल किए गए निवल मोबाइल कनेक्शनों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (31.12.2011 तक)
बीएसएनएल	10.50	16.59	22.96	7.02
एमटीएनएल	0.95	0.61	0.38	0.27

जनवरी, 2011 में मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) के लागू हो जाने के बाद, बीएसएनएल में प्रारंभिक अवधि में पोर्ट-आउट से पोर्ट-इन के मध्य अनुपात पूरी तरह उन्नत था। तथापि, बाद में अगस्त, 2011 से दिसंबर 2011 तक सकारात्मक रूख रहा और मासिक आधार पर पोर्ट-आउट उपभोक्ताओं की अपेक्षा पोर्ट-इन उपभोक्ता ज्यादा है। एमटीएनएल के मामले में, मासिक आधार पर पोर्ट-इन उपभोक्ताओं की अपेक्षा पोर्ट-इन उपभोक्ता ज्यादा है।

(ग) से (ङ) बीएसएनएल और एमटीएनएल के मोबाइल उपभोक्ता कभी-कभी सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) से संबंधित समस्याओं का सामना करते हैं। तथापि, बीएसएनएल और एमटीएनएल द्वारा उपलब्ध कराई गई मोबाइन दूरसंचार सेवाएं सामान्यत: संतोषजनक रूप से कार्य कर रही है। मोबाइल खंड में कड़ी प्रतिस्पर्धा एवं मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) के माध्यम से एक प्रचालक से किसी अन्य प्रचालक को अपनाने की सुविधा की उपलब्धता के कारण मोबाइल कनेक्शनों का लेना और उन्हें जमा करना एक सतत प्रक्रिया है। मोबाइल खंड में कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद बीएसएनएल और एमटीएनएल में मोबाइल उपभोक्ताओं का सकल संवर्धन पिछले तीन वर्षों के दौरान सकारात्मक है।

इलैक्ट्रॉनिक डिलीवरी सर्विसेज

2475. श्री संजय भोई:
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:
श्री आर. थामराईसेलवन:
डॉ. पी. वेणुगोपाल:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ सेवाओं, यथा: जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, भू-अभिलेख इत्यादि को चिन्हित करते हुए इन्हें नागरिकों को इलैक्ट्रॉकि स्वरूप में उपलब्ध कराने का विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या आम नागरिकों को उक्त सेवाएं इलैक्ट्रॉनिक स्वरूप में उपलब्ध कराने में चुनौतियां/समस्याएं पेश आ रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन चुनौतियों का मुकाबला करने और इस योजना के तहत अन्य और सेवाओं को लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) से (ग) जी, हां महोदया। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण तथा भू-अभिलेख जैसी सेवाएं ई-जिला एमएमपी तथा राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एनएलआरएमपी) का भाग है। सरकार ने ई-जिला मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) को अनुमोदित किया है जिसका उद्देश्य जिला और उप जिला स्तर पर अधिक मात्रा में नागरिक केन्द्रित सार्वजनिक सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी करना है। ई-जिला एमएमपी का परिव्यय 1663.08 करोड़ रु. है। ई-जिला एमएमपी के अनुमोदन के अनुसार कार्यान्वयन की समय-सीमा वर्ष 2010-11 से 2014-15 है।

(घ) आम नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाओं की प्रदायगी में सामने आ रही चुनौतियों में व्यवसाय प्रक्रिया पुनः इंजीनियरी, क्षमता निर्माण तथा राज्यों में आईसीटी मूलसंरचना की स्थापना शामिल है।

(ङ) राष्ट्रीय ई-शासन योजना के अंतर्गत राजव्यापी क्षेत्र नेटवर्क (स्वान), राज्य आंकड़ा केन्द्र (एसडीसी) तथा सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) के रूप में मुख्य आईसीटी मूलसंरचना राज्यों में स्थापित की गई है।

एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी अनुमोदित किया गया है जिसके अंतर्गत आम नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाओं की प्रदायगी करने के लिए प्रशिक्षित एवं विशिष्ट जनशक्ति अवधारणा तैयार करने तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त, क्षेत्र स्तर के सरकारी अधिकारियों को विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किए जाते हैं।

ई-जिला एमएमपी में सरकारी स्टाफ के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है ताकि वे नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में सेवाओं की प्रदायगी करने में समर्थ हो सके।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने दिसम्बर, 2011 में लोक सभा में इलेट्रॉनिक सेवा प्रदायगी विधेयक, 2011 प्रस्तुत किया है जिसमें विधेयक के अधिनियमित होने के 5 वर्षों के अंदर सभी सार्वजनिक सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदायगी अनिवार्य करने का प्रस्ताव है।

एयर इंडिया के पायलटों की हड़ताल

2476. **श्री अजय कुमारः**
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकरः
श्री आनंद प्रकाश परांजपेः
श्री संजय भोईः
श्री एकनाथ महादेव गायकवाडः
श्री सी. शिवासामीः

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या एयर इंडिया के कुछ पायलटों ने 1 अप्रैल, 2012 से हड़ताल पर जाने की धमकी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन पायलटों की मुख्य मांगें क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (घ) जी, हां। एअर इंडिया के विभिन्न संगठनों/एशोसिएशनों/गिल्डों के संयुक्त फोरम ने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एअर इंडिया को एक नोटिस दिया था, जिसमें यह रिपोर्ट की गई थी कि वे 2 अप्रैल, 2012 को कार्य पर मौजूदा नहीं रहेंगे। बशर्ते कि उनके 21.3.2012 तक के बकाया का भुगतान 31.03.2012 तक नहीं हो जाता है। एअर इंडिया का प्रबंधन उनकी शिकायतों के निवारण के क्रम में विभिन्न संगठनों/एशोसिएशनों/गिल्डों के प्रतिनिधियों के साथ निरंतर बातचीत कर रहा है।

[हिन्दी]

हवाई अड्डों पर सुरक्षा उपकरण

2477. **श्री महेश्वर हजारीः**
श्रीमती सुशीला सरोजः
श्रीमती ऊषा वर्माः
श्री राधा मोहन सिंहः
श्रीमती सीमा उपाध्यायः

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दिल्ली हवाई अड्डा सहित देश के विभिन्न हवाईअड्डों पर प्रचालकों द्वारा "पेरीमीटर इंट्रजन डिटेक्शन सिस्टम (पीआईडीएस) और एक्स-रे-मशीन" जैसे सुरक्षा उपकरण लगाए जाने के संबंध में नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो तथा अन्य आसूचना अभिकरणों के निदेशों का पालन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में लापरवाही बरतने वाले संगठनों/अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर सुरक्षा उपकरण लगाए जाने के जिले सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है तथा इन्हें कब तक लगाये जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) जी, हां।

(ख) उपकरणों में पीआईडीएस विभिन्न प्रकार की एक्स-रे मशीनें, सुरक्षा कैमरा आदि शामिल हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने विमान प्रचालन को सुरक्षित बनाने के लिए सभी हवाई अड्डों पर सुरक्षा उपकरण/यंत्र लगाने के लिए विभिन्न विमानन सुरक्षा आदेश परिपत्र जारी किए हैं। इनका दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा नियमित निगरानी तथा निरीक्षण किए जाते हैं।

अध्यापकों की कमी

2478. श्रीमती सीमा उपाध्याय:
श्रीमती सुशीला सरोज:
श्री प्रदीप कुमार सिंह:
श्रीमती ऊषा वर्मा:
श्री महेश्वर हजारी:
श्री राम सिंह कस्वां:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तरीय विद्यालयों में अध्यापकों की कमी की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तरीय विद्यालयों में आदिवासी क्षेत्रों सहित राज्य-वार कितने अध्यापकों की आवश्यकता/कमी है;

(ग) क्या केवल केन्द्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा को पास करने वालों को अध्यापक नियुक्त किया जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त शर्त से अध्यापकों की रिक्तियों को भरने में बाधा उत्पन्न होने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जिला शिक्षा सूचना प्रणाली 2010-11, जो शिक्षा के प्रारंभिक स्तर पर वार्षिक आंकड़े संग्रहित करती है, के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर राज्यवार शिष्य-शिक्षक का (2010-11) और स्कूल शिक्षा के 2009-10 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार माध्यमिक स्तर पर अनुपात संलग्न विवरण I में दिया गया है।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रवर्तन के अनुसरण में प्रारंभिक शिक्षा में सर्वशिक्षा अभियान के तहत अध्यापकों की अतिरिक्त आवश्यकता 5.08 लाख अनुमानित की गई थी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों को शामिल करने के लिए 2001-02 से 2009-10 तक कुल 12,82,419 अध्यापक मंजूर किए गए थे जिनके मुकाबले 31.03.2010 की स्थिति के अनुसार 10.30 लाख अध्यापक नियुक्त किए गए थे। आरटीई अधिनियम के परिचालन में आ जाने के बाद वर्ष 2010-11 और 2011-12 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत अध्यापकों के 6,82,788 पर मंजूर किए गए थे। भर्ती में संचयी प्रगति 12,26,441 है। माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना में अन्य बातों के साथ-साथ शिष्य-शिक्षक अनुपात बढ़ाने के लिए वर्तमान सरकारी माध्यमिक स्कूलों में अतिरिक्त शिक्षकों की भर्ती का प्रावधान किया गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए अतिरिक्त अध्यापकों की अनुमानित आवश्यकता 1.79 लाख है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना के तहत राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों द्वारा चलाए जा रहे वर्तमान माध्यमिक स्कूलों के लिए 54,352 अतिरिक्त अध्यापक मंजूर किए गए हैं।

(ग) से (ङ) आरटीई अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) के प्रावधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 23 अगस्त, 2010 की अधिसूचना में कक्षा-I से VIII में अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति की

न्यूनतम अर्हता निर्धारित की थी। इसमें अन्य बातों के साथ यह उपबंधित किया गया था कि आरटीई अधिनियम की धारा (2) के खंड (ढ) में निर्दिष्ट किसी स्कूल में किसी अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्मित दिशा-निर्देशों के अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित की जाएगी। अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक जो समुचित सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण के अपने संपूर्ण व्यय अथवा व्यय के किसी भाग को पूरा करने के लिए सहायता अथवा अनुदान प्राप्त कर रहा है, की ओर से स्थापित उसके स्वामित्वाधीन अथवा उसके द्वारा नियंत्रित है, के लिए लागू होगा।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यह भी उपबंधित करती है कि यदि कोई राज्य सरकार विधानमंडल वाला संघ राज्य क्षेत्र कोई अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं करने का निश्चय करती है, तब उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के स्कूल केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा पर विचार करेंगे। तथापि, कोई ऐसा स्कूल, जो अपनी खर्चे पूरे करने के लिए समुचित सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता अथवा अनुदान प्राप्त नहीं कर रहा है या तो केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा अथवा किसी राज्य सरकार

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रारंभिक स्तर पर शिष्य-शिक्षक अनुपात (डीआईएसई 2010-11 के अनुसार)	माध्यमिक स्तर पर शिष्य-शिक्षक अनुपात (एसएसई 2009-10 के अनुसार)
1	2	3
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	10	16
आन्ध्र प्रदेश	20	29
अरुणाचल प्रदेश	18	21
असम	21	22
बिहार	58	59
चण्डीगढ़	24	38
छत्तीसगढ़	24	39
दादरा और नगर हवेली	40	19
दमन और दीव	30	18
दिल्ली	36	33
गोवा	24	18
गुजरात	31	29
हरियाणा	26	26
हिमाचल प्रदेश	16	23
जम्मू और कश्मीर	13	14
झारखंड	41	60
कर्नाटक	26	24
केरल	21	27
लक्षद्वीप	14	12
मध्य प्रदेश	35	32
महाराष्ट्र	30	34
मणिपुर	19	27
मेघालय	16	26
मिजोरम	14	13
नागालैण्ड	20	24
ओडिशा	26	22
पुदुचेरी	16	23
पंजाब	19	29
राजस्थान	26	22
सिक्किम	12	8

1	2	3
तमिलनाडु	29	38
त्रिपुरा	19	25
उत्तर प्रदेश	44	57
उत्तराखंड	23	18
पश्चिम बंगाल	30	51
कुल	30	30

विधानमंडल/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा पर विचार करने के विकल्प का प्रयोग कर सकता है। अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम अर्हता के रूप में अध्यापक पात्रता परीक्षा को शामिल करने का मूलाधार निम्न प्रकार है:

(1) यह भर्ती प्रक्रिया में अध्यापक गुणता का राष्ट्रीय स्तर और बेंचमार्क स्थापित करेगी।

(2) यह अध्यापक शिक्षा संस्थानों और इन संस्थानों के विद्यार्थियों के निष्पादन स्तर में और सुधार करेगी।

(3) यह सभी पणधारियों को एक सकारात्मक संकेत देगी कि सरकार अध्यापक की गुणवत्ता पर विशेष बल देती है।

[अनुवाद]

गांवों में डाकघर

2479. श्री संजय निरुपम:
श्रीमती सुमित्रा महाजन:
श्री अम्बिका बनर्जी:
श्री राधा मोहन सिंह:
श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कितने डाकघर कार्यरत हैं;

(ख) राज्य-वार और परिमंडल-वार कितने गांवों में डाकघर खोले जा चुके हैं;

(ग) क्या अभी भी अनेक गांवों विशेषकर मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में डाकघर/उप-डाकघर खाले जाने बाकी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार की ऐसे गांवों को डाकघर सुविधाएं प्रदान किए जाने की योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश के सभी गांवों में डाकघर सुविधा कब तक प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) 31.3.2011 की स्थिति के अनुसार देश में कार्यरत डाकघरों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) डाकघर वाले गांवों की राज्य-वार एवं सर्किल-वार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) और (घ) जी, हां। 31.3.2011 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में डाकघर रहित गांवों की संख्या निम्नानुसार है:

क्र.सं.	सर्किलों के नाम	डाकघर रहित गांवों की संख्या
1.	मध्य प्रदेश	44975
2.	बिहार	30681
3.	पश्चिम बंगाल	30271
3.1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	414
3.2	सिक्किम	266
	कुल	106607

(ङ) और (च) डाकघर खोलना एक निरंतर चलने वाला कार्यकलाप है निर्धारित मानदंडों के पूरा होने, योजना सहायता तथा कार्यबल की उपलब्धता के आधार पर डाकघर खोले जाते हैं। तथापि, देश के सभी गांवों में डाक सेवाएं उपलब्ध हैं, क्योंकि डाक विभाग पत्र पेटियों की नियमित निकासी एवं डाक के वितरण को सुनिश्चित करता है। विभाग डाक आउटलेटों के माध्यम से होने वाली बिक्री के अतिरिक्त डाकियों/विवरण एजेंटों के माध्यम से डाक-टिकटों एवं लेखन सामग्री की बिक्री भी सुनिश्चित करता है।

विवरण I

31.03.2011 की स्थिति के अनुसार देश में कार्यरत डाकघरों (श्रेणी-वार) की राज्यवार संख्या

क्रम सं.	सर्किल का नाम	प्रधान डाकघर		उप डाकघर		ईडीएसओ		ईडीबीओ		कुल		डाकघरों की कुल संख्या
		शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	91	4	977	1366	0	0	278	13425	1346	14795	16141
2.	असम	19	0	218	387	0	0	65	3315	302	3702	4004
3.	बिहार	30	1	398	616	1	0	45	7964	474	8581	9055
4.	छत्तीसगढ़	10	0	213	117	0	0	12	2773	235	2890	3125
5.	दिल्ली	12	0	408	4	0	0	73	78	493	82	575
6.	गुजरात	34	0	643	651	0	0	86	7512	763	8163	8926
6.1	दादरा और नगर हवेली	0	0	1	3	0	0	0	34	1	37	38
6.2	दमन और दीव	0	0	4	3	0	0	0	12	4	15	19
7.	हरियाणा	16	0	294	180	0	0	30	2141	340	2321	2661
8.	हिमाचल प्रदेश	15	3	98	346	0	0	6	2309	119	2658	2777
9.	जम्मू और कश्मीर	9	0	162	90	0	0	43	1389	214	1479	1693
10.	झारखंड	13	0	224	215	0	0	30	2613	267	2828	3095
11.	कर्नाटक	59	0	888	809	0	0	244	7772	1191	8581	9772
12.	केरल	45	6	486	962	0	0	435	3123	966	4091	5057
12.1	लक्षद्वीप	0	0	0	7	0	2	0	1	0	10	10
13.	मध्य प्रदेश	43	0	693	320	0	0	117	7137	853	7457	8310
14.	महाराष्ट्र	59	0	1103	958	0	0	106	10376	1268	11334	12602
14.1	गोवा	2	0	45	57	0	0	7	147	54	204	258
15.	पूर्वोत्तर											
15.1	अरुणाचल प्रदेश	1	0	17	31	0	0	0	250	18	281	299
15.2	मणिपुर	1	0	25	28	0	0	18	625	44	653	697
15.3	मेघालय	2	0	27	35	0	0	2	424	31	459	490
15.4	मिजोरम	1	0	15	23	0	0	25	330	41	353	394

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.5	नागालैंड	1	0	16	24	0	0	10	287	27	311	338
15.6	त्रिपुरा	3	0	28	53	0	0	25	605	56	658	714
16.	ओडिशा	35	0	497	660	0	1	46	6922	578	7583	8161
17.	पंजाब	21	0	378	323	0	0	12	3070	411	3393	3804
17.1	चंडीगढ़	1	0	38	2	0	0	2	6	41	8	49
18.	राजस्थान	46	1	587	707	0	0	36	8944	669	9652	10321
19.	तमिलनाडु	93	0	1323	1311	0	0	345	8899	1761	10210	11971
19.1	पुदुचेरी	1	0	22	9	0	0	13	49	36	58	94
20.	उत्तराखंड	13	0	176	196	0	0	15	2315	204	2511	2715
21.	उत्तर प्रदेश	71	0	1595	854	0	0	243	14877	1909	15731	17640
22.	पश्चिम बंगाल	45	0	923	738	0	0	119	6926	1087	7664	8751
22.1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	0	10	16	0	0	1	73	12	89	101
22.2	सिक्किम	1	0	10	12	0	0	0	186	11	198	209
		794	15	12542	12113	1	3	2489	126909	15826	139040	154866
	कुल							809	24655	4	129398	154866

विवरण II

डाकघर वाले गांवों की सर्किल-वार/राज्य-वार संख्या
(31.03.2011 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	सर्किलों के नाम	डाकघर वाले गांवों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	15010
2.	असम	3702
3.	बिहार	8942
4.	छत्तीसगढ़	2906
5.	दिल्ली	76
6.	गुजरात	8044
6.1	दादरा और नगर हवेली	38
6.2	दमन एवं दीव	14
7.	हरियाणा	2321
8.	हिमाचल प्रदेश	2660
9.	जम्मू और कश्मीर	2316
10.	झारखंड	2828
11.	कर्नाटक	8686
12.	केरल	1457
12.1	लक्षद्वीप	10
13.	मध्य प्रदेश	7396

1	2	3
14.	महाराष्ट्र	11508
14.1	गोवा	215
15.	पूर्वोत्तर	
15.1	अरुणाचल प्रदेश	252
15.2	मणिपुर	653
15.3	मेघालय	460
15.4	मिजोरम	355
15.5	नागालैंड	292
15.6	त्रिपुरा	731
16.	ओडिशा	7595
17.	पंजाब	3391
17.1	चंडीगढ़	10
18.	राजस्थान	9683
19.	तमिलनाडु	11150
19.1	पुदुचेरी	64
20.	उत्तराखंड	2511
21.	उत्तर प्रदेश	15632
22.	पश्चिम बंगाल	7639
22.1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	87
22.2	सिक्किम	186
	कुल	138820

[हिन्दी]

वार्षिक विकास दर

2480. श्री हर्ष वर्धन:
श्री अर्जुन राय:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री की वित्तीय सलाहकार परिषद के अनुमान के अनुसार वार्षिक विकास दर प्राप्त किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2012-13 की अनुमानित वार्षिक विकास दर और मुद्रास्फीति दर सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारी विदेशी निवेश से अनुमानित विकास दर में तेजी आने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने अपनी आर्थिक समीक्षा 2011-12 में अनुमान लगाया है कि वर्ष 2012-13 के दौरान अर्थव्यवस्था का विकास 7.5 से 8.0 प्रतिशत तक होने की संभावना है। परिषद ने यह भी अनुमान लगाया है कि वर्ष 2012-13 में मुद्रास्फीति दर औसतन लगभग 6 प्रतिशत रहेगी।

(ग) और (घ) परिषद ने निवेश तथा विकास हेतु उन्नत घरेलू स्थितियों के साथ पूंजी प्रवाह को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया है। इसमें वर्ष 2012-13 के लिए 34.0 बिलियन अमेरीकी डॉलर के विदेशी निवेश के लक्ष्य का अनुमान लगाया है। इसमें निवल अनुपातिक निवेश तथा संविभाग पूंजी शामिल है।

[अनुवाद]

अवैध खनन

2481. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार:
श्री कालीकेश नारायण सिंह देव:
श्री पी.आर. नटराजन:
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:
श्री मनोहर तिरकी:
राजकुमारी रत्ना सिंह:
श्री एस. जेयदुरई:
प्रो. रंजन प्रसाद यादव:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री यशवंत लागुरी:
श्री कामेश्वर बैठा:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
श्री राम सिंह राठवा:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अवैध खनन और कोयले की चोरी के कारण होने वाली वित्तीय हानि के साथ-साथ जान की हानि का मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन करवाया है;

(ख) यदि हां, तो देश में अवैध खनन के कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल और झारखंड सहित विभिन्न राज्यों में हो रहे अंधाधुंध अवैध खनन को रोकने के लिए पुलिस, सीआईएसएफ और आसूचना विभागों को शामिल करके एक उच्चस्तरीय निगरानी स्कंध का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस निगरानी स्कंध द्वारा किस सीमा तक अवैध कोयला खनन को रोके जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) इस संबंध में, झारखंड सरकार ने, अन्य बातों के साथ-साथ इस गतिविधि में शामिल मुख्य तत्वों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों/जनसांख्यिकीय रूपरेखाओं और अवैध खनन के बीच आपूर्ति पर इन्टर लिंकेजों की जांच करने, विभिन्न क्षेत्रों में अवैध रूप से खनित कोयले की मांग डायनामिक्स को समझने तथा सामाजिक स्वीकार्यता, आर्थिक व्यवहार्यता, पर्यावरणीय दीर्घकालिकता और व्यवहारिक क्रियान्वयन, समस्या की विद्यमानता, फैलाव तथा गंभीरता आदि में स्थित उपशमन उपायों का पता लगाने तथा सुझाव देने के लिए इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद तथा जेवियर लेवर रिसर्च इंस्टीच्यूट, जमशेदपुर के माध्यम से अध्ययन आरंभ किया था। रिपोर्ट में जो व्यक्तियों को अवैध कोयले की आपूर्ति की श्रृंखला कार्यकलापों में आगे बढ़ाने अथवा उनमें शामिल करने वाले निम्नलिखित मुख्य कारकों को सुझाव दिया गया है:-

1. भूमिहीनता/मार्जिनल लैंडहोल्डिंग
2. आजीविका के लिए अवैध कोयला आपूर्ति चेन पर निर्भरता
3. वैकल्पिक रोजगार के अवसरों की कमी
4. निरक्षरता तथा निम्न साक्षरता स्तर
5. ऋण का बोझ, बिचौलियों/कोयला माफिया द्वारा दबाव, कोयले की आसान उपलब्धता।
6. अवैध कोयले की बाजार में मांग
7. अवैध कोयले से बेहतर आर्थिक लाभ
8. सरकारी और कोयला कंपनियों की असफलता

एक्सएलआरआई के अनंतिम अनुमान के अनुसार 2006 तक कोल इंडिया लि. को अवैध कोयले के कारण 106 करोड़ रु. की हानि हुई और झारखंड सरकार को प्रति वर्ष 34 करोड़ रु. की अनुमानित हानि हुई। तथापि, इस अध्ययन में कोयले के अवैध खनन और चोरी के कारण जान की हानि का आकलन नहीं किया गया।

(ग) से (ङ) जी, हां महोदया। पश्चिम बंगाल सरकार और झारखण्ड सरकार ने अंधाधुंध अवैध कोयला खनन को नियंत्रित करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर कार्यबल समूह का गठन किया है जिसमें पुलिस, कोल इंडिया लि. (सीआईएल) के पदाधिकारी और आसूचना विभाग शामिल हैं। उम्मीद है कि उपर्युक्त प्रयास इन गतिविधियों को रोकने में सहायक होंगे।

[हिन्दी]

पोस्ट बैंक

2482. श्री दत्ता मेघे:
श्री कालीकेश नारायण सिंह देव:
श्री प्रताप सिंह बाजवा:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डाकघरों में, विशेषरूप से गैर-मेट्रो शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आरम्भ किए जाने वाले एटीएम सहित बैंकिंग कार्यकलापों/कारोबार का विवरण क्या है;

(ख) क्या वित्त मंत्रालय ने डाक बैंक सहित उक्त परियोजना को अनुमोदित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्तमान में उक्त परियोजना की स्थिति क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) डाक विभाग 100 वर्षों से भी अधिक समय से वित्त मंत्रालय की तरफ से लघु बचत योजनाओं का प्रचालन कर रहा है। वर्तमान में निम्नलिखित स्कीम लागू हैं:

(i) बचत खाता (ii) आवर्ती जमा (iii) सावधि जमा (iv) मासिक आय स्कीम (v) वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम (vi) लोक भविष्य निधि स्कीम (vii) राष्ट्रीय बचत पत्र (VIIIवां एवं IXवां निर्गम)

सभी विभागीय डाकघरों में कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) प्लैटफार्म शुरू करने की योजना है जिसमें देश भर के मेट्रो एवं गैर-मेट्रों शहरों में चुनिंदा डाकघरों में एटीएम प्रदान करना शामिल है। फिलहाल, ग्रामीण क्षेत्रों में एटीएम शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) वित्त मंत्रालय ने लघु बचत योजनाओं में कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) प्लेटफार्म शुरू करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दे दिया है लेकिन अभी तक डाक बैंक पर कोई जवाब नहीं दिया है।

(घ) एटीएम सहित कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) शुरू करने हेतु विक्रेता का चयन प्रक्रियाधीन है और विभाग ने डाक बैंक पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने हेतु एक परामर्शदाता को तैनात करने का निर्णय लिया है।

[अनुवाद]

नवोन्मेषण विश्वविद्यालय

2483. श्री सोमेन मित्राः
श्री हरिन पाठकः
श्रीमती दर्शना जरदोशः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या शिक्षण और अनुसंधान में विश्वस्तरीय मानक प्राप्त करने के लिए नवोन्मेषण विश्वविद्यालयों की स्थापना के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना के क्या उद्देश्य हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना की रूपरेखा तैयार कर ली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कब तक ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित कर दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) शोध एवं नवाचार विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु एक विधायी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य शिक्षण एवं शोध के बीच सहक्रियता को प्रोन्नत करने तथा वैश्विक स्तर पर शिक्षण, अधिग्रम एवं शोधन के लिए मान्यता प्रदत्त शोध एवं नवचारी विश्वविद्यालयों की स्थापना करना तथा उन्हें निगमित करना है। ये विश्वविद्यालय भारत को एक वैश्विक ज्ञान हब के रूप में स्थापित करने तथा अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के लिए उत्कृष्टता हेतु बेंचमार्क स्थापित करने के स्रोत के रूप में कार्य करेंगे।

(ग) से (ङ) प्रस्तावित विधान में शोध एवं नवाचारी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु फ्रेमवर्क प्रदान किया जाएगा, जिनकी स्थापना सार्वजनिक निधियन, पूर्णतः प्राइवेट निधियन तथा सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) प्रणाली के माध्यम से की जाएगी। 11वीं एवं 12वीं योजना अवधि में 14 ऐसे सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित विश्वविद्यालयों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है। ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना किया जाना संसद द्वारा विधान परित किए जाने पर समाश्रित होगा।

[हिन्दी]

सामान की चोरी

2484. श्री राजेन्द्र अग्रवालः
श्री ए.टी. नाना पाटीलः
श्री प्रदीप कुमार सिंहः

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दिल्ली सहित विभिन्न विमानपत्तनों पर सामान की चोरी की घटनाओं का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में विमानपत्तन-वार सामान की चोरी के कितने मामलों/शिकायतों का पता चला है;

(ग) कितने मामले निपटाए गए तथा कितने मामले लंबित हैं;

(घ) क्या कुछेक उक्त मामलों में विमानपत्तन के स्टाफ को लिप्त पाया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) विमानपत्तनों पर चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

मंगलौर हवाई दुर्घटना

2485. श्री कोडिकुन्नील सुरेश:
श्री अब्दुल रहमान:
डॉ. सुचारू रंजन हल्दर:
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:
श्रीमती ज्योति धुर्वे:
डॉ. विनय कुमार पाण्डेय:
श्री एन. पीताम्बर कुरूप:
श्री नारनभाई कछाड़िया:
श्री ई.जी. सुगावनम:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंगलौर हवाई दुर्घटना की जांच करने वाली समिति की सिफारिशों के कार्यान्वियन में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार ने केरल उच्च न्यायालय के निदेशानुसार अंतरर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के अनुरूप उक्त दुर्घटना में मारे गए सभी यात्रियों के कानूनी उत्तराधिकारियों को मुआवजे का भुगतान कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त मुआवजे की वितरण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/प्रस्तावित कदम क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार एयर एंबुलेंस से यात्रा सहित हवाई यात्रा के दौरान हुई किसी भी दुर्घटना के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के मुआवजे में समानता लाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या न्यायालय से बाहर समझौता किए जाने की बात सामने आई है और यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) जांच न्यायालय की रिपोर्ट में की गई 45 सिफारिशों में से 31 को क्रियान्वित किया जा चुका है और 14 सिफारिशों का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

(ख) और (ग) एअर इंडिया ने 121 मामले सुलझा लिए हैं, जिनमें से 97 मामले पूर्ण एवं अंतिम आधार पर, 17 मामले केरल उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार और 7 मामले आंशिक आधार पर सुलझाए गए हैं। मुआवजे के वितरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए मुंबई और मंगलौर में नियमित बैठकें की जाती हैं।

(घ) मामला विचाराधीन है।

(ङ) एअर इंडिया एक्सप्रैस ने न्यायालय से बहार किसी भी समाधान हेतु मंगलौर विमान हादसे के किसी भी पीड़ित से संपर्क नहीं किया है।

ऊर्जा संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति

2486. श्री शिव कुमार उदासी:
श्री पी.आर. नटराजन:
श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी:
श्रीमती दीपा दासमुंशी:
श्री इन्दर सिंह नामधारी:
श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:
श्री रामसिंह कस्वां:
श्री के. नारायण राव:
श्री नृपेन्द्र नाथ राय:
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:
श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला:
श्री नरहरि महतो:
श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी:
श्री पोन्नम प्रभाकर:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोयले की की गई मांग और कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों को उनके विद्युत संयंत्रों के लिए कोयले की विगत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार, मात्रा-वार, राज्य-वार और ग्रेड-वार आपूर्ति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों ने विभिन्न राज्यों को ई-नीलामी के माध्यम से भी कोयले की आपूर्ति की है; और

(ग) यदि हां, तो ई-नीलामी के मानदंड सहित विगत तीन वर्षों के दौरान ई-नीलामी के माध्यम से राज्य-वार, मात्रा-वार और वर्ष-वार की गई आपूर्ति का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) वार्षिक योजना के प्रतिपादन की प्रक्रिया के दौरान कोयला मंत्रालय/योजना आयोग कोयला खपत क्षेत्र-वार देश की समग्र मांग का आकलन करता है। तथापि, पिछले तीन वर्षों का विद्युत उपयोगिताओं को कोयले और कोयला उत्पादों के प्रेषण का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(मिलियन टन में)

राज्य का नाम	2008-09	2009-10	2010-11
दिल्ली	5.85	5.12	3.79
हरियाणा	9.51	10.5	13.36
पंजाब	5.94	5.47	4.47
राजस्थान	13.81	13.64	14.51
उत्तर प्रदेश	52.39	52.4	54.99
गुजरात	18.89	18.19	18.46
छत्तीसगढ़	25.48	30.48	33.42
मध्य प्रदेश	31.8	32.03	30.79
महाराष्ट्र	35.44	35.09	32.94
आंध्र प्रदेश	13.55	10.35	10.95
कर्नाटक	4.52	3.34	3.27
तमिलनाडु	13.53	12.97	12.64
बिहार	7.41	9.44	10.54
झारखंड	6.92	7.58	7.33
ओडिशा	22.32	23.47	21.16
पश्चिम बंगाल	28.47	27.97	31.53
कुल	295.83	298.04	304.14

ग्रेड-वार और राज्य-वार प्रेषण का ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(ख) और (ग) ई-नीलामी में सभी उपयोगिताओं को उनके द्वारा निर्धारित मूल्य पर कोयला खरीदने का अवसर प्रदान किया जाता है। मौके पर ई-निलामी के अंतर्गत कोई क्रेता कोयला खरीदने के लिए भाग ले सकता है। और बोली लगा सकता है। तथापि, फारवर्ड ई-नीलामी लंबी अवधि अर्थात एक वर्ष के लिए कोयला प्राप्त करने के प्रावधान के साथ वास्तविक उपभोक्ताओं के लिए ही है। ई-नीलामी कोयले की आपूर्ति उपभोक्ता-वार की जाती है न कि राज्य-वार। कोल इंडिया लि. द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में स्थित बोलीकर्ताओं को आपूर्तित कोयले की मात्रा निम्नानुसार है:-

(ओकड़े मि.ट. में)

उपभोक्ताओं के राज्य	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4
बिहार	0.61	0.71	1.01
पश्चिम बंगाल	3.37	2.58	1.27

1	2	3	4
उत्तर प्रदेश	3.66	3.89	3.57
ओडिशा	9.47	15.52	21.70
मध्य प्रदेश	4.44	4.11	2.94
महाराष्ट्र	3.92	3.81	4.32
गुजरात	0.12	0.01	0.04
राजस्थान	0.96	0.42	0.18
दिल्ली	1.45	0.10	0.13
पंजाब	0.70	0.50	0.36
हरियाणा	0.06	0.06	0.11
तमिलनाडु	0.04	0.00	0.02
आंध्र प्रदेश	0.08	0.07	0.07
कर्नाटक	0.02	0.00	0.01
केरल	0.01	0.00	0.00
जम्मू और कश्मीर	0.00	0.02	0.02
हिमाचल प्रदेश	0.02	0.00	0.03
असम	0.09	0.12	0.10
छत्तीसगढ़	6.38	7.18	7.41
झारखण्ड	4.91	5.55	4.72
उत्तरांचल	0.15	0.30	0.22
अरुणाचल प्रदेश	0	0.00003	0.00003
अन्य	0.00	0.05	0.09
सीआईएल	40.46	45.02	48.34

गैर-लाइसेंस प्राप्त विमानपत्तन

2487. **श्री शिवराम गौडा:**
श्रीमती भावना पाटील गवली:
श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर:
श्री संजय सिंह चौहान:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विमानपत्तनों को प्रचालनों शुरू करने के लिए डीजीसीए द्वारा जारी आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होता है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में कार्य कर रहे बहुत से विमानपत्तनों के पास ऐसे लाइसेंस नहीं है;

(ग) यदि हां, तो विमानपत्तन-वार, राज्य-वार तथा लाइसेंस-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) गैर-लाइसेंस प्राप्त विमानपत्तनों को कार्य करने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) क्या उक्त विमानपत्तन सभी संरक्षा उपायों का क्रियान्वयन कर रहे हैं तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) इकाओ द्वारा अंगीकृत प्रमाणीकरण की अपेक्षा का क्रियान्वित करने के उद्देश्य से 2004 में संशोधित वायुयान नियम 1937 के नियम, 78 के अनुसार, किसी भी एयरोड्रोम का उपयोग किसी अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा द्वारा अवतरण और प्रस्थान के नियमित स्थान के रूप में या हायर अथवा रिवार्ड के लिए यात्रियों अथवा कार्गो का वहन करने वाले किसी भी विमान द्वारा अनेक अवतरणों और प्रस्थानों के उद्देश्य से तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि इसे इस प्रयोजनार्थ लाइसेंस प्रदान न किया जा चुका हो, और यह इस लाइसेंस में निर्धारित शर्तों के अनुसार न हो।

(ख) अब तक 67 हवाईअड्डे जहां अनुसूचित उड़ान प्रचालन हो रहे हैं, को लाइसेंस दिया जा चुका है। हवाई अड्डों को लाइसेंस देना एक अनवरत प्रक्रिया है।

(ग) और (घ) हवाईअड्डे जिन्हें आवश्यकतानुसार लाइसेंस दिया जाना बाकी है उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। लाइसेंस दिए जाने की प्रक्रिया चल रही है तथा शेष हवाईअड्डे जहां अनुसूचित उड़ान प्रचालन हो रहा है, उन्हें 30 जून, 2012 तक लाइसेंस प्राप्त कर लेना होगा।

(ङ) ये हवाईअड्डे प्रचालनिक हैं तथा इनका प्रबंधन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राज्य सरकार तथा रक्षा मंत्रालय द्वारा संरक्षा अपेक्षाओं के अनुसरण में किया जाता है।

विवरण

अनुसूचित उड़ान प्रचालन वाले हवाई अड्डों की सूची

1	2	3	4
1.	पटना	बिहार	एआई
2.	दीव	दमन एवं दीव	राज्य सरकार
3.	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	एम ओ डी
4.	बागडोगरा	पश्चिम बंगाल	एम ओ डी
5.	भुज	गुजरात	एम ओ डी
6.	चण्डीगढ़	यूटी	एम ओ डी
7.	गोरखपुर	उत्तर प्रदेश	एम ओ डी
8.	ग्वालियर	मध्य प्रदेश	एम ओ डी
9.	जम्मू	जम्मू और कश्मीर	एम ओ डी
10.	जामनगर	गुजरात	एम ओ डी
11.	जोधपुर	राजस्थान	एम ओ डी
12.	जोरहाट	असम	एम ओ डी
13.	कानपुर	उत्तर प्रदेश	एम ओ डी
14.	लेह	जम्मू और कश्मीर	एम ओ डी
15.	पठानकोट	पंजाब	एम ओ डी

1	2	3	4
16	पुणे	महाराष्ट्र	एम ओ डी
17	श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर	एम ओ डी
18	सिलचर	असम	एम ओ डी
19	तेजपुर	असम	एम ओ डी
20	थ्वाइसे	जम्मू और कश्मीर	एम ओ डी
21	गोवा	गोवा	एम ओ डी
22	पोर्टब्लेयर	अंडमान	एम ओ डी
23	विशाखापत्तनम	आंध्र प्रदेश	एम ओ डी
24	नासिक	महाराष्ट्र	एम ओ डी एचएएल

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए आबंटन में वृद्धि

2488. श्री यशवीर सिंह:
श्री नीरज शेखर:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2011-12 के दौरान बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय सहित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा उपयोग नहीं की गई निधियों का विश्वविद्यालय-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन विश्वविद्यालयों को किए गए आबंटन/प्रस्तावित आबंटन का विश्वविद्यालय-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान छात्रों के अनुपात के अनुसार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की अपेक्षा कम बजट आबंटन किया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों को प्रति छात्र बजट आबंटन में वृद्धि किए जाने के लिए उठाए गए/प्रस्तावित कदम क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सूचित किया है कि वर्ष 2011-12 के दौरान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) सहित सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को शीर्ष "सामान्य विकास अनुदान" के अंतर्गत 107211.62 लाख रु. विनिर्मुक्त किए गए हैं जिसके विरुद्ध इन विश्वविद्यालयों ने 31.01.2012 की स्थिति के अनुसार की 76697.97 लाख रु. की सीमा तक निधियों की उपयोगिता का ब्यौरा भेजा है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा अनुदानों और उनकी उपयोगिता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों सहित 12वीं योजना के लिए आबंटन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। तथापि, केवल छात्रों के अनुपात में बजट के आबंटन की तुलना समुचित नहीं है क्योंकि यह विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों की प्रकृति सहित विभिन्न पैरामीटरों पर निर्भर करता है। जेएनयू और बीएचयू को 11वीं योजना के दौरान आबंटित निधियां निम्नानुसार हैं:-

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	11वीं योजना आबंटन				छात्रों की संख्या (31.3.2011 की स्थिति के अनुसार)
		सामान्य विकास अनुदान	विलयित योजना	अध्येतावृत्ति योजना	कुल	
1.	बीएचयू	23799.45	677.50	4500.00	28976.95	27986
2.	जेएनयू	14781.25	617.50	5000.00	20398.75	6665

(ङ) विश्वविद्यालयों को यूजीसी से वित्तीय सहायता, उनकी मांग, यूजीसी द्वारा उनकी मांगों की जांच करने के लिए नियुक्त विशेषज्ञ समिति की सिफारिश तथा निधियों की उपलब्धता पर निर्भर है।

विवरण

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को वर्ष 2011-12 के दौरान विनिर्मुक्त सामान्य विकास अनुदान

(रु. लाख में)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	11वीं योजना आबंटन	2011-12 के दौरान विनिर्मुक्त अनुदान	सीयू के लिए वर्ष 2011-12 के लिए सूचित व्यय (दिनांक 31.1.2012 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5
1.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	15337.13	2900.00	2253.47
2.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	23799.45	4700.00	2163.76
3.	दिल्ली विश्वविद्यालय	17000.00	3300.00	2372.59
	यूसीएमसी	2061.22	400.00	964.22
4.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	13937.50	1243.75	3332.06
5.	जामिया मिलिया इस्लामिया	18500.00	1000.00	1515.71
6.	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय	14781.25	2757.05	2102.17
7.	पुदुचेरी विश्वविद्यालय	12350.00	1234.48	1405.27
8.	विश्व-भारती	15257.00	2900.00	3780.12
9.	बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय	14591.00	5900.00	2635.56
10.	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय	6605.00	0.00	930.57
11.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	12455.00	0.00	1425.78
12.	इंग्लिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी	15000.00	2300.00	988.83
13.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	10444.75	1100.00	479.03
14.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय	27500.00	5400.00	4560.72

1	2	3	4	5
15.	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय	12380.00	760.00	24.49
16.	असम विश्वविद्यालय	7000.00	700.00	856.23
17.	तेजपुर विश्वविद्यालय	10225.00	430.53	1.65
18.	नागालैण्ड विश्वविद्यालय	8250.00	1650.00	777.96
19.	मिजोरम विश्वविद्यालय	17032.50	2025.37	2261.20
20.	मणिपुर विश्वविद्यालय	9478.60	879.62	1266.74
21.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	5114.75	1000.00	729.79
22.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	10000.00	0.00	2666.53
23.	सिक्किम विश्वविद्यालय	10000.00	2000.00	1551.79
24.	बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय*		0.00	548.20
25.	गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय*		1500.00	1599.43
26.	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय*		4400.00	1553.42
27.	हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय*		1000.00	356.59
28.	जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय*	1150.00	145.21	
29.	झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय*		4900.00	3227.28
30.	कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय*		5000.00	6634.10
31.	कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय*		0.00	267.85
32.	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय*	2500.00	879.93	
33.	ओडिशा केन्द्रीय विश्वविद्यालय*	3500.00	825.99	
34.	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय*	2500.00	774.29	

1	2	3	4	5
35.	राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय*		9800.00	5836.54
36.	तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय*		9800.00	3412.33
37.	डा. हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय	12500.00	4900.00	1409.87
38.	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय	12500.00	2500.00	2570.86
39.	हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय	17000.00	9180.82	5609.84
	सकल योग	351100.15	107211.62	76697.97

*11वीं योजना के आबंटन को नए स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय के संबंध में निर्धारित नहीं किया गया है। इसलिए, योजना अनुदान वार्षिक आधार पर जारी किया जा रहा है।

सरकारी विभागों पर बकाया

2489. डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील:
श्री नीरज शेखर:
श्री बलीराम जाधव:
श्री यशवीर सिंह:
श्री हमदुल्लाह सईद:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख के अनुसार अति-विशिष्ट व्यक्तियों और अधिकारियों द्वारा की गई यात्राओं के लिए विभिन्न केन्द्र सरकार मंत्रालयों/विभागों पर एयर इंडिया की कुल कितनी राशि बकाया है;

(ख) क्या ऐसे मंत्रालय/विभागों पर एयर इंडिया की कुल राशि का भुगतान करने में असमर्थ रही हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सरकारी विभागों को आलोचना से बचाने के लिए सभी विभागों द्वारा बिल प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर या कुछ विशेष परिस्थितियों में एक महीने वे भीतर बिल का भुगतान किया जाना अनिवार्य बनाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसे बकाया राशियों का मंत्रालय-वार/एजेंसी-वार कुल कितनी राशि वसूल की गई है; और

(च) बकाया राशि की शीघ्र वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा बकाया राशि कब तक प्राप्त होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) दिनांक 15.03.2012 की स्थिति के अनुसार एअर इंडिया द्वारा विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से एकत्रित की जाने वाली बकाया धनराशि लगभग 574.67 करोड़ रुपये हैं।

(ख) और (ग) एअर इंडिया द्वारा प्रस्तुत किए गए बिलों पर संबंधित मंत्रालयों/कार्यालयों द्वारा कार्रवाई की जाती है। एअर इंडिया की प्रतिकूल वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत मंत्रालय ने इनसे शीघ्र भुगतान करने हेतु अनुरोध किया है।

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान, एअर इंडिया को क्रमश: रक्षा मंत्रालय से 114.35 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री कार्यालय से 212.00 करोड़ रुपये और विदेश मंत्रालय से 112.98 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।

(च) सरकार एअर इंडिया के बिलों का सत्यापन करने के बाद और संबंधित मंत्रालयों/कार्यालयों के उपयुक्त बजट शीर्षो में निधियां उपलब्ध हो जाने पर एअर इंडिया को भुगतान कर देती है और बकाया राशियों की वसूली के लिए मामले पर अनुसरण कर रही है।

विवरण

सरकार की ओर से एअर इंडिया को बकाया धनराशि

क्षेत्र	धनराशि (करोड़ रुपये में)
उत्तरी क्षेत्र	160.27
दक्षिणी क्षेत्र	13.16
पूर्वी क्षेत्र	29.55
पश्चिमी क्षेत्र	8.24
रक्षा मंत्रालय	13.56
मंत्रिमंडल सचिवालय, पीएमओ	200.40
विदेश मंत्रालय	71.64
भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों	77.85
कुल	574.67

विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं

2490. श्री नित्यानंद प्रधान:
श्री नीरज शेखर:
श्री वैजयंत पांडा:
श्री रामसिंह कस्वां:
श्री देवजी एम. पटेल:
श्री यशवीर सिंह:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने मंत्रालय को 31 दिसंबर, 2011 तक केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे सभी विद्यालयों में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय बनाए जाने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे कितने विद्यालयों में राज्य-वार आज की तारीख की स्थिति के अनुसार लड़कों और लड़कियों के लिए अभी भी अलग-अलग शौचालय की सुविधा नहीं है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे कितने विद्यालयों में राज्य-वार 31 दिसंबर, 2011 तक शौचालय सुविधा उपलब्ध करा दी गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) एनवायरमेंटल एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन फाउंडेशन बनाम दिल्ली प्रशासन तथा अन्य के मामले में 2004 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 631 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 13 जनवरी, 2012के अपने आदेश में सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को यह निदेश दिया है कि वे 31 मार्च, 2012 तक अथवा उससे पहले सभी स्कूलों में स्थाई शौचालय सुविधाएं उपलब्ध कराएं तथा यदि स्थाई शौचालयों का निर्माण संभव नहीं है, तो 28 फरवरी, 2012 तक अथवा उससे पहले स्कूलों में कम से कम अस्थाई शौचालय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

(ग) और (घ) जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (डी.आई.एस.ई.) 2010-11 के अनुसार बालिकाओं हेतु पृथक शौचालय सुविधाओं वाले तथा साझा शौचालयों वाले प्रारम्भिक स्कूलों की कुल संख्या का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण के रूप में दिया गया है।

विवरण

जिला शिक्षा सूचना प्रणाली 2010-11 के अनुसार बालकों तथा बालिकाओं हेतु पृथक शौचालयों वाले प्रारम्भिक स्कूलों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल प्रारम्भिक स्कूल	बालिकाओं हेतु शौचालय वाले स्कूल	बालकों हेतु/शौचालय वाले स्कूल
1	2	3	4	5
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	324	246	256
2.	आंध्र प्रदेश	79358	40447	56818
3.	अरुणाचल प्रदेश	4099	1120	1733

1	2	3	4	5
4.	असम	44371	21909	28246
5.	बिहार	67920	25408	42998
6.	चंडीगढ़	114	107	110
7.	छत्तीसगढ़	46394	15579	25096
8.	दादरा और नगर हवेली	273	146	187
9.	दमन और दीव	86	69	82
10.	दिल्ली	2772	2021	2129
11.	गोवा	1055	649	882
12.	गुजरात	33550	23880	26469
13.	हरियाणा	13520	11351	11288
14.	हिमाचल प्रदेश	15126	9787	11364
15.	जम्मू और कश्मीर	22180	3854	8582
16.	झारखंड	40526	24829	28375
17.	कर्नाटक	46550	34627	42722
18.	केरल	4950	4249	4617
19.	लक्षद्वीप	46	29	40
20.	मध्य प्रदेश	112012	37785	75857
21.	महाराष्ट्र	68972	45689	61422
22.	मणिपुर	2402	322	1256
23.	मेघालय	7596	1735	4052
24.	मिजोरम	2335	1562	1966
25.	नागालैंड	2100	1382	1779
26.	ओडिशा	57177	21308	45128
27.	पुदुचेरी	440	394	404
28.	पंजाब	20234	19367	19918
29.	राजस्थान	77513	72048	50839
30.	सिक्किम	895	657	885
31.	तमिलनाडु	36122	23345	29873

1	2	3	4	5
32.	त्रिपुरा	4216	1788	3179
33.	उत्तर प्रदेश	151455	114247	132288
34.	उत्तराखंड	17344	8806	15414
35.	पश्चिम बंगाल	79119	38717	68627
	कुल	1063146	609459	804881

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास

2491. श्री के.सी. सिंह 'बाबा': क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ किन-किन प्रमुख क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है;

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उच्चतर शिक्षा में अनुसंधान एवं विकास के लिए उपब्ध कराई गई धनराशि तथा उसके व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक इस क्षेत्र में क्या उपलब्धियां हासिल हुई हैं; और

(घ) इस संबंध में आगे विकास के लिए क्या रूपरेखा बनाई गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सूचित किया है कि यह उच्चतर शिक्षा में शोध एवं विकास का संवर्धन करने के लिए, उक्कृष्टता की संभावना वाले विश्वविद्यालय (यूपीई), किसी विशिष्ट क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभावना वाले केन्द्र और उत्कृष्टता की संभावना वाले कॉलेज (सीपीई) नामक स्कीमों को कार्यान्वित करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अध्ययन में "उत्कृष्टता के नए केन्द्रों/संस्थाओं की स्थापना" नामक नई स्कीम को शुरू किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विज्ञान शोध परियोजनाओं एवं अध्येतावृत्तियों को सहायता करने के अलावा विश्वविद्यालय विभागों को वित्तीय सहायता प्रदान करके विशेष सहायता कार्यक्रमों को भी चलाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नए कौशल प्राप्त करने, क्रॉस-विषयक क्षेत्रों में पारगमन हेतु मंच प्रदान करने के लिए डॉ. डी.एस. कोठारी पोस्ट-डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियां भी प्रदान करता है। विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिक शोध एवं प्रशिक्षण की स्थिति का मूल्यांकन करने, महत्वपूर्ण क्षेत्रों का निर्धारण करने तथा इस क्षेत्र में विश्वविद्यालय की उत्कृष्टता बढ़ाने एवं उनके पुनरुद्धार हेतु रणनीतियां बनाने तथा उनके समाधान के सुझाव देने के लिए वर्ष 2005 में प्रो. एम.एम. शर्मा की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अधिकार प्राप्त समिति के निरीक्षण में कार्यबल की सिफारिशों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। मंत्रालय द्वारा स्थापित चार शोध परिषदें नामत: भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद (आईसीएचआर), भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर), भारतीय दर्शन-शास्त्र अनुसंधान परिषद (आईसीपीआर) एवं भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (आईआईएएस) विशेष तौर पर मानविकी एवं समाज विज्ञान में शोध एवं विकास के प्रौन्नयन के लिए समर्पित हैं।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचित किया है कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) द्वारा जीव-विज्ञान, रसायन-विज्ञान, पर्यावरणीय विज्ञान, इंजीनियरिंग, गणित, चिकित्सा एवं भौतिक विज्ञान में किए जाने वाले असाधारण एवं उल्लेखनीय शोध कार्यो, अनुप्रयुक्त एं मूलभूत, के लिए वार्षिक तौर पर शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड प्रदान किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा विश्वविद्यालय एवं शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए अवसंरचना हेतु निधियन (एफआईएसटी), उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शोध कार्यो के तीव्रीकरण (आईआरपीएचए), विश्वविद्यालय शोध एवं वैज्ञानिक उत्कृष्टता क संवर्धन (पीयूआरएसई) नवाचार एवं उत्कृष्टता हेतु शोध का समेकन (सीयूआरआईई) अभिप्ररित शोध हेतु विज्ञान अनुसंधान में नवाचार के अंतर्गत अध्येतावृत्तियां (आईएनएसपीआईआरई) तथा विज्ञान एवं इंजीनियरिंग शोध बोर्ड के तहत स्कीमों को चलाता है। जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) ने सूचित किया है कि यह औद्योगिकी प्रशिक्षण कार्यक्रम, कनिष्ठ अध्येतावृत्ति कार्यक्रम एवं शोध एसोसिएटशिप कार्यक्रम जैसी योजनाओं को कार्यान्वित करता है।

चिन्हित किए गए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ह्यूमस जीनॉम, बायो-मेडिकल मैगनेटिक रिसोनेंस, एप्लाइड ह्यूमस जेनेक्सि, अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा विश्लेषण जैसे क्षेत्र शामिल हैं। अन्य ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्रों में मेडिकल एग्रीकल्चर, मैरीन, बायोटेक्नोलॉजी, मालीक्यूलर एंड ह्यूमस जेनेटिक्स, न्यूरोसाइंसिज, प्लाज्मा फिजिक्स,

न्यूक्लीयर फिजिक्स, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, न्यूरोसाइंसिज, आर्गेनिक सिन्थेसिस, रोबोटिक्स, नैनो-टेक्नोलॉजी, नैनो-साइंस इत्यादि शामिल हैं।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचित किया है कि वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक इन योजनाओं पर 976.34 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं। इसी प्रकार से विश्वविद्यालयों तक इन योजनाओं पर 976.34 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं। इसी प्रकार से, विश्वविद्यालयों में मूलभूत वैज्ञानिक शोध गठित कार्यबल की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर विश्वविद्यालयों अनुदान आयोग द्वारा 500 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं वर्ष 2009-10 से 2010-11 तक समाज विज्ञान एवं मानविकी की चारों शोध परिषदों द्वारा कुल 274. 83 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं। डीएसटी ने सूचित किया है कि वर्ष 200-09 से 2010-11 तक इसका कुल व्यय 1581 करोड़ रु. रहा है जबकि वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक डीबीटी का कुल खर्च 143.58 करोड़ रु. रहा है।

(ग) और (घ) ये स्कीमें विशिष्ट क्षेत्रों में शोध एवं विकास को प्रोन्नत करने में सफल रही हैं तथा सरकार का यह प्रयास रहेगा कि 12वीं योजना अवधि में इन स्कीमों को सतत् रूप से जारी रखा जाएगा तथा इनको सुदृढ़ करने के प्रयास किए जाएंगे। विश्वविद्यालयों में मूलभूत वैज्ञानिक शोध हेतु गठित कार्यबल की सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु प्रो. एम.एम. शर्मा की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समिति की नियमित तौर पर बैठकें आयोजित होती हैं ताकि कालेजों एवं विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिक शोध के प्रौन्नयन हेतु कार्यक्रमों का उपयुक्त कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। इसी प्रकार से, सभी शोध परिषदें समाज विज्ञान तथा मानविकी के क्षेत्र में शोध एवं विकास को प्रौन्नत करना जारी रखेंगी।

[हिन्दी]

विभागीय कार्रवाई के लिए अनुमति

2492. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने विभागीय कार्रवाई हेतु माननीय राज्यपाल की अनुमति लेने को अनावश्यक बताया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त निर्णय के पूर्व विभागीय कार्रवाई हेतु लंबित मामलों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(घ) उक्त निर्णयों के बाद विभागीय कार्रवाई प्रारंभ किए गए मामलों की राज्य-वार संख्या क्या है; और

(ङ) इस संबंध में परिणाम का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) जी, हां। उच्चतम न्यायालय ने, शमशेर सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य (1974 एआईआर 2192) के मामले में अपने दिनांक 23.8.1974 के निर्णय में, यह निर्णय दिया है कि राष्ट्रपति के साथ-साथ राज्यपाल अपनी मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह पर, संविधान के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों एवं कार्यों का प्रयोग करते हैं, केवल ऐसे क्षेत्रों को छोड़कर जहां राज्यपाल को, संविधान के द्वारा या तहत, अपने विवेक से अपने कार्यों को करना अपेक्षित होता है। उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया है कि न तो राष्ट्रपति और न ही राज्यपाल वैयक्तिक रूप से कार्यपालक कार्यों को कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश राज्य एवं संगठन बनाम डॉ. यशवंत त्रिम्बक (1996 एआईआर 765) के मामले में दिनांक 4.12.1995 के अपने निर्णय में यह निर्णय दिया है कि, ऐसे मामले, जहां राज्यपाल को संविधान द्वारा या उसके तहत विवेक से कार्य करना अपेक्षित होता है, को छोड़कर राज्यपाल के निजी सन्तोष की अपेक्षा नहीं होती है तथा किसी भी कार्य को मंत्रियों को आबंटित किया जा सकता है।

(ग) से (ङ) ऐसे मामलों के ब्यौरे केंद्रीयकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं।

विद्यालयों के लिए भवनों का निर्माण

2493. श्री उदय प्रताप सिंह:
श्री लालचंद कटारिया:
श्रीमती विजया चक्रवर्ती:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्य-वार कितने प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भवनों को स्वीकृति प्रदान की गई है;

(ख) ऐसे कितने भवनों का निर्माण राज्य-वार उक्त अवधि के दौरान किया गया है;

(ग) इस उद्देश्य के लिए उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को उपलब्ध कराई गई निधि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य-वार ऐसे कितने भवनों का निर्माण प्रस्तावित है और इसके लिए आबंटन प्रस्तावित है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सर्व शिक्षा अभियान के तहत संस्वीकृत एवं निर्माण किए गए प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों की संख्या तथा निर्माण कार्यकलापों हेतु उपलब्ध करायी गई निधियों का राज्य वार विवरण संलग्नक-I में दिया गया है। उपर्युक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) की शुरूआत से इसके तहत संस्वीकृत नए माध्यमिक स्कूल तथा निर्मित/निर्माणाधीन स्कूलों की संख्या, साथ ही सिविल कार्य जिसमें नए माध्यमिक स्कूलों के भवनों का निर्माण, मौजूदा माध्यमिक स्कूलों की अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण आदि शामिल है, के लिए उपलब्ध करायी गयी निधियों का राज्य वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) सर्व शिक्षा अभियान के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्कूल/गांव/ब्लॉक तथा जिला स्तर पर आवश्यकता के आधार पर इन सुविधाओं की जरूरतों का आकलन किया जाता है तथा इसे अपनी वार्षिक कार्य योजना एवं बजट (एडब्ल्यूपी एण्ड बी) में दर्शाया जाता है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में 2012-13 हेतु वार्षिक कार्य योजना एवं बजट पर विचार करने के लिए परियोजना अनुमोदन बोर्ड की बैठकें इस मंत्रालय में की जा रही हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2011-12 के दौरान अनुमोदित 3956 नए माध्यमिक स्कूल 2012-13 के दौरान निर्मित करने का प्रस्ताव है, जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

1 अप्रैल 2008 से 31 दिसम्बर, 2011 तक संस्वीकृत तथा निर्मित प्राथमिक स्कूलों तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों के भवनों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

(वर्ष-वार राज्य-वार)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2008-09					2009-10					2010-11					2011-12 (31.12.11 तक)				
		प्राथमिक स्कूल		उच्च प्राथमिक स्कूल		कुल सिविल कार्यों के लिए उपलब्ध निधियां लाखों में	प्राथमिक स्कूल		उच्च प्राथमिक स्कूल		कुल सिविल कार्यों के लिए उपलब्ध निधियां लाखों में	प्राथमिक स्कूल		उच्च प्राथमिक स्कूल		कुल सिविल कार्यों के लिए उपलब्ध निधियां लाखों में	प्राथमिक स्कूल		उच्च प्राथमिक स्कूल		कुल सिविल कार्यों के लिए उपलब्ध निधियां लाखों में
		संस्वीकृत	निर्मित	संस्वीकृत	निर्मित		संस्वीकृत	निर्मित	संस्वीकृत	निर्मित		संस्वीकृत	निर्मित	संस्वीकृत	निर्मित		संस्वीकृत	निर्मित	संस्वीकृत	निर्मित	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	आंध्र प्रदेश	0	704	0	111	36457.19	37	285	0	98	30156.00	412	63	-3	2	47945.71	13	3	0	0	133574.829
2.	अरुणाचल प्रदेश	213	285	95	395	6234.18	174	170	16	39	2405.60	194	314	0	-144	7407.76	124	19	0	0	8094.35
3.	असम	0	15	0	0	26663.00	1521	0	0	0	20087.35	1200	1483	0	0	37368.83	2296	667	0	0	74180.94
4.	बिहार	4906	1341	0	224	94869.32	0	3272	0	28	101766.02	0	2233	0	8	193924.32	0	870	0	18	395686.424
5.	छत्तीसगढ़	1315	949	444	1264	28845.63	1	921	404	444	33910.18	359	536	125	453	68035.64	193	322	140	305	63971.55
6.	गोवा	0	0	0	0	94.00	0	0	0	0	250.80	0	0	0	0	286.39	0	0	0	0	307
7.	गुजरात	0	1	0	0	12357.12	0	0	0	0	14348.99	0	0	0	0	43674.74	0	0	0	0	82112.91
8.	हरियाणा	0	20	0	78	10331.48	0	3	0	49	9577.28	114	50	117	250	24081.29	9	18	49	23	33006.02
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	2565.93	40	0	0	0	4494.89	0	0	0	0	7384.83	40	2	20	0	8916.232
10.	जम्मू और कश्मीर	1938	2335	454	372	14367.99	472	227	0	25	14929.90	1248	967	0	64	25038.04	447	289	0	13	14830.73
11.	झारखंड	2595	9390	6891	2310	56524.60	442	1227	918	2295	46694.70	995	1822	1017	3236	84097.78	42	631	32	983	59467.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
12.	कर्नाटक	313	954	0	0	30239.44	317	233	0	0	19877.15	132	315	0	0	48646.63	0	41	0	0	31272.6
13.	केरल	0	-10	0	0	2362.16	0	10	0	0	3915.74	6	0	0	0	10974.33	0	0	0	0	1791.09
14.	मध्य प्रदेश	0	611	1483	2407	57877.47	0	82	671	1265	55520.38	386	0	954	1734	129649.59	0	169	0	1030	48638.388
15.	महाराष्ट्र	790	520	50	90	34458.73	1755	2602	0	-12	31959.21	1057	1680	335	93	54984.05	12	525	0	64	74988.67
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	1275.02	180	0	0	0	6816.45	0	0	0	0	11748.24
17.	मेघालय	497	150	891	269	5726.46	208	240	0	159	6622.48	574	201	0	107	6718.66	506	207	960	62	19284.68
18.	मिजोरम	136	11	0	0	2145.40	12	14	5	5	2021.24	0	0	0	0	4089.34	21	0	63	0	4128.75
19.	नागालैंड	5	0	0	37	1797.80	0	75	0	23	2180.30	98	0	327	0	10235.69	141	117	56	80	4385.05
20.	ओडिशा	1466	1674	669	1297	31820.91	1558	1262	928	754	43609.87	1177	1348	379	717	61129.48	0	1138	374	364	64134.41
21.	पंजाब	31	139	134	129	6056.10	69	89	590	119	10843.13	36	30	112	478	21671.65	0	21	0	75	33613.81
22.	राजस्थान	0	0	0	0	23320.19	0	0	0	0	19136.17	0	0	0	0	54803.70	0	0	0	0	44060.015
23.	सिक्किम	1	18	0	0	24.79	4	6	0	0	670.10	0	-7	40	3	1563.36	1	1	12	15	950.3
24.	तमिलनाडु	0	422	1005	-577	29868.20	5	-210	831	2065	15259.80	228	14	279	674	44612.45	0	118	0	216	32034.247
25.	त्रिपुरा	253	162	0	41	2386.74	170	150	70	28	3214.90	92	147	168	82	6321.30	0	62	0	100	6845.46
26.	उत्तर प्रदेश	3033	3662	4398	9641	74094.56	863	868	162	1198	34289.32	26	129	1152	1207	132948.48	10494	0	1173	77	163679.57
27.	उत्तराखंड	217	247	254	165	6579.82	53	158	129	161	5659.15	7	154	14	198	3586.51	182	18	21	-21	10118.51
28.	पश्चिम बंगाल	0	2780	3300	0	36845.25	360	197	776	3	39739.17	5499	207	323	138	1239977.22	0	59	0	186	109565.179
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	489.40	0	0	0	0	120.00	0	1	0	0	1258.70	5	2	0	0	1064.6
30.	चंडीगढ़	0	6	0	0	0.00	0	2	0	0	476.00	6	-8	6	9	1318.84	4	0	2	1	1259.25
31.	दादरा और नगर हवेली	18	0	-86	0	127.98	3	45	0	0	230.67	0	2	0	0	334.40	0	2	0	0	305
32.	दमन और दीव	0	1	0	3	19.91	0	0	0	0	128.00	1	0	0	0	133.00	0	0	0	0	56.3
33.	दिल्ली	4	4	0	0	1075.00	0	3	0	0	966.00	2	0	0	0	3009.05	0	1	0	0	3823.81
34.	लक्षद्वीप	1	0	0	0	81.12	0	0	0	0	1.80	2	0	0	0	149.32	0	0	0	0	45
35.	पुडुचेरी	0	0	0	0	435.30	-28	0	2	0	369.60	0	0	0	0	441.70	0	0	0	0	596.21
	कुल	17609	26391	19982	18256	637143.17	8036	11931	6502	8746	576706.913	14031	11681	5345	9309	1274619.222	14530	5302	2902	3591	1542537.98

विवरण II

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के आरंभ होने से उसके तहत अनुमोदित नए माध्यमिक स्कूलों तथा वर्ष-वार उपलब्ध कराई गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण

(रु. करोड़ में)

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नए माध्यमिक स्कूल			निर्मित/निर्माणाधीन स्कूल			जारी की गई निधियां
		2009-10	2010-11	2011-12	2009-10	2010-10	2011-12	(23.3.2012 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0.09
2.	आंध्र प्रदेश	0	0	102	0	0	257.00	185.50
3.	अरूणाचल प्रदेश	0	11	22	11	0	25.95	17.31
4.	असम	0	0	0	0	1.64	0	54.41
5.	बिहार	350	447	169	0	13.00	64.42	0
6.	छत्तीसगढ़	218	500	633	628	48.23	0	282.83
7.	चंडीगढ़	0	4	0	0	0	0	1.54
8.	दमन और दीव	0	2	1	0	0	0	1.10
9.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0.38	0
10.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	1.01
11.	गोवा	0	0	0	0	0.21	0.21	2.31
12.	गुजरात	0	72	256	0	0	9.82	0
13.	हरियाणा	0	32	5	19	0	0	141.10
14.	हिमाचल प्रदेश	69	45	22	50	0	25.04	36.65
15.	जम्मू और कश्मीर	69	182	279	0	6.34	18.31	70.86
16.	झारखंड	300	297	297	0	6.28	63.45	0
17.	कर्नाटक	80	249	0	0	65.91	0	0
18.	केरल	60	36	16	60	6.63	9.29	0
19.	लक्षद्वीव	4	0	0	0	1.08	0	0
20.	मध्य प्रदेश	34.1	0	603	333	86.70	158.09	134.57
21.	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0.68	52.95
22.	मणिपुर	44	23	49	67	17.24	24.13	21.24
23.	मेघालय	0	25	0	0	1.03	0	10.61
24.	मिजोरम	23	32	26	23	15.79	17.61	18.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	नागालैंड	35	67	45	100	10.72	5.24	15.00
26.	ओडिशा	300	400	9	160	0	66.36	66.37
27.	पुडुचेरी	0	9	2	0	1.34	1.87	0
28.	पंजाब	70	79	73	194	15.48	178.26	50.00
29.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	94.51
30.	सिक्किम	0	0	0	0	2.06	3.23	6.13
31.	तमिलनाडु	200	344	710	200	44.24	44.24	0
32.	त्रिपुरा	0	42	41	29	8.56	22.85	0
33.	उत्तराखंड	23	5	147	50	0	67.75	0
34.	उत्तर प्रदेश	254	318	449	254	28.05	39.33	146.08
	कुल	2440	3274	3956	2178	389.95	1103.51	1410.97

[अनुवाद]

तिरूपति हवाईअड्डे पर विमानों का खतरनाक ढंग से उतरना

2494. **श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी:**
श्री नामा नागेश्वर राव:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तिरूपति हवाईअड्डे पर हाल ही में घटित उस घटना की जानकारी है जिसमें एक विमान को बिना किसी एटीसी ऑफिसर के उतारा गया जिससे विमान यात्रियों की जान को गंभीर खतरा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार कर्तव्यहीनता के दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) जी, हां। दिनांक 09.01.2012 को, रेडियो टेलीफोनी (आरओ) पर एक अग्निशमन कर्मचारी था और उप महाप्रबंधक (एटीसी) द्वारा दूरभाष पर उसे दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार उसने जेट एयरवेज उड़ान को अनुदेश संप्रेषित किए क्योंकि एटीसी अधिकारी टावर पर समय से नहीं पहुंचा था।

(ग) और (घ) जी, हां। दो विमान यातायात नियंत्रक (एटीसी) कार्मिकों को निलंबित कर दिया गया है और बड़ी शास्ति लगाए जाने हेतु अनुशासनिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

अप्रवासी भारतीयों को कानूनी सहायता

2495. **श्री सी. राजेन्द्रन:**
श्री जोसेफ टोप्पो:
श्री भीष्म शंकर उर्फ **कुशल तिवारी:**
श्री एन. पीताम्बर कुरूप:

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशी जेलों में बंद/वहां मुकदमे का सामना कर रहे कामगारों समेत कई अन्य भारतीयों के मामले में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि इनमें से अधिकांश भारतीयों को न्याय नहीं मिल रहा है क्योंकि वे भाषाई कठिनाइयों, धन की कमी, आदि के कारण सुनवाई के दौरान अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पाते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन्हें विधिक सेवा, वित्तीय सहायता आदि मुहैया कराकर राहत प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) इस संबंध में मंत्रालय द्वारा संबंधित मिशनों से प्राप्त सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) दोषी व्यक्तियों पर मुकदमे मेजबान देश के कानून के अनुसार चलाए जाते हैं।

(ङ) जब कभी भारतीय नागरिकों की गिरफ्तारी के मामले मिशनों के नोटिस में लाएं जाते हैं, तो कान्सुलर मैनुअल में यथानिर्धारित और यदि आवश्यक हो, तो इस मंत्रालय के परामर्श से, कार्रवाई की जाती है। मिशन, अवैध रूप से कार्य करने के लिए गिरफ्तार किए गए, जेलों में बंद भारतीयों के तत्काल निर्वासन के लिए आपातकालीन प्रमाण-पत्र जारी करके सहायता प्रदान करते हैं संबंधित मिशन/पोस्ट उनके नोटिस में लाये गए अन्याय के मामलों की स्थिति में, न्याय प्राप्त करने के लिए समय'समय पर विदेशों के संबंधित मंत्रालय के माध्यम से जेलों में बंद भारतीय नागरिकों के मामलों को उठता है। भारत सरकार ने एक भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ) की स्थापना की है और अन्य बातों के साथ-साथ कामगारों सहित, प्रवासी भारतीयों को जांचे परखे आधार पर, प्रारंभिक कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए, इसे विदेश स्थित सभी मिशनों में विस्तारित किया है। भारतीय मिशनों को भी, जब कभी आवश्यक हो, राहत और सहायता प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

विवरण

विदेशी जेलों में बंद भारतीयों की संख्या

क्र.सं.	देश (ईओआई/ एचसीआई/ सीजीआई)	जेलों में लोगों की संख्या
1	2	3
1.	अफगानिस्तान	1
2.	अरमेनिया और जार्जिया	24
3.	आस्ट्रिया	शून्य
4.	अजरबेजान	01
5.	बेलारूस	01
6.	बेल्जियम	47
7.	बैनिन	शून्य
8.	भूटान	68
9.	बुनेई	1
10.	बुल्गारिया	शून्य
11.	बुकिना फासो	शून्य
12.	केमरून	शून्य
13.	कनाडा	उपलब्ध नहीं
14.	केप वर्ड	शून्य
15.	सेंन्ट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक	शून्य
16.	सीजीआई, हो ची मिन्ह सिटी	शून्य
17.	सीजीआई, हस्टन, यूएसए	112
18.	सीजीआई, पर्थ	शून्य
19.	सीजीआई, साओ पोलो	शून्य
20	सीजीआई, सेंट पिटर्सबर्ग	शून्य
21.	चाड	शून्य
22.	चेक रिपब्लिक	02
23.	चीन	25
24.	कोलम्बिया	शून्य
25.	कोंगो	शून्य
26.	कोस्टा रिका	शून्य
27.	इक्वेडर	शून्य
28.	मिस्र	3
29.	ईओआई, ताशकंत	शून्य
30.	इस्टोनिया	शून्य

1	2	3
31.	फिनलैंड	01
32.	फ्रांस	40
33.	गबोन	शून्य
34.	जाम्बिया	शून्य
35.	घाना	शून्य
36.	ग्रीस	20
37.	ग्वाटेमाला	शून्य
38.	गुनिया	शून्य
39.	एचसीआई, अक्रा	शून्य
40.	एचसीआई, जार्जटाउन	शून्य
41.	एचसीआई, विंधोक	शून्य
42.	इंडोनेशिया	-
43.	ईरान	25
44.	ईराक	4
45.	इजराइल	10
46.	इटली	127
47.	आइवरीकोस्ट	शून्य
48.	कजाकिस्तान	शून्य
49.	केएसए	1400
50.	किर्गीस्तान	शून्य
51.	लेबनान	8
52.	लाइबीरिया	शून्य
53.	मेसडोनिया	शून्य
54.	मालावी	02
55.	मंगोलिया	शून्य
56.	मोजाम्बिक	शून्य
57.	नामीबिया	शून्य
58.	नीदरलैंड	शून्य

1	2	3
59.	नाइजीरिया	शून्य
60.	उत्तर कोरिया	शून्य
61.	नार्वे	शून्य
62.	पाकिस्तान	शून्य
63.	पोलैंड	शून्य
64.	रिपब्लिक ऑफ कोरिया	शून्य
65.	रोमानिया	3
66.	सर्बिया	शून्य
67.	सेशल्स	1
68.	सीरा ल्योन एंड टोगो	शून्य
69.	स्लोवेनिया	शून्य
70.	स्पेन	26
71.	श्रीलंका	08
72.	निगेल	शून्य
73.	सुडान	शून्य
74.	स्विटजरलैंड	शून्य
75.	तजाकिस्तान	शून्य
76.	त्रिनिडाड और टोबेगो	शून्य
77.	तुर्कमेनिस्तान	शून्य
78.	यूएई	1096
79.	यूगांडा	शून्य
80.	यूक्रेन	01
81.	वेनजुएला	शून्य
82.	वियतनाम	शून्य
83.	जाग्रेव	शून्य
84.	जाम्बिया	01
85.	जंजिबार	शून्य

गुजरात को कोयले का आबंटन

2496. श्री नारनभाई कछाड़िया:
श्रीमती दर्शना जरदोश:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात और देश के पश्चिमी राज्यों को कोयले का आबंटन पूर्वी कोयला क्षेत्र से किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं और इस संबंध में क्या मानदंड/नियम अपनाए जा रहे हैं;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने राज्य को वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्लयूसीएल) और राज्य के नजदीक स्थित अन्य कोयला खदानों से कोयले का आबंटन करने संबंधी कोई अनुरोध भेजा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार विद्युत उत्पादन के लिए अतिरिक्त कोयले के आयात के कारण पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार की क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों को ईंधन संबंधी राजसहायता प्रदान करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या कोयला आवंटन संबंधी कृतक बल ने गुजरात को डब्लयूसीएल से ही कोयला का आवंटन बढ़ाने की सिफारिश की है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) गुजरात स्थित विद्युत उपभोक्ता कंपनियों को मुख्यत: मध्य और पूर्व-मध्य भारत में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित साउथ इस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एसईसीएल) के कोलफील्ड्स से कोयले की आपूर्ति की जाती है। कोयले की कुछ मात्रा का आबंटन मध्य भारत स्थित महाराष्ट्र राज्य में स्थित वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्ल्यूसीएल) के कोलफील्ड्स से भी की जाती है। महाराष्ट्र की विद्युत उपभोक्ता कंपनियों को ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ राज्यों में स्थित कोलफील्डों से लगभग 35% कोयला तथा शेष वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. से आपूर्ति की जा रही है। कोयले के स्रोत आवंटन पर निर्णय स्रोत में कोयले की दीर्घावधि उपलब्धता, वृद्धिगत उत्पादन के लिए संभावना, परिवहन संभार तंत्र आदि के आधार पर लिया जाता है।

(ग) और (घ) गुजरात राज्य विद्युत निगम लि. (जीएसईसीएल) ने एसईसीएल/कोरिया रेवा फील्ड से सी/डी ग्रेड की 1-2 मिलियन टन की कोरबा कोलफील्डों के साथ अनुपातिक मात्रा में स्वापिंग के संबंध में अंतर्मंत्रालयी कार्यबल की सिफारिशों के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए अनुरोध किया है। जीएसईसीएल ने यह भी अनुरोध किया है कि कोरिया रेवा कोयला की शेष मात्रा, एसईसीएल से डब्लयूसीएल खानों में ढुलाई प्रभारों को कम करने के उद्देश्य से स्थानांतरित किया जाए। डब्लयूसीएल जहां विकास की कोई संभावना नहीं है, में उपलब्ध कोयला पहले से ही विभिन्न विद्युत स्टेशनों तथा अन्य उद्योगों से संबद्ध है यहां तक कि महाराष्ट्र के विद्युत केन्द्रों को भी ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ राज्यों से कोयले की अपनी आवश्यकताओं का एक बड़े भाग की आपूर्ति की जा रही है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) इस प्रश्न के भाग (ङ) के लिए दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(छ) जी, नहीं।

(ज) इस प्रश्न के भाग (छ) के लिए दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

एंट्रीक्स-देवास डील पर विवाद

2497. श्री पी. लिंगम:
श्री गुरुदास दासगुप्त:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के भूतपूर्व चेयरमैन के द्वारा व्यक्त उस विचार की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि वे राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों को लक्ष्य करते हुए एंट्रेक्स-देवास डील पर विवाद खड़ा करने में अन्तर्राष्ट्रीय षड्यंत्र की संभावना से इन्कार नहीं करेंगे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) एन्ट्रिक्स देवास सौदे की जांच के लिए केन्द्र सरकार द्वारा गठित दो समितियों (i) उच्च अधिकार प्राप्त समीक्षा समिति (एचपीआरसी) और (ii) उच्च स्तरीय दल (एचएलटी) ने किसी भी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र को इंगित नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एनपीपी की स्थापना के लिए अनुमति

2498. डॉ. भोला सिंहः
श्री भूदेव चौधरीः
श्री रूद्रमाधव रायः
डॉ. पी. वेणुगोपालः

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना से पहले राज्य सरकारों की अनुमति और क्षेत्र के लोगों के हितों पर विचार किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विभिन्न परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सामान्य रूप से और विशेषकर कुडनकुलम और जैतापुर में इनकी स्थापना से पहले किए गए सुरक्षा उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र सहित अगली पीढ़ी के विभिन्न परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए स्थानीय विरोध को देखते हुए वैकल्पिक स्थान मुहैया कराने का है कराने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन सेक्टरों का ब्यौरा क्या है जिनमें कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र से बिजली की आपूर्ति किए जाने की संभावना है और इसके लिए मानदंड क्या हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री. वी. नारायणसामी): (क) और (ख) जी हां। नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों द्वारा पेशकश किए गए स्थलों का मूल्यांकन, सरकार की स्थल चयन समिति (एसएससी) द्वारा, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) के स्थ्ल निर्धारण संबंधी कोड में निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप किया जाता है। सरकार, स्थल चयन समिति द्वारा उपयुक्त पाए गए और सिफारिश किए गए स्थलों के लिए 'सिद्धांततः' अनुमोदन प्रदान करती है। किसी नाभिकीय विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए प्रत्येक चरण पर उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के हितों को ध्यान में रखा जाता है किसी नाभिकीय विद्युत संयंत्र का काम शुरू करने से पहले राज्य और केन्द्रीय प्राधिकारियों से विधिक अनुमतियां प्राप्त की जाती हैं। इन विधिक अनुमतियों के दौरान की गई समीक्षा में अनिवार्य तौर पर यह सुनिश्चित किया जाता है कि सुरक्षा संबंधी आवश्यक उपाय मौजूद हैं।

कुडनकुलम स्थित स्थल का पता, तमिलनाडु राज्य सरकार और सरकार की स्थल चयन समिति द्वारा संयुक्त रूप से लगाया गया था। स्थल चयन समिति द्वारा स्थल के संबंध में विस्तृत मूल्यांकन और स्थल के निर्धारित मानदण्डों को पूरा करने के आधार पर, इस स्थल के आधार पर इस स्थल को सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। राज्य और केन्द्रीय सरकारी एजेंसियों से सभी विधिक अनुमतियां प्राप्त कर ली गई हैं।

जैतापुर स्थिति स्थल की पेशकश महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा की गई थी, और इसका मूल्यांकन तथा सिफारिश स्थल चयन समिति द्वारा की गई थी। इस आधार पर, सरकार ने इस स्थल को नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है। बाद में, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय से पर्यावरणीय अनुमति, और तटीय विनियमन क्षेत्र अनुमति, निर्धारित, प्रक्रियाओं के अनुरूप प्राप्त कर ली गई है।

(ग) और (घ) ऊपर (क) तथा (ख) के मद्देनजर ये प्रश्न ही नहीं उठते।

(ङ) कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत संयंत्र से उत्पादित विद्युत का आबंटन, विद्युत मंत्रालय द्वारा दक्षिणी विद्युत क्षेत्र में लाभभोगी राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों को किया जायेगा। संयंत्र से प्राप्त विद्युत को दक्षिण ग्रिड में डाला जाएगा, जहां से लाभभोगी राज्यों विद्युत बोर्ड/वितरण कम्पनियों द्वारा आपूर्ति विभिन्न क्षेत्रों/ग्राहकों को की जाएगी।

बीपीएल लोगों के लिए प्रावधान

2499. श्री मनसुखभाई डी. वसावाः
श्री रतन सिंहः

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए किन उद्देश्यों से प्रावधान बनाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा इन उद्देश्यों को हासिल किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए गए हैं।

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) सरकार ग्रामीण और दोनों क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने लोगों के लाभ के लिए विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित करती है। प्रमुख स्कीमों का नीचे उल्लेख किया गया है;

1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) प्रत्येक ऐसे ग्रामीण परिवार को 100 दिन के दिहाड़ी रोजगार की गारंटी देता है जिसका वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक-श्रम कार्य करने के लिए तैयार हो।

2. ग्रामीण गरीबों को स्वसहायता समूहों (एसएचजी) में संगठन करके, प्रशिक्षण और उनके क्षमता निर्माण, बैंक ऋण और सब्सिडी के जरिए वित्तीय सहायता आदि के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) जिसकी अब राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन (एनआरएलएम) के रूप में पुनर्सरचना की गई है।

3. गरीबी रेखा से नीचे परिवारों की घर निर्माण अथवा क्रमोन्नयन करने में मदद हेतु इंदिरा आवास योजना (आईएवाई)।

4. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के अंतर्गत पांच स्कीमें शामिल हैं नामत: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम (आईजीएन ओएपीएस), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन स्कीम (आईजीएनडब्ल्यूपीएस), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अशक्तता पेंशन स्कीम (आईजीएनडीपीएस), राष्ट्रीय परिवार स्कीम (एनएफबीएस) तथा अन्नपूर्णा और यह समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए करने के लिए लागू है।

5. गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना(आरएसबीवाई) शुरू की गई है। इसका उद्देश्य बीपीएल परिवारों को स्वास्थ्य संबंधी आघातों से उत्पन्न होने वाली वित्तीय देयताओं से सुरक्षा प्रदान करना है जिसमें ऐसी अधिकांश बीमारियों जिनके लिए अस्पताल में भर्ती होना अपेक्षित है, के लिए 30,000/-रु. तक का अस्पताल भर्ती व्यय शामिल है।

6. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) का उद्देश्य स्वरोजगार उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहन, कौशल प्रशिक्षण और दिहाड़ी रोजगार आदि प्रदान करने के माध्यम से गरीबी रेखा से रहने वाले शहरी बेरोजगारों और अल्पनियोजित गरीबों को लाभकारी रोजगार प्रदान करना है।

(ख) से (घ) विगत दो वर्षों के दौरान, जैसा कि इन स्कीमों के तहत कवरेज और व्यय से इंगित होता है, अभीष्ट उद्देश्यों के निम्नानुसार हासिल किया जा रहा है:

(i) एमजीएनआरईजीए के तहत, 2009-10 में 5.26 करोड़ परिवारों की तुलना में 2010-11 में 5.49 करोड़ परिवारों को दिहाड़ी रोजगार प्रदान किया गया। 2009-10 में किए गए 37905.23 करोड़ रु. के व्यय की तुलना में 2010-11 में 39377.27 करोड़ रु. का व्यय किया गया।

(ii) एसजीएसवाई के तहत, 2009-10 में 32.59 लाख घरों की तुलना में 2010-11 में आईएवाई के तहत 26.72 लाख नए घरों का निर्माण किया गया। इन पर 2009-10 में 12,178.05 करोड़ रु. के व्यय की तुलना में 2010-11 में 13408.45 करोड़ रु. का व्यय किया गया।

(ii) एसजीएसवाई के तहत, 2009-10 में 20.85 लाख स्वरोजगारियों की तुलना में 2010-11 में कुल 21. 10 लाख स्वरोजगारियों की सहायता की गई। इस स्कीम के तहत 2009-10 में किए गए 2779.19 करोड़ रु. के व्यय की तुलना में 2010-11 में 2804. 04 करोड़ रु. का व्यय किया गया।

(iii) 2010-11 में एनएसपी के विभिन्न घटकों के तहत 5341.52 करोड़ रु. के व्यय के साथ 225.06 लाख लाभार्थियों को कवर किया गया जबकि 2009-10 में 4718.83 रु. के व्यय से 207.73 लाख लाभार्थियों को कवर किया गया था।

(iv) एसजेएसआरवाई के तहत 2010-11 में 77.06 लाख मानव दिवस कार्य सृजित किया था। 2009-10 में किए गए 421.60 करोड़ रु. के व्यय की तुलना में 2010-11 में 376.53 करोड़ रु. का व्यय किया गया।

(v) आरएसबीवाई के तहत, 2010-11 में 511.61 करोड़ रु. के व्यय से 233.62 लाख स्मार्ट कार्ड जारी किए गए जबकि 2009-10 में 264.51 करोड़ रु. के व्यय से 138.65 लाख स्मार्ट कार्ड जारी किए गए थे।

[अनुवाद]

कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण

2500. श्री एकनाथ महादेव गायकवाडः
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकरः
श्री नीरज शेखरः
श्री जगदम्बिका पालः
श्री आनंद प्रकाश परांजपेः
श्री संजय भोईः
श्री यशवीर सिंहः

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया और इंडियन एयर लाइंस के विलय के पश्चात् कर्मचारियों के संबंध में कोई ठोस नीति तैयार की गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और एयर इंडिया और इंडियन एयर लाइंस के विलय की क्या स्थिति है;

(ग) क्या एयर इंडिया के विभिन्न वर्गों के कर्मचारी, नियमित आधार पर वेतन का भुगतान नहीं किए जाने सहित अपनी शिकायतों के निवारण हेतु आंदोलन कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या एयर इंडिया/इंडियन एयर लाइंस के कर्मचारियों के वेतन संबधी मुद्दों का समाधान करने के लिए नियुक्त धर्माधिकारी समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समिति का के निष्कर्ष/सिफारिशें क्या हैं और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है/की जा रही है; और

(छ) एयर इंडिया के कर्मचारियों की बकाया धनराशि का भुगतान करने के संबंध में किसी स्पष्ट नीति को अंतिम रूप देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार करयिर प्रगति और सामान्य वेतनमान सहित विलय से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने के लिए सरकार द्वारा न्यायधीश (सेवानिवृत) डीएन धर्माधिकारी की अध्यक्षता में बाहरी विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई है।

(ग) और (घ) जी, हां। अनेक यूनियनें/एशोसिएशन ने अपनी शिकायतों जिनमें समय पर वेतन और संबंधित भत्तों का समय पर भुगतान भी शामिल है, के निवारण के लिए प्रबंधन को अभ्यावेदन देती रही है। एअर इंडिया का प्रबंधन इनकी शिकायतों के समाधान के लिए अपनी यूनियनों/एसोशिएसनों के साथ निरन्तर सम्पर्क में है।

(ङ) और (च) समिति अपनी रिपोर्ट 31.01.2012 को मंत्रालय को प्रस्तुत कर चुकी है। मंत्रालय ने न्यायाधीश धर्माधिकारी समिति की सिफारिशों की जांच करने और इनके क्रियान्वयन के लिए समय सीमा तैयार करने के उद्देश्य से एक 3-सदस्यीय समिति गठित की है, जिसमें उद्यम विभाग, नागर विमानन मंत्रालय के अधिकारी और एक स्वतंत्र विशेषज्ञ शामिल हैं।

(छ) एक व्यापक वित्तीय पुनर्सरचना योजना/कायाकल्प योजना तैयार की गई है। इसके अनुमोदित होने पर एअर इंडिया को अपने प्रचालनिक और वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

विमानपत्तनों पर प्रभार

2501. श्री रघुवीर सिंह मीणाः
श्री जे.एम. आरुन रशीदः
श्री ताराचन्द भगोराः
श्री अवतार सिंह भडानाः

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्य देशों की तुलना में भारत में एअरपोर्ट टैक्स, पार्किंग चार्ज और 'नेवीगेशनल' प्रभार काफी अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन प्रभारों को विदेशों में लागू प्रभारों के समतुल्य लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

आईएलडी प्रशुल्क

2502. श्री अवतार सिंह भडानाः
श्री जे.एम. आरुन रशीदः
श्री रघुवीर सिंह मीणाः
श्री ताराचन्द भगोराः

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारती एयरटेल समेत कुछ दूरसंचार कंपनियों ने अन्तर्राष्ट्रीय दूरी के लिए अपने प्रशुल्क में बढ़ोत्तरी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अन्तर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी (आईएलडी) के प्रशुल्क में इतनी वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ग) क्या टीआरएआई ने आईएलडी के प्रशुल्क में वृद्धि के लिए अपनी अनुमति दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो चूककर्ता कम्पनियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) जी, हां। भारती एयरटेल सहित कुछ दूरसंचार प्रचालकों ने कतिपय अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य स्थानों के लिए कॉलों में उर्ध्वगामी संशोधन के बारे में सूचित किया है।

(ख) एयरटेल ने संशोधन दिनांक 13.11.2011 से लागू किया है। रिलायंस ने आईएलडी प्रशुल्क दिनांक 01.12.2011 से पुनः निर्धारित किए हैं। इस मामले में कुछ अंतरराष्ट्रीय गंतव्यस्थानों की कॉल दरें बढ़ गई हैं जबकि कुछ अन्य गंतव्य स्थानों की दरे घट गई हैं। वोडाफोन ने दिनांक 01.02.2012 को पोस्ट पेड मोबाइल सेवा के लिए और दिनांक 14.12.2011 को प्रीपेड के लिए अपनी आईएलडी प्रशुल्क में संशोधन किया है। संशोधित प्रशुल्क संरचना के अनुसार एक ही देश में विभिन्न कोड़ों के लिए भी हो, चाहे कॉल का समापन फिक्सड अथवा मोबाइल नेटवर्क में हुआ हो, आईएलडी दरें भिन्न भिन्न होती हैं आईडिया ने दिनांक 14.01.2012 से कुछ अंतरराष्ट्रीय गंतव्य स्थानों के लिए आईएलडी प्रशुल्क में संशोधन किया है। लूप मोबाइल/टेलीकॉम ने भी दिनांक 31.12.2011 से विभिन्न अंतरराष्ट्रीय गंतव्य स्थानों के लिए आईएलडी दरों में वृद्धि की है।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) और भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने भी आईएलडी प्रशुल्क में संशोधन किया है। जबकि एमटीएनएल द्वारा दिनांक 13.05.2011 को और पुनः दिनांक 13.09.2011 को संशोधन को लागू किया गया, बीएसएनएल के प्रशुल्क संशोधन दिनांक 30.12.2011 को लागू हुए। यह उल्लेखनीय है कि संशोधित दरें भी सभी देशों में लागू न हो, कर कुछ चिन्हित किए गए अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों स्थानों तक सीमित है। कुछ मामलों में गिरावट संबंधी संशोधन भी है।

आईएलडी प्रशुल्क में संशोधन करने को प्रशुल्क को उचित एवं तार्किक बनाने में उत्तरदायी माना गया है जो कि एक सतत प्रक्रिया है और बाजार डायनामिक एवं इन्पुट लागत की विभिन्नता का कार्य हैं। प्रचालकों ने बताया था कि कुछ देशों के संबंध में कतिपय विशेष नम्बरों (चैट साइट, गेमिंग इत्यादि) से संबंधित प्रशुल्क में कई बार वृद्धि की गई है। इस प्रकार के विशेष नम्बरों से संबंधित समापन प्रभार वास्तव में अधिक है जिन्हें अंतिम प्रयोक्ता प्रशुल्क में प्रदर्शित करने की आवश्यकता है।

(ग) और (घ) प्रचलित प्रशुल्क ढांचा के अनुसार दूरसंचार प्रचालक मार्केट डायनामिक एवं अन्य वाणिज्यिक महत्व के अनुसार आईएलडी प्रशुल्क का निर्णय करने एवं लागू करने के लिए स्वतंत्र है। विनियामक अधिदेश यद्यपि, कतिपय परिस्थितियों में प्रशुल्क में वृद्धि किए जाने के खिलाफ उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है। दूरसंचार प्रशुल्क आदेश (43वां संशोधन) के अनुसार योजना में किसी भी प्रशुल्क मद की वृद्धि नहीं की जाएगी।

(1) छह माह से ज्यादा वैधता की निर्धारित अवधि जिसमें लाइफटाइम प्रशुल्क योजना अथवा सीमित वैधता एवं प्रशुल्क योजना में विनिर्दिष्ट की गई वैधता की सम्पूर्ण अवधि के दौरान, ऐसी वैधता अवधि के संबंध में उपभोक्ता द्वारा अप फ्रिंट किया गया भुगतान भी शामिल है, के संबंध में प्रशुल्क योजना।

(2) उपभोक्ता के नामांकन की तारीख से छह माह के अंदर अन्य प्रशुल्क योजनाओं के संबंध में, और

(3) ऐसे रिचार्ज कूपन की वैधता की संपूर्ण अवधि के दौरान, किसी प्रशुल्क योजना वु तहत छह माह से ज्यादा वैधता सहित रिचार्ज कूपनों के मामले में।

प्रशुल्क में संशोधन के लागू करते समय यह सुनिश्चित किया गया है कि ट्राई द्वारा जारी किए गए प्रशुल्क आदेशों के उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार मौजूदा उपभोक्ता जो प्रशुल्क संरक्षण का लाभ ले रहे हैं, के संबंध में प्रशुल्क वृद्धि लागू नहीं होती है।

(ङ) उपरोक्त भाग (ग) एवं (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

एयरपोर्टो पर पार्किंग शुल्क

2503. श्री इज्यराज सिंह:
श्री एस. अलागिरी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2009-10 के दौरान देश के विभिन्न एयरपोर्टो पर पार्किंग शुल्क के माध्यम से जमा की गई धनराशि कम हुई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा अधिकारियों, यदि जिम्मेदार हो, के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और इस संबंध में क्या सुधारामक कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के दृष्टिगत लागू नहीं।

[हिन्दी]

अनुसंधान कार्य का विकास

2504. श्री जफर अली नकवी:
श्री वीरेन्द्र कश्यप:
श्री अनुराग सिंह ठाकुर:
कुमारी सरोज पाण्डेय:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विश्वविद्यालयों में अनुसंधान और इसके क्या कारण हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विश्वविद्यालयों को अनुसंधान केन्द्रों के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार विज्ञान और अनुसंधान संस्थानों की बढ़ाने, पाठ्यक्रम को अद्यतन करने और उन्हें आकर्षक बनाने पर विचार कर रही है जिससे कि छात्रों का ध्यान इस क्षेत्र की ओर आकृष्ट किया जा सके; और

(च) यदि हां, तो, कब तक इन सस्थानों की स्थापना किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि देश के विश्वविद्यालयों में अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों में सुधार करने के लिए अभी भी कुछ गुंजाइश है। विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु सरकार का सतत प्रयास रहता है। प्रत्येक वर्ष विभिन्न विषयों में लगभग 8525 छात्रों को एम फिल डिग्रियां और 10,781 छात्रों को पी.एच.डी. डिग्रियां प्रदान की जाती हैं। विश्वविद्यालयों अनुदान आयोग ने सूचित किया है कि यह विश्वविद्यालयों में अनुसंधान और विकास को बढ़वा देने के लिए विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है जिनमें बड़ी और लघु अनुसंधान परियोजनाएं, मानद (इमेरिटस) फैलोशिप, कनिष्ठ अनुसंधान फैलोशिप (जे.आर. एफ.), वरिष्ठ अनुसंधान फैलोशिप (एसआरएफ), अनुसंधान एसोसिएटशिप, अनुसंधान वैज्ञानिक योजना, इंजीनियरी में स्नातक योग्यता परीक्षा में आर्हता प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां, डा. डी.एस.कोठारी पोष्ट डाक्टरल फैलोशिप, डा. राधाकृष्णन पोस्टडाक्टरल फैलोशिप आदि शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, बायोटेक्नॉलॉजी विभाग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान केन्द्र, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद भारतीय दर्शनशास्त्र अनुसंधान परिषद, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान विभिन्न क्षेत्रों और विषयों में अनुसंधान परियोजनाओं को वित्त पोषित कर रहे हैं।

(ग) से (च) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचित किया है कि विश्वविद्यालयों और कालेजों में फोकस का मुख्य क्षेत्र मूल वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है। विश्वविद्यालयों में मूल वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यबल की सिफारिशें कार्यान्वित की जा रही हैं। उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय, किसी विशेष क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले केन्द्र, उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले कालेज की योजनाओं को अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक नई योजना जिसे "अध्ययन में उत्कृष्टता के नए केन्द्र/संस्थान की स्थापना" कहा जाता है, शुरू की है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विज्ञान अनुसंधान परियोजनाओं और फैलोशिप कार्यक्रमों में सहायता करने के अलावा विश्वविद्यालय विभागों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करके विशेष सहायता कार्यक्रम भी चलाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए सहायता की योजना में उच्चतर शिक्षा में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी अवसंरचना के सृजन के लिए विस्तार भी किया जएगा।

वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने की दृष्टि से अनुसंधान के क्षेत्रों में लगातार विस्तार किया जा रहा है। इनमें से कुछेक ह्यूमैन जीनॉम, बाय मेडिकल मेगनेटिक रेसोनेन्स, एप्लाइड हुमैन जेनेटिक्स अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा विश्लेषण आदि हैं। अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, मेडिकल, कृषि, मेराइन बायटेक्नॉलाजी, पशुचिकित्सा विज्ञान, खाद्य और भेषजीय बायटेक्नालॉजी, आणविक और मानव जेनेटिक्स, तंत्रिका विज्ञान, प्लैज्मा भौतिक, न्यूक्लीयर भौतिकी, संरचनात्क बायोलाजी, तंत्रिका विज्ञान आर्गेनिक सिंथेसिस, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नालॉजी नैनो विज्ञान आदि हैं। पाठ्यचर्या संशोधन और उसे अद्यतन करना एक सतत प्रक्रिया है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचित किया है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, पर्यावरणीय विज्ञान, इंजीनियरी, गणित, चिकित्सा तथा भौतिक में प्रसिद्ध तथा उत्कृष्ट अनुसंधान, अनुप्रयुक्त अथवा मौलिक, के लिए प्रतिवर्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग विश्वविद्यालय तथा अकादमिक क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अवसंरचना के लिए निधियां, उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान की गहनता, विश्वविधालय अनुसंधान तथा वैज्ञानिक उत्कृष्टता का संवर्धन, नवाचार और उत्कृष्टता के लिए विश्वविद्यालय अनुसंधान का समेकन, इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायरड रिसर्च के तहत फैलोशिप तथा विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड के तहत योजनाओं जैसी योजनाएं संचालित करता है। जैव-प्रौद्योगिकी विभाग ने सूचित किया है किया वह 72 विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर शिक्षण कार्यक्रमों, जैव-प्रौद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, जूनियर फैलोशिप कार्यक्रम तथा अनुसंधान एसोसिएटशिप कार्यक्रम जैसी योजनाएं कार्यान्वित करता है।

प्रीमियर शैक्षिक संस्थानों में दलित छात्रों द्वारा आत्महत्या

2505. श्री अनुराग सिंह ठाकुरः
श्री वीरेन्द्र कश्यपः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) सहित देश के प्रीमियर संस्थानों में अनुसूचित जाति संवर्ग के छात्रों की आत्महत्या के कई मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार, वर्ष-वार और संस्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे मामलों/घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कोई विशेष समिति गठित की है;

(घ) यदि हां, तो क्या समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी इस रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(च) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) देश में विभिन्न प्रीमियर संस्थानों में छात्रों द्वारा की गई आत्महत्याओं का ब्यौरा केन्द्रीय स्तर पर इस मंत्रालय में नहीं रखा जाता है। तथापि, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों में दलित छात्रों द्वारा आत्महत्याओं के निम्नलिखित मामले सरकार की जानकारी में आए हैं:

संस्थान	राज्य	2009	2010	2011
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर	उत्तर प्रदेश	1 (अनुसूचित जाति)	1 (अनुसूचित जाति)	
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर	पश्चिम बंगाल	2 (अनुसूचित जाति)	-	1 (अनुसूचित जाति)
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास	तमिलनाडु		-	1 (अनुसूचित जाति)
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की	उत्तराखंड		-	1 (अनुसूचित जाति)

(ग) से (ङ) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की परिषद की 42वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में प्रो. एम. आनंदकृष्ण, अध्यक्ष, शासी बोर्ड, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की अध्यक्षता में एक कार्य बल का गठन किया गया है जिसका उद्देश्य छात्रों, माता-पिता, शिक्षकों तथा एलुमिनी के साथ बातचीत से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा अन्य केन्द्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थाओं में आत्महत्याओं के कारणों का अध्ययन करना तथा उपचारी उपायों का सुझाव देना है। कार्य बल अपनी पहली बैठक 9 अप्रैल, 2012 को आयोजित कर रहा है।

(च) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा अभी तक के आत्महत्याओं के मामलों में जांच करने हेतु नियुक्त तथ्यान्वेषी समितियों ने किसी भी रूप में जाति आधारित उत्पीड़न अथवा भेदभाव के घटक नहीं पाए हैं, तथापि संस्थानों ने इस बात के लिए विभिन्न तंत्रों की व्यवस्था की है कि कमजोर वर्गों के छात्रों के हितों को किसी भी कारण नुकसान न पहुंचे। संस्थानों में अ.जा./अ.ज.जा. छात्रों के लिए संकाय सलाहकार है जो उनकी समस्याओं को देखते हैं तथा तदनुसार सलाह देते हैं। छात्रों की व्यक्तिगत, अकादमिक, मनोवैज्ञानिक तथा परिवार संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए छात्र

काउन्सलर हैं। इसके अलावा, विभिन्न विभागों में छात्र मार्गदर्शक है जो उपयुक्त मार्गदर्शन उपलब्ध कराके उनकी अकादमिक तथा अन्य समस्याओं में मदद करते हैं तथा उनकी समस्याओं को समय पर समाधान करने हेतु संबंधित प्राधिकारियों की जानकारी में भी लाते हैं। इसके अलावा, ट्यूटर भी हैं जो उनकी अकादमिक समस्याओं का निपटान करने में उनकी मदद करते हैं।

[अनुवाद]

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और स्तर

2506. डॉ. रत्ना डे:
श्री जय प्रकाश अग्रवाल:
श्री राधा मोहन सिंह:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और स्तर में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा की गई पहल/उठाए गए कदमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) अक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ आबंटित प्रयुक्त और अनुप्रयुक्त धनराशि का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसे उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं में मानकों के समन्वयन तथा निर्धारण का अधिदेश प्राप्त है, कई योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है जिनका उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। इसने शैक्षिक सुधारों हेतु विभिन्न उपाय किए हैं, जैसे सेमेस्टर प्रणाली आरंभ करना, पाठ्यचर्या को नियमित रूप से अद्यतन बनाना तथा विकल्प आधारित केन्द्रित प्रणालियां आदि, जिन्हें अधिकांश केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारतीय विश्वविद्यालयों में शिक्षण के मानकों के सुधार हेतु "विश्वविद्यालय तथा कालेजों में शिक्षकों तथा अन्य अकादमिक स्टॉफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा के मानकों के रख-रखाव हेतु, 2010" के संबंध में विनियम जारी किए हैं। शिक्षकों तथा शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा तथा राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा को अनिवार्य अपेक्षा बनाया गया है, तथा केवल उन्हीं को छूट दी जा रही है जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम. फिल/पी.एच.डी.) डिग्री प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानक तथा प्रक्रिया) विनियम, 2009 के अनुरूप पी.एच.डी. पूरी की है। राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन परिषद जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित स्वायत्त निकाय है, गुणवत्ता के विभिन्न पैरामीटरों के आधार पर विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को प्रत्यायित करती है। राष्ट्रीय प्रत्यापन बोर्ड तकनीकी संस्थाओं द्वारा संचालित कार्यक्रमों को प्रत्यायित करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में शिक्षा के मानकों के सुधार हेतु कई योजनाएं शुरू की हैं। इन प्रयोजनाओं के तहत, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं तथा छात्रावासों सहित अवसंरचनात्मक सुविधाओं के सृजन तथा स्तरोन्नयन और शिक्षण तथा अनुसंधान के सुदृढ़ीकरण हेतु पात्र विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। शिक्षण पेशे में सर्वोत्कृष्ट प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए सरकार ने 1.1.2006 से विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए नया वेतन ढांचा अधिसूचित किया है।

उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं हेतु राष्ट्रीय प्रत्यायन विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2010, जो कि देश में उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं हेतु स्वतंत्र विश्वसनीय गुणवत्ता आश्वासन तंत्र को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यायन को अनिवार्य बनाने की व्यवस्थाएं करता है, को दिनांक 3 मई, 2010 को संसद में पेश किया गया है।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12 ख के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने की पात्र संस्थाओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सीधे अनुदान जारी किए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान संस्था वार ब्यौरे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्टों में तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट www.ugc.ac.in पर भी उपलब्ध है।

[हिन्दी]

हिंदी सलाहकार समिति की बैठक

2507. श्री कौशलेन्द्र कुमार:
श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो:
श्रीमती अश्वमेध देवी:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिंदी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक हाल ही में बंगलौर में हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उस बैठक का मुख्य एजेंडा क्या था और उसमें लिए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया था;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या उनके सुझावों/विचारों को लागू किया है/लागू किया जाएगा; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 21.02.2012 को अन्तरिक्ष विभाग, बेंगलूर में, अन्तरिक्ष विभाग (अं.वि.) तथा परमाणु ऊर्जा विभाग (प.ऊ.वि.) की संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक हुई।

(ग) बैठक की कार्यसूची में (i) राजभाषा नीति का कार्यान्वयन; (ii) केन्द्रीय अधिनियम/नियम का हिन्दी अनुदान; (iii) द्विभाषी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग; (iv) विभागीय सेवा तथा प्राथमिक परीक्षाओं में हिंदी के प्रयोग का विकल्प; (v) समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं में लेख; (vi) कार्यशाला/संगोष्ठी; (अपप) हिन्दी में प्रशिक्षण; (viii) हिन्दी में अधिक कार्य करने हेतु प्रोत्साहन योजना; (ix) कर्मचारियों द्वारा लिखित पुस्तकों का प्रकाशन; (x) अन्तरिक्ष विभाग तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के कार्यक्रमों का आम जनता तक पहुंच, इत्यादि शामिल थे।

समिति ने, अन्तरिक्ष विभाग तथा परमाणु ऊर्जा विभाग दोनों को, सभी क्षेत्रों में हिन्दी से संबंधित क्रियाकलापों को बढ़ाने का सुझाव दिया।

(घ) जी, हां।

(ङ) छ: माननीय संसद सदस्य जो अन्तरिक्ष विभाग तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के संयुक्त हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य हैं को बैठक के लिए आमंत्रित किया गया था।

(च) जी हां।

(छ) समिति के सुझावों/विचारों का क्रियान्वयन एक निरंतर प्रक्रिया हैं तथा इसे सुनिश्चित किया जाएगा।

[अनुवाद]

दाखिला संबंधी दिशानिर्देशों का संशोधन

2508. श्री के. सुधाकरण:
श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन को वंचित समूहों और निर्बल वर्गों के बच्चों के लिए विशेषरूप से 25 प्रतिशत आरक्षित श्रेणी में वर्ष 2012-13 के लिए दाखिला संबंधी दिशानिर्देशों में संशोधन के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त दिशानिर्देश शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या के.वि.सं. ने उक्त मांग के दृष्टिगत अपने दाखिला संबंधी दिशानिर्देशों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (च) वर्ष 2012-13 के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के दाखिला संबंधी दिशा निर्देशों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल का शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 2 (त) के तहत केन्द्रीय विद्यालयों को "विशिष्ट श्रेणी के स्कूल" के अंतर्गत रखा गया है। केन्द्रीय विद्यालय शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 (1) (ग) के अनुसार कक्षा-1 के बच्चों की कुल संख्या के 25% बच्चों को दाखिला प्रदान करते हैं तथा प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक नि:शुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करते हैं। 25% बच्चों की इस श्रेणी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो/गरीबी रेखा से नीचे के लोगों/अन्य पिछड़े वर्गों (क्रीमी लेयर को छोड़कर), नि:शक्त बच्चों के आवेदन तथा आरक्षण संबंधी संवैधानिक उपबंधों के अनुपालन में सभी आवेदन शामिल हैं।

एयर इंडिया को घाटा

2509. श्री हेमानंद बिसवाल:
श्री प्रहलाद जोशी:
श्री एम.के. राघवन:
श्री संजय निरूपम:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया कर्मचारियों की छंटनी पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अतिरिक्त राजस्व सृजन करने के लिए एयर इंडिया के कतिपय वायुमार्गों की नीलामी करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की स्थिति क्या है तथा इय योजना के अंतर्गत किन वायुमार्गों को चिन्हित किया गया है; और

(ङ) राष्ट्रीय वाहक एयर इंडिया को प्रतिदिन कुल कितना प्रचालनगत घाटा होता है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) एयर इंडिया को प्रचालनों से प्रतिदिन लगभग 10.00 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के दूरस्थ शिक्षा केन्द्र

2510. श्री एस. सेम्मलई:
श्री गणेश सिंह:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कार्यरत मानित विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है और इनमें राज्य-वार कितने छात्र अध्ययन कर रहे हैं;

(ख) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा चलाए जा रहे दूरस्थ शिक्षा केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विश्वविद्यालयों के दूरस्थ शिक्षा केन्द्रों द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता को विनियमित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) देश में इस समय 129 सम विश्वविद्यालय हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2010-11 के दौरान इन सम विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर रहे छात्रों की संख्या का राज्य वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इस समय 13 केन्द्रीय विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा केन्द्र चला रहे हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है। तथापि, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों को समन्वित करने हेतु मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय (एमएएलयूयू) के दिल्ली, मंगलौर, पटना, भोपाल, दरभंगा, श्रीनगर, मुम्बई, कोलकाता और रांची में क्षेत्रीय केन्द्र हैं और जम्मू, लखनऊ, अमरावती, हैदराबाद, संभल तथा नुह (मेवात) में उप क्षेत्रीय केन्द्र हैं।

(ग) और (घ) दूरस्थ पद्धति में चला जाने वाले विश्वविद्यालयों के शैक्षिक कार्यक्रम दूरस्थ शिक्षा परिषद, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 की संविधि 28 के अंतर्गत गठित एक स्वायत्त निकाय, द्वारा विनियमित किए जाते हैं। सरकार द्वारा दूरस्थ पद्धति में प्रदान किए जा रहे पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता को सीधे ही विनियमित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और दूरस्थ शिक्षा परिषद ऐसे पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों की गुणवत्ता को सतत आधार पर विनियमित करते हैं।

विवरण I

सम विश्वविद्यालयों में अध्ययन-रत छात्रों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सम विश्वविद्यालयों की संख्या	नामांकित छात्रों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	7	20985
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	1441
3.	बिहार	2	350
4.	चंडीगढ़	1	1996
5.	दिल्ली	11	12312
6.	गुजरात	2	3163
7.	हरियाणा	5	18430
8.	झारखंड	2	7603
9.	कर्नाटक	15	44136

1	2	3	4
10.	केरल	2	524
11.	मध्य प्रदेश	3	2043
12.	महाराष्ट्र	21	55613
13.	ओडिशा	2	13554
14.	पंजाब	2	8013
15.	पुदुचेरी	1	674
16.	राजस्थान	8	33113
17.	तमिलनाडु	29	1,68,947
18.	उत्तर प्रदेश	10	24952
19.	उत्तराखंड	4	11298
20.	पश्चिम बंगाल	1	934
	कुल	129	4,30,081

विवरण II

दूरस्थ शिक्षा केन्द्रों को चलाने वाले केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की सूची

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम
1.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय
2.	दिल्ली विश्वविद्यालय
3.	हैदराबाद विश्वविद्यालय
4.	जामिया मिलिया इस्लामिया
5.	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय
6.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय
7.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय
8.	महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय
9.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय
10.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय
11.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय
12.	अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय
13.	डा. हरीसिंह गौड़ विश्वविद्यालय

मोबाइल टॉवर स्थापित करने के लिए नीति

2511. ***श्रीमती अन्नू टंडन:***
कुमारी मीनाक्षी नटराजन:
श्री अशोक अर्गल:
श्री अर्जुन राम मेघवाल:
श्री पी. कुमार:
श्रीमती जे. शांता:
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:
श्री हमदुल्लाह सईद:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार की निजी स्थानों, आवासों, वाणिज्यिक केन्द्रों और स्कूलों के समीप तथा अत्यन्त ही घनी आबादी वाले क्षेत्रों में नेटवर्क टावर स्थापित करने की नीति क्या है तथा इस संबंधी में किन सुरक्षा मानदंडों का पालन किया गया है;

(ख) क्या उक्त टॉवरों के कारण देश में दुर्घटनाओं के मामले प्रकाश में आए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारत में मोबाइल टॉवर और मोबाइल फोन की रेडियोधर्मिता सीमा अन्य देशों के अंतरराष्ट्रीय मानकों से अधिक है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(च) मोबाइल टॉवरों और मोबाइल हैण्डसेटों की रेडियोधर्मिता सीमा की जांच के लिए मौजूद तंत्र का ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा उपर्युक्त पहलुओं पर क्या कार्रवाई की गई है और स्थापित मानदंडों के उल्लंघन के लिए दूरसंचार कंपनियों/मोबाइल फोन विनिर्माताओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) टॉवरों को स्थापित करने की मौजूदा नीति के अनुसार दूरसंचार विभाग का बेतार आयोजना, तथा समन्वय स्कंध (डब्लयूपीसी) मोबाइल टॉवरों की स्थापना के लिए प्रत्येक स्थल की, अन्य बेतार प्रयोक्ताओं के साथ व्यतिकरण, विमानन बाधाओं और किसी अन्य मौजूदा माइक्रोवेव संपर्कों की दृष्टि से स्थल संबंधी स्वीकृति प्रदान करता है। इस प्रकार, निजी स्थानों, आवासों, वाणिज्यिक केन्द्रों, विद्यालयों के निकट और सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में टॉवरों की संस्थापना के लिए कोई पृथक दिशा-निर्देश नहीं हैं।

तथापि, दूरसंचार विभाग द्वारा स्थल संबंधी स्वीकृति, स्थानीय निकायों जैसे नगर निगम, ग्राम पंचायत आदि के अन्य लागू उप विधियों, नियमों और विनियमों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी की जाती है। तदनुसार, टॉवरों की संस्थापना से पूर्व दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को संबंधित स्थानीय प्राधिकारियों जैसे नगर निगम, ग्राम पंचायत आदि से आवश्यक अनापत्ति प्राप्त करनी होती हैं विभिन्न स्थानीय निकायों/राज्य सरकारों ने मोबाइल टॉवरों को संस्थापित करने के लिए ऐसी अनुमति प्रदान करने के संबंध में सुरक्षा मानकों सहित अपनी नीतियां स्वयं तैयार की हैं।

(ख) और (ग) जैसा कि दूरसंचार प्रवर्तन संसाधन एवं अनुश्रवण प्रकोष्ठ (टर्म) द्वारा सूचित किया गया है, ऐसे किसी भी प्रकरण की रिपोर्ट नहीं मिली है।

(घ) और (ङ) दूरसंचार विभाग ने मोबाइल टॉवरों से होने वाले वैद्युत चुम्बकीय क्षेत्र (ईएमएफ) विकिरण और मोबाइल फोनों के लिए विशिष्ट अवशोषण दर (एस.ए.आर.) के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय गैर-आयनीकृत विकिरण संरक्षण आयोग (आईसीएनआईआरपी) द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को अपनाया है।

(च) दूरसंचार विभाग के दिनांक 8 अप्रैल, 2010 के पत्र द्वारा सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस/एकीकृत अभिगम सेवा (यूएएस) लाइसेंसधारकों को वैद्युत चुम्बकीय क्षेत्र (ईएमएफ) विकिरण संबंधी मानदण्डों को पूरा करने के लिए अपने बेस ट्रांसमिटिंग स्टेशनों (बीटीएस) के स्वप्रमाणन पत्र के जरिए निर्धारित संदर्भ सीमाओं/स्तरों का अनुपालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

दिनांक 08 अप्रैल, 2010 के निर्देशों के अनुसार विकिरण मानदंडों को पूरा करने के लिए सभी बीटीएस स्व-प्रमाणित होने चाहिए और स्व-प्रमाणन पत्र दूरसंचार विभाग के संबंधित टर्म प्रकोष्ठ को प्रस्तुत किया जाता है। सभी नए बीटीएस स्थल संगत टर्म प्रकोष्ठ को स्व-प्रमाणन पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही विकिरण आरंभ करते हैं। टर्म प्रकोष्ठ अपने विवेकानुसार यादृच्छिक रूप से 10% तक बीटीएस स्थलों का परीक्षण करता है। इसके अतिरिक्त टर्म प्रकोष्ठ उन बीटीएस स्थलों का भी परीक्षण करता है जिनके विरुद्ध जनता की शिकायत होती है।

मोबाइल हैंडसेटों के लिए, दूरसंचार विभाग ने दिनांक 01.09.2008 के अपने पत्र द्वारा भारत में निर्मित किए जा रहे मोबाइल हैंडसेटों के लिए आईसीएनआईआरपी द्वारा निर्धारित की गई 10 मेगाहर्ट्ज से 10 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रेंज 2 वॉट प्रति किग्रा. की विशिष्ट अवशोषण दर (एसएआर) सीमा का अनुपालन करना अधिसूचित किया है और मोबाइल फोनों के लिए एस.ए.आर.के. अनुपालन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) मोबाइल हैंडसेटों के देशी निर्माताओं को आईसीएनआईआरपी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने और स्व-पमाणन पत्र प्रस्तुत करने के अनुदेश दिए गए हैं।

(ii) मोबाइल हैंडसेटों के निर्माताओं को स्वयं अपने उत्पाद पर विकिरण का स्तर दर्शाने और मोबाइल फोन के विकिरण से होने वाले खतरों और उसके प्रभाव के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी प्रदान करने के अनुदेश दिए गए हैं।

(iii) देशी और आयातित मोबाइल फोनों को नियमित करने की दृष्टि से भारतीय मानका ब्यूरो (बीआईएस) से भारतीय मानका ब्यूरो अधिनियम, 1986 के तहत सभी मोबाइल फोनों के लिए मानक तैयार करने का अनुरोध किया गया है।

(छ) दिनांक 31.12.2011 की स्थिति के अनुसार, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने 6,80,630 बीटीएस के लिए यह प्रमाणित करते हुए कि विकिरण स्तर, निर्धारित मानदंडों के अनुसार है, स्व-प्रमाणन पत्र प्रस्तुत किए हैं। टर्म प्रकोष्ठ ने मोबाइल टॉवरों के वैद्युत-चुम्बकीय विकिरण स्तर का परीक्षण करना आरंभ कर दिया है और दिनांक 31.12.2011 की स्थिति के अनुसार कुल 14,610 बीटीएस का परीक्षण कर लिया गया है और सभी निर्धारित विकिरण मानदंडों के अनुरूप पाए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, बेस स्टेशनों और मोबाइल फोनों से होने वाले विकिरण प्रभाव (ईएमएफ) की जांच करने के लिए दूरसंचार विभाग, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, स्वास्थ्य मंत्रालय, बायो-प्रौद्योगिकी विभाग तथा पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के अधिकारियों को शामिल करके दिनांक 24,08,2010 को एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है।

अंतर-मंत्रालयी समिति द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिय गया है और दिनांक 17.11.2011 के पत्र द्वारा जारी कर दी गई हैं। अंतर-मंत्रालयी समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:

(i) रेडियो फ्रीक्वेंसी फील्ड (बेस स्टेशन उत्सर्जन) के लिए प्रभाव-सीमा (एक्सपोजर) के मानकों को आईएनआईआरपी द्वारा निर्धारित मौजूदा सीमा 1/10 भाग तक कम कर दिया गया है। इस संबंध में दूरसंचार विभाग के दिनांक 31.12.2011 के पत्र सं. 800-15/2010-वीएएस (खंड) द्वारा मोबाइल प्रचालकों को निर्देश जारी किए गए हैं। ये निर्देश दिनांक 01.04.2012 से लागू होंगे।

(ii) मोबाइल हैंडसेटों के लिए विशिष्ट अवशोषण दर (एसएआर) स्तर को 2 वॉट प्रति किग्रा से संशोधित करके 1.6 वाट प्रति कि.ग्रा. कर दिया गया है। इस

संबंध में मोबाइल हैंडसेट निर्माताओं को दूरसंचार विभाग के दिनांक 25.01.2012 के पत्र सं. 18-10/2008 आई.पी. द्वारा मोबाइल हैंडसेटों से संबंधित अन्य सिफारिशों सहित निर्देश जारी किए गए हैं। ये निर्देश दिनांक 01.09.2012 से लागू होंगे।

[हिन्दी]

महिलाओं को संपत्ति का अधिकार

2512. श्रीमती ऊषा वर्मा:
श्री महेश्वर हजारी:
श्रीमती सुशील सरोज:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग महिलाओं की सामाजिक आर्थिक परिस्थिति में परिवर्तन लाने के दृष्टिगत "वूमेंस एजेंसी एंड एम्पॉवरमेंट" नामक कार्यदल द्वारा "महिलाओं को सम्पत्ति का अधिकार" के संबंध में भेजे गए प्रस्ताव पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रस्ताव के अनुसार पति और पत्नी को संपत्ति में समान में अधिकार होगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (घ) योजना आयोग द्वारा महिला एजेंसी एवं सशक्तिकरण की संकल्पना करना और यह परिभाषित करना कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्या प्राप्त करने का प्रयास किया गया है तथा महिलाओं के लिए मौजूदा प्रावधानों/कार्यक्रमों की समीक्षा, विश्लेषण और मूल्यांकन करना और 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के लिए सिफारिशें करना।

महिला एजेंसी एवं सशक्तिकरण संबंधी कार्य समूह ने अन्य बातों साथ-साथ महिला को अपने पति के साथ समान भागीदारी के रूप में मान्यता देने के लिए अपनी रिपोर्ट के पैरा 3.3.5 में परिवार कानून में सुधार करने की आवश्यकता के बारे में कहा है और सिफारिश की है कि सभी समुदायों पर लागू वैवाहिक सम्पत्ति अधिनियम अधिकार को कार्यान्वित किया जाए। यह सिफारिश की गई है कि प्रस्तावित कानून विवाहित जोड़े द्वारा प्राप्त सभी चल और अचल परिसम्पत्तियों को संयुक्त सम्पत्ति माना जाए, जिसको अलग होने/छोड़ने के समय पर बांटा जा सके, चाहे संम्पत्ति किसी ने भी खरीदी हो।

[अनुवाद]

उर्दू डिग्री धारक व्याख्याता और प्राध्यापक

2513. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय में वर्तमान में उर्दू डिग्री धारक व्याख्याताओं और प्राध्यापकों की संख्या क्या है;

(ख) वर्तमान में विश्वविद्यालय में व्याख्याताओं और प्राध्यापकों के रिक्त पदों की संख्या क्या है;

(ग) क्या विश्वविद्यालय में अनेक ऐसे व्याख्याता और प्राध्यापक शिक्षण कार्य में संलग्न हैं जिनके पास उर्दू के अलावा अन्य विषयों की डिग्री है;

(घ) यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है; और

(ङ) उक्त रिक्त पदों को भरने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल उर्दू डिग्री धारक व्यक्तियों को ही उर्दू पढ़ाने के लिए नियुक्त किया जाए, सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) मौलाना आजाद राष्ट्र उर्दू विश्वविद्यालय (एम.ए.एन.यू.यू.) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार यू.जी.सी. विनियमों के अंतर्गत सभी विषयों में संकाय सदस्यों के लिए उर्द में डिग्री का होना अनिवार्य नहीं है। तथापि, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय में संकाय के पद पर नियुक्ति के लिए उर्दू का ज्ञान होना अनिवार्य है, क्योंकि यहां पर शिक्षा का माध्यम उर्दू है। विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किए गए 179 संकाय सदस्यों में से 141 संकाय सदस्य उर्दू प्रमाणपत्र धारी हैं।

(ख) 31

(ग) और (घ) 179 संकाय सदस्यों में से 38 संकाय सदस्य उर्दू प्रमाणपत्र नहीं रखते हैं। ऐसे संकाय सदस्यों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संकाय सदस्य और हिन्दी, अंग्रेजी, कम्प्यूटर विज्ञान और इंजीनियरी आदि के संकाय सदस्य शामिल हैं परन्तु वे उर्दू में अध्यापन कराने योग्य हैं। इसके लिए तर्काधार यह है कि विश्वविद्यालय विषय में सर्वाधिक योग्यता प्राप्त अध्यापकों को नियोजित करना चाहता है और उन्हें परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से उर्दू प्रमाणपत्र प्राप्त करने की

अवधि के दौरान किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से उर्दू प्रमाणपत्र प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करता है ताकि उन्हें उर्दू में अध्यापन कार्य करने में कोई असुविधा न हो।

(ङ) विश्वविद्यालय ने 13.2.2012 के रोजगार अधिसूचना सं. 27/2012 में विश्वविद्यालय द्वारा 31 अध्यापकों के रिक्त पदों को अधिसूचित किया है जिनमें सभी अध्यापकों के पदों के लिए उर्दू को अनिवार्य किया गया है।

सी प्लेन

2514 श्री हमदुल्लाह सईद: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए सी प्लेन आरम्भ करने की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इसी तरह अन्य स्थानों विशेष रूप से लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के लिए सी प्लेन आरम्भ किए जाने की योजना है; और

(ग) यदि हां, तो पहचान किए गए स्थानों का ब्यौरा क्या है और कब तक उक्त सेवा को आरम्भ किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) पवन हंस हैलीकॉप्टर्स लिमिटेड ने अंडमान तथा निकोबार प्रशासन की सहभागिता के साथ, प्रारंभ में 6 महीने के लिए जनवरी 2011 में पोर्ट ब्लेयर-हैवलॉक सेक्टर में संपर्क स्थापित करने वाले प्रथम सी प्लेन सेसना 208 ए की शुरुआत की।

ऑफ-सीजन के कारण परिस्थितियां अनुकूल न होने के कारण सी-प्लेन उपलब्ध कराने वाली पार्टी के साथ किए गए अनुबंध को 13 मई, 2011 से समाप्त कर दिया गया। आज की तारीख में, पवन हंस हैलीकॉप्टर्स लिमिटेड अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सी-प्लेन का प्रचालन नहीं कर रही है।

वर्तमान में, अनुमति धारक गैर-अनुसूचित प्रचालक मैसर्स मैरिटाईम नर्जी हेली एयर सर्विसीज प्राईवेट अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में एक सी-प्लेन का प्रचालन कर रही है।

(ख) और (ग) वर्ष 2008 में लक्षद्वीप समूह में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सी-प्लेन सेवाएं जारी करने के लिए इंडो-कनाडा टीम द्वारा एक व्यवहार्यता अध्ययन किया गया था। रिपोर्ट को विचारार्थ लक्षद्वीप प्रशासन को सौंप दिया गया है।

रिपोर्ट ने लक्षद्वीप में कावाराती, मिनीकॉय, बंगाराम, एंडरॉट द्वीपसमूह प्रशासन द्वारा आवश्यक अवसंरचना उपलब्ध कराए जाने की स्थिति में सी-प्लेन सेवा की शुरुआत करने व्यवहार्यता की अनुशंसा की है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता

2515. श्रीमती श्रुति चौधरी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तीन में से किसी स्तर पर शिक्षाविदों को शामिल करने के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में छात्रों, शिक्षाविदों और विशेषज्ञों की क्या राय है;

(घ) क्या कुछ विश्वविद्यालयों ने स्वायत्तता हेतु आवेदन दिया है/की मांग की है;

(ङ) यदि हां, तो इसका राज्य-वार और विश्वविद्यालय-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) उन विश्वविद्यालयों का ब्यौरा क्या है जिन्हें स्वायत्तता प्रदान की गई हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (च) केन्द्रीय विश्वविद्यालय संसद के अधिनियमों द्वारा स्थापित पहले ही स्वायत्त निकाय है और वे अपने संबंधित अधिनियमों/संविधियों और उनके अंतर्गत जारी किए गए अध्यादेशों के द्वारा शासित होते हैं। तदनुसार ये विश्वविद्यालय तीन में किसी भी स्तर अर्थात् सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के स्तर पर शिक्षाविदों को अपने अधिनियम, संविधियों और अध्यादेशों तथा इस विषय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार भरती करने के लिए स्वतंत्र हैं।

विमानपत्तन विस्तारण परियोजना

2516. श्री पी. कुमार: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों से विमानपत्तन विस्तारण परियोजना के लिए भूमि प्रदान किए जाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षो के प्रत्येक वर्ष का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर राज्य सरकार का क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु के त्रिची विमानपत्तन सहित देश के विभिन्न विमानपत्तनों से हवाई सेवाओं में वृद्धि करने का है;

(ङ) यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश के अन्य क्षेत्रों में विमान परिवहन सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विमान परिवहन सेवा के बेहतर विनियमन के लिए मार्ग संवितरण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। तथापि, यह एयरलाइनों पर निर्भर करता है, वे यातायात की मांग तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर पंतनगर सहित विशिष्ट स्थानों के लिए विमान सेवाएं उपलब्ध करवाए। इस प्रकार एयरलाइनें सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशा-निर्देशों के अनुपालन के आधार पर देश में कहीं भी प्रचालन के लिए स्वतंत्र हैं।

विवरण

राज्य सरकार के साथ लंबित भूमि के मामले

राज्य	हवाईअड्डा	संभावित भूमि (एकड़ में)	राज्य सरकार की प्रतिक्रिया
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	465	सकारात्मक
	तिरुपति	424.95	सकारात्मक
	राजामुंदरी	966	सकारात्मक
	कडप्पा	37.01	सकारात्मक
	वारांगल	435	विचाराधीन
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	पोर्टब्लेयर	15.50	आंशिक सकारात्मक
असम	गुवाहाटी	215.25	विचाराधीन
	डिब्रूगढ़	227.2	नकारात्मक
	जोरहाट (सीई)	77+9	77 एकड़ नकारात्मक+आंशिक सकारामक
	लीलाबाड़ी (उत्तरी लखीमपुर)	25	सकारात्मक
अरुणाचल प्रदेश	दपारिजो	34.3	कोई प्रतिक्रिया नहीं
बिहार	गया	200	सकारात्मक
	पटना 227 और रेलवे ट्रैक का स्थानांतरण		विचाराधीन और रेलवे ट्रैक का स्थानांतरण व्यवहार्य नहीं
छत्तीसगढ़	रायपुर	2206	विचाराधीन
गुजरात	अहमदाबाद	67.289	विचाराधीन
	भावनगर	490.36	विचाराधीन

1	2	3	4
	पोरबंदर	275.9	विचाराधीन
	राजकोट	51.9	कोई प्रतिक्रिया नहीं
	सूरत	2631.6	सकारात्मक
	जामनगर	17.38	03.09.2010
	कांडला	282	विचाराधीन
गोवा	गोवा	20	सकारात्मक
हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा	26	कोई प्रतिक्रिया नहीं
जम्मू और कश्मीर	जम्मू	138	सकारात्मक
झारखंड	रांची	582	सकारात्मक
	देवघर	53.41	सकारात्मक
		675	
कर्नाटक	मैसूर	संतुलित 122+एनएच डाइवर्जेन	विचाराधीन
	हुबली	संतुलित 27	सकारात्मक
	बेलगांव	370	सकारात्मक
	मंगलौर	55.19	सकारात्मक
केरल	कालीकट	137	सकारात्मक
	त्रिवेंद्रम	169.5	सकारात्मक
लक्ष्यद्वीप	अगाती	9+1 10	सकारात्मक
महाराष्ट्र	अकोला	174.67	विचाराधीन
	औरंगाबाद	244.98	विचाराधीन
मध्य प्रदेश	इंदौर	2541.8	विचाराधीन
	जबलपुर	469	सकारात्मक
मेघालय	तुरा	1.56.5 2. प्रचालनिक लागत	कोई प्रतिक्रिया नहीं
नागालैंड	दीमापुर	278.78	नकारात्मक
ओडिशा	भुवनेश्वर	132	कोई प्रतिक्रिया नहीं
	झारसुगुडा	412.5	सकारात्मक
राजस्थान	जयपुर	60	विचाराधीन
	बीकानेर	50	विचाराधीन

1	2	3	4
	उदयपुर	145	विचाराधीन
	किशनघाट	442	विचाराधीन
	कोटा	14	प्रतिक्रिया प्रतीक्षित
तमिलनाडु	कोयम्बतूर	594	सकारात्मक
	तिरुचिरापल्ली	439	सकारात्मक
	मदुरै	610	सकारात्मक
	सलेम	563	विचाराधीन
	तूतीकोरीन	586	सकारात्मक
	वेल्लोर	1046	विचाराधीन
	चेन्नई	15.60 4.81	सकारात्मक
त्रिपुरा	अगरतला	303	आंशिक
	कमालपुर	50.5	कोई प्रतिक्रिया नहीं
उत्तराखंड	देहरादून	167	विचाराधीन
	पंतनगर	176	सकारात्मक
संघशासित प्रदेश	पोर्टब्लेयर	71	नकारात्मक
	पांडीचेरी	संतुलित 386	सकारात्मक
पश्चिम बंगाल	बागडोगरा	118+23	118 एकड़ के लिए नकारात्मक +23 एकड़ के लिए आंशिक सकारात्मक
	बेहाला	38.35	कोई प्रतिक्रिया नहीं
	माल्दा	61	कोई प्रतिक्रिया नहीं

घटते ब्रॉडबैंड प्रभार

2517. **श्री ई.जी. सुगावनम:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कुछ टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं ने इंटरनेट प्रयोक्ताओं के लिए ब्राडबैंड प्रभारों में अत्यधिक कमी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एमटीएनएल/बीएसएनएल का भी अपने ग्राहकों के लिए इस प्रकार की सेवा प्रदान करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त दोनों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) बीएसएनएल/एमटीएनएल सहित सेवाप्रदाता एक या अधिक प्रशुल्क घटकों में परिवर्तन करते हुए विभिन्न प्रशुल्क योजनाओं को संशोधित औ पुन:निर्धारित करते रहे हैं। सामान्यत: उपभोक्ताओं के लिए मासिक किराये में कमी या अंतरण गति में वृद्धि या दोनों रूपों में समग्र वित्तीय निहितार्थ में कमी आई है।

(ख) सभी प्रमुख प्रचालक असीमित प्रयोग योजनाओं की पेशकश (बशर्ते कि निष्पक्ष प्रयोग नीति हो जहां कतिपय पूर्व परिभाषित प्रयोग सीमाओं के बाद स्पीड कम की जा सके) करते हैं कुछ प्रमुख सेवा प्रदाताओं द्वारा असीमित प्रयोग ब्रॉडबैंड योजनाओं के लिए पेश किए गए प्रशुल्क में परिचायक रूझान नीचे दिए गए हैं:-

सेवा प्रदाता	सितंबर, 2009		मार्च, 2012		अभ्युक्तियां
	मासिक प्रभार	गति	मासिक प्रभार	गति	
बीएसएनएल	750	256 केबीपीएस	499	4 गीगाबिट तक 512 केबीपीएस, 4 गीगाबिट से अधिक 256 केबीपीएस	मासिक प्रभारों में कमी और डाटा अंतरण गति में वृद्धि
एमटीएनएल-दिल्ली	599	256 केबीपीएस	599	512 केबीपीएस	मासिक प्रभारों में कोई परिवर्तन किए बिना डाटा अंतरण गति में वृद्धि
भारती-दिल्ली	649	256केबीपीएस	899	6 गीगाबिट तक 4 एमबीपीएस, 6 गीगाबिट से अधिक 256 केबीपीएस	प्रशुल्कों का पुन:निर्धारण। डाटा अंतरण गति में महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ मासिक प्रभार में वृद्धि
सिफी-दिल्ली	899	384 केबीपीएस	499	384 केबीपीएस	मासिक प्रभारों में कमी

(ग) बीएसएनएल और एमटीएनएल दोनों बाजार में प्रतिस्पर्द्धा और अन्य परिस्थितियों पर विचार करते हुए आवधिक रूप से प्रशुल्क योजनाओं की समीक्षा करते हैं और इन्हें संशोधित/आरंभ करते हैं।

(घ) और (ङ) हालांकि एमटीएनएल ने ब्रॉडबैंड के लिए अपने प्रशुल्क में कोई कमी नहीं की है, परंतु इसने अपनी असीमित योजना के लिए डाटा अंतरण गति में वृद्धि की है। इस संबंध में बीएसएनएल द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:-

1. वायरलाइन ब्रॉडबैंड के संबंध में परिवर्तित प्रशुल्कों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।
2. वाई-मैक्स सीमित योजनाओं के तहत, नि:शुल्क प्रयोग से अधिक अतिरिक्त प्रयोगों प्रभारों को प्रोत्साहनात्मक उपाय के रूप में दिनांक 16.08.2011 से 31.03.2012 तक रु. 0.80/एमबी से घटाकर रु. 0.20/एमबी (5जीबी तक0 और रु. 0.80/एमबी से घटाकर रु. 0.10/एमबी (5 जीबी से अधिक) कर दिया है।
3. 3जी ब्रॉडबैंड के मामले में पोस्टपेड के लिए 50% अतिरिक्त डाटा प्रयोग और 1जीबी और इससे अधिक के नि:शुल्क प्रयोग के साथ प्री-पेड डाटा योजनाएं/डाटा रिचार्ज वाउचर्स (आरसीवी) और 31.03.2012 तक 1250 रु., 1800 रु. और 2250 रु. के 3जी डाटा आरसीवी के अधिकतम खुदरा मूलय पर 40% तक की छूट जैसी प्रोत्साहनात्मक स्कीमें पेश की गई थी।

विवरण

नि:शुल्क डाउनलोड/अपलोड के बाद अतिरिक्त प्रयोग प्रभार में संशोधन

योजना का नाम	नि:शुल्क डाउनलोड/अपलोड के बाद अतिरिक्त प्रयोग प्रभार*	
	पहले	मौजूदा (01.02.2011 से प्रभावी)
1	2	3
बीबीजी ग्रामीण यूएसओएफ 99	रु. 0.40/-प्रति एमबी	3जीबी तक के प्रयोग के लिए प्रतिएमबी 0.30/-रु. इसके बाद प्रति एमबी 0.10/-रु.

1	2	3
बीबीजी 125	रु. 0.60/-प्रति एमबी	5जीबी तक के प्रयोग के लिए प्रतिएमबी 0.30/-रु. इसके बाद प्रति एमबी 0.10/-रु.
बीबीजी ग्रामीण यूएसओएफ 150	रु. 0.40/-प्रति एमबी	3जीबी तक के प्रयोग के लिए प्रतिएमबी 0.30/-रु. इसके बाद प्रति एमबी 0.10/-रु.
बीबीजी ग्रामीण कोंबो 250	रु. 0.40/-प्रति एमबी	3जीबी तक के प्रयोग के लिए प्रतिएमबी 0.20/-रु. इसके बाद प्रति एमबी 0.10/-रु.
बीबीजी 250	रु. 0.40/-प्रति एमबी	5जीबी तक के प्रयोग के लिए प्रतिएमबी 0.20/-रु. इसके बाद प्रति एमबी 0.10/-रु.
बीबीजी कोंबो 299	रु. 0.60/-प्रति एमबी	5जीबी तक के प्रयोग के लिए प्रतिएमबी 0.20/-रु. इसके बाद प्रति एमबी 0.10/-रु.
बीबी सीएससी 400	रु. 0.60/-प्रति एमबी	प्रति एमबी 0.15/-रु.
बीबीजी एफएन 500	0.60/-प्रति एमबी	प्रति एमबी 0.20/-रु.
बीबीजी एफएन कोंबो 500	0.60/-प्रति एमबी	प्रति एमबी 0.20/-रु.
बीबीजी ग्रामीण कोंबो 550	0.30/-प्रति एमबी	8जीबी तक के प्रयोग के लिए प्रतिएमबी 0.15/-रु. इसके बाद प्रति एमबी 0.20/-रु.
बीबीजी कोंबो 650	0.20/-प्रति एमबी (02.00 से 08.00 बजे तक) और रु. 0.50/एमबी शेष समय के लिए	प्रति एमबी 0.20/-रु.
बीबीजी कोंबो 600	0.20/-प्रति एमबी	5जीबी तक के प्रयोग के लिए प्रतिएमबी 0.15/-रु. इसके बाद प्रति एमबी 0.20/-रु.
बीबीजी 650	रु.0.50/-प्रति एमबी	प्रतिएमबी 0.20/-रु.
बीबीजी 700		0.50/-प्रति एमबी 5जीबी तक के प्रयोग के लिए प्रतिएमबी 0.20/-रु. इसके बाद प्रति एमबी 0. 00/-रु.
बीबीज कोंबो 749	रु. 0.20/-प्रति एमबी (02.00 से 08.00 बजे तक) और रु. 0.50/एमबी शेष समय के लिए	प्रति एमबी 0.20/-रु.
बीबीज कोंबो 850	0.30/-प्रति एमबी	प्रतिएमबी 0.20/-रु.
बीबीजी ग्रामीण वोंबो 999	0.30/-प्रति एमबी	प्रतिएमबी 0.10/-रु.
बीबी सीएससी 1000	0.40/-प्रति एमबी	प्रतिएमबी 0.10/-रु.

1	2	3
बीबीज कोंबो 1111	0.30/-प्रति एमबी	प्रतिएमबी 0.10/-रु.
बीबीजी कोंबो 1500	0.30/-प्रति एमबी	प्रतिएमबी 0.10/-रु.
बीबीजी स्पीड कोंबो 2799	0.30/-प्रति एमबी	प्रतिएमबी 0.10/-रु.
बीबीजी कोंबो 3500	0.20/-प्रति एमबी	प्रतिएमबी 0.10/-रु.
बीबीजी स्पीड कोंबो 4500	0.20/-प्रति एमबी	प्रतिएमबी 0.10/-रु.
बीबीजी सुपर स्पीड कोंबो 4999	0.20/-प्रति एमबी	प्रतिएमबी 0.10/-रु.
बीबीजी सुपर स्पीड कोंबो 9999	0.20/-प्रति एमबी	प्रतिएमबी 0.10/-रु.

ख. एडीएसएल ब्रॉडबैंड योजनाओं की बैंडविड्थ में उन्नयनः

योजना का नाम	पहले बैंडविड्थ	मौजूदा बैंडविड्थ
बीबीजी कोंबो 299	256केबीपीएस	512 केबीपीएस
बीबी होम यूएल 499	256केबीपीएस	4जीबी तक 512 केबीपीएस, 4जीबी से अधिक 256 केबीपीएस
बीबी होम यूएल 625	256केबीपीएस	4जीबी तक 512 केबीपीएस, 4जीबी से अधिक 256 केबीपीएस
बीबी होम यूएल 750	512केबीपीएस	6जीबी तक 1 केबीपीएस, 6जीबी से अधिक 512 केबीपीएस
बीबी कोंबों यूएल 750	512केबीपीएस	6जीबी तक 1 केबीपीएस, 6जीबी से अधिक 512 केबीपीएस
बीबी कोंबो यूएलडी 850	8जीबी तक 1 एमबीपीएस, 8जीबी से अधिक 256 केबीपीएस	8जीबी तक 2 एमबीपीएस, 8 जीबी से अधिक 512 केबीपीएस
बीबी होम कोंबो यूएलडी 900	8जीबी तक 4 एमबीपीएस, 8जीबी से अधिक 256 केबीपीएस	8जीबी तक 4 एमबीपीएस, 8 जीबी से अधिक 512 केबीपीएस
बीबी सीएससी यूएलडी 999	6जीबी तक 512 केबीपीएस, से अधिक 256 केबीपीएस	20 जीबी तक 2 एमबीपीएस, से अधिक 256 केबीपीएस
बीबी सीएलसी 1500	512 केबीपीएस	30 जीबी तक 2 एमबीपीएस, से अधिक 512 केबीपीएस
बीबी होम कोंबों यूएलडी-1000	15जीबी तक 1 एमबीपीएस, 15जीबी से अिक 256 केबीपीएस	15जीबी तक 2 एमबीपीएस, 15जीबी से अधिक 256 केबीपीएस
बीबी होम कोंबो यूएलडी-1350	20 जीबी तक 2 एमबीपीएस, 20 जीबी से अधिक 512	20 जीबी तक 4 एमबीपीएस, 20जीबी से अधिक 512 केबीपीएस
बीबीजी यूएल-2150	256 केबीपीएस	100जीबी तक 1 एमबीपीएस, 100जीबी से अधिक 256 केबीपीएस

1	2	3
बीबीजी कोंबो यूएल-2150	256 केबीपीएस	100जीबी तक 1 एमबीपीएस, 100जीबी से अधिक 256 केबीपीएस
बीबीजी कोंबो यूएलडी-3300	150 जीबी तक 512 केबीपीएस, 150 जीबी से अधिक 256 केबीपीएस	150 जीबी तक 2 एमबीपीएस, 150 जीबी से अधिक 512 केबीपीएस
बीबीजी कोंबो यूएलडी-3300	150 जीबी तक 512 केबीपीएस, 150 जीबी से अधिक 256 केबीपीएस	200 जीबी तक 2 एमबीपीएस, 150 जीबी से अधिक 512 केबीपीएस
बीबीजी यूएलडी-6000	150 जीबी तक 512 केबीपीएस, 150 जीबी से अधिक 1 केबीपीएस	200 जीबी तक 4 एमबीपीएस, 200 जीबी से अधिक 1 एमबीपीएस
बीबीजी यूएलडी-6000	150 जीबी तक 512 केबीपीएस, 150 जीबी से अधिक 1 केबीपीएस	200 जीबी तक 4 एमबीपीएस, 200 जीबी से अधिक 1 एमबीपीएस
बीबीज यूएलडी-9000	300 जीबी तक 2 केबीपीएस, 300 जीबी से अधिक 256 केबीपीएस	
बीबीजी कोंबो यूएलडी-900	300जीबी तक 4 एमबीपीएस, 500 जीबी से अधिक 1 एमबीपीएस	4एमबीपीएस असीमित
बीबीजी यूएलडी-150000	500 जीबी तक 4 एमबीपीएस, 500 जीबी से अधिक 1 एमबीपीएस	4एमबीपीएस असीमित
बीबीजी कोंबो यूएलडी-1500	500 जीबी तक 4 एमबीपीएस, 500 जीबी से अधिक 2 एमबीपीएस	4एमबीपीएस असीमित

ग. बीबीजी सुपर स्पीड कोंबो 9999 योजना के लिए ब्रॉडबैंड "एफएमसी" और "वार्षिक भुगतान विकल्प" में संशोधन

योजना का नाम	पहले प्रभार रु. में		मौजूदा प्रभार रु. में	
	मासिक प्रभार	वार्षिक भुगतान विकल्प प्रभार	मासिक प्रभार	वार्षिक भुगतान विकल्प प्रभार
बीबीजी सुपर स्पीड कोंबो 9999	9999/-रु.	99990/-रु.	6999/-रु.	69990/-रु.

जंक फूड की बिक्री

2518. श्री एस.एस. रामासुब्बू: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के कुछ पब्लिक स्कूल छूट कूपन प्रदान कर छात्रों को जंक फूड खाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा छात्रों को जंक फूड खाने से निरूत्साहित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने सभी सम्बद्ध स्कूलों को स्कूल कैन्टीनों तथा स्कूलों के आस-पास जंक फूड की बिक्री को हतोत्साहित करने हेतु परामर्श जारी किया है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जंक फूड, कार्बोनेटेड और एरेटेड बेवरिज के के स्थान पर स्वास्थ्यकर स्नैकरन, जूस तथा डेरी उत्पादों का सुझाव भी दिया है।

शून्य निर्गम विकास

2519. श्री सुरेश कुमार शेटकर: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला क्षेत्र द्वारा चालू वर्ष में शून्य निर्गम दर्ज किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भविष्य में इस स्थिति के सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) अप्रैल से जनवरी 2011-12 तथा पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान कोयले का उत्पादन नीचे दिया गया है:-

	2011-12 से जनवरी, 2012 तक	2010-11 से जनवरी, 2011 तक	विकास दर
उत्पादन (मि.ट. में)	413.914	424.508	(-) 2.5%

चालू वर्ष के दौरान कोयला उत्पादन में गिरावट के प्रमुख कारणों में प्रमुख कोलफील्डों में असामान्य रूप से अत्यधिक वर्षा, प्रमुख परियोजनाओं की पर्यावरणीय एवं वानिकी मंजूरियों में विलंब के साथ-साथ व्यापक पर्यावरणीय प्रदूषण सूचकांक (सेपी) लगाना, आएंडआर मुद्दे रेलवे वैगनों की अपर्याप्त उपलब्धता, कुछ राज्यों में कानून एवं व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं शामिल हैं।

(ग) सरकार ने पर्यावरणीय एवं वानिकी मंजूरियां शीघ्रता से प्राप्त करने, रेल रेकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए रेलवे मंत्रालय के साथ संपर्क करने और भूमि अधिग्रहण तथा कानून एवं व्यवस्था से संबंधित समस्याओं में आवश्यक सहायता के लिए राज्य सरकार से संपर्क करने के लिए कदम उठाए है। इसके अलावा कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोल इंडिया लि. और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें ये शामिल हैं:- (i) उपकरणों की कार्यक्षमता बढ़ाना, नियमित मॉनीटरिंग निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यांत्रिकीकरण और मौजूदा खानों तथा चल रही परियोजनाओं का सख्ती से पर्यवेक्षण करना (ii) नई एवं भावी परियोजनाओं से कोकिंग कोयले के लिए क्षमता संवर्धन करना (iii) पर्यावरणीय एवं वानिकी मंजूरियों, भूमि अधिग्रहण के मुद्दों और कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्याओं का समाधान करना।

सीवीसी द्वारा दर्ज मामले

2520. श्री अधीर चौधरी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने कुछ सार्वजनिक प्राधिकरणों अर्थात दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली सरकार का उत्पाद कर विभाग और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विरुद्ध शिकायत दर्ज की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सभी संबंधित सतर्कता अधिकारियों ने अपना जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था/है; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक मुद्दे पर सीवीसी की क्या राय है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (घ) यह आरोप लगाने वाली एक शिकायत सीवीसी में प्राप्त हुई थी कि सर्वप्रिय विहार, नई दिल्ली में सर्वप्रिय क्लब का भवन अनधिकृत है और स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस बिना दखल प्रमाण पत्र प्राप्त किए क्लब को जारी किया गया था। तत्पश्चात, आयोग द्वारा शिकायत को अन्वेषण रिपोर्ट दाखिल किए जाने हेतु दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्य सतर्कता अधिकारियों को अग्रेषित किया गया था।

यह आरोप लगाने वाली अगली शिकायत कि भवन पर नोटिस लगा दिए जाने के बावजूद भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा भवन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, आयोग द्वारा संस्वीकृति मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी को टिप्पणियों हेतु भेजी गई थीं।

डीडीए ने यह सूचित करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की कि यह क्षेत्र एमसीडी को अंतरित कर दिया गया है और डीडीए को इस मामले में कोई भूमिका अदा नहीं करना है।

एमसीडी ने यह सूचित करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की कि स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस भवन विभाग से बिना एनओसी प्राप्त किए प्राप्त किया जा सकता है और इसलिए, आरोप सिद्ध नहीं होता है।

जीएनसीटीडी और संस्कृति मंत्रालय से उत्तर आयोग में प्रतीक्षित हैं।

सकल घरेलू उत्पाद में विमानन उद्योग का योगदान

2521. श्री राजय्या सिरिसिल्ला:
श्री रायापति सांबासिवा राव:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अगले पांच वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में विमानन उद्योग का योगदान दोगुना हो जाएगा क्योंकि आर्थिक विकास और बढ़ती उपभोग्य आय के कारण भारतीय यात्रा पर ज्यादा व्यय करने के लिए प्रोत्साहित होंगे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) यह वास्तविकता है कि देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में विमानन उद्योग का योगदान पिछले कुछ वर्षों से बढ़ रहा है। तथापि, जीडीपी में इसके योगदान में वृद्धि की दर का कोई आकलन नहीं किया जा सका क्योंकि इसमें अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के सापेक्ष निष्पादन सहित कुछ ऐसे कारण शामिल हैं जो नागर विमानन क्षेत्र के विकास को प्रभावित करते हैं।

[हिन्दी]

एआईसीटीई में भ्रष्टाचार

2522. श्री अंजनकुमार एम. यादव:
श्रीमती रमा देवी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद में तीन वर्षों के दौरान किसी घोटाले की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त घोटाले में शामिल व्यक्तियों/अधिकारियों के क्या नाम हैं; और

(घ) इन अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने उन पूर्व अधिकारियों, जो प्रतिनियुक्ति पर थे या अनुबन्ध आधार पर कार्य कर रहे थे सहित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अधिकारियों के विरूद्ध एक बड़े दण्ड और अभियोजन के लिए आर.डी.ए. आरंभ करने हेतु 59 मामलों को निर्दिष्टि किया है जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	सीबीआई संदर्भ संख्या
1	2
1.	(i) श्री आर.ए. यादव, अध्यक्ष, एआईसीटीई, नई दिल्ली
	(ii) प्रो. एच.सी. रॉय, सलाहकार (ईएंडटी), एआईसीटीई, नई दिल्ली
	(iii) श्री रोबिंदर रंधावा, उप निदेशक, एआईसीटीई, नई दिल्ली
	(iv) श्री श्री ओम दलाल, तत्कालीन क्षेत्रीय अधिकारी, एआईसीटीई, चंडीगढ़ के विरूद्ध दिनांक 16.07. 2009 की सी बी आई संदर्भ संख्या आर सी-0722009 (ई)0006
2.	डा. एन के कोल, तत्कालीन निदेशक (यूजीएंडएल), एआईसीटीई, नई दिल्ली के विरूद्ध सीबीआई शिकायत आर सी-एम ए आई-0045-ए सी बी/सीएचईएन (एसपी रिपोर्ट)
3.	दिनांक 31.08.2009 का सीबीआई मामला। एफआईआर सं. सीपीई/सीबीआई/एसीबी/20.10.2009 का सीबीआई 2009 ए 0046 दिनांक 20.10.2009 का सीबीआई मामला सं. 6587 सीआर-133(यू) 2009/ईओयू-11 डीएलआई
4.	श्री आनन्द मोहन अग्रवाल, प्रो. बिरला प्रोद्योगिकी संस्थान मेसरा, रांची, झारखंड, तत्कालीन सलाहकार ईएंडटी, एआईसीटीई, नई दिल्ली के विरूद्ध शिकायत आर सी-एम ए आई 2009-ए 0048-ए सी बी/सीएचईएन (एसपी रिपोर्ट)
5.	मुम्बई से वर्ष 2009-10 के लिए नए पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए (स्वयं निहित एसपीज रिपोर्ट) केडीके इंजीनियरी कॉलेज नागपुर के विरूद्ध सीबीआई रिपोर्ट सं. 607/एसआईआर-15/09/एनीजीपी/जेडी-एमयूएम
6.	दिनांक 6.10.2009 की सीबीआई संदर्भ सं. 7022/आरसी 0082009 ए 0018 सीबीआई/बीपीएल/2009
7.	सीबीआई विशाखापट्टनम द्वारा दिनांक 8.10.2010 को फाईसीटीई सं 03 (ए) 09/सीबीआई-वीएसपी
8.	दाखिले में डोनेशन लेने के लिए उच्चतम न्यायालय और एआईसीटीई के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के लिए राष्ट्रीय राजधानी में संस्थाओं के विरूद्ध शिकायत-दिनांक 27.10.2009 की सीबीआई रिपोर्ट सं. डीपी 0612009/ 2322/सीए/ ईओयू-1/2009/0003

1	2
9.	एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त करने के संबंध में सीबीआई से सं. सी5/सीई/408 एंड409/2009/विभिन्न शिकायत/सीबीआर्इ/एच/3271
10.	एआईसीटीई के कर्मचारियों के विरूद्ध दिनांक 8.10.2009 की सीबीआई संदर्भ सं. डीपीवीआईएस 2009/6682/सी2/पीई 036 20009 ए 0003
11.	दिनांक 30.10.09 की सीबीआई रिपोर्ट एसआईआर सं. एस 10082009 ए 007/सीबीआई/बीपीएल/2009
12.	दिनांक 30.10.2009 का सीबीआई संदर्भ सं. 1031/सी 00082009 ए 0017/सीबीआई/बीपीएल/2009
13.	दिनांक 6.11.2009 की सीबीआई संदर्भ आरसी सं. 7812/आरसी 00082009 ए 009ए/0019 सीबीआई तथा दिनांक 6.11.2009 की सीबीआई रिपोर्ट सं. आरसी 0082009 ए 0019
14.	दिनांक 10.11.09 की सीबीआई संदर्भ सं. 627/एसए 010/2009/ ए 2009/कोल। एआईसीटीई के प्रो.आर.ए. यादव तथा प्रो. नारायण राव (निलम्बन के तहत) के विरूद्ध किंग्सटन इंजीनियरिंग कॉलेज, पश्चिम बंगाल को अनुमोदन प्रदान करने के लिए सीबीआई द्वारा नियमित मामले का पंजीकरण
15.	दिनांक 10.11.09 की सीबीआई संदर्भ सं. 11000/ एसआई/एसीबी/2009/6-8
16.	दिनांक 23.10.10 की सीबीआई संदर्भ सं. ईएस/ एसएएस/2009/016/सीजेड/663/सीबीआई/सीएचईएन
17.	एआईसीटीई के कर्मचारियों के विरूद्ध शिकायत दिनांक 14.12.2009 की सीबीआई संदर्भ सं. एसआईआर/ 4/2009-ईओडब्ल्यू-I/डीएलआई/7509
18.	दिनांक 10.11.2009 की सीबीआई की सीबीआई संदर्भ आरसी सं 0082009 ए 00020सीबीआई/बीपीएल/ 7934/2009 दिनांक 5.7.2010 की सीबीआई रिपोर्ट
19.	डीपी 124/पीई 1242009 ए 0001/सीबीआई/एसीबी/ भिलाई/17173
20.	श्री आर.ए. यादव अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव, एआईसीटीई तथा अन्यों के विरूद्ध आरसीबीआई संदर्भ आरसी एमएआई ए0056

1	2
21.	श्री एस.के. भद्री, क्षेत्रीय अधिकारी, श्री तड़ी सूर्या भारस्कर रेड्डी, अध्यक्ष विजाग सोशल प्रोफाईलस तथा अज्ञात अन्यों के विरूद्ध सीबीआई संदर्भ आरसी 02(ए)2010/सीबीआई बीएसपी
22.	दिनांक 8.1.2010 का सीबीआई डीबीआई डीपी विज 2010/0248/सीजेड/आरसी 036 2010 ए 0003। एसआईसीटीई के अज्ञात कर्मचारी श्री आई.एच.फारूकी, सचिव तथा मेसर्स मो. वजीरूद्दीन शिक्षा सोसायटी विशाखापट्टनम के संवाददाता तथा अज्ञात अन्य के विरूद्ध आरसी
23.	के विरूद्ध शिकायत-दिनांक 19.1.2010 का सीबीआई संदर्भ डीपी/टीवीएमपी/सीबीआई/सीए/टीवीएम/09/188
24.	अध्यक्ष वलीयाकुनमपाईकुलाथमा इंजीनियरी कॉलेज तथा एआईसीटीई कार्मचारी के विरूद्ध दिनांक 25.1.2010 का सीबीआई संदर्भ पी/टीवीएमपी/सीबीआई/सीए/टीवीपीएम/ 09/148
25.	एआईसीटीईके कर्मचारियों के विरूद्ध दिनांक 17.2.2010 का सीबीआई संदर्भ सी-5/सीई/67/2010/विवध शिकायतें/ सीबीआई/एच/513
26.	प्रो. आर.ए. यादव के विरूद्ध शिकायत दिनांक 8.3.2010 का सीबीआई संदर्भ सीआर-16 (यू) 2010/ईओयू-11/ डीएलआई/1191
27.	गुरू प्रेमसुख मेमोरियल इंजीनियरी कॉलेज, करनाल रोड, नई दिल्ली को अनुमोदन प्रदान करने के संबंध में सीबीआई संदर्भ 356/एसआईआर-5/ 2009/ईओयू-3/डीएलआई
28.	गोपाल रेड्ड इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी कॉलेज, पतनचेरू, जिला मेडक, आंध्र प्रदेश में की गई संयुक्त आकस्मिक जांच के संबंध में सीबीआई रिपोर्ट, दिनांक 28.1.2010 की सीबीआई संदर्भ सं. डीपीडीएचवाई 2010/02591
29.	हितकारिणी कॉलेज ऑफ आर्किटकचर एंड टाउन प्लानिंग की एआईसीटीई कर्मचारियों के विरूद्ध शिकायत-दिनांक 31.3.2010 की सीबीआई संदर्भ 213/एस 1009/2009 ए 0016
30.	दिनांक 23.3.2010 की सीबीआई संदर्भ सं. डीवीपीआईएस 2010/1411/स्टेनो/सीआर 1 से 3/सीबीआई/वीएसपी

1	2
31.	दिनांक 10.2.2010 की सीबीआई संदर्भ सं. सी8/शिकायतें/2009/सीबीआई केईआर/ए023
32.	दिनांक 9.12.2009 की पीई सं. 0082009 ए 0004/सीबीआई/बीपीएल/2009 तथा दिनांक 4.3.2011 की सीबीआई रिपोर्ट
33.	दिनांक 21.5.2010 की सीबीआई संदर्भ सं. 3833/आरसी 015010/ए0010
34.	दिनांक 5.5.2010 की सीबीआई संदर्भ सं. 1919सी8/शिकायतें/2010/एओ061/सीबीआई/केईआर
35.	दिनांक 10.3.2010 की सीबीआई संदर्भ सं. 600/सी8/शिकायतें/2009/सीबीआई केईआर
36.	दिनांक 11.3.2010 की सीबीआई संदर्भ सं. 0184/एस10082009ए0016/सीबीआई/बीपीएल/2010
37.	दिनांक 19.3.2010 की सीबीआई संदर्भ सं. सी-5/सीई-116/2010/विविध शिकायतें/सीबीआई/एच/983
38.	दिनांक 12.4.2010 की सीबीआई संदर्भ सं. सीआर-26 (यू)/2010/ईओयू-II/डीएलआई/1767
39.	दिनांक 15.6.2010 का सीबीआई संदर्भ पीई-0722010(ई) 0001/3032
40.	दिनांक 14.6.2010 का सी-4/आरएससीएचएन 2009ए 0035/सीबीआई/केईआर/2463
41.	दिनांक 12.4.2010 की सीबीआई सं. सीआर27(यू)/2010/ईओयू-II/डीएलआई/1765
42.	दिनांक 4.6.2010 की सीबीआई संदर्भ सं.सी-5/सीई/12/2010-विविध शिकायतें/सीबीआई/एच/1862
43.	चेतना एजूकेशन सोसायटी, मुम्बई तथा अन्य के विरूद्ध शिकायत-दिनांक 18.6.2010 की सीबीआई रिपोर्ट संदर्भ सं. सी आई 068/2009/ई0062एंड 63/1966
44.	दिनांक 22.6.2010 की सीबीआई संदर्भ सं. सी-5/सीआई-196/2010/विविध शिकायतें/ सीबीआई/एच/2035
45.	दिनांक 19.5.2010 की सीबीआई संदर्भ सं. सी-5/196/2010/विविध शिकायतें /सीबीआई/एच/1727
46.	डा. (श्रीमती) मंजू सिंह, क्षेत्रीय निर्देशक, ए आई सी टी ई दक्षिण-पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय बंगलौर के विरूद्ध दिनांक 19.7.2010 की सीबीआई रिपोर्ट संदर्भ 3134/3/13(ए)/ 2009/एसपीई/केईआर तथा आरसी-13(ए)/2009केईआर डा. मंजू सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, ए आईसीटीई तथा अन्य विरूद्ध आरसी सं. 16(ए)/2009-केईआर
47.	डा. (श्रीमती) मंजू सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, ए आईसीटीई दक्षिण-पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय बंगलौर के विरूद्ध सीबीआई संदर्भ आरसी 18 ए/2009 केईआर (सीबीआई रिपोर्ट)
48.	श्री डी.एस. बघरी, तत्कालीन क्षेत्रीय निदेशक, ए आई सी टी ई कानपुर तथा श्री दिलीप सिंह, सचिव, जवाहर विद्यालय सोसायटी, अलीगढ़ तथा अन्य के विरूद्ध सीबीआई संदर्भ सं. आरसी-0712009(ई)/0061 (सीबीआई रिपार्ट)
49.	डा. एन.के. कोले, पूर्व निदेशक (यूजीसीएल), एआइसीटीई तथा अन्य के विरूद्ध सीबाआई संदर्भ सं. आरसी 5 (ए)/2009 (सीबीआई रिपोर्ट)
50	दिनांक 6.9.2010 की सीबीआई रिपोर्ट सं. आरसी 0082009ए 0011
51.	श्री सी. हरीश सी. राय, तत्कालीन सलाहकार, एआईसीटीई, दिल्ली के विरूद्ध दिनांक 12.11.2010 की सीआरबी संदर्भ सं. आरसी 47 (ए)/2009 /सीबीआई/एसी/एचवाईडी
52.	श्री जी. श्रीनिवास राजू, प्राईवेट व्यक्ति तथा अन्य के विरूद्ध सीबीआई संदर्भ आरसी-15 (ए)/2009 एचवाईडी
53.	के.एल इंजीनियरी कॉलेज, गुटूंर मे अनियमितताओं के आरोप की शिकायत के 6-1/अपराध/ईओयू-।।/डीएलआई/4242
54.	डा. के नारायण राव, तत्कालीन सदस्य सचिव, एआईसीटीई, नई दिल्ली के विरूद्ध सीबीआई संदर्भ पीई 0722010 (ई)/0001
55.	दिनांक 30.12.2010 की सीबीआई संदर्भ सं. डीपीवीआईएस 2010/5776/स्टेनों/सीआर/15/2010 सीबीआई/वीएसपी
56.	राम अवतार यादव, पूर्व उपाध्यक्ष तथा अध्यक्ष, एआईसीटीई, नई दिल्ली तथा अन्य के विरूद्ध सीबाआई रिपोर्ट संदर्भ सं. आरसी-56 (ए)/2009

1	2
57.	दिनांक 25.1.2011 की सीबीआई आरसी सं. 46 (ए)/2009/सीबीआई/एसीबी/सीएचई/063
58.	दिनांक 20.8.2010 की सीबीआई संदर्भ सं. एआईसीटीई मामले/सीबीआई/इओयू-।।/पीए/2010/4054
59.	दिनांक 23.7.2010 की सीबीआई संदर्भ सं. 3655ए सीआर-81 (यू)/2010/ईओयू-।।/डीएलआई

[अनुवाद]

राज्यों को रॉयल्टी

2523. श्रीमती जे. शांता: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न कोयला उत्पादनक राज्यों/कंपनियों से कोयला पर रायल्टी अर्जित/प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तो गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार और वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कुल रायल्टी में प्रत्येक कोयला उत्पादक राज्य को दी गई निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) कोयला उत्पादक क्षेत्रों के विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिये राज्यों को भुगतान की गई कुल रायल्टी प्रतिशतता का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9 के अंतर्गत यथा निर्धारित खनिज कोयले पर कोयला कंपनियों से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से रॉयल्टी वसूली जाती है।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि. (सीआईएल) तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एससीसीएल) द्वारा कोयला उत्पादक राज्य सरकारों को भुगतान किए गए रॉयल्टी का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) कोयला कंपनियों से राज्यों को रॉयल्टी से प्राप्त राजस्व संबंधित राज्य सरकार की समेकित निधि में जमा हो जाता है तथा यह राज्य सरकार को विशेषाधिकार है कि वह अपनी प्राथमिकताओं के अनुरूप रॉयल्टी की प्राप्ति का उपयोग करें।

विवरण

विभिन्न राज्यों को रॉयल्टी से आय

पिछले तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि. तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. द्वारा राज्य-वार तथा वर्ष-वार राज्यों को भुगतान किए गए रॉयल्टी नीचे दी गई है:-

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	कोयला उत्पादक राज्य	2008-09	2009-10	2010-11
1.	पश्चिम बंगाल	9.44	9.60	9.68
2.	झारखंड	1067.22	1142.34	1284.51
3.	ओडिशा	773.07	859.63	936.66
4.	महाराष्ट्र	501.80	514.08	499.82
5.	मध्य प्रदेश	950.16	981.24	961.14
6.	छत्तीसगढ़	894.19	943.07	1011.35
7.	उत्तर प्रदेश	114.95	149.29	168.83
8.	असम	20.62	28.26	29.25
9.	आंध्र प्रदेश	560.69	637.13	708.00

गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों का आकलन

2524. श्री रवनीत सिंह: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) योजना आयोग, विश्व बैंक अत्यादि द्वारा स्थापित विभिन्न विशेषज्ञ समितियों के अनुसार राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निर्धनता का वर्तमान आकलन क्या है;

(ख) उनके द्वारा स्वीकृत विभिन्न मानदण्ड क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा स्वीकृत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों, जनसंख्या का प्रतिशत और परिवारों की संख्या के अन्तिम आंकड़े क्या हैं;

(घ) क्या गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या शहरी और ग्रामीण निर्धनता के बीच काफी बड़ा अन्तर है; और

(छ) यदि हां, तो इसका राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ग) योजना आयोग द्वारा गरीबी रेखा की परिभाषा मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) के रूप में मानदंड के आधार पर की गई है। योजना आयोग द्वारा गरीबी अनुमान की कार्य प्रणाली की समीक्षा समय-समय पर की गई है। तदनुसार, प्रो. सुरेश डी. तेंदुलकर की अध्यक्षता में दिसम्बर, 2005 में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। तेंदुलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर, 2009 में प्रस्तुत कर दी थी, जिसमें वर्ष 2004-05 के मूल्यों पर गरीबी रेखा के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 447 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 579 रुपये की मासिक प्रतिव्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) की सिफारिश की गई थी, जिसे योजना आयोग द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2004-05 में अखिल भारत स्वीकार कर लिया गया था। तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2004-05 में अखिल भारत स्तर पर गरीबी अनुपात 37.2% है जहां यह ग्रामीण क्षेत्रों में 41.8% तथा शहरी क्षेत्रों में 25.7% है। सरकार ने अब गरीबी अनुमान हेतु कार्य प्रणाली पर पुन: विचार करने के लिए एक तकनीकी समूह बनाने का निर्णय लिया है। वर्ष 2004-05 के दौरान बीपीएल व्यक्तियों की राज्यवार संख्या और प्रतिशत का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। विश्व बैंक द्वारा 2004-05 में प्रकाशित विश्व विकास रिपोर्ट 2012 के अनुसार 41.6% भारतीय $1.25 अमरीकी डालर प्रतिदिन के अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे रह रहे थे। विश्व बैंक की कार्य प्रणाली के ब्यौरे की जानकारी हमें नहीं है और ना ही इसमें ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों तथा राज्यवार गरीबी की अलग से गणना की गई है।

(घ) से (छ) तेंदुलकर समिति द्वारा संगणित गरीबी अनुमान दर्शाते हैं कि अखिल भारत स्तर पर गरीबी अनुपात वर्ष 1993-94 में 45.3% से वर्ष 2004-05 में 37.2% तक घटा है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी अनुपात वर्ष 1993-94 में 50.1% से 2004-05 में 41.8% तक तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी अनुपात 1993-94 में 31.4% से 2004-05 तक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के प्रतिशत में राज्यवार कमी के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। पिछले अनेक वर्षों में देश ने तीव्र आर्थिक विकास की है तथा गरीबों को सशक्त बनाने हेतु सरकार की विभिन्न नीतियों और स्कीमों के परिणाम स्वरूप गरीबी की मार को कफी हद तक कुंद कर दिया गया है।

विवरण I

राज्यों की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी का प्रतिशत (तेंदुलकर समिति)

2004-05

क्र.सं.	राज्य/सं.रा.क्षे.	ग्रामीण	शहरी	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	32.3	23.4	29.9
2.	अरुणाचल प्रदेश	33.6	23.5	31.1
3.	असम	36.4	21.8	34.4
4.	बिहार	55.7	43.7	54.4
5.	छत्तीसगढ़	55.1	28.4	49.4
6.	दिल्ली	15.6	12.9	13.1
7.	गोवा	28.1	22.2	25.0

1	2	3	4	5
8.	गुजरात	39.1	20.1	31.8
9.	हरियाणा	24.8	22.4	24.1
10.	हिमाचल प्रदेश	25.0	4.6	22.9
11.	जम्मू और कश्मीर	14.1	10.4	13.2
12.	झारखंड	51.6	23.8	45.3
13.	कर्नाटक	37.5	25.9	33.4
14.	केरल	20.2	18.4	19.7
15.	मध्य प्रदेश	53.6	35.1	48.6
16.	महाराष्ट्र	47.9	25.6	38.1
17.	मणिपुर	39.3	34.5	38.0
18.	मेघालय	14.0	24.7	16.1
19.	मिजोरम	23.0	7.9	15.3
20.	नागालैंड	10.0	4.3	9.0
21.	ओडिशा	60.8	37.6	57.2
22.	पुदुचेरी	22.9	9.9	14.1
23.	पंजाब	22.1	18.7	20.9
24.	राजस्थान	35.8	29.7	34.4
25.	सिक्किम	31.8	25.9	31.1
26.	तमिलनाडु	37.5	19.7	28.9
27.	त्रिपुरा	44.5	22.5	40.6
28.	उत्तर प्रदेश	42.7	34.1	40.9
29.	उत्तराखंड	35.1	26.2	32.7
30.	पश्चिम बंगाल	38.2	24.4	34.3
	अखिल भारत	41.8	25.7	37.2

विवरण II

वर्ष 1993-94 और 2004-05 के दौरान राज्यों की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी की प्रतिशतता में कमी

(तेंदुलकर समिति)

क्र.सं.	राज्य/सं.रा.क्षे.	2004-05 ग्रामीण	शहरी	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	15.8	11.8	14.7
2.	अरुणाचल प्रदेश	26.4	-0.9	23.4
3.	असम	18.5	5.9	17.4
4.	बिहार	6.6	1.0	6.1
5.	छत्तीसगढ़	0.8	-0.3	1.5
6.	दिल्ली	0.6	2.8	2.6
7.	गोवा	-2.6	-7.6	-4.2
8.	गुजरात	4.0	7.9	6.0
9.	हरियाणा	15.2	1.8	11.8
10.	हिमाचल प्रदेश	11.7	9.0	11.7
11.	जम्मू और कश्मीर	18.4	-3.5	13.1
12.	झारखंड	14.3	18.0	15.4
13.	कर्नाटक	19.1	8.3	16.1
14.	केरल	13.7	5.5	11.6
15.	मध्य प्रदेश	-4.6	-3.3	-4.0
16.	महाराष्ट्र	11.4	4.7	9.7
17.	मणिपुर	25.1	32.7	27.1
18.	मेघालय	24.0	-1.7	19.1
19.	मिजोरम	-6.4	-1.6	-3.5
20.	नागालैंड	10.1	17.5	11.4
21.	ओडिशा	2.2	-3.1	1.9
22.	पुदुचेरी	5.2	22.5	16.8
23.	पंजाब	-1.8	8.5	1.5

1	2	3	4	5
24.	राजस्थान	5.0	0.2	3.9
25.	सिक्किम	1.2	-5.5	0.7
26.	तमिलनाडु	13.5	14.0	15.7
27.	त्रिपुरा	-10.2	2.9	-7.7
28.	उत्तर प्रदेश	8.2	4.2	7.5
29.	उत्तराखंड	1.6	-7.5	-0.7
30.	पश्चिम बंगाल	4.3	6.8	5.1
	अखिल भारत	8.3	6.1	8.1

[हिन्दी]

पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्र के लिए परियोजनाएं

2525. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्र की उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो आज की तिथि के अनुसार केन्द्र के अनुसार केन्द्र सरकार के पास लम्बित हैं;

(ख) कब से उक्त परियोजनाएं लम्बित हैं;

(ग) उक्त परियोजनाओं के अनुमोदित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं और कब तक उन्हें अनुमोदित कर दिए जाने की सम्भावना है;

(घ) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से उक्त परियोजनाओं को तेजी से अनुमोदित किए जाने की मांग की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) किसी क्षेत्र के लिए योजना बनाना और उसका विकास करना मुख्यतया संबंधित राज्य सरकार का दायित्व है। केन्द्र सरकार, अपनी ओर से, विभिन्न विशिष्ट क्षेत्र कार्यक्रमों, फ्लैगशिप कार्यक्रमों और केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती हैं।

पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशिष्ट स्कीम पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) है जिसे पहचाने गए पिछड़े जिलों में विकास में प्रमुख कमियों को दूर करने के लिए 2006-07 में शुरू किया गया था। फिलहाल, बीआरजीएफ के दो घटक हैं अर्थात, (1) 7 राज्यों में 250 जिलों को कवर करने वाला जिला घटक और (2) राज्य घटक जिसमें बिहार के लिए विशेष योजना, ओडिशा के केबीके जिलों के लिए विशेष योजना, पश्चिम बंगाल के लिए विशेष योजना, बुंदेलखंड पैकेज और 78 चुनिंदा जनजातीय एवं पिछड़े जिलों के लिए एकीकृत कार्य योजना शामिल है। बीआरजीएफ के जिला घटक के तहत निधियां कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है। विशेष योजनाओं/पैकेज के तहत निधियां अधिकार-प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं तथा परियोजनाओं/वार्षिक कार्य योजनाओं के निष्पादन के आधार पर जारी की जाती हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रमुख स्कीमों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गांरटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए,) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) और इंदिरा आवास योजना (आईवाई) शामिल है। इन स्कीमों के तहत निधियां स्कीम-विशिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार जारी की जाती हैं। पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कोई परियोजना आयोग में अनुमोदन के लिए लंबित नहीं हैं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दोहरी डिग्री कार्यक्रम

2526. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएमएस) ज्यादा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और दोहरी डिग्री कार्यक्रम के साथ अनुसंधान और प्रशिक्ष में किसी संयुक्त कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में प्रत्येक राज्य से प्राप्त प्रतिक्रिया क्या हैं;

(ग) इस उद्देश्य के लिए आबंटित और व्यय की गई राशि का वर्ष-वार, राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जी हां। कुछ भारतीय प्रबंधन संस्थानों के पास इस प्रकार के कार्यक्रम प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के स्नातकोत्तर कार्यक्रम (पीजीपी) के अंतर्गत यूरोप के तीन बिजनेस स्कूलों के साथ दोहरी डिग्री कार्यक्रम है। भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ का विश्व के 28 बिजनेस स्कूलों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है जिसमें एक बिजनेस स्कूल के साथ दोहरी डिग्री कार्यक्रम शामिल है। भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर का सहयोग अपने फ्लैगशिप कार्यक्रम प्रबंधन में एक्जीक्यूटिव स्नातकोत्तर कार्यक्रम (ईपीजीपी) तक सीमित है। भारतीय प्रबंधन में एक्जीक्यूटिव स्नातकोत्तर कार्यक्रम (ईपीजीपी) तक सीमित है। भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझीकोड का शोध तथा अन्य उपयोगी लिंकेज हेतु 18 अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ शोध एवं प्रशिक्षण में संयुक्त कार्यकम भी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि ये कार्यक्रम स्वत: सहायता प्राप्त हैं।

किरायों में बढ़ोत्तरी

2527. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार किरायों में अत्यधिक बढ़ोत्तरी और निजी क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा के कारण पर्यटन उद्योग पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों से परिचित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबध में उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (ग) विमान किरायों का निर्धारण बाजार शक्तियों द्वारा किया जाता है इसका निर्धारण सरकार द्वारा नहीं किया जाता है। तथापि, टेरिफ प्रकाशन में पारर्शिता बनाए रखने के दृष्टिगत नागर विमानन महानिदेशालय ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों को मासिक आधार पर निर्धारित मार्गवार टैरिफ तथा श्रेणीवार किरायों को अपने वेबसाइटों में पदर्शित करने तथा इसमें किसी प्रकार के महत्वपूर्ण व ध्यान दिए जाने योग्य परिवर्तन की सूचना नागर विमानन महानिदेशालय को ऐसे परिवर्तन के 24 घंटे के भीतर करने के निदेश किए गए हैं।

- आवधिक अंतरालों पर नियमित आधार पर टैरिफ की मानीटरिंग के लिए नागर विमानन महानिदेशालय में एक टैरिफ विश्लेषण इकाई की स्थापना की गई है।

प्राप्तांकों को प्रकाशित करना

2528. श्री एन. चेलुवरया स्वामी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की सं.लो.से.आ. परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों को प्रकाशित करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षो के दौरान प्रत्येक वर्ष अ.जा./अ.ज.जा. के अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा पास करने की औसत संख्या क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) इस समय अंतिम परिणाम घोषित किए जाने के पश्चात् नियुक्ति हेतु अनुशंसित किए गए और अनुसंशित नहीं किए गए, दोनों प्रकार के अभ्यथियों द्वारा हासिल अंक संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं जिसे संबंधित अभ्यर्थी वेबसाइट के लिए अपेक्षित ब्यौरे उपलब्ध करवा कर देख सकते हैं

(ग) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित परीक्षाओं के संबद्ध में सूचना निम्नानुसार है:-

	अनुसूचित जाति अभ्यर्थी	अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी
2008 की परीक्षाएं	431	210
2009 की परीक्षाएं	529	274
2010 की परीक्षाएं	567	305

मौलिक विशेषज्ञता वाले पाठ्यक्रम

2529. श्री आर. ध्रुवनारायणः क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने मौलिक विशेषज्ञता संबंधी पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए निजी संस्थानों हेतु विशेष प्रोत्साहनों की अनुशंसा की है;

(ख) यदि हां, तो अब तक तैयार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में समितियों, विशेषज्ञों और गैर-सरकारी संगठनों के क्या विचार हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी नहीं, महोदया। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

कोयला परियोजनाओं/खानों से लाभ

2530. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादमः क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में लाभ अर्जित करने वाली कोयला परियोजनाओं/खानों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) इस अवधि के दौरान घाटे में चलने वाली कंपनियों का ब्यौरा और संख्या कितनी है;

(ग) क्या उपर्युक्त परियोजनाओं में निरंतर घाटा हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक/सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) कोल इंडिया लि. (सीआईएल) और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एससीसीएल) में पिछले तीन वर्षों में लाभ अर्जित कर रही तथा घाटे में चल रही खान परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	खान परियोजनाएं	2008-09	2009-10	2010-11
1.	लाभ में	161	210	197
2.	घाटे में	392	352	268

(ग) और (घ) जी, हां। घाटे में चल रही अधिकांश खानें भूमिगत खानें हैं जो लगातार घाटे में चल रही हैं इन भूमिगत खानों में घाटे के कारण निम्नानुसार हैं:-

1. अधिकांश खानें कठिन भू-खनन स्थितियों के साथ बहुत पुरानी हैं जिसके परिणामस्वरूप प्रति श्रमपाली कम उत्पादन होता है।
2. कोयला मूल्यों का संशोधन करते समय इन खानों में वास्तविक इनपुट लागत को नहीं दर्शाया जा रहा है।
3. राष्ट्रीय कोयला वेतन करार के अनुसार अधिक वेतन एवं मजदूरी

(ङ) सीआईएल और एससीसीएल को उपलब्ध कर्मचारियों, मशीनों और कंपनी की अन्य अवसंरचनाओं का प्रभावी उपयोग भूमिगत खानों में खनन प्रचालकों का अर्धमशीनीकरण/मशीनीकरण और नयी प्रौद्योगिकियों को लागू करना सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से सलाह दी जा रही है ताकि इन खानों को लाभकारी बनाने के लिए बेहतर सुरक्षा स्थितियों आदि में व्यापक कोयला उत्पादन किया जा सके।

अध्यक्ष महोदयाः सभा मध्याह्न 12 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.0$^{1}/_{4}$ बजे

इस समय श्रीमती एम. विजया शांति और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा-पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.0$^{1}/_{2}$ बजे

इस समय, डॉ. मंदा जगन्नाथ और कुछ अन्य सदस्य आगे आकर सभा-पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.0$^{3}/_{4}$ बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब सभा-पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): श्री एस.एम. कृष्णा की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2010-11 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6341/15/12]

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): महोदया मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(2) वर्ष 2012-2013 के लिए प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6343/15/12]

(2) वर्ष 2012-2013 के लिए प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6344/15/12]

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): महोदया श्री मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) वर्ष 2012-2013 के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6345/15/12]

(2) वर्ष 2012-2013 के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6346/15/12]

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) वर्ष 2012-2013 के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6347/15/12]

(2) वर्ष 2012-2013 के लिए विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6348/15/12]

(3) वर्ष 2012-2013 के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। **देखिए** संख्या एल.टी. 6349/15/12]

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) वर्ष 2012-2013 के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6350/15/12]

(दो) वर्ष 2012-2013 के लिए अंतरिक्ष विभाग के अनुदानों की विस्तृत मांगें

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6351/15/12]

(तीन) वर्ष 2012-2013 के लिए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय तथा संघ लोक सेवा आयोग की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6352/15/12]

(चार) वर्ष 2012-2013 के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6353/15/12]

(पांच) वर्ष 2012-2013 के लिए अंतरिक्ष विभाग का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6354/15/12]

(2) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 2012 जो 2 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 115 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6355/15/12]

(3) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6356/15/12]

(5) (एक) नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च, लेबोरेटरी, गडांकी के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च, लेबोरेटरी, गडांकी के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6357/15/12]

(7) (एक) फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, अहमदाबाद के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, अहमदाबाद के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6358/15/12)

(9) (एक) सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी, एस.ए.एस. नगर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी, एस.ए.एस. नगर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6359/15/12]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) यूनियन टेरिटरी मिशन अथॉरिटी दादरा एण्ड नागर हवेली (सर्व शिक्षा अभियान), सिलवासा के वर्ष 2010-2011के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) यूनियन टेरिटरी मिशन अथॉरिटी दादरा एण्ड नागर हवेली (सर्व शिक्षा अभियान), सिलवासा के वर्ष 2010-2011के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6360/15/12)

(3) (एक) इंग्लिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2010-2011के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) इंग्लिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6361/15/12)

(5) (एक)एच.एन.बी. गढ़वाल यूनिवर्सिटी, श्रीनगर गढ़वाल के वर्ष 2010-2011के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) एच.एन.बी. गढ़वाल यूनिवर्सिटी, श्रीनगर गढ़वाल के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6362/15/12)

(7) गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय गांधीनगर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6363/15/12)

(9) (एक) औरोविले फाउंडेशन, विल्लुपुरम के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) औरोविले फाउंडेशन, विल्लुपुरम के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6364/15/12)

(11) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी, मंडी के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी, मंडी के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी, मंडी के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6365/15/12)

(13) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) एडसिल (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एडसिल (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6366/15/12)

(15) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी स्ंस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6367/15/12)

(17) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूटट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6368/15/12]

(19) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूटट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, चेन्नई के वर्ष 2010-2011 वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूटट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, चेन्नई के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6369/15/12]

(21) (एक) यू.पी. एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड (सर्व शिक्षा अभियान), लखनऊ के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) यू.पी. एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड (सर्व शिक्षा अभियान), लखनऊ के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6370/15/12)

(23) (एक) नवोदय विद्यालय समिति नई दिल्ली, के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नवोदय विद्यालय समिति नई दिल्ली, के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नवोदय विद्यालय समिति नई दिल्ली, के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6371/15/12]

(25) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बंगलौर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बंगलौर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6372/15/12]

(26) (एक) पश्चिम बंग सर्व शिक्षा मिशन, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पश्चिम बंग सर्व शिक्षा मिशन, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6373/15/12]

(28) इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, अमरकंटक के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन लेखे।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6374/15/12]

(30) (एक) दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र (सर्व शिक्षा अभियान), दमण के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र (सर्व शिक्षा अभियान), दमण के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6375/15/12]

(32) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगरतला, अगरतला के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगरतला, अगरतला के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6376/15/12]

(34) (एक) नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरिक्षित लेखे।

(दो) नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6377/15/12]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): महोदया, मैं वर्ष 2012-2013 के लिए विदेश मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखती हूं:-

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6378/15/12]

कोयला मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): श्री प्रतीक प्रकाशबापू पाटील की ओर से मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं:-

(1) वर्ष 2012-13 के लिए कोयला मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6379/15/12]

(2) वर्ष 2012-13 के लिए कोयला मंत्रालय का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6380/15/12]

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): श्री अश्विनी कुमार की ओर से मैं निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) इंस्टिट्यूट फॉर स्टेम सेल बायोलॉजी एण्ड रिजेनेरेटिव मेडिसिन, बंगलौर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) (दो) इंस्टिट्यूट फॉर स्टेम सेल बायोलॉजी एण्ड रिजेनेरेटिव मेडिसिन, बंगलौर के वर्ष (2010-2011) कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6380क/15/12]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, भुवनेश्वर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, भुवनेश्वर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, भुवनेश्वर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6381/15/12]

(5) (एक) ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट, गुड़गांव के वर्ष 2010-2011 वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट, गुड़गांव के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6382/15/12]

(7) (एक) नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, मानेसर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, मानेसर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6383/15/12]

(9) (एक) नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस पुणे के वर्ष 2010-2011 वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस पुणे के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6384/15/12]

(11) (एक) रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नॉलाजी, गुड़गांव के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलाजी, गुड़गांव के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6385/15/12]

(13) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6386/15/12)

(15) (एक) राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6387/15/12]

(17) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स, कल्याणी के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स, कल्याणी के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे **देखिए** संख्या एल.टी. 6388/15/12]

(19) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ बायोरिसोर्सेज एण्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इम्फाल के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ बायोरिसोर्सेज एण्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इम्फाल के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6389/15/12]

(21) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इंडियन वैक्सीन कारपोरेशन लिमिटेड, गुड़गांव के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंडियन वैक्सीन कारपोरेशन लिमिटेड, गुड़गांव के वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6390/15/12]

(23) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वर्ष 2012-2013 के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6391/15/12]

(दो) वर्ष 2012-2013 के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6392/15/12]

(तीन) वर्ष 2012-13 के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6393/15/12]

(चार) वर्ष 2012-13 के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6394/15/12]

(पांच) वर्ष 2012-13 के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग अनुसंधान विभाग वैज्ञानिक और औद्योगिक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6395/15/12]

(छह) वर्ष 2012-2013 के लिए योजना आयोग का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6396/15/12]

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): महोदया, श्री अजीत सिंह की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:-

(1) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 की धारा 43 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (उपदान) संशोधन विनियम, 2012 जो 1 फरवरी 2012 के भारत के राजयपत्र में अधिसूचना संख्या एएआई/पर्स/ईडीपीए/रेग/2002 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विमानपत्तन अपीलीय अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 2011 जो 11 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1859 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6342/15/12]

अपराह्न 12.01 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति (खूंटी)

24वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री कड़िया मुंडा (खूंटी): महोदया, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का चौबीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.01½

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति

16वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री विलास मुत्तेमवार: (नागपुर): महोदया, मैं उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) से संबंधित "खाद्य सब्सिडी और इसका उपयोग" विषय पर खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति 2009-2010 के आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई-कार्रवाई संबंधी सोलहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02 बजे

शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति

16वां और 17वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री शरद यादव (मधेपुरा): महोदया, मैं शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति (2011-12) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2011-12) के संबंध में समिति के पंद्रहवें

प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति का सोलहवां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)

(2) शहरी विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2011-12)' के संबंध में समिति के चौदहवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति का सत्रहवां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

अपराह्न 12.03 बजे

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति

157वें से 160वां प्रतिवेदन

डॉ. काकोली घोष दस्तिदार (बारासात): महोदया, मैं गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) आयुध (संशोधन) विधेयक, 2011 संबंधी 157वां प्रतिवेदन।

(2) पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) संशोधन विधेयक, 2011 संबंधी 158वां प्रतिवेदन।

(3) नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2011 संबंधी 159वां प्रतिवेदन।

(4) विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2011 संबंधी 160वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04 बजे

उद्योग संबंधी स्थायी समिति

230वें से 232वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डॉ. रतन सिंह अजनाला (खडूर साहिब): महोदया, मैं उद्योग संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखता हूं:-

(1) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) से संबंधित हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के पुनरुज्जीवन और इसकी पुनर्संरचना के बारे में 225वें प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही टिप्पणी संबंधी 230वां प्रतिवेदन।

(2) उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के पुनरुज्जीवन और इसकी पुनर्संरचना के बारे में 223वें प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही टिप्पणी संबंधी 231वां प्रतिवेदन।

(3) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) से संबंधित हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफैक्योगी कारपोरेशन लिमिटेड के पुनरुज्जीवन और इसकी पुनर्संरचना के बारे में 224वें प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही टिप्पणी संबंधी 232वां प्रतिवेदन।

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यों, नियम 377 के अधीन मामलों को सभापटल पर रखा जाएगा। जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति दी गई है और जो उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं वे पर्चियों को तत्काल सभा पटल पर दे सकते हैं। केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा हुआ माना जाएगा जिसकी पर्चियां निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त हो गई हैं। शेष को व्ययगत माना जाएगा।

...*(व्यवधान)*

(एक) हिमालय से निकलने वाली नदियों का जल भारत के मध्य और दक्षिणी भागों में ले जाए जाने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए एक पैनल गठित किए जाने की आवश्यकता

श्री एन.एस.वी. चित्तन (डिंडीगुल): हमारे देश में जल से संबंधित अति गंभीर समस्या है। देश में जल की अत्यंत कमी है। नहरों के माध्यम से हिमालय पर्वत माला के बाढ़ के अतिरिक्त पानी को दक्षिण में लाना नदियो को जोड़ने वाली परियोजना का निश्चित रूप से एक विकल्प है। ऊंचाई वाले स्थानों पर हिमालयीय नदियों से पानी का उपयोग करने और हिमाचल प्रदेश में नाहन समुद्र तल से ऊंचाई 820 मीटर स्थित संगम पर लाने तथा 1:20000 की ढलाव वाली ऊंचाई बनाए रखने के लिए आवश्यकतानुसार उसे तटबंधों वाली नहरों में लाएं ताकि वह गुरूत्वाकर्षण मध्य और दक्खन पठार को आसानी से पार कर सके जो कि एकमात्र व्यवहार्य समाधान है। यह नदी को जोड़ने का प्रस्ताव नहीं है। बल्कि

---

*सभा पटल पर रखे माने गए।

यह मैदानी क्षेत्रों में पहुंचने से पूर्व ऊंचाई वाले स्थल पर मानव निर्मित खुली नहरों के माध्यम से हिमालयी नदियों से जल प्राप्त करना है।

इसके और अन्य लाभ के रूप में बाढ़ नियंत्रण, नौवहन, जलापूर्ति, मत्स्य पालन, प्रदूषण नियंत्रण, मनोरंजन सुविधाएं, रोजगार सृजन, अवसंरचना और सामाजिक आर्थिक विकास से देश की आर्थिक स्थिति बदलेगी।

मै सरकार से आग्रह करता हूं कि वह आगे कार्रवाई करने के लिए तत्काल अध्ययन करने और व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए तत्काल पैनल गठित करे।

(दो) मध्य प्रदेश के देवास स्थित बैंक नोट प्रेस कर्मचारियों को देश प्रोत्साहन की बकाया राशि को जारी किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सज्जन वर्मा (देवास): बैंक नोट प्रेस के कर्मचारियों को छठें वेतनमान का पूर्ण लाभ अब तक नहीं दिया गया है। सितम्बर 2008, मिनट एवं प्रेसेज की 9 इकाइयों को कारपोरेशन के अधीन करके एरियर का भुगतान तो कर दिया गया, परन्तु जनवरी 2006 से अगस्त तक 2008 तक की इन्सेन्टिव राशि का भुगतान नहीं किया गया। चूंकि उक्त समयावधि में बी.एन.पी. देवास के कर्मचारी वित्त मंत्रालय के अधीन थे तथा उक्त अवधि में सेवानिवृत्ति एवं अन्य वित्त मंत्रालय द्वारा दिये गये थे।

फरवरी 2010 से एस.पी.एम.सी.आई.एल. में बी.एन.पी की यूनियनों के साथ 9 इकाइयों में समान व्यवस्था लागू करने के लिए किए गए समझौते में 35 प्रतिशत सीलिंग सहित नई इन्सेन्टिव योजना लागू की गई, इससे पहले अलग-अलग इन्सेन्टिव योजनायें थीं।

अत: मैं केन्द्र सरकार और वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि बी.एन.पी. देवास के कर्मचारियों को उक्त अवधि का बकाया इन्सेन्टिव एरिया की राशि का भुगतान शीघ्र कराने के आदेश करें।

(तीन) राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में अतिरिक्त मॉडल स्कूलों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री हरीश चौधरी (बाड़मेर): मेरे संसदिय क्षेत्र के बाड़मेर जैसलमेर जिलों की विशेष भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए अतिरिक्त मॉडल स्कूल स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता है। इन जिलों का क्षेत्रफल क्रमश: 28393 एवं 39313 वर्ग कि.मी. है। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार बाड़मेर जिले की जनसंख्या 2604453 है। इस क्षेत्र में सर्व शिक्षा एवं अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के संचालित होते हुए भी साक्षरता दर 57.49 प्रतिशत है उसमें भी महिला साक्षरता दल मात्र 41.03 प्रतिशत है। बाड़मेर जिले में आठ पंचायत समिति क्षेत्र हैं। मेरी जानकारी के अनुसार जिले के लिए मात्र छ: मॉडल स्कूल खोला जाना प्रस्तावित है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस सीमावर्ती क्षेत्र की भौगोलिक स्थितियां, जनसंख्या एवं कम साक्षरता दर जैसी विशेष परिस्थितियों को देखते हुए ब्लॉक मुख्यालय के अतिरिक्त मॉडल विद्यालय खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की जाए।

(चार) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारियों का परस्पर वरीयता क्रम नियत किए जाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री मानिक टैगोर (विरुद्रनगर): भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) पूरे भारत में विभिन्न विमानपत्तनों पर कार्यरत हैं और विमानपत्तन परियोजनाएं चला रहा है। तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिकारी संघ (एएआईओए) में 1100 से अधिक अधिकारियों की समस्या है। पहले, अर्थात वर्ष 1995 से पूर्व राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नाम से दो अलग-अलग संगठन थे। दिनांक 1.4.1995 को दोनों का विलय करके भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कर दिया गया था। विलय किए गए संगठन के कर्मचारियों में वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए दिनांक 1.4.1995 को न्यायमूर्ति जैन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी परन्तु इस समिति की सिफारिशों को अब तक कार्यान्वित नहीं किया गया है।

इसके अतिरिक्त, श्री पी. राजेन्द्रन, श्री पी.एम. नागर और श्री एम. कृष्णमूर्ति की अध्यक्षता वाली विभिन्न समितियों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की परंतु सरकार द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त अधिकारियों और प्रबंधन के बीच और माननीय नागर विमानन मंत्री के साथ भी कई बैठकें हुई थीं परंतु समस्याओं को हल करने के लिए गत 16 वर्षों से कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

अत: मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के अनुसार परस्पर वरिष्ठता को लागू करने के लिए यथाशीघ्र आवश्यक कदम उठाएं।

(पांच) पोरबंदर-कोचुवेलि एक्सप्रेस, दादर-तिरूनेब्रेलि एक्सप्रेस और हापा-मडगांव एक्सप्रेस को महाराष्ट्र के रत्नागिरि-सिंधुदुर्ग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कनकवली, कुदाल और सावंतवाड़ी रोड स्थित रेलवे स्टेशनों पर ठहराव दिए जाने की आवश्यकता

श्री निलेश नारायण राणे (रत्नागिरि-सिंधुदुर्ग): मैं माननीय रेल मंत्री का ध्यान कोंकाण रेलवे के रत्नागिरि और सिंधुदुर्ग खंड

के बीच व्यस्ततम रेल यातायात वाले मार्गों में ट्रेनों के ठहराव नहीं होने के कारण महाराष्ट्र, कोंकण विशेषकर रत्नागिरि-सिंधुदुर्ग की जनता की दुर्दशा की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। कोंकण रेलवे में केरल, कर्नाटक और गोवा से आने-जाने वाली सभी ट्रेन (रत्नागिरि-सिंधुदुर्ग) से होकर गुजरती हैं परंतु उनका पर्याप्त ठहराव नहीं होने के कारण यह खंड बड़ी संख्या में रेल यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।

एक साप्ताहिक ट्रेन पोरबंदर-कोचुवेलि एक्सप्रेस जिसकी सेवाएं पश्चिम रेलवे द्वारा जल्द ही आरंभ करने की घोषणा की गई थी वह रत्नागिरि और सिन्धुदुर्ग खंड के बीच नहीं रुकती है। इसके अतिरिक्त, यह आश्चर्य की बात है कि इस वर्ष रेल बजट में कोंकण रेलवे के अंतर्गत प्रस्तावित दो नई ट्रेनों अर्थात दादर-तिरूनेलवेलि एक्सप्रेस में और हापा-मझगांव एक्सप्रेस को महाराष्ट्र कोंकण क्षेत्र के रत्नागिरि और सिंधुदुर्ग के बीच कोई ठहराव नहीं दिया गया है इससे रत्नागिरि-सिन्धुदुर्ग की जनता में भारी निराशा हुई है जिसके लिए कोंकण रेलवे वास्तव में उनकी जीवन रेखा है।

रत्नागिरि-सिंधुदुर्ग पर्याप्त पर्यटक स्थल वाला क्षेत्र है जो बड़ी संख्या में घरेलू और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र के लोगों को इस मार्ग से मुंबई और अन्य स्थानों पर आना जाना पड़ता है। ट्रेन के फेरों की मौजूदा संख्या में वृद्धि आरक्षण कोटे के अतिरिक्त प्रावधान करने की अत्यंत आवश्यकता है और इस मार्ग पर चलने वाली ट्रेनों के ठहराव की संख्या में वृद्धि करने पर अधिक बल देने की आवश्यकता है।

मैं माननीय रेल मंत्री से आग्रह करता हूं कि वह कृपया जनता के अधिकाधिक हित में और साथ ही अप्रयुक्त पर्यटन क्षमता का उपयोग करने के लिए कनकवली कुदाल और सांवतवाड़ी रोड पर उपर्युक्त तीन ट्रेनों का रत्नागिरि और सावंतवाड़ी स्टेशनों के बीच ठहराव सुनिश्चित करें।

(छह) उत्तर प्रदेश के फैजाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रसोई गैस सिलेंडरों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराने तथा नई रसोई गैस वितरण एजेंसियों को परमिट दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डॉ. निर्मल खत्री (फ़ैज़ाबाद): मैं पैट्रोलियम मंत्रालय का ध्यान घरेलू कुकिंग गैस (एल.पी.जी.) की कमी की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूं। मेरे लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत जनपद फैजाबाद व जनपद बाराबंकी, दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत घरेलू गैस के वितरण व उपलब्धता की कमी से आम आदमी परेशान है। सुबह से लम्बी-लम्बी लाइनों में लगना व फिर भी गैस न मिलना पिछले एक वर्ष से यही चल रहा है। सरकार इस कमी को दूर करने के लिए संबंधित कम्पनियों को आदेश करे कि वे गैस सिलेंडर की पर्याप्त आपूर्ति करे साथ ही बढ़े गैस उपभोक्ताओं की संख्या के आधार पर गैसे सिलेंडर का कोटा भी बढ़ाया जाये।

इस सिलसिले में मेरा यह भी अनुरोध है कि मेरे लोक सभा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर नये वितरक (एजेंसी) खोले जाने की भी जरूरत है, जो कि इस प्रकार है। जनपद बाराबंकी में रामसनेही घाट तहसील मुख्यालय (भिटरिया) टाउन एरिया दरियाबाद क्षेत्र, टिकैतनगर टाउन एरिया क्षेत्र, और जनपद फैजाबाद में नगरपालिका रूदौली, क्षेत्र टाउन एरिया भदारसा क्षेत्र, टाउन एरिया बीकापुर क्षेत्र, सोहावल तहसील मुख्यालय सुचितागंज बाजार मिल्कीपुर तहसील मुख्यालय इनायत नगर, कुमारगंज बाजार (ब्लाक अमानीगंज) पूराबाजार (ब्लॉक-पूरा), नगरपालिका अयोध्या क्षेत्र, शहर फैजाबाद क्षेत्र। शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक कार्यवाही उपरोक्त संदर्भ में की जाये।

(सात) पंजाब के होशियारपुर जिले के खेलन गांव में फल और सब्जी प्रसंस्करण इकाई आरंभ किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती संतोष चौधरी (होशियारपुर): मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र होशियारपुर (पंजाब) स्ट्रिस फल किन्नू और आलू के लिए मशहूर है, पंजाब सरकार ने किसानों की विपणन समस्या को सुलझाने हेतु होशियारपुर में जहां खेलन गांव में फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण हेतु बहु प्रसंस्करण एकक स्थापित किया है। इस एकक में कुल निवेश लगभग 38 करोड़ है। लेकिन यह एकक कार्य नहीं कर रहा है जिसके बारे में संबंधित विभाग ही बेहतर जानता है। पंजाब सरकार होशियारपुर के किसानों की दयनीय स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ है लेकिन संयंत्र को चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से राज्य सरकार को यह निर्देश देने के लिए विनम्रता से अनुरोध करती हूं कि पंजाब के होशियारपुर जिले जहां खेलन गांव में प्रसंस्करण एक भुज करें ताकि मेरे पिछड़े जिले के किसान कष्ट न उठाएं।

(आठ) देश में बाल विवाह को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री चार्ल्स डिएस (नाम निर्दिष्ट): भारत में कम वजन वाले बच्चों की संख्या विश्व में सर्वाधिक है जिसके गतिशीलता, मृत्यु-दर, उत्पादकता और आर्थिक विकास पर दुष्परिणाम पड़ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2.1 मिलियन भारतीय बच्चे, प्रतिवर्ष पांच वर्ष की उम्र तक पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं अतिसार, टायफाइड, मलेरिया छोटी चेचक और न्यूमोनिया जैसी

प्राय: निवारक बीमारियों से बच्चों की मौत होती है। बच्चों में कुपोषण भारत में होने वाली 22% बीमारियों के लिए जिम्मेदार है। भारत में बीमार बच्चों का एक मुख्य कारण यह है कि लड़कियों की शादी अठारह वर्ष की आयु प्राप्त होने के पहले जबरन कर दी जाती है। कम उम्र की माताएं सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े तबके से तालुकात रखती हैं। वे बुनियादी शिक्षा से वंचित होती हैं और उन्हें गर्भधारण करने के लिए बाध्य किया जाता है जो स्वाभाविक रूप से बीमार पैदा होते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर तबकों की युवतियों को कम उम्र में विवाह करने का और उचित चिकित्सा सुविधा के बिना गर्भधारण के लिए बाध्य किया जाता है। ये अस्वस्थ्य गर्भवती लड़कियां स्वाभाविक रूप से कमजोर और अल्पपोषित बच्चे को जन्म देती हैं। चूंकि कोई उचित मार्ग-निर्देश और नियंत्रण नहीं है और कानून भी ऐसे दूरस्थ गांवों में लागू नहीं किया जा सकता जहां पुरुषों का वर्चस्व ही आम तौर पर कानून है। इसके कारण विकलांगता वाले कुपोषित बच्चों की पीढ़ियां पैदा हो रही हैं। सरकार को समस्या की गंभीरता का अध्ययन करना चाहिए और उसे अठारह वर्ष से पहले लड़कियों की शादी को रोकने का प्रयास करना चाहिए। लड़कियों की अठारह वर्ष से पहले शादी को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करने पर सरकार को अविलंबनीय ध्यान देने की आवश्यकता है हम साधनहीन बच्चों को योजनाबद्ध तरीके से खाद्य प्रदान कर भविष्य की योजना बनाएं ताकि भारत आने वाले दिनों में अपने लोगों की प्रगति को गर्व से देख सके।

(नौ) छत्तीसगढ़ में रायपुर और दुर्ग के बीच विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 पर एक फ्लाई-ओवर का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

कुमारी सरोज पाण्डेय (दुर्ग): छत्तीसगढ़ राज्य में रायपुर और दुर्ग दो महत्वपूर्ण शहर हैं जो आस पास स्थित हैं और दोनों के बीच की दूरी लगभग 36 किलोमीटर है, रायपुर राज्य की राजधानी है और दुर्ग एक बड़ा शैक्षणिक और औद्योगिक केन्द्र है इस वजह दोनों शहरों के बीच भारी आवाजाही हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा राज्य गठन के पश्चात दोनों शहरों के आकार में भी वृद्धि हुई है तथा दोनों शहर लगभग आपस में जुड़ गए हैं। इन दोनों शहरों के आकार में भी वृद्धि हुई है तथा दोनों शहर लगभग आपस में जुड़ गए हैं। इन दोनों शहरों को जोड़ने वाली एकमात्र सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 6 है जो कि एक सबसे व्यस्ततम राजमार्ग है और आज की परिस्थिति में यह राजमार्ग इस संड़क से गुजरने वाले यातायात के लिए नाकाफी सिद्ध हो रहा है। इस सड़क से लंबी दूरी की गाड़ियां गुजरती हैं तथा स्थानीय यातायात के बढ़ने के कारण इस सड़क में होने वाली में दुर्घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इसमें अक्सर उन निर्दोष लोगों की जानें जाती हैं जो रोजीरोटी या अन्य कार्यो से दोनों शहरों के बीच सफर करते हैं।

अत: आज की परिस्थिति को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि लंबी दूरी के यातायात के लिए एक अलग सड़क बनायी जाये तथा स्थानीय यातायात के लिए अलग चूंकि एक नयी सड़क के निर्माण में भूमि उपलब्धता एक बहुत बड़ी समस्या है तथा इसमें समय भी काफी ज्यादा लगने की संभावना है। अत: यह उचित होगा कि वर्तमान सड़क के ऊपर ही एक लंबा फलाई ओवर बनकर दोनों यातायात को अलग अलग कर दिया जाये जिससे लंबी दूरी का यातायात भी बिना किसी रूकावट के चला जाए और स्थानीय और स्थानीय यातायात भी सुरक्षापूर्वक चलता रहे।

(दस) वन क्षेत्रों में, विशेष रूप से गुजरात के साबरकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों को अनुमति देने के लिए वन कानूनों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): गुजरात के मेरे साबरकांठा संसदीय क्षेत्र के सुदूर ग्रामीण आदिवासी इलाकों में देश की आजादी के वक्त की बनी हुई सड़कें जर्जर तथा खस्ताहाल हैं। लेकिन वन विभाग के आदिम कानूनों के चलते इन सड़कों को दोबारा डामर आदि डालकर बनाने की किसी को अनुमति नहीं है। सड़कों का अच्छी हालत में होना किसी भी क्षेत्र के विकास की पहली शर्त है। सदियों से जंगलों में निवास करने वाले आदिवासियों के जीवनस्तर में कोई गुणात्मक सुधार नहीं होने का एक महत्वपूर्ण कारण वहां की सड़कों का अच्छी हालत में नहीं होना है। शायद यही वजह है कि सरकार की आदिवासियों के कल्याण की बहुत सी योजनाएं विफलता की शिकार होती हैं और आदिवासियों के जीवन आंगन में खुशहाली की कोई किरण नहीं पहुंच पाती है। सरकार की तमाम योजनाओं के बावजूद आदिवासी समुदाय की सड़कें दुरूस्त नहीं होने की वजह से जंगली जीवन जीने के लिए अभिशप्त हैं। इन्हीं वन कानूनों के चलते आदिवासी बस्तियों में इंदिरा आवास बनाने की सामग्री, पीने के पानी की पाइप लाइन तथा बिजली के खम्भे लगाने की मनाही है। किसी क्षेत्र के विकास के लिहाज से यह मूलभूत सुविधाएं अति आवश्यक हैं।

अत: सरकार से मेरा अनुरोध है कि पुराने वन कानूनों में मानवीय धरातल पर बदलाव करके बनवासी आदिवासियों के जीवन को बेहतर बनाने का मार्ग प्रशस्त करने की कृपा करें।

(ग्यारह) आगरा तथा देश के महानगरों के बीच विमान सेवा आरंभ किए जाने की आवश्यकता

प्रो. रामशंकर (आगरा): मेरे लोक सभा क्षेत्र आगरा में आजकल प्रतिदिन 50 हजार से 70 हजार तक देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। देशी विदेशी पर्यटकों के साथ-साथ देशभर से पढ़ने वाले छात्र, जूता उद्योग से जुड़े व्यापारी एवं मथुरा में बड़ी संख्या में

दर्शनार्थी आते हैं, किन्तु आगरा में हवाई यातायात की स्थाई व्यवस्था के अभाव में उनकों बड़ी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। हमारी मांग है कि आगरा जैसे ऐतिहासिक एवं विश्व धरोहर को देश के प्रमुख मैट्रोसिटी से हवाई यातायात से जोड़ा जाये तथा प्रमुख उड़ानों जैसे दिल्ली से आगरा, लखनऊ, वाराणसी एवं दिल्ली से आगरा, जयपुर, मुम्बई, गोवा, बंगलौर को हवाई यातायात हेतु अविलंब आपस में जोड़ा जाये।

(बारह) विदेश स्थित भारतीय उच्चायोगों का नाम बदलकर 'भारतीय दूतावास' तथा उनके प्रमुखों का नाम 'भारत के राजदूत' किए जाने की आवश्यकता

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): विदेशों में स्थित हमारे राजनयिक कार्यालय व राजनयिक प्रमुख नामकरण की दृष्टि से दो श्रेणियों में बांटे हुए हैं। कुछ देशों में हम उन्हें क्रमश: उच्चायोग तथा उच्चायुक्त कहते हैं जबकि अन्य देशों में दूतावास तथा राजदूत। इन नामभेद का आखिर क्या कारण है तथा इसका क्या उद्देश्य हैं। स्वाभाविक रूप से उच्चायोग व उच्चायुक्त नामकरण हमें यहीं याद दिलाता है कि हम अंग्रेजों के अधीन रहे हैं जो सम्पूर्ण राष्ट्रीय मनोविज्ञान में हीनभावना का निर्माण करता है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस नामभेद को तुरन्त समाप्त किया जाये तथा सभी देशों में स्थित हमारे राजनयिक कार्यालयों को दूतावास तथा अधिकारियों को राजदूत के नाम से जाना जाये।

(तेरह) उत्तर प्रदेश में वाराणसी-सिंगरौली इंटरसिटी एक्सप्रेस को शक्तिनगर तक तथा बापूधाम एक्सप्रेस को बरास्ता चुनार और चोपण होते हुए शक्तिनगर तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री पकौड़ी लाल (रॉबर्ट्सगंज): मेरा संसदीय क्षेत्र 80 राबर्ट्सगंज (उ.प्र.) एक उद्योग प्रधान क्षेत्र है जहां एन.टी.पी.सी. की कई परियोजनाएं, एन.सी.एल. की 14 परियोजनाएं, हिण्डालकों इण्डस्ट्रीज की तीन परियोजनाएं, रिलायन्स की दो परियोजनाएं लैको की परियोजनाएं एवं अनेक छोटी-छोटी परियोजनाएं विद्यमान हैं जो शक्तिनगर रेलवे स्टेशन सेंटर के चारों तरफ स्थापित हैं। अनेक प्रांतों के लोग रोजी-राटी के लिए आते रहते हैं एवं बसे हुए हैं। यहां आवश्यकता के अनुरूप ट्रेन नहीं चलाई जाती हैं। जिससे जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस क्षेत्र से केन्द्र एवं प्रदेश सरकार को भारी राजस्व की प्राप्ति होती है। रेलवे संबंधी समस्या निम्न है।

1. वाराणसी-सिंगरौली इन्टरसिटी ट्रेन संख्या 13345/13346 को वाराणसी से शक्तिनगर चलाया जाए। इस ट्रेन की समय सारणी ठीक करते हुए दोनों ओर से 15103/15104 गोरखपुर वाराणसी ट्रेन में लिंक कर दिया जाये।

2. ट्रेन नं. 12537/12538 बापू धाम एक्सप्रेस का मार्ग विस्तार चुनार-चोपन होते हुए शक्तिनगर पू.म. रेलवे तक चलाया जाए।

(चौदह) शिक्षा का अधिकार अधिनियम की भावना के अनुरूप बालकों की शिक्षण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संस्थानों की स्थापना करने हेतु राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती सीमा उपाध्याय (फतेहपुर सीकरी): देश में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने मामले में शिक्षा अधिकार कानून वर्ष 2010 से लागू है पर बच्चों की शिकायतों पर ध्यान देने के प्रावधान के बावजूद इस पर कुछ राज्यों में अमल नहीं हो रहा है। शिकायतों के लिए राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन पर कुछ राज्यों में बच्चों के शिकायतों की सुनवाई के लिए तंत्र स्थापित नहीं किए हैं।

दूसरी ओर देश में कराए गए एक सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है कि जो बच्चे प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते हैं, वह पांचवीं कक्षा तक 2 से 10 तक का टेबल कंठस्थ नहीं कर पाते। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वे बमुश्किल शब्दों को जोड़कर वाक्य बना पाते हैं, जो अत्यंत चिंता की बात है।

मेरी मांग है कि गिरते शिक्षा स्तर को सुधारने हेतु एवं बच्चों की शिकायतों को दूर करने के लिए अविलम्ब आवश्यक सभी कदम उठाये जायें, जिससे अध्ययनरत बच्चों को अच्छी शिच्छा प्राप्त हो सके।

(पंद्रह) बिहार में पूर्व-मध्य रेलवे के अंतर्गत सिमरी बख्तियारपुर, हसनपुर रोड और महेशखुंट को आदर्श स्टेशनों के रूप में उन्नयन किए जाने की आवश्यकता

श्री दिनेश चन्द्र यादव (खगड़िया): बिहार राज्य के अन्तर्गत पूर्व-मध्य रेलवे के रेल मंडल समस्तीपुर में सिमरी बख्तियारपुर एवं हसनपुर रोड तथा रेल मंडल सोनपुर में महेंशखुंट रेलवे स्टेशन महत्वपूर्ण स्टेशनों में है। यहां से बड़ी संख्या में रेल यात्री यात्रा करते हैं। रेल यात्रियों की सुविधाओं में भारी कमी है।

आग्रह है कि सिमरी बख्तियारपुर, हसनपुर रोड तथा महेंशखुंट रेलवे स्टेशनों को आदर्श स्टेशन बनाकर रेल यात्रियों को सुविधा दी जाये।

(सोलह) एंटीबायोटिक के अवांछनीय प्रयोग तथा मानव स्वास्थ्य पर उनके नकारात्मक प्रभावों के बारे में जागरुकता फैलाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डॉ. रत्ना डे (हुगली): विवादास्पद औषधियों पर प्रतिबंध हाल-फिलहाल आम बात हो गई है। हाल में भारत सरकार के

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 6 विवादास्पद औषधियों पर प्रतिबंध लगाने का एक प्रशंसनीय निर्णय लिया है। यह एक स्वागतयोग्य कदम है। लेकिन मैं एंटीबायोटिक पर बल देना चाहती हूं जो एक विशेष औषधि है।

अस्पतालों और चिकित्सालयों में आम परंपरा यह है कि जब ज्वर नियंत्रित नहीं होता है तो चिकित्सक एंटीबायोटिक लिखते हैं जो एक गलत प्रक्रिया है। केवल आपदाक्षिक मामलों में एंटीबायोटिक की शिफारिश की जानी चाहिए। एंटीबायोटिक का प्रयोग करने से गंभीर परिणाम होगा।

इन सभी में एक दूसरी परेशान करने वाली प्रवृत्ति यह है कि फार्मासिस्ट बिना नुस्खे के एंटीबायोटिक्स देते हैं और कभी-कभी मरीज भी स्वयं इन्हें ले लेते हैं जिसमें कई मामलों में खतरनाक स्थिति बन जाती है। कई बार इन औषधियों का दुष्प्रभाव समझे बिना चिकित्सक सिफारिश करते हैं। गलत तरीके से एंटीबायोटिक खाने से बचा जाना चाहिए।

इन परिस्थितियों में मैं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री से पुरजोर मांग करूंगी कि वे एंटीबायोटिक के दुष्प्रभाव को उजागर करते हुए शहरी, ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों दोनों में गंभीरता से और निरंतर अभियान चलाए; एंटीबायोटिक के दुरुपयोग के लिए विनिर्माताओं फार्मासिस्टों और चिकित्सकों पर दंड लगाया जाना चाहिए क्योंकि इससे बहुत अधिक दुष्प्रभाव सामने आएंगे।

(सत्रह) दक्षिण पेन्नार नदी पर चेक-डैम के प्रस्तावित निर्माण को रोकने के लिए कर्नाटक सरकार को राजी किए जाने की आवश्यकता

श्री ई.जी. सुगावनम (कृष्णागिरि): दक्षिण पेन्नार नदी (थेनपेनेयर) जिसका उद्‌गम स्थान कर्नाटक है, वह तमिलनाडु में कोडियलम झील पहुंचने के पहले माडीवला, अगाटम, बेलांडुर, वर्थर होते हुए बहती है। यहां से वह होशूर में केलेवारापल्ली बांध पहुंचती है। कृष्णागिरि जिले में लगभग 36,000 एकड़ कृषि योग्य भूमि को इससे सिंचाई सुविधा प्राप्त है। कृष्णागिरि जिले के लोग मुख्य रूप से पेय जल और औद्योगिक विकास हेतु भी इस नदी पर निर्भर हैं केलावारापल्ली बांध से लगभग 2,000 और 9000 एकड़ कृषि भूमि क्रमशः कोडियकम चेक बांध की ऊंचाई होती है। केआरपी बांध जो कृष्णागिरि बांध कहलाता है, 19,000 एकड़ से अधिक कृषि योग्य भूमि को भी सिंचाई सुविधा प्रदान करता है।

दक्षिण पेन्नार नदी गन्ना, धान, रागी, पत्तागोभी, आलू, बीन्स, बैंगन, केला, आम और विभिन्न फल, फूल, पान, सुपारी, नारियल आदि जैसे विभिन्न मौसमी फसलों की सिंचाई करती है। जो कृष्णागिरि जिले के लोगों के जीवनयापन का साधन हैं।

यद्यपि दक्षिण पेन्नार नदी का उद्‌गम स्थल कर्नाटक है और यह सदियों से तमिलनाडु में संपूर्ण कृष्णागिरि जिले के लिए जल का एकमात्र स्रोत है।

तथापि, कर्नाटक सरकार बंगलौर के निकट दक्षिण पेन्नार नदी पर एक चेक डैम का निर्माण करने की योजना बना रही है और वारा थुर और सिंडाहल्ली झीलों के वरास्ते कर्नाटक राज्य के लिए नदी जल का प्रवाह बदलने का प्रस्ताव किया है। यदि इस प्रस्ताव को क्रियान्वित किया जाता है तो कृष्णागिरि जल्द ही मरुस्थल बन जाएगा और कृषि भूमि अनुर्वर और बंजर बन जाएगी और लोगों को अपने जीवनयापन और पेय जल प्राप्त करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा।

अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और कर्नाटक सरकार को दक्षिण पेन्नार नदी (थेनपेनेय्यर) पर चेक बांध के प्रस्तावित निर्माण को रोकने के लिए निर्देश दें और यह सुनिश्चित करें कि तमिलनाडु में प्रवाहित होने वाले इस नदी जल को कर्नाटक की ओर न ले जाया जाए।

(अठारह) पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री पुलीन बिहारी बासके (झारग्राम): मेरे झारग्राम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक भी केन्द्रीय विद्यालय नहीं हैं। यह जंगलमहल में हैं जो सर्वाधिक माओवादी प्रभावित है। झारग्राम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र झारखंड और ओडिशा से घिरा हुआ है। यहां रह रहे अधिकांश लोग अनु.जा., अनु.ज.जा. और अपिव के हैं और शिक्षा से वंचित हैं। सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि पड़ोसी मिदनापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में छह केन्द्रीय विद्यालय हैं। लेकिन मेरे झारग्राम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक भी केन्द्रीय विद्यालय नहीं हैं। वहां भूमि और बुनियादी ढांचा भी उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल सरकार ने झारग्राम को एक नया जिला घोषित किया है। दुर्भाग्यवश इस क्षेत्र के लोग उच्च शिक्षा से वंचित हैं। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि वे अनुजा. अनु.ज.जा. के लोगों में बड़े पैमाने पर शिक्षा के प्रसार के लिए झारग्राम में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करें।

(उन्नीस) यमुना नदी के जल में राजस्थान के हिस्से संबंधी मुद्दे का समाधान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा (दौसा): दिनांक 12.5.94 को बेसिन राज्यों हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली संघीय

राज्यों के मध्य हुए समझौते के अनुरूप राजस्थान को 1.119 बीसीएम यमुना जल आबंटित किया गया। अपर यमुना नदी बोर्ड की 22वीं बैठक जो कि दिनांक 21.12.2001 को आयोजित हुई उसमें राजस्थान का मानसून सत्र में ताजेवाला हैडवर्क्स से 1917 क्यूसेक तथा ओखला हैडवर्क्स से 1281 क्यूसेक यमुना जल का आबंटन किया गया। राज्य ने इस जल को भरतपुर एवं चरू-झुंझुनूं जिलों में उपयोग हेतु दो प्रस्ताव (कार्य योजना) तैयार की है। केन्द्रीय जल आयोग ने हरियाणा से इस पर सहमति लेने की शर्त पर इन परियोजनाओं को मंजूरी दी। दिनांक 14.2.03 को हरियाणा राज्य को सहमति हेतु एमओयू भेजा गया था। हरियाणा ने ताजेवाला हैड से यमुना जल के आबंटन पर इस आधार पर असहमति दर्शायी कि ताजेवाला हैड पर आबंटित जल, हरियाणा द्वारा ताजेवाला पर विद्यमान जल के उपयोग की रक्षा नहीं करता है, इसलिए उसने यह प्रकरण अपर यमुना रिव्यू कमेटी को प्रेषित कर दिया।

अपर यमुना रिव्यू कमेटी की दिनांक 12.4.06 की बैठक में राजस्थान को ताजेवाला से जल उपलब्धता के बारे में अपर यमुना रिव्यू कमेटी के निर्णयों के परिपेक्ष्य में इस मुद्दे पर ताजा विचार करने हेतु राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश, राज्यों के सिंचाई/जल संसाधन सचिवों की एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया।

हरियाणा एवं राजस्थान राज्यों के बीच ताजेवाला हैडवर्क्स पर पानी की उपलब्धता पर कोई मतभेद नहीं था। दोनों के विचारों में यह समानता थी कि राजस्थान के चुरू एवं झुंझुनूं जिलों के क्षेत्रों को ताजेवाला हैडवर्क्स से पानी उपलब्ध कराया जा सकता है। लेकिन पानी को राजस्थान सीमा तक पहुंचाने हेतु नहरी तंत्र के विषय में सहमति नहीं बन पाई। हरियाणा का विचार था कि राजस्थान वेस्टर्न यमुना केनाल, दिल्ली ब्रांच, जे.एल.एन. फीडर के समान्तर एक नई नहर का निर्माण राजस्थान सीमा तक करके पानी ले जावें। जबकि राजस्थान का विचार था कि ताजेवाला से वेस्टर्न यमुना कैनाल एवं इसकी प्रणाली को रिमोडल करके पानी राजस्थान सीमा तक पहुंचाना तकनीकी-वित्तीय दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ रहेगा।

एम्पावर्ड कमेटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट दिनांक 29.12.2007 को केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रायल, भारत सरकार को अपर यमुना रिव्यू कमेटी के समक्ष विचारार्थ के लिए प्रेषित कर दी।

दिनांक 19.06.2009 को जयपुर में हरियाणा राज्य की ओर से माननीय मुख्यमंत्री, सिचांई मंत्री, प्रमुख शासन सचिव, सिंचाई विभाग ने तथा राजस्थान राज्य की ओर से माननीय मुख्यमंत्री, जल संसाधन मंत्री तथा प्रमुख शासन सचिव जल संसाधन राजस्थान ने दोनों राज्यों के मध्य विभिन्न विषयों पर आपसी विचार विमर्श किया। जिसमें राजस्थान में हरियाणा राज्य में से होकर ताजेवाला हैडवर्क्स से यमुना जल लाने के विषय पर विचार विमर्श किया गया एवं तय किया गया कि हरियाणा एवं राजस्थान के प्रमुख शासन सचिव मिलकर राजस्थान को यमुना जल देने हेतु विचार करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान ने अपने पत्र दिनांक 7.4.2010 द्वारा जल संसाधन मंत्री, भारत सरकार से निवेदन किया है कि वे हरियाणा से कहे कि केन्द्रीय जल आयोग से स्वीकृति प्रस्ताव के अनुसार ताजेवाला एवं ओखला बैराज से ही चुरू, झुंझुनूं व भरतपुर जिलों को पानी देने वाली परियोजना रिपोर्ट पर वह अपनी सहमति भेजे। इसी दौरान पत्रांक 15.12.09 के द्वारा मुख्यमंत्री, हरियाणा ने केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री से आग्रह किया कि वह अध्यक्ष, अपर यमुना रीवर बोर्ड को निर्देशित करे तथा हरियाणा तथा राजस्थान के मुख्य अभियंताओं की एक बैठक आयोजित करे, जिसमें राजस्थान को ताजेवाला की बजाय माबी (जिला पानीपत) पर एक बैराज बनाकर यमुना जल देने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया जाये। किन्तु, इस संबंध में दिनांक 13.4.2010 को अध्यक्ष अपर यमुना रीवर बोर्ड ने हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा केन्द्रीय जल आयोग के मुख्य अभियंताओं की एक बैठक आयोजित की, जिसमें अध्यक्ष, अपर यमुना रीवर बोर्ड ने माबी पर बनने वाले प्रस्तावित बैराज के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि के आकलन का कार्य उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा को दिया। माबी पर जल उपलब्धतता के आंकड़ों के आकलन का कार्य केन्द्र जल आयोग को दिया गया। हरियाणा से अभी तक कोई प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

अपर यमुना रिव्यू कमेटी के बैठक के दिनांक 19.7.2011 को नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें राजस्थान की ओर से माननीय जल संसाधन मंत्री, अतिरिक्त मुख्य सचिव, जल संसाधन ने भाग लिया। इस बैठक में विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया गया। अपर यमुना रिव्यू कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि राजस्थान को ताजेवाला हैडवर्क्स से आबंटित जल के प्रकरण को हरियाणा तथा राजस्थान आपसी सहमति से सुलझाये, यदि जरूरत हो तो इस प्रकारण को सुलझाने के लिए केन्द्रीय जल आयोग की मदद भी ली सकती है। अतः केन्द्र इस समस्या इस समस्या का निपटरा शीघ्र करे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब हम शून्य काल पर चर्चा करेंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: प्लीज, आप लोग बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः मैं शून्य काल शुरू करने जा रही हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयाः बैठ, जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः जी, प्रतिपक्ष के नेता।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्ष जी, ...*(व्यवधान)* आप मेरी बात सुनिए, मैं आपकी ही बात कह रही हूं। ...*(व्यवधान)* रूक जाइए। अध्यक्ष जी, पिछले एक सप्ताह से हमारे तेलंगाना के ये साथी वेल में आकर अपनी वेदना की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। कल बजट को पारित करने की अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी समझते हुए ये सदन से बाहर चले गए और बजट भी पारित हो गया, लेकिन आज पुनः ये वेल में हैं। आज प्रधानमंत्री जी और नेता सदन दोनों सदन में बैठे हैं, उनकी उपस्थिति का लाभ उठाते हुऐ मैं यह कहना चाहती हूं कि न तो आप तेलंगाना का निर्माण कर रहे हैं और न आप आप इन लोगों से बात कर रहे हैं। न इनको पांच मिनट अपनी बात कहने का मौका दे रहे हैं। एक तो मेरी आपसे अनुनय विनय है ...*(व्यवधान)* एक तो मेरी आपसे विनती है कि सदन को सही रूप से चलाने के लिए आप पांच-पांच मिनट इन्हें बोलने का मौका दे दें, जैसे आप पहले देती रही हैं, उसके बाद सदन चल जाता है। दूसरा, मैं सरकार से कहना चाहती हूं, मैं प्रधानमंत्री जी ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः एक मिनट, आपने मुझे कहा, इसलिए मैं कह देना चाहती हूं कि कल भी और उससे पहले भी मैंने इनसे अनुरोध किया था कि हम आपको बोलने का मौका देंगे।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराजः आज आप कह देंगी तो जरूर ये अपनी-अपनी बात कहेंगे, लेकिन मैं कह रही हूं ...*(व्यवधान)* अध्यक्ष जी, तेलंगाना में आत्महत्या पर आत्महत्या हो रही है। ...*(व्यवधान)* दो लोग पहले मरे ...*(व्यवधान)* आज दो महिलायें मरीं, आज दो महिलाओं ने आत्महत्या की है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयाः आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः हमें सभा को चलाने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयाः प्लीज, आप लोग वापस जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः प्लीज, वापस जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः अगर आप लोग बोलना चाह रहे हैं, तो आपको हम बोलने का मौका देंगे।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराजः अगर सरकार इस तरह का प्रस्ताव लेकर आए तो हम साथ देकर पारित करायेंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः अब सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.10 बजे

तत्पश्चात लोक सभा अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 02.00 बजे

लोक सभा अपराह्न दो बजे पुन: समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर वापस जाइए।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न $2.0^1/_4$ बजे

इस समय श्री राजय्या सिरिसिल्ला और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: किसी की कोई बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

...*(व्यवधान)* *

[अनुवाद]

अपराह्न $2.0^1/_4$ बजे

इस समय श्री रमेश राठौड़ सभा पटल के निकट आगे आकर फर्श पर खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप लोग अगर बोलना चाहते हैं तो अपनी सीट पर जाकर बोले।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: हम आप सभी को बोलने का मौका देंगे।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: हम इस बारे में सरकार को निर्देश नहीं दे सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा कल 29 मार्च, 2012 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.02 बजे

तत्पश्चात लोक सभा गुरुवार दिनांक 29 मार्च, 2012, चैत्र, 1934 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्न संख्या
1.	श्री पी. विश्वनाथन	201
2.	श्री प्रबोध पांडा श्री पी.आर. नटराजन	202
3.	श्री रामकिशुन श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो	203
4.	श्री के.पी. धनपाल श्री ई.जी. सुगावनम	204
5.	श्री अधल राव पाटील शिवाजी श्री बलीराम जाधव	205
6.	श्री बदरूद्दीन अजमल श्री जगदीश ठाकोर	206
7.	श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर श्री आनंद प्रकाश परांजपे	207
8.	श्रीमती सुशीला सरोज श्रीमती ऊषा वर्मा	208
9.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव श्री नरहरि महतो	209
10.	श्री माणिकराव होडल्या गावित	210
11.	श्रीमती सुमित्रा महाजन राजकुमारी रत्नासिंह	211
12.	श्री अर्जुन राय श्री पी. कुमार	212
13.	श्री अनंत कुमार श्री प्रदीप कुमार सिंह	213
14.	श्री अदगुरू एच. विश्वनाथ श्री ए.टी. नाना पाटील	214
15.	श्रीमती मीना सिंह	215
16.	श्रीकालीकेश नारायण सिंह देव	216
17.	श्री असादूद्दीन ओवेसी श्री नामा नागेश्वर राव	217
18.	श्री बंस गोपाल चौधरी श्री पी. करुणाकरन	218
19.	श्री हरिन पाठक	219
20.	श्री अब्दुल रहमान	220

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	2398, 2447, 2474
2.	श्री आनंदराव अडसुल	2398, 2433, 2474
3.	श्री जय प्रकाश अगवाल	2344, 2371, 2506
4.	श्री राजेन्द्र अगवाल	2409, 2484
5.	श्री हंसराज गं. अहीर	2324, 2396, 2408, 2441, 2444
6.	डॉ. रतन सिंह अजनाला	2341, 2467
7.	श्री एम. आनंदन	2379, 2381
8.	श्री अनंत कुमार हेगड़े	2377
9.	श्री सुरेश अंगड़ी	2322
10.	श्री अशोक अर्गल	2412, 2511
11.	श्री कीर्ति आजाद	2328
12.	श्री गजानन ध. बाबर	2398, 2433, 2451
13.	श्रीमती हरसिमरत कौर बादल	2408, 2430, 2471
14.	श्री रमेश बैस	2407
15.	श्री कामेश्वर बैठा	2469, 2481
16.	श्री प्रताप सिंह बाजवा	2361, 2482
17.	डॉ. बलीराम	2463
18.	श्री अम्बिका बनर्जी	2420, 2479
19.	श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर	2393
20.	श्री अवतार सिंह भडाना	2410, 2501, 2502,
21.	श्री ताराचंद भगोरा	2372, 2501, 2502
22.	श्री संजय भोई	2475, 2476, 2500
23.	श्री समीर भुजबल	2436
24.	श्री पी.के. बिजू	2362, 2424, 2467
25.	श्री कुलदीप बिश्नोई	2338, 2349

1	2	3
26.	श्री हेमानंद बिसवाल	2441, 2509
27.	श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला	2326, 2486
28.	श्री सी. शिवासामी	2394, 2474, 2476
29.	श्री पी.सी. चाको	2301
30.	श्रीमती विजया चक्रवर्ती	2493
31.	श्री हरीश चौधरी	2438
32.	श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	2427
33.	श्री संजय सिंह चौहान	2380, 2425, 2487
34.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	2348, 2396, 2525
35.	श्री एन.एस.वी. चित्तन	2406
36.	श्री भूदेव चौधरी	2402, 2498
37.	श्रीमती श्रुति चौधरी	2309, 2422, 2515
38.	श्री अधीर चौधरी	2332, 2520
39.	श्री भक्त चरण दास	2391
40.	श्री खगेन दास	2370, 2409
41.	श्री राम सुन्दर दास	2435, 2458
42.	श्री गुरुदास दासगुप्त	2401, 2497
43.	श्रीमती दीपा दासमुंशी	2416, 2443, 2486
44.	श्री कालीकेश नारायण सिंह देव	2481 2482
45.	श्रीमती अश्वमेध देवी	2364, 2507
46.	श्रीमती रमा देवी	2335, 2439, 2472, 2522
47.	श्री आर. ध्रुवनारायण	2355, 2529
48.	श्रीमती ज्योति धुर्वे	2404, 2450, 2485
49.	श्री निशिकांत दुबे	2427, 2449
50.	श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर	2389, 2487
51.	श्रीमती प्रिया दत्त	2363, 2398
52.	श्री मुकेश भैरवादानजी गढ़वी	2486

1	2	3
53.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	2476, 2500
54.	श्रीमती मेनका गांधी	2421
55.	श्री वरुण गांधी	2396, 2405
56.	श्री ए. गणेशमूर्ति	2366
57.	डॉ. काकोली घोष दस्तिदार	2433
58.	श्री एल. राजगोपाल	2375
59.	श्री शिवराम गौडा	2319, 2387, 2487
60.	श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	2387, 2485
61.	डॉ. सुचारू रंजन हल्दर	2392, 2485
62.	श्री मोहम्मद असरारुल हक	2468
63.	श्री महेश्वर हजारी	2477, 2478, 2512,
64.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	2402, 2442
65.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	2322, 2492
66.	श्री बलीराम जाधव	2473, 2489
67.	डॉ. संजय जायसवाल	2402, 2411, 2461
68.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	2373, 2439, 2472, 2481, 2492
69.	श्रीमती दर्शना जरदोश	2359, 2483, 2496
70.	श्री हरिभाऊ जावले	2315, 2411, 2444, 2449
71.	श्री कैलाश जोशी	2327
72.	श्री महेश जोशी	2440
73.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी	2437
74.	श्री प्रहलाद जोशी	2343, 2441, 2509
75.	डॉ. ज्योति मिर्धा	2422
76.	श्री के. शिवकुमार उर्फ जे.के. रितीश	2453
77.	श्री कपिल मुनि करवारिया	2435
78.	श्री वीरेन्द्र कश्यप	2411, 2504, 2505

1	2	3
79.	श्री राम सिंह कस्वां	2396, 2478, 2486, 2490
80.	श्री लालचंद कटारिया	2395, 2493
81.	श्री नलिन कुमार कटील	2408
82.	श्री काट्टी रमेश विश्वनाथ	2414, 2486
83.	श्री कौशलेन्द्र कुमार	2507
84.	श्री चंद्रकांत खैरे	2365, 2442
85.	डॉ. कृपारानी किल्ली	2310
86.	डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	2311
87.	श्री कमल किशोर 'कमांडो'	2452
88.	श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे	2340, 2394, 2445, 2508
89.	श्री एन. कृष्टप्प	2370, 2409
90.	श्री जी.वी. हर्ष कुमार	2336
91.	श्री विश्व मोहन कुमार	2455
92.	श्री अजय कुमार	2476
93.	श्री पी. कुमार	2511, 2516
94.	श्रीमती चन्द्रेश कुमारी	2413
95.	श्री एन. पीताम्बर करूप	2325, 2375, 2485, 2495
96.	श्री यशवंत लागुरी	2304, 2426, 2481
97.	श्री पी. लिंगम	2401, 2497
98.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	2360, 2374, 2530
99.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	2479
100.	श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो	2507
101.	श्री नरहरि महतो	2316, 2408, 2486
102.	श्री भर्तृहरि महताब	2429
103.	श्री प्रदीप माझी	2384, 2466
104.	श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार	2408, 2481

1	2	3
105.	श्री जोस के. मणि	2441
106.	श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोड	2463
107.	श्री रघुवीर सिंह मीणा	2410, 2501, 2502
108.	श्री दत्ता मेघे	2482
109.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	2399, 2456, 2511
110.	डॉ. थोकचोम मैन्या	2454
111.	श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र	2423
112.	श्री सोमेन मित्रा	2483
113.	श्री गोपीनाथ मुंडे	2407
114.	श्री विलास मुत्तेमवार	2401, 2434
115.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	2445, 2486
116.	डॉ. संजीव गणेश नाईक	2400, 2401
117.	श्री नामा नागेश्वर राव	2494
118.	श्री इंदर सिंह नामधारी	2378, 2486
119.	श्री जफर अली नकवी	2346, 2504
120.	श्री नारनभाई कछाड़िया	2404, 2450, 2485, 2496
121.	कुमारी मीनाक्षी नटराजन	2470, 2511
122.	श्री संजय निरुपम	2479, 2509
123.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	2513
124.	श्री पी.आर. नटराजन	2481, 2486
125.	श्री जगदम्बिका पाल	2397, 2500
126.	श्री वैजयंत पांडा	2417, 2490
127.	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	2314, 2443, 2481
128.	कुमारी सरोज पाण्डेय	2346, 2383, 2504
129.	डॉ. विनय कुमार पाण्डेय	2392, 2485,
130.	श्री जयराम पांगी	2428
131.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	2476, 2500

1	2	3
132.	श्री देवजी एम. पटेल	2425, 2471, 2490
133.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	2486
134.	श्री बाल कुमार पटेल	2441
135.	श्री किशनभाई वी. पटेल	2384, 2466
136.	श्री हरिन पाठक	2483
137.	श्री संजय दिना पाटील	2400, 2401
138.	श्री ए.टी. नाना पाटील	2484
139.	श्रीमती भावना पाटील गवली	2394, 2487
140.	श्री सी.आर. पाटिल	2305
141.	श्री दानवे रावसाहेब पाटील	2396
142.	श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर	2475, 2476, 2500
143.	डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील	2473, 2489
144.	श्रीमती कमला देवी पटले	2339, 2425
145.	श्री पोन्नम प्रभाकर	2350, 2486
146.	श्री नित्यानंद प्रधान	2417, 2490
147.	श्री प्रेमचंद गुड्डू	2390
148.	श्री प्रेमदास	2314, 2443
149.	श्री पन्ना लाल पुनिया	2382
150.	श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ	2464
151.	श्री एम.के. राघवन	2396, 2460, 2509
152.	श्री बी.वाई. राघवेन्द्रन	2319, 2408
153.	श्री अब्दुल रहमान	2485
154.	श्री रमाशंकर राजभर	2385, 2426
155.	श्री सी. राजेन्द्रन	2425, 2495
156.	श्री एम.बी. राजेश	2369,
157.	श्री पूर्णमासी राम	2303, 2318, 2415, 2471

1	2	3
158.	श्री कादिर राणा	2431, 2456
159.	श्री राजेन्द्र सिंह राणा	2456
160.	श्री निलेश नारायण राणे	2329, 2338
161.	श्री के. नारायण राव	2465, 2486
162.	श्री रायापति सांबासिवा राव	2333, 2374
163.	श्री जे.एम. आरुन रशीद	2410, 2501, 2502
164.	श्री रमेश राठौड़	2370, 2409
165.	श्री रामसिंह राठवा	2457, 2481
166.	डॉ. रत्ना डे	2506
167.	श्री अर्जुन राय	2480
168.	श्री विष्णु पद राय	2354
169.	श्री रुद्रमाधव राय	2313, 2498
170.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	2307, 2394, 2511, 2526
171.	श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी	2329, 2494
172.	श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	2330, 2467
173.	श्री नृपेन्द नाथ राय	2316, 2408, 2486
174.	श्री एस. अलागिरी	2329, 2503
175.	श्री एस. सेम्मलई	2481, 2510
176.	श्री एस. पक्कीरप्पा	2302, 2457
177.	श्री एस.आर. जेयदुरई	2387, 2404
178.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	2306, 2518
179.	श्री ए. सम्पत	2383
180.	श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना	2371
181.	श्रीमती सुशीला सरोज	2477, 2478, 2512
182.	श्री तूफानी सरोज	2439, 2474
183.	श्री हमदुल्लाह सईद	2302, 2489, 2511, 2514

1	2	3
184.	श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया	2400
185.	श्रीमती जे. शांता	2342, 2511, 2523
186.	डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा	2368
187.	श्री जगदीश शर्मा	2434
188.	श्री नीरज शेखर	2379, 2488, 2489, 2490, 2500
189.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	2331, 2396, 2519
190.	श्री एंटो एंटोनी	2376
191.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	2352, 2474, 2527
192.	डॉ. भोला सिंह	2498
193.	श्री भूपेन्द्र सिंह	2312, 2432
194.	श्री गणेश सिंह	2467, 2510
195.	श्री इज्यराज सिंह	2426, 2438, 2462, 2503
196.	श्री जगदानंद सिंह	2459
197.	श्री के.सी. सिंह 'बाबा'	2367, 2491
198.	श्री मुरारी लाल सिंह	2357, 2408
199.	श्री पशुपति नाथ सिंह	2351, 2427
200.	श्री प्रदीप कुमार सिंह	2449, 2478, 2484
201.	श्री राधा मोहन सिंह	2394, 2448, 2477, 2479, 2506
202.	श्री राकेश सिंह	2358
203.	श्री रतन सिंह	2386, 2499
204.	श्री रवनीत सिंह	2345, 2524
205.	श्री सुशील कुमार सिंह	2303, 2318, 2409, 2471
206.	श्री उदय सिंह	2419
207.	श्री यशवीर सिंह	2379, 2488, 2489, 2490, 2500
208.	श्री रेवती रमण सिंह	2403
209.	श्री राधे मोहन सिंह	2396, 2424
210.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	2377
211.	राजकुमारी रत्ना सिंह	2431, 2481
212.	श्री उदय प्रातप सिंह	2395, 2493
213.	डॉ. संजय सिंह	2439, 2462
214.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	2333, 2375, 2383, 2521
215.	डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	2334, 2396
216.	श्री मकनसिंह सोलंकी	2308
217.	श्री के. सुधाकरण	2508
218.	श्री ई.जी. सुगावनम	2485, 2517
219.	श्री के. सुगुमार	2337, 2409, 2441
220.	श्री कोडिकुन्नील सुरेश	2387, 2404, 2425, 2479, 2485
221.	श्री एन. चेलुवरया स्वामी	2353, 2528
222.	श्री मानिक टैगोर	2347
223.	श्रीमती अन्नू टन्डन	2511
224.	श्री अशोक तंवर	2321, 2383, 2428
225.	श्री मनीष तिवारी	2409
226.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	2411, 2504, 2505
227.	श्री आर. थामराईसेलवन	2385, 2396, 2426, 2460, 2475
228.	श्री पी.टी. थॉमस	2446
229.	श्री मनोहर तिरकी	2408, 2481
230.	श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	2418, 2495
231.	श्री नरेन्द्र सिंह तोमर	2326

1	2	3
232.	श्री जोसेफ टोप्पो	2317, 2495
233.	श्री लक्ष्मण टुडु	2304
234.	श्री शिवकुमारी उदासी	2486
235.	श्रीमती सीमा उपाध्याय	2477, 2478
236.	श्री हर्ष वर्धन	2480
237.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	2373, 2439, 2481, 2499
238.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	2320, 2441, 2447, 2475, 2498
239.	श्री सज्जन वर्मा	2402, 2425

1	2	3
240.	श्रीमती ऊषा वर्मा	2477, 2478, 2512
241.	श्री वीरेन्द्र कुमार	2388
242.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	2323, 2394, 2437
243.	श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े	2444
244.	श्री अंजनकुमार एम. यादव	2322, 2335, 2439, 2522
245.	श्री धर्मेन्द्र यादव	2398, 2433, 2447
246.	श्री दिनेश चन्द्र यादव	2437
247.	प्रो. रंजन प्रसाद यादव	2432, 2481
248.	श्री हुक्मदेव नारायण यादव	2356

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधान मंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	
नागर विमानन	:	204, 207, 217, 219
कोयला	:	201, 218
संचार और सूचना प्रोद्योगिकी	:	202, 203, 209, 211, 212, 213, 220
विदेश	:	215
मानव संसाधन विकास	:	205, 206, 208
प्रवासी भारतीय कार्य	:	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	210, 214
योजना	:	
अंतरिक्ष	:	216

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधान मंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	2349, 2383, 2392, 2437, 2498
नागर विमानन	:	2320, 2326, 2332, 2333, 2343, 2350, 2353, 2365, 2375, 2384, 2391, 2412, 2413, 2419, 2428, 2433, 2449, 2456, 2457, 2476, 2477, 2484, 2485, 2487, 2489, 2494, 2500, 2501, 2503, 2509, 2514, 2516, 2521, 2527
कोयला	:	2316, 2319, 2327, 2335, 2347, 2357, 2408, 2416, 2427, 2434, 2435, 2450, 2455, 2466, 2481, 2486, 2496, 2519, 2523, 2530
संचार और सूचना प्रोद्योगिकी	:	2309, 2317, 2323, 2337, 2346, 2355, 2359, 2361, 2362, 2372, 2387, 2390, 2394, 2396, 2401, 2402, 2407, 2409, 2411, 2420, 2431, 2438, 2439, 2441, 2445, 2447, 2460, 2474, 2475, 2479, 2482, 2502, 2511, 2517
विदेश	:	2331, 2344, 2348, 2397, 2430
मानव संसाधन विकास	:	2310, 2311, 2312, 2315, 2324, 2328, 2340, 2341, 2342, 2352, 2354, 2360, 2363, 2364, 2367, 2368, 2370, 2374, 2378, 2380, 2382, 2395, 2398, 2399, 2400, 2405, 2417, 2421, 2422, 2424, 2425, 2426, 2432, 2442, 2443, 2446, 2448, 2451, 2452, 2463, 2464, 2471, 2478, 2483, 2488, 2490, 2491, 2493, 2504, 2505, 2506, 2508, 2510, 2513, 2515, 2518, 2522, 2526, 2529

प्रवासी भारतीय कार्य	:	2322, 2329, 2338, 2393, 2404, 2406, 2467, 2495
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	2302, 2303, 2304, 2305, 2308, 2313, 2314, 2318, 2321, 2345, 2351, 2356, 2376, 2377, 2379, 2386, 2388, 2389, 2403, 2410, 2415, 2418, 2423, 2429, 2436, 2440, 2453, 2458, 2462, 2470, 2472, 2473, 2492, 2520, 2528
योजना	:	2306, 2307, 2325, 2330, 2334, 2336, 2339, 2358, 2366, 2373, 2381, 2385, 2414, 2444, 2461, 2468, 2469, 2480, 2499, 2512, 2524, 2525
अंतरिक्ष	:	2301, 2369, 2371, 2454, 2459, 2465, 2497, 2507.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/24/12/2012 (एन.)
230

© 2012 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मै. धनराज एसोशिएट्स प्रा.लि., नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।